वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)
(वेबसाइट: www.ugc.ac.in)

वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–110002 (भारत)

(वेबसाइट: www.ugc.ac.in)

वर्ष 2011–2012 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

अध्यक्ष

प्रो० वेद प्रकाश (कार्यकारी)

उपाध्यक्ष

प्रो० वेद प्रकाश

उपाध्यक्ष

1. सुश्री विभा पुरी दास
2. श्रीमती विलासिनी रामाचन्द्रन[*]
3. श्रीमती अंजुली चैब दुग्गल[**]
4. डॉ० शिवाजीराव श्रीपतराव कदम[***]
5. प्रो० के० रामामूर्ति नायडू[#]
6. प्रो० एस० जेवियर अलफॉन्स, एस.जे.[##]
7. डॉ०(श्रीमती) विद्या येरावदेकर
8. प्रो० अच्युतानन्द सामन्त
9. प्रो० सैयद ई० हसनैन
10. प्रो० मीनाक्षी गोपीनाथ
11. श्री किरण कार्निक[$]
12. डॉ० इन्दु साहनी[^]
13. प्रो० योगेन्द्र यादव[^]
14. डॉ०वी०एस० चौहान[^^]
15. प्रो० डी० नरसिम्हा रेडडी[^^^]

सचिव

डॉ० एन०ए० काज़मी

---

[*] 8 फरवरी, 2012 तक

[**] 9 फरवरी, 2012 से

[***] 31 मई, 2011 तक

[#] 19 अक्तूबर, 2011 तक

[##] 22 फरवरी, 2012 तक

[$] 20 अप्रैल 2011 (उनके अनुरोध पर आयोग की सदस्यता से नाम वापस लिया)

[^] 28 फरवरी, 2011 से

[^^] 29 नवम्बर, 2011 से

[^^^] 20 मार्च, 2012 से

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110 002 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित

मैसर्स रूज़ कम्यूनिकेशन
एस–185, फर्स्ट फ्लोर, ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, नई दिल्लो – 110 048
दूरभाष क्रमांकः +91.11.2922.0001
वेब साईटः www.rougecommunications.org | ई–मेलः rougecommunications@gmail.com द्वारा डिजाईन एवं मुद्रित किया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान सदस्यों की सूची
(दिनांक 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष

प्रो० वेद प्रकाश (कार्यकारी)

उपाध्यक्ष

प्रो० वेद प्रकाश

सदस्य

श्री अशोक ठाकुर	सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001
श्रीमती अंजुली चैब दुग्गल	अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली–110001
प्रो० अच्यूतानन्द सामन्त	आचार्य, रसायन विभाग, कलिंग इन्सिटीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलोजी, भुवनेश्वर (ओडीशा)
प्रो० (डॉ०) सैयद ई० हसनैन	आचार्य, कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), हौज खास, नई दिल्ली– 110 016
प्रो० मीनाक्षी गोपीनाथ	प्रधानाचार्य, लेडी श्रीराम कॉलेज, नई दिल्ली– 110 024
डॉ० इंदु सहानी	प्राधानाचार्य, एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकनॉमिक्स, 123, दिनशा वाचा रोड, चर्च गेट, मुंबई – 400 020
प्रो० योगेन्द्र यादव	वरिष्ठ अध्येता, सेंटर फॉर दी स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सी.एस.डी.सी.), 29, राजपुर रोड, नई दिल्ली – 110 054
डॉ० वी०एस० चौहान	निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायो–टेक्नोलॉजी, (आई.सी.जी.ई.बी.) अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली– 110 067
प्रो० डी० नरसिम्हा रेडडी	अध्यक्ष, भर्ती एवं मूल्यांकन केन्द्र, डी० आर० डी० ओ०, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, लखनउ रोड, तिमारपुर, दिल्ली–110054
प्रो० एम०एम० अंसारी	अर्थशास्त्री, पूर्व सी०आई०सी० एवं जम्मू और कश्मीर के लिए मध्यस्थ, भारत सरकार, 1068, रजनीगंधा अपार्टमेंट, प्लाट–4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075

सचिव

डॉ० अखिलेश गुप्ता (02.11.2012 से)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान सदस्यों की सूची

1.	डॉ० अखिलेश गुप्ता	सचिव
2.	डॉ० एन०ए० काज़मी	अपर सचिव
3.	डॉ० के. गुनाशेकरन	अपर सचिव
4.	श्री ए.के. डोगरा	संयुक्त सचिव/निदेशक(प्रशासन)
5.	डॉ० सी.एस. मीणा	संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार
6.	प्रो० राजेश आनन्द	संयुक्त सचिव
7.	डॉ० (श्रीमती) रेनू बत्रा	संयुक्त सचिव
8.	डॉ० के.सी. पाठक	संयुक्त सचिव
9.	डॉ० देव स्वरूप	संयुक्त सचिव
10.	डॉ० (सुश्री) रत्नाबाली बनर्जी	संयुक्त सचिव (क्षेत्रीय का०, कोलकाता)
11.	डॉ० के.पी. सिंह	संयुक्त सचिव
12.	डॉ० (श्रीमती) उर्मिला देवी	संयुक्त सचिव
13.	डॉ० (श्रीमती) मंजू सिंह	संयुक्त सचिव
14.	डॉ० जी. श्रीनिवास	संयुक्त सचिव (क्षेत्रीय का०, हैदराबाद)
15.	श्री एम०एस० यादव	मुख्य सांख्यिकी अधिकारी

विषय सूची

			पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना			xv
कार्यकारी सारांश			1
1.	परिचय		22
	1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका एवं संगठन	22
	1.2	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के संबध में	24
	1.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत विशेष प्रकोष्ठ	26
		(क) कदाचार प्रकोष्ठ	26
		(ख) सतर्कता प्रकोष्ठ	28
		(ग) कार्यस्थान पर महिला यौन उत्पीड़न प्रकोष्ठ	29
		(घ) विधिक प्रकोष्ठ	29
		(ङ) डेस्क : संसदीय मामले	29
		(च) सूचना का अधिकार (आर0आई0ए0) प्रकोष्ठ	31
		(छ) वेतनमान प्रकोष्ठ	31
		(ज) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ	32
		(झ) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ	32
		(ञ) रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ	32
		(त) आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ	34
	1.4	प्रकाशन	35
	1.5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	36
	1.6	केन्द्रीय तथा सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)	37
	1.7	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई पहल	39
	1.8	वर्ष की मुख्य घटनाएँ	40
2.	उच्च शिक्षा प्रणाली की वृद्धि: कुछ आँकड़े		52
	2.1	संस्थाएं	52

2.2 छात्रों का नामांकन 59

2.3 संकाय संख्या 60

2.4 शोध उपाधियाँ 61

2.5 उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि 61

2.6 राज्य तथा संकाय द्वारा महिलाओं के नामांकन का संवितरण 61

2.7 महिला महाविद्यालय 62

3. विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत)तथा अनुरक्षण (गैर–योजनागत)सहायता 75

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता 75

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय 78

(ख) राज्य विश्वविद्यालय 85

(ग) सम विश्वविद्यालय 90

3.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित समविश्वविद्यालयों की मुख्य विशेषताएँ: 2011–2012 94

3.3 विश्वविद्यालयों में मौजूदा तथा नवीन प्रबन्धन विभागों के उन्नयन के लिए विकास सहायता 149

4. महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता 151

4.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर विशेष बल 151

4.2 वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय 152

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान 153

4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुदानों की योजनावार स्थिति 154

4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान 173

4.6 निम्न जी.ई.आर. वाले शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों (ई.बी.डी.) में नए मॉडल डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना 174

4.7 महाविद्यालयों में यंत्र रख–रखाव सुविधा 175

5. गुणवत्ता और उत्कृष्टता 177

5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यू.पी.ई.) 177

5.2 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सी.पी.ई.) 180

5.3 विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र(सी.पी.ई.पी0ए0) 181

5.4 नए केन्द्रों / संस्थानों की स्थापना 186

5.5 विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.) 186

5.6	नवोन्मेषी कार्यक्रम– कुछ उभरते हुए एवं अर्न्तविषयक क्षेत्रों में अध्यापन एवं शोध	189
5.7	स्वायत्त महाविद्यालय	190
5.8	अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.)	191
5.9	राजभाषा (हिन्दी) को बढ़ावा देना	193
5.10	द्विपक्षीय तथा शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	194
5.11	मानव संसाधन के विकास हेतु अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा	200
5.12	यात्रा अनुदान	211
5.13	अन्तर्विश्वमहाविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)	211
5.14	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	232
5.15	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित चार में से किन्हीं दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता शिक्षकों को विशेष मानदेय	239
5.16	विश्वविद्यालयों के संकाय संसाधनों में वृद्धि करना (इनकोर)	240
5.17	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी)	241
5.18	वृत्ति उन्नति योजना (कैस) के अधीन रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए वि.अ.आ. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति	241
5.19	वि0अ0आ0 स्वामी प्रणवानंद सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार, वि.अ.आ. हरिओम आश्रम न्यास राष्ट्रीय पुरस्कार तथा वि.अ.आ. वेद व्यास संस्कृत राष्ट्रीय पुरस्कार	242
5.20	बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के प्रति जागरूकता बढाना तथा पेटेंटों की सुविधा प्रदान करना	242
5.21	विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना (पी.आई.एच.ई.ए.डी.)	243
6.	**अनुसंधान संवर्धन**	244
6.1	अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँः बृहत् तथा लघु	244
6.2	अध्यापकों के लिए अनुसंधान अवार्ड	245
6.3	एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ	246
6.4	अनुसंधान कार्यशालाएँ, / संगोष्ठियाँ / परिसंवाद और सम्मेलन	247
6.5	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जे.आर.एफ.) एवं अनुसंधान एसोसिएटशिप (आर.ए.)	248
6.6	भारतीय नागरिकों के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ	248
	(क) विज्ञान, मानविकी, तथा सामाजिक विज्ञान में जे.आर.एफ.	248
	(ख) अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में जे.आर.एफ.	249

6.7	अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	250
6.8	अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	251
6.9	व्यावसायिक पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	252
6.10	अनुसंधान वैज्ञानिक (संशोधन–पूर्व)	253
6.11	महिला उम्मीदवारों के लिए पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	254
6.12	गेट योग्यता प्राप्त एम.ई / एम.टेक. / एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	254
6.13	एकल बालिका हेतु इंदिरा गाँधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	255
6.14	स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय–रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मैरिट छात्रवृत्ति	257
6.15	अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	260
6.16	भारतीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	261
6.17	डॉ.डी..एस.कोठारी पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान अध्येतावृत्ति	263
6.18	मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान विषयों में अनुसंधान अध्येतावृतियाँ	264
6.19	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में अनुसंधान अध्येतावृतियाँ	266
6.20	"ऑपरेशन फैकल्टी रीचार्ज": विश्वविद्यालयों के शोध एवं शिक्षण संसाधनों में वृद्धि हेतु पहल	268
6.21	वि.अ.आ.–बीएसआर संकाय अध्येता योजना	269
6.22	बीएसआर कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को एक मुश्त अनुदान	270
6.23	डॉ.राधाकृष्णन पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान अध्येतावृत्ति	271
6.24	विभिन्न अकादमिक और अनुसंधान कियाकलापों के हेतु शिक्षकों को, विषय आधारित संधों को प्रोत्साहन	271
6.25	छात्रों को वि0अ0आ0 अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों का सारांश	273
7.	**लिंग तथा सामाजिक समानता**	278
7.1	भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास	278
7.2	महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु विशेष योजना	279
7.3	उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधको का क्षमता निर्माण	279
7.4	विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति / जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना	281
7.5	अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) / अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएँ	282
7.6	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के लिए आरक्षण नीति	282

7.7 अ0जा0 / अ0ज0जा0 हेतु योजनाओं तथा आरक्षण नीति की निगरानी हेतु संबंधी स्थायी समिति 282

7.8 समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना (ई.ओ.सी.) 283

7.9 अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु स्थायी समिति 283

7.10 निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ 283

8. प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा 285

8.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ किया जाना 285

8.2 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र 286

8.3 सामाजिक बहिष्कार एवं समावेशी नीति के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना 289

8.4 युग प्रवर्तक भारतीय समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन 291

8.5 प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार 292

8.6 मानवाधिकार शिक्षा (एच.आर.ई.) 294

9. संचार एवं सूचना प्रौद्योकियों का समेकन 297

9.1 विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना / उन्नयन 297

9.2 वि.अ.आ.–इन्फोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी 298

9.3 वि.अ.आ.–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कन्सोर्टियम (ई–पत्रिका योजना) 299

9.4 स्नातकोत्तर विषयों हेतु ई–कंटेट पाठयक्रम तैयार करना 300

10. संचालन और कार्यकुशलता में सुधार 302

10.1 संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन 302

10.2 विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के अकादमिक प्रशासकों तथा वि.अ.आ. के अधिकारियों का प्रशिक्षण 303

परिशिष्टों की सूची 305

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की वर्ष 1953 में स्थापना के साथ ही की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2010–2011 की वार्षिक रिपोर्ट न केवल देश में उच्च शिक्षा स्तर को बनाए रखने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में वि0अ0आ0 द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पहल को दर्शाती है बल्कि यह रिपोर्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सामान्य विकास का संवर्धन करने, में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई को पहल पर भी प्रकाश डालती है जिससे शिक्षा तक पहुंच, समता, संगतता और उत्कृष्टता में वृद्धि हुई।

11वीं योजना के चौथे वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और उच्च शिक्षा में समतोन्मुखी विस्तार करने के मद्देनजर अनेक नई पहल की है। मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई समस्त सूचनाएँ शिक्षकों, छात्रों शोधकर्ताओं, उच्च शिक्षा प्रशासकों तथा उच्च शिक्षा में भागीदारों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का वि0अ0आ0 के एजेंडों को आगे ले जाने में उनके उदार सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ ।

मैं इस अवसर पर रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरुप में तैयार करने के लिए मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, रिपोर्ट को संकलित करने के लिए प्रो0 राजेश आनन्द, संयुक्त सचिव, श्री के.एस.वी. रेड्डी, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी तथा डॉ0 (श्रीमती) दीक्षा राजपूत को रिपोर्ट के प्रकाशन का पर्यवेक्षण करने के लिए, विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ ।

वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु में सुधार करने के लिए सुझावों का स्वागत है ।

नई दिल्ली

प्रो0 वेद प्रकाश
अध्यक्ष (कार्यकारी)

कार्यकारी सारांश 2011–12

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2011–12 का कार्यकारी सारांश न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनिवार्य उद्देश्यों बल्कि उसकी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा इन पर हुए व्यय के साथ–साथ आँकड़ों के संदर्भ में हुए विकास और इनके तहत् प्राप्त वास्तविक लक्ष्य को दर्शाते हुए वि०अ०आ० के क्रियाकलापों को भी समाहित करना है।

1. प्रस्तावना

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया और 1956 में संसद् अधिनियम के अधीन संवैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय, निर्धारण तथा मानकों के अनुरक्षण के लिए की गई थी ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आयोग पिछले वर्ष के दौरान किए गए अपने कार्यकलापों का एक सत्य और सम्पूर्ण ब्यौरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियाँ केन्द्र सरकार को प्रेषित करेगा तथा सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों में रखेगा।

- आयोग में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस सदस्य (सचिव शिक्षा, सचिव व्यय, 8 अन्य सदस्य) हैं जिनको भारत सरकार नियुक्त/नामांकित करती हैं। आयोग के सचिवालय का प्रमुख सचिव जिसमें 476 कार्यकारी स्टॉफ़ के साथ हैं जिसमें 61 समूह–क के अधिकारी एवं 113 समूह–ख के अधिकारी और समूह–ग के 113 अधिकारी सम्मिलित हैं। कुल कार्यकारी स्टॉफ़ में से 32.35 प्रतिशत महिलाएँ, 23.74 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 6.30 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से हैं। पेंशनरों की संख्या 448 तथा वार्षिक पेंशन देयताएं लगभग 7.60 करोड़ रूपये रही हैं ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 के बाद चरणबद्ध ढंग से देश में **सात** क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलकर अपने कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर दिया लेकिन महाविद्यालय क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की सरलतापूर्वक पहुँचा सके तथा अनुदानों को तुरन्त जारी करने और कार्यान्वयन करने में सुविधा हो सके ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 11वीं योजना (2007–12) का मुख्य उद्देश्य, समावेशित गुणवत्ता तथा प्रसांगिकता के साथ अकादमिक सुधार के साथ–साथ और संबंधित उच्च शिक्षा में नामांकन का विस्तार हो सके। 11वीं योजना के लिए सकल नामांकन का अनुपात (जी.ई.आर.) का लक्ष्य 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, इसे शैक्षिक संस्थानों की संख्या बढ़ाने और विद्यमान संस्थानों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाने की दोहरी नीति अपनाकर पूरा किया जाना हैं ।

- जाली विश्वविद्यालयों तथा डिग्रियों की बढ़ती संख्या के खतरे से निपटने के लिए उत्तरदायी कदाचार प्रकोष्ठ ने कुल 21 जाली संस्थानों की पहचान करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ठोस कार्यवाही के आधार पर कतिपय संस्थानों के नामों के जुड़ने/घटने से संस्थानों की संख्या में अंतर होता रहता हैं । वि.अ.आ. ने समाचार पत्रों में जनसाधारण/छात्रों की जागरूकता हेतु अकादमिक सत्र के आरंभ में छात्रों को जाली संस्थानो में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु आगाह करते हुए एक नोटिस/प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सतर्कता प्रकोष्ठ को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (8), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (10) और 86 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से प्राप्त हुई इस प्रकार कुल 113 शिकायतें प्राप्त हुईं और संवेदनशील स्वरुप के कुछ मामलों में जाँच समिति के समक्ष रखा गया है और समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही आरंभ कर दी गई ।

- वर्ष 2009–10 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महिला उत्पीडन प्रकोष्ठ को किसी महिला अधिकारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

- वर्ष 2010–2011 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 741 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और पिछले वर्ष के 90.99 लाख रुपये की तुलना में 75.85 लाख रुपये का व्यय अधिवक्ताओं के बिल पर हुआ था।

- संसद् डेस्क को वर्ष 2010–2011 के दौरान पिछले वर्ष के 603 संसदीय प्रश्नों की तुलना में 488 प्रश्न प्राप्त हुए। जिनमें से 8 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया है।

- वर्ष 2011–12 के दौरान वि.अ.आ. को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 7900 आवेदन तथा 622 अपीलें प्राप्त हुई तथा वर्ष 2011–12 के दौरान आरटीआई शुल्क संग्रहण 87370/– रु0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 27082/– रु0 रहा ।

- वेतनमान प्रकोष्ठ जिसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समाधान करने और अध्यापकों के लिए गठित वेतन समीक्षा समिति के कामों का समन्वय करने के लिए गठित किया गया है– इस प्रकोष्ठ द्वारा मा.सं.वि.मं. /वि.अ.आ. के शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारिवृंदों की न्यूनतम अर्हता के संबध में विनियमों को परिचालित किया और रीडर से प्राचार्य के पद पर चयन की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए प्रेक्षकों की भी नियुक्ति की।

- विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने तथा नियुक्तियों के प्रति, आरक्षण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वि.अ.आ. के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा निगरानी की जा रही है ।

- वर्ष 2008 में स्थापित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर कार्यवाही की जाती है। जैसे कि सम–विश्वविद्यालय दर्जा प्रदान करना और अल्पसंख्यक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करना आदि। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की देख–रेखे समूह 'क' एवं समूह 'ख' अधिकरी करते है।

- वर्ष 2008 में स्थापित रैंगिंग–रोधी प्रकोष्ठ का इस बारे में दायित्व है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यमान रैगिंग के सम्भावना पर नियंत्रण रखा जाये। रैगिंग के बारे में वि.अ.आ. के जो भी निर्देश हैं, उनका अनुपालन करने के लिये समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को कहा गया है। एक राष्ट्रव्यापी 24X7 निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800–180–5522 आरंभ की गई है। इस हैल्पलाइन को कॉल सेंटर सुविधाओं सहित 12 भाषाओं कार्यवाही करने के लिए लागू किया गया है। एक रैगिंग–रोधी वेबसाइट का भी विकास किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 100 शिकायतें विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध संस्थानों से मिली थीं को उन शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने को कहा गया है। 31.3.2012 तक हैल्पलाइन चालू किये से लेकर अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थानों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है।

- एक उपनिदेशक की अध्यक्षता में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखा–जोखा की देखभाल बेहतर रखरखाव और पारदर्शिता से कराता रहा है ।

- वि.अ.आ. वार्षिक रिपोर्ट को मिलाकर वि.अ.आ. के प्रकाशन अनुभाग ने रिपोर्टाधीन वर्ष में 18 प्रकाशनों के प्रकाशन/मुद्रण पर 25.51 लाख रुपये व्यय किये।

- वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए बजट और अनुदान–सहायता की प्राप्ति निम्नलिखित हैः

तालिका 1.1: वर्ष 2011-12 के लिए बजट

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत आवंटन (₹ करोड़ में)		गैर–योजनागत आवंटन (₹ करोड़ में)	
		ब0अनु0	सं0अनु0	ब0अनु0	सं0अनु0
1	सामान्य	5244.50	5495.17	4118.89	4370.64
	कुल	5244.50	5495.17	4118.89	4370.64

तालिका 1.2 : वर्ष 2010-2011 के दौरान प्राप्त योजनागत और गैर-योजनागत (सामान्य) अनुदान

क्र.सं.	मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान	योजनागत (₹ करोड़ में)	गैर–योजनागत (₹ करोड़ में)
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	5495.17	4400.23
2	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	103.69	--
3	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	84.93	--
4	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	51.98	--
	कुल	5735.77	4400.23

- वर्ष 2011–12 के दौरान जारी योजनागत अनुदान (4721.43 करोड़ रुपये) में से 46.84 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 2.44 प्रतिशत सम विश्वविद्यालयों, 20.25 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों और 6.33 प्रतिशत राज्यों के विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को दिया गया।

- वर्ष 2011–12 के दौरान जारी कुल गैर–योजनागत अनुदान (4314.56 करोड़ रुपये) में से 67.58 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 23.24 प्रतिशत दिल्ली महाविद्यालयों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को और 5.07 प्रतिशत समविश्वविद्यालयों को जारी किया गया।

- संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) जो कि उन शिक्षणेत्तर स्टाफ पदों (केवल केंद्रीय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिये) एक समान संवर्ग संरचना का निर्माण करने और वेतनमानों, कार्यों, अर्हताओं का यौक्तिकरण करने के लिये किया जो कि 24 संवर्ग के बारे में था और उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समीक्षा समिति की इस रिपोर्ट को सहमति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थानो में एसीपी के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश भी परिचालित किए जा चुके है ।

- उद्यमिता तथा ज्ञान आधारित उद्यमों के संवर्धन के संबंध में नई पहल पर भी वि.अ.आ. द्वारा कार्यवाही की गई है ।

- रिपोर्टिंग वर्ष की मुख्य विशेषताओं में पशुओं का विच्छेदन, संयुक्त नियुक्तियां, उच्च शिक्षा संस्थानों में शिकायत निवारण, भारत और विदेशी संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग आदि नीतिगत मुद्दे शामिल है और गठित की गई महत्वपूर्ण समितियां, उनके पास लिये गये निर्णय, अनुमोदनों तथा आयोग के संकल्पों को भी अध्याय–1 (1.8) में दर्शाया गया है ।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ज) के अंतर्गत उन सभी मामलों, में जो कि भारतवर्ष एवं अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बद्ध हैं: सूचना एकत्र करने का अधिकार है ।

- स्वतंत्रता के समय भारत में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो संख्या विद्यमान थी उसकी तुलना में अब विश्वविद्यालयों से संबंधित संख्या 29 गुना हो चुकी है। महाविद्यालयों से संबंधित यह संख्या 71 गुना हो चुकी है और उच्च

शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 97 गुना हो चुका हैं, और ये समस्त आंकड़े स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की तुलना में लिए गए हैं।

- 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या 573 तक जा पहुँची हैं (जिनमें 43 केंद्रीय, 286 राज्य, 111 राज्य निजी, 129 समविश्वविद्यालय हैं, 4 संस्थान राज्य विधान के तहत स्थापित हैं) एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 35539 महाविद्यालय हैं। 397 राज्य और राज्य निजी विश्वविद्यालयों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत 214 राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक पात्र नहीं माना गया हैं। जहाँ तक विश्वविद्यालयों की संख्या का प्रश्न हैं, तमिलनाडु इस सूची में सबसे ऊपर है जहाँ 55 विश्वविद्यालय हैं। इसके बाद उत्तरप्रदेश में 54 विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान में 47, आन्ध्र प्रदेश में 43 आदि है। इस सूची से यह पता चलता हैं कि राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना अनियमित ढंग से हुई हैं।

- रिपोर्टाधीन वर्ष, 2010–2011 के दौरान, वि.अ.आ. की विश्वविद्यालयों की सूची में 21 राज्य तथा 31 राज्य निजी विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं और 12 राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें पात्र घोषित किया गया हैं।

- वर्ष 2011–12 के दौरान कुल मिलाकर 2575 नए महाविद्यालय विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए हैं, जिनको मिलाकर महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2010–11 के 32964 से बढ़कर 35539 हो गयी है ।

- वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंत तक वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 8288 थी। इनमें से 1501 (18ः) महाविद्यालय अब भी ऐसे हैं जो कि वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धारा 12(ख) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। अब तक धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है (1357), जिसके बाद महाराष्ट्र (1115), कर्नाटक (727) और आंध्रप्रदेश (540) हैं।

- शैक्षिक सत्र 2010–2011 के दौरान समस्त पाठ्यक्रमों और नियमित विषय के स्तरों पर कुल नामांकन 203.27 लाख था जिसमें 86.72 लाख छात्राएँ थीं और जो कि समस्त नामांकन का 42.66 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में महिला छात्रों को सर्वाधिक नामांकन था (29.11 लाख), जिसके बाद महाराष्ट्र (24.14 लाख) तथा आन्ध्र प्रदेश (19.98 लाख), तमिलनाडु (18.55 लाख), आदि और सिक्किम राज्य का सभी राज्यों में सबसे कम अर्थात 12757 नामांकन था ।

- विभिन्न स्तरों पर छात्रों के नामांकन का प्रतिशत निम्नवत रहा हैं:

स्तर	स्नातकपूर्व		डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	शोध
कुल नामांकन का प्रतिशत	85.87	12.26	1.08	0.79

- सभी स्नातकपूर्व छात्रों के लगभग 89.38 प्रतिशत (156.02 लाख) तथा समस्त स्नातकोत्तर छात्रों का 71.16 प्रतिशत (17.99 लाख) छात्र शेष विश्वविद्यालयों के विभागों और संघटक महाविद्यालयों में थे। कुल अनुसंधान छात्रों में (1.61 लाख) तथा 79.43 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में से थे।

- छात्रों के कुल नामांकन (203.27 लाख) में से 37.09 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, उसके बाद 18.64 प्रतिशत विज्ञान में तथा 17.57 प्रतिशत वाणिज्य में हैं। इस प्रकार केवल तीन संकायों में 73.30 प्रतिशत नामांकन था जबकि पेशेवर संकायों में नामांकन 26.70 रहा। इस प्रकार का अनियमित वितरण नीति परिवर्तन को इंगित करता है ।

- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संकायों के अध्यापकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 8.17 लाख से बढ़कर 9.34 लाख हो गई थी, जिससे कि 14.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 9.34 लाख अध्यापकों में से 83.09 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में है और शेष 16.91 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में हैं।

- वर्ष 2010–2011 के दौरान प्रदान की गई पी.0एच.0डी0 और एम0.फिल0 की डिग्रियों की संख्या क्रमशः 16093 और 12549 थी। इनमें से सबसे अधिक विज्ञान संकाय में 5232 पी.0एच.0डी0 डिग्रियाँ, और 4451 एम0.फिल0 की डिग्रियां उसके बाद कला संकाय की 5037 पी.एच.

डी. डिग्रियां और 4739 एम.फिल डिग्रियां थी, डिग्रियों की कुल संख्या की तुलना में इन दोनों संकायों में कुल मिलकर क्रमशः 63.81 प्रतिशत तथा 73.23 प्रतिशत की संख्या थी।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समस्त स्तरों पर नामांकित प्रति सौ पुरुष छात्रों के पीछे महिला नामांकन 74 प्रतिशत रहा।

- प्रतिशतता के संदर्भ में, महिला नामांकन गोवा राज्य में सर्वाधिक रहा (60.31 प्रतिशत) उसके पश्चात् केरल (58.62 प्रतिशत) फिर मेघालय (54.19 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश में (51.16 प्रतिशत) तथा अरूणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कम (36.69 प्रतिशत) महिला नामांकन रहा है। परिशुद्ध संख्या में उ0प्र0 12.01 लाख के आंकड़ों के साथ महिला नामांकन के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (10.60 लाख) तथा आंध्र प्रदेश (8.61 लाख) आदि रहे।

- महिला नामांकन सर्वाधिक कला संकाय में सर्वाधिक (41.91 प्रतिशत) में था, उसके पश्चात् विज्ञान (19.17 प्रतिशत) में, फिर वाणिज्य (16.31 प्रतिशत) जो तीनों संकायों में कुल 77.39 प्रतिशत रहा। जबकि शेष 22.61 प्रतिशत सभी पेशेवर संकायों में था। प्रतिशत के संदर्भ में पेशेवर संकायों में सबसे ज्यादा महिला नामांकन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (11.06 प्रतिशत) के पेशेवर संकाय में रहा ।

- वर्ष 2011–20112 के दौरान कुल मिलाकर 284 नये महिला महाविद्यालयों की स्थापना विभिन्न राज्यों में की गई। नये महिला महाविद्यालयों की कुल संख्या 4266 है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में महाविद्यालयों की संख्या (2208) की तुलना में 2058 नए महिला महाविद्यालय स्थापित किए गए ।

3. विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (गैर–योजनागत)एवं विकास (योजनागत)अनुदान

- केन्द्रीय, राज्यों और सम विश्वविद्यालयों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे कि उनकी पैठ में वृद्धि करवाने में, समानता को सुनिश्चित करने में, उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने, प्रशासनिक क्रियाओं को प्रभावी बनाने में, छात्रों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने में, शोध सुविधाओं के संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की अन्य अनेक योजनाएँ सम्मिलित है। अनुरक्षण अनुदान कुछ सीमित विश्वविद्यालयों को ही उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे विश्वविद्यालय अपने उस आवर्ती व्यय का भुगतान कर सकें जो कि अध्यापन वर्ग और गैर–अध्यापन वर्ग इन दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि के लिए और कुछ अनिवार्य भुगतानों के लिये, जैसे करों, टेलीफोन, बिजली के बिल, टिकटें आदि के लिये किया जाता है। समस्त केन्द्रीय एवं समविश्वविद्यालयों को योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान दिये जा रहे है–जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत अनुदान ही दिया जा रहा है।

- वर्ष 2010–2011 के दौरान दक्षिण एशियाई एवं विश्वविद्यालयों नालन्दा विश्वविद्यालय को छोडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 42 थी। इनमें से तीन विश्वविद्यालयों नामतः इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और मैरीटाइम विश्वविद्यालय को सीधे तौर से क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय तथा पोत और परिवहन मंत्रालय द्वारा निधियन किया जाता है। अतः वर्ष 2011–12 के दौरान केवल 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत एवं गैर–योजनागत अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान की गई।

- 526.84 करोड़ रु. की सामान्य अनुदान के अन्तर्गत तथा 6.63 करोड़ रु. विलयित सहायता योजनाओं का योजनागत अनुदान दिया गया जो कि 23 पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2011–12 के दौरान 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को रूपये 756.38 करोड़ की सामान्य विकास सहायता और विलयित सहायता योजनाओं के तहत प्रदान किये गए । साथ ही रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को रूपये 2974.36 करोड़ की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में प्रदान की गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान गैर–नेट पीएचडी तथा एमफिल स्कॉलरों को भुगतान करने के लिए 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 2876 करोड़ रूपये का कुल अनुदान जारी किया गया है । वर्ष 2011–12 के दौरान सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को 10.00 करोड़ रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति को क्रियान्वित करने के लिए क्षमता विस्तार हेतु 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को रूपये 289.26 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक/अं.जा./अ.ज.जा. एवं महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों को स्थापित करने के लिए 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को तथा एक सम विश्वविद्यालय को रूपये 30.65 करोड़ की राशि जारी की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजीव गांधी अध्यक्षपीठ तथा जामिया मिलिया इस्लामिया और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में मौलाना अबुल कलाम आजाद

अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय को 20.00 लाख रू0 की धनराशि का भुगतान किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्दू माध्यम के शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को 9.46 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई थी ।

- 31 मार्च, 2012 तक विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत 397 राज्य विश्वविद्यालयों एवं राज्य के निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इनमें से कृषि तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों को छोड़कर केवल 144 राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) अनुदानों का बजटीय आवंटन कर रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान 40 राज्य विश्वविद्यालयों के पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को 126.59 करोड़ रु0 तथा विलयित योजनाओं के अंतर्गत 24 विश्वविद्यालयों को 49. 90 करोड़ रु0 का विकास अनुदान प्रदान किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु दो राज्य विश्वविद्यालयों (बरकतुल्लाह और कोचीन विश्वविद्यालय) प्रत्येक को 20.00 लाख रू0 की धनराशि का भुगतान किया गया है । वर्ष 2011–12 के दौरान बाबू जगजीवन राम पीठ की स्थापना के लिए पटना विश्वविद्यालय को 18.00 लाख रु0 का भुगतान भी किया गया ।

- संस्थानों में शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रक्रिया को सुदृढ़ कर गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आयोग ने पहले से धारा 12 (ख) में कवर 73 राज्य विश्वविद्यालयों को कुल 95.37 करोड़ रु0 का अनुदान जारी कर सहायता प्रदान की । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अवसंरचना एवं अन्य मानदंडों में कमी के चलते वि.अ.आ. विकास अनुदान में शामिल नहीं किए 3 राज्य विश्वविद्यालयों को 9.00 करोड़ रुपये के कुल अनुदान का भुगतान किया गया और उन्हें वि.अ.आ. से नियमित रूप से विकास अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र बनाया । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अभियांत्रिकी संकाय के उन्नयन हेतु दो राज्य विश्वविद्यालयों नामतः जाधवपुर विश्वविद्यालय तथा आंध्र विश्वविद्यालय को क्रमशः 10.00 करोड़ तथा 4.00 करोड़ रू0 की सहायता प्रदान की गई ।

- 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 129 सम विश्वविद्यालय थे।

- 129 विश्वविद्यालयों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 24 सम विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान और 10 सम विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्रदान करता है । वर्ष 2011–12 के दौरान 16 सम विश्वविद्यालयों को 41.04 करोड़ रुपयों का विकास (योजनागत) अनुदान, और विलयित योजना कि तहत 10 सम विश्वविद्यालयों को 11.68 करोड़ रुपयों का विकास अनुदान प्रदान किया गया और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 10 सम विश्वविद्यालयों को 200.70 करोड़ रु0 का गैर–योजनागत अनुदान का भी भुगतान किया गया।

- पात्र विश्वविद्यालयों को विकास सहायता उपलब्ध कराई है ताकि प्रबन्धन विभागों की स्थापना तथा उनको प्रोन्नत किया जा सके और जिससे कि अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परामर्श जो कि प्रबन्धन से जुड़े हुए है, उन सबमें गुणवत्ता आये और वैश्विक मानकों पर यह समस्त बातें खरी उतर सकें। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अनुमोदित विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे सम विश्वविद्यालय के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं अध्याय 3 के 3.2 में दर्शायी गयी है ।

4. महाविद्यालयों का विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर–योजनागत) अनुदान

- विकास सहायता या केन्द मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को समर्थन दे रहा है। विद्यमान संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा उन्हें मजबूत करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार, विशेष रूप से स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों को कैरियर के अवसरों से जोड़ने के लिए, उन्हें औचित्यपूर्ण तथ विविध बनाने पर ज़ोर दिया जायेगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ नहीं है, वहां पर नये महाविद्यालयों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है ।

- 31 मार्च 2012 तक देश में 35539 कालेज थे। इनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियिम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत केवल 8288 महाविद्यालयों को मान्यता प्राप्त है और इनमें से 31.03.2012 तक 8288 महाविद्यालय अर्थात 23 प्रतिशत कुल महाविद्यालयों में से मात्र 6787 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है। महाविद्यालय क्षेत्रक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं / कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बंगलूरु में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से होता है।

- वर्ष 2011–12 के दौरान ग्यारहवीं पंचवर्षीय महाविद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 1403 पात्र महाविद्यालयों को 65.12 करोड़ रुपये तक की सहायता दी गई थी ।

- वर्ष 2011–12 के दौरान वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा अध्याय 4 के बिन्दु 4.4 में दिया गया है ।

- वर्ष 2011–12 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को रुपये 982.08 करोड़ रूपये की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी गई और 20.94 करोड़ रुपये की राशि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को गैर–योजनागत अनुदान के रूप में प्रदान की गई है।

- साथ ही रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान के दौरान महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत दिल्ली के महाविद्यालयों को 3.10 करोड़ रुपये और विलयित योजना के अंतर्गत 0.57 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।

- डिग्री पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ताकि उच्च शिक्षा में विस्तार हासिल किया जा सके, वि0अ0आ0 ने वर्ष 2010–11 के दौरान निम्न जीईआर वाले ईबीडी में "नए मॉडल डिग्री महाविधालयों की स्थापना" की योजना लागू की है । यह योजना मूल रूप से राज्य सरकारों के लिए शैक्षणिक रूप से कम विकसित जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके उत्थान हेतु एक प्रेरणा तंत्र है। यह उन जिलों पर लागू है (374 जिले) जिनकी योजना आयोग द्वारा ईबीडी के रूप में पहचान की गई है । सहायता 2.67 करोड़ रु0 तक सीमित है जिसमें पूंजीगत लागत तथा शेष और आवर्ती व्यय की संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूति की जानी होती है । वर्ष 2011–12 के दौरान राज्यों से प्राप्त 64 प्रस्तावों में से 48 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुमोदित महाविद्यालयो की स्थापना हेतु 23 नये मॉडल डिग्री विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 28.00 करोड़ रु0 के कुल अनुदान को अनुमोदित किया गया था। मानव संसाधन मंत्रालय 25 अनुमोदित महाविद्यालयों हेतु अनुदान का भुगतान करेगा।

- योजना का उद्देश्य महाविद्यालय के वैज्ञानिक उपस्करों और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हेतु प्रभावी और कुशल रख–रखाव उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य सहायता अवसंरचना के रूप में आईएमएफ केन्द्र की स्थापना करना है । वित्तीय सहायता के रूप में अनावर्ती अनुदान के रूप में 4.00 लाख रु0 तथा आवर्ती अनुदान के रूप में 5.70 लाख रु0 की सहायता उपलब्ध कराई जानी है । वर्ष 2011–12 के दौरान महाविद्यालयों के 56 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया और अनुमोदित महाविद्यालयों को 1.14 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया था ।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अभिज्ञात विश्वविद्यालयों को " उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। पहले दौर में, नवीं योजना के दौरान **पाँच** विश्वविद्यालय अर्थात् जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय एवं पूणे विश्वविद्यालय को चिन्हित किया गया है एवं उन्हें यह स्तर प्रदान किया गया है। दसवीं योजना के दौरान **चार** अन्य विश्वविद्यालयों को अर्थात् कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुम्बई विश्वविद्यालय, उत्तर पूर्वी विश्वविद्यालय एवं मदुरई कामराज विश्वविद्यालय चिन्हित किया गया है एवं उन्हें उत्कृष्टता की संभाव्यता वाला विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय को किसी भी एक योजना अवधि के दौरान 30.00 करोड़ रु0 उपलब्ध कराया जाता है। 11वीं योजना के दौरान ऐसे **6** और संभावित विश्वविद्यालयों की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों की पहचान की जानी है, उन्हें दर्जा प्रदान किया जाना है, अर्थात बीएचयू, गुरू नानक देव, कर्नाटक, मैसूर, ओस्मानिया और राजस्थान । वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालयों को 50.44 करोड़ रु0 की राशि जारी की गयी।

- महाविद्यालयों में शिक्षण में मुख्य रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति की पहल करने के लिए, वि.अ.आ. ने "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय" नामक एक योजना आरम्भ की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देशभर से 113 महाविद्यालयों की पहचान करके, उन महाविद्यालयों में शैक्षिक अवसंरचना में सुधार लाने के लिए, शिक्षण पद्वतियों, और मूल्यांकन में नवोन्मेंष आदि में अपनाने के लिए सहायता प्रदान करना चाहता है। महाविद्यालयों को अपने नाम के साथ 'संयुक्त डिग्री प्रदान करने वाला' दर्जा भी प्रदान किया जायेगा। प्रत्यायन दर्जे और/अथवा स्वायत्त दर्जे के आधार पर अनुदान प्रति महाविद्यालय 100 लाख रु0 या 150 लाख रु0 प्रति महाविद्यालय होगा । वर्ष 2009–10 के दौरान महाविद्यालयों को सीपीई दर्जा प्रदान करने के लिए राज्य–वार कोटा को 3

प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 53 विश्वविद्यालयों को सीपीई का दर्जा प्रदान किया गया । 31.3.2012 तक 299 महाविद्यालयों को सीपीई का दर्जा प्रदान किया गया और 299 में से 15 महाविद्यालयों के सीपीई दर्जे को वापस ले लिया गया । इस प्रकार, 284 महाविद्यालयों को सीपीई का दर्जा प्राप्त है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महाविद्यालयों को कुल 38.97 करोड रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोग ने चुने हुए विभागों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले 12 केन्द्रों को अनुमोदित किया ताकि वे एक साथ कार्य कर सकें और संयुक्त रूप से नवीन नवोन्मेषी अकादमिक अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करने में सक्षम हो । इन केन्द्रों ने न केवल दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कार्य करना आरंभ किया । सभी केन्द्रों की समीक्षा की गई और उन्हें जारी रखने की सिफारिश की गई । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रों को 26.07 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की गई 46 विश्वविद्यालय से प्राप्त 65 प्रस्तावों में से स्थायी समिति ने चयन के अंतिम चरण में 12 विश्वविद्यालय के 16 प्रस्तावों को लघु सूचीबद्ध किया और 16 प्रस्तावों में से 10 विश्वविद्यालय के 12 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया तथा उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र का दर्जा प्रदान किया गया।

- अब तक, विश्वविद्यालयी प्रणाली के तहत विज्ञान और मानविकी के विभिन्न अंतर्विषयक क्षेत्रों में अध्ययन एवं अनुसंधान करने के लिए **छह** विश्वविद्यालयों में छह नए केन्द्रों की स्थापना की गई है । मानव जीनोम, बायो–मेडिकल मेगनेटिक रेजोनेंस, अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेषण तथा गुरु ग्रंथ साहिब पर अध्ययन के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान हो रहा है । वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालयों में चल रहे केन्द्रों को 9.85 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।

- जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों के विश्वविद्यालय विभागों को विशेष सहायता कार्यक्रम (एस0ए0पी0) के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा रही है ताकि विभागों में अनुसंधान में श्रेष्ठता प्राप्त कर सके और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम में सुधार हो सके। वर्ष 2010–2011 के दौरान 183 नए विभाग अधिस्थापित किए गए। 31.03.2011 तक, ऐसे विभाग जिन्हे "सैप" सहायता प्राप्त हुई उनकी संख्या 874 थी जोकि पिछले वर्ष में यह संख्या 745 थी। वर्ष 2010–2011 के दौरान विभिन्न स्तरों पर चल रहे विभागों को 61.45 करोड़ रुपये की वितीय सहायता जारी की गई थी।

- नए विचारों एवं नवोन्मेष को सहायता देने और अंतर–विषय एवं उभरते हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों के अनुमोदित विभागों को शत–प्रतिशत विकास सहायता उपलब्ध करवा रहा है । 31.3.2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवोन्मेष कार्यक्रम के तहत 87 विभागों की पहचान की गई और इन्हें अनुमोदित किया गया । वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालय के विभागों को 11.06 करोड़ रू0 का कुल अनुदान जारी किया गया था ।

- सम्भाव्यता वाले महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु वि0अ0अ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। 31.03.2012 तक, 19 राज्यों के 76 विश्वविद्यालयों में फैले 414 महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा अभी तक प्रदान किया जा चुका है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए। महाविद्यालयों के स्वायत्त दर्जे के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए महाविद्यालयों ने विशेषज्ञ समितियां भेजी जा रही है। वि0अ0अ0 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान 199 स्वायत्त महाविद्यालयों को 29.98 करोड़ रू0 का अनुदान जारी किया गया था ।

- शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के वृहत कार्यक्रम का संचालन विभिन्न, विषय शाखाओं में 66 अकादमी स्टॉफ महाविद्यालयों के माध्यम से किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष में ए0एस0सी0 द्वारा अभिविन्यास पाठ्यक्रमों, में 820 अभिविन्यास पाठयक्रमों तथा 306 पुनश्चर्या पाठयक्रमों और 276 अल्पावधि पाठयक्रमों के संचालन को अनुमोदित किया गया था। इन अनुमोदित कार्यक्रमों में से, 260 अभिविन्यास कार्यक्रम, 697 पुनश्चर्या पाठयक्रम तथा 234 अल्पावधि पाठयक्रमों को संचालित किया गया और इस कार्यक्रम द्वारा 26420 शिक्षकों को लाभ पहुँचा । विभिन्न विश्वविद्यालयों ने चल रहे अकादमिक स्टाफ महाविद्यालयों को 26.97 करोड़ का अनुदान जारी किया गया।

- हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने निबंध, टिप्पणी, मसौदा लेखन और हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जिसमें आयोग के कर्मचारियों ने भाग लिया, कार्यशालाओं का संचालन किया/हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी दिवस मनाया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अहिन्दी भाषी राज्यों के 17 विश्वविद्यालयों को हिन्दी विभागों की स्थापना/उन्नयन तथा उन्हें वित्तपोषित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।

- 31 देशों के साथ उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम चल रहे है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, वि0अ0आ0 ने विभिन्न देशों के 14 विदेशी विद्वानों/शिष्टमंडलों के लिए दौरों का आयोजन किया और 68 भारतीय विद्वानों को विदेश भेजा। वि0अ0आ0 को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों से **आठ** विदेशी शिष्टमंडलों से भेंट भी की ।

- वि0अ0आ0 और मॉरीशस (2010–12) के तृतीयक शिक्षा आयोग के बीच पांचवें कन्सोर्टियम समझौते पर 4 मार्च, 2010 को हस्ताक्षर किए गए । समझौते के तहत, विद्वानों के आदान–प्रदान का प्रावधान है । **पांचवें** कंसोर्टियम समझौते के तहत, **11** भारतीय विद्वानों ने मॉरीशस का दौरा किया और मॉरीशस के **तीन** विद्वानों ने भारत का दौरा किया ।

- वर्ष 2011–12 के दौरान सहयोगात्मक कार्यक्रमों के तहत नियुक्त किए गए 22 विदेशी भाषाओं के शिक्षक विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत है ।

- अध्यक्ष, "डॉड" तथा अध्यक्ष, वि.अ.आ. के बीच 30 अक्तूबर, 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वैज्ञानिकों के आदान–प्रदान कार्यक्रम तथा वैयक्तिक कार्यक्रम 2008 से प्रारम्भ हो चुके है। वर्ष 2011–2012 के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक्सचेंज आफ सांईटिस्ट प्रोग्राम के तहत **6** स्कॉलरों को नामित किया गया। एक दौरा सफल रहा। वर्ष 2011 के दौरान पर्सनल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 6 भारतीय स्कॉलरों और **8** जर्मन स्कॉलरों ने दौरे किए।

- वार्षिक रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत **दो** से तीन माह तक की शोधवृत्ति के लिए वर्ष 2011 में 4 विद्वानों को नामित किया गया। **चार** में से केवल **दो** स्कालरों का साउथ एशियन इंस्टीट्यूट, जर्मनी के लिए चयन किया गया तथा उनका दौरान सफल रहा है ।

- वर्ष 2011 के लिए फ्रॉंस का दौरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा **4** भारतीय स्कॉलरों को नामित किया गया है, सभी ने फ्रॉंस का दौरा किया। इसके बदले में 2011 में फ्रांस के **3** नये स्कॉलरों ने सामाजिक वैज्ञानिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत का दौरा किया।

- बांग्लादेश सरकार ने सार्क देशों के लिए सार्क पीठ, अध्येतावृत्ति एवं शोधवृत्ति हेतु बांग्लादेश ने नामांकन आमंत्रित किये थे। वर्ष 2011 के लिए प्राप्त आवेदनो को सार्क सचिवालय भेज दिया गया है।

- प्रत्येक वर्ष, कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू.के. कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टॉफ़ फैलोशिप अवार्ड, भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्रतिभावान संकाय 80 सदस्यों को यू.के विश्वविद्यालय में/संस्थानों में शोधकार्य करने के लिए दी जाती है। वर्ष 2010 के लिए कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 द्वारा अंध्येतावृत्ति को कम करके 75 कर दिया है तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2011 में 80 अध्यापकों को फैलोशिप प्रदान करने की सिफारिश की इनमें से ए0सी0यू0, यू0के0 द्वारा वर्ष 2011 के लिए 21 स्कॉलरों को अध्येतावृत्ति के लिए चयनित किया।

- वर्ष 2011 के दौरान कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 ने भारत में डॉक्टरल डिग्री कर रहे तथा यू0के0 में एक वर्ष पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाने के इच्छुक छात्रों अथवा कनिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए 14 कॉमनवेल्थ स्पिलिस्ट डॉक्टरल छात्रवृत्तियॉं देने की पेशकश की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2011 के दौरान 14 स्कॉलरों को नामांकित किया और कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 ने कॉमनवेल्थ स्पिलिस्ट साइट छात्रवृत्ति अवार्ड 2011 के अन्तर्गत **3** स्कॉलरों का चयनित किया।

- वर्ष 2011 के दौरान, यात्रा अनुदान योजना के अन्तर्गत **चार** भारतीय स्कॉलरों को उनकी शोध सामग्री एकत्रित करने के लिए विदेशों का दौरा करने **चार** अध्यापकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

- वर्ष 2011 के लिए भारत–फिनलैंड शोधवृत्तियों के अन्तर्गत फिनलैंड दौरे के लिए आयोग द्वारा वर्ष 2011 में दस शोध विद्वानों को नामित किया गया था। **10** में से पांच नामांकनों को स्वीकार कर लिया गया था तथा भारतीय पक्ष को **दो** फिनलैंड से **3** नामांकन प्राप्त हुए है ।

- भारत–हंगेरियाई ई.ई.पी. अल्पावधि/विस्तृत अवधि शोधवृत्ति, जो वर्ष 2011 के लिए थी– उसके अन्तर्गत **22** भारतीय शोध विद्वानों को आयोग द्वारा नामित किया गया (13 विद्वानों की लम्बी अवधि के लिए तथा 9 विद्वानों को अल्पावधि के लिए) जिसमें उनके द्वारा अपने

विशेषज्ञता क्षेत्र से जुड़े प्रतिस्थानियों के साथ विचार–विमर्श कर सकें तथा लेक्चर प्रदान कर सकें। इसमें से केवल **11** भारतीय शोध विद्वानों द्वारा ही यह दौरा सफल रहा। वर्ष 2011–12 के लिए भारतीय पक्ष को हंगेरियाई प्राधिकारियों के **2** नामांकन प्राप्त हुए है । सभी दौरे सफल रहे।

- भारत बुल्गेरियाई सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत सोफिया विश्वविद्यालय द्वारा 17, जुलाई से 6 अगस्त, 2011 के बीच में आयोजित होने वाले बुल्गारियाई भाषा एवं संस्कृति पर अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन संगोष्ठि के लिए 4 शोध विद्वानों को नामाकित किया गया।

- यूके इंडिया एजूकेशन एण्ड रिसर्च इनीशियेटिव (यूकेआईईआरआइ) के तहत कियाकलापों के संयुक्त प्रचलन संबंधी एक समझौता ज्ञापन जिसके तहत वि.अ.आ. तथा ब्रिटिश काउंसिल के मध्य एक समझौता किया जाना था, पर अप्रैल, 2011 से मार्च 2013 की अवधि के लिए 16.8.2011 को हस्ताक्षर किए गए । विश्वविद्यालय से संयुक्त अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है ।

- वि0अ0आ0 तथा डी0एफ0जी0,जर्मनी के मध्य 5 वर्ष की अवधि के लिए वैज्ञानिक सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर 20.10.2010 को हस्ताक्षर किए गए। भारतीय स्कालरों से प्राप्त प्रस्तावों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया है तथा इसने किसी भी प्रस्ताव के संबंध में सिफारिश नहीं की है ।

- भारत न्यूजीलैंड ईईपी के तहत पांच भारतीय कुलपतियों ने न्यूजीलैंड की यात्रा की ।

- भारत और अमरीका के बीच शैक्षणिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए आयोग, सिद्धांत रूप में संयुक्त सह–ओबामा ज्ञान पहल कार्यक्रम हेतु 25.00 करोड़ रू0 का योगदान करने पर सहमत हुआ है । कार्यक्रम के संबंध में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 25.9.2011 से 08.10.2011 तक येल विश्वविद्यालय में आयोजित अकादमिक नेतृत्व कार्यशाला में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा की। आयोग ने भारतीय पक्ष के **4** प्रस्ताव अनुमोदित किए । आई आई एम, कोजीकोड़ को नेतृत्व कार्यशाला आयोजित करने हेतु 49.00 लाख रू0 की धनराशि भी अनुमोदित की गई थी ।

- भारत और आस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों की 01.08.2011 को हुई बैठक में एआईईसी की घोषणा की गई थी तथा उच्चतर शिक्षा, ज्ञान सहयोजिता परियोजना संयुक्त अनुसंधान आदि में सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी । ए0आई0 ई0सी0 द्वारा चिन्हित आपसी हित के प्राथमिकता वाले मुख्य क्षेत्रों पर भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यापन और अनुसंधान के पेशे के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए लेक्चरशिप पात्रता तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा संचालित करता है। इसमें भाग लेने वाले कुल 1.82 लाख उम्मीदवार बैठे जिसमें से केवल मात्र 1.78 प्रतिशत उम्मीदवार कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की अर्हता प्राप्त की तथा दिसम्बर 2011 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा संचालित लेक्चररशिप पात्रता (जे.आर.एफ.सहित) और परीक्षा में बैठे कुल 2.66 लाख उम्मीदवारों में से 5.21 प्रतिशत ने सहायक प्रोफेसरशिप (जे.आर.एफ.सहित) के लिए अर्हता प्राप्त की। नेट परीक्षा पूरे देश में 78 विषयों में 74 केन्द्रों पर संचालित की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से “सी0एस0आई0आर0“ विज्ञान के 5 विषयों में नेट परीक्षा संचालित कर रही है। दिसम्बर, 2011 में संचालित नेट परीक्षा में 2583 उम्मीदवारों ने सहायक प्रोफेसरशिप के लिए अर्हता प्राप्त की तथा 4452 उम्मीदवारों को प्रोफेसरशिप के लिए अर्हक पाया गया। दिसम्बर, 2009 से प्रभावी रूप में, विज्ञान विषयों में प्रति परीक्षण के हिसाब से अध्येतावृत्तियों की संख्या 600 से 1200 तक बढ़ा दी गई है तथा जून, 2009 से प्रभावी रूप से ऐसे विषयगत परीक्षण जिन्हें वि.अ.आ. संचालित कर रही है उनमें, प्रति परीक्षा अध्येतावृतियों की संख्या 3200 तक बढ़ा दी गई है। वर्ष 2011–12 के दौरान इन परीक्षाओं को संचालित करने में 19.19 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। जून, 2010 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर, तथा ऑनलाइन सत्यापन कर और ई–प्रमाणपत्र जारी कर परीक्षाएं आयोजित की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्यों/राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए प्रत्यायन की अनुमति भी देता है। जिन उम्मीदवारों ने 1 जून, 2002 से पूर्व, लेक्चरशिप के लिए राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) पास कर ली है, वे उम्मीदवार “नेट“ परीक्षा में बैठने के लिए छूट के पात्र है। जून 2002 में अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं के लिए योग्य उम्मीदवार, राज्य के केवल उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में लेक्चरार/सहायक प्रोफेसरशिप के पद के लिए आवेदन करने के योग्य होगा, जहाँ उसने सेट परीक्षा पास की है। वर्ष 2011–12 के दौरान गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, पूर्वोत्तर राज्य, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल राज्यों ने सेट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। सेट संचालित करने का व्यय वहन संबद्ध राज्यों द्वारा किया जाता है।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 858 महाविद्यालय शिक्षकों, एक कुलपति ने इस सुविधा का लाभ उठाया जिससे उन्होंने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किये। उनकी यात्रा पंजीकरण, शुल्क, ठहरने के भत्ते आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जो भी स्थायी पद पर लायब्रेरियन /अध्यापक है वे तीन वर्ष में एक बार और उपकुलपति दो वर्ष में एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते है। इन दोनों वर्षों में उपकुलपति आयोग के सदस्यों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य लाभान्वित हुए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभान्वित लोगों को 3.57 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालय प्रणाली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 (गगग) के तहत 6 अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) को स्वायत्तशासी केन्द्रों के रूप में स्थापित किया गया है तथा यह केन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में सक्रिय है– तथा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर यह केन्द्र, विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधायें, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराते है, तथा प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराते है, श्रेष्ठतम उपकरण तथा श्रेष्ठ पुस्तकालय सुविधाये प्रदान कराते हैं। इसके अतिरिक्त वि.अ.आ. ने राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों को भी चयनित विश्वविद्यालयों में स्थापित किया है तथा इन्हें भी नियमित विश्वविद्यालयों में स्थापित किया है तथा इन्हें भी नियमित रूप से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसने लगभग 1000 से भी अधिक शैक्षिक फिल्मों/कार्यक्रमों को भी योगदान दिया है जिनका प्रसारण दूरदर्शन, ज्ञानदर्शन तथा शिक्षा चैनलों पर कक्षाओं से दूर उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए किया जायेगा। एनएएसी के माध्यम से वि.अ.आ. उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन कर रहा है । 31.3.2012 तक, 172 विश्वविद्यालयों तथा 4797 महाविद्यालयों का प्रत्यायन किया गया । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वि.अ.आ. ने छह अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्रों को योजनागत अनुदान के तहत 59.14 करोड़ रु0 तथा गैर–योजनागत अनुदान के तहत 61.81 करोड़ रु0 की धनराशि का भुगतान किया ।

- आईयूसीएचएसएस, आईआईएएस शिमला को उनके अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए योजनागत अनुदान के रूप में 1.58 करोड़ रूपये की धनराशि का भी भुगतान किया गया ।

- भारत में व्यवहारिक अनुप्रयोग सहित वैज्ञानिक ज्ञान और राष्ट्रीय कल्याण के लिए विभिन्न वैज्ञानिक निकायें, सोसायटियों, भारत सरकार के संस्थानों, वि.अ.आ. द्वारा चिन्हित चार अकादमी में से कम से कम दो अकादमियों के अध्येता, शिक्षकों को 15,000/– रूपये प्रतिमाह के विशेश मानदेय का भुगतान किया जाता है । वर्ष 2011–12 के दौरान, इन शिक्षकों को कुल 20.55 लाख रु0 की धनराशि का भुगतान किया गया ।

- इनकोर योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों प्रणाली से इतर पेशेवरों और विशेषज्ञों की मदद प्राप्त कर विश्वविद्यालयों में ज्ञान अर्जन प्रक्रिया को व्यापक बनाना और विस्तार देना और एम.फिल तथा पीएचडी स्तरों पर गुणवत्ता तथा वैश्विक रूप से तुलनीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है । आवंटन मानदंड निम्नवत है:–

प्रकार	अनुबद्ध संकाय	रेजीडेंट स्कॉलर
1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय	5	2
2. राज्य विश्वविद्यालय	2	2
3. सम विश्वविद्यालय	1	1

- अनुबद्ध संकाय के लिए कुल 706 स्थान तथा रेजीडेंट स्कॉलर के लिए कुल 512 स्थान उपलब्ध है । वर्ष 2011–12 के दौरान संकायों तथा स्कालर्स को संदाय हेतु अनुमोदित विश्वविद्यालयों को 46.10 लाख रु0 की धनराशि जारी की गई थी

- आईक्यूएसी (आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ) का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा गुणवत्ता नामांकन क्रियाकलापों को आयोजनाबद्ध करना, मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उनकी निगरानी करना है। आईक्यूएसी की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 5.00 लाख रु. और 3.00 लाख रु. की एक मुश्त "सीड–मनी" प्रदान की जाती है । वर्ष 2011–12 के दौरान 18 राज्य विश्वविद्यालयों को 81.00 लाख रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया था ।

- कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत रीडर के पद से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति की चयन प्रक्रिया का सर्वेक्षण करता रहा है ताकि विश्वविद्यालय प्रणाली में गुणवत्ता निवेश सुनिश्चित बना रहे तथा यह प्रक्रिया समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में विद्यमान है जिसके लिए एक वि.अ.आ. प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान, वि.अ.आ. ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में चयन प्रक्रियाओं का सर्वेक्षण करने के लिए कुल मिलाकर 71 वि.अ.आ. प्रक्षकों को नियुक्त किया था।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वि.अ.आ. ''स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती'' राष्ट्रीय पुरस्कार, वि.अ.आ. हरी ओम आश्रम न्यास'' राष्ट्रीय पुरस्कार, वि.अ.आ. वेदव्यास राष्ट्रीय संस्कृत'' पुरस्कारों को उन भारतीय नागरिकों के लिए शुरू किया है जो कि विश्वविद्यालय प्रणाली में कार्यरत है या जो कि उन विश्वविद्यालयों से जुड़े है जो कि उच्च अनुसंधान कार्य करने के लिए स्वीकृत है। वर्ष 1985 के बाद से, यह पुरस्कार /अवार्ड प्रत्येक वर्ष उन लोगों को प्रदान किये जाते है जिन्होंने अद्वितीय शैक्षिक/ वैज्ञानिक कार्य में योगदान किया है। वर्ष 2007 तक यह पुरस्कार प्रदत्त किये जा चुके है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय क्षेत्र के लिए दो गुणवत्ता कार्यक्रम नामतः बौद्धिक संपदा अधिकारों का संवर्धन एवं पी.आई.एच.ई.ए.डी. आरम्भ किया।

6. अनुसंधान का संवर्धन

- ''अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ''–इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय, कालेज के अध्यापकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता देकर उच्च शिक्षा में अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य, जैरोन्टॉलोजी, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकियां, जैव प्रौद्योगिकियों, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आदि विषयों से तथा कुछ अन्य क्षेत्रों से जुड़े होते है। जिनकी विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा पहचान की जाएगी। विज्ञान तथा मानविकी एवं समाजशास्त्रों के लिए अनुदान राशि क्रमश : अधिकतम 12.00 लाख तथा 10.00 लाख होगी। यहां तक कि सेवानिवृत्त अध्यापक भी 70 साल तक रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 2933 नई बड़ी परियोजनाएँ {1763 विज्ञान, 1170 मानविकी तथा समाजशास्त्र} तथा 4729 छोटी शोध परियोजनाएँ वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित की गई तथा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वि0अ0आ0 मुख्यालय द्वारा 58.36 करोड़ और वि0अ0आ0 के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 34.47 करोड़ की राशि जारी की गई थी।

- रिसर्च अवार्ड योजना, विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी अध्यापकों को अध्यापन दायित्व वाले विशेषज्ञता के उनके संबंद्ध क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने के लिए बनाई गई है–जिसके लिए कोई भी शोध सहायता नहीं ली जायेगी। डॉक्टरेट उपाधि धारक अध्यापक जो कि 45 वर्ष से कम आयु वाले है, उन्हें इन अवार्डो के लिए विचाराधीन रखा जायेगा। समस्त विषयों में, प्रत्येक तीसरे वर्ष के दौरान 100 स्थानों के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2010–2011 के दौरान अवार्ड प्राप्तकर्ताओं के लिए रु0 8.54 करोड़ का व्यय भुगतान के लिए किया गया।

- इमेरिटस फैलोशिप योजना, सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों के लिए 70 वर्ष तक की आयु तक उनके संबद्ध क्षेत्र में सक्रिय शोध करने का अवसर प्रदान करती है। किसी भी निर्दिष्ट समय–सीमा पर आधारित फैलोशिप के अन्तर्गत उपलब्ध स्लॉटों की संख्या विज्ञान के लिए 100 और किसी एक समय पर मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए 100 हर दूसरे वर्ष है। अध्येता के लिए 50,000 रु0 प्रतिवर्ष की आकस्मिक धनराशि के साथ दो वर्षों के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय है। वर्ष 2011–2012 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने पर 3.87 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

- वि.अ.आ. द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान देश के विभिन्न भागों से अकादमी से जुड़े विशेषज्ञों को एक साथ लाने तथा ज्ञान और विचारों के आदान–प्रदान को व्यापक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न संगोष्ठि/सम्मेलन/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों को 1.74 लाख रु0 की धनराशि का भुगतान किया गया । वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी वर्ष 2011–12 के दौरान अनुसंधान संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 2690 प्रस्तावों को अनुमोदित किया और पात्र महाविद्यालयों को 15.96 करोड़ रु0 जारी किये गए।

- विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ)/ रिसर्च एसोसिएटशिप योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2011–2012 के दौरान विदेशी छात्रों के लिए 20 जे.आर.एफ., 7 रिसर्च एसोसिएटशिप का अनुमोदन किया था। जे.आर.एफ. उन भारतीय उम्मीदवारों को भी प्रदान की गई जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित विश्वविद्यालय

नेट परीक्षा पास कर लेते हैं। जे.आर.एफ. के अन्तर्गत 16,000 रु0 प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति है, जो प्रारम्भिक 2 वर्षों तक रहेगी तथा शेष समय के लिए यह 18,000 रु0 प्रतिमाह होगी, इसके साथ ही वार्षिक आकस्मिक अनुदान भी उपलब्ध रहेगा जो कि शेष समय तक जारी रहेगा। रिसर्च एसोसिएटशिप (आरए) के अन्तर्गत 16,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और साथ ही अन्तरित होता हुआ वार्षिक आकस्मिक अनुदान के रूप में 30,000/– रुपये का अनुदान मिलेगा जो कि रिसर्च एसोसिएटशिप के समस्त काल के लिये मिलता रहेगा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 135.89 करोड़ का व्यय, जे.आर.एफ. /आर.ए. हेतु विदेशी तथा भारतीय छात्रों पर किया गया। विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों के व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए 48.21 करोड़ रु0 का व्यय किया गया ।

- इंजीनीयरिंग तथा प्रौद्योगिकी में जे.आर.एफ. योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–2012 के दौरान 50 उम्मीदवारों का चयन किया गया और अध्येताओं को भुगतान हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को 3.08 करोड़ का व्यय किया गया। इस योजना का लक्ष्य छात्रों को अपनी पी. एच.डी. करने के लिए उच्च अध्ययन व शोध करने का सुअवसर प्रदान करना था।

- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (अ0जा0 के लिए 2000 तथा अ0ज0जा0 के लिए 667) के लिए 2667 हजार राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ उपलब्ध कराता हैं ताकि वे उच्चतर अध्ययन एवं अनुसंधान कर एम.फिल./पी.एच.डी. कर सकें। जे.आर.एफ. और अध्येतावृत्ति का स्वरूप समान है। वर्ष 2011–2012 के दौरान अनुसूचित जाति के अध्येताओ के लिए 59.94 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों के लिए 26.45 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

- पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप की एक नई योजना अ0जा0/अ0ज0जा0 के उन उम्मीदवारों के लिए कार्यान्वित की गई है जिन्होंने डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त कर ली है और जिनके अपने अनुसंधान कार्य प्रकाशित हो गए है और जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। फैलोशिप की अवधि पाँच वर्ष है तथा इसके लिए प्रतिमाह 16000/–रुपये की निर्धारित राशि देय है, जिसके साथ रुपये 30,000 प्रतिवर्ष आकस्मिकता राशि प्रदान की जाती है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 100 स्लॉटों के समक्ष अ0जा0/अ0ज0जा0 के 100 चयनित अध्येताओं 3.28 करोड़ का व्यय किया गया ।

- अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों के लिए एक और नई योजना अर्थात पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों को इस उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है कि समाज के वंचित वर्गों के उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को शुरू करने का अवसर प्रदान किया जाये। कुल स्लॉटों की संख्या 1000 है। एम0टैक0 के लिए छात्रवृत्ति 5000 रु0 प्रतिमाह एवं आकस्मिक राशि 15000 रु0 प्रतिवर्ष तथा एम.फार्मेसी/एम0 मैनेजमैंट के छात्रों के लिए रुपये 3000 प्रतिमाह एवं रुपये 10000 प्रतिवर्ष आकस्मिक राशि के साथ प्रदान की जाएगी। वर्ष के दौरान 1000 के स्लाट से अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों का चयन किया गया । वर्ष 2011–2012 के दौरान अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों को भुगतान के रूप में कुल व्यय 5.59 करोड़ रुपये हुआ।

- विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के ऐसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को शोध वैज्ञानिक योजना के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करने के लिए और शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए 1983 में यह योजना आरम्भ की गई और क्रियान्वित हुई । वर्तमान में 69 शोध वैज्ञानिक विभिन्न संस्थानों में कार्यरत है। वर्ष 2011–2012 के दौरान ऐसे वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 7.03 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसी बेरोज़गार महिलाएँ जिनके पास पी.एच.डी. की डिग्री है और जो पूर्णकालिक आधार पर पोस्ट–डॉक्टोरल शोध करने की इच्छुक है, उनके लिए वि.अ.आ. द्वारा 100 स्लॉट प्रति वर्ष उपलब्ध कराये गए है। इसके लिए नए उम्मीदवारों के लिए 25,000 रूपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और शोध अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए 30,000 रूपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और पांच वर्षों तक 50,000 प्रतिमाह की आकस्मिक राशि प्रदान की जाएँगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिला अध्येताओं को भुगतान के रूप में 7.77 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

- स्नातक छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम.ई./एम.टैक./एम.फर्मा विषयों के गेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 8,000 रुपये (60% और उससे अधिक) की प्रतिमाह तथा वार्षिक आकस्मिक राशि रुपये 5,000। वर्ष 2011–12 के दौरान छात्रों को भुगतान के रूप में 16.30 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

- स्नातकोत्तर इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन इस उद्देश्य से किया गया कि जिस परिवार में केवल मात्र एक बालिका है जिन के अभिभावकों को छोटे परिवार मापदंड के आधार पर ऐसी बालिकाओं को छात्रवृत्तियाँ दी जाएँगी जिन बालिकाओं ने स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मात्र पी.जी. महाविद्यालय में प्रवेश पा लिया है। इस शोधवृत्ति की अवधि दो वर्ष होगी तथा शोधवृत्ति राशि 2,000 रुपये प्रतिमाह के अनुसार 20 माह तक जारी रहेगी। इन शोधवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 1,200 है। अकादमिक सत्र 2011–12 के दौरान कुल 1803 प्रत्याशियों का चयन किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान 8.76 करोड रुपये की राशि छात्रवृत्ति अध्येताओं को भुगतान के रूप में व्यय की गयी।

- प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा में अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक पी.जी. मेरिट छात्रवृत्ति की योजना 2005–2006 के बाद से प्रारम्भ की गई–जिसमें उन सराहनीय छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधन किया गया जिन्होंने स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र देश में किसी भी उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में किसी विशिष्ट क्षेत्र में पी.जी. विषयों में (जिनमें व्यावसायिक कोर्स शामिल नहीं है) अध्ययन कर सकता है। इस छात्रवत्ति के अन्तर्गत सामान्य पाठयक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र तथा ऑनर्स पाठ्यक्रमों में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र ही, पात्र होंगे। छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष की होगी, एवं छात्रवृत्ति राशि 2000 रुपये प्रतिमाह, 20 माह तक के लिए है। प्रथम अकादमिक वर्ष में छात्रवृत्तियों की संख्या 3000 है । वर्ष 2011–12 के दौरान अकादमिक सत्र 2011–12 के लिए चयनित 375 छात्रों को भुगतान के लिए 1.64 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।

- एमएएन अध्येतावृत्तियों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समेकित 5 वर्ष की अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराना है जैसा कि केन्द्र सरकार ने अधिसूचित किया है, ताकि वे एम.फिल. और पी.एच.डी. जैसे अध्ययन जारी रख सके । प्रत्येक वर्ष छात्रों को 756 प्लॉट उपलब्ध है। अध्येतावृत्ति की दर आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों के समकक्ष होगी । वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न राज्यों से 755 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और 21.06 करोड़ रु0 का व्यय किया गया।

- वर्ष 2011–12 में भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोधकार्य के लिए शक्तिप्राप्त समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नवत थी:

- वर्ष 2011–12 के दौरान 126 अर्हक महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों विभागों को विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर के अनुसंधान के घटक हेतु अपेक्षित अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 39.57 करोड़ रूपये का कुल अनुदान मुहैया करवाया गया ।

- वर्ष 2011–12 के दौरान नेटवर्क अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमोदित 9 विश्वविद्यालय विभागों मे से 3 विभागों को ही 11.20 करोड़ रू0 के अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की गई ।

- सैप विभागों में स्नातक स्तर पर अनुसंधान के संवर्धन हेतु 69 विभागों को चिन्हित कर अनुमोदित किया गया है । वर्ष 2011–12 के दौरान 3.45 लाख रूपये की धनराशि भी जारी की गई ।

- विज्ञान विभागों में अनुसंधान कार्य आरंभ करने के लिए एकल बालिका को अधिसंख्य अध्येतावृत्तियों की पेशकश की जा रही है । अब तक केवल 7 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया है तथा वर्ष 2011–12 के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ है ।

- विज्ञान विषयों के अंतर्गत एक नवीन पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना डॉ0 डी0एस0 कोठारी के नाम से बनाई गई है । इस योजना के अंतर्गत वार्षिक रूप से 500 (पी.डी.एफ.) पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी। दिनाँक 31.03.2012 तक 687 उम्मीदवारों को अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की गयी है तथा वर्तमान में 420 पी.डी.एफ. कार्यरत है जिसमें वर्ष 2011–12 के दौरान चयनित 52 पी.डी.एफ शामिल है । वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रहे अध्येताओं को 13.82 करोड़ रूपये जारी किये गये।

- मेंधावी छात्रों को विज्ञान में पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए के लिए, उच्च्व अध्ययन एवं शोध शुरू करने हेतु'' मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में शोध अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वित की गई है। ऐसे उम्मीदवार जो कि, उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्रों/उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहचान किए गए विशेष सहायता विभागों में विज्ञान के विषयों में पी.एच.डी. में पंजीकृत है, वे इसके पात्र है। इस अध्येतावृत्ति का कार्यक्रम आरम्भ में दो वर्ष है, जिसे अध्येता द्वारा किए गए कार्य मूल्याकंन के आधार पर और तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय सहायता अध्येतावृत्ति राशि के रूप में प्रतिमाह 14,000 रुपये और आकस्मिक धनराशि के रूप में 12000 रुपये प्रतिवर्ष है। वर्ष 2011–2012 के अंत तक

विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के विभिन्न विज्ञान विभागों में (एस.ए.पी. के अंतर्गत सी.ए.एस. / डी.एस.ए.) 6754 अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ आवंटित की गयीं तथा वर्तमान में इन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के विभिन्न विज्ञान विभागों के अंतर्गत 3423 अध्येता कार्यरत है। वर्ष 2011–2012 के दौरान अध्येताओं को कुल 46.38 करोड रूपये की राशि जारी की गई है।

- मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 'अनुसंधान अध्येतावृत्ति उन अभ्यर्थियों के लिए खुली है जिन्होंने स्वयं को एसएपी के अंतर्गत वि.अ.आ. द्वारा चिन्हित विभागों में पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए उच्च अध्ययन और अनुसंधान कार्य करने के लिए पीएचडी हेतु पंजीकृत करवाया है । अध्येतावृत्ति की अवधि आरंभ में दो वर्ष है और इसे प्रथम दो वर्षों के दौरान कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा । 31.3.2012 तक, विभाग को 165 अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई थी और 18 अध्येता कार्यरत है । वर्ष 2011–12 के दौरान इन अध्येताओं को कुल 75.46 लाख रु0 के अनुदान जारी किए गए है ।

- विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधन को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए संकाय रिचार्ज कार्यक्रम आरंभ किया गया है । इसके तहत, आरंभ में 80 : 80 : 40 अनुपात (आचार्यः सह आचार्यः सहायक आचार्य) में 200 स्थान सृजित किए जायेंगे । यह नए और सेवारत शिक्षक, दोनों के लिए है । आरंभ में, कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के लिए है और यह प्रत्येक पांच वर्ष की समीक्षा के अध्यधीन अधिवर्षिता की आयु तक चलता है । यह प्रयोजनार्थ ज0ला0ने0 वि0वि0, दिल्ली में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और साथ ही शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय समन्वय की भी नियुक्ति की गई है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान चयन प्रक्रिया आरंभ की गई । प्रकोष्ठ के कार्यकरण के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान इसे 1.00 करोड़ रूपये मुहैया कराये गये है ।

- प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षक जो कि राज्य विश्वविद्यालयों में अधिवार्षिता की आयु के निकट है, उनके द्वारा मूलभूत विज्ञान अनुसंधान में अनुसंधानों हेतु योगदान जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से वि0अ0आ0 ने वि0अ0आ0–बी0एस0आर0 संकाय अध्येतावृत्ति नाम से नई योजना आरंभ की है वे शिक्षक जो विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य / सह–आचार्य के पद पर कार्यरत है, वे इसके लिए पात्र हैं । अध्येतावृत्ति में 30,000 रु0 प्रतिमाह की धनराशि प्रदान की जाती है जो कि पेंशन अथवा / और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त है । वर्ष 2011–12 के दौरान 24 संकाय सदस्यों का चयन किया गया और अनुसंधान जारी रखने के लिए उन्हें 1.45 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है ।

- इस बीएसआर कार्यक्रम के तहत 'शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान' प्रदान करने का उद्देश्य उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसंधान को जारी रखना है । जिस शिक्षक की अधिवर्षिता की तिथि से कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष है, जिसने अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम अपने मार्गदर्शन में 15 पीएचडी और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम पांच पीएचडी डिग्रियां प्राप्त करने में सफलता पाई हो, और जिसने राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम पांच प्रायोजित अनुसंधान पूर्ण किए हों, वे इसके लिए पात्र है । योजना के तहत, एक शिक्षक को उसके अनुसंधान कार्य के लिए 7.00 लाख रु0 उपलब्ध कराए जाते है। वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों / संस्थानों में अपने अनुसंधान को जारी रखने वाले 66 शिक्षकों को 4.62 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी ।

- राधाकृष्ण पीडीएफ योजना का उद्देश्य भाषा और सामाजिक विज्ञान सहित मानविकी में स्वतंत्र अनुसंधान और अध्यापन करने का अवसर प्रदान करना है । अध्येतावृति की अवधि 3 वर्ष है। अभ्यर्थियों को 500 अध्येतावृतियां उपलब्ध है। अध्येतावृति की राशि 18,000 रु0 प्रतिमाह है जिसमें 1000 रु0 वार्षिक वृद्धि की जायेगी, 30,000 रु0 प्रतिवर्ष का आकस्मिक अनुदान है । चयन प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

- 'शिक्षकों को तथा संबद्ध संघों को प्रोत्साहन' योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों तथा संबद्ध संघों को सम्मेलनों / कार्यशालाओं / संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करना और सहायक शिक्षकों तथा विषय आधारित संघों द्वारा पत्र प्रस्तुत करने और अंततः उसे प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना सभी राष्ट्रीय विषयगत संघों के लिए खुली है। किसी एक विशिष्ट संघ के सदस्यों की संख्या के आधार पर 2 से 3 लाख रु0 की वार्षिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2011–12 के दौरान 19 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे तथा 105.73 लाख रु0 की कुल धनराशि भी जारी की गई थी।

- छात्रों हेतु वि0अ0आ0 अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति का संक्षिप्त विवरण अध्याय 6 के पैरा 6.25 में देखें।

7. लिंग एवं सामाजिक समानता

- "महिला अध्ययनों का विकास" योजना का लक्ष्य विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों को सशक्त एवं धारणीय बनाये रखना है जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रणाली के मध्य उन्हें सांविधिक विभागों के रूप में स्थापित किया जाये तथा साथ ही अन्य आंगिक घटकों के साथ नेटवर्क बनाने की उनकी क्षमता को सुगम बनाया जाये– ताकि वे परस्पर एक दूसरे की शक्ति सवंर्धित करें तथा एक दूसरे को सहयोगी बन सकें। इस समस्त प्रक्रिया का विशेष बल इस बात पर है कि जाति श्रेणी/धर्म, समुदाय एवं व्यवसायों से परे, ऐसी क्षेत्रगत योजनाओं का विकास हो– जिनसे गति, शोधकार्य, मूल्यांकन एवं ज्ञान में अभिवृद्धि हो तथा सहभागिता बढ़े व इस नेटवर्क में और अधिक लोगों व संगठनों को भी जोडा जाये व साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि यह नवीन रूप से उदभूत होने वाले क्षेत्र पर जो ध्यान केन्द्रित है व जो इसकी गुणवत्ता है वह अनुरक्षित बने रहे। प्रत्येक विश्वविद्यालय में ऐसा प्रत्येक केन्द्र प्रतिवर्ष के हिसाब से 5.00 लाख से लेकर 12.00 लाख रूपये तक का पात्र होगा तथा प्रत्येक महाविद्यालय में ऐसा केन्द्र वार्षिक रूप से 3.00 लाख रूपये से लेकर 8.00 लाख रूपये तक का पात्र होगा। दिनांक 31.03.2012 तक विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत कुल मिलाकर 158 महिला अध्ययन केन्द्र (विश्वविद्यालय में 82 और महाविद्यालयो में 76) स्थापित हो चुके थे तथा क्रियान्वयन कर रहे थे। वर्ष 2011–12 के दौरान इन केन्द्रों की गतिविधियों के लिए 5.54 करोड़ रूपये जारी किये गऐ थे।

- महिलाओं के दर्जे में वृद्धि करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आयोग महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु विशेष योजना के तहत छात्रावास एवं अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है । सहायता शत–प्रतिशत आधार पर 60.00 लाख रुपये से 100.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के आधार पर प्रदान की जाती है जोकि गैर–महानगरीय शहरों में महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाली महिला छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है तथा महानगरीय शहरों में महाविद्यालयों हेतु 120.00 लाख रु0 से 200 लाख रु0 है । वर्ष 2011–12 के दौरान 673 राज्य महाविद्यालयों को कुल 125.19 करोड़ रु0 का अनुदान जारी किया गया ।

- उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबन्धकों की निर्माण क्षमता योजना के विशिष्ट लक्ष्य ये है कि उच्चतर शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत विद्यमान लैगिंक विभेद को न्यून करने वाली उद्देश्यात्मक योजना एवं रणनीति विकसित की जाए, महिलाओं जो प्रशासक बनने की इच्छुक है। उन्हे प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाए। वर्तमान में केवल मात्र तीन प्रकार के ही प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास करने संबंधित कार्यशालाओं को संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की 6 कार्यशालाएं, 18 जागरूकता संबंधित/संवेदनशीलता/प्रेणनात्मक कार्यशालाओं को 9 प्रबंधन कौशल उन्नयन मॉडयूल कार्यशालाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा आयोजित की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न संस्थानों को कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए संस्थानों के लिए 0.72 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि विश्वविद्यालयों में, दाखिले, शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों आदि पर भर्ती में आरक्षण नीति का सफल कार्यान्वयन हो सके। 31 मार्च, 2012 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में 128 अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों कार्य कर रहे थे। वर्ष 2011–2012 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

- समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपचारात्मक अनुशिक्षण की योजना, स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेवाओं में भर्ती के लिए अ.जा./अ.ज.जा. /अ.पि.व. (अल्पसंख्यक/असपन्न वर्ग) छात्रों के लिए कार्यान्वित कर रहा है, ताकि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. /(अल्पसंख्यक/असम्पन्न/(अल्पसंख्यक/असम्पन्न) नेट /सेट के उम्मीदवारों को तैयार किया जा सके। ऐसे संस्थान जिनमें अ.जा. /अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, उन संस्थानों को आर्थिक सहायता के लिए विचाराधीन रखा जाता है। ऐसी अनुशिक्षण कक्षाओं के लिए सामान्य श्रेणी के उन उम्मीदवारों को भी अनुमति दी जा सकती है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस संबंध में आर्थिक सहायता निम्न प्रकार से होगी।

  - अनावर्ती: प्रत्येक योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख रूपये (एक मुश्त)।
  - आवर्ती: प्रत्येक योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों के लिए 5.00 लाख रु. तथा विश्वविद्यालयों के लिए 7.00 लाख रु. तक।

इन योजनाओं के तहत अनुदान वि0अ0आ0 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी जाती है।

- वि0अ0आ0 शिक्षण, गैर–शिक्षण तथा दाखिले में अ0पि0व0 हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की दिशा में प्रयासरत है । इस संबंध में अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों को अ0पि0व0 के कल्याण हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण की नीति लागू करने के लिए अनुदेश जारी किए गए है । आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एवं निगरानी करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन भी किया गया है ।

- विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अ.जा. / अ.ज.जा. संबंधी स्थायी समिति का वर्ष 2007 में पुनर्गठन किया गया था। समिति की दूसरी बैठक 20 अक्टूबर, 2011 को नियुक्तियों, दाखिले, छात्रावासों तथा कर्मचारियों के आवासों के आवंटन की देखरेख के लिए आयोग में हुई थी ।

- महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का लाभ वंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं एवं बाध्यताओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन समूहों की नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देख–रेख करने और शैक्षिक, वित्तीय तथा अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयें में समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.) की स्थापना करने की योजना बनाई है। समान अवसर प्रकोष्ठ का कार्यालय स्थापित करने के लिए 2.00 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा। क्योंकि यह विलयित योजनाओं में से ही एक योजना है, अतः जहाँ तक अनुदान जारी करने का विषय है, तो महाविद्यालयों के लिए वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुदान जारी किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 290 महाविद्यालयों को 1.72 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया ।

- अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चालू वि0अ0आ0 योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करती है। समिति की बैठक वर्ष में एक या दो बार होती है । समिति ने अल्पसंख्यक छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की सिफारिश की और यह आयोग के विचाराधीन है ।

- उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निशक्त व्यक्तियों की उपेक्षा न करने तथा विशेष अध्यापकों व परामर्शदाताओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रम विकसित करने के लिये तथा निशक्त व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग "टी.ई.पी.एस.ई." तथा "एच.ई.पी.एस.एन." योजना लागू कर रहा है। इन योजनाओं को अब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों हेतु सामान्य विकास अनुदान के साथ आयोजित कर दिया गया है और मुख्यालय तथा साथ ही वि0अ0आ0 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुदान जारी किया जा रहा है ।

8. प्रासंगिता एवं मूल्य आधारित शिक्षा

- शिक्षा में कैरियरोन्मुखी पाठ्यक्रमों का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जो छात्र इन्हें, पूरा करते है, उनके पास अर्जक के रोजगार के लिए कौशल और रूझान मौजूद हों। इस कार्यक्रम के तहत वि.अ.आ. द्वारा पात्र संस्थानों को मानविकी एवं वाणिज्य संकाय के प्रति पाठयक्रम के लिए 7 लाख रू. दिए जाते हैं तथा विज्ञान विषयों में एकमुश्त राशि रुपी 'सीड–मनी' जिसे पाँच वर्ष के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएँ, प्रयोगशाला तथा अन्य उपस्करों की खरीद तथा अतिथि संकाय को मानदेय देने के लिये 10.00 लाख रूपये प्रदान किया जाता है। कॉलेज विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य रूप विकल्प रहेगा कि वे आवश्यकता आधारित किन्हीं तीन पाठ्यक्रमों को चुने। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों के 432 प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया था और उन्हें कुल 48.03 करोड रु. की राशि जारी की गयी थी।

- भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के सबंध में समग्रता से बोध को बढ़ावा देने के लिए और नीति निर्माताओं विशेषरूप से भारत के आर्थिक, राजनीतिक तथा राजनीतिक हितों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से वि0अ0आ0 क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान करता आ रहा है । वर्तमान में, 40 विश्वविद्यालयों में 53 अध्ययन केन्द्र (20 विश्वविद्यालयों में नियमित आधार पर 24 केन्द्र तथा 20 विश्वविद्यालय में परियोजना आधार पर 29 केन्द्र चल रहे है) । उन देशों तथा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जिनका भारत के साथ घनिष्ठ और सीधा संपर्क है। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्रों को उनके क्रियाकलापों हेतु 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी ।

- सामाजिक बहिष्करण के मामले पर शोधकार्य का सहायता प्रदान करना जिसका सैद्धान्तिक एवं नीतिपरक महत्व है, इस विषय में वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालयों में अध्यापन बनाम–शोध केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया, जिन्हें समाजिक बहिष्करण एवं समावेश नीति संबंधी

केन्द्रों के नाम से जाना जाता जायेगा। 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार, 35 विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र चल रहे है । वर्ष 2011–12 के दौरान 12 केन्द्रों को 5.10 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया ।

- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं कल्पनाओं से शिक्षकों एवं छात्रों को परिचित कराने के उद्देश्य से, चिह्नित विश्वविद्यालयों द्वारा 24 महान व्यक्तियों के नाम पर 501 विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गए हैं(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व 191 तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 310)। रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान इन केन्द्रों द्वारा अपनी गतिविधियाँ चलाने के लिए कुल 11.24 करोड़ रूपए और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 51.16 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया था।

- सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त करने और ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देने के वर्ष 2011–12 में स्थापित 6 केन्द्रों सहित 21 राज्यों में 71 केन्द्रों की स्थापना कर माध्यम के रूप में जीवनपर्यन्त ज्ञान अर्जन तथा विस्तार कार्यक्रम चलाया जा रहा है । वर्ष 2011–12 से जीवन पर्यन्त ज्ञान अर्जन विभागों को 2.00 से 10.00 लाख रु0 प्रतिवर्ष का आवर्ती अनुदान तथा 5.00 लाख रु0 अनावर्ती अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालयों में केन्द्रों को 1.02 करोड़ रूपए का कुल अनुदान उपलब्ध कराया गया।

- स्नातक पूर्व डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने और मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा पर सम्मेलन, संगोष्ठि तथा कार्यशाला आयोजित करने के लिए और शिक्षकों, छात्रों तथा जनसाधारण में जागरुकता फैलाने के लिए वि0अ0आ0 मानवाधिकार शिक्षा योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है । वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों (18) तथा महाविद्यालयों (206) से 224 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 2.51 करोड़ रु0 की धनराशि भी जारी की गई ।

9. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकियों का समेकन

- विश्वविद्यालयों में अध्यापन, अनुसंधान एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों की अभिवृद्धि एवं विकास इसके अतिरिक्त, वह कार्य जो कि प्रशासन, वित्त, प्रवेशों एवं विश्वविद्यालयों में मौजूदा कम्प्यूटर केन्द्रों की उन्नति के लिए है, इन सभी के लिए एक केन्द्रक सुविधा के रूप में वि.अ.आ. द्वारा नियमित रूप से कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए सहायता का उच्चतमांक 70.00 लाख रु. (अनावर्ती) वास्तविक व्यय (आवर्ती) पर आधारित के अनुसार कम्प्यूटर केन्द्र को स्थापित करने के लिए दिया जायेगा तथा 5 वर्षों के पश्चात ऐसा केन्द्र द्वितीयक आधार पर केन्द्र को उन्नत करने के लिए 50,00 लाख रू. (केवल अनावर्ती) तक की सहायता के लिए पात्र होगा। वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर 4.60 लाख रु. की राशि जारी की गई थी।

- विश्वविद्यालय कैम्पसों की अत्याधुनिक कैंम्पस व्यापी नेटवर्कों के माध्यम से नेटवर्किंग हेतु आयोग वर्ष 2002 से ही वि.अ.आ. – इन्फोनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । बीएसएनएल सेवा प्रदाता के रूप में फाइबर आप्टिकल लीज्ड लाइन पर अब तक 180 विश्वविद्यालयों को इंटरनेट संपर्क मुहैया करवाया गया है । 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी वाले एन के एन और एनएमई–आईसीटी के अस्तित्व में आने से ही लगभग सभी विश्वविद्यालय ने एनकेएन/एनएमई–आईसीटी कनेक्टिविटी कार्यक्रम को अपना लिया है और वे उच्च बैंड विद्थ प्राप्त कर रहे है । अप्रैल 2012 से लाभार्थी विश्वविद्यालयों द्वारा बेहतर उपयोग हेतु नये प्रारूप का प्रस्ताव है । वर्ष 2011–12 के दौरान, नये कार्यक्रम को अपनाने के कारण कोई अनुदान मुहैया नहीं कराया गया । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विश्वविद्यालयों कैंपसों के नेटवर्किंग के कार्यों हेतु अर्हक को 46.44 करोड़ रूपये का कुल अनुदान मुहैया कराया गया है।

- पत्रिकाओं के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पास निधि के अभाव होने के कारण, वि.अ.आ. द्वारा उन्हें वित्तीय रूप में वि.अ.आ.–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कॉसोर्शियम कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा रही है। इसे, इनफ्लिबनेट इन्टर–यूनिविर्सिटी सेन्टर द्वारा वि.अ.आ. की ओर से क्रियान्वित किया जा रहा है। सारगर्भित एवं वरिष्ठ विद्वानों द्वारा पुनरीक्षित पत्रिकाओं एवं ग्रंथ संदर्भित पत्रिकाओं जिन्हें प्रकाशकों एवं विभिन्न विषयों में समूहनकर्ताओं से संबद्ध है–उन सब पत्रिकाओं तक चालू एवं पुरालेखीय पहुँच बनाने का कार्य कॉन्सोर्शियम कर रहा है। अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन आने वाले 200 विश्वविद्यालयो को अभिदत्त ई–रिसोर्स के लिए विभेदक पहुंच उपलब्ध कराई है। कन्सोर्टियम द्वारा अभिदत्त ई–संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए 2009 में आरंभ किए गए कार्यक्रम में 105 से भी अधिक निजी विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान सह–सदस्य बन गये थे । वर्ष 2012 से उपयोगकर्ता समुदाय की मांग के आधार पर चार नये संसाधनों नामतः राष्ट्रीय विधि विद्यालयों/ विश्वविद्यालय हेतु

विधिक आंकड़ा आधार, अतिरिक्त विश्वविद्यालय हेतु एससीआई फाइंडर स्कॉलर, ई—जनरल अभिलेखागार तथा साइंस डायरेक्ट के 10 विषयों के संग्रह को जोड़ा गया है । छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं तथा संकाय सदस्यों के लाभ हेतु रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में ई—संसाधनों तक पहुंच पर चार उपयोगकर्त्ता, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे । वर्ष 2011—12 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजीअल रिपोजिटरी के प्रयोजनार्थ 100.00 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया था ।

- सभी विषयों में स्नातकोत्तर विषयों में ई—कंटेंट पाठ्य सामग्री के विकास हेतु आयोग ने खाका तैयार करने और योजना के समग्र प्रचालन की देखरेख के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है । ई—कंटेंट के विकास का कार्य इन्फलिबनेट को सौंपा गया है । इस प्रकार से विकसित ई—कंटेंट, इन्फलिबनेट और साथ ही साक्षात पोर्टल पर स्थापित एक ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से मुक्त रूप से पहुंच हेतु उपलब्ध होगी । इस कार्य के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोग को आबंटित निधियों में से इन्फलिबनेट को 10.00 करोड़ रूपये अंतरित किए गए हैं । इस प्रयोजनार्थ ई—कंटेंट के विकास हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन भी जारी किया गया है ।

10. अभिशासन एवं कार्यकुशलता में सुधार

- विश्वविद्यालयों में विकास लाने के उद्देश्य से, उनके द्वारा समाज में भागीदारी / सहयोग द्वारा अपने संसाधनों को गतिशील बनाने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए वि.अ.आ. द्वारा उन संसाधनों की 25% राशि को उपलब्ध करा रही है जो संसाधन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रजनित अथवा गतिशील किये गए है, बशर्ते कि वह वार्षिक रूप से अधिकतम 50 लाख रू. तक हो। वर्ष 2011—12 के दौरान वि.अ.आ. के अंश के रूप में 2 राज्य विश्वविद्यालयों और 2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 5.28 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है और योजना के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय को 18.41 करोड़ रूपये का कुल अनुदान भी जारी किया गया है ।
- विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में स्थित अकादमिक प्रशासकों को वि.अ.आ. द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि अकादमिक अभिशासन में उत्कृष्टता के विशाल लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2011—12 के दौरान कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था अतः कोई व्यय भी नहीं हुआ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने 31 जुलाई 2011 को नई दिल्ली में भारतीय तथा आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन का आयोजन किया (चित्र में बायें से दायें: श्री अमित खरे, संयुक्त सचिव, मा.स.वि.म.; प्रो. वेद प्रकाश, अध्यक्ष, वि.अ.आ.; श्री पीटर वर्गीज, भारत में आस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त तथा श्री रास मिलबार्न, कुलपति, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालाजी, सिडनी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) के अध्यक्ष प्रो. वेद प्रकाश तथा ब्रिटिश काऊँसिल के निदेशक राब लिन्स (यू.के. यू.के.आई.ई. आर.आई. भागीदारों की ओर से) चारों स्ट्रेन्डस के विश्वविद्यालय क्षेत्रों से संबंधित यू.के.आई.ई.आर.आई. के द्वितीय चरण के तहत सहमत सभी क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने विधिवत् रूप से 16 अगस्त 2011 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। समझौता ज्ञापन पर श्री कपित सिब्बल, केन्द्रीय मंत्री मा.स.वि.म. तथा सर रिचर्ड स्टैग, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये (दायें से बायें खड़े हुए हैं)

उच्चतर शिक्षा में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.स.वि.म.), भारतीय उद्योग महापरिसंघ (सी.आई.आई.) तथा स्टेनफोड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से 10–11 अक्तूबर 2011 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया (बायें से दायें पदासीन हैः प्रो. वेद प्रकाश, अधक्ष, वि.अ.आ.; श्रीमती विभा पुरी दास, सचिव, मा.स.वि.म.; श्री कपिल सिब्बल, केन्द्रीय मंत्री, मा.स.वि.म.; श्री निकोलस होप, निदेशक, स्टेनफोर्ड सेंटर फार इंटरनेशनल डेवलेपमेंट (एस.सी.आई.डी.) तथा प्रो. गेरहार्ड कास्पर, अध्यक्ष, एमीरेटस, स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय

1

प्रस्तावना

1.1 वि.अ.आ. की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो 28.12.1953 में अस्तित्व में आया, वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम से एक सांविधिक संगठन बन गया। वि0अ0आ0 अधिनियम की **धारा 12** उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श कर विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन तथा समन्वय और शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान में मानदंड को बनाए रखने के लिए वे सभी कदम उठाएगा जो वह उचित समझता हो। शिक्षण एवं अनुसंधान में आयोग द्वारा विस्तार को तीसरे आयाम के रूप में जोड़ दिया गया। अपने कार्यकरण के निष्पादन के लिए आयोग

- आयोग की निधियों में से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुरक्षण एवं विकास हेतु अनुदान का आवंटन एवं संवितरण कर सकता है।
- विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा ज्ञान की उच्चतर संस्थानों को परामर्श दे सकता है ।
- अधिनियम के अनुरूप नियम तथा विनियम आदि तैयार कर सकता है ।

वि.अ.आ. 1956 की **धारा 18** के अनुसार, आयोग विहित प्ररूप में, विहित प्रकार से, पिछले वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों का सटीक एवं पूर्ण विवरण देते हुए एक वर्ष में एक बार एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, तथा इसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार तथा सरकार को अग्रेषित किया जाएगा तथा इसे दोनों सदन के सभा पटल पर रखेगा ।

संगठनात्मक ढांचा

आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते है। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है । कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक में से किया जाता है ।

शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए:–

(1) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान या अनुभव हो ।

(2) जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे के सदस्य हों, अथवा

(3) जो विश्वविद्यालय के उप कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हो अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो ।

वि.अ.आ. का कार्यकारी शीर्ष सचिव है। वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारिवृंद के साथ उन्होंने आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:–

समूह	संस्वीकृत संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में से		
		संस्वीकृत संख्या का %	महिला (%)	अ.जाति (%)	अ. जनजाति (%)
समूह क	105	61 (58.00%)	28 (45.90%)	14 (22.95%)	3 (4.92%)
समूह ख	137	113 (82.00%)	44 (38.94%)	17 (15.04%)	5 (4.42%)
समूह ग	508	288 (57.00%)	80 (27.78%)	79 (27.43%)	22 (7.64%)
कैन्टीन स्टाफ	19	14 (74.00%)	2 (14.28%)	3 (21.43%)	Nil
कुल	769	476 (62.00%)	154 (32.35%)	113 (23.74%)	30 (6.30%)

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारिवृंद की स्थिति

पद की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक पदधारी (नियमित/स्थायी)	प्रतिनियुक्ति पर	रिक्तियों की कुल संख्या
समूह क	105	59	2	44
समूह ख	137	113	-	24
समूह ग	508	280	8	220
कैन्टीन स्टाफ	19	14	-	5
कुल	769	466	10	293

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार पेंशनरों की स्थिति

पद की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	वार्षिक पेंशन देयताओं की राशि (अनुमानित) (₹ करोड़ में)
समूह क	198	4.74
समूह क	157	2.20
समूह क	31	0.24
कैन्टीन स्टाफ	62	0.42
कुल	448	7.60

कार्यक्रमों को तैयार करने, उनके मूल्यांकन एवं निगरानी प्रक्रिया में, वि0अ0आ0, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करता है ।

क्षेत्रीय कार्यालय

वि.अ.आ. ने महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी तथा बंगलूरू में **सात** क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कए है। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय का प्रचालन 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित वि.अ.आ. कार्यालय से किया जाता है। इसके तहत कवर किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कार्यालयों की सूची निम्नवत है:–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, (एसईआरओ)	हैदराबाद	28.09.1994	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तरर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनइआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1995	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, *सिक्किम
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	प. बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, झारखण्ड
6.	दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलूरू	25.04.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एआरसीओ)	दिल्ली	25.09.2001	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड

*सिक्किम राज्य को दिनांक 14.11.2011 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पूक्षेका से उपूक्षेक, अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उपूक्षेका में अंतरित कर दिया गया।

1.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में

लोगों के उत्थान तथा देश की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है । भारत की उच्चतम शिक्षा प्रणाली को योजना सहायता प्रदान की जा रही है । वि0अ0आ0 ने देश में सूचना आधार का स्रोत सामग्री के रूप में विकास करने के लिए उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनेक अध्ययनों को प्रायोजित किया ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए पद्धति और रणनीति तैयार की है । यह अध्ययन विस्तार, समावश, गुणवत्ता और वित्त से जुड़े हुए है । इन अध्ययनों से प्राप्त हुई सूचना को ग्यारहवीं योजना के लिए परिप्रेक्ष्य तैयार करने के लिए उपयोग किया गया है और निष्कर्षों द्वारा इसके उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिली है । "हायर एजूकेशन इन इंडिया " शीर्षक से एक पुस्तक को वि0अ0आ0 द्वारा प्रायेजित अध्ययन के आधार पर प्रकाशित किया गया है ।

ग्यारहवीं योजना के मुख्य उद्देश्य समावेशी गुणवत्ता तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रणाली में आवश्यक अकादमिक सुधारों के साथ समावेशी गुणवत्ता और संगत शिक्षा के साथ उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है । इसलिए, मुख्य बल संस्थानिक क्षमता तथा दाखिले की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से उच्चतर शिक्षा तक पहुच का विस्तार करना, उच्चतर शिक्षा तक कम पहुंच वाले समूहों को पहुंच के समान अवसर उपलब्ध करवा कर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना, संगत शिक्षा को बढ़ावा देना, अकादमिक तथा शासी सुधारों को आरंभ करना आदि पर रहेगा ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007 के 9.7 प्रतिशत के वर्तमान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि कर उसे 2012 तक इसें 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । 5 प्रतिशत की निवल वृद्धि का लक्ष्य दोहरी रणनीति से प्राप्त किया जाना है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि तथा मौजूदा संस्थानों की दाखिले की क्षमता बढ़ाना शामिल है।

वे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनका ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समाधान किया गया उनमें निम्नवत सम्मिलित हैः–

- विश्वविद्यालयों , महाविद्यालयों तथा एक समान संस्थानों के संदर्भ में शैक्षणिक क्षमता का विस्तार ।
- शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के संबंध में समानता तथा उनका अन्तर्वेशन।
- गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता का बढ़ावा दिया गया ।
- संगत शिक्षा का उन्नयन ।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग और अन्य संगत मुद्दे
- विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में दाखिले, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यकुशलता में सुधार तथा इसके आंतरिक कार्यकरण का कंप्यूटरीकरण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मानव संसाधन में सुधार सहित शैक्षणिक संस्थानों का अंतर–संपर्क ।
- आंकड़ा आधार तथा अनुसंधान क्षमताओं में सुधार कर शैक्षणिक नीतियों तथा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया गया ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विशेष बल एवं प्राथमिकता, अन्तर्वेशन, प्रदेश, क्षेत्र, सामाजिक समूह से संबंधित विषमताओं को दूर करना उच्च शिक्षा में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता तथा संगत और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना, सूचनाप्रद तथा संचार प्रौद्योगिकी और कार्यक्षम शासन तथा उच्च शिक्षा प्रणाली के प्रशासन पर केन्द्रित रहा ।

उद्देश्य

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत रहेः

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नामांकन अनुपात को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत के स्तर तक लाने में मदद करना ।
- विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा एक समान संस्थानों के संदर्भ में शैक्षणिक क्षमता का विस्तार कर 15 प्रतिशत सकल नामांकन दर (जीईआर) के लक्ष्यों को प्राप्त करना ।

- उन जिलों की सकल नामांकन दर में वृद्धि करना जिनकी उच्च शिक्षा एक पहुंच सीमित है ।
- शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के नामांकन में वृद्धि करना तथा समावेशी बनाना ।
- गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना ।
- संगत शिक्षा को बढ़ावा देना ।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना तथा अन्य संगत मुद्दे ।
- विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवेश, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार प्रक्रिया आरंभ करना ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंतरिक कार्यकरण का कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सुधार करना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मानव संसाधन में सुधार सहित शैक्षणिक संस्थानों को आपस में जोड़ना ।
- डाटाबेस और अनुसंधान क्षमताओं में सुधार करना ताकि शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों को सतत् रूप से सुदृढ़ किया जा सके तथा एक उचित संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सके ।

आयोग ने दिनांक 28.05.2011 को हुई अपनी बैठक में विधि विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दे पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि उन विधि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता मुहैया करवाई जा सकती है जिन्हें वेतन हेतु संबंधित राज्य सरकारों से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा हो और वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत कवर हों। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दौरा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर सामान्य विकास सहायता तथा आमेलित योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालय को सहायता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने निम्नलिखित विधि विश्वविद्यालय के संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन को अनुमोदित किया:–

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित धनराशि (₹ लाख में)
1.	नालसार विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	859.20
2.	एच एन विधि विश्वविद्यालय, रायपुर	990.70
3.	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधी नगर	965.70
4.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरू	765.70
5.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल	942.00
6.	राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटियाला	772.00
7.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर	656.00
8.	दी तमिलनाडु डॉ0 अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई	867.10
9.	दी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरीडीशियल साइंसेज, कोलकाता	867.00

उपरोक्त के अलावा, दौरा करने वाली समितियों की रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित विश्वविद्यालय को भी आवंटन किया गया:

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित धनराशि (₹ लाख में)
1.	योगी वर्मन विश्वविद्यालय, वेमनापुरम, कड़प्पा, आंध्र प्रदेश	438.00
2.	जगद्गुरू रामभ्रदचार्या हैंडीकेप्पड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम	966.30
3.	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैंप कार्यालय, जम्मू	764.00

आयोग ने दिनांक 31.02.2012 को हुई अपनी 483वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि **उन विश्वविद्यालय को सामान्य विकास और आमेलित योजना के तहत 5.00 करोड़ रू0 का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाए जिन्हें हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत सम्मिलत किया गया है । आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'एकमुश्त कैच अप अनुदान' योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले राज्य विश्वविद्यालयों को केवल आमेलित योजनाओं के तहत 2.00 करोड़ रू0 का अनुदान उपलब्ध करवाया जाए ।**

आयोग ने आगे यह भी निर्णय लिया कि यह निर्णय उन सभी राज्य विश्वविद्यालयों पर लागू होगा जिन्हें 31 मार्च, 2012 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत सम्मिलित किया गया है ।

तदनुसार उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में निम्नवत चार को आवंटन किए गएः–

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित धनराशि (₹ लाख में)
1.	डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनउ (उ0प्र0)	500.00
2.	प्रेजीडेंसी यूनिवर्सिटी, कोलकाता (प0 बंगाल)	500.00
3.	चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)	500.00
4.	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)	200.00

39 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 13 सम विश्वविद्यालय तथा 144 राज्य विश्वविद्यालय से सामान्य विकास सहायता तथा आमेलित योजनाओं हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराने के हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है । इन विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में शिक्षक तथा शिक्षण संबंधी राष्ट्रीय मिशन के तहत शिक्षा विभाग की स्थापना हेतु अनुपूरक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी अनुरोध किया गया है ।

वर्ष 2011–12 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान' योजना की औपचारिकताओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है ।

नई योजना ''मेडल विजेताओं को निःशुल्क शिक्षा'' हेतु दिशानिर्देशों को भी आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्य कर रहे विशेष प्रकोष्ठ

(क) कदाचार प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उल्लधंन मे देश भर में जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों और जाली डिग्रियों/अंक तालकाओं के तीव्र प्रसार के खतरे से निबटने के लिए 30 मई, 1996 को कदाचार प्रकोष्ठ, की स्थापना की हुई है। यह राज्य अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम, अथवा प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित नही किए गए संस्थान है, जिन्हें विशेष रूप से उपधियां प्रदान करने के अधिकार दिए गए हैं अतः जाली विश्वविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त है। प्रकोष्ठ का मूल उददेश्य प्रिंट मीडीया एव अन्य स्रोतो के माध्यम से जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बारे में सूचना एकत्रित करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में लाना तथा राज्य/केन्द्र सरकार की विभिन्न एजन्सियों के साथ संपर्क करना है, ताकि इन सभी अनधिकृत विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रखी जा रही जाली विश्वविद्यालयों की सूची में 21 जाली विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल है ।

बिहार

1. मैथिली विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

दिल्ली

2. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.), जगतपुरी दिल्ली
3. कमर्शियल यूनिवर्सिटी, दरियागंज, नई दिल्ली
4. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली
5. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्लो

6. ए0डी0आर–सैंटिक जूरीडिकल यूनिवर्सिटी,एडी.आर. हाउस, 8, जे गोपाला टॉवर, 25–राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली–110008

7. भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, नई दिल्ली ।

कर्नाटक

8. बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजूकेशन सोसायटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)

केरल

9. सेंट जोन्स यूनिवर्सिटी, किशनाट्टम, केरल

मध्य प्रदेश

10. केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म0प्र0)

महाराष्ट्र

11. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर

तमिलनाडु

12. डी0डी0बी0 संस्कृत विश्वविद्यालय, पुत्तुर, त्रिचि, तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

13. महिला ग्राम विद्यापीठ / विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग इलाहाबाद (उ.प्र.)

14. गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग इलाहाबाद (उ.प्र.)

15. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रोकाम्प्लेक्स होमियोपैथी, कानपुर (उ.प्र.)

16. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस यूनिवर्सिटीं (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़(उ.प्र.)

17. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा(उ.प्र.)

18. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ.प्र.)

19. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद्, इंस्टिट्यूशनल एरिया, खोड़ा, माकनपुर, नोएडा फेस–2(उ.प्र.)

20. गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन, मथुरा (उ.प्र.)

पश्चिम बंगाल

21. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ आल्टरनेटिव मेडिसन, कोलकाता

*भारतीय शिक्षा परिषद् लखनऊ, उत्तर प्रदेश – मामला जिला न्यायाधीश, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2011–2012 के दौरान की गई कार्यवाही

- 21 जाली विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त दो और ऐसे संस्थान है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं । अतः, इन दो संस्थानों को डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार नहीं है । तथापि, इन दो संस्थानों द्वारा दिए गए शपथपत्र के आधार पर न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन दो संस्थानों को जाली विश्वविद्यालय की सूची में न डालने का निर्देश दिया है । इन दो संस्थानों के नाम निम्नलिखित हैः–

1. भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ (उ.प्र.) वर्ष 2011 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय शिक्षा परिषद् का नाम, जाली विश्वविद्यालय की सूची के पाद टिप्पण में डाला था ।

2. आई.आई.पी.एम., दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षणिक सत्र के आरंभ में **हिन्दी और अंग्रेजी में मुख्य दैनिक समाचार पत्रों** में आम जनता/छात्रों की जानकारी हेतु सार्वजनिक सूचना/प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के साथ–साथ प्रवेश के इच्छुक छात्रों को ऐसे संस्थानों में प्रवेश न लेने हेतु सावधान करते हुए **जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची** जारी करता है ।

- आम जनता/छात्र/अभिभावकों की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाईट पर जाली संस्थानों की सूची और साथ ही आईआईपीएम के संबंध में 'सार्वजनिक सूचना' को इसकी वेबसाईट अर्थात www.ugc.ac.in पर भी डाला है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की है।

- राज्यों के शिक्षा सचिवों/गृह सचिवों से प्रवेश के इच्छुक छात्रों के भविष्य को बचाने हेतु उनके राज्यों में कार्य कर रहे जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के संबंध में व्यापक प्रचार करने और उनके विरूद्ध उचित प्रशासनिक कार्यवाही करने का अनुरोध है । वे छात्रों और आम जनता को इस बात की जानकारी भी दें कि ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा दी गई डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र आगे अध्ययन करने अथवा रोजगार प्रयोजनों हेतु वैध नहीं है ।

(ख) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढ़ंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के काम–काज पर नजर रखी जा सके जिससे यहाँ कोई भ्रष्टाचार में सलिप्त न हो पाये। सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रमुख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपर सचिव के पद का एक अधिकारी होता जिसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विधिवत रूप से अनुमादित किया गया था । सी.वी.ओ. मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी और जहां कहीं भी आवश्यक होता है कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी निम्नलिखित कार्य भी सुनिश्चित करता हैः

- संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना।

- ऐसे निष्ठा विषयक आचरण नियम जो निम्न से संबंद्ध है–उनका तुरन्त पालन :– (1) परिसंपत्तियों और अर्जनों का विवरण, (2) उपहार, (3) प्राइवेट फर्मो में नौकरी कर रहे या प्राइवेट व्यवसाय कर रहे संबंधी लोग (4) बेनामी लेन–देन।

- संवेदनशील स्थानों का पता लगाना, ऐसे स्थानों का नियमित एवं अचानक निरीक्षण और संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए गए कार्मिको की उचित छानबीन करना।

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान आवंटन तथा संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए उपचारात्मक उपाय आरम्भ करना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 25.10.2011 से 01.11.2011 तक सतर्कता जानकारी सप्ताह मनाया, जिसमें शपथ ली गई और बैनर और इश्तहार लगाए गए तथा पर्चे आदि बाँटे गए।

वर्ष 2011–12 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ ने सीवीसी (8), भा.स.वि.मं. (10), के.अ.ब्यूरो (9) और विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त 86 शिकायतें अर्थात कुल मिलाकर 113 शिकायतों पर कार्यवाही की । संवेदनशील शिकायतों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त जांच समिति के समक्ष रखा गया था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सतर्कता प्रकोष्ठ, सतर्कता जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करता है और मामले को संबंधित एजेंसियों के साथ उठाता है ।

(ग) कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न प्रकोष्ठ

महिला संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ''कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न'' प्रकोष्ठ कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करता है ।

वर्श 2011–12 के दौरान प्रकोश्ठ को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) विधिक प्रकोष्ठ

वर्ष 1989 में स्थापित विधिक प्रकोष्ठ समस्त देश के विभिन्न न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में नियुक्त अधिवक्ताओं के बीच न्यायालय के मामलों का समन्वय करता है । प्रकोष्ठ का मुख्य कार्यकरण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ब्यूरो से संबद्ध विभिन्न मामलों पर नामनिर्दिष्ट विधिक परामर्शदाता का मत प्राप्त करना है। दूसरे, विधिक प्रकोष्ठ, निचली अदालतों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय में दायर, मुकदमों पर कार्यवाही करता है।

कोर्ट का नोटिस मिलने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधिक परामर्शदाता से विधिक परामर्श लेकर, संबद्ध ब्यूरो से पैरा–वार टिप्पणी लेता है, फिर वह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैनल के वकील को सौंपा जाता है। वकील द्वारा तैयार काउंटर–एफीडेविट को प्रमाणित किया जाता है और संबद्ध ब्यूरो प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद न्यायालय में दायर किया जाता है। विधि प्रकोष्ठ, वि.अ.आ., द्वारा अपने वकील के साथ समस्त पत्र व्यवहार किया जाता है जब तक कि मामले का निपटारा नहीं होता है। मुकदमें में निपटारे के पश्चात, निर्णय की प्रति संबंधित ब्यूरो को, न्यायालय के निदेशानुसार, उचित/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है, यदि ऐसा करना अनिवार्य है।

अधिकांश मामलें मुख्यतः विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतनमानों, अर्हताएँ सेवानिवृत्ति आयु चयन, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिलों, सामान्य प्रवेश परीक्षा, विभिन्न संस्थाओं/जाली विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि से संबंधित होते है। कुछ मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्टाफ से संबद्ध प्रशासनिक मामले होते हैं।

वर्तमान में, न्यायालयों में 5356 मामले चल रहे हैं और वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न 101 मामले दायर किये गये है और वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं और विधिक परामर्शदाताओं के बिलों पर 75.85 लाख रु0 का व्यय किया । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या और वकीलों के शुल्क पर किए गऐ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है–

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	अधिवक्ताओं के बिलों पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
2007-2008	414	55.00
2008-2009	368	49.50
2009-2010	410	62.15
2010-2011	744	90.99
2011-2012	741	75.85

(ङ) डेस्क : संसद् मामले

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डेस्क संसद्'', भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए संसद् प्रश्नों के उत्तर तैयार करने, परिवीक्षा करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है। प्राप्त संसदीय प्रश्नों का निम्नलिखित सत्रों के दौरान उत्तर दिया:

(1) बजट सत्र

(2) मानसून सत्र

(3) शीतकालीन सत्र

इस अवधि के दौरान लोकसभा तथा राज्य सभा के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न सामान्यत : उच्च शिक्षा से संबंधित तथा निम्नलिखित मामलों पर संबंधित थे :–

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा विकास से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन।
- शिक्षकों से जुड़े मुददे, जैसे नियुक्ति की न्यूनतम अर्हताएँ, उनकी सेवा शर्ते, कॅरियर विकास आदि।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दिए गए विकास/अनुरक्षण अनुदान और उनका उपयोग।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा उनकी पात्रता शर्ते।
- एन.ए.सी.सी. द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का विनिमयन।
- स्वयात्त महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय।
- सम विश्वविद्यालयों को मान्यता।
- जाली विश्वविद्यालय/संस्थान।
- उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं निशक्त व्यक्तियों एवं अल्पसख्यकों के लिए आरक्षण से सम्बद्ध आदेशों का कार्यान्वयन।
- अन्य पिछ्ड़ी जातियों को सुविधाएँ विभिन्न सामाजिक समुदायों एवं अल्पसंख्यक तक पहुँच।
- विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त शिक्षा, सांस्कृतिक विनियमन कार्यक्रम/विदेशी विश्वविद्यालयों अन्य देशों के साथ अकादमिक सहयोग।
- देश में लेक्चरशिप/कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जा रही नेट परीक्षाएँ।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों का नेटवर्किंग, कम्प्यूटर सुविधाएँ
- शिक्षा की गुणवत्ता
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न क्रीड़ाओं के लिए आधारभूत संरचना और उपकरणों का विकास।
- नवीन पाठ्यक्रमों की मान्यता, साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी मान्यता तथा पाठ्य विवरण का पुनः प्रवर्तन।
- छात्रों एवं शिक्षकों के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ/छात्रवृत्तियां।
- नेट परीक्षा में सुधारों सहित पी.एच.डी./एम.फिल. कार्यक्रम।
- उच्च शिक्षा से जुड़े आँकड़े।
- शिक्षा में सुधार।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में "रैगिग"।

वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक की अवधि के दौरान लोकसभा/राज्यसभा के बजट/मानसून/शरदकालीन सत्र में प्राप्त किये गए प्रश्नों की संख्या नीचे दी जा रही है:–

वर्ष	प्राप्त एवं उत्तर दिए गऐ संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नों में से उत्तर दिये गऐ तारांकित प्रश्नों की संख्या	आश्वासनों की संख्या
2007-08	455	37	08
2008-09	299	23	12
2009-10	459	38	10
2010-11	603	54	13
2011-12	488	37	08

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.), प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार 'सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ' की स्थापना की है । सीपीआईओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समग्र कार्यालय हेतु इस प्रकोष्ठ का समग्र समन्वयक होता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मुख्य कार्यालय, शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 21 अपीलीय प्राधिकारी तथा 38 पी आई ओ है । प्रकोष्ठ आवेदनों/अपीलों को प्राप्त करता है तथा आवश्यक संख्या में इसकी प्रतियां तैयार कर इसे विभिन्न पी आई ओ/अपीलीय प्राधिकारियों को भेजता है जिन्हें अपेक्षित तथा संगत सूचना उपलब्ध करानी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों संबंधी विसंगतियों का समाधान करने के लिए। इस केन्द्रीय सार्वजनिक/जन सूचना अधिकारी के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ द्वारा अर्थात् सूचना के अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ द्वारा समस्त आवेदन/अपीलें प्राप्त की जाती है तथा इस प्रकोष्ठ द्वारा वांछित संख्या में प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती है जिन्हें केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के माध्यम से विभिन्न जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को भेज दिया जाता है जिनके पास सम्बद्ध सूचना संभावित तौर से उपलब्ध होती है। ऐसे आर.टी.आई. आवेदन/अपील/नोटिस/निर्णय की एक प्रति सूचना अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ में अभिलेख के रूप में रखी जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त के समस्त आवेदनों/अपीलों/निर्णयों आदि की तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट सूचना अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ के द्वारा तैयार की जाती है तथा इसे केन्द्रीय सूचना आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है और तथा केन्द्रीय सूचना आयोग पोर्टल पर अपलोड की जाती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों संबंधी विसंगतियों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जो भी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन/नोटिस प्राप्त किए जाते है उनका निपटान प्रत्यक्ष तौर से सम्बद्ध जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसे जन सूचना अधिकारियों / अपीलीय प्राधिकारियों की सूची वि.अ.आ. वेबसाइट पर स्थापित की गयी है।

वर्ष 2011–12 के दौरान वि.अ.आ. को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 7900 आवेदन तथा 622 अपीलें प्राप्त हुई तथा वर्ष 2011–12 के दौरान आरटीआई शुल्क संग्रहण 87370/– रु0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 27082/– रु0 रहा ।

(छ) वेतनमान प्रकोष्ठ

वेतनमान प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, इस प्रकोष्ठ को समय–समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने का कार्य सौपा गया है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ भी यह प्रकोष्ठ वार्ता करता है। रिर्पोटाधीन वर्ष 2011–2012 के दौरान निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए है और उन्हें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित कर दिया गया हैः–

1. 1.4.2011 से 31.3.2012 की अवधि हेतु कॅरियर प्रोन्नति योजना के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पर्यवेक्षक की नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके भारत में कार्यरत सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध किए गए है कि इस प्रयोजन हेतु विहित प्रक्रिया का विश्वविद्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए। रिपोर्टिंग वर्ष 2011–12 के दौरान सीएएस के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए 71 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत 60 रिपोर्टों पर कार्यवाही की जा चुकी है और संबंधित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमोदन भेजा जा चुका है।

2. शिक्षक और अन्य शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी नए विनियमन, 2010

विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों मे विसगतियों को दूर करने और 30 जून, 2010 के उच्चतर शिक्षा में मानकों का अनुरक्षण हेतु उपाय, 2010 हेतु प्रो0 आनदकृष्णन की अध्यक्षता में एक पुनर्विचार समिति का गठन किया गया था और अंतिम सिफारिशें आयोग के समक्ष रखी जा रही है ।

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालयों/ कॉलिजों में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, दाखिलें, शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों के लिए, आरक्षण नीति को प्रभावी तौर से लागू करने की प्रक्रिया का सर्वेक्षण करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान पदों के लिए, आरक्षण नीति को प्रभावी तौर से लागू करने की प्रक्रिया का सर्वेक्षण करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जो भी शिकायतें होती है, उन पर इस सेल के द्वारा उन पर विचार किया जाता है।

विश्वविद्यालयों समविश्वविद्यालयों, कॉलेजों और ऐसे संस्थान एवं केन्द्र जो आर्थिक अनुदान सहायता के प्राप्तकर्ता है–उनमें सरकारी आरक्षण नीति को कड़ाई से लागू करने के लिए, आयोग ने नये दिशा–निर्देश वर्ष 2006 में तैयार किए है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति का प्रभावी तौर से पालन करने का सर्वेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रतिनिधित्व, अकादमिक विशेषज्ञों, भूतपूर्व कुलपतियों एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में आरक्षण के स्तर को और रिक्तियों के पिछले बकाया पदों का सर्वेक्षण करने के लिए स्थायी समिति और उप स्थायी समिति समय–समय पद बैठक करती रहती है।

(झ) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

वर्ष 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पृथक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित किया – जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर विचार किया जाता है, जैसे कि अल्पसंख्यक संस्थानों को समविश्वविद्यालयों का स्तर प्रदान किया जाना, अल्पसंख्यक संस्थानों को विश्वविद्यालयों के साथ सहसंबद्धता उपलब्ध कराना है । अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की अध्यक्षता समूह 'क' एवं समूह 'ख' अधिकारी करते है।

(ञ) रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ

सिविल अपील संख्या 887/2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन, 2009 तैयार किए है, और उन्हें 17 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया तथा वे वर्तमान में प्रभावी है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात को सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य बना दिया है कि वे रैगिंग पर प्रतिबंध और उसके परिणामों संबंधी सरकार के निर्देशों को अपने विवरण पत्र में शामिल करें । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवर्ष शैक्षणिक वर्ष आरंभ होने से पहले सार्वजनिक सूचनाओं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट, तथा विश्वविद्यालयों को पत्रों के माध्यम से रैगिंग रोधी उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के विषय में स्मरण कराता है । सभी छात्रों/अभिभावकों को प्रवेश लेने के समय संस्थानों को रैगिंग रोधी संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है । आयोग ने आयोग की किसी सामान्य और विशेष योजना के अंतर्गत किसी संस्थान को कोई वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान संबंधी स्वीकृति में एक विशेष शर्त को शामिल किया है कि संस्थान ने रैगिंग रोधी उपायों का अनुपालन किया है ।

एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800–180–5522 आरंभ की गई है, जिस पर रैगिंग संबंधी घटनाओं से पीड़ित छात्र कभी भी संपर्क कर सकते है। इस हैल्पलाइन को कॉल सेंटर सुविधाओं सहित 12 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, और क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उड़िया, आसामी, गुजराती और बंगाली) में रैगिंग के पीड़ित छात्रों की सहायता और ऐसी घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए लागू किया गया है। यह हैल्पलाइन शिकायतकर्ताओं/रैगिंग के पीड़ितों से सीधे शिकायतें प्राप्त करती है। इस शिकायत को हैल्पलाइन द्वारा संबंधित संस्थानों तथा स्थानीय प्रशासन (थानाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक) को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। रैगिंग संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगता है।

सीईसी द्वारा तैयार की गई एक रैगिंग रोधी वीडियो फिल्म को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों, स्टॉफ, अन्य संबंधित पक्षों तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कालेजों में इसका व्यापक प्रचार करने के लिए कहा गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोधी संबंधी एक वृत–चित्र को अपलोड करने के संबंध में दिनांक 15 जुलाई, 2011 का एक पत्र जारी किया जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर दिया गया है ।

विभिन्न समितियों के गठन तथा उच्च शिक्षा संस्थानों, में रैगिंग की समस्या पर अंकुश लगाने संबंधी विनिमय, 2009 को सभी विश्वविद्यालय तथा सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों के रजिस्ट्रारों को भेजे जाने के संबंध में दिनांक 23 जून, 2011 का एक पत्र ।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या के संबंध में दिनांक 13 जुलाई, 2011 का एक पत्र सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भी भेजा गया है।

प्रत्येक परिषद के अंतर्गत संस्थानों में रैगिंग रोधी उपायों के समन्वय तथा निगरानी पर चर्चा करने के लिए दिनांक 22.9.2011 को अंतर–परिषद समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी ।

माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 8.5.2009 के अपने निर्णय में छात्रों पर रैगिंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का पता लगाने तथा स्कूलों, कालेजों और सभी शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में लागू किए जाने हेतु तात्कालिक और अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य उपायों की सिफारिश करने के लिए मनोचिकित्सक / मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों आदि की एक समिति का गठन किया था ताकि रैगिंग की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके ।

इस अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय की तीन बैठकें हुई तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार दिसम्बर, 2011 में एक परामर्शदाता तथा एक परियोजना एसोसिएट की नियुक्ति की गई थी । परामर्शदाता से प्रस्तावित क्रियाकलापों, व्यय आदि के ब्यौरे के संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैः–

- सिविल अपील सं0 887 / 2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 8.5.09 के निर्णय के निर्देशात्मक भाग के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रकिया का सुग्राहीकरण ।

- सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अपनाये जाने वाली एक सामान्य रैगिंग प्रणाली को अंगीकार करना तथा रैगिंग रोधी उपायों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालन में लाने के मार्ग में आने वाले अवरोध / बाधाओं को दूर करने हेतु मदद करना ।

- मौजूदा रैगिंग रोधी हेल्पलाइन तथा प्रस्तावित वेब पोर्टल की जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या यह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और / अथवा प्रो0 राज काचरू द्वारा सुझाई गई पद्धति के अनुरूप है ।

- विभिन्न उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग रोधी विनियमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के उपाय सुझाना ।

आयोग ने 24x7 निशुल्क रैगिंगरोधी हेल्पलाइन (1800 180 5522) स्थापित की है जिसे 20.06.2009 बीएसएनएल के माध्यम से एडसिल (इंडिया) लि. द्वारा प्रचालित किया जा रहा है जिसने इस कार्य का ठेका आगे केयर टेल इन्फोटेक प्रा. लि. को दे दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसने 31.8.2011 को कॉल सेंटर का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय भी लिया कि भारत सरकार के मानदंड तथा प्रक्रियाओं के अनुसार रैगिंग रोधी हेल्पलाईन चलाने के लिए नई एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं। आयोग ने आगे यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नई एजेन्सी का चयन करने तथा उसके द्वारा कार्य आरंभ किए जाने तक मैसर्स एडसिल के माध्यम से की गई मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा जाए। तदनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो. योगेन्द्र यादव, सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसकी बैठक 26.03.2012 को हुई। आगे की कार्यवाही समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी।

दिनांक 29.3.2011 को रैगिंगरोधी पोर्टल के विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एडसिल तथा मैसर्स प्लेनेट ई–कॉम साल्यूशन्स् के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तदनुसार 30.6.2011 को एडसिल को एजेन्सी का चयन करने हेतु अग्रिम धनराशि के रूप में 15.08 लाख रू. की धनराशि जारी की। दिनांक 4.10.2011 को मैसर्स प्लेनेट ई–कॉम ने विभिन्न विनियामक निकायों के प्रतिनिधियों यथा राघवन समिति के सदस्य प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, प्रो. राज काचरू, एडसिल इत्यादि के समक्ष यह पता लगाने के लिए एक निरूपण किया कि क्या प्रस्तावित रैगिंग रोधी वेब पोर्टल का विकास माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप किया जा रहा है अथवा नहीं। समिति ने यह निर्णय लिया कि मौजूदा प्रारूप में प्रस्तावित वेब पोर्टल स्वीकार्य नहीं है। तदनुसार, एडसिल, प्रो. राज काचरू तथा मैसर्स प्लेनेट ई–कॉम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 09.11.2011 के पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया कि वे वेब–पोर्टल में संशोधन करने के लिए प्रो. राज काचरू के निर्देशानुसार कार्य करें। दिनांक 28.2.2012 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एडसिल को प्रणाली का विश्लेषण तथा डिजाईन चरण का कार्य पूर्ण होने पर प्लेनेट ई–कॉम को आगे अंतरित करने के लिए 5.74 लाख रूपये की धनराशि जारी की। तथापि, एडसिल ने मैसर्स ई–कॉम को तुरंत धनराशि जारी नहीं की । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेब पोर्टल को चालू करने की तिथि के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 887/2009 के केरल विश्वविद्यालय बनाम परिषद् प्रधान महाविद्यालय केरल एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णयानुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रैगिंग रोधी हेल्पलाईन तथा संबद्ध डाटाबेस कार्य की निगरानी तथा मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च सर्विसेज प्रा. लि. का चयन किया तथा उनसे एक वर्ष की अबधि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 18.11.2011 को समाप्त हो गया। मंत्रालय ने निगरानी करने के कार्य को अमन सत्या काचरू न्यास को 20.12.2012 से तीन माह की अवधि के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में सौंपा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की चयन प्रक्रिया का विधिवत सम्मान करते हुए किसी अन्य एजेन्सी के चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

विभिन्न रैगिंग रोधी उपायों का समन्वय करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्राप्त कथित रैगिंग संबंधी घटनाओं की सभी शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है तथा संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगी जाती है। संस्थानों द्वारा रैगिंग की कथित घटनाओं पर कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में ऐसे संस्थानों के विरूद्ध विनियमनों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। हैल्पलाइन को जून, 2009 में आरंभ किए जाने से लेकर मार्च, 2011 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाली अन्य परिषदों से 78 शिकायतें तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संस्थानों से संबंधित 547 शिकायतें प्राप्त हुई है। ब्यौरा निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	वर्ष	हैल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें संस्थानों ने की गई कार्यवाही रिपोर्ट भेज दी है	मामलों की संख्या जिनमें कारण बताओं नोटिस जारी किए गए	टिप्पणियां (मामलों की संख्या जिनमें दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई)
1.	1 जून 2009 से 31 मार्च, 2010 तक	299	292	7	22*
2.	1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक	148	146	2	15*
3.	1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक	100	94	6	9*

*उन मामलों में से जहा कार्यवाही की जा चुकी है।
नोटः कुल 547 शिकायतों में से, 78 शिकायतों को संबंधित परिषद् को भेज दिया गया है।

(ट) आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ

महानिदेशक लेखापरीक्षा एवं राजस्व की संस्तुति पर मई, 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आंतरिक वित के उचित रखरखाव तथा पारदर्शिता जाने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा एकक बनाया गया। तभी से, यह कार्यालय उपनिदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। उनकी सहायता हेतु लेखा/कनिष्ठ लेखा अधिकारी हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंतर्गत इंटरस्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम का भी लेखा करता है। आन्तरिक लेखा के अतिरिक्त इंटरनल ऑडिट प्रकोष्ठ वि0आ0आ0 विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों में सलाह भी देता है। प्रकोष्ठ पेंशन भुगतान के मामले, जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 अंतिम भुगतान संबंधी मामले, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेज तथा समय–समय लेखों का पश्च लेखा परीक्षण, सहायता–अनुदान रजिस्टरों एवं स्वीकृति की परीक्षण जाँच पड़ताल, सांविधिक लेक्षा परीक्षण में जो आपत्तियाँ उठाई गई है उनका अनुसरण/हल करने बारे में, तथा विभिन्न संबद्ध निकायों के साथ सहभागिता –जो समस्त शर्तें लेखा–जोखा रिपोर्ट के अनुच्छेदों से तथा इस रिपोर्ट के प्रति दिये गए उत्तरों से जुड़ा है। पर आने वाले अन्य मामलों आदि में भी कार्य करता है। वित्तीय निरीक्षण तथा विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को दी गई निधियों के उपयोग का सत्यापन भी यही प्रकोष्ठ करता है।

1.4 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकाशन ब्यूरो, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, विशेष रूप से वि0आ0आ0 की वार्षिकी रिपोर्ट, उच्चतर शिक्षा क्षेत्रक में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, वि0अ0आ0 अधिनियमों, वि.अ.आ., समितियों पर रिपोर्ट, सांख्यिकी रिर्पोटों/फॉर्म तथा अन्य सरकारी लेखन–सामग्री आदि का प्रकाशन करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के उपयोग के लिए विभिन्न लेंखन सामग्री का भी प्रकाशन करता है यथा विजिटिग कार्ड, लिफाफे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग टी0ए0/डी0ए0 प्रपत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिन्दी दिवस तथा वार्षिक गोपनीय रिर्पोटें (ए0सी0आर0) प्ररूप। यह प्रकाशित रिर्पोटों/दस्तावेजों को वितरित करके उच्चतर शिक्षा में कार्यरत अथवा जुड़े हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रकाशनों/अन्य मुद्रण पर निम्नवत व्यय किया गया:–

वर्ष	व्यय (₹ लाख में)
2007-2008	8.52
2008-2009	12.59
2009-2010	9.90
2010-2011	8.08
2011-2012	25.51

वर्ष 2011–12के दौरान किए गए प्रकाशनों/मुद्रणों की सूची निम्न है:

क्र. सं.	प्रकाशन का नाम
1.	केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के समूह की संरचना के संबंध में पुस्तिका।
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक लेखा, 2009–10 (अंग्रेजी)।
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक लेखा, 2009–10 (हिन्दी)।
4.	योजनाओं का सार–संग्रह (उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हस्तक्षेप)
5.	विश्वविद्यालय की कार्यवाहियां तथा समाजः– मुद्दे और चुनौतियां, उच्च शिक्षा (केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों के सम्मेलन के आधार पर) के कुछ अग्रणी व्यावसायियों के कतिपय विचार ।
6.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, 2009–10 (अंग्रेजी)।
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, 2009–10 (हिन्दी)।
8.	संकाय की कमी तथा निश्पादन मूल्यांकन प्रणाली के डिजाईन पर कृतबल की रिपोर्ट
9.	सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी शिक्षण और अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु दिशानिर्देश (सं0 54)
10.	विभिन्न अकादमिक और अनुसंधान क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघ को प्रोत्साहन (सं0 53)
11.	सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी शिक्षण और अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु दिशानिर्देश (सं0 54)
12.	विदेशी नागरिकों हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) तथा शोध अध्येतावृत्ति (सं0 55)
13.	अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) (सं0 57)
14.	महिला अभ्यर्थियों को पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप (सं0 58)
15.	उच्च शिक्षा का समावेशी तथा गुणात्मक विस्तार (बारहवीं योजना में उच्चतर शिक्षा संबंधी कार्य समूह के विचार–विमर्श पर आधारित (संकलन)
16.	योजनाओं (उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हस्तक्षेप) का सार–संग्रह– पुनर्मुद्रित
17.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, 2010–11 (अंग्रेजी)।
18.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, 2010–11 (हिन्दी)।

उपरोक्त प्रकाशन निःशुल्क है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियाँ तथा व्यय दर्शाते हुए, बजट तैयार करना और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करना है। आयोग की ''आयोग अनुदान की निधि'' नामक अपनी एक निधि है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग को प्रदान की जाने वाली समस्त राशि अनुदान आयोग की समस्त प्राप्तियाँ, इस निधि में अंतरित की जाएँगी और आयोग द्वारा की जाने वाली सभी अदायगियाँ इसी निधि से की जाएँगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, अनुदान आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (गैर–योजनागत) तथा विकास (योजनागत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आवंटित एव संवितरित कर सकता है, ताकि उच्च शिक्षा क्षेत्रक के स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। वर्ष 2011–2012 के लिए बजट विवरण तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: वर्ष 2011-2012 के लिए बजट

क्र. सं.	बजट शीर्ष	योजनागत आंवटन		गैर–योजनागत आंवटन (₹ करोड़ में)	
		ब0अनु0	सं0अनु0	ब0अनु0	सं0अनु0
1.	सामान्य	5244.50	5495.17	4118.89	4370.64
	कुल	**5244.50**	**5495.17**	**4118.89**	**4370.64**

वर्ष 2011–2012 के दौरान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त योजनागत तथा गैर–योजनागत अनुदानों और विश्वविद्यालयों को जारी किए गये अनुदानों को ब्यौरा, तालिका 1.2, 1.3 और 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.2 : वर्ष 2011-2012 के दौरान प्राप्त योजनागत और गैर-योजनागत (सामान्य) अनुदान

क्र. सं.	मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान	योजनागत अनुदान (₹ करोड़ में)	गैर–योजनागत अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	5495.17	4400.23
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	103.69	0.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	84.93	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	51.98	0.00
	कुल	**5735.77**	**4400.23**

तालिका 1.3 : वर्ष 2011-2012 के दौरान संस्थानों को जारी किए गए अनुदान

क्र. सं.	संस्थाओं के प्रकार	योजनागत अनुदान (₹ करोड़ में)	कुल योजनागत अनुदान का प्रतिशत
1.	राज्य विश्वविद्यालय	956.25	20.25
2.	राज्य विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	298.68	6.33
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2211.60	46.84
4.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	27.72	0.59

क्र. सं.	संस्थाओं के प्रकार	योजनागत अनुदान (₹ करोड़ में)	कुल योजनागत अनुदान का प्रतिशत
5.	अंर्तविश्वविद्यालय केन्द्र	154.34	3.27
6.	समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	115.18	2.44
7.	विविध/विश्वविद्यालयेतर तथा संस्थाएँ	53.09	1.12
8.	क्षेत्रीय केन्द्र	903.91	19.14
9.	स्थापना	0.66	0.01
	कुल	**4721.43**	

तालिका 1.4 वर्ष 2011-2012 के दौरान संस्थानों को किए गए गैर-योजनागत अनुदान

क्र. सं.	संस्थाओं के प्रकार	गैर-योजनागत अनुदान (₹ करोड़ में)	कुल गैर-योजनागत अनुदान का प्रतिशत
1.	निम्नलिखित को अनुरक्षण हेतु		
	क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यू0सी0एम0एस0 63.26)	2915.80	67.58
	(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा	982.08	22.76
	बी.एच.यू. के महाविद्यालय	20.94	0.48
	(ग) सम विश्वविद्यालय संस्थाएँ	218.58	5.07
	(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	61.37	1.42
2.	राज्य विश्वविद्यालय	7.17	0.17
3.	अंतरविश्वविद्यालय संस्थान/केन्द्र	50.88	1.18
4.	राज्य महाविद्यालय	1.74	0.04
5.	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	51.35	1.19
6.	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	4.65	0.11
	कुल	**4314.56**	

1.6 केन्द्रीय तथा समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी. आर.सी.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति जे.सी.आर.सी. का गठन किया–इसके द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम–विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में गैर–शिक्षकों के लिए एक समान स्टाफ़ पैटर्न पर विचार किया गया। इस संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति का उद्देश्य एक सम्पूर्ण विस्तारित सेवा शर्तो के ढाँचे को गैर शिक्षक स्टाफ़ (ग्रुप क, ख, ग और घ) के लिए सिफारिश करना है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन के बाद, विश्वविद्यालयों को अपने नियम/अध्यादेशों/समझौता ज्ञापन/उपनियम आदि द्वारा स्थापित संशोधन करने का आग्रह किया जाएँगा, ताकि सेवा शर्तों को सम्मिलित किया जा सके।

संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इन संस्थानों में विश्वविद्यालय की पद्धति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कई पदों के पदनाम और वेतनमान के औचित्य हेतु सिफारिशें करने के लिए और जहाँ संभव हो अनावश्यक पदों को पहचानने और गैर शिक्षक कर्मचारियों, (ग्रुप–क, ख, ग, घ) के वेतनमानों के विद्यमान विसंगतियों/कमियों का समाधान करने के लिए, 24 सामान्य संवर्ग संरचनाएँ विकसित की हैं।

संस्थानों में वेतनमानों के विषय में जो विभेद विदयमान है। उनकों दूर करने के लिए जो उपाय किए जाने है उनके विषय में मा0स0वि0म0 द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों को कडाई से पालन करने के लिए समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों को प्रेषित कर दिया गया है।

भविष्य में ली जाने वाली कार्य योजना के रूप में, विशेषज्ञों को उप–वर्गों को गठित किया गया है जिनके द्वारा उन सामान्य संवर्गों के गठन पर आलोचनात्मक परीक्षण जिनको जे सी आर द्वारा विकसित किया गया तथा उन उप–वर्गों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए विस्तृत सेवा शर्तों को बनाना जैसे कि पदों पर भर्ती नियम, निष्पादन किये जाने वाले कर्त्तव्यों का स्वरूप, प्रोन्नति की क्या संभावनाएँ/मार्ग जो कि उन पदों में अन्तर्निहित है आदि। रिपोर्टें इस प्रकार जो उप–वर्गों द्वारा तैयार की गई है उनका जेसीआरसी द्वारा और आगे भी अंतिम रूप तैयार करने हेतु विचार किया जायेगा।

जेसीआरसी ने जून, 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी जिसमें समिति ने विश्वव्यापी प्रणाली में तेजी से बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जहां कहीं सभव हो परिणामों तथा वेतनमानों के यौक्तिकरण हेतु संवर्ग ढांचों के लिए 24 अस्थायी सेवाओं का विकास किया ।

जेसीआरसी की अंतिम रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आयोग के अनुमोदन पश्चात् प्रस्तुत की गई है ।

1. ग्रंथालय सेवा संवर्ग के संबंध में रिपोर्ट को दिनांक 18.1.2008 के पत्रांक सं0 एफ.23–1/2005 (जेसीआरसी) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया ।

2. निम्नलिखित 15 चिन्हित सेवाओं/संवर्ग ढांचों पर रिपोर्ट को 12–06–09 को पत्रांक सं0 एफ. 6–7/97(सीयू/जेसीआरसी) के माध्यम से भेजा गया था :

   i) प्रशासन/लिपिकवर्गीय सेवाएँ
   ii) सचिवालय से जुड़ी सेवाएँ
   iii) परिवहन सेवाएँ
   iv) अतिथिगृह/होटल/कैन्टीन सेवाए
   v) स्कूल अध्यापक
   vi) सुरक्षा सेवाएँ
   vii) स्वच्छता संबंधी सेवाए
   viii) सरकारी कामकाजी भाषा प्रकोष्ठ
   ix) फोटोग्राफ/छायाप्रति संबंधी सेवाएँ
   x) संगीत सेवाएँ
   xi) क्रीड़ाएँ/खेल सेवाएँ
   xii) उद्यान/बागवानी सेवाएँ
   xiii) कृषि/पशु चिकित्सा सेवाएँ
   xiv) धार्मिक सेवाएँ
   xv) शोध/सांख्यिकी सेवाएँ

3. निम्नलिखित 8 चिन्हित सेवाओं/संवर्ग ढांचों पर रिर्पोट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, को दिनांक 23.09.2010 को पत्र संख्या एफ. 6–7/97 (सी.यू./जे.सी.आर.सी.) के माध्यम से भेज दी गयी है।

(i) प्रेस एवं प्रकाशन सेवाएँ

(ii) संग्रहालय एवं अभिलेखागार सेवाएँ

(iii) तकनीकी / प्रयोगशाला सेवाएँ

(iv) अभियांत्रिकी सेवाएँ

(v) कार्यशाला सेवाएँ

(vi) विश्वविद्यालय विज्ञान एवं यंत्र केन्द्र

(vii) स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएँ

(viii) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) सेवा

उपरोक्त रिर्पोटें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन है।

केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में ए0सी0पी0 योजना का कार्यान्वयन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में ए0सी0पी0 स्कीम क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के लिए एक समिति बना दी है। इस उद्देश्य से प्रत्येक संस्था को अपने व्यक्तिगत मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में भरकर समिति के विचारार्थ रखने हेतु भेजने है। उक्त समिति डी0ओ0पी0टी0 ए0सी0पी0 योजना दिशानिर्देश के प्रकाश में मूल्यांकन कर दो पक्षों पर संस्तुति देती है (क) प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 के अनुसार जैसा भी हो अर्हक वेतनमान (ख) अर्हता का दिनाँक/समिति की संस्तुति वि0अ0आ0 द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने पर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को ए0सी0पी0 योजना के तहत डी0ओ0पी0टी0 द्वारा बनाई गई सभी शर्तों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु प्रेषित कर दी जाती है।

ए0सी0पी0 पर समिति के विचारों, संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पूर्व में समिति द्वारा विचार किए गए विषयों पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/वि.अ.आ. अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों को 9.08.1999 की ए0सी0पी0 योजना के शिक्षणेतर कर्मचारियों पर क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश बना रहा है। यह दिशानिर्देश दिनांक 14 जुलाई, 2010 के पत्रांक के माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को प्रेषित कर दी गई है।

यह भी निर्णय लिया गया कि अब इन संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ए0सी0पी0 प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय 9.08.1999 डी0ओ0पी0टी0 को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय वि.अ.आ. दिशानिर्देश के अनुसार क्रियान्वित कर सकते है। मा.सं.वि.मं. से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत वि.अ.आ. ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, वि.अ.आ. द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों और दिल्ली के महाविद्यालयों के गैरशिक्षण कर्मचारियों को एमएसीपीएस का विस्तार देने के संबंध में दिनांक 09.07.2010 के पत्र के माध्यम से अनुमोदन दिए जाने की जानकारी प्रदान की ।

एसीपी के संबंध में स्थायी समिति की बैठक 15 जुलाई, 2011 को दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, गुरूकुल कागड़ी विश्वविद्यालय तथा महिला अविनाशीलिंगम सम विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए संदेह/स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए आयोजित हुई । केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय में भेषजज्ञ को 2800 रू0 के ग्रेड वेतन में दो वर्ष पूर्ण करने के उपरांत उसे 4200 रू0 का ग्रेड वेतन प्रदान करने संबंधी मामले को भी समिति के समक्ष रखा गया । समिति द्वारा लिए गए निर्णय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत इन संस्थानों को संप्रेषित कर दिया गया है ।

1.7 वि.अ.आ. की नवीन पहल

- **उद्यमिता और ज्ञान आधारित उद्यमवृत्ति का संवर्धन :**

  उद्यम वृति तथा ज्ञान आधारित उद्यम के संवर्धन के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को और भी अधिक सक्रिय समर्थनकारी भूमिका अदा करनी होगी। इस विषय में वि.अ.आ. में नेशनल साईंस एण्ड टक्नॉलोजी एन्टप्रयोन्योशीप डवलपमेंट बोर्ड (एन.एस.पी.टी.ई.डी.बी.) के

साथ सहभागिता की है– जो कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग (डी.एस.टी.) के अधीनस्थ है। इस सहभागिता का लक्ष्य है कि देश में उद्यम, प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण, प्रौद्योगिकी व्यापार उद्भवन एवं ज्ञान संसाधित करने वाले स्थलों को प्रोन्नत किया जाना चाहिए। देश में उद्यमवृत्ति, प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण, तकनीक व्यापार उद्भवन–अवधि एवं ज्ञान संसाधन पार्कों का कार्य शुरू किया गया है।

इस पहल के एक भाग के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उद्यमवृत्ति कौशल वाले छात्रों के बीच जागरूकता उत्पन्न करेगा और क्षमता का निर्माण करेगा। तथा व्यवस्थित संस्थागत समर्थन द्वारा अग्र तथा पश्च अनुबंधन प्रदान करेगा और उनकी आकांक्षाओं को वास्तविक उद्यमों में परिवर्तित करेगा। इस विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीक उद्यम विकास बोर्ड जो कि भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीक विभाग के मातहत है–इसके साथ भागीदारी की है ताकि उद्यम, तकनीकी व्यावसायीकरण, तकनीक व्यापार उद्भवन अवधि एवं ज्ञान संसाधन पार्कों के संवर्धन का कार्य शुरू हो। जागरुकता उत्पन्न करने के कार्यक्रम को ''हैब'' और ''स्पोक'' मॉडल के माध्यम से किया जायेगा जिसमें विद्यमान उद्यमवृत्ति विकास प्रकोष्ठ (ई.डी.सी.) और उद्यमवृत्ति से संबंधित अन्य संस्थाएँ, सारे देश में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की कुछ नेटवर्क संस्थाओं से जुडी होगी। इसके अधीन, अन्य गतिविधियाँ–सामग्री विकास अधिगम, संकाय प्रशिक्षण तथा विकास, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में पाठ्यचर्या में स्थान प्रदान करना, जागरूकता कैंपो के आयोजन आदि करने होंगे जो कि उद्यमवृत्ति पर केन्द्रित होंगे। इस उपागम के द्वारा पर्याप्त संख्या में संस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी.एस.टी. को त्वरित आधार पर ई.डी.सी. स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। ''बिजनस प्रोसेस आउटसोर्सिंग'' (बी.पी.ओ.) के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण तथा व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के घटक के साथ ''ई.डी.सी.'' का नया मॉडल, ''नैसकॉम'' के साथ साझेदारी और ''डी.एस.टी.'' के साथ संयुक्त रूप से समर्पित किया जायेगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं में नए प्रौद्योगिकी व्यवसाय विकास केन्द्रों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यम पार्कों (स्टेप्स) को भी स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। ''ई–कंटेक्ट'' विकास के क्षेत्र में विशाल व्यवसाय अवसरों को देखते हुए, इस क्षेत्र में ''कटैंन्ट–विकास उद्योग केन्द्र'' स्थापित करने का प्रस्ताव है। उच्च अधिगम की संस्थाओं के माध्यम से उद्यमवृत्ति का संवर्धन करना ही एक ऐसा उपाय है जिससे, पहले ही से तंग, ''जॉब मार्किट'' पर दबाव कम किया जा सकता है और इस देश में बड़ी जनसंख्या के लिए नए अवसर पैदा किये जा सकते है।

1.8 वर्ष की मुख्य विशेषताएँ

- **योजनागत बजट**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 46,449 करोड़ रू0 का योजनागत परिव्यय की सूचना प्रदान की है । इसमें से वर्ष 2011–12 के लिए 5244.50 करोड़ रू0 की धनराशि को बजट अनुमान के रूप में आवंटित किया है । तत्पश्चात्, वित्तीय वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमान स्तर पर 5495.17 करोड़ रू0 की धनराशि आवंटित की है । इसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 1804 करोड़ रू0, पूर्वात्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 306 करोड़, दिल्ली विश्वविद्यालय को 60 करोड़ रू0, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 2822.7 करोड़ रू0 (अन्य योजनाओं) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एनईआर को 381.73 करोड़ रू0 तथा सामाजिक अवसंरचना विकास निधि हेतु 36.67 करोड़ रू0 तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन हेतु 84.00 करोड़ रू0 की धनराशि शामिल है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है जिन्होंने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अनेक नीतिगत उपायों को आरंभ करने के लिए कार्य किया ।

क्र. सं.	समिति	सभापति
1.	प्रयोगशालाओं में प्रयोग हेतु पशुओं के विश्लेषण पर रोक	प्रो. रंगनाथ
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 72 के अंतर्गत डिग्रियों का विशेष विवरण	प्रो. फुरकान कमर
3.	स्वदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन	डा. कपिला वात्स्यायन
4.	पुरालेखशास्त्र का पुनरूद्धार	डा. कपिला वात्स्यायन
5.	विधि शिक्षा का पुनर्गठन – विभिन्न विषयों हेतु पाठ्यक्रम तैयार किया जाना	प्रो. जोस वर्गीस

क्र. सं.	समिति	सभापति
6.	विश्वविद्यालय प्रणाली में आपदा प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम लागू किया जाना	प्रो. जानकी बी. अंधारिया
7.	कॉलेज संकाय के क्षमता निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	प्रो. दीपक पैटल
8.	साहित्यिक चोरी पर प्रतिबंध संबंधी समिति	प्रो. वाई. के. अलघ
9.	मूलभूत वित्तपोषण हेतु मानदंड/नियम	प्रो. एस. पी. त्यागराजन
10.	नियमित/दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से एक साथ दो डिग्रियां/पाठ्यकमों का अध्ययन करना	प्रो. आर. टकवाले (पुनर्गठित)
11.	अर्थशास्त्र और आर्थिक विकास केन्द्र (सीआरईईडी) हेतु कार्यबल	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष
12.	एक वर्ष एल एल एम कार्यक्रम आरंभ करने संबंधी समिति	प्रो. एन0 आर0 माधव मेनन
13.	राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान और अध्ययन परिषद संबंधी समिति	एयर कमोडोर जसजीत सिंह (सेवानिवृत्त)
14.	संयुक्त नियुक्तियों की योजना हेतु दिशानिर्देश बनाने के लिए समिति ।	डॉ0 एस0 के0 जोशी
15.	उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिकायत के समाधान हेतु एक प्रणाली की स्थापना हेतु विनियम बनाने संबंधी समिति	प्रो. रणबीर सिंह
16.	भारत और विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग के मानकों के संवर्धन एवं उनके रख–रखाव हेतु विनियम तैयार करने संबंधी समिति	प्रो. पी0 आर0 रामा राव
17.	उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव/उत्पीडन/अत्याचार के निवारण तथा समानता को बढ़ावा देने हेतु विनियम तैयार करने संबंधी समिति ।	प्रो. एस0 पी0 त्यागराजन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियाँ

वि.अ.आ. ने अनेक नीतिगत उपाय करने के लिये निम्नलिखित विशेषज्ञ समितियों का गठन किया था:

जीव–जंतुओं का विच्छेदन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर, आयोग ने दिनांक 8 जुलाई, 2011 को हुई अपनी बैठक में प्राणि विज्ञान और जीवन विज्ञान से जीवित पशुओं का विच्छेदन तथा उन पर प्रयोग को बंद करने हेतु विशेषज्ञ समिति की ''चरणबद्ध तरीके से प्राणि विज्ञान/जीव विज्ञान में जीव–जंतुओं के विच्छेदन को बंद करने संबंधी दिशानिदशों''की सिफारिशों को अनुमोदित किया । समिति ने आगे यह निणर्य लिया कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रयोगों के अनुरूपण को बढ़ावा दिया जाए और बारहवीं पंचवर्शीय योजना के दौरान इस सिफारिश के लिए आवश्यक संसाधनों को आवंटित किया जाए।

दिनांक 29.11.2011 के इस कार्यालयी पत्रांक के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को दिशानिर्देश परिचालित किए जा चुके हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर भी अपलोड किए गए हैं ।

संयुक्त नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों में संयुक्त नियुक्ति योजना हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था । समिति का उद्देश्य अन्य विश्वविद्यालय के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की दोनों विधाओं में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को बढ़ावा देकर विश्वविद्यालय प्रणाली में अकादमिक परिवेश में सुधार करने हेतु पद्धतियों और तरीकों का पता लगाना था ।

आयोग ने दिनांक 13.02.2012 को हुई अपनी बैठक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नवत् संकल्प लिया:–

'' आयोग ने विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों द्वारा संयुक्त नियुक्ति की योजना हेतु दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि आयोग के सदस्य विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखे जाने वाली अपनी टिप्पणियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजेंगे जिसने दिशानिर्देश तैयार किए और यह निदेश दिया कि संशोधित मसौदा दिशानिर्देशों को आयोग के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखे जायें । ''

दिशानिर्देशों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जायेगा ।

- **उच्च शिक्षा संस्थानों में शिकायत निवारण हेतु प्रणाली स्थापित करना**

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिकायत निवारण हेतु तंत्र स्थापित करने के संबंध में विनियम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । प्रस्तावित विनियमनों का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिकायत निवारण हेतु तंत्र स्थापित कर दाखिले, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है ।

विनियमों को एक बार अंतिम रूप दिए जाने पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों में लोकपाल की नियुक्ति हेतु व्यवस्था की जायेगी ।

- **भारत और विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग के मानदण्डों का संवर्धन एवं उनका रख-रखाव**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के प्रचालन और कार्यकरण को विनियमित तथा उसे युक्तिसंगत बनाने हेतु विनियम तैयार करने के संबंध में एक समिति का गठन किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह इच्छा व्यक्त कि की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन तैयार करे जिसे भारत और विदेशी संस्थानों के बीच यमलन कार्यक्रम तथा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम को सुकर बनाने के लिए मुख्यतः दो मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया हैः–

i) देश में विश्वविद्यालयों के प्रवेश या प्रचलन संबंधी विनियम

ii) भारतीय व विदेशी संस्थानों के बीच यमलन कार्यक्रम तथा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम विनियम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कतिपय त्रुटि सुधार कर तथा अधिसूचना में कतिपय बिंदु सम्मिलित कर अनुमोदित कर दिया गया है । विनियम को जल्द ही अधिसूचित किया जायेगा ।

- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेद-भाव/उत्पीड़न/अत्याचार का निवारण तथा समानता को बढ़ावा देना**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव/उत्पीड़न/अत्याचार के निवारण तथा समानता को बढ़ावा देने के संबंध में एक समिति का गठन किया है । यह भारत में सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा। योजना का उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के सभी प्रकार से उत्पीड़न के विरूद्ध जाति आधारित भेदभावों को निवारणात्मक तथा सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था कर उसे समाप्त करना उसका समूल नाश एवं जाति आधारित भेदभाव/उत्पीड़न करने वालों को दंडित करना है ।

विनियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कतिपय शुद्धियों के साथ अनुमोदित कर दिया है । इन शुद्धियों को विनियम में शामिल कर लिया गया है तथा अग्रिम अनुमोदन हेतु भेजा गया है । विनियमों को जल्द ही अधिसूचित किया जायेगा ।

- **संकाय की कमी तथा निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली पर कृत बल**

गुणवत्ता युक्त संकाय की कमी को दूर करने तथा एक संतुलित, निष्पक्ष तथा पारदर्शी निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली डिजाईन करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु परामर्श करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 14 सितम्बर, 2009 को संकाय की कमी तथा संबद्ध मुद्दे के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कृत बल की नियुक्ति की । कृतबल के निम्नवत सदस्य हैः–

I. प्रो0 संजय ढ़ाडे, निदेशक, आईआईटी कानपुर - अध्यक्ष

II. प्रो0 देवी सिंह, निदेशक, आईआईटी, लखनऊ

III. प्रो0 चिरंजीव सेन, आचार्य, आईआईएम बेंगलूरू

IV. प्रो0 वी0 कानन, सम–कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय

V. प्रो0 के0के0 अग्रवाल, पूर्व कुलपति, इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली

VI. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य सचिव

कृत बल के विचारार्थ विषय

- देश में तकनीकी और पेशेवर शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में मौजूदा संकाय की कमी का आंकलन।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक लक्षित सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए तकनीकी और पेशेवर शिक्षा तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा के संबंध में गुणवत्ता युक्त संकाय की आवश्यकता का आंकलन करना ।
- गुणवत्तायुक्त संकाय में अनुमानित कमी को दूर करने हेतु उपचारात्मक नीतियां तथा अन्य उपायों का सुझाव देना ।
- देश भर में तकनीकी शिक्षा, पेशेवर शिक्षा तथा विश्वविद्यालयी प्रणाली के संबंध में संकाय का निष्पादन मूल्यांकन करने हेतु एक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक संतुलित, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा बहुत स्रोत आधारित निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को तैयार तथा विकसित करना ।

कृत बल की 14 बैठक आयोजित हुई तथा इसने 9 अगस्त, 2011 को सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी ।

कृत बल की मुख्य सिफारिशें

संकाय की कमी तथा निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को तैयार करने संबंधी रिपोर्ट में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में वर्ष 2008 के दौरान संकाय की मौजूदा संख्या 6,99,644 थी । इसके आधार पर परिकलन करते हुए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:20.9 बनता है जबकि यह 1:13.5 (स्नातकोत्तर तथा शोध छात्रों के लिए 1:12 तथा स्नातक पूर्व छात्रों के लिए 1:15) होना चाहिए । इसलिए वर्ष 2008 की स्थिति के अनुसार 3,83,868 और संकाय सदस्यों की आवश्यकता थी जिससे यह कमी मौजूदा संख्या की 54 प्रतिशत बनती है । यह 40 प्रतिशत तक की सामान्यतः पाई जाने वाली कमी से कहीं अधिक है ।

पिछले अनेक वर्षों के छात्र नामांकन आंकड़ों पर विचार करते हुए वार्षिक विकास लगभग 6 प्रतिशत रही है । इसलिए वर्ष 2007 तक अर्थात् बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल अनुमानित संकाय संख्या 13,17,332 तक हो जायेगी ।

सरकार / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत उपाय किए गए हैः–

- कनिष्ठ और वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति की दर में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि करना ।
- विज्ञान आधारित शिक्षा और विश्वविद्यालय में अनुसंधान को सुदृढ़ करना ।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनुसंधान पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुदान का संवितरण ।
- शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले शोध अनुदान में वृद्धि करना ।
- विश्वविद्यालय संकाय की कमी को दूर करने के लिए सहायक / अतिथि संकाय की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान करना ।
- संकाय हेतु संविदागत नियुक्तियों को अनुमति प्रदान करना ।
- अकादमिक स्टाफ कॉलेजों का पुर्नरूद्धार करना ।

संकाय की कमी तथा निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को तैयार करने के संबंध में कृतबल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने और निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2012 के कार्यालयी आदेश संख्या एफ0 सं0 4–48/2009–यूआईए के माध्यम से एक कार्यान्वयन निगरानी समिति का गठन किया गया है ।

कार्यान्वयन तथा निगरानी समिति के निम्नवत सदस्य हैः

प्रो0 संजय ढाड़े, निदेशक, आईआईटी कानपुर – अध्यक्ष

प्रो0 वेद प्रकाश, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

प्रो0 देवी सिंह, निदेशक, आईआईएम, लखनऊ

प्रो0 चिरंजीव सेन, आचार्य, आईआईएम बंगलूरू

प्रो0 वी0 कानन, सम–कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद

प्रो0 के0 के0 अग्रवाल, पूर्व कुलपति, इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो0 फुरकान कमर, कुलपति, हिमाचल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला

प्रो0 के.सी. रेड्डी, पूर्व अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, हैदराबाद

प्रो0 बिजेन्दर नाथ जैन, कुलपति, बिट्स पिलानी, राजस्थान

डॉ0 निलोफर ए0 काजमी, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली – सदस्य सचिव

- **वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, अनुमोदन, अनुसमर्थन तथा संकल्प**

  - अध्यक्ष द्वारा महाविद्यालयों के अतिरिक्ति अनुदान की योगजना के तहत आवंटित अनुदान के 75 प्रतिशत की बजाय 90 प्रतिशत संस्वीकृत करने हेतु लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया तथा यह भी निर्णय लिया कि शेष 10 प्रतिशत अनुदान का कुल आवंटित अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर जारी किया जाये ।

  - यह निर्णय लिया कि ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल / पीएचडी के अवार्ड हेतु न्यूनतम मानदंड) विनियम, 2009''संबंधी स्थायी समिति की दिनांक 26 अप्रैल, 2010 को हुई बैठक के कार्यवृत्तों के फलस्वरूप उत्पन्न मुद्दों पर पुर्नविचार किया जाए। आयोग ने आगे यह निर्णय लिया कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएचडी डिग्री की पेशकश करने वाले मुक्त विश्वविद्यालय के मुद्दे से जुड़े अवस्थिति टिप्पण को विधिक राय प्राप्त करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल / पीएचडी आवार्ड करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड) विनियम, 2009 के उपबंधों पर विचार करने के उपरांत आयोग के समक्ष रखा जाये ।

  - विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमी स्टॅाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्च शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु उपाय, 2010 संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में संशोधनों को मंजूरी दी गई ।

  - यह निणर्य लिया गया कि एक ईएमएमआरसी जो बेहतरीन कार्य कर रहा हैं उसकी केन्द्र सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थानों में से पहचान की जाये तथा उसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित मीडिया केन्द्र के प्रभावी कार्यकरण हेतु एक खाका तैयार करने के लिए चिन्हित वित्तपोषण प्रदान किया जाये ।

  - इंजीनियरी, मेडिकल, नर्सिंग, दन्त चिकित्सा और कृषि कॉलेजों को अनुदान जारी करने के मुद्दे पर विचार कर निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

    - इन संस्थाओं द्वारा संबंधित परिषदों से प्राप्त की जा रही वित्तीय सहायता के बारे में स्थिति टिप्पण तैयार किया जाए ।

    - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन संस्थाओं, जो संबंधित राज्य सरकारों से अनुदान सहायता प्राप्त कर रही हैं एवं स्ववित्तपोषित नहीं हैं, को कुछ योजनाओं जैसे प्रमुख / लघु अनुसंधान परियाजनाओं, यात्रा अनुदान, सेमिनार / परिसंवाद / कार्यशाला आदि के आयोजन हेतु गैर–विकास अनुदान देना जारी रख सकता हैं ।

- इस बात के मद्देनजर कि एकल बालिका हेतु पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कालरशिप योजना से बालिकाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलती हैं तथा इस योजना के लोकप्रिय होने से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ गई है । इसके दिशानिर्देशों में किए गए परिवर्तनों को मंजूरी दी गई तथा इस योजना के अंतर्गत 1200 स्लॉट की अधिकतम सीमा हटाने का निर्णय लिया गया। आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि इस संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध निधियों से की जाए।

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं निःशक्त व्यक्तियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी दर बढ़ाने के प्रति समर्पित मौजूदा योजनाओं की समीक्षा एवं सुदृढ़ीकरण हेतु तथा उनके डिजाइन एवं सुपुर्दगी तंत्र के संदर्भ में 12वीं योजना के दौरान नए उपाय सुझाने हेतु पांच विशेषज्ञ समितियों के गठन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही का अनुसमर्थन करना ।

- सहायक रजिस्ट्रार और समकक्ष पदों (जैसे दिल्ली के कालेजों आदि के मामले में सहायक वित्त अधिकारी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, प्रशासनिक अधिकारी) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने अर्थात् 5 प्रतिशत अंक छूट प्रदान करने के मामले को मंजूरी दी गई जैसी मांग दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन द्वारा अपने उन आंतरिक अभ्यर्थियों के लिए की गई थी जो सेक्शन ऑफिसर या समकक्ष पद पर कार्यरत हैं तथा जिन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि 19 सितम्बर, 1991 से पहले प्राप्ति की हैं ।

- सरकारी निजी भागीदारी'' के संबंध में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को मंजूरी प्रदान की गई तथा यह तय किया गया कि इस रिपोर्ट की एक प्रति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास विचारार्थ भेजी जाए ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ईडी, सीआईएल (इंडिया) लिमिटेड और मैसर्स प्लानेट ई–काम साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए प्रारूप समझौते को मंजूरी दी गई । 42 (बयालीस) महीने की कुल अवधि के लिए कुल परियोजना लागत रू. 58,42,000 (अट्ठावन लाख बयालीस हजार रूपये) के दिए गए ठेके को भी मंजूरी दी गई तथा यह तय किया गया कि इस समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर किए जाए तथा ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड को यह अनुरोध करते हुए यह सूचना भेजी जाए कि ठेके की शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य शुरू किया जाए तथा साथ ही भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य समय से पूरा हो ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्ति प्राप्त व्यक्तियों को केनरा बैंक के माध्यम से अध्येतावृत्ति धनराशि का सीधे संवितरण किए जाने के मुद्दे को मंजूरी दी गई ।

- यह तय किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों को निम्नलिखित नौ विधि विश्वविद्यालयों को सीधे भुगतान किया जाए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत सम्मिलित हैं लेकिन वेतन उद्देश्यों के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान नहीं प्राप्त कर रहे हैं:

    - एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद,
    - एचएन लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर
    - गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर,
    - नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर,
    - नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल
    - राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटियाला
    - नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर
    - द तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई
    - द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता

आयोग ने आगे यह भी तय किया कि उन विधि विश्वविद्यालयों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु पात्र नहीं है, को भी एकमुश्त "कैच–अप ग्रांट" मंजूर की जाए जैसी मंजूरी उन विश्वविद्यालयों को भी दी जा रही है, जो राज्य की देख रेख में हैं ।

- यह तय किया गया कि "इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु उपयुक्त घोषित किए गए है, को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता की धनराशि एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर दो करोड़ रूपये कर दी जाए ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा (एक) चुनिन्दा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्राचीन भाषाओं – कन्नड़ और तेलुगू के केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रविधियों को स्वीकृति प्रदान करना और (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को दी गई वित्तीय सहायता की मंजूरी के बारे में लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन ।

- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देख–रेख में मानित विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों / कार्यक्रमों हेतु अध्यापक एवं विद्यार्थी अनुपात तथा शिक्षक–गैर शिक्षण कर्मचारी अनुपात के लिए मानदंड संबंधी दिशानिर्देश को मंजूरी दी गई और यह भी तय किया गया कि एकरूपता सुनिश्चित करने तथा स्टॉफ की कमी की समस्या एवं वित्तीय कठिनाइयां, जो पूरे देश के विश्वविद्यालयों के सामने उपस्थित है, का समाधान करने हेतु इन मानकों को देश के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू किया जाए ।

- एलएलएम पाठ्यक्रम की अवधि को दो वर्ष से कम करके एक वर्ष पुनर्गठित करने संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया तथा इसे पुनर्गठित करने हेतु सिद्धांत रूप में सहमत हुए । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अग्रिम रूप देने के लिए यह निर्णय लिया गया कि मसौदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एलएलएम डिग्री – एक वर्ष अवधि) विनियम, 2011 को अंतिम रूप देने के तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाने तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से निष्णांत उपाधि प्रदान करने हेतु अनुदेशों के (न्यूनतम मानदंड) विनियम, 2003 में पुनर्गठन कर इसमें एलएलएम कार्यक्रम के अनुरूप संशोधन किया जाये ।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों हेतु कार्यान्वित की जा रही मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया तथा योजना के तहत पेशकश की जा रही अध्येतावृत्तियों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना करने हेतु मामले को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ उठाने का निर्णय लिया । वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 756 अध्येतावृत्तियों की पेशकश की जा रही है ।

- नई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट के विकास तथा होस्टिंग एवं सूचना और ग्रंथालय नेटवर्क केन्द्र (इन्फलीबनेट) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए अनुदानों के प्रबंधन हेतु वेब आधारित इंटरफेस को अनुमोदित किया तथा यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परियोजना पर हुए वास्तविक व्यय को वहन करना चाहिए ।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना में "राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना" संबंधी योजना को जारी रखने को अनुमोदित किया तथा दस चयनित विश्वविद्यालय में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का निर्णय लिया। यह सिफारिश की गई कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में दस और विश्वविद्यालय को जोड़ा जाना चाहिए ।

- यह निर्णय लिया गया कि घटक महाविद्यालय से स्वायत्तता दिए जाने के लिए एनएएसी से पृथक प्रत्यायन लेने को कहा है जब तक कि एनएएसी रिपोर्ट घटक महाविद्यालय के नाम का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता जो मूल विश्वविद्यालय के प्रत्यायन के साथ कवर नहीं है । इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वयं ही किसी संबद्ध या घटक विश्वविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है तथा इसे कोई भी विश्वविद्यालय इसके घटक या संबद्ध महाविद्यालयों को स्वायत्त घोषित नहीं कर सकता है ।

- यह निर्णय लिया गया कि अकादमिक स्टॉफ महाविद्यालय का अपने अभिविन्यास कार्यक्रम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में ई–कंटेंट के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा सीईसी से इस संबंध में आवश्यक मदद मुहैया करवाने का अनुरोध किया जा सकता है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों का संबंधन) विनियम, 2009 में संशोधनों को अनुमोदित किया।

- यह निर्णय लिया कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) द्वारा जारी दिनांक 7 जनवरी, 2005 के अ. शा. पत्र सं. एफ.1 (30)–बी(एसी)/2004 के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की आंतरिक प्राप्तियों से जुटाई गई आरक्षित निधि के प्रबंधन और योजना सृजन को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाये ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी के अवार्ड के लिए न्यूनतम मानदंड) विनियम, 2009 पर स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त के फलस्वरूप पैदा हुए मुद्दे पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि:

  - एक मुक्त विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एमफिल/पीएचडी करवाने की अनुमति दी जाये बशर्ते कि यह ऐसा कड़ाई से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 के उपबंधों के अनुरूप किया जाए ।

  - एमफिल/पीएचडी विनियम, 2009 संबंधी स्थायी समिति द्वारा निर्धारित 11 सूत्री मानदंड को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाये तथा सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में परिचालित भी किया जाये ।

  - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत पीएचडी करने के लिए प्रधान गाईड मुक्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए तथा संयुक्त गाईड, जहां आवश्यक हो, विश्वविद्यालय से बाहर से भी हो सकता है । संयुक्त गाईड के रूप में एक शिक्षक के पर्यवेक्षण में दो से अधिक अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए ।

  - एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण की जाने वाली अकादमिक, प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं के संबंध में विनियम, 2009 में कोई उल्लेख नहीं है ।

  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 में अपेक्षित संशोधन, तदनुसार किए जाएं ।

- विसंगति समिति की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया तथा यह अनुरोध किया कि इन्हें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षक तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति तथा उच्चतर शिक्षा के मानदंडों के अनुरक्षण संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में सम्मिलित किया जाये तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष को विनियमों में संशोधन को अंतिम रूप देने तथा इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अनुमोदन हेतु भेजने के लिए प्राधिकृत किया ।

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय में 279 गैर–शैक्षणिक पदों को संस्वीकृत करने के संबंध में गठित समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया ।

- यह संकल्प लिया कि महाराष्ट्र राज्य के विश्वविद्यालय में विभिन्न शिक्षकों की नियमित आधार पर नियुक्तियों में 19.09.1991 से 03.04.2000 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 1991 के संदर्भ में नेट अर्हता छूट प्रदान की जाती है ।

- प्राणी विज्ञान/जीव विज्ञान में जीव–जंतुओं के विच्छेदन तथा उन पर प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रयोगों को अनुरूपण के माध्यम से करवाने को प्रोत्साहित किया जाये ।

- यह निर्णय लिया कि मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान तथा विधिक अध्ययन में निष्णांत उपाधि धारक किसी भी अभ्यर्थी को महिला अध्ययन विषयों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित नेट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केनरा बैंक के बीच अल्पसंख्यकों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत अध्येतावृत्ति सीधे ही अवार्डी के खाते में जमा किए जाने के एक मसौदा करार को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि इसे

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू की जा रही अन्य अध्येतावृत्ति योजनाओं पर भी लागू किया जाये । आगे यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कर्मचारिवृंद की अत्यंत कमी के मद्देनजर बारहवीं पंचवर्षीय योजना से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय इन योजनाओं का स्वयं संचालन करें।

- यह निर्णय लिया गया कि वे संस्थान, सम विश्वविद्यालय राज्य निजी विश्वविद्यालय तथा स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय जिन्हें 12ख का दर्जा दिया गया है, उन्हें शिक्षकों तथा छात्रों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाये बशर्ते कि उनके द्वारा प्रभारित शुल्क राज्य/विश्वविद्यालय शुल्क विनियम, अथवा लागू किसी भी विनियम के अनुरूप हो ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्यायन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने तथा कुऑऊ विश्वविद्यालय को सेट परीक्षा आयोजित करवाने हेतु नामनिर्दिष्ट करने के निर्णय की अभिपुष्टि की गई ।

- यह निर्णय लिया कि महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियिम, 1956 की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के तहत सम्मिलित करने हेतु सभी अनुमोदनों तथा पालन की गई प्रक्रियाओं के संबंध में आयोग को जानकारी दी जाये । महाविद्यालयों को धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के तहत सम्मिलित किए जाने के संबंध में कार्योत्तर मंजूरी प्रदान किए जाने के संबंध में आगे यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुरूप माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दायर करना चाहिए ।

- उन महाविद्यालयों में जहां अनुदान की पहली किस्त का उपयोग कर लिया है वहां निगरानी समितियों के दौरे की प्रत्याशा में दूसरी किस्त के रूप में 40 प्रतिशत अनुदान को जारी किए जाने हेतु सीपीई योजना के संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में संशोधन को अनुमोदित कर दिया गया है। अनुदान के 10 प्रतिशत भाग को निगरानी समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाए। आगे यह निर्णय लिया गया कि स्व वित्तपोषित महाविद्यालयों को भी योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र बनाया जाये।

- यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियिम की धारा 12 ख के तहत विश्वविद्यालय को सम्मिलित करने हेतु विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट लिखने हेतु प्रारूप का मानकीकृत प्रारूप तैयार किया जाये ताकि रिपोर्ट में कोई संगत जानकारी न छूट जाये ।

- अध्यक्ष ने 10–11 अक्तूबर, 2011 को उच्चतर शिक्षा में सुधार करने संबंधी सम्मेलन के बारे में संक्षेप में जानकारी दी जिसे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था । सदस्यों का वांशिगटन में आयोजित हुए भारत–अमेरिका उच्चतर शिक्षा सम्मेलन के निष्कर्षों से अवगत कराया गया ।

- यह निर्णय लिया गया कि प्रो0 योगेन्द्र यादव, आयोग सदस्य, सेबी, मुंबई के प्रो0 मोहन गोपाल तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डॉ0 के.पी. सिंह, संयुक्त सचिव (सीपीपी–II) की सदस्यता में हितों के टकराव तथा आचार संहिता संबंधी एक समिति का गठन किया जाये ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत आठ नए क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित करने के निर्णय की अभिपुष्टि की गई तथा यह निर्णय लिया कि :

  - क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को अपने अभिकेन्द्रित देशों में मौजूदा शैक्षणिक नीतियों पर अध्ययन कार्य करना चाहिए ।

  - इन केन्द्रों की विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के साथ सतत् परस्पर वार्ता होती रहनी चाहिए।

  - इन केन्द्रों को भारत और अपने अभिकेन्द्रित देश के बीच महत्वपूर्ण सामग्रियों के स्रोत, जिसमें सहयोग के क्षेत्र तथा शैक्षणिक अवसंरचना के भंडार के रूप में उभरना चाहिए।

- क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को विदेशों में भारतीय उच्चतर शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और भारत को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रूप में संवर्धन करने हेतु प्रयास करने चाहिये।

- केन्द्रों को विदेशों में भारतीय केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए ।

- यूनाईटेड किंगडम इंडिया एजूकेशन एण्ड रिसर्च इनीशिएटिव (यूकेआईईआरआई) के संयुक्त प्रचालन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और महारानी की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे ब्रिटिश काऊंसिल के बीच दिनांक 16.8.2011 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को नोट कर लिया गया।

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय येाजना अवधि के संस्वीकृत शिक्षण पदों को भरने हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रथम उत्तरदायित्व के रूप में समय विस्तार के अनुरोध को अनुमोदित कर दिया । आगे यह निर्णय लिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में स्पष्टता के अभाव के चलते विश्वविद्यालय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के मद्देनजर एक विशेष मामले के रूप में वेतन शीर्ष के तहत की गई बचतों का आवर्ती तथा अनावर्ती मदों में पुर्नविनियोजन करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया जाये । इस विशेष मामले को भविष्य में एक पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा ।

- पूर्वोत्तर राज्यों के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के वर्चुअल क्लासरूम सुविधा पर डीपीआर तथा इसके कार्यान्वयन हेतु 26.06 करोड़ रू0 के कुल बजटीय आवंटन का अनुमोदन ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों का संबंधन) विनियम, 2009 में प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित किया तथा यह महसूस किया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्राों में भूमि की उपलब्धता में समस्या के मद्देनजर अवसंरचना को भी स्वीकृति दी जाए ।

- भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसार योजनागत अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुमोदित किया।

- आवर्ती अनुदानों हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) को प्रस्तुत किया जाना होता है।

- आवर्ती अनुदान के मामले में, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए संस्वीकृत कुल धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक की सहायता अनुदान को केवल उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा पिछले वर्ष जारी की गई अनुदान सहायता से संबंधित वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण को संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार जमा करने पर ही जारी किया जाएगा।

- ''विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में वित्तपोषण के पैटर्न पर अवस्थिति रिपोर्ट तैयार करना तथा गुणवत्ता पर उनका प्रभाव ''संबंधी अनुसंधान परियोजना को अनुमोदित करना ताकि मानदंड आधारित वित्तपोषण मॉडल के सूचकों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए तैयार किया जा सके और इसके कार्यान्वयन हेतु 1.50 लाख रूपये अनुमोदित किए गए।

- छह केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् असम विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 118 गैर–शैक्षणिक पदों को अनुमोदित किया।

- नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय को जारी किया गया योजनागत अनुदान के लेखाओं की लेखापरीक्षा संबंधी मुद्दे का अनुमोदन।

- ''विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र ''(सीपीईपीए) संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया तथा योजना के तहत मानदंड आधारित चयन करने की संभावना का पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया । मानविकी तथा साथ ही सामाजिक विज्ञान की विधाओं में भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रयास किए जाएं ।

- एमआरपी / नेट की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं के तहत कार्यरत शोध अध्येताओं के संबंध में अध्येतावृति धनराशि के संशोधन को अनुमोदनः–
    - गैर–गेट / गैर–नेट अभ्यथी– (एक) प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 14,000 / – प्रतिमाह (दो) तृतीय वर्ष तथा उसके बाद 16,000 / – प्रतिमाह।
    - गेट / जीपीएटी / नेट अभ्यर्थी – (एक) प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 16,000 / –रूपये प्रतिमाह (दो) तृतीय वर्ष और उसके बाद 18,000 / – प्रतिमाह।

  आगे यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में जब कभी भी नेट / कनिष्ठ–वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के संबंध में अध्येतावृत्ति धनराशि में संशोधन करने का निर्णय लिया जाता है, तो इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ऐसी सभी योजनाओं में लागू किया जाना चाहिए जिनमें छात्रों को अध्येतावृत्ति की पेशकश की जाती है ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनिमय, 1956 की धारा 12(ख) के तहत शामिल सार्वजनिक निधि द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच 'ऑपरेशन फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम' के तहत संशोधित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन ।

- यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समितियों में कार्यरत विशेषज्ञों के लिए 'आचार संहिता'' तैयार की जाये तथा आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाए ।

- यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा आयोग के सदस्यों की एक समिति का गठन विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं के तहत विशेषज्ञ समितियों द्वारा रिपोर्ट लेखन हेतु प्रारूप के मानकीकरण को अंतिम रूप देने के लिए किया जाये ।

- जिन विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 31.3.2007 अथवा उससे पूर्व आयोजना तथा अनुमानों के संबंध में पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना अपनी दसवीं भवन आयोजना आरंभ कर दी परंतु इसे 31.3.2009 तक पूर्ण कर लिया गया । ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा किए गए व्यय को इस शर्त के अध्यधीन कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उस भवन के लिए आवंटन किया गया हो, स्वीकृति दिए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव) विनियम, 2010 की समीक्षा तथा पुनरीक्षा हेतु एक समिति का गठन करने हेतु की गई कार्यवाही का अनुसमर्थन ।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन करने हेतु दौरा करने वाले विशेषज्ञ समितियों को गठित करने की पद्धति को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा अर्हक विश्वविद्यालय से संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया आगे यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय को उनके मार्गदर्शन हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताओं और उनके द्वारा प्रस्ताव भेजने हेतु एक प्रारूप उपलब्ध कराया जाये ।

- यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय का अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन) विनियम, 2011 के मसौदे में निम्नलिखित को विचाराधीन रखते हुए कुछ संशोधन किया जायेः–
    - शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में छात्र की एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में भूमिका को स्वीकार करना ।
    - गुणवत्ता विकास प्रक्रिया में छात्र प्रतिप्राप्ति के मूल्य को पहचानना ।
    - उन भारतीय भाषाओं, जिन्हें संबंधित विश्वविद्यालय अनुदेश / परीक्षा के विषय के रूप में मान्यता प्रदान करता है, में शिक्षण–ज्ञान अर्जन सामग्री की निगरानी पर बल देना ।

  आगे यह निर्णय लिया गया कि मसौदा विनियम में निम्नलिखित बदलाव किए जायें ।

- पैरा 7.11 – आईक्यूएसी की संरचना में दो छात्र प्रतिनिधियों को समिति के सदस्य के रूप में भी सम्मिलित किया जाये। छात्र प्रतिनिधियों का चयन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जाएगा।

- पैरा 12.2 – आयोग इस पैरा की विषय–वस्तु पर सहमत है परंतु यह निर्णय लिया गया कि इसे अधिक सकारात्मक भाषा में पुर्नपरिभाषित करने की आवश्यकता है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 ख के तहत कवर महाविद्यालय हेतु ''अतिरिक्त अनुदान'' की अधिकतम सीमा को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 25.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 50.000 लाख रूपये किया जाये और निर्णय लिया गया कि:–

  - आवंटन में वृद्धि सभी महाविद्यालयों पर लागू की जाये।

  - स0आ0 के शेष 90 प्रतिशत सभी महाविद्यालयों को जारी किया जाये तथा तत्पश्चात् सभी महाविद्यालयों से एक समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र मंगवाया जाये।

  - संशोधित आवंटन का 90 प्रतिशत भाग उन महाविद्यालय को जारी किया जाये जिन्होंने योजना के तहत नये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए जिन्होंने योजना के तहत नये प्रस्ताव प्रस्तुत किए है तथा पूर्व में कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया।

  - विश्वविद्यालय के मामले में आगे 2.00 करोड़ रूपये (दो करोड़ रूपये) के बढ़े हुए आवंटन का 90 प्रतिशत उन सभी विश्वविद्यालय को जारी किया जाये जिन्हें पूर्व में अनुदान प्राप्त हो गया था तथा तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र मंगावाये जायें।

- यह निर्णय लिया गया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) हेतु उच्चतर शिक्षा के खाके पर विचार करने के लिए प्रो0 योगेन्द यादव, आयोग सदस्य, डॉ0 के. गुनाशेखरन, अतिरिक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्री ए. के. डोगरा, स0 सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तथा डॉ0 के.पी. सिंह, स0 सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यता में एक समिति का गठन किया जाये।

- पुदुचेरी में नये मीडिया केन्द्र की स्थापना हेतु दौरा करके आयी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि लघु सूचीबद्ध अन्य पांच विश्वविद्यालय का भी दौरा किया जाये।

- ग्रंथालयों के स्वचालन संबंधी दिशानिर्देशों तथा ग्रंथालयों के स्वचालन हेतु 24 विश्वविद्यालयों को 195.60 लाख रू0 उपलब्ध करवाने के लिए विशेषज्ञ समिति को सिफारिशों को अनुमोदित किया। आगे यह निर्णय लिया गया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विश्वविद्यालय को आवर्ती अनुदान का भुगतान किया जाये तथा दिशानिर्देशों को तदनुसार आशोधित किया जाये।

- यह निर्णय लिया कि नेट/सेट हेतु श्रेणी वार पात्रता मानदंड को निम्नानुसार निर्धारित किया जाए:–

श्रेणी	न्यूनतम अर्हता अंक			
	प्रश्न पत्र-I	प्रश्न पत्र-II	प्रश्न पत्र-I +प्रश्न पत्र-II	प्रश्न पत्र-III
सामान्य	40 (40%)	40 (40%)	100 (50%)	100 (50%)
अपिव	35 (35%)	35 (35%)	90 (45%)	90 (45%)
अजा/अजजा शारीरिक रूप से निशक्त/दृष्टि बाधित	35 (35%)	35 (35%)	80 (40%)	80 (40%)

आगे यह निर्णय लिया गया कि प्रश्न पत्र –III को जून, 2012 में निर्धारित आगामी परीक्षा से वस्तुनिष्ठ प्रकार में परिवर्तित किया जाये। नेट परीक्षा की तर्क संगतता तथा आवश्यकता की भी जांच की जाये।

- छह विश्वविद्यालय अर्थात् बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय को यूपीई दर्जा प्रदान किए जाने के लिए यूपीई संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया।

आगे यह निर्णय लिया कि योजना के तहत प्लॉटों की संख्या को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत बढ़ाकर कम से कम 10 किया जाये तथा योजना का नाम में परिवर्तन किया जाये ।

- केनरा बैंक द्वारा सभी योजनाओं के अवार्डियों को अध्येतावृत्ति के आबंटन के भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से करने को अनुमोदन तथा दिया यह निर्णय लिया कि प्रत्येक अध्येतावृत्ति योजना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केनरा बैंक के बीच एक पृथक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं ।

- पूर्व की पंचवर्षीय योजना अवधियों में आयोग द्वारा लिए गए पिछले निर्णयों के मद्देनजर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत ''वेतन'' से ''अन्य मद'' शीर्ष में पुनर्विनियोजन को अनुमोदित किया ।

- यह निर्णय लिया कि गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार को केवल अनुरक्षण अनुदान ही जारी किया जाये । आगे यह निर्णय लिया गया कि छह विश्वविद्यालय अर्थात् बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी, विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटियाला, श्री चन्द्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, मुंचीपुरम तथा गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार को सामान्य विकास अनुदान जारी न करने का निर्णय लिया गया ।

- यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विद्या में विशेषज्ञों के पैनलों की पूर्व रीति को पुनः प्रचलन में लाया जाए । आयोग द्वारा उन पैनलों के गठन तथा कार्यकरण हेतु दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए ।

- हितों में टकराव तथा सदावचार और आचार संहिता संबंधी समिति द्वारा तैयार किए गए विचारार्थ विषयों (टीओआर) को अनुमोदित किया ।

- विशेषज्ञ समिति द्वारा 13 वृहद विद्याओं के तहत विनिर्दिष्टताओं हेतु संस्तुत 127 उपाधियों के नाम को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि समिति अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे दोहरी उपाधि तथा बी.एस. कार्यक्रम को सम्मिलित करने पर विचार करे ।

- विधि शिक्षा के पुनर्गठन संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया ।

- मसौदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का संबंधन– प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 को अनुमोदित किया ।

- उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम का प्रथम संशोधन, 2012।

- निदेशक इन्फलीबनेट, अहमदाबाद द्वारा तैयार किए गए ''इलेक्ट्रॉनिक थीसीस प्रस्तुतीकरण'' संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया ।

- यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अकादमिक स्टाफ कॉलेज संबंधी मुद्दों की जांच करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया जाये और समिति से अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय को और अधिक जीवंत बनाने के लिए एक खाका तैयार करने हेतु अनुरोध किया जाये । बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित शिक्षक मिशन के उद्देश्यों पर भी समिति द्वारा विचार किया जाये ।

- यह निर्णय लिया गया कि ''राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल पुरस्कार पाने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा'' के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार मसौदा दिशानिर्देशों की आयोग के डॉ0 वी.एस. चौहान, प्रो0 मीनाक्षी गोपीनाथ तथा प्रो0 योगेन्द्र यादव की सदस्यता में गठित एक समिति द्वारा समीक्षा की जाये और इसे अंतिम रूप दिया जाए ।

- यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोध वैज्ञानिक संघ, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों के समकक्ष वेतनमान, स.म.नि. तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु, सीएएस के तहत प्रोन्नति आदि के संबंध में उठाए गए विभिन्न मुद्दों के मामलों को टिप्पणियों हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से व्यय विभाग को भेजा जाये ।

- राज्य / केन्द्रीय / सम विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय को आमेलित योजनाओं सहित (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनागत विकास अनुदान तथा अन्य योजनागत अनुदान के विभिन्न घटकों के उपयोग हेतु 31 मार्च, 2012 से आगे समय बढ़ाने के मुद्दे पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि उन मामलों में जहां 31 मार्च, 2012 से पूर्व भवन निर्माण कार्य आरंभ हो गया था उन्हें भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 31 मार्च, 2014 तक दो वर्ष का समय विस्तार दिया जाये । आगे संकाय पद को छोड़कर अन्य मदों पर किए जाने वाले व्यय को 30 सितम्बर, 2012 तक बढ़ाने को भी अनुमोदित किया ।

- यह निर्णय लिया गया कि उन विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास तथा आमेलित योजना के तहत 5.00 करोड़ रू0 का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाये जिन्हें हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत सम्मिलित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि एक राज्य विश्वविद्यालय जिसने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एकमुश्त कैच अप अनुदान योजना के तहत अनुदान प्राप्त किया है, उसे केवल आमेलित योजना के तहत 2.00 करोड़ रू0 का अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। आगे यह भी निर्णय लिया गया कि यह निर्णय उन सभी राज्य विश्वविद्यालय पर लागू होगा जिन्हें 31 मार्च, 2012 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत सम्मिलित किया गया है।

- यह भी निर्णय लिया गया कि डॉ0 विद्या येरावडेकर, आयोग सदस्य, डॉ0 वी.एस. चौहान, आयोग सदस्य, डॉ0 जी.के. मेहता, पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और श्री एस.सी. चड्ढा, स0 सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्य सचिव) की सदस्यता में राज्य निजी विश्वविद्यालय के मूल्यांकन के मानदंडों को परिभाषित करने तथा राज्य निजी विश्वविद्यालय के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रारूप को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए ।

- यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष नवीन स्वायत्त दर्जा प्रदान करने तथा महाविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए 3–4 सदस्यों की स्थायी समिति का गठन करे तथा सिफारिशों को आयोग के समक्ष रखे । रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की असंगतियों के संबंध में आयोग को सूचित किया जाये ।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विकास: कुछ आँकड़े

2

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) के अन्तर्गत आयोग द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(झ) के अन्तर्गत उस विश्वविद्यालय में शुरू की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की वित्तीय स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के संबंधित जानकारी को भेजने को कह सकता है जिसमें उस विश्वविद्यालय में ज्ञान–अर्जन की प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के स्तर सहित सभी नियम और विनियमन शामिल हैं।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय थे और उच्च शिक्षा पद्धति में 2.1 लाख छात्रों और अध्यापकों की संख्या काफी कम थी। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी की संख्याओं में काफी वृद्धि हुई हैं। अब यह एक सुस्थापित तथ्य है कि विश्वविद्यालयों की संख्या में 29 गुना वृद्धि हुई है, महाविद्यालयों की संख्या में 71 गुना वृद्धि हुई है और उच्च शिक्षा की औपचारिक पद्धति में छात्रों की भर्ती 97 गुनी बढ़ी है। विश्वविद्यालयों अथवा विशेष रूप से महाविद्यालयों जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विकास के बिना छात्र नामांकन और पाठयक्रमों में दाखिले की क्षमता में इतनी वृद्धि कभी सम्भव नही हो पाती । संस्थानों तथा नामांकन में वृद्धि यह दर्शाता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2012 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के निर्धारित 15 प्रतिशत के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया गया है ।

2.1 संस्थान

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (31.03.2007) तक देश में 363 विश्वविद्यालय (20 केन्द्रीय, 229 राज्य, 109 सम विश्वविद्यालय तथा 5 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंर्तगत स्थापित किए गए थे) और 21,170 महाविद्यालय थे। 11वीं योजना के अन्त तक (31.03.2012) विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 574 (44 केन्द्रीय, 129 समविश्वविद्यालय एवं 397 राज्य विश्वविद्यालय एवं 4 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंर्तगत स्थापित किए गए थे) और महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 35,539 हो गई और इस प्रकार विश्वविद्यालयों की संख्या में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के आंकडों की तुलना में महाविद्यालयों की संख्या में 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जहां तक राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों का प्रश्न है तमिलनाडु राज्य सूची में सबसे ऊपर है जहाँ पर 55 विश्वविद्यालय है और इसके बाद उत्तर प्रदेश (54), तत्पश्चात राजस्थान (47), आन्ध्र प्रदेश (43) आदि है और तालिका 2.2 द्वारा यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों की संख्या में काफी असमानता है।

तथापि, राज्यों में विद्यमान महाविद्यालयों की संख्या में काफी असमानता है, जैसा कि **संलग्नक VII** द्वारा देखा जा सकता है यदि तुलनात्मक रुप से देखा जाए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2008) के आरम्भ के परिशुद्ध आंकडों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में 2303 महाविद्यालयों के साथ सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की गई और इसके बाद राजस्थान (1576), महाराष्ट्र (1473) , आन्ध्र प्रदेश (1286), तमिलनाडु (1113), आदि है। यह भी देखा गया कि जो राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में महाविद्यालयों की संख्या लगभग नयूनतम ही रही।

वर्ष 2011–2012 के दौरान 2575 नये महाविद्यालयों को स्थापित किया गया और इस प्रकार वर्ष 2010–2011 के 32964 महाविद्यालयों की तुलना में वर्ष 2011–2012 के दौरान महाविद्यालयों की कुल संख्या 35539 थी और इस प्रकार इसमें लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के 15 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को पूरा करने के अधिकाधिक विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों खोलने और मौजूदा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने के प्रयास किये गये है।

वित्त वर्ष 2011–2012 के अन्त तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अन्तर्गत पिछले साल की 7802 मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की तुलना में यह संख्या 8288 थी । इन 8288 मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में से 1501 (18%) महाविद्यालय ऐसे हैं जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2012 तक) के दौरान दसवीं पंचवर्षीय योजना की 6353 के आंकड़ों की तुलना में 1935 (30.46 प्रतिशत) महाविद्यालयों को आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई हैं ।

ब्यौरे निम्नवत हैं :

दिनांक को स्थिति	धारा 2 (च) और 12 ख के अन्तर्गत महाविद्यालयों की संख्या	केवल धारा 2 (च) के अन्तर्गत महाविद्यालयों की संख्या (12 ख के तहत शामिल नहीं)	मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या
31.03.2007 (दसवीं पंचवर्षीय योजना का अंत)	5661	691	6353
31.03.2008	5819	954	6773
31.03.2009	5936	1240	7176
31.03.2010	6028	1422	7450
31.03.2011	6417	1385	7802
31.03.2012	6787	1501	8288

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) एवं धारा 12(ख) के अन्तर्गत जिन महाविद्यालयों को सम्मिलित किया गया हैं उनकी 31.03.2012 के अनुसार राज्य–वार संख्या निम्नवत हैं :–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नवत के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		2 (च) एवं 12 (ख)	केवल 2 (च) के अन्तर्गत सम्मिलित (12 (ख) के तहत नहीं)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	468	72	540
2.	अरूणाचल प्रदेश	8	2	10
3.	असम	229	30	259
4.	बिहार	337	29	366
5.	छत्तीसगढ	143	6	149
6.	गोवा	25	4	29
7.	गुजरात	387	30	417
8.	हरियाणा	157	5	162
9.	हिमाचल प्रदेश	52	4	56
10.	जम्मू और कश्मीर	80	83	163
11.	झारखण्ड	97	14	111
12.	कर्नाटक	538	184	722
13.	केरल	233	8	241
14.	मध्य प्रदेश	398	78	477
15.	महाराष्ट्र	971	144	1115
16.	मणिपुर	50	7	57
17.	मेघालय	29	6	35

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नवत के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		2 (च) एवं 12 (ख)	केवल 2 (च) के अन्तर्गत सम्मिलित (12 (ख) के तहत नहीं)	
18.	मिजोरम	21	4	25
19.	नागालैण्ड	26	2	28
20.	उड़ीसा	376	55	431
21.	पंजाब	216	12	228
22.	राजस्थान	218	55	273
23.	सिक्किम	6	5	11
24.	तमिलनाडु	311	102	413
25.	त्रिपुरा	18	0	18
26.	उत्तर प्रदेश	829	528	1357
27.	उत्तराखण्ड	49	6	55
28.	पश्चिम बंगाल	402	13	415
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	4
30.	चण्डीगढ़	18	0	18
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
32.	दमन और द्वीव	1	0	1
33.	दिल्ली	79	4	83
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	13	6	19
	कुल	6787	1501	8288

वर्ष 2011–2012 के दौरान, कुल **574** विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान थे – **286** राज्य , **111** राज्य निजी, **44** केन्द्रीय, **129** समविश्वविद्यालय एवं **चार** ऐसे संस्थान थे जिन्हें राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। इनमें से **397** राज्य और राज्य निजी विश्वविद्यालय **104** राज्य विश्वविद्यालय एंव **110** राज्य निजी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 (ख) के तहत केंद्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं **(परिशिष्टः I एवं II)** । रिपोर्टाधीन वर्ष, 2011–12 के दौरान कुल मिलाकर, **21** राज्य विश्वविद्यालय, **31** राज्य निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची के में शामिल किया गया और **12** विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया। वि.अ.आ. ने वि.अ.आ. की धारा 2 (च) के अन्तर्गत दिनांक 13 अगस्त, 2007 से विश्वविद्यालयों की मान्यता पर रोक लगा दी हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान जिन राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया उनका विवरण निम्नलिखित हैः–

आन्ध्र प्रदेश

1. राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी, गचिवोउली, हैदराबाद (राज्य विश्वविद्यालय)
2. श्री वेंकटश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरूपति (राज्य विश्वविद्यालय)

असम

3. असम डॉऊन टॉउन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी (निजी विश्वविद्यालय)
4. असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ को–ऑपरेटिव, मैनेजमेंट, सिवासागर, गुवाहाटी (राज्य विश्वविद्यालय)

बिहार

5. आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, पटना (राज्य विश्वविद्यालय)

छत्तीसगढ़

6. आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, धामधा, दुर्ग जिला (निजी विश्वविद्यालय)

गुजरात

7. गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर (राज्य विश्वविद्यालय)
8. आर. के. यूनिवर्सिटी, कस्तुरबाधाम, राजकोट (निजी विश्वविद्यालय)
9. यू. के. ए. तरसाडिया यूनिवर्सिटी, गोपाल विद्यानगर, सुरत, जिला (निजी विश्वविद्यालय)

हरियाणा

10. लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एण्ड एनिमल साइंसेज, हिसार (राज्य विश्वविद्यालय)
11. वाई. एम. सी. ए. यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद (राज्य विश्वविद्यालय)
12. महर्षि मार्कण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, सादोपुर अम्बाला जिला (निजी विश्वविद्यालय)
13. एनआईआईएलएम यूनिवर्सिटी, कैथल (निजी विश्वविद्यालय)

हिमाचल प्रदेश

14. हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हमीरपुर (राज्य विश्वविद्यालय)
15. बाहरा यूनिवर्सिटी, वाकनाघाट, सोलन जिला (निजी विश्वविद्यालय)
16. आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, कालूझींडा, सोलन जिला (निजी विश्वविद्यालय)
17. श्री साईं यूनिवर्सिटी, पालमपुर (निजी विश्वविद्यालय)

झारखंड

18. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एण्ड रिसर्च एण्ड लॉ, रांची (राज्य विश्वविद्यालय)

कर्नाटक

19. कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु (राज्य विश्वविद्यालय)
20. केएसजीएच म्यूजिक एण्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी, मैसूर (राज्य विश्वविद्यालय)
21. रानी चिन्नम्मा यूनिवर्सिटी, बेंलागवी (राज्य विश्वविद्यालय)
22. विजयनगर श्री कृष्णादेवराया यूनिवर्सिटी, बेल्लारी (राज्य विश्वविद्यालय)
23. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, डोडाकन्नेली, बेंगलुरु (निजी विश्वविद्यालय)

केरल

24. केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एण्ड ओशियन स्टडीज, कोच्चि (राज्य विश्वविद्यालय)
25. केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, थ्रिसूर (राज्य विश्वविद्यालय)

26. केरल वेटनरी एण्ड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, वायानड (राज्य विश्वविद्यालय)

मध्य प्रदेश

27. एमिटी यूनिवर्सिटी, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर (निजी विश्वविद्यालय)
28. एआईएसईसीटी यूनिवर्सिटी, भोपाल (निजी विश्वविद्यालय)
29. आईटीएम यूनिवर्सिटी, ग्वालियर (निजी विश्वविद्यालय)
30. ओरियंटल यूनिवर्सिटी, विजय नगर, पी0 ओ0, इंदौर (निजी विश्वविद्यालय)
31. पीपुल्स युनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल (निजी विश्वविद्यालय)
32. आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, भोपाल (निजी विश्वविद्यालय)

मेघालय

33. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, लैतुमखराह, शिलॉग (निजी विश्वविद्यालय)
34. विलियम केरी यूनिवर्सिटी, जारम विला, शिलॉग (निजी विश्वविद्यालय)

पंजाब

35. श्री गुरू ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़ साहिब, चंडीगढ़ (निजी विश्वविद्यालय)

राजस्थान

36. होमियोपैथी यूनिवर्सिटी, सांगनेर, जयपुर (निजी विश्वविद्यालय)
37. आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, विलेज जामढोली, जयपुर (निजी विश्वविद्यालय)
38. जे.के. लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, महापुर पी0 ओ0, जयपुर (निजी विश्वविद्यालय)
39. महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, सीतापुर, जयपुर (निजी विश्वविद्यालय)
40. मनीपाल यूनिवर्सिटी, पो0 ठिकारिया, जयपुर (निजी विश्वविद्यालय)
41. प्रताप यूनिवर्सिटी, आमेर, जयपुर (निजी विश्वविद्यालय)
42. राफेल्स यूनिवर्सिटी, जैपनीज जोन, नीमराना (निजी विश्वविद्यालय)
43. सनराईज यूनिवर्सिटी, रामगढ़, अलवर (निजी विश्वविद्यालय)

तमिलनाडु

44. अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मदुरै (राज्य विश्वविद्यालय)

उत्तराखण्ड

45. उत्तराखण्ड ओपन यूनिवर्सिटी, नैनीताल (राज्य विश्वविद्यालय)
46. ग्राफिक ऐरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, बेल रोड क्लेमेंट टाउन देहरादून (निजी विश्वविद्यालय)

उत्तर प्रदेश

47. महामाया टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, नोएडा (राज्य विश्वविद्यालय)

48. मान्यवर श्री काशीराम जी उर्दू, अरबी–फारसी यूनिवर्सिटी, लखनऊ (राज्य विश्वविद्यालय)

49. गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा (निजी विश्वविद्यालय)

50. शिव नादर यूनिवर्सिटी, नोएडा (निजी विश्वविद्यालय)

51. श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, गजरौला, जे0 पी0 नगर (निजी विश्वविद्यालय)

पश्चिम बंगाल

52. प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी, कोलकाता (राज्य विश्वविद्यालय)

वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित **12** विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र घोषित किया है:

1) बाबा फरीद यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेज, फरीदकोट, पंजाब

2) बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, राजौरी कैंप ऑफिस, जम्मू

3) चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना, बिहार

4) डॉ0 राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनउ (उ0प्र0)

5) गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जीआईटीएएम), विशाखापत्तनम

6) केरल कालामंडलम, त्रिसूर, केरल

7) प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

8) श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरूपति (आं0प्र0)

9) तेलंगाना यूनिवर्सिटी, निजामाबाद (आं0प्र0)

10) तुमकुर यूनिवर्सिटी, तुमकुर, कर्नाटक

11) योगी वमन्ना यूनिवर्सिटी, कडप्पा (आं0 प्र0)

12) अन्ना यूनिवर्सिटी, गुंडी, चेन्नई

वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित 5 विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया है:

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का मौजूदा नाम	विश्वविद्यालय का नया नाम
1.	उत्तर प्रदेश टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	गौतम बुद्ध टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
2.	यू.पी. उर्दू, अरबी–फारसी यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मान्यवर श्री काशीराम जी उर्दू, अरबी–फारसी यूनिवर्सिटी, लखनऊ
3.	हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय, देहरादून	हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, शीषाम्बाडा, देहरादून
4.	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	वीर नार्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत
5.	उत्तरांचल संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरिद्वार	उत्तराखण्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरिद्वार

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की उनके प्रकार–वार संख्या **तालिका 2.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1 : 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर वाले संस्थानों एवं महाविद्यालयों की उनके प्रकार-वार संख्या

क्र.सं.	संस्थानों के स्वरूप	संस्थानों की संख्या (31.03.2011 की स्थिति के अनुसार)	संस्थानों की संख्या (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार)
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	43	44
2.	राज्य विश्वविद्यालय	265	286
3.	राज्य निजी विश्वविद्यालय	80	111
4.	राज्य विधान के माध्यम से स्थापित संस्थान	5	4
5.	सम–विश्वविद्यालय संस्थान	130	129
	कुल	523	574
	महाविद्यालय	32,964*	35,539

*वर्ष 2011–12 के लिए संशोधित

नोट: 1) इसमें कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा इंजीनियरिंग / तकनीकी तथा मुक्त विश्वविद्यालय शामिल है ।

2) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली को प्रदत्त सम विश्वविद्यालय का दर्जा 30.9.2011 से वापस लिया गया है ।

3) श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरूपति जिसे आंध्र प्रदेश के राज्य विधान अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, राज्य विश्वविद्यालयों में सम्मिलित किया गया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार) की धारा 2(च) के अंतर्गत सम्मिलित किए गए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या **तालिका 2.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.2: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या: 2011-2012 (31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						जो केन्द्रीय सहायता के पात्र नही हैं	
		कुल	केन्द्रीय	राज्य सरकार	राज्य निजी	सम वि.वि.	अन्य*	राज्य सरकार	राज्य निजी
1.	आंध्र प्रदेश	43	3	32	-	7	1	14	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	1	-	-	1	-	-	-
3.	असम	9	2	5	2	-	-	2	2
4.	बिहार	18	1	14	-	2	1	3	-
5.	छत्तीसगढ़	15	1	10	4	-	-	6	4
6.	गोवा	1	-	1	-	-	-	-	-
7.	गुजरात	32	1	18	11	2	-	7	11
8.	हरियाणा	22	1	10	6	5	-	2	6
9.	हिमाचल प्रदेश	17	1	4	12	-	-	1	12
10.	जम्मू और कश्मीर	9	2	6	-	-	1	1	-
11.	झारखण्ड	11	1	7	1	2	-	3	1
12.	कर्नाटक	40	1	22	2	15	-	9	2
13.	केरल	14	1	11	-	2	-	4	-
14.	मध्यप्रदेश	27	2	15	7	3	-	4	7
15.	महाराष्ट्र	41	1	19	-	21	-	4	-
16.	मणिपुर	2	2	-	-	-	-	-	-

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						जो केन्द्रीय सहायता के पात्र नही हैं	
		कुल	केन्द्रीय	राज्य सरकार	राज्य निजी	सम वि.वि.	अन्य*	राज्य सरकार	राज्य निजी
17.	मेघालय	9	1	-	8	-	-	-	8
18.	मिजोरम	2	1	-	1	-	-	-	1
19.	नागालैंड	3	1	-	2	-	-	-	2
20.	ओड़ीशा	16	1	12	1	2	-	4	1
21.	पंजाब	13	1	7	3	2	-	1	3
22.	राजस्थान	47	1	14	24	8	-	7	24
23.	सिक्किम	5	1	-	4	-	-	-	4
24.	तमिलनाडु	55	2	24	-	29	-	9	-
25.	त्रिपुरा	2	1	-	1	-	-	-	1
26.	उत्तरप्रदेश	54	4	23	16	10	1	9	15
27.	उत्तराखण्ड	17	1	6	6	4	-	3	6
28.	पश्चिम बंगाल	22	1	20	-	1	-	8	-
29.	एन.सी.आर. दिल्ली	21	5	5	-	11	-	3	-
30.	चंडीगढ़	2	-	1	-	1	-	-	-
31.	पुडुचेरी	2	1	-	-	1	-	-	-
	कुल	573	43	286	111	129	4	104	110

*अन्य :– एसे संस्थान जो कि राज्य विधान अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हैं।

2.2 छात्र नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2011–2012 के दौरान समस्त विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न स्तरों पर 203.27 लाख छात्रों का नामांकन हुआ जो की पिछले वर्ष 186.70 लाख था, इस प्रकार 8.87 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। छात्रों नामांकन वृहद स्तर पर जो प्रवृत्ति पिछले दो दशकों में देखने में आई है, **संलग्नक–III** में दी गयी है । इन 203.27 लाख छात्रों में से 86.72 लाख महिला छात्राएँ थीं जो कि इस समस्त संख्या का 42.66 प्रतिशत है जबकि, कुल छात्र नामांकन और महिला छात्राओं के नामांकन की तुलनात्मक प्रवृत्ति जो विभिन्न राज्यों में वर्ष 2011–2012 के दौरान पाई गई, वह **संलग्नक–IV** में दर्शायी गई है। परिशुद्ध संख्या में, देखा जाये तो, महिला छात्रों का सर्वाधिक नामांकन उत्तर प्रदेश में (29.14 लाख), उसके बाद महाराष्ट्र (24.14 लाख), आंध्रप्रदेश (19.98 लाख), तमिलनाडु (18. 55 लाख) आदि है।

चरण-वार नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2011–2012 के दौरान नामांकन स्थिति से पता चलता है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में स्नातक पूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में अधिसंख्य छात्रों का नामांकन होता है। महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों दोनों में मिलाकर, अस्थायी तौर पर उस स्तर पर 85.87 प्रतिशत छात्र नामांकित होते है। ऐसे छात्र जिन्हानें स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रमों (पी0जी0) में प्रवेश लिया हुआ है, उनकी प्रतिशतता 12.26 प्रतिशत रही जबकि शोध हेतु प्रवेश प्राप्त छात्रों की प्रतिशतता बहुत ही न्यून रही अर्थात 0.79 प्रतिशत इस प्रकार,डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए कुल छात्रों में से मात्र 1.08 प्रतिशत ने ही प्रवेश लिया।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों का सर्वाधिक नामांकन संबद्ध महाविद्यालयों में हुआ था। पूर्व–स्नातक छात्रों में से लगभग 89.38 प्रतिशत और स्नातकोत्तर छात्रों में से 72.16 प्रतिशत छात्र संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकित किये गए जबकि शेष छात्र विश्वविद्यालयों एवं उनके संघटक

महाविद्यालयों में थे । इसके विपरीत 79.43 प्रतिशत शोध छात्रविश्वविद्यालयों से थे। डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की संख्या, संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या से ऊपर ही थी। फिर भी, यह तथ्य, संबंद्ध महविद्यालय जहां पर उच्चतर शिक्षण की नीवं रखी जा रही है उनमें प्रवेश प्राप्त कुछ छात्रों में से अधिकांश के ऊपर ध्यान कन्द्रित किया जाना चाहिए – विशेषज्ञ रूप से सापक्षेता के रूप में छात्रों की पहुंच बनाने में, समानता गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता आदि को प्रोन्नत करने का प्रयास होना चाहिए। यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रतिशत्ता के दृष्टिकोण से छात्रों का चरणबद्ध वितरण कमोवेश पिछले एक दशक के दौरान अपरिवर्तित ही रहा है। **(परिशिष्ट–V)**

संकायवार नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2011–2012 के दौरान छात्रों का अलग–अलग संकायों में नामांकन निम्न प्रकार रहा :

छात्रों के कुल नामांकन (203.27 लाख) में से 37.09 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, इसके बाद विज्ञान में 18.64 प्रतिशत, वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान में 17.57 प्रतिशत छात्र थे। इस प्रकार, कुल नामांकन में से 73.30 प्रतिशत छात्र, कला–विज्ञान एवं वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान संकायों में थे, जबकि शेष 26.70 प्रतिशत व्यवसायिक संकायों में थे, जिनमें से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (16.05 प्रतिशत) में प्रतिशतता सर्वाधिक थी और उसके बाद चिकित्सा (3.52 प्रतिशत) आदि पाठ्यक्रम में थी। भारत जेसे देश में जहाँ पर मुख्य और संबद्ध व्यवसाय कृषि है वहाँ पर कृषि पाठ्यक्रमों में नामांकन केवल 0.48 प्रतिशत और पशु पालन विज्ञान में यह नगण्य, 0.14 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट संकेत मिलता है जैसा कि संकाय–वार वितरण से प्रत्यक्ष है कि व्यावसायिक और गैर–व्यावसायिक नामांकन का अनुपात लगभग 1:3 रहा, अतः एक उपयुक्त नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है इसे युक्तिगत बनाकर विसंगतियों को कम कर सके और शिक्षा के व्यावसायिकरण पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है **(परिशिष्ट–VI)**।

2.3 संकाय संख्या

शैक्षिक वर्ष 2011–2012 के दौरान, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या पिछले वर्ष की 8.17 लाख की तुलना में 9.34 लाख थी। 8.17 लाख शिक्षकों में से 83.09 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में हैं तथा शेष 16.91 प्रतिशत विश्वविद्यालयों विभागों/विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में है ।**(परिशिष्ट-VIII एवं IX).**

प्रतिशतताओं के आधार पर वर्ष 2011–2012 के दौरान, संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालयों के आंगिक महाविद्यालयों में शिक्षकों की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार हैः

तालिका 2.3: शिक्षकों की कुल श्रेणीवार संख्या : 2011-2012

क्र. सं.	श्रेणी	शिक्षकों की कुल संख्या			
		ए.सी.	यू.टी.डी./ यू.सी.	ए.सी.+यू.टी.डी./ यू.सी. (कुल)	कुल संख्या का प्रतिशतता
1.	सहायक आचार्य/लेक्चरर	438413	64500	502913	53.86
2.	लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान)	90133	18102	108235	11.59
3.	रीडर/सह–आचार्य/ लेक्चरर (चयन ग्रेड)	172161	39182	211343	22.63
4.	प्रोफेसर और उनके समकक्ष	54883	27549	82432	8.83
5.	अन्य (टी./डी./टी.ए. आदि)	20261	8577	28838	3.09
	कुल	775851	157910	933761	100.00

ए.सी : संबद्ध महाविद्यालय यू.टी.डी./यू.सी : विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग/विश्वविद्यालय महाविद्यालय

टी./डी. : ट्यूटर/निदर्शक टी.ए. : अध्यापन सहायक

2.4 अनुसंधान उपाधियाँ

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुसंधान डिग्रियाँ (पी0–एच0डी0) की संख्या वर्ष 2009–2010 की 14477 से बढकर वर्ष 2010–11 में 16093 हो गई और इस प्रकार 11.16 प्रतिशत बढत दर्ज की गई। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रदत्त डिग्रियों में विज्ञान संकाय में प्रदत्त डिग्रियों की संख्या सर्वाधिक थी जो कि 5232 थी, उसके बाद कला संकाय का स्थान रहा, जिसमें 5037 अनुसंधान डिग्रियाँ प्रदान की गईं। कुल प्रदत्त शोध डिग्रियों में से इन दोनों संकायों में प्रदान की गई पी0–एच0डी0 डिग्रियों की संख्या 63.81 प्रतिशत थी। व्यवसायिक संकायों में, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संकाय द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। जिसमें कुल 1682 पी.एच.डी. डिग्रियां दी गई और इसके बाद 645 पी.एच.डी. डिग्रियों के साथ शिक्षा संकाय, इसके बाद 601 पी.एच.डी. डिग्रियों के साथ चिकित्सा संकाय इसके बाद 586 पी.एच.डी. डिग्रियों के साथ कृषि संकाय है । यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है वर्ष 2009–2010 की तुलना में वर्ष 2010–2011 के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गईं अनुसंधान डिग्रियों की दृष्टि से अनुसंधान क्षेत्रक में थोड़ी बढत का रुझान दिखाई देता है **(परिशिष्ट–X)** । वर्ष 2010–11 के लिए कुल नामांकन की तुलना में अर्जित पीएचडी की डिग्री केवल 0.1 प्रतिशत थी। इसलिए संस्थानों का वित्त पोषण करके अनुसंधान के संवर्धन की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है ।

2.5 उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि

उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में अभिवृद्धि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर अब तक उच्चतर शिक्षा में प्रवेश प्राप्त महिलाओं की संख्या में विशाल अभिवृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं द्वारा प्रवेश की दर जो समस्त प्रविष्ट छात्रों के 10 प्रतिशत से भी कम थी, वहीं शैक्षणिक वर्ष 2011–2012 के दौरान 42.66 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है।

इस अभिवृद्धि की गति विशेषरूप से पिछले 2 दशकों में तीव्र रही है। जैसा कि **तालिका 2.3** में दिये गए आंकड़ों से प्रकट होता है, प्रति 100 पुरूषों के मुकाबले में पंजीकृत महिलाओं की संख्या वर्ष 1950–51 की तुलना में वर्ष 2011–12 में लगभग 5 गुणी बढी है।

तालिका: 2.3 प्रति सौ छात्रों पर छात्राओं की संख्या

वर्ष	कुल महिला नामांकन (प्रति हजार)	प्रति 100 पुरुषों पर महिला नामांकन
1950-51	40	14
2011-2012	8672	74

2.6 राज्य एवं संकायों द्वारा महिला नामांकन का संवितरण

(क) महिला नामांकन का राज्यवार संवितरण

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान राज्यों द्वारा किए गए महिलाओं के नामांकन के संवितरण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि प्रतिशतता में हुई वृद्धि लगभग न्यून ही रही है। राज्यों में, 60.31 प्रतिशत के साथ गोवा महिलाओं के नामांकन में शीर्ष स्थान पर है, और जैसे कि इसके बाद केरल (58.62 प्रतिशत), मेघालय (54.19 प्रतिशत) एवं हिमाचल प्रदेश (51.16 प्रतिशत) है। कुल 17 ऐसे राज्य है जिनमें 42.66 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में सर्वाधिक नामांकन प्रतिशत रहा शेष राज्यों में यह राष्ट्रीय प्रतिशतता से कम महिला नामांकन है जो की अरूणाचल प्रदेश में 36.69 प्रतिशत के साथ सबसे कम महिला नामांकन दर्ज किया गया है। सम्पूर्ण रूप से देखा जाए तो संख्यावार उत्तर प्रदेश राज्य ही महिला छात्राओं के नामांकन में शीर्ष पर रह है (12.01 लाख) जिसके बाद महाराष्ट्र (10.60 लाख) और तमिलनाडु (8.61 लाख) आदि है **(परिशिष्ट–IV)**

(ख) संकायवार महिला नामांकन का वितरण

वर्ष 2011–2012 के दौरान, उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन की संकायवार वितरण की स्थिति, निम्न प्रकार रहीः–

तालिका 2.4- संकायवार महिला नामांकन 2011-2012

क्र.सं.	संकाय	महिला नामांकन	कुल महिला नामांकन की प्रतिशतता
1.	कला	3634876	41.91
2.	विज्ञान	1662128	19.17
3.	वाणिज्य / प्रबंधन	1414804	16.31
4.	शिक्षा	428660	4.94
5.	इंजीनियरिंग / प्रोद्योगिकी	959105	11.06
6.	आयुर्विज्ञान	350301	4.04
7.	कृषि	24808	0.29
8.	पशु चिकित्सा विज्ञान	6979	0.08
9.	विधि	107825	1.24
10.	अन्य	82945	0.96
	कुल जोड़	8672431	100.00

* अन्तरिम

तालिका 2.4 दर्शाती है कि कला संकाय में कुल महिला नामांकन का 41.91 प्रतिशत नामांकन हुआ, जिसके बाद विज्ञान संकाय (19.17 प्रतिशत), वाणिज्य / प्रबन्धन (16.31 प्रतिशत) आदि रहा जो इन तीन गैर–व्यावसायिक संकायों में समस्त नामांकन का 77.39 प्रतिशत में है। वर्ष 2010–2011 की प्रतिशतता की तुलना में, समस्त संकायों में नामांकित महिलाओं की प्रतिशतता में थोडा सा परिवर्तन है। शिक्षा संकाय, जिसमें प्रतिशतता वर्ष 2010–11 की 4.60 प्रतिशत की तुलना में में वर्ष 2011–2012 में 4.94 प्रतिशत थी, जिसकी में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय में वर्ष 2010–2011 की 11.36 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011–2012 के दौरान 11.06 प्रतिशत थी । इसके अतिरिक्त महिला नामांकन में दोहरे अंक में केवल गैर–व्यावसायिक संकायों–कला, विज्ञान, वाणिज्य / प्रबन्धन आदि में रही तथा व्यवसायिक संकायों में यह एकल अंक में ही दर्ज की गई। कृषि एवं पशु विज्ञान संकायों में महिला नामांकन नगण्य ही बना रहा ।

2.7 महिला महाविद्यालय

निम्न 2.5 तालिका से यह बात स्पष्ट देखी जा सकती है दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2208 महिला महाविद्यालयों की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक कुल मिलाकर 2058 महिला महाविद्यालय स्थापित हुए इस प्रकार स्थापित महिला महाविद्यालयों की संख्या में 93 प्रतिशत अभिवृद्धि हुई है। 31.3.2012 के अनुसार विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए 4266 महाविद्यालय मौजूद थे ।

तालिका 2.5 : 1997-98 से 2011-12 के दशक में स्थापित महिला महाविद्यालयों की संख्या

वर्ष	महिला महाविद्यालयों की संख्या
1997-1998	1260
1998-1999	1359
1999-2000	1503
2000-2001	1578
2001-2002	1756
2002-2003	1824
2003-2004	1871
2004-2005	1977

वर्ष	महिला महाविद्यालयों की संख्या
2005-2006	2071
2006-2007	2208
2007-2008	2360
2008-2009	2565
2009-2010	3612
2010-2011	3982
2011-2012	4266*

*अंतिम और इसमें महिलाओं के लिए परिचर्या महाविद्यालय भी शामिल हैं।

रेखाचित्र

चित्र 1: विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र नामांकन की वर्ष-वार वृद्धि: 1984-85, 2011-2012

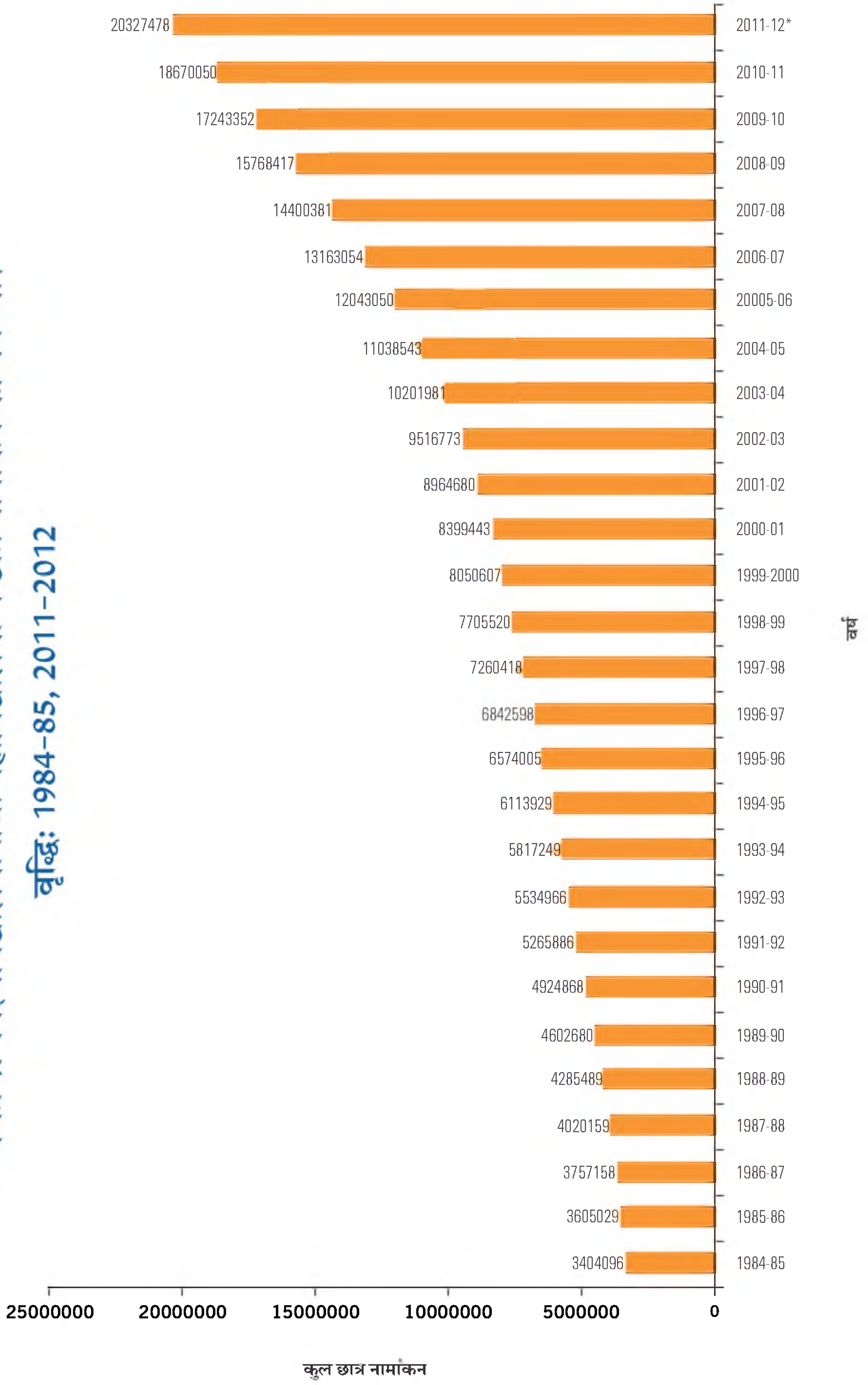

चित्र 2 : विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राज्य-वार छात्रों का नामांकन 2011-2012

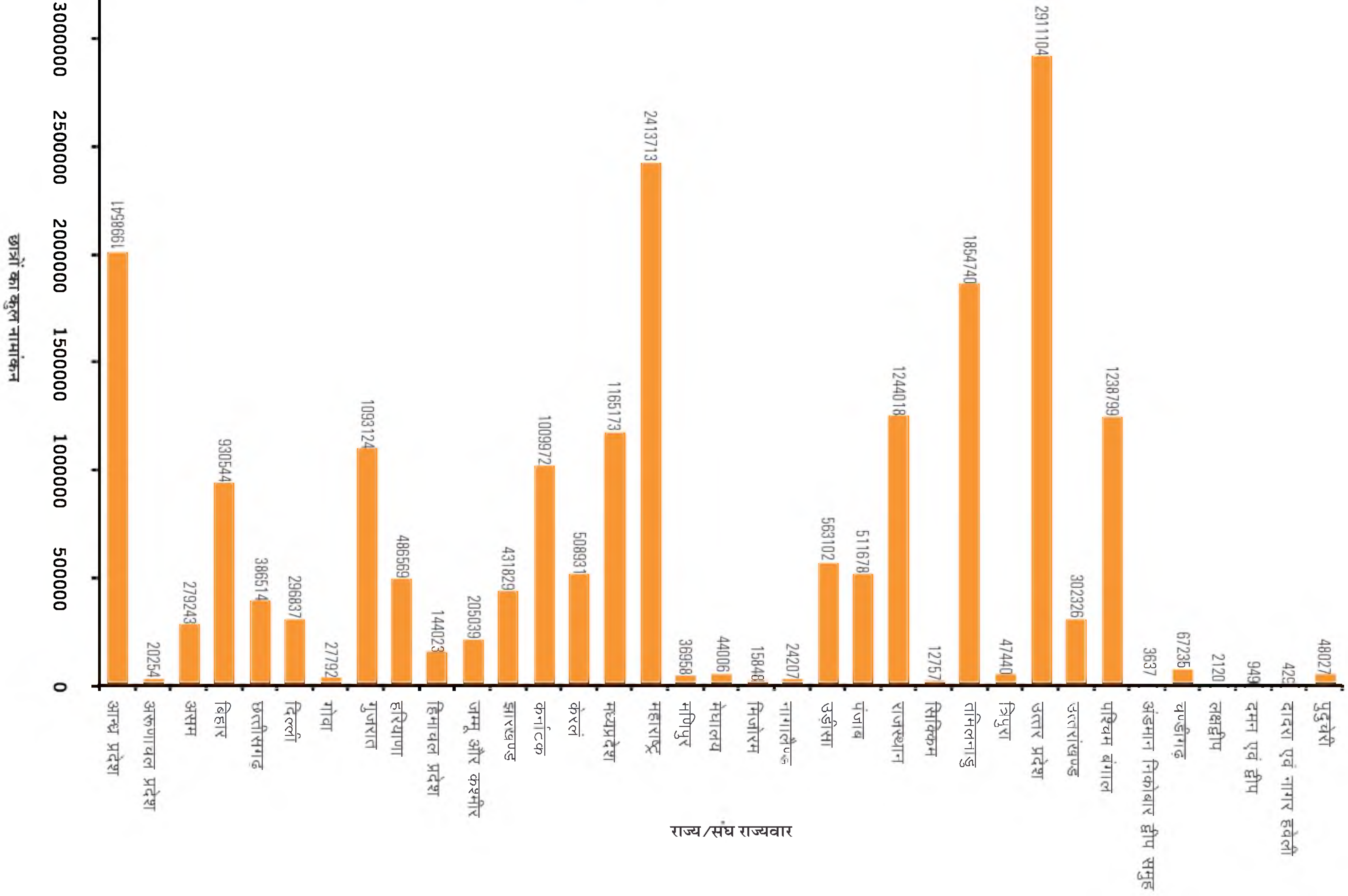

चित्र 3 : विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में लिंग-वार और राज्य-वार छात्रों का नामांकन 2011-2012

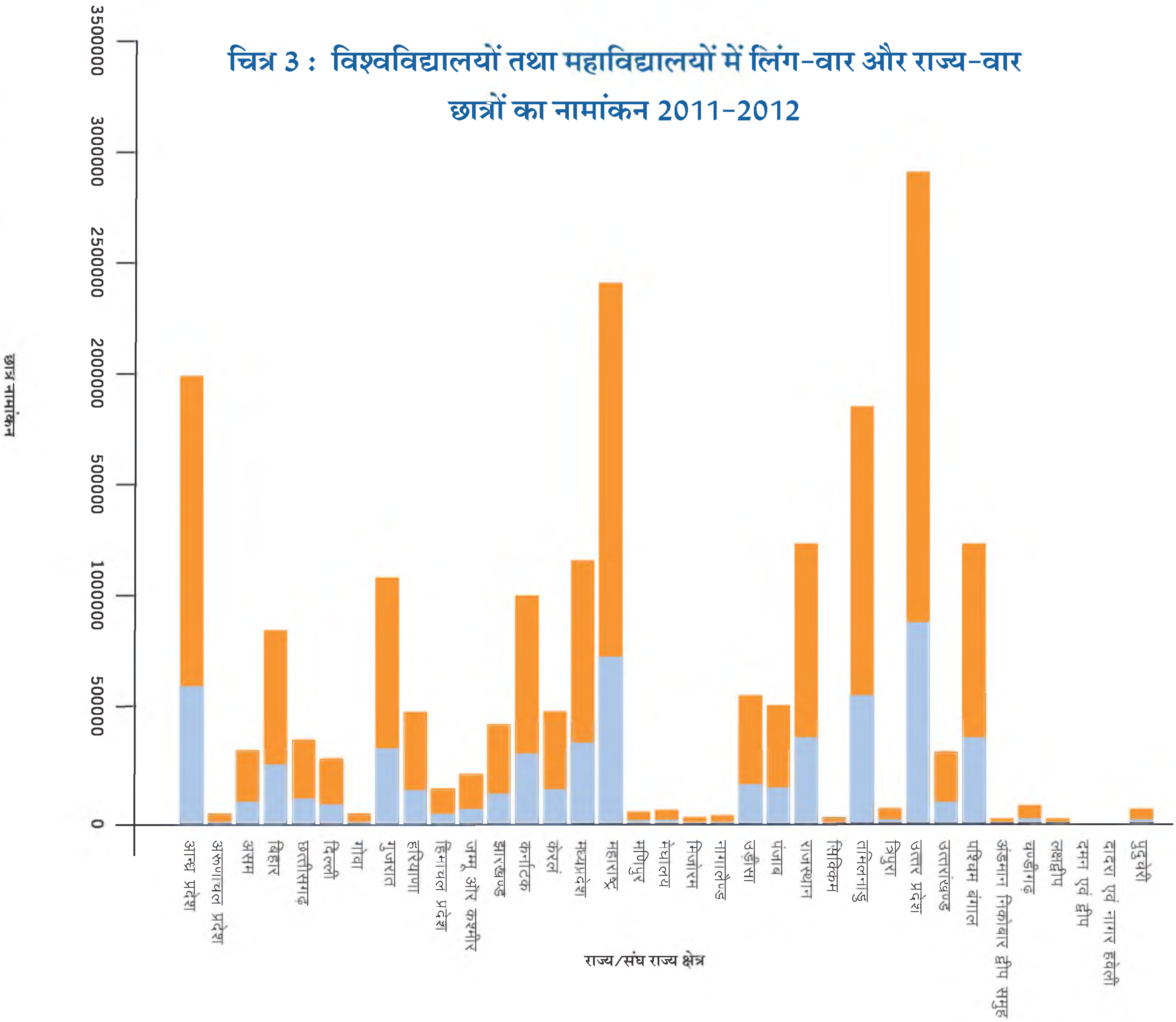

चित्र 4 : स्तर-वार छात्रों का नामांकन : विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/ विश्वविद्यालय महाविद्यालय : 2011-2012

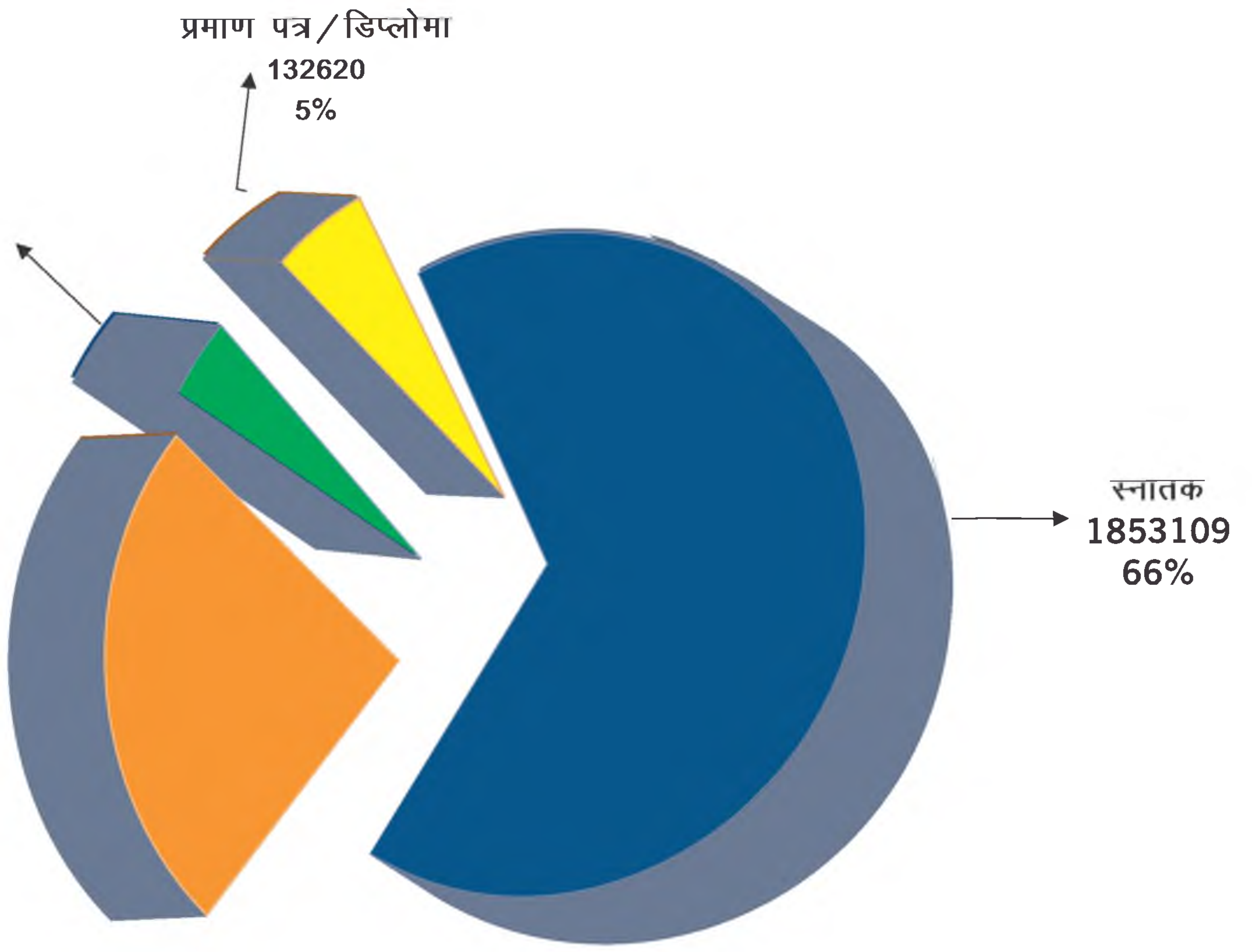

चित्र 5 : स्तर-वार छात्रों का नामांकन : संबद्ध महाविद्यालय : 2011-2012

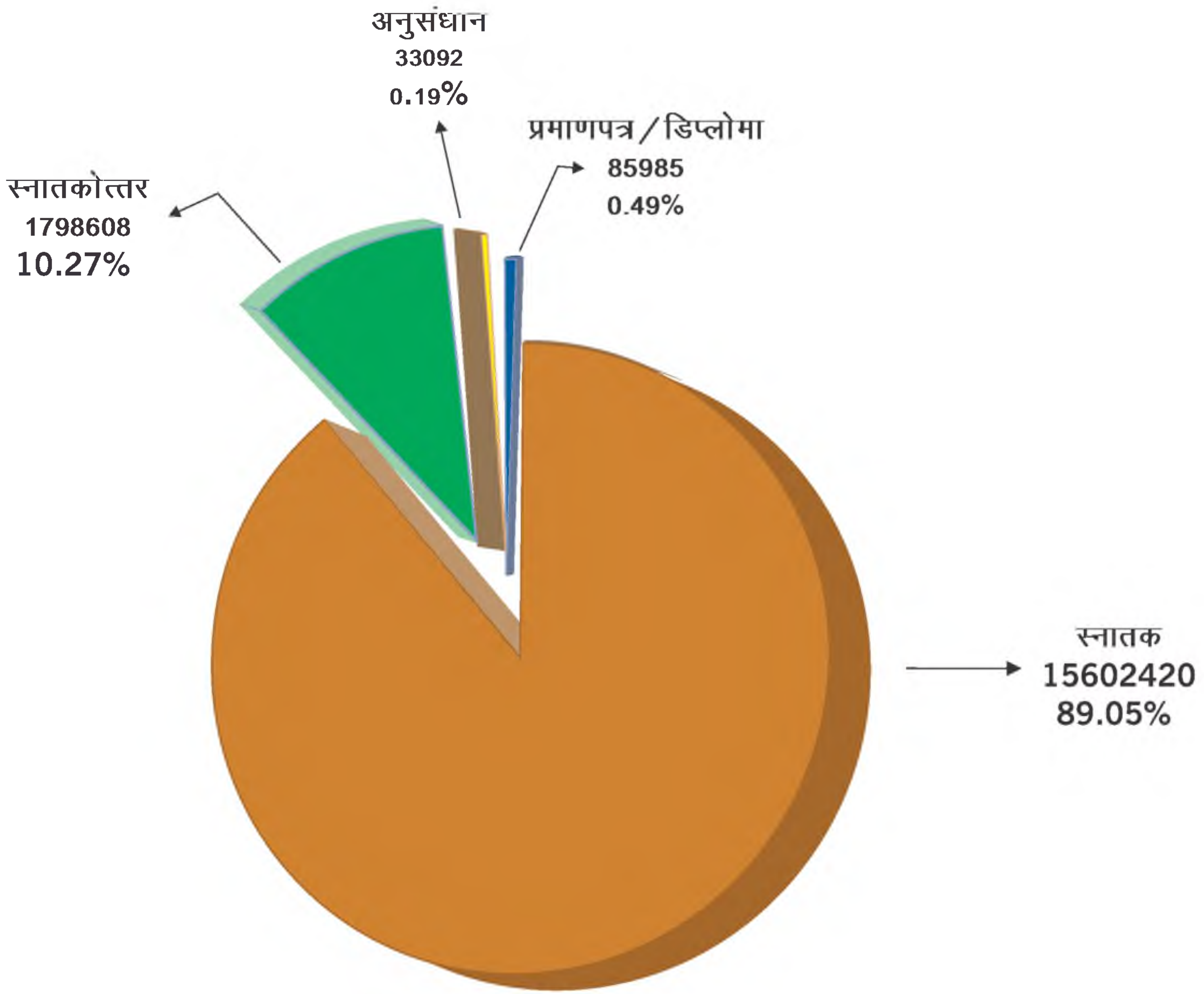

चित्र 6 : स्तर-वार छात्रों का नामांकन : विश्वविद्यालय और महाविद्यालय : 2011-2012

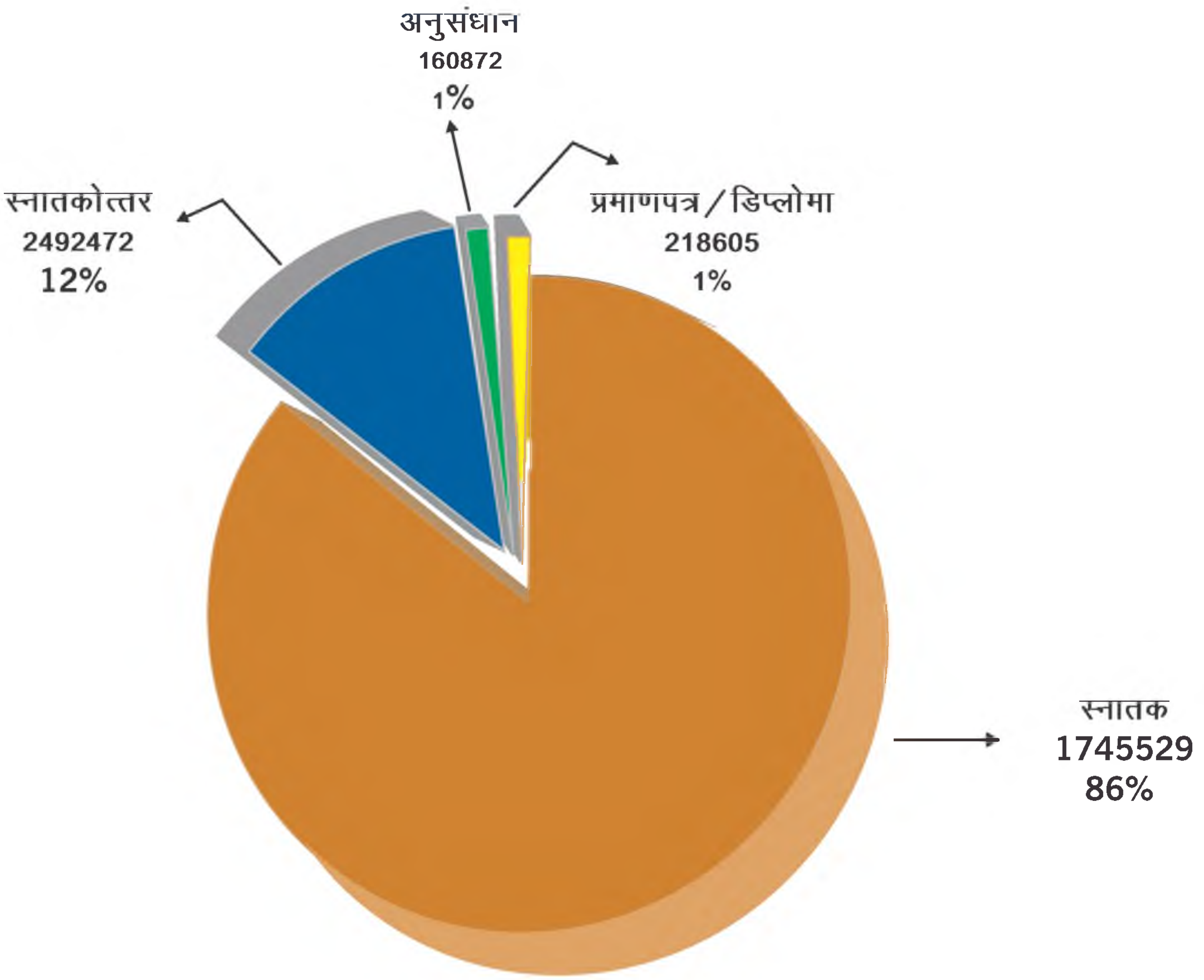

चित्र 7 : स्तर-वार शिक्षण स्टॉफ: विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/ विश्वविद्यालयों से संबधित महाविद्यालय : 2011-2012

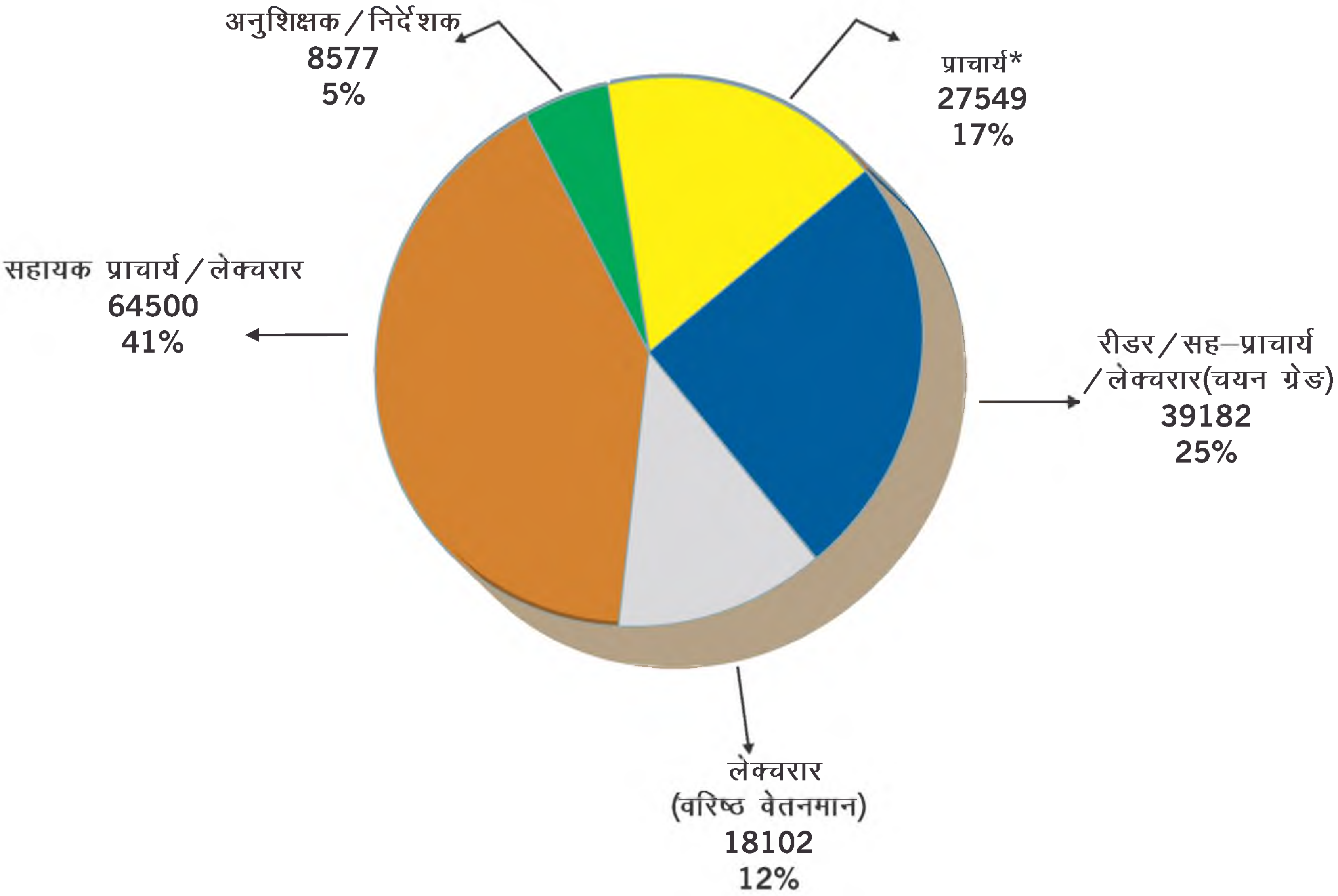

चित्र 8 : स्तर-वार शिक्षण स्टॉफः संबंद्ध महाविद्यालय : 2011-2012

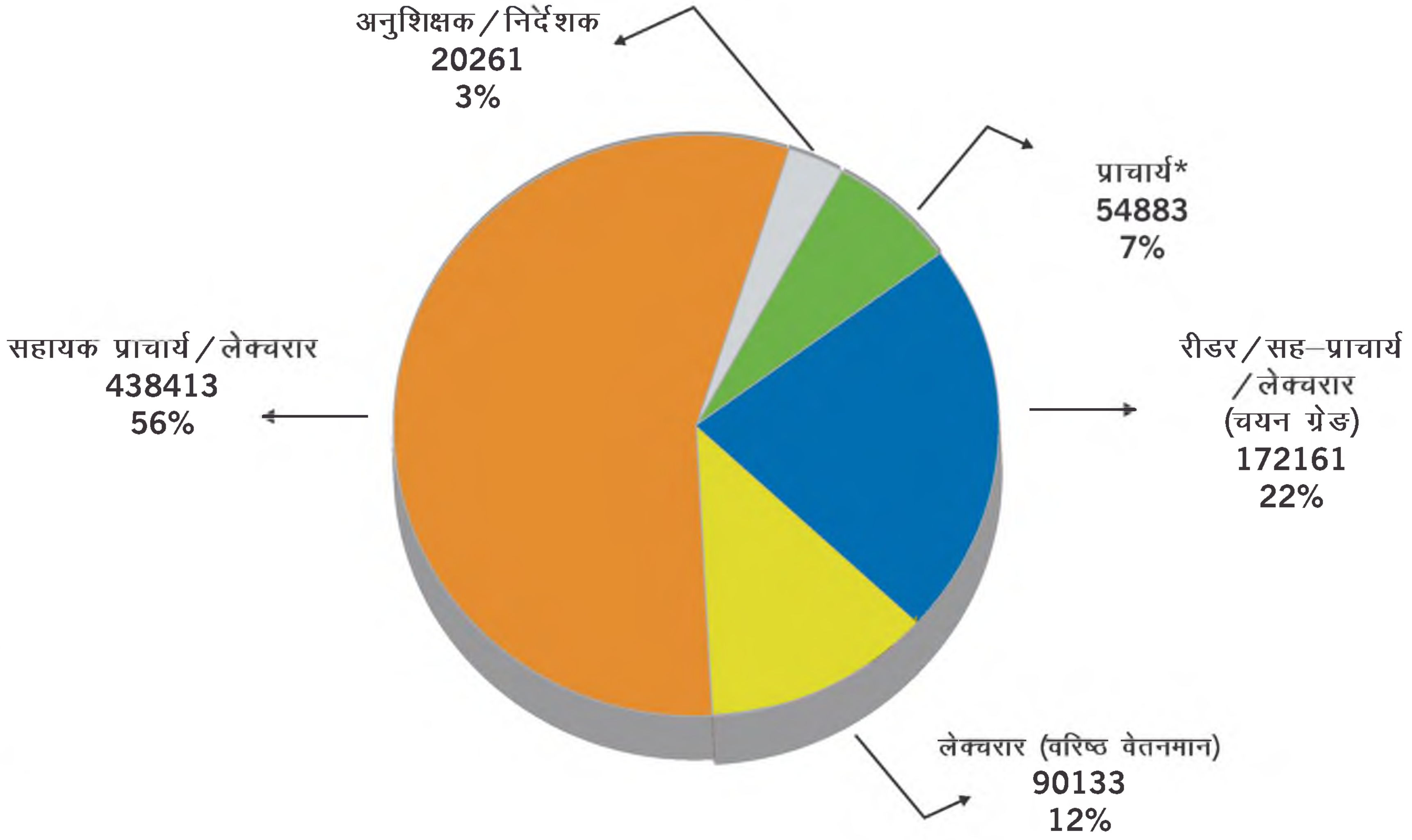

चित्र 9 : महाविद्यालयों की राज्य-वार संख्या : 2011-2012

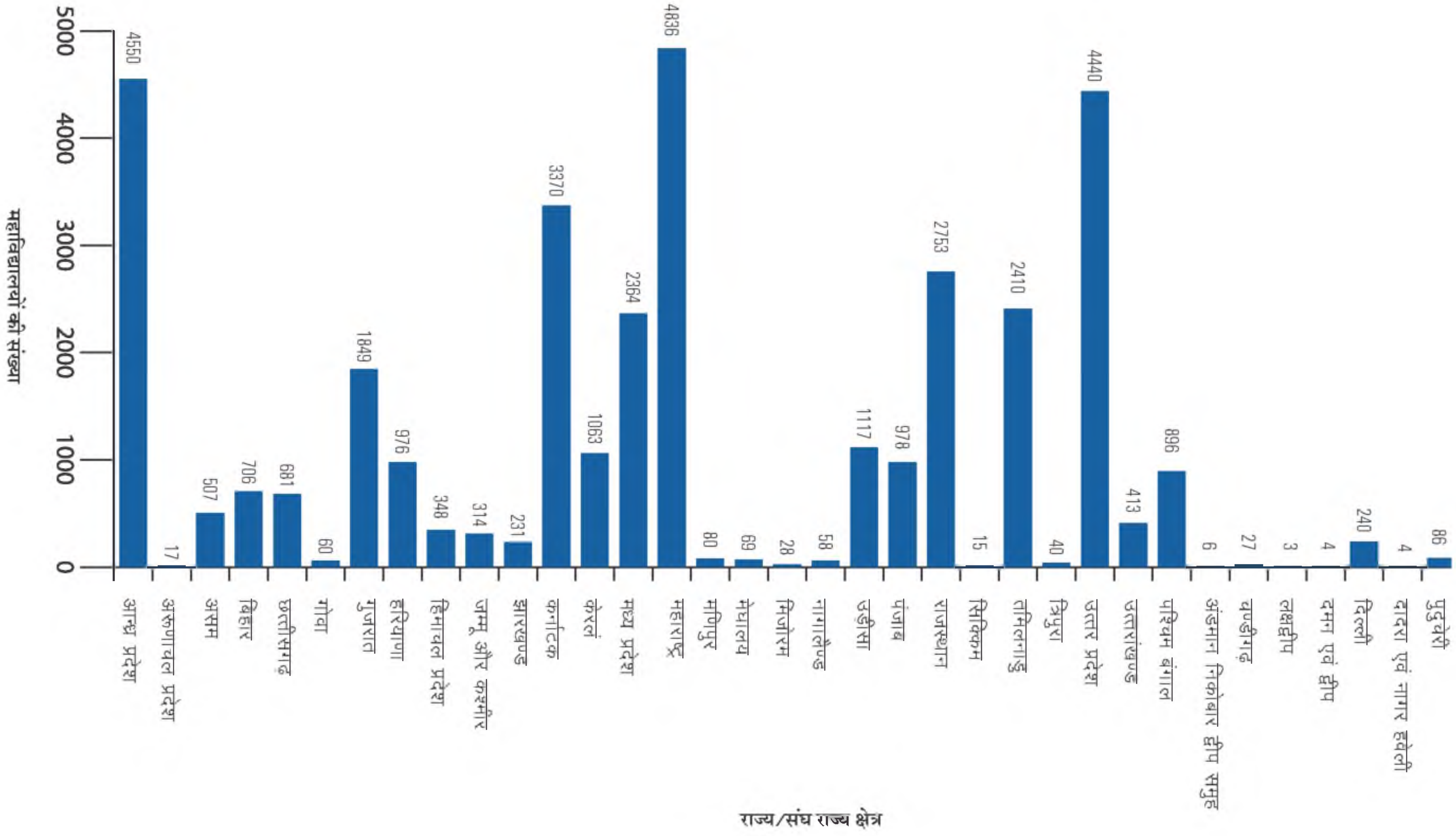

चित्र 10: संकायवार छात्रों का नामांकन : विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय : 2011-2012

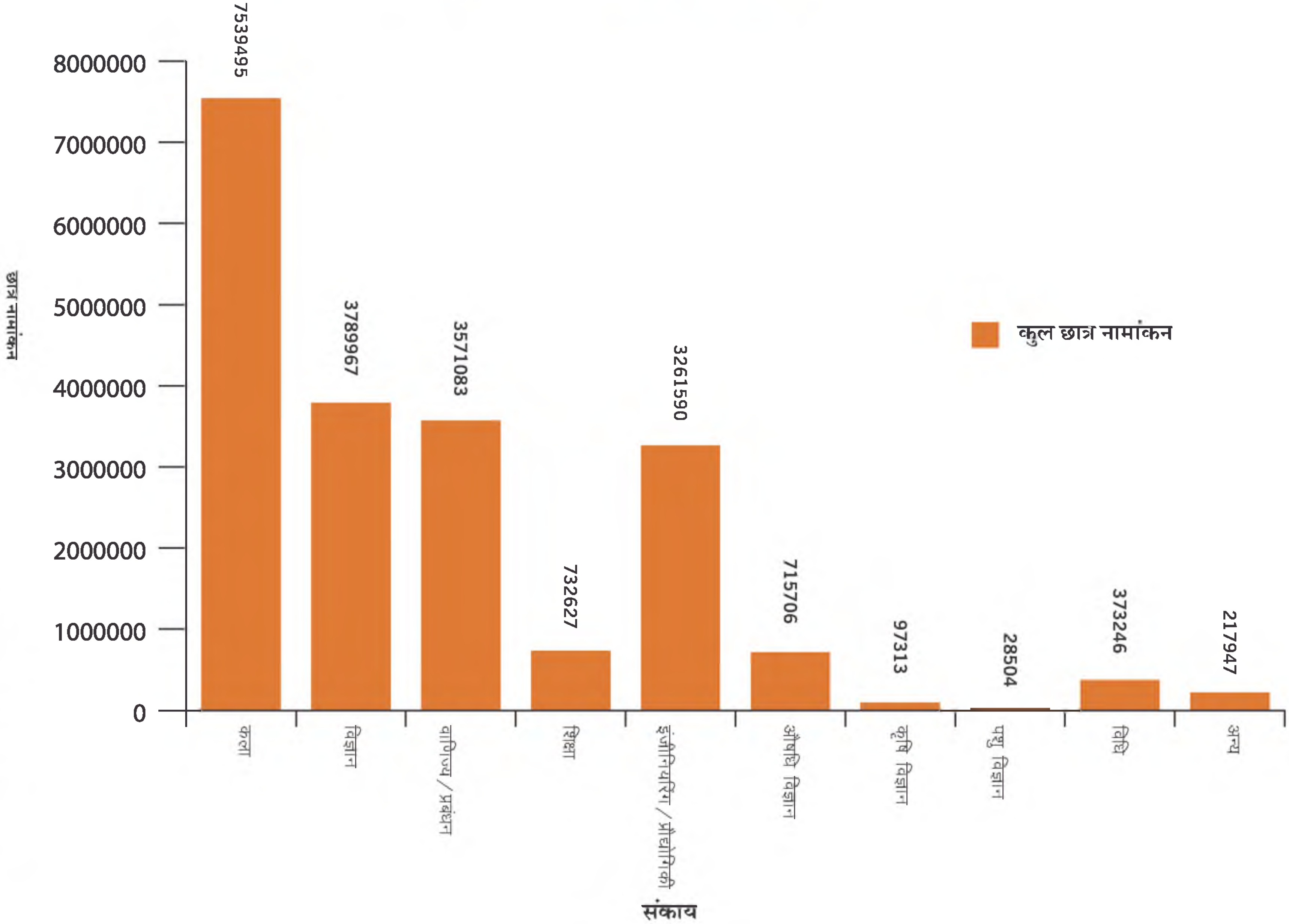

चित्र 11: संकायवार महिला नामांकन : विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय : 2011-2012

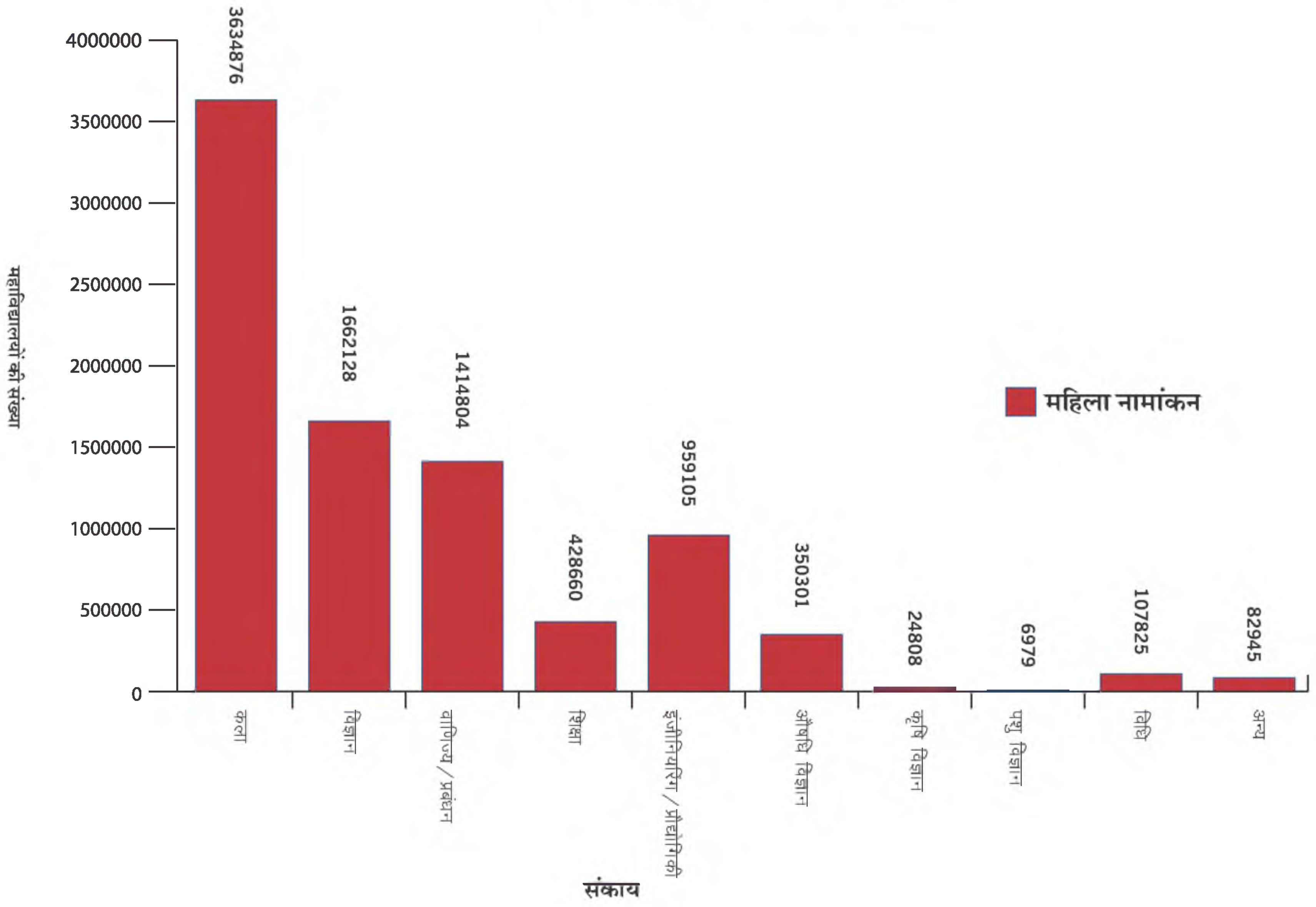

विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता

3

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत और सम विश्वविद्यालयों को (विकास) योजनागत और (अनुरक्षण) गैर–योजनागत दोनों अनुदान प्रदान करता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए यह सहायता केवल विकास (योजनागत) के अन्तर्गत ही उपलब्ध कराई जा रही है । सामान्य योजना विकास अनुदान, किसी भी एक विशिष्ट विश्वविद्यालय को, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, लागत (व्यय) की रूपरेखा के आधार पर निर्धारित किया जायेगा तथा इसे विश्वविद्यालय को संप्रेषित कर दिया जायेगा। ऐसे परिव्यय, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए चालू रहेंगे। योजना की अवधि की समाप्ति भी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ अर्थात 31 मार्च 2012 को हो गई है। उन सभी पात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जो अनुदान आयोग अधिनियम धारा 2(च) और 12 (ख) के अंतर्गत शामिल है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों की रूपरेखा और परिव्यय के दायरे में आते हैं।

सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को समग्र विकास के लिए सहायता देगा, जिसमें इन पहलुओं को भी शामिल किया जाता है नामतः पहुँच बढ़ाना, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता में सुधार करना, अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाना, अधिकाधिक संकाय सुधार कार्यक्रम उपलब्ध कराना, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाना, अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि करना, विश्वविद्यालयों की कोई अन्य योजना।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, विश्वविद्यालयों की अवसंरचना, स्टॉफ, उपस्कर पुस्तकों और पत्रिकाओं, पुस्तकालयों आदि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सामान्य योजना विकास अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

i. अवसंरचना : भवनः

नए भवनों के निर्माण तथा पुराने भवनों की बड़ी मरम्मत/नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ये भवन, अकादमी भवन, पुस्तकालय, प्रशासनिक खंड, स्टाफ क्वार्टर्स, छात्रावास, अतिथि गृह, आदि हो सकते हैं।

ii. परिसर विकासः

परिसर विकास : सड़क निर्माण करने, विद्युत, जल उपलब्ध कराने, सीवर की लाइन बिछाने या उसकी मरम्मत करने, वृक्षारोपण करने तथा भूमि विकास आदि।

iii. स्टॉफः

इस शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल उन शिक्षण, शिक्षणेत्तर तथा तकनीकी स्टॉफ की नियुक्ति के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जो व्याख्याता से अधिक या उसके समान वेतनमान में है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय/सम विश्वविद्यालयों को शत–प्रतिशत वित्तपोषित किया जा रहा है और शिक्षणेत्तर स्टॉफ के पदो का सृजन केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही किया जा सकता है।

iv. केंद्रीय पुस्तकालयः

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के लिए निधि उपलब्ध कराई जा सकती है।

v. **उपस्कर**

प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर, विशेष उपस्कर कार्यालय हेतु (फर्नीचर, फिक्सचर्स तथा कंप्यूटर को छोड़कर) तथा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ओवरहैड प्रोजेक्टर्स आदि जैसे आधुनिक शिक्षण सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते है।

vi. **नवोन्मेषी अनुसंधान क्रियाकलाप :**

ऐसे शोध क्रियाकलाप जो कि लघु एवं वृहत शोध परियोजनाओं और विशेष सहायता कार्यक्रमों (एस.ए.पी.) के अन्तर्गत शामिल नहीं है, उनके लिए अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध कराई जा सकती है। किसी ऐसे क्रांतिकारी नवोन्मेषी शोध के लिए भी निधियाँ उपलब्ध करायी जा सकती हैं, जिसे विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करे और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 11वीं पंचवर्षीय योजना की किसी भी योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं हों।

vii. **नई विस्तार गतिविधियां तथा पहुंच कार्यक्रम :**

नई विस्तार गतिविधियां और पहुंच कार्यक्रम जिनके लिए विश्वविद्यालयों को वित्तपोषण की आवश्यकता हो।

viii. **विश्वविद्यालय की आई सी टी आवश्यकताएं :**

सूचना संप्रेषण तथा प्रौद्योगिकी संबंधी (आई सी टी) आवश्यकताएं, यदि लागू हों।

ix. **स्वास्थ्य केंद्र :**

औषधालय के रूप में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। जबकि, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्टॉफ उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

x. **छात्र सुविधाएं :**

इस प्रकार की सुविधाओं में कैंटीन, शुद्ध पेय जल सुविधाएं, मनोरंजन कक्षा, विद्यार्थियों के लिए परामर्श कक्ष, आदि शामिल हो सकती है।

xi. **जयंती अनुदान :**

विश्वविद्यालय द्वारा अपने 25, 50, 60, 75 एवं 100 वर्ष पूरे कर लेने पर जयंती अनुदान माँगा जा सकता है बशर्ते, कि वह विश्वविद्यालय उक्त जयंती वर्ष को 11 वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूरा कर रहा हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इसमें आवर्ती व्यय का भुगतान, जैसे शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टॉफ के वेतनों, प्रयोगशालाओं, ग्रंथालयों तथा भवनों के रखरखाव तथा करों, टेलीफोनों, डाक व्यय, बिजली बिलों आदि का अनिवार्य भुगतान किया जाता है।

ऊपर लिखित मदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता शत–प्रतिशत आधार पर दी जाती है और इसी के साथ आयोग ने यह निर्णय भी लिया कि सभी प्रकार की भवन–परियोजनाओं के लिए शत–प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि विश्वविद्यालय निर्धारित समय से अपनी परियोजनाएँ पूर्ण कर सके।

जहाँ तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों का संबंध है, उन्हें नवीन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए, चाहे वह स्व–वित्तपोषित हों अथवा अन्य प्रकार से हों, आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिस डिग्री को प्रदान करने का प्रस्ताव है, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत् रूप से विनिर्दिष्ट अनुमोदित डिग्रियों में शामिल है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्न योजनाओं को सामान्य विकास के साथ आमेलित किया गया है। योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं के तहत वित्तपोषण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगाः –

1. यात्रा अनुदान
2. सम्मेलन / संगोष्ठी / परिचर्चा / कार्यशालाएँ / अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

3. प्रकाशन अनुदान

4. अभ्यागत प्रोफेसर/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति

5. दिवा देखभाल केन्द्र

6. साहसिक खेलकूदों सहित खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों के विकास हेतु नवीन योजनाएँ ।

7. पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान।

8. नए विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान तथा पुराने विश्वविद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान।

9. यंत्रों के अनुरक्षण हेतु सुविधा (आई.एम.एफ.)

10. महिला छात्रावासों का निर्माण

11. महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएँ

12. संकाय सुधार कार्यक्रम (एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए शिक्षक अध्येतावृत्ति)

13. समान अवसर प्रकोष्ठ

14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण सुविधाएँ

15. विश्वविद्यालयों में कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना

16. शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

आमेलित योजनाएँ तथा उनका उद्देश्य नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	योजना का नाम	उद्देश्य
1.	यात्रा अनुदान	विदेश आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/ कार्यशालाओं/ विचार– गोष्ठियों में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों के अध्यापकों/ वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों/ प्रशासनिक अधिकारियों को सहायता देना।
2.	सम्मेलन/विचार–गोष्ठी/संगोष्ठी/कार्यशाला/अल्पकालिक कार्यक्रम	अल्पकालिक (15 दिन से कम) कार्यशाला या प्रशिक्षण कार्यक्रम/ विचार–गोष्ठी/संगोष्ठी और अंतरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/ राज्य स्तरीय सम्मेलन।
3.	प्रकाशन अनुदान	डाक्टरल शोध ग्रंथ, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान पेपर, यू जी सी के राष्ट्रीय आख्यान अथवा प्रमुख व्यक्तियों के नाम में शुरू किए गए व्याख्यान, संकाय सदस्यों द्वारा विद्वतापूर्ण सहयोग और विचार–गोष्ठी/ सम्मेलन पेपरों के प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता।
4.	अतिथि प्रोफेसर/ अतिथि फेलो की नियुक्ति	अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान सामान्यतः ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जिसने प्रोफेसर के पद पर कार्य किया हो या जो प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हो अथवा ऐसा व्यक्ति, जिसकी विश्वविद्यालय से बाहर रह कर विशिष्ट उपलब्धियां रही हों।
5.	दिवस देखभाल केंद्र	तीन माह से छह वर्ष तक की उम्र के ऐसे बच्चों को परिसर में दिवस देखभाल की सुविधा प्रदान करना, जिनके नौकरीशुदा मां–बाप/ अनुसंधानकर्ता अपने कार्य या शैक्षिक वृत्ति के कारण दिन में घर से बाहर रहते हों।
6.	साहसिक खेल–कूद और खेल–कूद की बुनियादी सुविधा और उपस्करों का विकास	विश्वविद्यालयों में सक्षम वातावरण तैयार करना और विद्यार्थियों में सहयोगी टीम कार्य की भावना पैदा करना, साहस और प्रतिबद्धता की चुनौतीपूर्ण स्थिति का मुकाबला करने और उस पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की क्षमता।
7.	पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान	पिछड़े/ ग्रामीण/ दूरस्थ/ सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, ताकि बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सके और अधिकतम विशेष समानता को प्राप्त किया जा सके और न्यूनतम स्तर तक उसे पहुंचाया जा सके।
8.	नए विश्वविद्यालयों को विशेष विकास अनुदान और पुराने विश्वविद्यालयों का नवीकरण अनुदान	ऐसे विश्वविद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, जिन्हें इसलिए पर्याप्त निधि की आवश्यकता है, चूंकि वे नए हैं और सामान्यतः अपनी स्थापना के समय ऐसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
9.	उपकरण अनुरक्षण सुविधा (आई एम एफ)	गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्रभावी और किफायती सेवा प्रदान करना।

क्रम सं.	योजना का नाम	उद्देश्य
10.	महिला छात्रावास के निर्माण की विशेष योजना	महिलाओं की स्थिति में सुधार करने और बड़े स्तर पर समाज के विकास के लिए उपलब्ध संभावनाओं के प्रयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
11.	महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं	विश्वविद्यालयों में महिलाओं, विद्यार्थियों, अध्यापकों, अनुसंधानकर्ताओं और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं तैयार करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
12.	संकाय सुधार कार्यक्रम (एफ आई पी)	एम. फिल./ पीएच–डी की उपाधि दिए जाने के लिए अनुसंधान करने हेतु अध्यापकों को अवसर प्रदान करना।
13.	समान अवसर प्रकोष्ठ	शिक्षण से वंचित समूह पर बल देने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए स्थान बनाने हेतु और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण की विशिष्ट योजना चलाकर उनके रोजगार और सफलता की संभावना को बढ़ाना।
14.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजना	स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर सेवाओं में प्रवेश के लिए सुधारात्मक अनुशिक्षण देना और व्याख्याता बनने के लिए नेट/सेट की तैयारी करने हेतु अनुशिक्षण देना।
15.	विश्वविद्यालयों में वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठों की स्थापना	प्रतियोगी परीक्षाओं और सेवारत प्रशिक्षण तथा अतिरिक्त एवं व्यवसायपरक पाठ्यक्रमों की कठिन चुनौती के लिए सहज कौशल और संप्रेक्षण क्षमता में विद्यार्थियों को सहायता देना।
16.	नि ाक्त व्यक्तियों को सुविधाएं	उच्च शिक्षा में भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों के लिए विशेष शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू करने और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना।

क. केंद्रीय विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान योजना सहित विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत, विकास (योजना) और अनुरक्षण (गैर–योजनागत) दोनों ही प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है। वर्तमान में दक्षिण एशियाई तथा नालन्दा विश्वविद्यालयों को छोडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 42 है। इनमें से 3 विश्वविद्यालयों नामतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल और इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नै को क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा पोत परिवहन एवं सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा सीधे वित्तपोषित किया जाता है। वर्तमान में 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजना (विकास) तथा वि.अ.आ. की एक अन्य विशेष योजना के तहत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। पुराने 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालय और हाल ही में राज्य से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित तीन विश्वविद्यालय भी वि.अ.आ. से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे है। दिनांक 30.03.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है :–

क्रम सं.	राज्य	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम
1.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर
2.	असम	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
3.		तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
4.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
5.		मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
6.		अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
7.	दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
8.		दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
9.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
10.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
11.	मध्य प्रदेश	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक

क्रम सं.	राज्य	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम
12.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मुंबई
13.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय, एजवाल
14.	मेघालय	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
15.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
16.		केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
17.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय, नागालैंड
18.	पुडुचेरी	पुडुचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी
19.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
20.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा
21.	तमिलनाडु	इंडियन मैरीटाइम विश्वविद्यालय, चेन्नई
22.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
23.		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
24.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
25.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
26.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती, शांति निकेतन
		नए केंद्रीय विश्वविद्यालय
27.	बिहार	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, पटना
28.	छत्तीसगढ	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
29.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
30.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
31.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
32.	जम्मू और कश्मीर	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
33.		जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
34.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची
35.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
36.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, विद्यानगर
37.	मध्य प्रदेश	डॉ0 हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर
38.	ओडीशा	ओडीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
39.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
40.	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर
41.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर
42.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर

सामान्य विकास (योजनागत)सहायता

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेजों एवं इनसे जुड़े अस्पतालों के विकास हेतु, योजनागत अनुदान दिया जाता है। विकास सहायता का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालय की विद्यमान आधारभूत संरचना में सुधार करना और उसका समेकन करना है बल्कि, कतिपय अभिज्ञात क्षेत्रों में उत्कृष्टता विकसित करना भी है। अनुदान का उपयोग, शिक्षण, शोध और प्रशासन के आधुनिकीकरण के साथ विस्तार करने और शोध गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये भी किया जा सकता है ताकि समाज की अपेक्षाओं को उचित रूप से पूरा करने में विश्वविद्यालयों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जो विकास सहायता प्रदान की जाती है, वह सहायता, स्टॉफ, भवनों, उपस्करों, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, परिसर विकास आदि के लिए है। विकास सहायता केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को स्टाफ, भवन, उपकरण, पुस्तक एवं पत्रिकाओं, कैंपस विकास, नव अनुसंधान क्रियाकलाप एवं पहुंच (आउटरीच) कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों की आईसीटी आवश्यकताओं, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यार्थियों, सुविधाओं, जयन्ती अनुदान और प्राकृतिक विपत्तियां/आपदाओं के लिए दी जाती है ।

वर्ष 2011–12 के दौरान, पुराने 23 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों 526.84 करोड़ रुपये का सामान्य योजनागत अनुदान जारी किया गया है। 756.38 करोड़ रुपए की योजनागत अनुदान राशि, 16 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अस्थायी कार्यालय को किराए पर लेना, निवास हेतु स्थान की व्यवस्था, चारदीवारी के निर्माण के लिए (जहाँ स्थल को चुना गया चिन्हित किया गया है, सहायक स्टॉफ की नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति प्रत्यायोजित/अल्पकालीन अनुबंधात्मक आधार पर थी, वाहन खरीदने के लिए, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए अनुदान द्वारा जारी किया गया। 16 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान में परीक्षा उत्तीर्ण नही हुए अनुसंधान अध्येताओं को दी जाने वाली अध्येतावृत्ति सहित विलयित योजना के तहत जारी किये जाने वाला अनुदान भी शामिल है।

तालिका 3.1 : पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दी गई सामान्य विकास (योजनागत) सहायता तथा अन्य अनुदान : 2011-12

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	सामान्य विकास अनुदान	विलयित योजना	एम.फिल./पीएच- डी हेतु गैर-नेट अध्येतावृत्ति	अतिरिक्त अनुदान	जोड़ (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
	मुख्य क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय					
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	29.00	1.00	2.50	1.70	34.20
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	47.00	0.00	5.09	10.00	62.09
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	33.00	0.00	0.00	33.00	66.00
	यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल सांईसेज	7.61	0.00	0.00	2.26	9.87
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	12.44	0.00	2.50	65.39	80.33
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	10.00	0.00	1.50	52.44	63.94
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	27.57	1.00	0.00	15.00	43.57
7.	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	12.34	0.00	1.50	50.00	63.84
8.	विश्व भारती	36.51	0.00	1.50	7.00	45.01
9.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	59.00	0.00	0.87	0.00	59.87
10.	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	6.40	0.00	0.75	30.00	37.15
11.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20
12.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	23.00	0.00	1.00	0.00	24.00
13.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	20.00	1.56	3.50	0.20	25.25
14.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय	95.00	0.00	0.02	0.00	95.02

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	सामान्य विकास अनुदान	विलयित योजना	एम.फिल./पीएच- डी हेतु गैर-नेट अध्येतावृत्ति	अतिरिक्त अनुदान	जोड़ (₹ करोड़ों में)
1	2	3	4	5	6	7
	पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय					
15.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	7.60	0.00	0.00	32.00	39.60
16.	असम विश्वविद्यालय	7.00	0.00	4.85	21.10	32.95
17.	तेजपुर विश्वविद्यालय	4.31	1.00	0.70	57.00	63.00
18.	नागालैंड विश्वविद्यालय	26.00	0.00	0.25	0.00	26.25
19.	मिजोरम विश्वविद्यालय	24.25	0.67	0.63	16.57	42.13
20.	मणिपुर विश्वविद्यालय	8.79	0.90	1.10	24.17	34.97
21.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	10.00	0.50	0.25	3.00	13.75
22.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.25	22.00	22.25
23.	सिक्किम विश्वविद्यालय	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	कुल (पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालय)	**526.84**	**6.63**	**28.76**	**44.803**	**1010.27**

तालिका 3.2 : विलय की गई योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहित नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किया गया सामान्य अनुदान: 2011-12

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कुल (₹ करोड़ में)
1.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	60.60
2.	एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड	91.80
3.	डॉ. एच. एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)	69.47
4.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	25.00
5.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	25.00
6.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	98.00
7.	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	0.00
8.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	107.00
9.	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	49.00
10.	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	0.00
11.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	100.00
12.	ओड़ीशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	35.00
13.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	30.00
14.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	44.00
15.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	10.00
16.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू	11.50
	जोड़ (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)	**756.38**

"विलयित योजनाओं" के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान

विश्वविद्यालयों को तीव्रता तथा निर्बाध रूपसे निधियों के उपयोग में सक्षम बनाने के लिए विलयित योजनाओं के अंतर्गत एकमुश्त अनुदान जारी कर दिया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान "विलयित योजनाओं" की श्रेणी के अंतर्गत 7 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 6.63 करोड़ रुपये का कुल योजना अनुदान जारी किया गया था।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के गैर–नेट पीएचडी और एम.फिल छात्रों को अध्येतावृत्ति

इस योजना के अंतर्गत पी.एच.डी. और एम.फिल. के लिए क्रमशः 5000 रुपये प्रतिमाह और 3000 रुपये प्रतिमाह अध्येतावृत्ति प्रत्येक छात्र को विज्ञान विषयों के लिये 10,000 रुपये प्रति वर्ष और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए 8000 रुपये प्रति वर्ष की आकस्मिकता धनराशि के साथ दी जाती है ।

इस उद्देश्य के लिए सूचित वर्ष 2011–12 के दौरान 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 28.76 करोड़ रुपये की कुल धनराशि जारी की गई थी ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भी निधियां प्रदान की हैः–

I) सच्चर समिति का कार्यान्वयन

सच्चर समिति रिपोर्ट की उच्च शिक्षा क्षेत्र के बारे में की गई सिफारिशों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा श्री मो0 ए.ए. फातमी, राज्य मत्री, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता, की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था । माननीय मानव संसाधन मंत्री ने फातमी समिति की रिपोर्ट उसमें अंतर्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर ली है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के बारे में फातमी समिति ने कतिपय विशिष्ट सिफारिशें की है ।

वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को 10.00 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है ।

ii) दाखिले मे अ.पि.व. को आरक्षण प्रदान करने के लिए क्षमता विस्तार

वर्ष 2010–11 के दौरान, दाखिले में अ.पि.व. के लिए आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों 289.26 करोड़ रुपये का सामान्य योजनागत अनुदान निम्नानुसार जारी किया गया है।

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (महाविद्यालयों सहित)	18.00
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय	
क.	विश्वविद्यालय विभाग	72.00
ख.	महाविद्यालय (53)	
	53 कला, विज्ञान एवं वाणिज्य, ललित कला, शिक्षा आदि महाविद्यालय	80.00
ग.	नॉन–कालीजेट एजूकेशन फॉर गर्ल्स	0.00
घ.	यूनीवर्सिटी आफ मेडीकल सांईसेज	10.00
3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	0.00
4.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	48.96

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ों में)
5.	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	6.00
6.	विश्व भारती	20.00
7.	असम विश्वविद्यालय	4.00
8.	तेजपुर विश्वविद्यालय	0.00
9.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	2.00
10.	एमजीए हिंदी विश्वविद्यालय	2.00
11.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	1.00
12.	जी0बी0 पंत इंस्टीटयूट आफ सोशल साइंसेज हेतु 130.00 लाख रू0 सहित इलाहाबाद विश्वविद्यालय	25.30
13.	मणिपुर विश्वविद्यालय	0.00
	कुल	**289.26**

iii) अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना

विश्वविद्यालय कोचिंग एवं सेवाओं में प्रवेश की योजनाओं के अपेक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़े है इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामिया में अल्पसंख्यकों/अनु.जा./अनु.ज.जा. और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना की गई थी ।

अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्देश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देना है, इसलिए इन विद्यार्थियों को अनुशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करके अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के संबंध में अनुकूल कार्रवाई करना है। इस कार्यक्रम के अधीन उन्हें निःशुल्क/नाम मात्र के शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है और केंद्रीय/ राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान करना है।

इस योजना के अधीन आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई वित्तीय सहायता निम्नवत् हैः—

क्रम. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कुल आवंटन	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	13.29	6.64
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	15.00	7.50
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	8.29	4.14
4.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	10.78	5.39
5.	जामिया हमदर्द	13.95	6.98
	जोड़	**61.32**	**30.65**

iv) पीठों की स्थापना

(क) राजीव गांधी पीठ

वर्ष 2006 में, वि.अ.आ. ने राजीव गांधी पीठ की स्थापना की, जो तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरंभ की गई है, यथा (i) दिल्ली विश्वविद्यालय; (ii) इलाहाबाद विश्वविद्यालय; और (iii) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय। वर्ष 2011—12 में जारी किए गए अनुदान की स्थिति इस प्रकार हैः

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	थीम/विषय का नाम	वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1. नाभिकीय निरस्त्रीकरण और शांति अध्ययन 2. पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र निर्माण 3. सामाजिक न्याय	₹ 20.00 लाख

ख) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पीठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद को मौलाना अबुल कलाम आजाद पीठ की स्थापना करने के लिए चुना है । 2011–12 के दौरान इन विश्वविद्यालयों को जारी अुनदान निम्नवत दिया गया हैः–

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विषय का नाम	वर्ष 2011-12 के दौरान जारी अनुदान
1.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1. मौलाना का पत्रकारिता में योगदान 2. मौलाना का सामान्यतः शिक्षा में और विशेषतः उच्च शिक्षा में योगदान 3. मौलाना का उर्दू और अरबी साहित्य को योगदान 4. मौलाना की स्वतंत्रता आंदोलन/ राजनीतिक/ सामाजिक/ ऐतिहासिक पहलुओं में भूमिका 5. समसामयिक धर्म अध्ययनों में मौलाना का योगदान 6. लोगों में धर्मनिरपेक्षता तथा समेकित शिक्षा का विचार 7. मौलाना के आर्दश तथा मूल्य	₹ 20.00 लाख
2.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय		₹ 20.00 लाख

v) उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए केन्द्र की स्थापनाः–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक विकास हेतु केन्द्र की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया को निधियां दे रहा है। इन विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान की स्थिति निम्नवत दी गई हैः–

विष्वविद्यालय का नाम	आवंटन	2011-12 के दौरान जारी अनुदान	ग्यारहवीं योजना के दौरान अब तक जारी अनुदान (₹ करोड़ में)
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	4.00	शून्य	3.76
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी	4.00	1.70	3.70
जामिया मिलिया इस्लामिया	4.00	शून्य	2.00

▲ अनुरक्षण (गैर–योजना) सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टाफ के वेतन पर होने वाले आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु तथा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों के रखरखाव हेतु तथा करों, टेलीफोनों, डाक, विद्युत बिलों आदि के भुगतान हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, 24 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय का भुगतान करने के लिए गैर–योजनागत अनुदान जारी किए गए, जिनकी कुल राशि 2974.36 करोड़ रुपये थी (तालिका 3.3)। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय नए होने के कारण उन्हें केवल योजनागत अनुदान दिया गया।

तालिका 3.3 : केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (गैर-योजनागत) अनुदान : 2011-12

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सहित)	545.22
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (आयुर्विज्ञान संस्थान सहित)	559.17
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	329.46
	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस	61.37
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	139.46
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	165.62
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	201.14
7.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	57.97
8.	विश्व भारती	132.34
9.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	13.15
10.	एम जी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	8.83
11.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	20.13
12.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	39.32
13.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय (सम्बद्ध 11 कॉलेज और जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान सहित)	165.09
14.	डॉ. एच एस गौड़ विश्वविद्यालय	73.67
15.	एन एच बी गढ़वाल विश्वविद्यालय	58.86
16.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	31.05
17.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	121.37
18.	असम विश्वविद्यालय	38.74
19.	तेजपुर विश्वविद्यालय	26.99
20.	नागालैंड विश्वविद्यालय	44.60
21.	मिजोरम विश्वविद्यालय	44.13
22.	मणिपुर विश्वविद्यालय	52.38
23.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	21.78
24.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	22.50
	जोड़	**2974.36**

ख. राज्य विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अनुसार, 17 जून, 1972 के बाद स्थापित, नये राज्य विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई भी अनुदान प्राप्त करने के तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि आयोग स्वयं विहित मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने योग्य है। 31 मार्च, 2012 तक विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से 397 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान

वर्तमान में, 144 राज्य विश्वविद्यालय, (कृषि/मेडिकल विश्वविद्यालयों को छोड़कर), वि.अ.आ. से सामान्य विकास अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, अनुदानों सहित (जयंती अनुदान, संसाधन जुटाने, तकनीकी शिक्षा हेतु सहायता, समकालीन अध्ययन में राजीव गांधी पीठ की स्थापना आदि) विकास अनुदान, धारा 12 ख के तहत कवर राज्य विश्वविद्यालय को अतिरिक्त सहायता तथा गैर 12 ख के तहत राज्य विश्वविद्यालय को एकमुश्त कैचअप अनुदान इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि वे आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ प्राप्त कर सकें, जो सामान्यतः उन्हें, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सहायक निकाय से उपलब्ध नहीं होती हैं। यह सहायता, भवन, स्टॉफ, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, उपस्कर, आदि के लिए भी दी जाती हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सामान्य विकास सहायता के बाद भी वर्ष 2011–12 के दौरान, सामान्य विकास सहायता के साथ–साथ आमेलित योजनाओं के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए गए।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत 40 राज्य विश्वविद्यालयों को 126.59 करोड़ रुपये का विकास (योजना) अनुदान और समेकित योजनाओं के अंतर्गत 24 राज्य विश्वविद्यालयों को 49.90 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था (तालिका 3.4 (क) और तालिका 3.4 (ख))। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान का निम्नलिखित तरीके से उपयोग करने की सलाह दी गई थी:

सामान्य – 77.5 प्रतिशत, अ.जा. – 15 प्रतिशत और अ.ज.जा. – 7.5 प्रतिशत

पंजाब विश्वविद्यालय को वर्ष 2011–12 के लिए अनुरक्षण घाटे को पूरा करने हेतु 150.00 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आबंटन से 90.00 लाख की धनराशि पूर्वोत्तर में स्थित दो राज्य विश्वविद्यालयों को जारी की गई थी ।

तालिका 3.4 (क) : राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदत्त सामान्य विकास (योजनागत) अनुदान : 2011-12

क्रम सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रदत्त योजनागत अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	07	22.14
2.	असम	-	-
3.	बिहार	02	6.43
4.	छत्तीसगढ़	01	2.50
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-
6.	गोवा	-	-
7.	गुजरात	04	17.53
8.	हरियाणा	04	4.71
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	01	4.50
11.	झारखंड	-	-
12.	कर्नाटक	02	7.71
13.	केरल	02	8.84
14.	मध्य प्रदेश	02	4.78

क्रम सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रदत्त योजनागत अनुदान (₹ करोड़ में)
15.	महाराष्ट्र	02	3.48
16.	ओड़ीशा	02	4.35
17.	पंजाब	01	3.70
18.	राजस्थान	01	4.50
19.	तमिलनाडु	04	8.69
20.	उत्तर प्रदेश	02	7.33
21.	उत्तराखण्ड	-	-
22.	पश्चिम बंगाल	03	15.40
	कुल	**40**	**126.59**

टिप्पणी : उन शेष विश्वविद्यालयों को किसी प्रकार का अनुदान जारी नहीं किया गया, जिनसे पिछले वर्षों में जारी किए गए अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

तालिका 3.4 (ख) : विलंबित योजनाओं के अंतर्गत विकास अनुदान : वर्ष 2011-12

क्रम सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रदत्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	05	6.37
2.	असम	-	-
3.	बिहार	-	-
4.	छत्तीसगढ़	01	2.84
5.	दिल्ली	-	-
6.	गोवा	-	-
7.	गुजरात	01	3.21
8.	हरियाणा	01	3.73
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	01	2.33
11.	झारखंड	-	-
12.	कर्नाटक	01	1.86
13.	केरल	-	-
14.	मध्य प्रदेश	02	5.48
15.	महाराष्ट्र	03	5.42
16.	उड़ीसा	01	0.36
17.	पंजाब	01	3.21
18.	राजस्थान	01	1.36
19.	तमिलनाडु	01	2.34
20.	उत्तर प्रदेश	03	7.91

क्रम सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रदत्त अनुदान (₹ करोड़ में)
21.	उत्तराखण्ड	01	0.22
22.	पश्चिम बंगाल	01	3.26
	कुल जोड़	24	49.90

तालिका 3.4 (ग) : 11वीं योजना अवधि 2007-2012 के दौरान आमेलित योजनाओं के तहत राज्य विश्वविद्यालय को जारी किया गया अनुदान

क्र. सं.	योजना का नाम अनुदान	जारी (₹ करोड़ में)
1.	यात्रा अनुदान	21.30
2.	सम्मेलन/ संगोष्ठी/ विचारगोष्ठी/ कार्यशाला	14.06
3.	प्रकाशन अनुदान	13.74
4.	विजिटिंग प्रोफेसरों/विजिटिंग फेलो की नियुक्ति	11.35
5.	दिवस देखभाल केंद्र	2.99
6.	साहसपूर्ण खेल, जिनमें खेलों की संरचना और उपस्करों के विकास की योजनाएं भी शामिल हैं।	28.84
7.	पिछड़े/ ग्रामीण/ दूरस्थ/ सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान	44.97
8.	युवा विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान और पुराने विश्वविद्यालयों के लिए नवीकरण अनुदान।	26.99
9.	उपकरण अनुरक्षण केंद्र (आई एम एफ)	13.32
10.	महिला छात्रावासों का निर्माण	69.14
11.	महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएं	32.12
12.	संकाय विकास कार्यक्रम । (एम.फिल/पी.एच.डी. हेतु अध्यापक अध्येतावृत्ति)	10.70
13.	समान अवसर प्रकोष्ठ	1.25
14.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजना	65.12
15.	विश्वविद्यालयों में कॅरियर एवं परामर्श प्रकोष्ठ स्थापित करना।	11.55
16.	निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं।	13.90
	कुल	381.34

जयंती अनुदान (25, 50, 75, 100 और 150 वर्ष पूरे होने पर)

11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 25, 50, 75, 100 और 150 वर्ष पूरे कर रहे है, उनके लिए जयंती अनुदान के रूप में विकास सहायता देने का प्रावधान है। यह अनुदान,उस सामान्य विकास आवंटन के अतिरिक्त होगा, जो किसी सम्बद्ध राज्य विश्वविद्यालय को 11वीं योजना के दौरान, दिया जा चुका है।

इसकी अधिकतम सीमा निम्नवत है :–

शताब्दी वर्ष (100 वर्ष)	:	100.00 लाख रुपये
प्लेटिनम जयंती (75 वर्ष)	:	75.00 लाख रुपये
हीरक जयंती (60 वर्ष)	:	60.00 लाख रुपये
स्वर्ण जयंती (50 वर्ष)	:	50.00 लाख रुपये
रजत जयंती (25 वर्ष)	:	25.00 लाख रुपये

वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

- **समसामयिक अध्ययनों में राजीव गांधी पीठ की स्थापना**

11वीं पंचवर्षीय योजना में बर्कतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल और कोचीन विश्वविद्यालय को राजीव गांधी पीठ की स्थापना संबंधी योजना के अधीन 20 लाख रुपये जारी किए गए है।

- **बाबू जगजीवन राम पीठ**

"राजीव गांधी पीठ की स्थापना" योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 5 राज्य विश्वविद्यालयों तथा (पटना, एल एन मिथिला, वीर कुंवर सिंह, कलकत्ता और मैसूर विश्वविद्यालय) के संबंध में "बाबू जगजीवन राम पीठ की स्थापना के प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिए गए है। उक्त पीठ की स्थापना के लिए पटना विश्वविद्यालय को 18.00 लाख रुपये की रकम भी जारी की गई है।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत पहले से आने वाले विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त सहायता**

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पठन पाठन को सुदृढ़ करना है ताकि इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अंतर्गत आने वाले राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह सहायता जेनरेटर, इनवर्टर, प्रयोगशाला उपस्कर, स्मार्ट बोर्ड और रेफ्रिजरेटर, डिजिटल कैमरा सहित दृश्य–श्रव्य उपस्कर, एलसीडी/ टीवी, और अन्य शिक्षण सहायता, कंप्यूटर और उसके पुर्जों, सॉफ्टवेयर और उसके पुर्जों, सॉफ्टवेयर और रिप्रोग्राफिक सुविधा जैसे उपस्करों के लिए दी जाती है।

इस अनुदान की अधिकतम सीमा एक विश्वविद्यालय के लिए 2.00 करोड़ रुपये है। इस योजना के अधीन वर्ष 2011–12 के दौरान 73 राज्य विश्वविद्यालयों को 95.37 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया है।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (12 ख) के अंतर्गत नहीं आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों को एकमुश्त कैच–अप अनुदान**

इस योजना का उद्देश्य ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता देना है जो बुनियादी सुविधाओं और अन्य मापदंडों को पूरा न करने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विकास अनुदानों के अंतर्गत नहीं आ पाए है। अतः उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकास नियमित अनुदान प्रदान किया जाता है ताकि ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता में अपने योगदान की कमी को पूरा कर सकें।

राज्य द्वारा जिन राज्य विश्वविद्यालयों की वित्त व्यवस्था की जाती है और जो विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन सूचीबद्ध है, वें अन्य मापदंडों के साथ–साथ इस सहायता के पात्र है। यह वित्तीय सहायता अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये तक मिल सकती है।

20 राज्य विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर 13 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया। 2011–12 के दौरान इस योजना के अंतगर्त 3 विश्वविद्यालयों को 9 करोड़ रुपये जारी किए गए थे ।

- **बाम्बे, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय के 150 वर्ष पर स्मरणोत्सव मनाना**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को उनकी स्थापना के 150वें वर्ष के अवसर पर नैनोसाइंसेज/नैनोटेक्नोलॉजी/ बायोमेडिकल नैनोटेक्नोलॉजी में अनुसंधान के उद्देश्य से 100.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया ।

वर्ष 2011–12 के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था ।

- **इंजीनियरिंग संकाय के उन्नयन हेतु अतिरिक्त आवंटन**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित पांच राज्य विश्वविद्यालयों को इंजीनियरिंग संकाय के उन्नयन हेतु विशेष अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया:

1. आंध्र यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर

2. ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

3. जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर

4. बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, शिवपुर

5. कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोचिन

वर्ष 2011–12 के दौरान जादवपुर यूनिवर्सिटी को 10.00 करोड़ रुपये और आंध्र यूनिवर्सिटी को 4.00 करोड़ रुपये जारी किए गए थे ।

- कश्मीर यूनिवर्सिटी और इससे संबद्ध कॉलेजों के विस्थापित प्रवासी अध्यापकों के लिए अतिथि प्राध्यापक के पदों हेतु विशेष योजना

नवम्बर, 1990 में आयोग ने कश्मीर यूनिवर्सिटी और इससे संबद्ध कॉलेजों से विस्थापित प्रवासी अध्यापकों को शिक्षण / शोध कार्य प्रदान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापक के कुछ पद सृजित किए थे । आयोग ने प्रवक्ता, रीडर और प्रोफेसर तीन पदों के समकक्ष क्रमशः तीन स्तरों पर यथा ए, बी, और सी पर अतिथि प्राध्यापक के पद सृजित किए तथा अप्रैल, 1999 से ए, बी और सी स्तरों पर उन्हें बढ़े आधार पर 3500 रुपये प्रतिमाह (अध्यापाक), 400 रुपये प्रतिमाह (रीडर) और 5500 रुपये प्रतिमाह (प्रोफेसर) को देने का निर्णय लिया था । यह योजना अनेक बार आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के आदेशों द्वारा बढ़ाई गई । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुदेशों पर आयोग ने सी पी पी–II अनुभाग द्वारा जारी अपने दिनांक 12.01.2005 के पत्र द्वारा यह निर्णय लिया था कि इन अध्यापकों को उन संस्थाओं जहां वे वर्तमान में कार्यरत है में मौजूदा रिक्तियों पर आमेलित किया जा सकता है । उन्हें संबंधित विश्वविद्यालयों में आमेलन के लंबित रहने के कारण 01.04.2005 से 31.03.2006 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार भी दिया गया है ।

वर्ष 2011–12 के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था ।

ग. सम विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कोई भी उच्चतर शिक्षा से जुड़ी संस्था जो किसी विशेष क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्तर का कार्य कर रही हो, उसे सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं को विश्वविद्यालय जैसा अकादमिक दर्जा व विशेष अधिकार भी प्राप्त हो जाते है तथा ये आमतौर से बहुसंकाय युक्त विश्वविद्यालय बन जाने की अपेक्षा, अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ मजबूत कर पाती है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम्, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत किसी भी विश्वविद्यालय को सम विश्वविद्यालयों के रूपमें अधिसूचित नही किया गया है। 31 मार्च, 2011 तक सम विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 129 थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली का मानित विश्वविद्यालय का दर्जा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 30.09.2011 द्वारा वापस ले लिया गया है । 129 मानित विश्वविद्यालयों में से, आयोग केवल 24 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देता रहा है । दो तकनीकी मानित विश्वविद्यालयों यथा थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटियाला और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा को भी विशिष्ट उद्देश्यों जैसे स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर प्राध्यापकों को वेतन और प्रयोगशाला के रख–रखाव के लिए गैर–योजना अनुदान दिया जाता है ।

विकास (योजनागत) अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल 129 सम विश्वविद्यालयों **(परिशिष्ट–XIII)** को विकास (योजनागत) अनुदान प्रदान किया है। सामान्य विकास सहायता का उद्देश्य, विश्वविद्यालयों को आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है ताकि वे कम से कम स्तर को प्राप्त कर सकें और गुणवत्ता में सुधार कर सकें। यह सहायता विद्यमान संरचना को समेकित करने में उपयोग में लाई जा सकती है और शिक्षण अनुसंधान तथा अन्य क्रियाकलापों का विस्तार और पहुंच के लिए भी किया जा सकता है ताकि समाज की मांग के अनुरूप विश्वविद्यालयों की आवश्यकता में परिवर्तन किया जा सके।

सामान्य विकास सहायता योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को संरचना निर्माण, परिसर विकास, स्टाफ, पुस्तकालय, उपस्कर, नवोन्मेषी शोध गतिविधियों और पहुंच कार्यक्रमों, आईसीटी की आवश्यकताओं, स्वास्थ्य केंद्रों, छात्र सुविधाओं एवं जयंती अनुदानों के लिए सहायता प्रदान करना है।

11वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य विकास अनुदान योजना के साथ कुल 16 योजनाओं का विलय कर दिया है। इन सभी योजनाओं के लिए जो आबंटन किया जा रहा है, वह ग्यारहवीं योजना की दौरा करने वाली समितियों की सिफारिश पर आधारित है। विलय की गई योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. यात्रा अनुदान
2. सम्मेलन / संगोष्ठी / विचारगोष्ठी / कार्यशाला / अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. प्रकाशन अनुदान
4. विजिटिंग प्रोफेसरों / विजिटिंग फेलो की नियुक्ति
5. दिवस देखभाल केंद्र
6. साहसपूर्ण खेल, जिनमें खेलों की संरचना और उपस्करों के विकास की योजनाएं भी शामिल है।
7. पिछड़े / ग्रामीण / दूरस्थ / सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान।
8. युवा विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान और पुराने विश्वविद्यालयों के लिए नवीकरण अनुदान।
9. उपकरण अनुरक्षण केंद्र (आई एम एफ)
10. महिला छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना
11. महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएं
12. संकाय विकास कार्यक्रम
13. समान अवसर प्रकोष्ठ
14. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजना
15. विश्वविद्यालयों में कॅरियर एवं परामर्श प्रकोष्ठ स्थापित करना।
16. निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं।

वर्ष 2011–12 के दौरान 16 सम विश्वविद्यालयों को 41.04 करोड़ रुपये का विकास अनुदान तथा विलयित योजनाओं के अधीन 10 विश्वविद्यालयों को कुल 9.49 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। सम विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5 : सामान्य विकास (योजनागत) अनुदान और विलयित योजना के अधीन सम विश्वविद्यालयों वाले संस्थानों को दिया जाने वाला अनुदान : वर्ष 2011-12

क्रम सं.	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	सामान्य विकास अनुदान	विलयित योजना के अधीन प्रदत्त अनुदान	कुल (₹ करोड़ में)
	आंध्र प्रदेश			
1.	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग	1.46	0.50	1.96
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	3.50	-	3.50
	दिल्ली			
3.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर	2.00	-	2.00
4.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,	4.00	-	4.00
5.	इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली	-	-	-
	गुजरात			
6.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	2.00	0.37	2.37
	झारखंड			
7.	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची	-	-	-
	महाराष्ट्र			
8.	**डेक्कन कॉलेज पी जी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे	2.50	0.10	2.60
9.	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स	3.00	-	3.00
10.	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मटूंगा, मुंबई	2.50	1.50	4.00
11.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	4.50	0.73	5.23
12.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	-	-	-
	पंजाब			
13.	थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,	-	-	-
	राजस्थान			
14.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	4.50	2.50	7.00
15.	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज	-	-	-
16.	जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लॉडनु	0.50	0.75	1.25
	तमिलनाडु			
17.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजूकेशन, कोयम्बतूर	2.50	1.50	4.00
18.	'चेन्नै मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, चेन्नै	-	-	-
19.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम	3.00	3.00	6.00
20.	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, इनथुर कांचीपुरम,	-	-	-
	उत्तर प्रदेश			
21.	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज,	0.99	0.73	1.72
22.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	1.90	-	1.90

क्रम सं.	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	सामान्य विकास अनुदान	विलयित योजना के अधीन प्रदत्त अनुदान	कुल (₹ करोड़ों में)
	उत्तराखंड			
23.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	-	-	-
	पश्चिम बंगाल			
24.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हावड़ा, पश्चिम बंगाल	2.19	-	2.19
	जोड़	**41.04**	**11.68**	**52.72**

अनुरक्षण (गैर-योजनागत) अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 10 सम विश्वविद्यालयों को गैर–योजनागत अनुदान प्रदान कर रहा हैं **(परिशिष्ट–XIII)**। इन 10 विश्वविद्यालयों में से आठ सम विश्वविद्यालय वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति हित लाभों और वेतनेत्तर मदों के लिए शत–प्रतिशत गैर–योजना अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। गैर–योजनागत मदों में उपभोक्ता वस्तुएं, बिजली प्रभार, पानी प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिक व्यय, भवनों का रखरखाव/ मरम्मत और अन्य व्यय शामिल हैं। शेष दो सम विश्वविद्यालयों अर्थात जामिया हमदर्द, नई दिल्ली और चंद्रशेखर सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम को निर्धारित अनुरक्षण संगठित अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जो क्रमशः 800.00 लाख रुपये प्रति वर्ष और 7.00 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

वर्ष 2011–12 के दौरान दस पात्र सम विश्वविद्यालयों को 200.70 करोड़ रुपये की रकम अनुरक्षण अनुदान के रूप में अदा की गई हैं। प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6 : संस्थानों/ सम विश्वविद्यालयों को प्रदान गैर-योजनागत (अनुरक्षण) अनुदान : वर्ष 2011-12

क्रम सं.	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
	आंध्र प्रदेश	
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	16.46
	नई दिल्ली	
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	17.66
3.	जमिया हमदर्द, नई दिल्ली	12.13
	गुजरात	
4.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	24.60
	महाराष्ट्र	
5.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	35.35
	तमिलनाडु	
6.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजूकेशन फॉर वूमेन	28.63
7.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम	28.14
8.	*श्री सी.एस. महाविश्वविद्यालय, कांचीपुरम	0.07
	उत्तर प्रदेश	
9.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	14.93

क्रम सं.	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	राशि
	उत्तराखंड	
10.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	22.73
	कुल	200.70

*निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्तकर्ता

3.2 सम विश्वविद्यालयों की मुख्य विशेषताएं : वर्ष 2011-12

3.2.1 अविनाशलिंगम महिला विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, (तमिलनाडु)

अविनाशलिंगम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डॉ. टी.एस. अविनाशलिंगम द्वारा की गई जो कि कोयम्बतूर, तमिलनाडु के एक विख्यात शिक्षाविद्, महान स्वतंत्रता सैनानी, उत्कृष्ट दर्शनशास्त्री तथा दूरदृष्टा थे। इस महान गांधीवादी विचारक ने महिलाओं, विशेषतौर पर जो समाज के वंचित वर्ग से थी तथा राष्ट्र में उनकी सार्थक भूमिका निभाने के लिए उच्च शिक्षा के एक संस्थान की स्थापना करने पर विचार किया।

भारत सरकार ने श्री अविनाशलिंगम महिला गृहविज्ञान महाविद्यालय तथा श्री अविनाशलिंगम महिला शिक्षक महाविद्यालय को जून 1988 में वि.अ. आ. के अनुच्छेद 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया।

- **उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताएँ :**

विश्वविद्यालय के उद्देश्य है :–

- गृह विज्ञान, विज्ञान मानविकी, प्रबन्धन शिक्षा तथा इंजीनियरी में पी.एच.डी. के स्तर पर उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार में उत्कृष्टता उपलब्ध कराना।
- अध्ययन के सभी विषयों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक एवं शैक्षिक मानकों का विकास कारना।
- महिलाओं में प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा के जरिये उनके अधिकारों और स्तर के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- देश के सभी भागों से महिलाओं को परस्पर संगठित करके राष्ट्र के प्रति निष्ठा का संचार करना तथा राष्ट्रीय भावना का विकास करना।
- सामुदायिक एवं समाज सेवा कार्यक्रमों के जरिये विकास कार्यो को सुकर बनाने के लिए अनुसंधान परिणामों का समाज में प्रचार एवं प्रसार करना।

- **रिपोर्टाधीन वर्ष 011–12 बजट आवंटन एवं निष्पादन बजट**

वर्ष 2011–12 बजट आवंटन : 35.14 करोड रूपये

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निष्पादन बजट : 34.90 करोड रूपये

- **31.03.2012 तक लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज (शिक्षक, छात्र, महिलाएँ, अ.जा./अ.ज.जा. आदि):**

छात्र प्रोफाईल:

छात्रों की कुल संख्या–6236

अ.जा.–725 अ.ज.जा.–33 अन्य पिछड़ा वर्ग– 4499 शारीरिक रूप से नि:शक्त–32 अल्पसंख्यक–459

संकाय प्रोफाईलः

कुल संख्या–396

अ.जा.–25 अ.ज.जा.–3 अन्य पिछड़ा वर्ग– 278 शारीरिक रूप से निःशक्त–4 अल्पसंख्यक–20

- **वर्तमान स्थिति, कार्यक्रम के संबंध में लिए गए महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/किए गए परिवर्तन**

विश्वविद्यालय ने स्नातकपूर्व स्तर पर चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के ढाचे का पुर्नगठन किया है ताकि केफिटेरिया एप्रोच के तहत छात्रों को विषय में उनकी पसंद की पेशकश की जा सके।

पसंद के रूप में पेशकश की जाने वाले पाठयक्रमों की संख्या निम्नवत है

- स्नातकपूर्व
- अंतर–विषयक पाठयक्रम
- मुक्त पाठयक्रम–36, संबद्ध पाठयक्रम, मूल्य वर्धित पाठयक्रम–44, सह– पाठयचर्या पाठयक्रम–15, पाठयेत्तर पाठयक्रम (एनसीसी, एनएसएस एचं खेल कूद)

- **अपनाई जाने वाली विकास नीति का उल्लेख करते हुए भावी कार्य योजना**

ज्ञान अर्जन विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव जिसमें निम्नवत शामिल है

- प्रणालीगत सुधार
- कैम्पस विकास
- आईसीटी विकास
- अन्य सुविधा विकास एवं योजनाएं जिससे गुणवत्तायुक्त राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का आगमन हो।
    - विस्तार, समता तथा पहुंच
    - वंचित तथा कमजोर वर्गों पर ध्यान देना
    - आमने–सामने, मिश्रित एवं आनलाईन शिक्षा
    - सामुदायिक एवं सामाजिक प्रतिबद्धता
    - समाज की महिला छात्र, गैर–छात्र युवा एवं महिलाएं
- उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की योजना

- **सम्मेलनों का आयोजन, विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों के दौरे तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम यदि आयोजित किए गए हों**

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	:	03
राष्ट्रीय सम्मेलन	:	04
संकाय विकास कार्यक्रम	:	07
क्षेत्रीय कार्यशालाएं	:	28
क्षेत्रीय संगोष्ठियां	:	25
छात्र कार्यशालाए/ प्रशिक्षण कार्यक्रम	:	31
विदेशी प्रतिनिधिमण्डलो का दौरा	:	31

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमः

स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, स्थापना दिवस, एनएसएस दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेखापरीक्षा जागरूकता, विज्ञान दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व खाद्य दिवस आदि राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ /देशों के साथ करार/सहयोग

- इंस्टीटयूट ऑफ फाईनांस मेनेजमेंट दर–ए–इस्लाम, तंजानिया
- क्यूंग ही विश्वविदयालय, दक्षिण कोरिया तथा क्यूंगपूक राष्ट्रीय विश्वविदयालय, दक्षिण कोरिया के साथ अनुसंधान हेतु करार।
- यूंगपूक राष्ट्रीय विश्वविदयालय, दक्षिण कोरिया का न्यूटरोजिनोमिक केन्द्र।
- एवीआरडीसी के साथ करेले संबधी बहु–पोषण परियोजना पर एक उप–संविदा (एशियाई वेजीटेबल रिर्सच एण्ड डेवलेपमेंट सेंटर)

प्रकाशनों की सूची

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल–231

राष्ट्रीय स्तर के जर्नल–124

नीति प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण समितियों का गठन

सांविधिक निकाय

- आम निकाय
- प्रबंधन बोर्ड
- आयोजना तथा निगरानी बोर्ड
- शैक्षणिक परिषद
- शैक्षणिक मामलों संबधी स्थायी समिति
- अध्ययन बोर्ड
- अंतर्विषय बोर्ड
- वित्त समिति
- भवन समिति
- ग्रथालय समिति

समितियाँ तथा बोर्ड

- आईक्यूएसी प्रकोष्ठ
- पाठयक्रम पुर्नगठन
- परीक्षा

- अनुसंधान परामर्शदात्री समिति
- क्रय समिति
- सॉफ्ट स्किल
- सम्प्रेषण कौशल
- रैगिंग–रोधी
- अपील / शिकायत
- अनुशासनात्मक
- मानव तथा पशु सदाचार समिति

3.2.2 वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राजस्थान)

उद्देश्य

(i) शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति संश्लेषण तथा पश्चिम की वैज्ञानिक उपलब्धियों का संश्लेषण करते हुए प्रोन्नति; और

(ii) भारतीय संस्कृति के महत्त्वपूर्ण मूल्यों एवं आदर्शों का परिरक्षण एवं धारण करना।

मुख्य विशेषताएं

(I) पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण प्रगतिशील शिक्षा और व्यक्तित्व विकास।

(ii) भारतीय संस्कृति, विचार, व्यवहार और खादीधारण पर बल प्रदान करना।

(iii) व्यवहार और आचरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी में संतुलन।

(iv) सादा जीवन और अपना व्यक्तिगत कार्य अपने हाथों करने पर बल, और

(v) बिना किसी विशिष्टता के सामुदायिक जीवन।

रिपोर्टाधीन वर्ष (01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012) के लिए बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट

बजट आबंटन	कुल अंतिम आबंटन ग्यारहवीं योजना के लिए	तदर्थ आबंटन 2011-12 के लिए (₹ करोड़ में)
ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत सामान्य विकास योजनाओं के लिए	7.50	4.50
11 विलय की गई नई योजनाएं	5.61	2.50
कुल जोड़	13.11	7.00
निष्पादन बजट	**ग्यारहवीं योजना के लिए कुल निष्पादन बजट**	**2011-12 के लिए कुल निष्पादन बजट**
ग्यारहवीं योजना में सामान्य विकास योजना	8.06	4.90
विलय की गई 11 योजनाओं के अधीन	7.02	4.96
जोड़	15.08	9.86

लाभार्थियों की संख्या सहित लक्ष्य समूह को शामिल करना (वर्ष 2011-12)

	जोड़	महिलाएं	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अपिव/पिव
अध्यापक	357	320	10	4	57
विद्यार्थी	10917	10518	546	267	1801

कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति संगत महत्त्वपूर्ण संबंधित नीतिगत निर्णय/किए गए परिवर्तन

(I) विद्यापीठ इस समय देश के सभी भागों के विद्यार्थियों के लिए 9 संकायों (संगणन एवं गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, शिक्षा, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, फाइन आर्ट्स एवं डिजाइन) और 26 विभागों के अंतर्गत 126 महत्वपूर्ण कार्यक्रम (स्नातक 41, स्नातकोत्तर 40, एम फिल 7, शोध 23, अन्य 15) चलाता है;

(ii) स्टेक होल्डरों से प्राप्त फीडबैक के मद्देनजर विद्यापीठ ने स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना के स्थान पर सत्र योजना अपनाया है और अनेक कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया है;

(iii) अनेक नये कार्यक्रम जेसे बी.टेक (सी एस, ई सी, बायोटेक आदि), बी फार्मा, बी.एस.सी. (वैमानिकी) बी डिजाइनिंग आदि ग्यारहवीं योजना के दौरान शुरू किए गए है;

(iv) छात्रों के लिए बी एल आई एस एस (वनस्थली उदारीकृत प्रोत्साहन योजना) के माध्यम से दूसरे शैक्षिक उपलब्धि की संकल्पना तैयार की गई है और शैक्षिक मूल्यांकन अनुसंधान एवं संकाय सदस्यों की प्रशासनिक जिम्मेदारियों की नयी प्रणाली लागू की जा रही है;

(v) अपनी शिक्षा को अधिक संगत बनाने के लिए विद्यापीठ ने सदैव मजबूत विश्वविद्यालय उद्योग लिंकेज (यूआईएल) को प्रोत्साहन दिया है; और

(vi) अनेक क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रदान करने के लिए ज्ञान गंगा (ऑन लाइन अधिगम पोर्टल) की शुरूआत की गई है ।

भावी कार्य योजना अपनाई जाने वाली विकास रणनीतियों के उल्लेख सहितः

विद्यापीठ का उद्देश्य विधि, ऑटोमेशन एण्ड मेकाट्रानिक्स, वैमानिकी आदि क्षेत्रों में अद्वितीय शिक्षा प्रदान करने के लिये नये शैक्षिक ब्लॉकों और इनडोर स्पोर्ट्स कम्पलेक्स, विद्यार्थी छात्रावास, कर्मचारी आवास आदि के निर्माण के माध्यम से मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है। विद्यापीठ की योजना बारहवीं योजना अवधि के दौरान अपने सभी कार्यक्रमों के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) की तरफ बढ़ना है। इसके अलावा एल.एल.बी., बी. कॉम, बी.टेक (ई आई, ई ई) एम. टेक (नैनो टेक्नोलॉजी), एम डिजाइन, आदि शुरू करने की योजना है। विद्यापीठ ने बारहवीं योजना के दौरान अनेक नये उपायों का प्रस्ताव किया है जैसे कि जल एवं ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र, वनस्थली सेंटर फॉर ऑटोमेशन एण्ड मेकाट्रॉनिक्स, जो अपनी तरह का वैमानिकी विद्यालय है आदि।

आयोजित सम्मेलन विदेशी प्रतिनिधिमंडल के आगमन और अन्य महत्वपूर्ण कार्य, यदि कोई हों

1. राजस्थान आर्थिक संघ का बत्तीसवां वार्षिक सम्मेलन, नेशनल वर्क शॉप ऑन एन एम आर एलीमेंटरी टू एडवांस लेवल, नेशनल वर्कशॉप ऑन इन्टलेक्चुअल प्रापर्टी एण्ड इनोवेटिव मैनेजमेंट इन नॉलेज इरा आदि ।

2. अमरीकी छात्र अन्जेला पैट्रिनास ने प्रतिभाशाली छात्रों के एक समूह के साथ जुलाई, 2011 में विद्यापीठ का दौरा किया ।

3. विद्यापीठ का 28वां दीक्षांत समारोह 9 अक्तूबर, 2011 को संपन्न हुआ जिसमें श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के माननीय वित्त मंत्री, मुख्य अतिथि थे ।

4. विद्यापीठ का 76वां वार्षिक समारोह 24 सितम्बर, 2011 को संपन्न हुआ जिसमें श्री राहुल बजाज, अध्यक्ष, बजाज ऑटो लिमिटेड, मुख्य अतिथि थे ।

अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता

विद्यापीठ ने विद्यार्थी/संकाय सदस्यों के आदान–प्रदान, अनुसंधान आदि को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, रावेन्सवर्ग, जर्मनी, मेन्डाल यूनिवर्सिटी, कजेक रिपब्लिक, यूनिवर्सिटी ऑफ मर्सिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

प्रकाशित और मुद्रित प्रकाशनों की सूची

(I) "ए कम्परेटिव स्टडी एण्ड परफारमेन्स एनालिसीस ऑफ एसआरएएम सेल्स विद सिमेट्रिक एण्ड एसिमेट्रिक कंफिगरेशन" जर्नल ऑफ कम्यूनिकेशन एण्ड कंप्यूटर, यूएसए, 2011

(ii) सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्नस ऑफ मेसज ड्राइवेन सर्विस ओरिएन्टेड इन्टीग्रेशन ऑफ स्ट्रोव पाइप एप्लीकेशन इन हेल्थकेयर इन्टरप्राइज" एसीएम, वेनिस, इटली, अप्रैल, 2011

(iii) "क्रिटिकल रिव्यू ऑन मेडिसीनली पेटेन्ट प्लांट स्पीशीजः" ग्लोरिओसा सुपर्बा फिटोटेरापिया 82: 291–301 इलसेविअर (साइंस–डाइरेक्ट) अप्रैल, 2011

नीति उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण समितियों का गठन

महापरिषद, कार्यकारी परिषद, वित्त समिति, शैक्षिक परिषद, भवन समिति ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पुरानी योजनाओं/कार्यक्रमों को हटाना और उनके स्थान पर नये जोड़ना

नये कार्यक्रमः एम एस सी (भूगोल) एम.टेक (दूर संवेदी), एम. फार्मा. (भेषज रसायन) आदि

3.2.3 बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी (राजस्थान)

बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बी आई टी एस) एक सम–विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वर्ष 1964 में की गई थी। इसके परिसर पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई में स्थित हैं।

उद्देश्य

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य "प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानविकी, उद्योग, कारोबार, लोक प्रशासन के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना और अन्यथा उन्हें बढ़ावा देना और प्रभावी विचारों, विधियों, तकनीकों और सूचना के ऐसे क्षेत्रों को एकत्र करना और उन्हें प्रसारित करना जिससे भारत की सामग्री और औद्योगिक कल्याण को बढ़ावा मिलने की संभावना हो और "युवाओं और युवतियों को विचारों, विधियों, तकनीकों और सूचना के संबंध में सृजनात्मक कार्य करने और लगे रहने के लिए योग्य और उत्साही बनाना।"

वर्ष 2011-12 के दौरान बजट आबंटन और उपयोग का सारांश

अनुदान (3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए)	संस्वीकृत राशि	वर्ष 2011-12 के दौरान उपयोग में लाई गई राशि (₹ लाख में)
11वीं पंचवर्षीय योजना (उपस्कर, पुस्तकें और पत्रिकाएं)	659.40$	48.25
11वीं पंचवर्षीय योजना (11 विलयित योजनाएं, जिनमें असमनुदेशित अनुदान भी शामिल है)	28.73*	13.89
गैर–योजनागत		
यू जी सी डी आर एस एस ए पी (गणित, फार्मेसी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान)	327.00*	102.66
यू जी सी अवसरचना निधि (रसायन, गणित)	40.00	36.12
यू जी सी महिला अध्ययन केंद्र	50.00*	12.14
यू जी सी नवोन्मेषी कार्यक्रम (लोक स्वास्थ्य में निष्णात)	29.00*	4.45

$ यू जी सी द्वारा वास्तविक रकम की घोषणा नहीं की गई है। 31.03.2012 तक 164.91 लाख रुपये जारी किए गए थे।
* वर्ष में संपूर्ण निधियां जारी नहीं की गई है।

लक्ष्य समूह को शामिल करना

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग प्रभावी तरीके से किया गया ताकि संस्थान के 9855 (1762 लड़कियाँ और 8093 लड़कों) विद्यार्थियों और 649 संकाय सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वर्तमान स्थिति, लिए गए संगत महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय / कार्यक्रम में किए गए परिवर्तन

11वीं पंचवर्षीय योजना

वर्ष 2011–12 के दौरान 48.25 लाख रुपए का उपयोग पुस्तकें और पत्रिकाओं की खरीद के लिए किया गया।

गैर–योजनागत

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी–बड़ी अनुसंधान परियोजनाएं

वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नलिखित बड़ी–बड़ी अनुसंधान परियोजनाओं पर आगे कार्य किया गया। परियोजनाओं की सूची निम्नवत है:

1. फर्माकोकाइनेटिक अध्ययन के लिए एचपीटीएलसी द्वारा रैसीमिक औषधि के लिए विश्लेषणात्मक एवं जैव विश्लेषणात्मक प्रविधियों का विकास ।
2. कैंसर रोधी कारक के रूप में डोल आधारित हेट्रो–साइकल्स की डिजाइन, समेकन एवं जीव विज्ञानीय मूल्यांकन ।
3. जनसंख्या में कार्डियोवास्कुलर रोग : ऐसी घटनाओं की गणितीय मॉडलिंग और विश्लेषण, जोखिम कारकों और निवारण संबंधी रणनीति।
4. बच्चों के लिए आर्टसुनेट और अमोडियाक्विन के निश्चित खुराक के मिश्रण के लिए बहु–यूनिट पर्टिकुलेट डिलीवरी का संशोधित डिजाइन जारी करना।
5. आयोनिक तरल में लेविस एसिड के रूप में लैंथनाइड ट्राइफ्लेट्स का प्रयोग करके जैविक महत्त्व के सम्मिश्रणों के लिए आदर्श संश्लिष्ट प्रविधि।
6. नैनोक्रिस्टलीन सिलीकन थिन फिल्म ट्रांसिस्टर (एनसी–टीएफटी) के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करना।
7. वात अस्थि शोथ के उपचार के लिए नए कारकों का डिजाइन तैयार करना और उनका संश्लेषण करना।
8. राजस्थान के शेखावती क्षेत्र से साइअनोबैक्टेरियल आइसोलेट से बायोएक्टिव कंपाउंड का पता लगाना और उसका फर्माकोलॉजिकल मूल्यांकन करना।
9. भवन के अंदर सुखद गर्मी के लिए स्थायी सनशेड का डिजाइन और विकास।
10. कक्षा 5–8 के ग्रामीण बच्चों के लिए मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षण के लिए शिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।

एस ए पी–डी आर एस

फार्मेसी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यांत्रिक इंजीनियरी विभागों को एसएपी के अंतर्गत डीआरएस हेतु सहयोग मिल रहा है । इस वर्ष रसायन इंजीनियरी और गणित विभागों को भी एसएपी के अंतर्गत डीआरएस हेतु शामिल किया गया है । चयनित विभागों ने इस अवधि के दौरान अच्छी प्रगति की है ।

अवसंरचनात्मक निधियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थान के रसायन इंजीनियरी और गणित विभागों की मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन एवं रख–रखाव हेतु सहायता प्रदान की थी जिनका उपयोग उचित रूप से किया गया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिला केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित महिला केंद्र बी आई टी एस, पिलानी में स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं और उनके परिवारों के उत्थान के लिए कार्य करना है। यह केंद्र इस क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवोन्मेषी कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिफार्म्ड सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यू एस ए और एन आर एच एम, जयपुर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से बी आई टी एस में जन स्वास्थ्य में निष्णात कार्यक्रम शुरू करने के लिए निधि प्रदान की हैं। विद्यार्थियों के तीन बैच निकले और उन्हें अच्छा रोजगार मिल गया हैं। यह कार्यक्रम सफलता से संचालित किया जा रहा है।

महिला छात्रावास का निर्माण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसंधान ने शोधार्थियों और अतिथि महिला शोधार्थियों के लिए महिला छात्रावास के निर्माण के लिए निधि प्रदान की है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है और छात्रावास का पूर्ण रूप से उपभोग किया जा रहा है।

असमनुदेशित अनुदान

यात्रा अनुदान

विलयित योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सक्रिय सहयोग के माध्यम से यह संस्थान अध्यापकों को यात्रा अनुदान दे पा रहा है ताकि वे भारत और विदेश में सम्मेलनों में भाग ले सकें, विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगोष्ठियों/विचार–गोष्ठियों में भाग ले सकें और डॉक्टोरल शोध ग्रंथ सहित विद्वतापूर्ण अनुसंधान कार्य को प्रकाशित कर सकें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई निधि के माध्यम से 82 संकाय सदस्यों को प्रायोजित किया गया ताकि वे भारत में (63) और विदेश में (19) सम्मेलनों में भाग ले सकें। भारत और विदेश के 41 शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और औद्योगिक व्यक्तियों को विशेष भाषण देने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा आमंत्रित किया गया और विद्यार्थियों तथा संकाय सदस्यों के साथ चर्चा की गई।

सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला

संस्थान ने वर्ष 2011–12 के दौरान 14 संगोष्ठी/सम्मेलन/विचार–गोष्ठी/कार्यशालाएं आयोजित कीं। इनमें से 4 के लिए आंशिक वित्त व्यवस्था विश्वविद्यालय के असमनुदेशित अनुदान के माध्यम से की गई। असमनुदेशित अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित समारोहों के नामों की सूची इस प्रकार है:

1.	''भारत के इंजीनियरी पाठ्यक्रम में मानविकी एवं लिबरल आर्ट्स की सुदृढता के बारे में गोलमेज सम्मेलन'' विषय पर 17.10.2011 को राष्ट्रीय कार्यशाला
2.	24.02.2012 से 25.02.2012 तक संघनित द्रव्य भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
3.	'भेषजीय विज्ञान में वर्तमान प्रवृत्तियां' विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद
4.	'रसायन एवं पर्यावरण इंजीनियरी में तकनीकी प्रगति' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

औद्योगिक और शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग

इस वर्ष के दौरान, इस संस्थान ने औद्योगिक और शैक्षिक संस्थाओं के साथ 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है। इन सहयोगों में टाटा ऑटो कैंप सिस्टम्स लिमि0, पुणे, एगीस सेंटर फॉर इन्टरप्रेनरशिप, गुड़गांव, लॉ ट्रांब यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया, ईटीए नेटवर्क ऑफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, दुबई शामिल हैं।

प्रकाशन

संकाय सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 378 अनुसंधान पेपर प्रकाशित किए हैं। 100 से अधिक संकाय सदस्यों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और 115 अनुसंधान पेपर प्रस्तुत किए। वर्ष 2011–12 के दौरान पहले स्तर के शोध ग्रंथों और उच्च स्तर की परियोजनाओं के आधार पर कुछ प्रकाशन परियोजनाओं के साथ सहयोजित विद्यार्थियों द्वारा मिलकर तैयार किए गए।

पाठ्यक्रम निर्धारण और नये कार्यक्रम जोड़ना

विचारणीय वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम निर्धारण की दिशा में अत्यधिक प्रयास किया गया । वर्ष 2011–12 के दौरान तीन नये पाठ्यक्रम यथा एम.ई. सिविल सह जल संसाधन इंजीनियरी में विशिष्टिकरण, एम.ई. सिविल सह ताप इंजीनियरी में विशिष्टिकरण आई एम.ई. कंप्यूटर विज्ञान सह सूचना सुरक्षा में विशिष्टिकरण शुरू किए गए।

अपनाए जाने वाली विकास नीति का उल्लेख करते हुए भावी कार्य योजना

बी आई टी एस, पिलानी को विश्व का एक प्रमुख विश्वविद्यालय बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्यक्रमों में सुधार करने, विश्वविद्यालय–उद्योगों के संबंधों को सुदृढ़ करने, अनुसंधान अनुदान बढ़ाए जाने, उद्योगों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को बढ़ाए जाने और परामर्शी निर्माण कार्य के संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

3.2.4 चेन्नई गणितीय संस्थान, सिरूसेरी (तमिलनाडु)

चेन्नई गणितीय संस्थान (सीएमआई) की स्थापना 1989 में की गई थी और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत दिसम्बर, 2006 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा स्वीकृत किया गया।

लक्ष्य और प्रमुख विशेषताएँ

अपने प्रारंभ से ही सीएमआई के पास विशुद्ध गणित और सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्रों में सक्रिय शोध छात्रों का समूह था। इधर हाल में इस संस्थान ने अपने शोध का दायरा भौतिकी के क्षेत्र तक बढ़ाया है । इस संस्थान में गणित के शोध के प्रमुक्ष क्षेत्र बीजगणित, विश्लेषण, अन्तरक समीकरण, रेखागणित और सांस्थिति विज्ञान है। कंप्यूटर विज्ञान में शोध के प्रमुख क्षेत्र है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के विशिष्टीकरण एवं सत्यापन की औपचारिक प्रविधि, कलन की डिजाईन एवं विश्लेषण, संगठक मिश्र सिद्धांत और कंप्यूटर सुरक्षा भौतिकी में शोध मुख्यतः स्ट्रिंग सिद्धांत, प्रमात्रा क्षेत्र सिद्धांत और गणितीय भौतिकी में किए जा रहे है ।

सीएमसी ने गणित और संबद्ध विषयों में बीएससी और एमएससी कार्यक्रम शुरू करके शिक्षण और शोध के बीच के अंतर को पूरा करने के उपाय किए है जो पूर्ण रूप से उन अध्यापकों द्वारा चलाए जाते है जो शोध में सक्रिय है। शिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत 1998 में गणित और कंप्यूटर विज्ञान में राष्ट्रीय पूर्व स्नातक कार्यक्रम जिससे बीएससी (आनर्स) डिग्री मिलती है, से शुरू हुआ था । 2001 में गणित और कंप्यूटर विज्ञान में अलग एमएससी पाठ्यक्रम शुरू किए गए । 2003 में बीएससी (आनर्स) कार्यक्रम का विस्तार भौतिक विषय का सम्मिलित किया गया। 2010 में एमएससी (गणित के अनुप्रयोग) शुरू किया गया । 2010–11 में पीएचडी (भौतिक विज्ञान) कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्तमान में बीएससी, एमएससी और पीएचडी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 142 है।

सीएमआई में शिक्षण कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा है । गणित और कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी पाठ्यक्रम के बारह बैच पहले ही स्नातक हो चुके है और विश्व में सबसे बेहतर संस्थानों में गये है। भौतिक विज्ञान के बीएससी पाठ्यक्रम के सात बैच स्नातक कर चुके है औरर ये विद्यार्थी भी भारत और विदेश के अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं में गये है। एमएससी विद्यार्थियों के दस बैच उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और शैक्षिक एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों में सुस्थापित है। लगभग दो दशकों में चेन्नई गणितीय संस्थान में अपने को गणितीय विज्ञानों के शोध एवं शिक्षण के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में स्थापित किया है । यह संस्थान प्रभावी सरकारी–निजी भागीदारी की दिशा में भी बढ़ा है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष (1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012) के लिए बजट आवंटन और कार्य निष्पादन

सीएमआई के आवर्ती व्यय की पूर्ति डीएई द्वारा एनबीएचएम से प्राप्त वार्षिक अनुदान सहायता के माध्यम से होती है। सीएमआई का 2011–12 के लिए प्राक्कलित बजट 9.5 करोड़ था जिसमें से डीएई के 8.5 करोड़ रुपये (लगभग) था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सीएमआई को अवसंरचनात्मक विकास के लिए 9.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया था । सीएमआई के परिसर में प्रेक्षागृह, लेक्चर हॉल, ग्रंथालय, संकाय कार्यालय, अतिथि कक्ष और महिला छात्रावास से युक्त एक भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 8.62 करोड़ रुपये (तीन किस्तों में) दिए गए है। बहुमंजिली परिसर का निर्माण पूरा होने के करीब है और इसे किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है।

वर्तमान स्थिति, लिए रगए संगत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/कार्यक्रम में किए गए परिवर्तन

सीएमआई इस वर्ष भौतिक विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम के समावेशन के साथ ही गत वर्षों की भांति शिक्षण कार्यक्रम जारी रखा है ।

भावी कार्य योजना अपनायी जाने वाली रणनीतियों के साथ

अगले कुछ वर्षों में संस्थान मूल आधार जो गणितोय विज्ञानों के क्षेत्र से संबंधित मौजूदा उभरते क्षेत्रों का निर्माण करने एवं उनकी स्थापना करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह विशेषकर गणित अनुप्रयोग में ऐसे कार्यक्रमों का विकास करना चाहेगा जो उद्योग के उपयोग लायक होंगे।

आयोजित सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधिमंडल के आगमन और महत्वपूर्ण कृत्य, यदि कोई हों

(क) एनबीएचएम एडवांस्ड इन्ट्रक्शनल स्कूल ऑन लाई एलजेब्रास – जुलाई, 2011

(ख) वर्कशॉप ऑन स्यूडोरेन्डमनेस – अगस्त, 2011

(ग) एनबीएमएच एडवांस्ड इन्सट्रक्शनल स्कूल ऑन इनवेरियन्ट थिअरी – दिसम्बर, 2012

(ध) सीएमआई–आईएमएससी गणित संवाद 2012–जनवरी, 2012

अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौतों/सहयोग

2 सीएमआई कार्यक्रम के आदान प्रदान के लिए इओले नारमेस सुपर इरीयूरे, फ्रांस तथा इकोले पॉलीटेक्नीक, फ्रांस के साथ सहयोग करते है । सीएमआई ने यूनिवर्सिटी पाईट मैरी क्यूरी (पेरिस–छह) के साथ अनुसंधान सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है । इसने इसी प्रकार के समझौते ज्ञापन पर यूनिवर्सिटी डी पेरसि सुड एट ओर से , फ्रांस और ईएनएस एट कचान, फ्रांस के साथ हस्ताक्षर किए है । सीएमआई को यूरोपीय परियोजना बीज गणित, रेखागणित एवं संख्या सिद्धांत में एएसजीएएनटी जिसमें यूरोप और कनाडा के अनेक विश्वविद्यालय है के अंतर्गत पूर्ण भागीदार के रूप में शामिल किया गया है ।

प्रकाशित या मुद्रित प्रकाशनों की सूची

सीएमआई के संकाय ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, सम्मेलनों की कार्यवाहियों आदि में लेख प्रकाशित किए है ।

क्र. सं.	वर्णन	विषय	संख्या
1.	पत्रिका लेख	गणित	9
		कंप्यूटर विज्ञान	
		भौतिक विज्ञान	4
2.	सम्मेलन पत्र	गणित	
		कंप्यूटर विज्ञान	6
		भौतिक विज्ञान	1
3.	मुद्रित सामग्री/रिपोर्ट	गणित	7
		कंप्यूटर विज्ञान	1
		भौतिक विज्ञान	
4.	संपादित पुस्तकें	गणित	2
		कंप्यूटर विज्ञान	1
		भौतिक विज्ञान	

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पुरानी योजनाओं/कार्यक्रमों का विलोपन और नये जोड़ना

सीएमआई ने पूर्व के शिक्षण कार्यक्रमों को जारी रखने के अलावा इस वर्ष से भौतिक विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया है ।

3.2.5 दयालबाग शिक्षा संस्थान आगरा (उत्तर प्रदेश)

दयालबाग शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित एक मानित विश्वविद्यालय है । यह विश्वविद्यालय छह संकायों कला, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल और पीएचडी के पाठ्यक्रम प्रदान करता है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए बजट आबंटन और निष्पादन बजट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुरक्षण अनुदान के संबंध में वर्ष 2011–2012 के लिए 14.93 करोड़ रुपये और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनागत अनुदानों के संबंध में 3.25 करोड़ रुपये बजट आबंटन किया गया हैं। संस्थान को अ.पि.व. अवसंरचना अनुदान के निए 5.00 करोड़ रुपये तथा वि.अ.आ. से अ.पि.व. अनुरक्षण के रूप में 3.40 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुए हैं। इस संस्थान को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से भी 5.00 करोड़ रुपये का बजट आबंटन प्राप्त हुआ है।

लाभार्थियों की संख्या सहित लक्ष्य समूह की स्थिति (अध्यापक, विद्यार्थी, महिलाएं, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आदि)

(I) नियुक्त किए गए अध्यापकों का विवरण

लक्षित समूह	नियुक्तकिए गए अध्यापकों की कुल संख्या			कॉलम 4 से					
				अनुसूचित जाति की कुल संख्या			अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या		
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नियुक्त अध्यापक	26	20	46	07	-	07	01	-	01

(ii) नियुक्त किए गए गैर-शिक्षण स्टाफ का विवरण

लक्षित समूह	नियुक्त किए गए अध्यापकों की कुल संख्या			कॉलम 4 से					
				अनुसूचित जाति की कुल संख्या			अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या		
	पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नियुक्त किए गए गैर–ि क्षण स्टाफ	26	06	32	07	-	07	02	-	02

(iii) नामांकित छात्रों का विवरण

लक्षित समूह	नामांकित किए गए छात्रों की कुल संख्या			कॉलम 4 से					
				अनुसूचित जाति की कुल संख्या			अनुसूचित जाति की कुल संख्या		
	पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नामांकित छात्र	1291	2784	4075	197	454	651	48	34	82

- नामित किए गए कुल छात्रों में से 68.3 प्रतिशत लड़कियां हैं।
- कंप्यूटर केन्द्र का उन्नयन
- नये ई–शिक्षण कक्ष का विकास
- संकाय सदस्यों को 15 सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए ।

- **आयोजित किए गए सम्मेलन विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे और अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजन, यदि कोई हों**

(I) आयोजित संगोष्ठी / सम्मेलन / कार्यशालाएं

निर्धारित अवधि के दौरान हिन्दी, संगीत, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला और चित्रकला तथा इंजीनियरी आदि विभागों में **23** राष्ट्रीय और **4** अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार / सम्मेलन आयोजित किए गए। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है:

I. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रमात्रा नैनो कंप्यूटिंग प्रणाली केन्द्र, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रमात्रा और नैनो संगठन प्रणाली और अनुप्रयोग विद्यालय (क्यूएएनएसएएस) 1–4 दिसम्बर को आयोजित

II. 16–18 फरवरी, 2012 को संपन्न, कला और चित्रकला विभाग द्वारा आयोजित भारतीय कला के सौ वर्ष और स्वतंत्र कला में कैरिअर के अवसर विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार ।

(II) अतिथि / आयोजित विशेष व्याख्यान

I. 20 मार्च, 2010 को संस्थान के **दीक्षांत हाल में हीरक जयंती स्मारक व्याख्यान** आयोजित किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अद्वितीय कृत्य के विकास पर व्याख्यान दिया और मन की सदाचारिता की आवश्यकता पर बल दिया जिससे चरित्र सौन्दर्य विकसित होता है ।

II. **दीक्षांत समारोह** – 12 नवम्बर, 2011 को दयालबाग शिक्षा संस्थान (मानित विश्वविद्यालय के तीसवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर श्रीमती विभापुरी दास, आई.ए.एस., सचिव, भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मुख्य अतिथि थीं।

विदेशी प्रतिनिधिमंडल के आगमन

1. प्रो0 स्टुअर्ट हमेराफ, संवेदनाहरण विज्ञान विभाग और मनोविभाग विभाग, निदेशक, संचेतना अध्ययन केन्द्र, द यूनिवर्सिटी ऑफ अरिजोना, टुस्कॉन, अरिजोना, यूएसए।
2. प्रो0 ब्लाटको वेडराल, डिपार्टमेन्ट ऑफ एटामिक एण्ड लेसर फिजिक्स क्लारेन्डोन लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोड, यू.के.।
3. प्रो0 अनिरवान बंद्योपाध्याय, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैटेरियल्स साइंस, तंकुबा, जापान।

- **प्रकाशनों की सूची**

प्रमुख राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 100 अनुसंधान सहयोगी समीक्षक लेख प्रकाशित किए गए और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 80 अनुसंधान लेख प्रकाशित किए गए।

- डीईआई जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरी रिसर्च – वार्षिक पत्रिका
- शोध श्री – हिंदी में अनुसंधान पत्रिका (वार्षिक)
- एफ ओ ई आर – शिक्षा अनुसंधान सार संकाय
- लिटरेरी परितंत्र

3.2.6 डेक्कन महाविद्यालय, पुणे (महाराष्ट्र)

डेक्कन महाविद्यालय स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, सम विश्वविद्यालय पुरातत्त्व, भाषा और संस्कृत जैसे धरोहर संबंधी विषयों में विशेषज्ञ है। इसके पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बहुत ऊंचा स्थान रखते है।

लक्ष्य और प्रमुख विशेषताएं

इस संस्थान का लक्ष्य कला और विज्ञान में स्नातकोत्तर और उच्च अध्ययन में ज्ञान का प्रसार करना है ।

लाभग्राहियों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अध्यापकों, स्त्रियों, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) की संख्या सहित लक्षित समूह को कवर करना

यह मानित विश्वविद्यालय अपने विशेषीकरण के क्षेत्रों में अन्य विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को परामर्श सुविधाएं प्रदान करता है । संकाय के प्राध्यापकों को अपने शिक्षण एवं शोध कार्यों हेतु शैक्षिक स्वतंत्रता, अनुकूल माहौल और पुरातत्व विभाग, भाषा विज्ञान और संस्कृत में शोध करने एवं शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता दी गई है । उन्हें सम्मेलन और सेमिनार आदि में भाग लेने के लिए कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई है । स्त्रियों और अनु.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों को नियमों एवं विनियमों में छूट देकर विभिन्न प्रकार के लाभ दिए गए है ।

वर्तमान स्थिति, लिए गए संगत महत्वपूर्ण नीति निर्णय/कार्यक्रम में किए गए परिवर्तन

- संस्थान का वर्तमान दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार मानित विश्वविद्यालय का है ।
- संस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है ।

भावी कार्य योजना अपनाई जाने वाली विकास रणनीतियों सहित

- विरासत संबंधी विषयों में निम्नलिखित नये विभाग शुरू करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया गया है ।
  - डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी
  - भारतीय और विदेशी भाषा विभाग
  - मध्यकालीन और मराठा इतिहास विभाग, और
  - शिक्षा विभाग
- विश्वविद्यालय ने पुरातत्व संग्रहालय, संस्कृत और कोष–कला भवन तथा प्रशासनिक भवन का निर्माण करने की योजना बनाई है ।

आयोजित सम्मेलन, विदशी प्रतिनिधिमंडल के आगमन और अन्य महत्वपूर्ण कृत्य

पुरातत्व विभाग ने गुजरात में हड़प्पाकालीन स्थल विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है । भाषा विज्ञान ने भारत में भाषा संपर्क विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है । इसके अलावा इंडियाना यूनिवर्सिटी (इंडियापोलिस) यू.एस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शैक्षिक सहयोग संस्थान का दौरा किया ।

अन्य देशों के साथ समझौता/सहयोग

विश्वविद्यालय ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, नई दिल्ली और अन्यों के साथ सहयोग समझौता किया है ।

प्रकाशित या मुद्रित प्रकाशनों की सूची

सभी तीनों विभागों के संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं ने प्रसिद्ध भारतीय एवं विदेशी पत्रिकाओं में 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित कीः

एक) बुलेटिन ऑफ दक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट का संयुक्त खण्ड 70–71।

दो) 'एन इन साइक्लोपेडिक डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स' का खण्ड नौ का भाग तीन।

⅄ नीति उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण समितियों का गठन

विश्वविद्यालय ने जनवरी, 2011 से विभिन्न समितियों जैसे प्रबंधन परिषद, शैक्षिक परिषद आदि का गठन किया है क्योंकि पूर्व समिति का कार्यकाल दिसम्बर, 2010 में समाप्त हो गया था ।

⅄ रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान नयी योजनाओं/कार्यक्रमों को जोड़ना और पुरानी का विलोपन

विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011 से 2016 तक एसएपी (डीआरएस–1) योजना को स्वीकृति दी है ।

⅄ विद्यार्थी नामांकन

वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थी नामांकन निम्नवत थाः

पाठ्यक्रम	**योग**
कला निष्णांत	86
पीजी डिप्लोमा	08
पीएचडी (31.03.2012 के अनुसार)	127
कुल	**221**

3.2.7 गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम (तमिलनाडु)

उच्चतर शिक्षा को सतत मानव विकास के लिए एक प्रभावी एवं अमूल्य साधन माना जाता है। गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान गांधी की नई तालीम के क्रान्तिकारी दर्शन से प्रभावित एवं प्रेरित है जो प्रभावी ढंग से भावनात्मक एवं बोधात्मक आयामों में समन्वय बनाती है एवं अधिगमकर्ता के समग्र विकास पर ध्यान देती है जिसमें देसी संस्कृति एवं परंपरा से अनुस्यूत मूल्य आधारित शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास पर बल प्रदान किया जाता है । यह 1956 से तृतीयक स्तर की शिक्षा में योगदान देता रहा है और सफलतापूर्वक ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया है ।

उपयुक्त रूप से गठित समिति जीआरआई की सिफारिशों के आधार पर इसे 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शत प्रतिशत वित्तपोषण दिया गया ।

जीआरआई के विभिन्न विभाग शिक्षा के तीन प्रमुख घटकों यथा शिक्षण, शोध एवं प्रसार को समाहित करते हुए अपने पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या तैयार करते हैं । यह संस्थान अपनी पाठ्यचर्या तैयार करते समय स्थानीय एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं का ध्यान रखता है ।

शिक्षण, शोध एवं प्रसार को समाहित कर तैयार किए गए पाठ्यचर्या मॉडल को एनएएसी द्वारा 2002 में 'फाइव स्टार्स' और 2010 में पुनः प्रत्यापन के दौरान 'ए' ग्रेड का दर्जा दिया गया था ।

⅄ लक्ष्य एवं प्रमुख विशेषतायें

लक्ष्यः

- अधिगम की ऐसी शाखाओं में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना जिसे, वर्ग विहीन एवं जाति विहीन समाज को बढ़ावा मिलेगा;
- शोध और विकास के लिए व्यवस्था करना तथा ज्ञान का प्रसार करना; और
- समेकित ग्रामीण विकास की तरफ उन्मुख प्रसार कार्य केन्द्र के रूप में कार्य करना ।

प्रमुख विशेषतायें:

- जीआरआई शिक्षा के तीन आयामी प्रस्तावों यथा शिक्षण, शोध एवं प्रसार के माध्यम से ग्रामीण जनता की सेवा करने वाली एक प्रमुख संस्था है ।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्य विवरण सामग्री इस प्रकार तैयार की जाती है कि उसका ग्रामीण आधार रहे ।
- यह संस्थान शैक्षिक सुधारों में प्रवृत्ति निर्धारक है और अपने सभी कार्यक्रमों में सत्र प्रणाली और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) की शुरूआत करने वाला पहला संस्थान है ।
- जीआरआई एक गांधीवादी संस्थान होने के कारण अपने सभी स्नातकोत्तरर छात्रों को गांधीवादी विचार पर 'ऑडिट कोर्स' चलाता है ।
- जीआरआई अपने पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तरर विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर विज्ञान में अनिवार्य कोर पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला संस्थान है ।
- पूर्व स्नातक के सभी छात्र एनएसएस के स्वयं सेवक के रूप में नामांकित है।
- युवा विद्यार्थियों को भाांति उपायों का मूल्य समझाने के लिए शांति सेना नाम से शांति दल का गठन किया गया है।
- एक अनुकूल शैक्षिक माहौल एवं शांतिपूर्ण ग्रामीण जीवन में कक्षा का माहौल शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त परिपेक्ष सुनिश्चित करता हैं।
- संकाय ग्रामीण मुद्दों एवं समस्याओं पर अग्रणी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से समर्थित बहु विषयी कार्योन्मुख शोध करते है।
- इस संस्था की पहचान स्वास्थ्य निरीक्षकों एवं पंचायत नेताओं के प्रशिक्षण के लिए एक नोडल केन्द्र के रूप में की गई है।
- दोहरे विशेषीकरण के साथ लघु व्यापार प्रबंधन, ग्रामीण उद्योग एवं प्रबंधन, सहकारिता प्रबंधन, ग्रामीण परियोजना प्रबंधन शाखाओं में चलाए जाने वाले एमबीए कार्यक्रम अद्वितीय है ।
- सिविल इंजीनियरी में बी.टेक जिसमें जो पर्यावास विकास केन्द्रित है और पी.जी. डिप्लोमा इन स्पेसीएल टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एवं बीमा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम जीआरआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवश्यकता आधारित कार्यक्रम है जो केवल यहीं प्रदान किए जाते है ।
- ग्रामीण स्थापन कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को लगातार लगभग 10 दिन गांवों में अनिवार्य रूप से रहना होता है से अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को ग्रामीण समुदाय के साथ चर्चा करने एवं उनकी समस्यायें समझने एवं समाधान प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलता है ।
- संकाय सदस्य कामगार से लेकर उच्च अधिकारी स्तर के विभिन्न अपेक्षकर्ताओं के लिए ग्रामीण विकास में व्यापक आयामी विषयों पर प्रोत्साहनपरक–प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते है ।

वर्ष (01.04.2011 – 31.03.2012) के लिए बजट आवंटन

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल धनराशि	:	9.29 करोड़ रुपये
विकास सहायता के अंतर्गत 2011–12 के दौरान व्यय धनराशि	:	3.87 करोड़ रुपये
समेकित योजनाओं के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि	:	1.64 करोड़ रुपये
गैर–योजना के अधीन 2011–12 हेतु कुल बजट प्राक्कलन	:	31.59 करोड़ रुपये
गैर–योजना के अधीन कुल व्यय	:	29.74 करोड़ रुपये

लाभग्राहियों की संख्या सहित लक्ष्य समूह को कवर करना

इस संस्थान ने वर्ष 2011–12 के दौरान 1158 विद्यार्थियों का नामांकन किया जिसमें से पुरूष विद्यार्थी 532 और महिला विद्यार्थी 626 थीं । 948 विद्यार्थी (82 प्रतिशत) ग्रामीण पृष्ठभूमि से और 210 (18 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों से है । कुल 1114 विद्यार्थी तमिलनाडु के और 39 विद्यार्थी केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल आदि से नामांकित किए गए थे । कुल मिलाकर शैक्षिक वर्ष (2011–12) के दौरान 2550 विद्यार्थियों तथा 547 पीएचडी शोध छात्रों का नामांकन था ।

कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति, लिए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय/किए गए परिवर्तन

- इस संस्थान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय) विनियम, 2010 के आधार पर जनवरी, 2012 से अपने एम ओ ए में संशोधन किया है ।
- नये एम ओ ए के अनुसार बोर्ड ऑफ स्टडीज, शैक्षिक परिषद, प्रबंधन परिषद और वित्त समिति का पुनर्गठन किया गया है ।
- इस संस्थान ने अध्यापकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 का अनुकरण किया है तथा तदनुसार अध्यापकों की भर्ती की है और कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) का अनुपात करते हुए कैरियर प्रगति योजना लाग किया है ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक नये पूर्व स्नातक कार्यक्रम बी.एससी (टेक्सटाईल्स एवं फैशन डिजाइन) को मंजूरी दी गई थी।
- शैक्षिक वर्ष 2012–13 से बी.एससी (कृषि) शुरू करने के लिए उपयुक्त निकायों से अनुमति प्राप्त की गई थी ।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके अंतर्गत नये शैक्षिक कार्यक्रम, नये विभाग/केन्द्र और शोध के लिए प्रयास शुरू करने की बात की गई थी ।

भावी कार्य योजना अनुपालन की जाने वाली विकास रणनीति के साथ

- ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक अनेक तकनीकी–प्रबंधकीय कॉडर बनाने को राष्ट्र की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए बारहवीं योजना के दौरान विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 1500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ।
- पहुंच और प्रसार को ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान एवं भाषा में पूर्व स्नातक अध्ययन विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग, व्यावहारिक भू–विज्ञान केन्द्र, संघनित पदार्थ भौतिकी केन्द्र नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है ।
- ग्रामीण सरोकार और वैश्विक मांगों के उभरते क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन केन्द्र, जनजाति अध्ययन केन्द्र, दक्षिण एशिया तमिल अध्ययन केन्द्र, खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र, शारीरिक शिक्षा विभाग का शिक्षण विभाग के रूप में उन्नयन और निःशक्तता एवं विकास केन्द्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है ।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं क्षेत्रों में शोध कार्यों के प्रसार और गुणवत्ता प्रकाशनों पर बल देने का प्रस्ताव किया गया है ।
- अन्तर/अन्तः संस्थागत शैक्षिक विचार विमर्श आयोजन के माध्यम से शिक्षा के तीनों आयामों में गुणवत्ता बनाये रखने संबंधी क्रियाकलाप शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है ।

आयोजित सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधिमंडल के आगमन और महत्वपूर्ण समारोह, यदि कोई हो

पहुंच कार्यक्रम नियमित रूप से चलाये जाते है जिसके माध्यम से हजारों ग्रामीण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित होते हैं । सूचित वर्ष के दौरान आयोजित **बाईस** (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय) सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं से शोध के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 1000 से अधिक शोधकर्ता लाभान्वित हुए । ग्राम नियोजन कार्यक्रम से गांधी ग्राम के आसपास 20 से अधिक ग्राम लाभान्वित हुए हैं । इस प्रकार जीआरआई का लक्ष्य ग्रामीण जनसंख्या है और यह परिवर्तन के एक कारक के रूप में कार्य करता है ।

अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते/सहयोग

जीआरआई तथा हायर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड एनिमल हस्बैन्डरी (आईएसएई) बुसोगे, रवानडा के बीच 21.3.2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे ।

प्रकाशित/छपे हुए प्रकाशनों की सूची

रिपोर्ट वाले वर्ष के अंतर्गत कुल 24 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी । संकाय के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न पत्रिकाओं में 166 लेख प्रकाशित किए थे ।

- **नीतिगत उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण समितियों का गठन**
- सिंडिकेट, सीनेट, अकादमी परिषद और अध्ययन बोर्ड
- वित्त संबंधी समिति
- अनु0जा0/अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थायी समिति
- अनुशासन समिति
- वार्षिक कैलेंडर समिति
- विद्यार्थी पत्रिका समिति
- खेल–कूद समिति आदि
- एम.ओ.ए. संशोधन समिति
- नियमों और विनियमों संबंधी समिति
- अनुसंधान परामर्श समिति
- शिकायत निवारण समिति
- आई.क्यू.ए.सी
- भवन संबंधी समिति
- एंटी रैगिंग समिति

उक्त अवधि के दौरान पुरानी योजनाओं/कार्यक्रमों को खत्म करना तथा नए को जोड़ना

- वर्ष 2011–12 के दौरान बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सतत् विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, बी.एस.सी. खाद्य विज्ञान और पोषण कार्यक्रम को रोक दिया गया ।
- बीएससी गृह विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया गया ।

3.2.8 गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे (महाराष्ट्र)

वर्ष 1930 में स्थापित गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान (जी आई पी ई) ने सफलतापूर्वक 82 वर्ष पूरे कर लिए है, जो किसी भी शैक्षिक संस्था के लिए एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। जी आई पी ई भारत में संभवतः सबसे पुराना अर्थशास्त्र में अनुसंधान और शिक्षण संस्थान है। इस संस्थान ने केवल लंबी यात्रा ही नहीं की अपितु वर्षों से अपना वर्चस्व भी बनाए रखा। यह संस्थान भारत में आर्थिक विकास और नीति संबंधी विषयों पर अनुसंधान करता है। यह अर्थशास्त्र में कला निष्णात कार्यक्रम भी संचालित करता है, जो देश में श्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक समझा

जाता है। अकादमिक वर्ष 2011–12 से इसने दो नए पाठयक्रम नामतः मास्टर इन एग्रीबिजनेस एवं मास्टर इन फानॉनशियल इकनामिक्स आरंभ किए है। जी आई पी ई शुरू से ही अर्थशास्त्र में पीएच डी कार्यक्रम संचालित करता है। शिक्षण और अनुसंधान के संबंध में किए गए गुणवत्तापूर्ण कार्यों को स्वीकार करते हुए एन ए ए सी ने वर्ष 2003 में जी आई पी ई को ए+ ग्रेड प्रदान किया है। गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान के अनुदानदाता महाराष्ट्र सरकार, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और योजना आयोग है।

वर्ष 2011-12 के लिए बजट आबंटन और निष्पादन बजट

क्र. सं.	वर्ष 2011-12 के लिए बजट आबंटन और निष्पादन बजट	राशि (₹ करोड़ में)
	संस्थान का बजट	
1	वर्ष 2011–12 के दौरान संस्थान का कुल बजट	11.64
	वि.अ.आ. ग्यारहवीं पंचवर्षीय विकास अनुदान	
2	वि.अ.आ. द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत अनुदान	8.77

- **लाभार्थियों (शिक्षकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि) की संख्या सहित लक्ष्य समूह की स्थिति**

इस संस्थान की कुल कर्मचारी संख्या 70 है। इनमें से 22 महिलाएं है और 40 प्रतिशत कर्मचारी आरक्षित श्रेणियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, डी टी एन टी और अन्य पिछड़े वर्ग) के हैं। कुल कर्मचारियों की संख्या में से 33 प्रतिशत शिक्षण स्टॉफ है। वर्ष 2011–12 के दौरान नामांकित कुल छात्रों की संख्या 81 है, जिनमें से 44 पुरुष (54 प्रतिशत) और 37 महिलाएं (44 प्रतिशत) है।

दिनांक 31.03.2012 को संस्थान के कुल कर्मचारियों की लिंग तथा जाति वार स्थिति

श्रेणी	31.03.2012 को संस्थान में कर्मचारिवृंद की स्थिति								जोड़
	शिक्षण स्टाफ		गैर–शिक्षण स्टाफ		अस्थायी स्टाफ		कुल स्टाफ		
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
अनुसूचित जाति	4	1	8	2	-	1	12	4	16
अनुसूचित ज.जा.	2	-	1	1	-	-	3	1	4
डी टी एन टी	1	-	1	-	1	-	3	-	3
अन्य पिछड़े वर्ग	1	-	3	-	1	-	5	-	5
सामान्य	10	4	15	11	-	2	25	17	42
जोड़	18	5	28	14	2	3	48	22	70

लिंग और जाति की श्रेणी के अनुसार छात्रों की कुल संख्या

श्रेणी	एम ए भाग-I		एम ए भाग-II		जोड़	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
अ.जा./अ. ज. जा	06	01	01	00	07	01
अन्य पिछड़े वर्ग	07	03	05	04	12	07
अन्य	23	42	13	18	36	60
जोड़	36	46	19	22	55	68

- **आयोजित महत्त्वपूर्ण समारोह**

- **काले स्मारक व्याख्यानः** भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर, डॉ0 सुबीर गोकर्ण ने 'खाद्य मुद्रास्फीति' पर काले स्मारक व्याख्यान, 2011 दिया । इस बार यह 9 दिसम्बर, 2011 को संस्थान के अठारहवें दीक्षांत समारोह के समय कुछ अलग रहा ।

- **प्रकाशन**

वर्ष 2011–12 के दौरान संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा 14 प्रकाशन किए गए थे।

- **वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजित भाषण**

वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न विषयों पर कुल चार व्याख्यान आयोजित किए गए ।

3.2.9 गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (गुजरात)

महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप और ग्रामीण विकास के लिए कामगारों को तैयार करने के लिए गुजरात विद्यापीठ मातृभाषा में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है । विद्यापीठ का ध्यान मुख्य रूप से शिक्षा के सभी क्षेत्रों में गांधीवादी सिद्धांतों और तरीको का आगे विकास करना तथा उन्हें लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और विस्तार करना तथा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग का संचालन करना है ।

- **उद्देश्य और मुख्य–मुख्य विशेषताएं**

इस विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार देश के पुनर्निर्माण से संबंधित आंदोलनों को संचालित करने के लिए आवश्यक चरित्र, योग्यता, शिक्षा और जागरूकता वाले कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। प्रतिदिन प्रार्थना, हाथ से सूतकताई, सामुदायिक सेवा, खादी पहनना और हस्तकर्मा में प्रशिक्षण का गुजरात विद्यापीठ में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है ।

- **रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए बजट आबंटन और निष्पादन बजट (1 अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012)**

संशोधित बजट अनुमानः	24.60 करोड रुपए
व्ययः	23.72 करोड रुपए

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार लाभार्थियों की संख्या सहित लक्ष्य समूह की स्थिति (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अध्यापक, महिलाएं, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आदि)

पद	संस्वीकृत	मौजूदा	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.	निःशक्त	महिलाएं
शिक्षण स्टाफ	172	117	25	08	06	01	33
गैर–शिक्षण स्टाफ	255	128	32	10	25	02	27
छात्र	-	1688	226	471	523	07	650

- **भावी कार्य योजना अनुपालन की जाने वाली विकास रणनीति के साथ**

आने वाले वर्षों में गुजरात विद्यापीठ युवाओं के प्रशिक्षण पर अपने प्रयासों को दुगना करने की योजना बना रहा है जिसमें महिलाओं, समाज में और सामाजिक रूप से अलग–थलग पड़े, वर्गों (मुख्य रूप से गुजरात में) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्र को एक समावेष्टी स्थायी और अहिंसक समाज के निर्माण के लिए तैयार करना है जिसमें कृषि और गैर–कृषि अर्थव्यवस्था का समुचित संमिश्रण होगा और उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रयुक्त किया जाएगा (जिसमें शारीरिक कठिन श्रम को कम करना, नवीकरणीय मानव शक्ति की गरिमा को स्थापित किया जाएगा) और कम ऊर्जा खपत वाली जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा ।

- **सम्मेलन आयोजन, विदेश शिष्टमंडल का दौरा तथा अन्य आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यदि कोई हो ।**

वर्ष 2011–12 के दौरान गुजरात विद्यापीठ ने 15 राष्ट्रीय स्तर के तथा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार का आयोजन किया था ।

- **अन्य देशों / अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता / सहयोग**

- ओरावर्ल्डमंडला, मेक्सिको के साथ मिलकर गुजरात विद्यापीठ ने जीवन और संघर्षों के समाधान में प्रति गांधीवादी सोच को बढ़ावा देने के लिए मेक्सिको में कुछ विश्वविद्यालयों के साथ चर्चा शुरू की। मेक्सिको विश्वविद्यालय, यू.एन.ए.एम., गैडलाहारा विश्वविद्यालय, एल कॉलेजियो डि सान ल्यूइस, ए.सी. और एल.कॉलेजियो डि मेक्सिको ने गुजरात विद्यापीठ से संपर्क स्थापित किया है और उन्होंने इन विश्वविद्यालयों के साथ सामान्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है जिनमें ये विश्वविद्यालय आपस में प्राध्यापकों और छात्रों के आदान–प्रदान कार्यक्रमों और सहयोग पर आधारित कार्यक्रमों पर सहमत हो गए है।

- अप्रैल, 2011 में यू.एन.एम.एम विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक निदेशालय ने गुजरात विद्यापीठ के कुलपति को अहिंसावादी सोच, प्रथा और अहिंसा और जीवन शैली पर उच्च शिक्षा संबंधी विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था ।

- नवम्बर–दिसम्बर, 2011 में यू.एन.ए.एम. विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक निदेशालय ने गांधी कथा का आयोजन किया था जिस पर गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति श्री नारायण देसाई ने अंग्रेजी में व्याख्यान दिया था ।

- मेक्सिको सरकार की सहायता से एल कॉलेजियों डि मेक्सिको और भारतीय दूतावास ने शांति के लिए गांधी का ग्रामीण पुनर्गठन कार्यक्रम और मेक्सिको के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर एक गोलमेज सम्मेलन का दिसम्बर, 2011 में आयोजन किया था।

- एल कॉलेजियों डिसान ल्यूइस ने गुजरात विद्यापीठ के कुलपति को गुजरात विद्यापीठ के मॉडल पर उच्च शिक्षा और समाज में शांति के लिए इसी प्रासंगिकता पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था और दिसम्बर, 2011 ने इसने गांधी और अहिंसा पर व्याख्यान देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था ।

- गौडलजारा विश्वविद्यालय ने दिसम्बर, 2011 में गुजरात विद्यापीठ के कुलपति को गौडलजारा विश्वविद्यालय में मुख्य परिसर में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था । इससे पूर्व अक्तूबर, 2011 में इसके कुनोर्ट स्थित उत्तरी परिसर में इसने अध्यापकों के आदान प्रदान के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था ।

- **प्रकाशित किए गए प्रकाशनों की सूची**

वर्ष 2011–12 के दौरान गुजरात विद्यापीठ ने 34 पुस्तकें और 104 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी ।

- **नीतिगत उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण समितियों का गठन**

(1) 12वीं योजना समिति

(2) नई तालीम शिक्षा समिति

3.2.10 गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय जो कि 4 मार्च, 1902, को हरिद्वार में स्थापित हुआ था, उसमें वेद, संस्कृत दर्शन, योग एवं कुछ प्राचीन विषयों में अध्यापन कार्य होता है और इसमें आधुनिक पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ विज्ञान विषयों जैसे एम.सी.ए., एम.बी.ए. एवं इंजीनियरिंग आदि में भी अध्यापन कार्य होता है। विश्वविद्यालय को भारत सरकार के दिनांक 19.06.1962 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सम– विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ।

संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों में पारम्परिक तथा आधुनिक शिक्षा के माध्यम से मानस में देश भक्ति तथा भारतीय संस्कृति की भावना को जगाना तथा वेदों का संरक्षण करना है।

बजट 2011–2012

वेतन	15.34	करोड रूपये
सेवानिवृति लाभ तथा पेंशन	4.53	करोड रूपये
व्यय	6.98	करोड रूपये
(वेतन के अलावा)		
कुल	**26.85**	**करोड रूपये**

अपने आठ संकायों के माध्यम से गुरूकुल कांगड़ी प्राच्च शिक्षा, समाज विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी प्रबंधन अध्ययन और देहरादून तथा हरिद्वार में पृथक रूप से स्थित दूरस्थ शिक्षा जैसे संकायों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहा है। विभागों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

प्राच्च शिक्षण भाषा

वेद विभागः वर्ष 2011–12 के दौरान संकाय के शोध पत्र प्रकाशित किए गए है ।

श्रद्धानंद वैदिक अनुसंधान संस्थानः इस विभाग में जिसकी स्थापना गंभीर अध्ययन और पारंपरकि विषयों में प्रकाश के लिए की गई थी, संकाय के शोध पत्रों को प्रकाशित किया गया है ।

संस्कृत विभागः इस विभाग का संकाय शिक्षण कार्य के साथ–साथ अनुसंधान, दोनों तरह के कार्य कर रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान इसने एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है।

प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति विभागः इस विभाग से संबंधित संकाय, दोनो शिक्षण तथा अनुसंधान का कार्य कर रहा है। संकाय ने छात्रों के ज्ञानवर्धन के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

पुरातत्व संग्रहालयः विश्वविद्यालय संग्रहालय में महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्रियों का संकलन उत्तराखंड की संस्कृति के प्रतीक है । इस संग्रहालय के संकलन सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालिबंगा से लिए गए है । इस संग्रहालय में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धातु की मूर्तियां है जो कौशाम्बी, मथुरा और मौर्य तथा गुप्तकालीन है तथा मूर्तियां प्राचीन सिक्के, पांडुलिपियां, शस्त्रागार, श्रद्धानंद बलिदान प्रकोष्ठ हिमालयन दर्शन, पत्रिका संग्रह आदि है । वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था । वर्ष 2011–12 के दौरान भगत सिंह पर मुकदमें की सुनवाई से संबंधित कागजात लाहौर से एकत्र किए गए है और उन्हें सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया है ।

मानवीय चिंतन और योग विज्ञान विभागः शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान कार्य के अतिरिक्त इस विभाग का संकाय योग चिकित्सा भी प्रदान करता है ।

शारीरिक शिक्षा और खेल–कूद विभागः इस विभाग में छात्रों को खेल–कूद की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और एक वर्ष का बी.पी. एड. पाठ्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है । वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है ।

समाजशास्त्र संकाय

हिन्दी विभागः इस विभाग के तहत पत्रकारिता पाठ्यक्रम के साथ–साथ परियोजनोन्मुखी हिन्दी की शिक्षा दी जाती है ।

अंग्रेजी विभागः शिक्षण के अतिरिक्त यह संकाय अनुसंधान कार्य भी कर रहा है तथा वर्ष 2011–12 में इसने अपनी पुस्तकें तथा शोध पत्र प्रकाशित किए है । सभी पुस्तकें और शोध पत्र संकाय द्वारा प्रकाशित किए गए है

मनोविज्ञान विभागः विभाग का यह संकाय विभिन्न क्षेत्रों में लगातार अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है ।

विज्ञान संकाय

गणित विभागः यह संकाय शिक्षण के साथ–साथ अनुसंधान कार्य कर रहा है ।

भौतिकी विभागः शिक्षण के अतिरिक्त, विभाग का संकाय निरंतर शोध कार्य कर रहा है ।

रसायन विभागः शिक्षण के अतिरिक्त, संयंत्र, आयुर्वेद गतिकी, पर्यावरण और विद्युत रसायन आदि के खेत्र में इस विभाग में लगातार कार्य किया जा रहा है ।

जीव विज्ञान संकाय

जैव मंडल और पर्यावरण विज्ञान विभागः पूरी संकाय शिक्षण के अतिरिक्त अनुसंधान कार्य में लगा है ।

वनस्पति विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभागः संपूर्ण संकाय शिक्षण के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में लगा है ।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विभागः

विभाग कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, यांत्रिकी और विद्युत अभियांत्रिकी में बी.टेक पाठ्यक्रम चला रहा है । संकाय विभाग की प्रगति के लिए लगातार कार्य कर रहा है तथा अपने अनुसंधान कार्य में जुटा हुआ है । विभाग द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान किया गया था ।

कंप्यूटर विज्ञान विभाग

अवर स्नातक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कंप्यूटर विज्ञान द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है । संकाय द्वारा विभाग में अनुसंधान कार्य और परियोजनाएं चलाई जा रही है ।

कंप्यूटर केन्द्रः कंप्यूटर केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय की गतिविधियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है । केन्द्र में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है और वी–सैट की भी स्थापना की गई है ।

प्रबंधन अध्ययन विभाग

विभाग तीन पाठ्यक्रम – एम.बी.ए., एम.बी.एफ. और एम.बी.एफ. चला रहा है और शिक्षण और अनुसंधन, दोनों, कार्यों में पूरा संकाय लगा है।

आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान विभाग

नव–स्थापित विभाग बी. फार्मेसी पाठ्यक्रम सफलता से चला रहा है । विभाग का जीव विभाग जैसे सीपीसीएसईए का वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किया गया है ।

दूरस्थ शिक्षा संकाय

प्रौढ़ और निरंतर शिक्षा विभागः इस विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है ।

पुस्तकालय

इस वि.वि. के पुस्तकालय को, भारत के एक प्रमुख पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है जिसमें वेद और धर्म तथा प्राचीन अध्ययन सामग्री का संकलन उपलब्ध कराया जाता है। इस पुस्तकालय में प्राचीन भाषा में तथा उनके हस्तलेखों की प्रतियों तथा पांडुलिपियों आदि का संग्रह है। यह भी प्रावधान है कि गरीब छात्रों को अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाए। श्रद्धानंद अनुसंधान केन्द्र, डॉ. जगदीश विद्यालंकार के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है तथा केन्द्र द्वारा विभिन्न अनुसंधान जर्नल्स प्रकाशित हुए है।

पुस्तकालय ने वी.सेट की स्थापना की है तथा 10.00 लाख रूपये की 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिकाएँ, वि.अ.आ. की सहायता से उपलब्ध कराई है। इसके बावजूद, भारत सरकार की सहायता से पुस्तकालय, हजारों दुर्लभ पुस्तकों को डिजिटलकृत करने जा रहा है। वर्तमान में, इसमें 400 पुस्तकों का संकलन है। पुस्तकालय की 3000 पुस्तकों को डिजिटाईज किया जा चुका है।

कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, देहरादून

यह महाविद्यालय संस्कृत, हिन्दी, संगीत, इतिहास, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, कला एवं मनोविज्ञान जैसे विषयों पर स्नातकपूर्व स्तर के पाठ्यक्रम चलाता है। छात्रों के लिए एम.बी.ए. तथा एम.बी.ए. का पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है।

कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, हरिद्वार

कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा जिसमें डॉ. संगीता विद्यालंकार के निदेशन में विज्ञान तथा हरिद्वार में महिलाओं की शिक्षा हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर कला पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

इस विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय सदस्यों को विदेशी सरकारों द्वारा इस वर्ष व्याख्यान देने, संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

विश्वविद्यालय अ.जा./अ.ज.जा. के लिए वि.अ.आ. और भारत सरकार के विभिन्न आरक्षण प्रावधानों को लागू कर रहा है । आरक्षण नीति की निगरानी के लिए वि.अ.आ. समिति ने विश्वविद्यालय का दौरा किया था और उसने अपनी अनुशंसा व्यक्त की थी । विश्वविद्यालय में एनसीसी और एनएसएस स्कंध भी काम कर रहा है । विश्वविद्यालय का नियोजन प्रकोष्ठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों मे ंछात्रों के नियोजन के लिए लगातार कार्य कर रहा है ं

3.2..11 रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई (महाराष्ट्र)

विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस विश्वविद्यालय की स्थापना 01 अक्तूबर, 1933 बंबई विश्वविद्यालय के रसायन प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में की गई थी। इस संस्थान को पूर्ण स्वायत्तता वर्ष 2004 (यू आई सी टी) प्राप्त हुई और 12 सितंबर, 2008 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन इसे सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया और इसका नाम रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई सी टी) रखा गया।

वर्तमान में सरकारी अनुदान सहित बाह्य राजस्व की प्राप्ति का अनुपात लगभग 6.0 है, जो संभवतः देश के सभी शैक्षिक संस्थानों में सबसे अधिक है। औद्योगिक संस्थानों के साथ संपर्क लगातार गहरे हो रहे है, जिसके अधीन 17 औद्योगिक अनुसंधान परियोजनाएं और 135 परामर्शी परियोजनाएं चल रही है। इनमें से 7 समुद्रपार के उद्योग है, जिनमें जापान, स्विटजरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योग शामिल है। कई नए और आदर्श प्रक्रियाएं, उत्पाद और डिजाइन विकसित किए गए है और इन उद्योगों को अंतरित किए गए है।

शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता के साथ–साथ यह संस्थान सामाजिक दायित्वों के प्रति भी जागरूक है। इसके विभागों ने "समुदाय की सेवा" के उद्देश्य से समय–समय पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/ कार्यशालाएं आयोजित की है। इस संस्थान ने पौष्टिकता, मिलावट, दवाइयां, औषधियां, साबुन, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, प्राकृतिक और सिंथेटिक रंग, खादी और सिंथेटिक फेब्रिक, परफ्यूम, फ्लेवर्स, पुनःचक्रित प्लास्टिक, पेंट आदि संबंधी विषयों पर विभिन्न क्षेत्रों में "उपभोक्ता जागरूकता" संबंधी कार्यशालाएं भी आयोजित की है। आई सी टी ने अब "उपभोक्ता जागरूकता संगठन" के कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया है।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

आई सी टी में स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा में भारी सुधार आया है और इससे मूल विज्ञान और इंजीनियरी विज्ञान तथा क्रेडिट आधारित प्रणाली के बीच बहुत अच्छा संतुलन बना है। शिक्षा की गति के लिए दो डिग्रियों और एकीकृत पीएच डी कार्यक्रम दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नवोन्मेषी क्षमताओं को शामिल करने के लिए स्नातक–पूर्व शिक्षा का पुनर्गठन किया गया है। आधारभूत सुविधाओं में मात्रा बढ़ाए जाने के संबंध में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए है, जिनमें गति, उपस्कर, अति आधुनिक उपकरण और यूटिलिटीज शामिल है।

बल दिए जाने वाले क्षेत्र

हमारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में स्नातक, निष्णात और पीएच डी डिग्रियां (कुल मिलाकर 23) दी जाती हैः–

- रसायन इंजीनियरी
- डाईस्टफ प्रौद्योगिकी
- खाद्य इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी
- तेल, ओलेयो केमिकल्स और सरफैक्टेंट्स प्रौद्योगिकी
- फार्मास्युटिकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- फाइबर और टेक्सटाइल प्रक्रिया प्रौद्योगिकी
- पॉलिमर इंजीनियरी
- सरफेस कोटिंग प्रौद्योगिकी
- नैनाविज्ञान और नैनोप्रौद्योगिकी
- ग्रीन प्रौद्योगिकी
- जैवप्रौद्योगिकी

जिन प्रमुख अनुसंधानों पर हमारा ध्यान केंद्रित है, वे इस प्रकार हैंः

- जैवप्रौद्योगिकी और बायोमेडिसिन
- नैनाप्रौद्योगिकी और सामग्री विज्ञान
- ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरी
- प्रक्रिया प्रणाली इंजीनियरी
- ग्रीन रसायन और इंजीनियरी
- पर्यावरणीय सुरक्षा और खतरनाक कचरा प्रबंधन
- उत्पादन इंजीनियरी
- ऊर्जा इंजीनियरी
- असाध्य रोगों के लिए उपचार की रणनीति का विकास करना : फार्मा और स्वास्थ्य देखभाल

विशेष सहायता के विभिन्न विभागों के रूप में वि.अ.आ. द्वारा रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। ये निम्नलिखित हैः

1. उन्नत अध्ययन केन्द्र – वस्त्र उद्योग फाइबर डाईज और पालिमर के भौतिक–रसायनिक पहलू, चरण–सात (15 एसएपी फेलोशिप)
2. उन्नत अध्ययन केन्द्र–रसायन अभियांत्रिकी
3. उन्नत अध्ययन केन्द्र– फार्मास्यूटिकल साइंस एवं टेक्नोलॉजी
4. उन्नत अध्ययन केन्द्र – खाद्य अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
5. विशेष सहायता विभाग (डीआरएस) – रसायन विज्ञान

प्रत्येक उन्नत अध्ययन केन्द्र के लिए 15 एसएपी तथा प्रत्येक डीआरएस के लिए 5 फेलोशिप है । आईसीटी में स्थापित अन्य केन्द्र निम्नलिखित है :

1. डी.बी.टी. – आई.सी.टी. – उर्जा जैवविज्ञान केन्द्र
2. उी.ए.ई.–आई.सी.टी. – रसायन अभियांत्रिकी शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र
3. रसायन अभियांत्रिकी में वि.अ.आ. नेटवर्किंग रिसोर्स सेंटर

1. वस्त्र, फाइबर, डाईज और पोलिमर्स के भौतिकी–रसायनिक पहलू में उन्नत अध्ययन केन्द्रः चरण–सात

वस्त्र, फाइबर, डाइेज एण्ड पोलिमर्स के भौतिक–रसायनिक पहलू' में उन्नत अध्ययन केन्द्र की शुरूआत रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई विश्वविद्यालय (एम.यू.आई.सी.टी.) (पूर्व में यू.डी.सी.टी. के नाम से ज्ञात) की वर्ष 1964 में हुई थी जो पांचवीं पंचवर्षीय येाजना का लगभग अंतिम वर्ष था । संभवतः (रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी विश्वविद्यालय में शुरू किया गया 'उन्नत केन्द्र' अपनी तरह का पहला केन्द्र था । चालू कार्यक्रम के अंतर्गत भाग लेने वाले चार विभाग है – फाइबर और वस्त्र संस्करण प्रौद्योगिकी (वस्त्र), डाई स्टफ प्रौद्योगिकी (डाईज), पोलिमर अभियांत्रिकी और सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी (पी.एस.ई) और भौतिकी ।

वि.अ.आ. ने इस केन्द्र की प्रगति की पुर्नसमीक्षा की है और इसे सीओएसआईएसटी कार्यक्रम के अंतर्गत 1999 में शामिल किया है जो 1999 और 2004 के बीच 5 वर्षों के लिए कार्य कर रहा था ।

इस सभी वर्षों के दौरान सीएएस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के खेत्र में बड़ा योगदान किया है और देश में एक उन्नत अध्ययन केन्द्र के सर्वोत्तम केन्द्र के रूप में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त किया ।

सीएएस का वर्तमान कार्यक्रम– चरण–सात को अप्रेल, 2007 से मार्च, 2012 तक का 5 वर्ष का समय दिया गया है जिसके लिए 97.50 लाख रूपये संस्वीकृत किया गया है ।

उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं

आईसीटी में यह एक मात्र सीएएस कार्यक्रम है जो 1964 के शुरूआत से ही अंतर विभागीय है । इसके कारण इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है । प्रमुख कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैः

- वस्त्र फाइबर की संरचना और गुण।
- बेहतर प्रसंस्कृत वस्त्र सामग्री (नैसर्गिक और कृत्रिम) प्राप्त करने के लिए वस्त्र फाइवर का विनिर्माण और प्रसंस्करण का अध्ययन।
- वस्त्र उद्योग के लिए नए रंगरोधन का रसायन ओर सिन्थेसिस।
- चमकीले एजेंट के रूप में प्रयोग के लिए नए जैविक अणु का सिन्थेसिस तथा उपयोग ।
- फाइवर और पोलिमर का भौतिक और रूपांतरण गुणों, डाई–पोलिमर सह किया, आई–आर, यू.वी/विस स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन।
- पोलिमर प्लेंड्स और अल्बॉयज का रिलोजीकल और प्रोसेसिंग अध्ययन।
- पोलिमर के पुनः चक्रण का अध्ययन ।
- जलासंजन, चिपकने की प्रवृत्ति, छपाई की योग्यता और मेनब्रेन गुणवत्ता में सुधार के लिए फाइबर और पोलिमर फिल्म का प्लाजमा प्रोसेसिंग ।
- पोलिमर नैनो–संघटक के ठोस बनाने का विज्ञान।

वर्ष 2011–12 के लिए केन्द्र का बजट 34.30 लाख कर दिया गया है । एक व्यापक अनुसंधान योजना का अनुसरण किया जा रहा है जिसमें तकनीकी वस्त्र, पोलिमर में सारंध्रतता और कार्यात्मक उपयोग के लिए चमकीले डाई को सम्मिलित किया गया है । केन्द्र ने दो अंतर्राष्ट्रीय और दो राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है । विभिन्न पत्रिकाओं में केन्द्र के लगभग 71 शोधपत्र प्रकाशित हुए है ।

2. रसायन अभियांत्रिकी में उन्नत अध्ययन केन्द्र

रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के रसायन अभियांत्रकी विभाग को 1984 में वि.अ.आ.–एसएपी कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष सहायता प्राप्त विभाग तथा 1989 से उन्नत अध्ययन वि.अ.आ. केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है । वि.अ.आ.–सीएएस, के रूप में विभाग ने रसायन अभियांत्रिकी शिक्षा और अनुसंधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है । प्रति संकाय पत्रों और प्रति डॉलर व्यय राशि के रूप में आकलित इसे उत्पादकता के मामले में विश्व के 5 शीर्ष विभागों में स्थान दिया गया है । विभाग में अनुसंधन का प्रभाव प्रति संकाय सदस्य के पत्रों की संख्या, प्रति पत्र प्रभाव कारक, रसायन अभियांत्रिकी विभाग के पत्रों में लेखों की संख्या में परिलक्षित हो रहा है ।

इस विभाग को 2008 से ही रसायन अभियांत्रिकी में वि.अ.आ. नेटवर्किंग रिसोर्स सेंटर के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई । विभाग की अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिए वि.अ.आ. की सहायता से अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं प्राप्त है । विभाग रसायन अभियांत्रिकी में एक अवर स्नातक पाठ्यक्रम चलाता है और रसायन प्रौद्योगिकी मे ंसात अवर स्नातक पाठ्यक्रम चलाता है । विभाग रसायन अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री भी प्रदान करता है और बायो प्रोसेस प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकी में अंतर विभागीय पाठ्यक्रम चलाता है । इस विभाग की एक समृद्ध अनुसंधन विरासत है ।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएँ

आईसीटी मे ंरसायन अभियांत्रिकी के अंतर्गत वि.अ.आ.–एसएपी कार्यक्रम एक सर्वाधिक सफल प्रयोग रहा है जिसमें मूल विज्ञान और औद्योगिक विज्ञान के बीच की प्रासंगिकता के सूक्ष्म संतुलन को बनाए रखा है । उच्च उत्पादकता दर हासिल करने के लिए हम मूल अनुसंधान की नींच रखते है जबकि इसे आगे बनाए रखते है और इसकी नई लोग की क्षमता में और वृद्धि करते है । इसलिए, इसमें सभी क्षेत्रों में एक समृद्ध अनुसंधान कार्यक्रम को विकसित करना तथा नए खेज के लिए सहायता समूह को विकसित करना हमारा उद्वेश्य है– **उत्पादन नवीनीकरण, प्रकिया नवीनीकरण और डिजाइन नवीनीकरण।**

लक्षित समूह को शामिल करना

उन्नत अध्ययन के लिए वि.अ.आ. केन्द्र के रूप में उच्च गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन विकसित करने और ज्ञान भंडार में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए हमें अधिष्ठापित किया गया है । रसायन अभियांत्रिकी और रसायन विज्ञान में डिग्री के लिए हर साल हम 20 पीएचडी छात्रों का नामांकन करते है । पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों में से 22.5 प्रतिशत छात्र अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के होते है । महिला उम्मीदवारो, यदि पात्र हो, को पीएचडी और एम रसायन अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में वरीयता दी जाती है । इसके अतिरिक्त 40–45 स्नातकोत्तर छात्रों को अनुसंधान के लिए प्रशिक्षित किया जाता है । विभाग लगभग 20 पीएचडी और 45 स्नातकोत्तर डिग्री वाले छात्रों को हर साल तैयार करता है ।

वर्तमान स्थिति

वर्ष 2008 से वि.अ.आ. केन्द्र इस समय चरण–पांच में है । केन्द्र को आवंटित उपकरण अनुदान का पूर्णतः उपयोग किया जा चुका है । कार्यक्रम की परामर्शदात्री समिति की हर साल बैठकें होती है, और प्रगति की समीक्षा की जाती है । केन्द्र की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

भविष्य की योजना

विभाग अगले पांच वर्षों के लिए एक योजना तैयार की है जिसमें प्रक्रिया संघनीकरण, बिलगाव प्रक्रियाएं उर्जा अभियांत्रिकी और पदार्थ विज्ञान और अभियांत्रिकी पर विशेष जोर दिया गया है । वैश्विक संदर्भ में, रसायन अभियांत्रिकी **अनुसंधान** केन्द्र के रूप में इस विभाग ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान पर अपना ध्यान केन्द्रित किया हैः

- हरित रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण।
- प्रकिया संघनीकरण (रियेक्टर का नवीन डिजाइन और बहु चरणीय प्रतिकिया में उर्जा द्रक्षता, बहुचरणीय रियेक्टर और बिलगाव प्रक्रिया)।
- उर्जा अभियांत्रिकी जिसमें नवीकरणीय और गैर–पारंपरिक स्रोतों पर जोर दिया गया है ।
- अनुवीय स्तर पर बोध द्वारा पदार्थ विज्ञान।

- सुरक्षा प्रक्रिया तथा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन
- सतह, इंटरफेस तथा नैनो–सामग्री

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान ''रसायनिक अभियांत्रिकी प्रयोगशाला '' एवं साफ्ट कन्डेन्सड मैटर : ढांचा, स्वरूप तथा अनुप्रयोग '' पर **दो** कार्यशालाएं एवं मालीक्यूलर माडलिंग एण्ड सिक्यूलेशन, ''रसायनिक एवं भेषज उद्योग हेतु भावी विनिर्माण संकल्पनाएं '' तथा वैकल्पिक धारणीय प्रक्रियाओं पर **तीन** सम्मेलनों का विभाग द्वारा आयोजन किया गया था। उद्योग और संस्थानों अर्थात् रायल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड, साह पेट्रोलियम लिमिटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया, आरसीएफ लि0, प्रोक्सेयर के साथ **छह** समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए । वर्ष 2011–12 के दौरान आगन्तुकों द्वारा **29** व्याख्यान दिए गए । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दो विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने विभाग का दौरा किया । विभाग द्वारा 22–10–2011 को एन.आर. कामथ स्मारक रसायनिक अभियांत्रिकी क्विज (सीएचईक्यू) 2011 का आयोजन किया गया ।

2. भेषज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में कैरियर प्रोन्नति योजना

कार्यक्रम/योजना को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वि.अ.आ.	डीएसए	चरण–एक	1990
वि.अ.आ.	डीएसए	चरण–दो	1996
वि.अ.आ.	सीओएसआईएसटी		1997
वि.अ.आ.	डीएसए	चरण–तीन	2003
वि.अ.आ.	डीएसए	चरण–एक	2008

उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताएँ

विभाग को निम्नवत बल दिए जाने वाले के लिए पहचाना जाता है **1) आणविक औषधि डिजाईन 2) नई पद्धतियों द्वारा औषधि विनिर्माण 3) नवीन औषधि डिलीवरी प्रणाली का डिजाईन एवं विकास**

आरंभ की गई परियोजनाओं के तहत व्यापक विषय क्षेत्र सम्मिलित हैं ।

- फारमाकोफोर मैपिंग, क्यूएसएआर, मालीक्यूलर डाकिंग, बाईडिंग एफीनिटी प्रीडिक्शन एवं स्टीरियो–इलेक्ट्रॉनिक विशेषता का विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग कर सीएएडी समर्थित डिजाईन । जिसमें पेरेलल सिथेंसिस तथा माइक्रोवेव की सहायता से संश्लेषण जैसी आधुनिकी तकनीकों का उपयोग कर औचित्यपूर्ण औषधि डिजाईन के आधार संक्रमणकारी टोमो हेतु शक्तिशाली बायोएक्टिव अणुओं का संश्लेषण, औषधि की प्रक्रिया विकास और औषधि अर्न्तवर्ती, आयोनिक तरलों का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल रसायन शास्त्र, जैव उत्प्रेरक, जल और माइक्रोवेव समर्थित संश्लेषण
- संक्रमणरोधी बनाने, कैंसररोधी, पेपटाईड, प्रोटीन तथा न्यूक्लीओटाईड सहित आकार अथवा सतक ही रसायनिक गुणवत्ता के लिए पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन करके नैनो–कैरियर को तैयार करना।
- कंट्रोल्ड रीलीज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम (एनडीए और एएनडीए)

संदशी कार्य योजना

- नैनो ड्रग डिलीवरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला
- भेषज विज्ञान में अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम
- संक्रमणकारी रोग नियंत्रण हेतु समेकित प्रौद्योगिकी केन्द्र
- भेषज विज्ञान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – नेटवर्किंग संसाधन केन्द्र
- औषधि खोज अनुसंधान केन्द्र

विभाग को 80.00 लाख रुपये आवंटित किए गए है । वर्ष 2011–12 वि.अ.आ.–सीएएस कार्यक्रम का चौथा वर्ष है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विभाग ने ''वैश्विक भेषज बाजार –वर्तमान स्थिति और इसका भविष्य'' विषय पर **2** आगन्तुक व्याख्यान तथा **एक** संगोष्ठि का आयोजन किया है । वर्ष 2011–12 के दौरान **55** अंतर्राष्ट्रीय तथा **9** राष्ट्रीय प्रकाशन निकाले गये । वर्ष 2011–12 के दौरान डाकिन विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया, टोरिनो विश्वविद्यालय, इटली और जेनिवा विश्वविद्यालय, स्वीटजरलैंड के साथ **3** समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

4. खाद्य अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में उच्च अध्ययन केन्द्र

कार्यक्रम / योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

क)	वि.अ.आ.	डीएसए	चरण–एक	अक्तूबर 1990
ख)	वि.अ.आ.	डीएसए	चरण–दो	दिसम्बर 1995
ग)	वि.अ.आ.	डीएसएएस	चरण–तीन	फरवरी 2002
घ)	वि.अ.आ.	डीएसए	चरण–एक	अप्रैल 2008 से मार्च 2013

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएँ

निम्नलिखित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विभाग को मान्यता प्रदान की गई है (1) वसा रसायन और प्रौद्योगिकी (2) किण्वन प्रौद्योगिकी तथा खाद्य जैव प्रौद्योगिकी ।

बल दिए जाने वाले क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति तथा ज्ञान सृजन करने के लिए, हमारा उद्देश्य भारतीय पारंपरिक खाद्य पदार्थों में, उनके पोषण, सुरक्षा तथा कार्यकरण के संबंध में सुधार लाना है ।

वर्ष 2011–12 के दौरान 41 निष्णांत तथा 52 पीएचडी परियोजनाएं आरंभ की गई थी और 23 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन किया गया । 7 डाक्टोरेट, 21 निष्णांत तथा 19 स्नातक उपाधियां प्रदान की गई ।

आरंभ की गई परियोजनाओं में निम्नवत वृहद विषय क्षेत्र शामिल थे ।

- अनाज / दलहनों सहित देसी कच्चे माल पर आधारित पारंपरिक खाद्य पदार्थ अथवा तैयार किए गए खाद्य पदार्थ, जीवन काल में वृद्धि करने, गुणवत्ता सुधार तथा ऊर्जा का कार्यकुशल ढंग से उपयोग करने के लिए फल और सब्जियों को निर्जलित करना तथा अपूतित रूप से संसाधित करने के लिए उत्पादों का विकास ।
- किण्वन उत्पादन पर अनुसंधान खाद्य और भेषज क्षेत्र में जैव अणुओं का संसाधन जिनकी वाणिज्यिक महत्व तथा गुणवत्ता के रख–रखाव और कम ऊर्जा खपत के साथ सब्जियों का परिरक्षण । यह कार्य पिछले 2 वर्षों में किया गया तथा 2 पत्र प्रकाशित हुए ।
- एश–गोर्ड परिवार की सब्जियों जिनपर कम अध्ययन किया गया है, की शेल्फ लाईफ अध्ययन जैव प्रौद्योगिकी तथा रसायन भाग / पहलू का अध्ययन किया गया तथा 2 पत्र प्रकाशित किए गए ।

अपनाई जाने वाली विकास रणनीतियों सहित संदर्शी कार्य योजना

विभाग नए उत्पादों के विकास, खाद्य प्रसंस्करणा में सुधार करने की दिशा में योगदान जारी रखेगा ताकि विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए सुरक्षित तथा पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके और आगामी वर्ष के दौरान सीएएस दर्जा बनाये रखना चाहेगा ।

विभाग को प्रति वर्ष 4.00 लाख रु0 आवंटित किए जाते रहे है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 'विश्व खाद्य दिवस आयोजित करने तथा' 'भारतीय खाद्य उद्योग के विकास को गति देने के लिए भोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष करने के लिए खाद्य वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का बाईसवां भारतीय सम्मेलन' विषयों पर विभाग द्वारा 2 संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था । विभाग ने मेप्रो फूड्स, वाई तथा मार्ड फूड चाकान में दो दिवसीय औद्योगिक दौरा आयोजित किया । वर्ष 2011–12 के दौरान एन्डावमेंट लेक्चरों का आयोजन किया गया । विभाग के संकाय सदस्यों ने आईएफटी 2011 की वार्षिक बैठक तथा खाद्य प्रदर्शनी सम्मेलन में भाग लेने के न्यू अर्लिपेन्स, अमरीका का दौरा किया । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में 26 अनुसंधान पत्र तथा 3 समीक्षाएं प्रकाशित की गई तथा 3 पेटेंट दायर किए गए ।

5. रसायन में वि.अ.आ. डीआरएस

कार्यक्रम / योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

रसायन विभाग को वर्ष 2009 में डीआरएस प्रदान किया गया था ।

उद्देश्य:

- आदर्श कैटेलिस्ट तैयार करना और उसके लक्षणों का पता लगाना।
- संश्लिष्ट प्रोटोकोल के आधार पर ग्रीन रसायन का विकास करना।
- माइक्रोवेव्स और अल्ट्रासाउंड पर आधारित अन्य उन्नत संश्लिष्ट कार्बनिक पद्धतियों का विकास करना।
- सरफैक्टेंट और इंटरफेसियल रसायन आधारित प्रक्रिया का विकास करना।

मुख्य विशेषताएं

अनुसंधान के 6 बड़े क्षेत्र है, यथा (क) संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन, (ख) ग्रीन रसायन, (ग) कैटालिसिस, (घ) हाइड्रोजनेशन, हाइड्रो फार्मिलेशन, कार्बोनाइलेशन आदि जैसे गैस द्रव आधारित प्रक्रिया, (ङ) कार्बन डाई आक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन और (च) इंटरफेसियल रसायन।

भावी कार्य योजना

- एडवांस आगर्निक सिंथेसिस के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना।
- धारणीय कार्बनडायआक्साईड सिक्वेसट्रेशन प्रौद्योगिकियों का वृहद विकास ।
- भारतीय रसायन उद्योग में मूल्यवर्धन के लिए प्रौद्योगिकीयों को विकसित करना।
- उद्योग के लिए स्वच्छ एवं हरित पद्वतियां विकसित करना।

वर्ष 2011–12 के दौरान बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इस विभाग को 40.00 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। लगभग **46** शोधार्थी इस विभाग के विभिन्न विषयों में पीएच डी के लिए कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने 3 दिसम्बर , 2011 को "रूम टेमपरेचर आयनिकस" संबंधी एक दिन की गोष्ठी आयोजित की है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, **छह** विदेशी प्रतिनिधियों ने इस विभाग का दौरा किया है और ए आई एस टी, सेंडाई, जापान के साथ कार्बन डाई ऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है। वर्ष 2011–12 के दौरान **42** प्रकाशन किए गए।

6. डी बी टी–आई सी टी ऊर्जा बायोविज्ञान केंद्र

जीवविज्ञान ने पिछले अनेक दशकों में अधिकाधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय महत्व धारण कर लिया है। तथापि, जीव विज्ञान में हुए विकास को धारणीय प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने के लिए विशिष्ट प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । एनर्जी बायो साइंसेज के लिए डीबीटी–आईसीटी केन्द्र भारत में प्रथम ऐसा बायो साइंसेज केन्द्र है जिसकी समेकित मूलभूत तथा संपरिवर्तनीय विज्ञान क्षमता हैं ताकि जैव प्रक्रिया प्रौद्योगिकी तथा जैव अभियांत्रिकी में एक नया आयाम जोड़ा जा सके ।

केन्द्र अपनी स्थापना से ही जैव प्रक्रियाओं तथा जैव ईंधन प्रौद्योगिकी के सक्रिय सहयोग में जुटा हुआ है। हाल ही में, केन्द्र ने धारदा केमिकल्स, फर्मेन्टास बायोटेक लि0 तथा यूनीकेम लेबोरेटरीज लि0 के साथ गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए है। सेफ्रोन ईगल बायोफ्यूल्स (एसईबी यूएसए) 'ड्राप इन बायोफ्यूल' से संबद्ध वाणिज्यिक प्रौद्योगिकीयों से जुड़ी एक अग्रणी कंपनी तथा स्कैडिया कॉरपोरेशन (अमरीका) के साथ केन्द्र ने त्रिपक्षीय नॉन–डिस्कलोजर एग्रीमेंट किया है । साथ ही केन्द्र का सैफरोन ईगल बायोफ्यूल के साथ समझौता ज्ञापन करने से केन्द्र को एसईबी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी प्राप्त हुई है ।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएँ

डीबीटी–आईसीटी–सीईबी में समग्र जैव ऊर्जा मिशन का उद्देश्य नवीकरणीय संसाधनों से जैव ईंधन की धारणीय प्रौद्योगिकीयों का सृजन करना है तथा इसके तीन मिश्रित उद्देश्य है–

- बायोमास से पैदा किया जाने वाला उन्नत बायो एल्कोहल।
- शून्य अवशिष्ट और मूल्य संवर्द्धित उत्पाद के लिए बायो रिफाइनरी विधि का विकास करना।
- अन्य उन्नत बायो–ईंधन का विकल्प/प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

मुख्य विशेषताएँ

- तकनीकी रूप से विभाग में अनुसधान को छह मुंख्य क्षेत्रों में बांटा जा सकता हैः यथा (क) संश्लिष्ट जीव विज्ञान, (ख) किण्वन प्रौद्योगिकीयाँ (ग) पृथ्थकीकरण प्रौद्योगिकीयाँ (घ) एन्जाईम प्रौद्योगिकीयाँ (ङ) शैवालीय जैव–प्रौद्योगिकीयाँ, तथा (च) जैव–ईंधन
- रसायन इंजीनियरी, रसायनविज्ञान, बायो प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, बायो प्रौद्योगिकी, बायो रसायन और मालेक्युलर बायोलॉजी जैसे विभिन्न विषयों में लगभग 50 छात्र पीएच डी के लिए कार्य कर रहे है।
- केन्द्र 10 से अधिक औद्योगिक परियोजनाएं चला रहा है और कई सरकारी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित है।
- वर्तमान में, सीईबी ने 12 स्वदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दायर किए हैं जो पेटेंट अभियोजन के विभिन्न चरणों में है । वर्ष 2011 से मार्च, 2012 के दौरान केन्द्र अपने तीन पीसीटी आवेदनों के राष्ट्रीय चरण में प्रविष्ट हो गया है ।
- वर्तमान में 900 वर्गमीटर के आधुनिक भवन में स्थित केन्द्र में मूलभूत विज्ञान तथा रसायन विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए माइक्रोलीटर से कोई सौ लीटर तक अनुसंधान करने हेतु अत्याधुनिक उपकरण है ।

भावी कार्य योजना

- उन्नत जैव ईंधन उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकीयों को विकसित करना।
- कार्बनडायआक्साईड सिक्वेसट्रेशन प्रौद्योगिकीयों का सतत् और व्यापक विकास।
- भारतीय कृषि तथा जैव आधारित उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकीयों का विकास करना।
- भारतीय बायोटेक उद्योगों का तीव्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्षमकारी प्रणालियों का सृजन करना ।

इस विभाग को सरकारी और बायोटेक्नोलॉजी विभाग, नई दिल्ली, जनरल मिल्स आईएनसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बायो–रैड, संयुक्त राज्य अमेरिका, केमट्रोल्स इंडिया लिमिटेड, एजिलेंट टेक्नोलॉजीज इंडिया जैसी प्राइवेट वित्तपोषण एजेंसियों से 3.91 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है।

इस विभाग ने इंडिया ग्लाइकोस, एन डी ए और हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान छह कार्यशालाएं आयोजित की गई है। 31 विदेशी प्रतिनिधियों ने इस विभाग का दौरा किया है। वर्ष 2011–12 के दौरान 2 प्रकाशन प्रकाशित किए गए है।

7. रसायन इंजीनियरी शिक्षा और अनुसंधान संबंधी डी ए ई–आई सी टी केंद्र

कार्यक्रम / स्कीमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईसीटी) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने वर्ष 2006 में आईसीटी में रसायन अभियांत्रिकी शिक्षा तथा अनुसंधान हेतु तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग को पूरा करने तथा ऊर्जा उत्पादन तथा इष्टीकरण हेतु नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए । समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित क्रियाकलाप कवर किए गए हैः–

- रसायन अभिांत्रिकी में एक अंतर्विषयक पीएचडी कार्यक्रम आरंभ करना।
- परमाणु, ऊर्जा ईंधन चक्र तथा उन्नत प्रौद्योगिकीयों से संबद्ध सामान्य हितों के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को आरंभ करना ।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएँ

डी ए ई ने परमाणु शक्ति कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे चरण में प्रभावी परमाणु ईंधन के उपयोग की समस्या से निपटने के लिए कई नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। इसके लिए बहु–विषयक विशेषज्ञ सहित योग्य अभिप्रेरित और प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों के समूहों की आवश्यकता है। देश में पीएच डी स्तर के रसायन इंजीनियरों की संख्या बहुत कम है और डी ए ई में प्रवेश पाने वाले रसायन इंजीनियरों की संख्या तो और भी कम है। इस प्रकार ऊर्जा संबंधी कार्यक्रमों में कार्य करने वाले पीएच डी विद्वानों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

10 वर्ष के लिए मार्च, 2008 में आई सी टी के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। इस केंद्र को कुल 75.00 करोड़ रुपए की रकम स्वीकृत की गई है।

प्रस्ताव है कि इस केंद्र को 12 मंजिले भवन में स्थापित किया जाए। इस संबंध में प्रारंभिक कार्य पहले ही कर दिया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आई सी टी के संकाय सदस्यों और बी ए आर सी तथा आई जी सी ए आर के वैज्ञानिकों के बीच बड़े स्तर पर दो बैठकें आयोजित की गई थीं।

8. रसायन इंजीनियरी में यू जी सी का नेटवर्किंग संसाधन केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग सीआईसीडी मुम्बई (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत स्थापित एक सम विश्वविद्यालय) द्वारा रसायन अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के चलते इसके रसायन अभियांत्रिकी विभाग में एक नेटवर्किंग संसाधन केन्द्र ।

रसायन अभियांत्रिकी केन्द्र सभी मानकों से देश में सबसे उच्च रैंक वाला सीई विभाग है तथा अनुसंधान उत्पादकता के संदर्भ में यह विश्व में सर्वाच्च सीई माना जाता है । डीएसटी के एफआईएसटी कार्यक्रम ने इसे भारत के सभी अभियांत्रिकी कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ विभाग घोषित किया है। टीईक्यूआईपी सर्वेक्षण ने भी आईसीटी को टीईक्यूआईपी समर्थित संस्थानों में प्रथम संस्थान का दर्जा दिया है । सीई के संकाय सदस्य उनकी विशेषज्ञता उद्योग के साथ संपर्क तथा अनेक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रसिद्ध है । अनेक राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के साथ अनेक सहयोगात्मक अकादमिक कार्यक्रम प्रगति पर है ।

वि.अ.आ. एनआरसी–सीई के निम्नवत क्रियाकलाप हैः

- रसायन इंजीनियरी के प्रमुख क्षेत्रों में आवधिक चर्चाओं और नियमित कार्यशालाओं के माध्यम से संकाय सदस्यों और शोधार्थियों का अनुसंधान कार्य, प्रशिक्षण और कौशल का विकास।
- संकाय सदस्यों और अन्य संस्थानों के विभागों का अनुसंधान कौशल बढ़ाने के लिए मानीटरिंग करके क्षमता निर्माण।

- आई सी टी के सी ई संकाय सदस्यों के साथ सहयोग करके प्रमुख परीक्षणों में अन्य संस्थानों / विश्वविद्यालयों के अनुसंधानकर्ताओं को सुविधा प्रदान करना।

- विभाग के सूचना संसाधन संकाय को बढ़ाना ताकि अन्य संस्थानों / अनुसंधानकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सहायता दी जा सके।

- आंतरिक रूप से बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करना और उन्हें अति आधुनिक बनाना ।

वर्तमान में अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के साथ **पांच** सहयोगात्मक परियोजनाएं चल रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान **पांच** कार्यशालाएं / सम्मेलन आयोजित किए गए है ।

3.2.12 जामिया हमदर्द, नई दिल्ली

संस्थानों / कालेजों की स्थापना, एक दूरदृष्टा तथा विख्यात यूनानी शारीरिक चिकित्सक स्वर्गीय जनाब हकीम अब्दुल हमीद द्वारा 70 के शुरूआती दशक में की गई, तत्पश्चात् 10 मई, 1989 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के दिनांक 10.05.1989 की अधिसूचना के माध्यम से वि. अ.आ. अधिनियम की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप उसका समावेशन तथा धोषणा की गई। वर्ष, 2003 में विश्वविद्यालय को नैक की 'ए' श्रेणी में मान्यता प्रदान की गई।

उद्देश्य

जामिया की स्थापना लोक हित के लिए की गई है तथा तदनुसार जामिया का यथा स्थापित उद्देश्य ऐसे उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति तक सीमित है जिन्हें कानून में पूर्त स्वरूप माना गया है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष 1 अप्रैल, 2011 - 31 मार्च, 2012 के लिए (स्व-वित्तपोषण योजना को छोड़कर) बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट:

क)	आय	बजट आबंटन	वर्ष 2011-12 की वास्तविक स्थिति (लेखापरीक्षा रहित) (₹ करोड़ में)
	विश्वविद्यालय की प्राप्तियां	23.13	21.32
	वि.अ.आ. से प्राप्त अनुदान	12.13	12.13
	दिल्ली सरकार से प्राप्त अनुदान	0.17	0.09
	हमदर्द नेशनल फाउंडेशन से प्राप्त अनुदान (एच.एन.एफ.)	5.50	5.50
	कुल	**40.93**	**39.04**
ख)	**व्यय**		
	वेतन	25.89	23.65
	अन्य प्रभार (अवैतनिक खण्ड)	14.22	12.60
	कुल	**40.11**	**36.25**

जामिया हमदर्द की स्वास्थ्य विज्ञान, जीव विज्ञान, इस्लामिक तथा तुलानात्मक अध्ययन तथा फार्मेसी के क्षेत्रों में विशिष्टता है। नौकरी की बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय, अपने आठ संकायों के जरिये प्रबन्धन, सूचना प्रद्योगिकी, भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है।

लाभार्थियों की संख्या सहित (अध्यापक, विद्यार्थी, महिलाए तथा अ.जा./अ.ज.जा. आदि) लक्षित समूह का कवरेज सहित

अध्यापक :

विश्वविद्यालय में अध्यापकों की कुल संख्या 276 है जिसमे 33 महिलाएं है जोकि कुल अध्यापकों की संख्या का 47.46 प्रतिशत है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 17 नये अध्यापकों की नियुक्ति की गई तथा 66 अध्यापकों को भारत तथा विदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियों परिसंवाद, कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए 35.75 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। अनुसंधान कार्य में संकाय सदस्य बहुत सक्रिय है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 50 से अधिक चालू अनुसंधान परियोजनाओं को सीएसआर, विअआ, आईसीएमआर, डीबीटी, एआईसीटीई आदि जैसे निधियन अभिकरणों से 13.50 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 23.58 लाख रूपये की 3 अनुसंधान परियोजनाओं को अनुसंधान स्कालरों द्वारा आरंभ किया गया है।

विद्यार्थी:

1200 विद्यार्थियों की क्षमता के समक्ष सामान्य अनिवासी भारतीय श्रेणी तथा उद्योग प्रायोजित श्रेणी से संबद्ध 1273 विद्यार्थी वर्ष 2011–2012 के दौरान दाखिल हुए। इसके अतिरिक्त अधिसंख्य सीटों पर 25 देशों से आये 140 विदेशी विद्यार्थियों ने भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। विभिन्न संकायों के 53 विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय उद्योगों तथा जन हितैषियों द्वारा संस्थापित, 2.27 लाख रूपये की विभिन्न छात्रवृतियों का लाभ उठाया। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन फेलोशिप के तहत विश्वविद्यालय द्वारा छात्र सहायता निधि के शीर्ष के तहत 1.60 लाख रुपये की धनराशि तथा 50 बीयूएमएस प्रशिक्षुओं को 20.37 लाख रु0 की वृत्ति का संवितरण किया गया ।

छात्रों का निष्पादन:

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 107 छात्रों गेट, नेट, जेआरफ, एसआरएफ, टीओईएफएल, जीपीएडी परीक्षाएं उतीर्ण की । वित्तपोषण एजेन्सियों द्वारा इस विश्वविद्यालय के अनुसंधान स्कॉलरों को यूएसए, इटली, यूएई, स्पेन, जापान, चीन तथाा स्वीटजरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14.46 लाख रु0 की निधियां प्राप्त हुई । इसमें अतिरिक्त रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान रिसर्च स्कॉलरों द्वारा 23.85 लाख रु0 के अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की गई है ।

महिलाएँ:

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 17 नये अध्यापकों की नियुक्ति की गई 7 महिला शिक्षको ने विभिन्न विभागों में 7 नियुक्तियां पाईं। कुल 4338 विद्यार्थियों मे से 1775 महिला विद्यार्थी है जो कि कुल नामांकन का 40.91 प्रतिशत से अधिक है। वि.वि. के परिसर के भीतर 800 से अधिक छात्राओं के ठहरने के लिए एक 7 मंजिला भवन निर्माण करने की योजना चल रही है।

अ.जा./अ.ज.जा.:

वर्ष 2011–2012 के दौरान, दाखिल हुए कुल 4338 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थी अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के थे। इसके अतिरिक्त, वि.वि. अ जा/अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को, इस वि.वि. के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा में उतीर्ण होने के लिए 5 प्रतिशत की रियायत प्रदान करती है।

भावी कार्य योजना

हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड रिसर्च (एचआईएमएसआर) की स्थापना एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए, वि.वि. ने अपने दूसरे परिसर की स्थापना करने हेतु हरियाणा के **मेवात क्षेत्र** में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जैव–प्रौद्योगिकी, वनस्पति विज्ञान, संधीय अध्ययन और प्रबंधन मे विभिन्न पाठयक्रमों का आरंभ किया गया है।

आयोजित किए गए सम्मेलन

इस विश्वविद्यालय के विभाग ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अनेक सम्मेलन, कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां आयोजित की, उनमें से कुछ निम्नवत हैः–

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 28 से 29 नवम्बर, 2011 को प्रोटीन के ढांचे का पूर्वानुमान, बीआईएफ पर तीसरी जैव सूचना संगोष्ठि सह हैंड्स ऑन–ट्रेनिंग संगोष्ठि आयोजित की ।
- रसायन विभाग ने आईआईटी दिल्ली सहयोग से 20–23 फरवरी, 2012 तक ''उन्नत मानव स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ (हैल्थ केयर इंडिया 2012) में उन्नति'' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया ।
- भेषज रसायन विभाग ने 17–18 दिसंबर, 2011 को 'न्यू होराईजन इन ड्रग डिलीवरी एण्ड डेवलपमेंट' विषय पर एआईसीटीई द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया ।
- संघीय अध्ययन केन्द्र ने 10–11 फरवरी, 2011 को विज्ञान, सदाचार और मानवाधिकार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठि का आयोजन किया ।

विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधिमंडल के भाग के रुप में वि.वि. का दौरा किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान यूके, वियतनाम, जर्मनी, साउदी अरब, ईरान तथा अफगास्तिान से प्रतिनिधिमंडलों ने जामिया हमदर्द का दौरा किया।

अन्य देशों / अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते

जामिया हमदर्द और बीडी साइंस, अमरीका तथा इस्लामिक दूतावास के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

जामिया हमदद का 10वां दीक्षांत समारोह

विश्वविद्यालय ने 10.3.2012 को अपना 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया । भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने दीक्षांत समारोह में भाषण दिया ।

प्रकाशित किए गए प्रकाशनों की सूची

- इंडियन जर्नल ऑफ फेडरल स्टडीज–वर्ष में दो बार संघीय अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- इसके अतिरिक्त वि.वि. संकाय द्वारा 18 पुस्तकें प्रकाशित की गई।
- संकाय सदस्यों ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 380 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया है।

रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान, पुरानी योजनाओं का विलोपन तथा नई योजनाओं का समावेशन

एमबीए (पब्लिक हैल्थ इन्फार्मेटिक्स) कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है ।

मेआलिजत (यूनानी) में क्लिनिकल अनुसंधान के लिए समेकित एमएससी–पीएचडी कार्यक्रम तथा इस्लामिक अध्ययन में स्नातक कार्यक्रम आरंभ किए गए है । इसमें अतिरिक्त तीन कार्यक्रम नामतः बीएससी (मल्टीमीडिया एण्ड एनीमेशन), डिप्लोमा इन वेब–डिजाईनिंग और डिप्लोमा इन 3 डी एनीमेशन को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से आरंभ किया गया है ।

3.2.13 जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, लॉडनुं (राजस्थान)

जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय मानव जीवन की भलाई के लिए अनेकांत, अहिंसा, सहनशक्ति, शांति और सह–अस्तित्व के उच्च विचारों को व्यवहार में लाने, उन्हें बढ़ावा देने और उनका प्रचार करने की दिशा में एक प्रयास है।

- **बजट आबंटन और निष्पादन बजट (अवधि : 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012) – (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त और खर्च की गई रकम**

(I)	(क)	प्राप्त जेआरएफ	10.25 लाख रुपये
	(ख)	प्राप्त एसआरएफ	9.08 लाख रुपये
		कुल	**19.33 लाख रुपये**
(ii)	विलयित स्कीमें		125.00 लाख रुपये
(iii)	संसाधन जुटाने हेतु अनुदान 2011–112		50.00 लाख रुपये
(iv)	प्रमुख अनुसंधान परियोजना (प्रो. बी. आर. डुगर)		3.26 लाख रुपये
	प्रमुख अनुसंधान परियोजना (डॉ0 अंशु लीला)		1.10 लाख रुपये

(v) विश्वविद्यालय का स्वयं का बजट **(अवधि : 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012) अलेखापरीक्षित**

वर्ष 2011–12 में कुल आय 526.26 लाख रुपये

वर्ष 2011–12 में कुल व्यय 532.87 लाख रुपये

- **वर्ष 2011–12 के लिए लाभार्थियों की संख्या सहित लक्ष्य समूह की स्थिति**

वर्ष 2011-12 के दौरान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी नामांकन

क्रम सं.	श्रेणी	लिंग	स्नातकोत्तर	स्नातक-पूर्व	जोड़
1.	सभी श्रेणियां	पुरुष	35	-	35
		महिलाएं	58	298	356
		जोड़	93	298	391
2.	अ.जाति / अ.ज.जा.	पुरुष	03	-	03
		महिलाएं	11	21	32
		जोड़	14	21	35

ऐसे छात्रों की संख्या जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति / वृति प्रदान की गई हो।

पीएच–डी के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या – 03 (महिलाएं)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या – 19 (10पुरुष + 09 महिलाएं)

स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या– 01 (महिला)

- **कर्मचारियों और छात्रों को दिए जाने वाले लाभ**

(क) अध्यापक / कर्मचारी

- शिक्षण और गैर–शिक्षण दोनों प्रकार के सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क आवास का प्रावधान।
- परिसर के अंतर्गत रहने वाले कर्मचारियों के लिए बिजली की खपत / बिल में सब्सिडी।

- राजस्थान में पीने के पानी की बहुत कमी है और लॉडनुं, जहां विश्वविद्यालय है, वह फ्लोराइड बेल्ट में आता है। इसलिए विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए वर्षा का पानी ही जीवन रेखा है। वर्षा के पानी की हार्वेस्टिंग के ढांचे में जमा होने वाले पानी से पीने का पानी फिल्टर करने के लिए पेयजल और आर ओ का प्रावधान किया गया है।
- विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों में संकाय सदस्यों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देता है।
- अपने कार्य में संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देने के लिए गैर–शिक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

(ख) छात्र

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण।
- संबंधित सरकार और अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति/वजीफा पाने में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुविधा प्रदान करना।
- जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, लॉडनुं से गरीब और जरूरतमंद छात्रों से छात्रवृत्ति/वजीफा देने का प्रावधान।
- मेंधावी/राष्ट्रीय खिलाड़ी/राज्य खिलाड़ी, बहादुरी पुरस्कार प्राप्त उम्मीदवारों के लिए फीस में रियायत।
- विभिन्न धर्मों के साधुओं और साध्वियों को पूर्व–स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच–डी स्तर पर निःशुल्क शिक्षा।
- बैंक/ रेलवे/पुलिस/रक्षा/बीमा/बी पी ओ/आर पी एस सी/सी एस/सी ए/ सी पी टी/ पी टी ई टी/ एन ई टी/ जे आर एफ/ टी ई टी आदि के लिए उपचारात्मक और अनुशिक्षण कक्षाएं।
- छात्रों को कॅरियर काउंसलिंग, नौकरी दिलाने में सहायता भी दी जाती है।

कार्यक्रम के संबंध में किए गए महत्त्वपूर्ण नीति निर्णय

मूल्यांकन का सत्रीय पैटर्न सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में लागू कर दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलन/विचारगोष्ठी/कार्यशाला आदि का आयोजन

(क) कार्यशाला/सम्मेलन/अतिथि व्याख्यान/संगोष्ठी/ग्रीष्मकालीन विद्यालय आदि के आयोजन (राष्ट्रीय) की सूची

कार्यशाला	सम्मेलन	अतिथि व्याख्यान	संगोष्ठी	ग्रीष्मकालीन विद्यालय
03	-	54	03	01

(ख) विचार गोष्ठी (अंतरराष्ट्रीय) : 01

अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों और शैक्षिक क्रियाकलापों में संकाय सदस्यों की प्रतिभागिता

(क) कार्यशाला/सम्मेलन/अतिथि व्याख्यान/संगोष्ठी/ग्रीष्मकालीन विद्यालय/उन्मुखी कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आदि (राष्ट्रीय) में प्रतिभागिता की सूची

कार्यशाला	सम्मेलन	अतिथि व्याख्यान	संगोष्ठी	विचार गोष्ठी	अभिविन्यास	कार्यक्रम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
46	21	12	157	02	02	03

(ख) कार्यशाला/सम्मेलन/अतिथि व्याख्यान/संगोष्ठी/ग्रीष्मकालीन विद्यालय आदि (अंतर्राष्ट्रीय) में प्रतिभागिता की सूची

कार्यशाला	सम्मेलन	अतिथि व्याख्यान	संगोष्ठी	ग्रीष्मकालीन विद्यालय
03	07	09	16	02

अन्य देशों / अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ करार

जैन विश्वविद्यालय ने फ्लोरिडा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फ्लोरिडा,, घेंट विश्वविद्यालय का फ्लोरिडा और ओरिएंटल लैंग्वेज एंड कल्चरल, बेल्जियम के साथ संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों के विनिमय कार्यक्रम के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है ताकि शैक्षिक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहुंच बनाई जा सके।

प्रकाशनों की सूची

विश्वविद्यालय द्वारा **संवाहिनी** नामक एक सूचनापत्र और **तुलसी प्राजना** नामक एक अनुसंधान पत्रिका भी तिमाही आधार पर प्रकाशित की जा रही है।

महत्वपूर्ण समितियों का गठन

विधिवत गठित निम्नलिखित समितियां भावी नीति निर्णय लेने के लिए कार्य कर रही हैः

- सीनेट
- प्रबंधन बोर्ड
- वित्त समिति
- शैक्षिक परिषद्
- विभिन्न विभागों के अध्ययन बोर्ड
- अध्ययन बोर्ड
- पुस्तकालय समिति
- आई क्यू ए सी

अन्य

- दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अधीन नामक एक पाठ्यक्रम यथा एम0ए0 इंग्लिश शुरू किया है।
- उन्मुखी विषय पढ़ाने वाले विभाग में नामांकित सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान : स्नातकोत्तर छात्रों के लिए : 10, एम. फिल छात्रों के लिए 05 और चार विभागों के एक–एक शोध छात्र (पीएच–डी) के लिए 04।
- विश्वविद्यालय का सामाजिक कार्य विभाग 15–20 किलो मीटर की परिधि में आने वाले गांवों में विभिन्न शिविर आयोजित करता है। ये शिविर महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पशुपालन, वृक्षारोपण, कानूनी जानकारी, उपभोक्ता अधिकार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विद्यालयों में नामांकन की वृद्धि और विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने, योगा और ध्यान, पारंपरिक कला के रूपों की रक्षा के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि से संबंधित जागरूकता और समाज सेवा की जानकारी देने के लिए आयोजित किए जाते है।
- यह विश्वविद्यालय वर्ष 2004 से आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना चला रहा है, जिसमें लड़कियों, महिलाओं के स्कूल छोड़ने या नामांकित नहीं किए गए उम्मीदवारों को शिक्षा की सुविधा देता है ताकि वे दूरवर्ती तरीके से आठवीं कक्षा की परीक्षा में बैठ सकें। इस व्यवस्था को अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के सहयोग से राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- यह विश्वविद्यालय प्रति वर्ष सभी नए भर्ती होने वाले छात्रों के लिए प्रेक्षा ध्यान एवं योग तथा व्यक्तित्व के विकास के संबंध में ओरिएंटेशन शिविर आयोजित करता है।

3.2.14 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)

परिचय

वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, सम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है। यह विश्वविद्यालय शास्त्रीय विषयों, यथा साहित्य, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, अद्वैत, वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत एवं आगम इन विषयों में शिक्षा प्रदान करता है। इन सारे विषयों एवं इनसे संबद्ध विषयों में डिग्रीपूर्व स्तर से लेकर, स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर से पी.एच.डी. स्तर तक के पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। पाठयक्रमों का रूपांकन इस प्रकार से किया गया है ताकि छात्रों को इन समस्त विषयों में समृद्ध बनाया जा सके, कंप्यूटर अनुप्रयोग, गणित, वेब प्रौद्योगिकी, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, तेलुगू साहित्य या हिन्दी साहित्य, भाषा प्रौद्योगिकी, शोध प्रणाली विज्ञान, पाण्डुलिपि प्रणाली विज्ञान तथा कुछ प्रकार्यात्मक विषय जैसेः अर्चकत्व, पुरोहित्व, योग, अगम आदि। यह विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा बी.एड., एम.एड., एम.फिल.एवं पी.एच.डी. कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है तथा वह शिक्षा विभाग, बहु आयामी मीडिया भाषा प्रयोगशाला एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला द्वारा पूर्णतः सुसज्जित है। पाठ्य विवरण एवं पाठ्यक्रम संरचना को प्रति तीन वर्षों पर पुनरीक्षित किया जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र प्रणाली को लागू किया गया है। विद्यापीठ में प्रवेश लेने वाले लगभग समस्त छात्रों को परिसर के भीतर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संकाय सदस्यों की निगरानी में, परिसर में लगभग 809 छात्रों को समेकित भोजन आदि व्यवस्था के साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र द्वारा, प्राक् शास्त्री, आचार्य एवं कई विषयों में डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य यह है कि सामान्य व्यक्ति तक संस्कृत भाषा एवं साहित्य का ज्ञान पहुंच सके।

उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताएं

- पारंपरिक शास्त्रों का संरक्षण।
- शास्त्रों की व्याख्या का कार्य आरम्भ करना।
- आधुनिक संदर्भ में समस्याओं से संबद्धता स्थापित कराना।
- अध्यापकों के लिए आधुनिक एवं शास्त्रीय गहन प्रशिक्षण हेतु साधन जुटाना।
- इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जिससे कि इस विद्यापीठ की अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बने तथा लक्षित उद्देश्यों को अभिलक्षित किया जा सके।

मुख्य विशेषताएंः अकादमिक एवं अनुसंधान क्षेत्रों में उपलब्धियों एवं संभावना पर विचार करते हुए वि.अ.आ. ने इस विद्यापीठ को निम्नलिखित के रुप में पहचान दी हैः

- "दी सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस इन द्र सब्जेक्ट ऑफ ट्रेडीशनल शास्त्र "।
- वर्ष 2003 में, दी नेशनल एसेमेंट एण्ड एक्रेडीशन कांउलिस (एनएएसी) ने ए+ स्तर पर विश्वविद्यालय का प्रत्यायन किया गया।

रिपोर्टाधीन वर्ष (01.04.2011 से 31.03.2012 तक) के लिए बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट

बजट शीर्ष	आबंटन	प्राप्त अनुदान	व्यय (₹ लाख में)
गैर–योजनागत	1736.86	1645.88	1655.50
योजनागत (2007 से 2012) (सामान्य विकास अनुदान और विलयित योजना)	966.50	847.28	749.60
यू जी सी–एस ए पी (साहित्य)	5.30	5.30	5.50
यू जी सी–एस ए पी (शिक्षा)	6.64	5.00	6.64
यू जी सी–एस ए पी (दर्शन)	14.72	14.72	10.45
उत्कृष्टता केंद्र (2009 से 2013)	300.00	240.00	180.00

लाभार्थियों की संख्या सहित लक्ष्य समूह की स्थिति

विवरण	पुरुष		महिला		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	नि:शक्त
अध्यापक	सीधी भर्ती	सीएएस	सीधी भर्ती	सीएएस				
प्रोफेसर	08	12	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एसोसिएट प्रोफेसर	16	12	शून्य	04	01	शून्य	शून्य	शून्य
सहायक प्रोफेसर	61	शून्य	04	शून्य	03	01	03	01
छात्र	1029		452		लड़के: 65 लड़कियाँ: 30	लड़के: 25 लड़कियाँ: 05	लड़के: 252 लड़कियाँ: 120	

वर्तमान स्थिति, कार्यक्रम के संबंध में लिए गए महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय / किए गए परिवर्तन

यह विद्यापीठ 11वीं योजनावधि के दौरान, उत्कृष्टता केन्द्र योजना का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है, जोकि वि.अ.आ. द्वारा स्वीकृत है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है :

- शास्त्रवर्धिनी पाठ्यक्रम
- प्रकाशन
- दृश्य एवं श्रव्य दस्तावेजीकरण
- दृश्य एवं श्रव्य रिकार्डिंग केन्द्र गतिविधियाँ
- लिपि विकास प्रदर्शिनी
- प्राचीन आलेख शिक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक टूल्स
- संस्कृत सेल्फ लर्निंग किट्स
- आर्टिफेक्ट्स का दस्तावेजीकरण
- पाण्डुलिपियों का डिजटलाइजेशन

- योग–तनाव संतुलन तथा चिकित्सा केन्द्र
- संगोष्ठियाँ / कार्यशालाएँ
- कंप्यूटर विज्ञान तथा संस्कृत भाषा प्रौद्योगिकी को सूत्रबद्ध करने हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

आयोजित सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे तथा अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजन, यदि कोई हो

- दिनांक 12 अगस्त, 2011 को संस्कृत वांगमय व्यक्तिवाकासा – बोधनम' पर संगोष्ठि आयोजित की गई थी ।
- 25 सितम्बर, 2011 को 'योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी ।
- 9 से 15 अगस्त, 2011 को संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया था ।
- 14.09.2011 को हिन्दी दिवस मनाया गया।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित एक्सटेंशन व्याख्यान की एक सीरीज आयोजित की गई

  (एक) 4.8.2011 को मीमांसा शास्त्र पर एक व्याख्यान

  (दो) 7.9.2011 को साहित्य शास्त्र पर एक व्याख्यान

  (तीन) 02.11.2011 को व्याकरण पर एक व्याख्यान
- दिनांक 1.12.2011 को 'काम्पेरेटिव एरूथेट्रिक्स इन ग्लोबल परसपेक्टिव' पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठि–सह–कार्यशाला आयोजित की गई ।
- दिनांक 28 अगस्त से 27 सितम्बर, 2011 को "सूर्य सिद्धांत" पर एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया ।
- 18.10.2011 को विद्यापीठ का 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया ।
- 26 से 28 मार्च, 2012 को समसामयिक समाज में यज्ञों की तर्कसंगतता के संबंध में एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठि का आयोजन किया गया था ।
- 3 से 7 जनवरी, 2012 के दौरान ओडीशा के भुवनेश्वर में विद्यापीठ द्वारा 99वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान संस्कृत विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- दर्शन विभाग द्वारा विशेष सहायता कार्यक्रम

  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2011 के इसके पत्रांक सं0 एफएस–44 / 2011 (एसएपी–दो) के माध्यम से विद्यापीठ को दर्शन शास्त्र में डीआरएस–1 स्तर पर विशेष सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई ।
- तुलनात्मक सौंदर्यशास्त्र में नवोन्मेषी पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना

  वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 28.02.2011 के पत्रांक सं0 एफ–14–22 / 2010 (आईएनएनओ / एएसआईएसटी) के माध्यम से अनुमोदन तथा प्रयोजन के माध्यम से वैश्विक परिदृश्य में तुलनात्मक सौंदर्य शास्त्र संबंधी एक नवोन्मेषी पाठ्यक्रम आरंभ किया गया ।
- अखिल भारतीय संस्कृत छात्र प्रतिभा समारोह

  छठा अखिल भारतीय संस्कृत छात्र प्रतिभा समारोह का आयोजन 7 से 10 फरवरी, 2010 के दौरान आयोजन किया गया था ताकि संपूर्ण भारत से संस्कृत छात्रों के पारंपरिक शास्त्रीय ज्ञान के छिपी हुई प्रतिभा की खोज की जा सके।

अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते/सहयोग

- फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी पुडुचेरी, तमिलनाडु के साथ प्रकाशनों के आदान–प्रदान करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।
- 3 आर फाउंडेशन, बास्टन, अमरीका और
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, बेंगलूरू, कर्नाटक

निकाले गए प्रकाशनों की सूची

विद्यापीठ ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 34 प्रकाशन निकाले

अन्य ब्योरे जिन्हें विश्वविद्यालय चाहता है कि अन्य व्यक्ति जानें :

विश्वविद्यालय बहुत सक्रिय रूप से कुछ अन्तर विषयक एवं बहु–विषयक विषयों में अध्ययन एवं अनुसंधान में लगा हुआ है– जैसे कि संस्कृत–कंप्यूटर्स, संस्कृत–विधि एवं प्रबंधन, प्राकृतिक भाषायी संसाधन। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं को प्रारम्भ किया गया एवं उन्हें पूरा किया गया। ये योजनाएं है :– **"संस्क–नेट"**– इसका लक्ष्य है भारत में विद्यापीठ एवं विश्वविद्यालयों के बीच तथा शोध संस्थानों एवं कॉलेजों के बीच में, ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क को स्थापित करना। **संस्कृत–विज्ञान प्रदर्शिनीः** यह एक अनोखी योजना है जिसके द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि संस्कृत साहित्य एवं वेदों में जो छिपी हुई वैज्ञानिक संकल्पनाएं है उन्हें प्रत्यक्ष किया जाए तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उनकी सापेक्षता है उसको स्थापित किया जाए। विभिन्न विषयों पर लगभग 150 प्रदर्शनीय वस्तुएँ है जिन्हें तैयार किया गया है और जिन्हें देश पर्यन्त सब ओर विशिष्ट अवसरों पर प्रदर्शित किया गया है। हमारे राष्ट्रीय नेता एवं विद्वत बन्धुवर्ग जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, उन सबने इस संकल्पना की प्रशंसा की है। **इंटरनेट पर वाल्मीकि रामायण** – वाल्मीकि रामायण एवं इसके सुप्रसिद्ध भाष्यों को विश्व के समस्त व्यक्तियों के हित में इंटरनेट पर शामिल किया गया है और इसे भारतीय भाषाओं एवं कुछ विदेशी भाषाओं में भी शामिल किया गया है। इनके अतिरिक्त **एल्फाबेट गैलरी, शास्त्रवारिधि कार्यक्रम, शास्त्रीय विषयों पर अभिलेख रखना ताकि इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा सके–जो कि "एजुसेट" के माध्यम से होगा, मौखिक शास्त्रीय परम्पराओं द्वारा शास्त्रीय पाठों के अभिलेख दर्ज करना, बहु–विषयक शोध जिनमें शब्द बोध, भाषायी तकनीकी एवं आगमों पर विश्वकोषों को तैयार किया जाना** – यह समस्त बातें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जोकि विद्यापीठ द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

3.2.15 श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम (तमिलनाडु)

कांची विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात श्री चंद्रशेखरेंद्र विश्व महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1993 में धर्मगुरू श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामिंगल की जन्म शताब्दी की यादगार में स्थापित किया गया था और इसे श्री कांची कामकोटि पीठ पूर्त न्यास के तत्त्वावधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया था।

इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य मूल्य–आधारित उन्मुखी विषयों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसमें समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की पहुंच के लिए फीस का अपेक्षाकृत कम ढांचा है। इस विश्वविद्यालय में इंजीनियरी, प्रबंधन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, स्वास्थ्य तथा जीवन विज्ञान, संस्कृत और भाषा नामक विभिन्न संकाय स्थापित किए गए है। इनमें सी एन सी एस मेंटरिंग आदि जैसे नवोन्मेषी अभ्यास के विभिन्न कार्यक्रम भी है।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएँ

- वेद, शास्त्र तथा अगमों के अथाह ज्ञान की खोज, संरक्षण तथा उसका प्रसार।
- वैदिक ज्ञान अर्जन में डिग्री उपाधियां प्रदान करना जिसमें बाद में पीएचडी की जा सके ।
- वैदिक प्रणाली में अनुसंधान करना तथा इसे वर्तमान समय के वैज्ञानिक विकास तथा मानवता की जरूरतों से संबद्ध करना ।
- वेद, मानविकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी में समेकित पाठ्यक्रमों की पेशकश करने हेतु विशेष उपबंध तैयार करना ।

- ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना जिसमें पारंपरिक संस्कृत पाठ्यक्रम के शिक्षण को आयुर्वेद तथा पारंपरकि चिकित्सा विज्ञान, वास्तु शास्त्र तथा वास्तु, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, भौतिकी तथा गणित, अभियांत्रिकी प्रबंधन व्यापार प्रशासन और ऐसे ही पाठ्यक्रमों के साथ समेकित किया गया हो ।

विश्व महाविद्यालय का विजन गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा को भारतीय नैतिक मूल्यों के साथ उपलब्ध कराना और समाज के सभी वर्गों हेतु वहनीय भी बनाना है चाहे वे किसी भी सामाजिक वे आर्थिक स्तर से संबद्ध हों उन्हें उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना । विश्व महाविद्यालय का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के प्रति एक समावेशी अनुगम तैयार करना है जिसमें मानक भारतीय नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो जिसे दोनों के योजना की गलात्मक प्रक्रिया से समृद्ध बनाना है । आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रभावपूर्ण पद्धति से कुशलता प्रदान करने के लिए योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने और साथ ही हमारी संस्कृति में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा नैतिक मूल्यों को उसमें शामिल करने के प्रयास किए जा रहे है । उद्देश्यों तथा विजन कार्यक्रमों को व्यापक बनाया है और उन्हें सफलता से चला रहा है। ऐसे प्रयास किए जा रहे है कि विश्व महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति को शामिल करने की व्यवस्था भी की जा रही है।

रिपोर्टाधीन वर्ष, 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 के लिए बजट आबंटन और निष्पादन बजट

बजट आबंटन			निष्पादन बजट		
	भुगतान	प्राप्तियां		भुगतान	प्राप्तियां
	करोड रुपये में			करोड रुपये में	
राजस्व शीर्ष	16.11	23.69	राजस्व शीर्ष	12.98	23.75
पूंजी शीर्ष	6.03	1.99	पूंजी शीर्ष	5.91	1.99

लाभार्थियों की संख्या सहित लक्ष्य समूह शामिल करना (अध्यापक, छात्र, महिलाएं, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)

क्रम सं.	श्रेणी	पुरुष	महिला	अ.जा./अ.ज.जा.	जोड़
1.	अध्यापक	134	65	12	199
2.	पीएच–डी सहित छात्र	3239	1082	162/9	4321

वर्तमान स्थिति, कार्यक्रम के संबंध में लिए गए महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/ किए गए परिवर्तन

- 09.01.2012 से 11.01.2012 तक एनएएसी पीयर दल ने मूल्यांकन व प्रत्यायन हेतु विश्वविद्यालय का दौरान किया। परिणाम की प्रतीक्षा है।
- एक पृथक अनुसंधान एवं प्रकाशन स्कंध की स्थापना की गई है ।

अपनाई जाने वाली विकास नीति का उल्लेख करते हुए भावी कार्य योजना

- वाई फाई कनेक्टिविटी।
- आईसीटी समर्थित स्टेशन—– ई–कौशल विकास केन्द्र।

आयोजित सम्मेलन

इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर के निम्नलिखित सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशालाएं आयोजित की है

- आदि शंकर और उनका संदेश' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- प्रामाणाओं (ज्ञान का वैध अर्थ) पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- आधुनिक भौतिकी और रसायनिक इंस्ट्रूमेंशन तकनीक – (पीसीआईएनटेक–12) विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- 'एंडरायड अनुप्रयोग विकास' विषय पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला
- 'रीसेट एडवासिज इन मशीनिंग एण्ड फोर्मिंग टेक्नोलॉजी' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- राष्ट्रीय स्तर का परिसंवाद (बीआईओएस 2012)
- सूचना सुरक्षा तथा एथकिल हैकिंग पर कार्यशाला
- सिम्बायोसिस ऑफ बाही परिमार्जन (ऊपरी उपचार) पर फिजीयोथेरेपी पर राष्ट्रीय संगोष्ठि
- 'विद्युत यंत्र' पर राष्ट्रीय तकनीकी परिसंवाद

प्रकाशनों की सूची

1. प्रकाशित पुस्तकें – 4
2. प्रकाशित अनुसंधान पत्र

   अंतर्राष्ट्रीय जर्नल – 42

   राष्ट्रीय जर्नल – 16

नीतिगत प्रयोजनों के संबंध में महत्वपूर्ण समितियों का गठन

परीक्षा प्रक्रियाओं की निगरानी तथा उसे सुग्राही बनाने के लिए समिति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आरंभ किए गए कार्यक्रम/योजनाएं

विश्वविद्यालय ने वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नवत पाठ्यक्रम आरंभ किएः–

(1) एमई (ईसीई) (2) एमई (सीआईएम) (3) एमई (पीईडी) (4) बीए (संस्कृत)

3.2.16 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

विद्यापीठ का मिशन

"विद्या विंदे अमृतम" शीर्षक से मिशन की अभिव्यक्ति से तात्पर्य है ज्ञान के लिए शिक्षा। इसमें विद्यापीठ की यह भावना परिलक्षित होती है कि पारंपरिक ज्ञान के लिए विभिन्न तरीकों का प्रसार करना और छात्रों को एक योग्य नागरिक बनाने के लिए मार्गदर्शन देना। इस प्राचीन विवेक को आधुनिक संकल्पना, मुद्दों और सामाजिक समस्याओं से जोड़ा गया है।

विद्यापीठ के उद्देश्य

(क) शास्त्रीय परंपरा का परिरक्षण करना।

(ख) शास्त्रों की व्याख्या करना।

(ग) आधुनिक संदर्भों की समस्याओं में शास्त्रों की प्रासंगिकता प्रमाणित करना।

(घ) अध्यापकों के लिए आधुनिक एवं शास्त्रीय ज्ञान में गहन प्रशिक्षण हेतु माध्यम उपलब्ध कराना।

(ङ) इसकी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए इसके विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

बजट आबंटन और निष्पादन

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को वित्त वर्ष 2011–12 के लिंए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गैर–योजनागत अनुदान के अधीन संशोधित बजट प्राक्कलन में 1766.33 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी।

भावी कार्य योजना और रणनीति

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान विद्यापीठ का नया शैक्षिक ब्लॉक पूरा हो जाएगा जिससे अध्यापकों और अनुसंधानकर्ताओं को अध्यापन और अन्य अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो जाएगा। यह विद्यापीठ वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित कार्यों को करना चाहती है:

- महिला कर्मचारियों और छात्राओं के लिए आधारभूत सुविधा केंद्र।
- एक परिसज्जित खेलकूद हाल, जिसमें आंतरिक खेलों की सुविधाएं और बाह्य खेलों की सामग्री की सुविधा हो।
- ज्योतिष वेदशाला और कंप्यूटर प्रयोगशाला का पुनर्नवीकरण तथा उन्नयन।
- अध्यापकों की नियुक्ति।

आयोजित किए गए सम्मेलन, दौरा करने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडल तथा आयोजित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यदि कोई हों तो ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों के संकायों द्वारा नौ सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की गई है ।

सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

- प्रो0 एस.एन. रामामणि तथा डॉ0 सतीशा के.एस. के पर्यवेक्षण में छात्र कल्याण विभाग, ने एक सांस्कृतिक परिषद का आयोजन किया जिसमें हिन्दी या संस्कृत में अनेक प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई ।
- प्रो0 एम.पी. सिलोटी के मार्गदर्शन तथा परामर्श से 1–5 मार्च, 2012 तक एक योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें छात्र शिक्षकों व अन्य स्टाफ ने भाग लिया ।
- विद्यापीठ में महिला अध्ययन केन्द्र ने 'लिंग व पाठ्यक्रम' विषय पर एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया ।
- डॉ0 अनिकेत जैन व डॉ0 कुलदीप कुमार के पर्यवेक्षण के अधीन दर्शन विभाग द्वारा एक ''संस्कृत समभाषणम शिक्षणम'' का आयोजन किया गया था ।
- 40 से भी अधिक शिक्षकों ने पुर्नश्चर्या/अभिविन्यास पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया ।

लाभार्थियों की संख्या सहित (अध्यापक, विद्यार्थी, महिलाएँ तथा अ.जा./अ.ज.जा. आदि)

लक्षित समूह का कवरेज सहित

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यापीठ में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के वर्गों के कल्याण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। विद्यापीठ दाखिले व नियुक्तियों में अजा/अजजा समुदायों के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान कर रहा है । इस प्रकोष्ठ को संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में स्थापित किया गया है ।
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग (असंपन्न वर्ग), अल्पसंख्यकों के छात्रों के विभिन्न विषयों में शैक्षिक ज्ञान, कौशल और भाषा दक्षता में सुधार करना तथा उनके स्तर को व्यापक बनाना और उनके भावी शैक्षिक कार्य की आधारशिला को मजबूत करने के लिए विद्यापीठ द्वारा एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

प्रकाशनों की सूची

संकाय सदस्यों ने अपने अनुसंधान तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है । तथापि, निम्नवत प्रकाशन किए गए हैः

I. पंचलक्षिणी

ii. शोध विद्या विज्ञानम

iii. भट्टामुथुरूनाथासे काव्या शास्त्रायेनबंध

iv. विशादपाण्डुग्रंथ सूची

v. शोध प्रबंध त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष 2012–13 के लिए लक्ष्य

विद्यापीठ द्वारा निम्नवत क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव हैः–

- वास्तुशास्त्र विभाग खोलने का प्रस्ताव।
- योग केन्द्र की स्थापना।
- साहित्य, संगोष्ठि, प्राकृत संगोष्ठि, शैक्षणिक विभाग में पौराणतिहास संगोष्ठि कार्यशाला, धर्मशास्त्र कार्यशाला में कार्यशाला और ज्योतिष विभाग के तहत विशेष सहायता कार्यक्रम राष्ट्रीय संगोष्ठि ।
- इस विद्यापीठ के महिला अध्ययन केंद्र का 'सौमंगली नामक पत्रिका के दूसरे अंक के प्रकाशन के साथ–साथ लिंग और शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।
- शिक्षा संकाय में सेमेस्टर तथा सीबीसीएस आरंभ करना ।
- अध्ययन बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रमों की समीक्षा।

महत्वपूर्ण समितियां

विद्यापीठ का प्रबंधन बोर्ड विद्यापीठ के कार्यो के पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण करने हेतु मूल कार्यकारी निकाय है । विद्वत परिषद विद्यापीठ का मूल अकादमिक निकाय है । यह विद्यापीठ में शिक्षण, अनुसंधान तथा परीक्षा के मानकों के रखरखाव तथा समन्वयन हेतु उत्तरदायी है । उपरोक्त निकायों के अलावा यहां वित्त समिति, आयोजना तथा निगरानी बोर्ड, संकाय तथा अध्ययन बोर्ड हैं ।

पुरानी योजनाओं / कार्यक्रमों को बंद किया जाना तथा नई योजनाओं / कार्यक्रमों को आरंभ किया जाना

योजना अवधि के आरंभ में शुरू की गई योजनाएं / कार्यक्रम वर्ष 2011–12 के दौरान भी प्रवर्तन में रहे। ज्योतिष विभाग तथा साहित्य और संस्कृत विभाग में विशेष सहायता कार्यक्रम अ.जा. / अ.ज.जा. और अ.पि.व. के छात्रों हेतु वृत्ति उन्मुखी तथा अनुशिक्षण योजना (उपचारी अनुशिक्षण) कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ।

3.2.17 श्री सत्य साई विश्वविद्यालय, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)

भारत के प्रशांति निलायम में मुख्यालय वाले श्री सत्य साईं उच्च शिक्षण संस्थान (एस एस एस आई एच एल), सम–विश्वविद्यालय भगवान श्री सत्य साईं बाबा के मानव व्यवहार में शिक्षा के दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। इस संस्थान को भारत सरकार ने वर्ष 1981 में सम–विश्वविद्यालय के रूपमें मान्यता प्रदान की थी। यह सम–विश्वविद्यालय **तीन** परिसरों में स्थित हैः **अनंतपुर** (आंध्र प्रदेश), **वृंदावन वहाईटफील्ड**, बेंगलुरु (कर्नाटक) और **प्रशांति निलायम** (आंध्र प्रदेश) में स्थित है।

यह संस्थान गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, बायो–साइंसेज, गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र में बीएस सी (ऑनर्स) / इतिहास तथा भारतीय संस्कृति, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, ऐच्छिक तेलुगु, ऐच्छिक अंग्रेजी में बी ए / अर्थशास्त्र में बी ए ऑनर्स / बी कॉम ऑनर्स, अंग्रेजी भाषा और

साहित्य, तेलुगू भाषा और साहित्य, अर्थशास्त्र में एम ए/गणित, भौतिक विज्ञान, नैनो साइंस और नैनो प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, बायो–साइंसेज, गृह विज्ञान में एम एससी/ एम बी ए/एम बी ए (वित्त)/ बी एड/ एम टेक (कंप्यूटर विज्ञान)/एम टेक (अनुप्रयुक्त ऑप्टिक्स)/उपर्युक्त सभी संकायों में एम फिल और पीएच डी की डिग्री प्रदान करता है।

- **लक्ष्य और मुख्य–मुख्य विशेषताएँ**

दृष्टिकोण

यह संस्थान सामाजिक लाभ के लिए व्यक्तियों को समग्र शैक्षिक सहायता प्रदान करता है।

"इस संस्थान की स्थापना केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी तैयार करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मज्ञान और आत्म विश्वास पैदा करने में सहायता करना है ताकि विद्यार्थी आत्म बलिदान का ज्ञान प्राप्त कर सकें और आत्म बोध का अर्जन कर सकें। विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों में शिक्षण से विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और उन्हें विश्वविद्यालय की डिग्री देना मात्र नहीं है जिससे कि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। लेकिन इसका उद्देश्य प्रेम और त्याग के माध्यम से उनका आध्यात्मिक विकास, आत्मचिंतन और सामाजिक जागरूकता है। हमें आशा है कि हमारे विद्यार्थी आध्यात्मिक जागरूकता के देदीप्यमान उदाहरण होंगे और इससे व्यक्ति और समाज को लाभ होगा।"

भगवान श्री सत्य साईं बाबा, संस्थापक कुलाधिपति

मिशन

विद्यार्थियों को संपूर्ण व्यक्ति के रूप में तैयार करना है – व्यावसायिक ज्ञान, सामाजिक दायित्व और अध्यात्मिक चेतना से आदर्श मूल्य और सही अभिवृत्ति पैदा होती है।

इस विश्वविद्यालय की कई विशिष्ट विशेषताएं है। इन विशेषताओं में कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैः

- **विश्वविद्यालय का आवासीय स्वरूपः** जिसमें छात्रों एवं संकाय सदस्यों के लिए आवासीय परिसर हैं।
- **दाखिले की मुक्त नीतिः** विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिलों के इच्छुक देशभर के सभी छात्रों को उनकी आय, वर्ग, जाति धर्म, क्षेत्र के आधार के बिना दाखिला देकर वास्तविक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना है।
- **योग्यता के आधार पर चयनः** इसमें विशेष योग्यता आधारित चयन में अति बौद्धिक परीक्षा तथा साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से और बुद्धिमतापूर्ण तथा गहन वैचारिक दृष्टि रखने वाले छात्रों को पर्याप्त प्राथमिकता दी जाती है।
- **निःशुल्क शिक्षाः** विश्वविद्यालय, शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, परीक्षा शुल्क, अवदान निधि तथा इसी प्रकार के अन्य शुल्क वसूल नहीं करता है।
- सभी स्तरों पर **शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।**
- **वैज्ञानिक अनुसंधान विकासः** ऐसे डॉक्टोरल स्तर पर जो स्थानीय तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं से संबंधित हों, छात्रों एवं संकाय सदस्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एक मॉडर्न स्पेस थियेटर की स्थापना के जरिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी की पहचान के अवसर उपलब्ध कराना तथा विभिन्न प्रोत्साहन कार्यों का विकास करते हुए रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यक्रम तैयार करना।
- प्रतिभा कौशल संवर्धन हेतु 5 वर्षीय अवधि का **समेकित पाठ्यक्रम**।
- संकाय सदस्यों एवं छात्रों में परस्पर सामंजस्य हेतु **शिक्षकों एवं छात्रों में बेहतर अनुपात** स्थापित करना।
- **कार्यदिवसों की अधिकतम संख्याः** शैक्षिक उद्देश्यों तथा कार्य विस्तार हेतु राष्ट्रीय अवकाशों एवं मुख्य पर्वों का पूर्ण उपयोग।
- इन उच्च आदर्शों को बनाए रखने में विश्वविद्यालय की सफलता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि सभी कार्य **अटल सटीकता** से संचालित किए जा रहे है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए बजट आबंटन और निष्पादन बजट

	बजट प्राक्कलन 2011-12 (₹ लाख में)	वास्तविक 2011-12 (₹ लाख में)
व्यय		
वेतन आदि	833.60	879.80
अन्य आवर्ती व्यय	123.88	125.32
	957.48	**1005.12**
अनावर्ती व्यय	160.89	152.34
	1118.37	**1157.46**
वित्त के स्रोत		
एस एस एस सेंट्रल ट्रस्ट	833.60	879.80
संस्थान की आय	284.77	277.66
कुल	**1118.37**	**1157.46**
2011–2012 दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध करायी गई निधियां		
11वीं पंचवर्षीय योजना विकास अनुदान / आमेलित	413.88	193.50
योजना अनुदान अनुसंधान परियोजना / अवसंरचना आदि	60.94	70.86
डीएसटी /अन्य		
अनुसंधान परियोजनाएं	110.45	66.28
	585.27	**330.64**

- **वर्ष 2011–12 के लिए लाभार्थियों (शिक्षकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदि) की संख्या सहित लक्ष्य समूह की स्थिति**

  शिक्षक – 138; विद्यार्थी – 1208 (जिनमें से महिलाएं 447, अनुसूचित जाति 47, अनुसूसचित जनजाति 23 है)

- **वर्तमान स्थिति, लिए गए संगत महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय / कार्यक्रम में किए गए परिवर्तनः**

नया ऑफ कैम्पस अर्थात् मुदेनहाली कैम्पस की स्थापना सत्य साई ग्राम, मुदेनहाली, चिकबालापुर जिला कर्नाटक में की गई। यह कैम्पस आरंभ में बीबीएम तथा बीसीए दो कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है ।

महिलाओं के लिए बीबीएम कार्यक्रम को अनंतपुर कैम्पस में भी आरंभ किया गया है ।

- **अपनाये जाने वाली विकास रणनीतियों को दर्शाते हुए भावी कार्य योजना (2012–13)**

  - शैक्षणिक वर्ष 2012–13 से प्रशान्ति निलायम कैम्पस में एमटेक (विश्लेषणात्मक पद्धतियां तथा केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन) आरंभ करने का प्रस्ताव है।
  - वृंदावन कैम्पस में शैक्षणिक वर्ष 2012–13 से मास्टर ऑफ फायनांस (एम.फिल) आरंभ करने का प्रस्ताव है ।
  - अनंतपुर कैम्पस में शिक्षा निष्णांत (एम एड) आरंभ करने का प्रस्ताव है ।
  - उच्च अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जो कि गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी रसायन, इमेज प्रोसेसिंग के उभरते हुए क्षेत्र में बायो साइंस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी औषधि डिजाईन आदि, के क्षेत्रों में बहु विद्या अनुसंधान क्रियाकलाप के रूप में कार्य करे ।

- **आयोजित किए गए सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधिमंडल के दौरे तथा अन्य आयोजित किए गए महत्वपूर्ण सम्मेलन, यदि कोई हो तो ।**

वर्ष 2011–12 के दौरान सात राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन/कार्यशालाएं एवं दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों का आयोजन किया गया जबकि संकायों द्वारा आयोजित की गई संगोष्ठियों/सम्मेलनों ने 110 पत्र प्रस्तुत किए गए ।

- **प्रकाशित प्रकाशनों की सूची**

(I) संकाय सदस्यों द्वारा संदर्भित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में 55 से अधिक शोध पेपर प्रकाशित किए गए थे।

(ii) स्नातकोत्तर और व्यावसायिक कार्यक्रमों के विद्यार्थियों द्वारा लगभग 140 परियोजनाएं/शोध प्रबंध प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एम फिल के विद्यार्थियों द्वारा 5 शोध प्रबंध और पीएच डी के छात्रों द्वारा 8 शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किए गए हैं।

- **नीतिगत प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण समितियों का गठन**

1) अनुसंधान परामर्शदात्री समिति ।

2) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ।

3) वित्त समिति

4) प्रबंधन बोर्ड

5) शैक्षणिक परिषद

6) अध्ययन बोर्ड, और

7) अनुसंधान परामर्शदात्री समिति

3.2.18 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंसेज (महाराष्ट्र)

वर्ष 2011–12 के दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंसेज (टीआईएसएस) ने अपनी प्लेटिनम जुबली जयंती मनाई, जो कि उत्सव, चिंतन, समेकन तथा विकास का वर्ष हैं ।

- **उद्देश्य**

  - टाटा समाज विज्ञान संस्थान को शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में बनाए रखना और विकसित करना;
  - समाज विज्ञान में इस प्रकार शिक्षण आयोजित करना जिससे समाज कार्य, समाज सेवा, कार्मिक, प्रशासन और विविध व्यावसायिक क्षेत्रों के व्यावसायिक कार्मिकों को शिक्षण दिया जा सके;
  - सामाजिक अनुसंधान आयोजित करना और समाज अनुसंधान विधि में छात्रों को प्रशिक्षित करना ताकि इस संस्थान में अध्ययन किए जा रहे विषयों में ज्ञान की वृद्धि को बढ़ावा मिले और उसे सामाजिक नीतियां तैयार करने में सहयोग प्राप्त हो;
  - इस संस्थान में अध्ययन किए गए विषयों में पुस्तकें, मोनोग्राफ, पत्र–पत्रिकाएं और पेपर प्रकाशित करना।
  - उन लोगों के लाभ के लिए व्याख्यान, संगोष्ठी, सम्मेलन, विचार–गोष्ठी आदि आयोजित करना, जो संस्थान में अध्ययन किए जाने वाले विषयों में रुचि रखते हों;
  - अन्य संगठनों के साथ इस प्रकार और इस उद्देश्य से सहयोग करना, जैसा संस्थान तय करे और सामाजिक कार्य/ सामाजिक विकास/ सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में ऐसी कार्य योजना तैयार करना, जो नवोन्मेषी हों और जिनसे व्यवहार, नीति, सेवा के निष्पादन के नए क्षेत्रों का प्रदर्शन हो और जो प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केंद्रों के रूप में भी कार्य करें; और
  - आवश्यक समझे जाने वाले अन्य क्रियाकलाप करना और सामाजिक कार्य, समाज सेवा, कार्मिक प्रशासन और विविध क्षेत्रों में बेहतर व्यावसायिक व्यवहार करना।

स्कूल तथा केंद्र और शिक्षण कार्यक्रम

वर्तमान में संस्थान ने 6 स्कूलों (हैबिटाट अध्ययन, स्वास्थ्य प्रणाली अध्ययन, प्रबंधन और श्रम अध्ययन, ग्रामीण विकास, समाज विज्ञान और समाज कार्य) और चार स्वतंत्र केंद्र (जीवनपर्यंत अध्ययन, मीडिया और संस्कृति अध्ययन, अनुसंधान पद्धति और आपदा प्रबंधन संबंधी जमशेदजी टाटा केंद्र) का आयोजन किया है। इन स्कूलों और स्वतंत्र केंद्रों ने एक स्नातक डिग्री, 18 मास्टर डिग्री, एक समेकित एम फिल – पीएच डी कार्यक्रम और डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित किए है। संस्थान में लगभग 164 संकाय सदस्य है जो सतत रूप से शिक्षण, अनुसंधान तथा नीति निर्धारण और संस्थान के निर्माण में जुटे हुए है । उन्हें 250 तकनीकी तथा प्रशासनिक स्टाफ सहायता करते हैं किसी भी समय 1750 छात्रों को सेवाएं दी जा सके । टीआईएसएस समुदाय संस्थान परिसर से इतर भागीदारों का एक विस्तृत नेटवर्क, पूर्व संकाय, अनुसंधानकर्ता, कार्यकर्ता तथा विश्वभर में सभी विकास समुदायों में कार्यरत संस्थान के पूर्व छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है।

समावेशी विचार

इस संस्थान का दृष्टिकोण और मिशन सामाजिक शिक्षण की ओर बढ़ना है और सीमांत तथा साधनहीन समाज/समुदाय को सशक्त बनाना है। संस्था के सभी अध्ययन कार्यक्रमों में इन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश के एक अति समावेशी शैक्षिक संस्थान होने के नाते अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के साथ–साथ, टी आई एस एस में सभी वर्गों, सभी राज्यों और भारतीय समाज के सभी भागों के लोग आते है। यह संस्थान आरक्षण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करता है। इस संस्थान की विशिष्ट सोच यह है कि वह अलग–अलग किस्म के, विशेषतः साधनहीन पिछड़े लोगों को शामिल करके भर्ती परीक्षा से पहले एक–दो माह का भर्ती–पूर्व अनुशिक्षण प्रदान करता है, जिनमें यात्रा और आवास लागत को टी आई एस एस द्वारा वहन किया जाता है और उसके बाद संस्थान की शर्तों का पालन करने वाले विद्यार्थियों को वर्षभर भर्ती–पश्च व्यापक अनुशिक्षण दिया जाता है। टी आई एस एस समुदाय में विद्यार्थियों, अध्यापकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

अनुसंधान और प्रकाशन

वर्ष 2011–12 के दौरान संस्थान में कुल 179 अनुसंधान और प्रलेखन परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से 21 बहु–विषयी क्षेत्र की है जबतिक शेष विभिन्न स्कूलों/ स्वतंत्र केंद्रों में चलाई जा रही हैं।

वर्ष 2011–12 में टी आई एस एस के संकाय सदस्यों ने अति प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 84 समीक्षा संबंधी पत्रिका लेख के रूप में 228 प्रकाशन किए है। इसके अलावा, पुस्तकों में अध्याय, लेखक/संपादक खंड तैयार किए गए है, जिन्हें प्रतिष्ठित प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है। इस संस्थान का प्रतिष्ठित प्रकाशन दी इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क (आई जे एस डब्ल्यू) है, जिसने 2011 में लगातार प्रकाशन करने के 73 वर्ष पूरे कर लिए है। इस वर्ष आईजेएसडब्ल्यू ने 3 सामान्य अंक तथा 'महाराष्ट्र में परिणामी बजटिंग' पर एक विशेष अंक निकाला जो कि प्रकाशन के लिए तैयार है।

फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट

वर्तमान में संस्थान में 30 एफएपी सक्रिय है जिसमें से 18 संकाय एस.एस.डब्ल्यू. का नेतृत्व कर रहे है । इन परियोजनाओं के माध्यम से जिन मुद्दों का समाधान किया जा रहा है उनमें महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, आपराधिक न्यायिक प्रणाली द्वारा आरोपित व्यक्तियों के अधिकार तथा पुनर्वास और कानूनी प्रक्रिया में बच्चों की स्थिति बेघर और भिक्षावृत्ति, बच्चों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य, जनजातीय और दलित युवक सशक्तिकरण, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक बच्चों की पहुंच और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, धारणीय आजीविका, खाद्य सुरक्षा, वयस्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य।

संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2011–12 के दौरान, मानव संसाधन प्रबंधन, नेतृत्व विकास, जलवायु चिंता, मानव विकास, सामाजिक दायित्व, मैक्रो आयोजना, सांख्यिकी पद्धति, क्षमता निर्माण और विकास, दलित और आदिवासी मुद्दे, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, जीवन कौशल, प्रबंधन और संगठन विकास, एन एस एस, पुनश्चर्या और उन्मुखी कार्यक्रम, अनुसंधान पद्धति और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में 161 कार्यक्रम आयोजित किए गए है।

संस्थान के संकाय सदस्यों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पेपर प्रस्तुतकर्ता, संसाधन व्यक्ति, चर्चाकर्त्ता, सत्र–अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, विशेष अतिथि या विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। इस वर्ष संकाय सदस्यों ने 623 कार्यक्रमों में भाग लिया और 222 पेपर प्रस्तुत किए।

युगान्तकारी सहयोग

भारत और विदेश दोनों में अन्य संस्थानों के साथ शैक्षिक सहयोग और नेटवर्किंग इस संस्थान का प्रमुख क्षेत्र है ताकि उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के आत्मनिर्भर संस्थान के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके, सामाजिक न्याय के अनुरूप ज्ञान का प्रयोग किया जा सके और 'सभी के लिए मानव अधिकार' की भावना को पूरा किया जा सके। टी आई एस एस ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में नीतिगत संसाधन के समर्थन को विकसित किया है। टाटा न्यास भारत के अंदर और भारत से बाहर शिक्षण अनुसंधान और तर्कशीलता में सहयोग बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विश्वविद्यालयों से सहयोग कर रहा है।

अधिकांश स्कूल और उनके केंद्र तथा स्वतंत्र केंद्र अपने संसाधनों और अवसरों को बढ़ाने के लिए भागीदारी की नीति को काफी हद तक अपना रहे है ताकि रचनात्मक और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कार्य किया जा सके, और व्यक्ति तथा सहयोगी अनुसंधान को सुविधा प्रदान की जा सके, शिक्षण के लिए संकाय का आदान–प्रदान किया जा सके और विद्यार्थियों का आदान–प्रदान किया जा सके। इस संस्थान ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के 35 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ सक्रिय सहयोग किया है। इसके अलावा, टी आई एस एस विश्वविद्यालयों और संस्थानों – हिमालयन विश्वविद्यालय, कंसोर्टियम, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, इरेसमस मंडसएक्सटर्नल को आप्रेशन विंडो, फैमिली स्टडी नेटवर्क, ए सी सी ई एस एस नेटवर्क का भाग है। इससे सहयोगपूर्ण अनुसंधान, विद्यार्थी आदान–प्रदान और संस्थागत क्षमता निर्माण को काफी बल मिलता है। एड्स, टी बी और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि (जी एफ ए टी एम) – के संबंध में पूरे देश में 43 विश्वविद्यालय और संस्थान 7 कार्यक्रम आयोजित कर रहे है।

रिपोर्टाधीन वर्ष 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 (अलेखापरीक्षित) के लिए बजट आबंटन और निष्पादन बजट

क्र. सं.	बजट आबंटन	वि.अ.आ. की अनुमादित आरबीई	किया गया वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
1.	वेतन	22.14	22.34
2.	सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन	3.85	4.11
3.	गैर–वेतन	15.89	16.97
	कुल	**41.88**	**43.42**

3.2.19 थापर विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब

थापर विश्वविद्यालय, टीयू (जो पहले थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था), पटियाला के ऐतिहासिक नगर में 250 एकड़ पर प्रौद्योगिकी परिसर में स्थित है। थापर विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन पी ई पी एस यू (पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य यूनियन), जो केंद्रीय सरकार का राज्य था और पटियाला तकनीकी शिक्षा न्यास (पी टी ई टी), जिसकी स्थापना भारतीय उद्योग के महान पुरोधा स्व. लाला कर्मचंद थापर के बीच काल्पनिक और नवोन्मेषी सहयोग से 1956 में की गई थी।

थापर विश्वविद्यालय आज प्रमुख सम–विश्वविद्यालयों में से एक है, जो देश को तकनीकी शिक्षा दे रहा है और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपनी किस्म का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। यह उच्च तकनीकी शिक्षा में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त उद्यम का एक प्रमुख अनुभव है। थापर विश्वविद्यालय स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए असाधारण संभावनाओं और भारत के इंजीनियरी उद्योग में इसके अंतरण का अनोखा परिसर है।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

- ज्ञान के सृजन और प्रसार के माध्यम से तथा शिक्षण तथा पठन–पाठन की प्रक्रिया के नवोन्मेष और विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाली इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन विज्ञान और कला की ऐसी शाखाओं में कभी–कभार परिसर शिक्षण के माध्यम से शिक्षा को उन्नत करना;
- अनुसंधान, अनुप्रयुक्त / औद्योगिक, प्रौद्योगिकी और विज्ञान को बढ़ावा देना और पर्यावरण, ऊर्जा, निवास, सामग्री, विनिर्माण, प्रबंधन तथा ऐसी अन्य इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, विज्ञान और कला के विषयों जैसे विभिन्न विषयों में प्रायोजित अनुसंधान करना जैसे विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे;

- ज्ञान में विद्वता और प्रगति को बढ़ाने के लिए अनुकूल सुविधा और वातावरण तैयार करना और बनाए रखना;
- विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में शिक्षण और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनना;
- विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार और संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने में उद्योग के साथ प्रतिभागिता को विकसित करना;
- विश्व के किसी भी भाग में अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शिक्षा, अनुसंधान और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाना, जिनका उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः उन विश्वविद्यालयों के अनुरूप हो;
- समाज के विकास में योगदान देने के लिए अतिरिक्त भित्ति अध्ययन, विस्तार, कार्यक्रम और फील्ड की पहुंच वाले क्रियाकलाप करना; और
- ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रासंगिक, आवश्यक या अनुकूल हों।

मुख्य विशेषताएं

- इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं सत्र–वार प्रणाली, वास्तविक ग्रेड, छात्रों के कार्य–निष्पादन का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम–वार प्रोन्नति और छात्रों को पाठ्यक्रम का चयन करने में लचीलापन और अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रम का चुनाव है।

रिपोर्टाधीन वर्ष (01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012) के लिए बजट आबंटन और निष्पादन बजट

व्यय	बजट	वास्तविक (₹ करोड़ में)
योजनागत	37.83	25.53
गैर–योजनागत	52.41	46.34

आय	बजट	वास्तविक (₹ करोड़ में)
योजनागत	33.23	32.89
गैर–योजनागत	48.73	51.08

लाभार्थियों की संख्या सहित लक्ष्य समूह की स्थिति (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अध्यापक, महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि)

क्रम सं.	श्रेणी	कुल संख्या
1.	महिलाएं	83
2.	अनुसूचित जाति / जनजाति	34
3.	विकलांग व्यक्ति	03
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	08

कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति, लिए गए संगत महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय / कार्यक्रम में किए गए परिवर्तन

<u>विश्वविद्यालय द्वारा लागू की गई सर्वोत्तम पद्धतियां / विकास</u>

- शैक्षिक कार्य के डीन के अधीन शिक्षा की सतत समीक्षा प्रणाली।
- विश्वविद्यालय में एक गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन प्रणाली स्थापित, प्रलेखित और कार्यान्वित की गई है।
- एन ए ए सी द्वारा ए ग्रेड प्रत्यायन

- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन बी ए) द्वारा स्नातक–पूर्व कार्यक्रम का प्रत्यायन।
- विश्वविद्यालय के सभी विभाग और स्कूलों को एस टी क्यू सी द्वारा आई एस ओ 9001 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने का प्रमाणपत्र दिया गया है। आई एस ओ 9000:2000 प्रणाली को सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं में लागू किया गया।
- प्रति वर्ष आंतरिक शैक्षिक लेखापरीक्षा।
- थापर विश्वविद्यालय में एक औपचारिक आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है।
- सभी शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों के लिए ई–सुशासन सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन, जिसमें काउंसलिंग, पंजीकरण, परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया तथा छात्रों और उनके माता–पिता द्वारा वेब कियोस्क पर सभी परिणाम देखना भी शामिल है।
- परीक्षा में पारदर्शिता और समय पर परिणाम घोषित करना।
- छात्रों की प्रतिक्रिया का ऑनलाइन सर्वेक्षण करना।
- छात्रों और उनके माता–पिता के लिए वेब कियोस्क।
- संकाय सदस्यों के लिए विशेष व्यावसायिक विकास भत्ता (उनकी उपलब्धियों के लिए तीन माह का अतिरिक्त वेतन)।
- संकाय सदस्यों को निःशुल्क लैपटॉप।
- परिसर के कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी भी समय पूरे परिसर के ई–संसाधनों तक पहुंच। पुस्तकालय की अलग वेबसाइट http://cl.thapar.edu ।
- थापर विश्वविद्यालय, पटियाला में आई सी टी शिक्षण संसाधन उपलब्ध है।
- एस सी आई इम्पेक्ट फैक्टर में बड़े–बड़े अनुसंधान पेपर प्रकाशित।

अपनाई जाने वाली विकास नीति का उल्लेख करते हुए भावी कार्य योजना

विश्वविद्यालय की संवृद्धि के साथ यह आवश्यक है कि बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए। नई बुनियादी सुविधाओं को तैयार करना ही महत्त्वपूर्ण नहीं है अपितु उन्हें बनाए रखना, उनका नवीकरण करना और विद्यमान बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करना भी आवश्यक है। कोई भी नया निर्माण विश्वविद्यालय की समग्र योजना के अनुसार करना होता है। अतः 2027 परिसर पुनः विकास योजना का पालन किया गया है। यह योजना विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पुनर्विकास के लिए कई बुनियादी सुविधाओं को पुनः स्थापित करना या उनमें बढ़ोतरी करना आवश्यक है। इस प्रकार 5 वर्ष के लिए चरणबद्ध योजना विकसित की गई है। यह प्रयास भावी परिसर कार्य के निर्माण संबंधी दृष्टिकोण में शामिल किया गया है।

आयोजित किए गए सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों की बैठकें तथा आयोजित किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यदि कोई हो तो ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 14 सम्मेलन तथा संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था ।

संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 13–14 अप्रैल, 2011 को धर्मशास्त्र पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 16 मार्च, 2012 को उननत विनिर्माण प्रक्रिया कार्यशाला पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

शैक्षणिक भागीदारी पर हस्ताक्षर करने के लिए जून, 2011 में ईसी परिषद के प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय का दौरा किया ।

आयोजित किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- फरवरी, 2012 में आयोजित 'सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग' पाठ्यक्रम
- विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर द्वारा 4–9 जुलाई, 2011 को 'मल्टीवेरियेट डाटा एनालिसिस' पर एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कोजीकोड़ (केरल) द्वारा 7–11 नवम्बर, 2011 को प्रबंधन अनुसंधान हेतु इकोनोमेट्रिक्स पर संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

संकाय आदान–प्रदान कार्यक्रम

- 15 दिसम्बर, 2011 से 15 जुलाई, 2011 तक श्री ए.एस. जावंदा, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वाटरलू, आन्टेरियो, कनाडा।
- 15 दिसम्बर, 2010 से 15 जुलाई, 2011 तक श्री रविन्द्र कुमार द्विवेदी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वाटरलू, ओन्टेरियो, कनाडा।
- जून–जुलाई, 2011 तक डॉ0 एस.एस. मलिक, यूनिवर्सिटी ऑफ वालोंगगौंग, आस्ट्रेलिया ।

अन्य देशों/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ करार/सहयोगः

विश्वविद्यालय का नाम	सहयोग/संबद्धता का प्रकार
वर्जिनिया टेक्नोलॉजी, यू एस ए	सहयोगात्मक अनुसंधान, छात्रों का आदान–प्रदान
यूनिवर्सिटी ऑफ वेटर्न ओनटैरिया (यू डब्ल्यू ओ), कनाडा	अनुसंधानकर्ताओं और सहयोगी अनुसंधानकर्त्ताओ का आदान–प्रदान
यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, औनटेरियो, कनाडा	औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/सहयोगी अनुसंधान में छात्रों का आदान–प्रदान (27 से 30 छात्रों वाले स्नातकपूर्व छात्रों के पांच बैच 10 से 11 सप्ताह तक थापर में रुके थे)
न्यू जर्सी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यू एस ए	संकाय सदस्यो का आदान–प्रदान संबंधी कार्यक्रम
इकोले फ्रांसेस, पेपेटेरि एट डेस इंडस्ट्रीज, ग्राफिक, हैरेस सेडेक्स,	छात्रों का आदान–प्रदान कार्यक्रम
लाकासे मंडीएटर सिस्टम ग्रेनोबल, फ्रांस	इंडो फ्रांस प्रोजेक्ट

नीति के प्रयोजन के लिए महत्त्वपूर्ण समितियों का गठन

- शासी बोर्ड
- आयोजना और निगरानी बोर्ड
- सीनेट
- वित्त समिति
- स्टॉफ कार्य समिति
- भवन और निर्माण कार्य संबधी समिति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पुरानी योजना/कार्यक्रमों को हटाना और नई योजना/ कार्यक्रमों को जोड़ना

जोड़े गए नए कार्यक्रम (2011–2012)

- विज्ञान निष्णांत (सूक्ष्म जीव विज्ञान)

- एमई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग
- एम. टेक (अंशकालीन) – औद्योगिक प्रदूषण को घटाना

नियमित पद्धति से पेशकश किए जा रहे सभी एम ई / एमटेक कार्यक्रमों की अंशकालीन पद्धति के माध्यम से भी पेशकश की जायेगी ।

3.2.20 तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे (महाराष्ट्र)

तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, की स्थापना मई, 1921 में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में महान भक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक की शैक्षिक स्मृति के रूप में की गई। इसके वजूद में आने के पश्चात इस विद्यापीठ ने लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय शिक्षण से जुड़े स्वप्न को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित किया जिससे कि बड़ी संख्या में छात्रों की उत्पादकता का एक सुदृढ़ आधुनिक भारत के विकास में योगदान किया जा सके ।

इसके प्रांरभ से ही पंरपरागत मूल्यों पर आधारित शिक्षण पद्धति का कड़ाई पूर्वक पालन किया जाता है जिससे कि युवा पीढ़ी में उत्तम चरित्र निर्माण को वढ़ावा मिल सके।

विद्यापीठ, विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएँ

- **कला एवं ललित कला संकायः** संस्कृत जो कि समस्त भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत है उस भाषा के अध्ययन के द्वारा, जो महान भारतीय विरासत एवं पंरपराएँ है। इन संकायो द्वारा उनकी प्रोन्नति एवं संरक्षण का ध्येय है।
- **नैतिक एवं सामाजिक विज्ञान संकायः** इस संकाय द्वारा सामाजिक विज्ञान में विशिष्ट रूप से ऐसे स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में सुसंबद्धता तथा अनुसंधान कार्य संचालित किया जाता है। तथा जिसे एक मूल्यवान शैक्षिक अनुभव के रूपमें प्रशांसित किया गया है तथा जो एक विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना है।
- **आयुर्वेद संकाय :** जनसाधारण के लिए निरोधात्मक औषधि की जानकारी प्रदान करता है।
- **आधुनिक विज्ञान तथा व्यावसायिक कौशल :** प्रबंधन कंप्यूटर विज्ञान, बायो टेक्नॉलाजी, माइक्रो बायोलॉजी आदि विषयों के पाठयक्रम प्रांरभ करना जिनकी वृहत संभावना है जिससे निश्चित रूप से विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि तथा विद्यार्थियों का कॅरियर उज्ज्वल होगा।
- **शिक्षा संकायः** उच्च दक्षता प्राप्त तथा प्रतिबद्ध व्यावसायियों की प्रोन्नति की ओर ध्यान केन्द्रित करना जिनक शोध एवं नवान्मेषी पाठ्यक्रमों की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे इस नैतिक एवं पवित्र व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके।
- **स्वास्थ्य विज्ञान संकाय :** आधुनिक जीवनशैली द्वारा उत्पन्न सामाजिक आवश्कताओं की पूर्ति करना।
- **प्रबंधन संकाय :** सशक्त सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव की सहायता से अद्यतन ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों में और अंतर्विभागीय क्रियाकलापों को करने में वैयक्तिक सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक प्रवीणता का विकास करना और कौशल तथा ज्ञान को बढ़ावा देना।
- **इंजीनियरी संकाय :** इंजीनियरी में आगे अध्ययन करने और इस कौशल को प्राप्त करने के इच्छुक योग्य युवकों को प्रशिक्षित करना और कंप्यूटर, ईएण्डटीसी और मैकेनिकल इंजीनियरी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे उद्योगों और संस्थानों के लिए आवश्यक कार्मिक और कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराना।

रिपोर्टाधीन वर्ष (1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012) के लिए बजट आबंटन और निष्पादन बजट

क्र. सं.	मद	प्राप्त राशि (मार्च 2012 तक) (₹ लाख में)	उपयोग की गई राशि (मार्च 2012 तक) (₹ लाख में)
1.	पुस्तकें और पत्रिकाएं	-	12.90
2.	उपस्कर	-	-
3.	कर्मचारी	-	-
4.	अन्यः विकासगत योजनाएं	-	15.45
5.	भवन	-	-

लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूहों की कवरेज

शैक्षणिक पदों की कुल संख्या : 136

अनुसूचित जाति : 06 अनुसूचित जनजाति : 01

गैर–शैक्षणिक पदों की कुल संख्या : 85

अनुसूचित जाति : 13 अनुसूचित जनजाति : 03 अपिवः 08 विकलांगः 01

छात्रों की कुल संख्याः 3597

स्नातकपूर्वः 1318 स्नातकोत्तरः 1548

एम फिल : 51 पीएच डी : 172 डिप्लोमा / प्रमाणपत्रः 508

कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति, लिए गए संगत महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय / कार्यक्रम में किए गए परिवर्तन

- एमफिल / पीएच डी कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमनों के अनुरूप करवाया जाता है ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्देशों के अनुसार, सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को आरंभ किया गया है ।

भावी कार्य योजनाएँ

- शिक्षण कर्मचारियों को अनुसंधान परियोजनाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य वित्तीय एजेंसियों की सहायता अनुसंधान परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करना।
- औद्योगिक–कॉरपोरेट जगत की मांग के अनुसार पाठ्य विवरण को पुनः तैयार करना और औद्योगिक क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करना।
- पारंपरिक पाठ्यक्रमों (संस्कृत, आयुर्वेद) के प्रति विद्यार्थियों और सामान्य व्यक्तियों में रुचि पैदा करना।
- नवोन्मेषी और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को संचालित करना।
- विद्यार्थी समुदाय की शैक्षिक मांग को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में और उसके आसपास परिसरों को स्थापित करना / बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।

आयोजित किए गए सम्मेलन, संगोष्ठियां, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे और अन्य आयोजन, यदि कोई हों

विभाग	आयोजित सम्मेलन	आयोजित संगोष्ठि	आयोजित कार्यशालाएं/ [illegible]	आयोजित किए गए व्याख्यान
संस्कृत और भारत संबंधी अध्ययन	-	2	1	6
आयुर्वेद	1	1	1	10
होटल प्रबंधन	1	1	-	2
प्रबंधन	-	-	3	1
समाज कार्य	-	2	7	9
भूगोल	-	1	2	8
शिक्षा	-	1	1	11
परिचर्या	-	1	1	2
कुल	**2**	**9**	**16**	**49**

▲ संकाय सदस्यों / विभागों द्वारा आरंभ की गई अनुसंधान परियोजनाएं

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विद्यापीठ के विभिन्न विभागों को 9 अनुसंधान परियोजनाएं सौंपी गई हैं।

यू जी सी, नई दिल्ली – 6 शोध परियोजनाएं

सी सी आर ए एस, नई दिल्ली – एक परियोजना

टी एम वी, पुणे – 2 परियोजनाएं

▲ नीतिगत मामलों के लिए महत्त्वपूर्ण समितियों का गठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के अनुसार विभिन्न समितियां / प्राधिकारी मौजूद है।

▲ रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पुरानी योजना / कार्यक्रमों को हटाना और नई योजना / कार्यक्रमों को जोड़ना

- विद्यापीठ को अभियांत्रिकी कार्यक्रमों में एमएसबीटीई के समकक्ष दर्जा प्राप्त हो गया है ।
- प्रबंधन विभाग ने एमबीए कार्यक्रम हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एआईसीटीई से प्रक्रियागत औपचारिकताओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है ।
- एमबीए, बीबीए तथा बीसीए कार्यक्रमों हेतु ऑन लाईन परीक्षा का सफलता पूर्वक आयोजन ।
- भारतीय परिचर्या परिषद् (आई एन सी) ने बी.एससी (नर्सिंग) कार्यक्रम के चौथे वर्ष के बैच के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।
- विद्यापीठ को बीए, एमए, बी.कॉम तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीईसी) से अनुमोदन प्राप्त हो गया है ।
- महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल फॉर आक्यूपेशनल थेरेपी एण्ड फीजियोथेरेपी (एमएससीओटीपी) जो कि महाराष्ट्र सरकार की एक सांविधिक परिषद् है, ने भौतिक चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (बीपीटी) को अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।
- विधि संकाय ने तीन वर्ष के एलएलबी पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है ।

3.3 विश्वविद्यालयों में विद्यमान और नए प्रबंधन विभागों के उन्नयन के लिए विकास सहायता

विश्वविद्यालयों को विद्यमान और नए प्रबंधन विभागों के उच्चीकरण के लिए विकास सहायता दी जा रही है ताकि वे प्रबंधन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अनुसंधान कर सकें तथा प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रदान कर सकें। इससे वे उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के हमेशा बढ़ने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते है। यह कार्य वे संकाय विकास कार्यक्रमों में संकाय सदस्यों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देने और व्यावसायिक सम्मेलनों/कार्यशालाओं और उद्योगों में प्रतिनिधियों को भेजकर कर सकते है। इसके लिए उन्हें 3 से 6 महीने के लिए भेजा जा सकता है ताकि वे अपने ज्ञान को अद्यतन कर सकें और उसमें वृद्धि कर सकें तथा निकटतम व्यावसायिक और औद्योगिक संपर्कों का विकास कर सकें, विश्वविद्यालयों द्वारा प्रबंधन विभागों को शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दिए जाने को प्रोत्साहित कर सकें तथा शिक्षण सामग्री का विकास कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के अधीन शामिल किए गए सभी संस्थान इस योजना के अधीन पात्र है। स्व–वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए यह सहायता उपलब्ध नहीं है।

जिन विश्वविद्यालयों/संस्थानों ने दो वर्ष के पूर्णकालिक एमबीए कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है, वे इस वित्तीय सहायता के पात्र है। इस वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा इस प्रकार हैः

अनावर्तीः 40.00 लाख रुपए (एकमुश्त) **आवर्तीः 30.00 लाख रु. प्रति वर्ष**

(उपस्कर, पुस्तकें और पत्रिकाएं तथा विस्तार सहित भवन)

ऐसे विद्यमान विभागों के उन्नयन के लिए भी एकमुश्त अनुदान दिया जाता है, जिन्होंने पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता का लाभ उठाया हो और जिनमें कम से कम एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर और चार सहायक प्रोफेसर हों। इस वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा इस प्रकार हैः

अनावर्ती : 30.00 लाख रुपए (एकमुश्त) **आवर्तीः 20.00 लाख रु. प्रति वर्ष**

विशेषज्ञ की एक समिति प्रस्तावों की जांच/मूल्यांकन करती है । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर और योजना के अधीन निधि की भी उपलब्धता के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेता है। वर्ष 2011–12 के दौरान संस्थानों के 8 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा कोई अनुदान जारी नहीं किया गया ।

इस योजना के अधीन आबंटित और जारी किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार हैः

वित्तीय वर्ष	बजटीय आबंटन (₹ लाख में)	जारी किया गया अनुदान (₹ लाख में)	लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या
2007-2008	100.00	59.52	6
2008-2009	7.00	6.49	3
2009-2010	100.00	15.00	1
2010-2011	300.00	237.00	9
2011-2012	300.00	शून्य	8*

* निधियों की अनुपलब्धता के कारण अनुमोदित विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी नहीं किया जा सका ।

कॉलेजों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

4

4.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कॉलेजों के विकास पर बल

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, शिक्षा को उभरते कैरियर पैटर्न से जोड़ने तथा शिक्षा को सुगम बनाने और समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने के लिए, कॉलेजों का विकास करना एक प्रमुख दायित्व है, क्योंकि स्नातक और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा भी मुख्यतः कॉलेजों में ही में प्रदान की जाती है। कॉलेजों को दी जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सिखाने–सीखने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, कैरियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्क संगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित कॉलेज अर्थक्षम नहीं होते और उनमें कम ही विद्यार्थी नामांकित होते है तथा समूह में सुविधाओं का अभाव रहता है ताकि विकास आवश्यकता, आयोग द्वारा पूरी की जा सके। शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ऐसे क्षेत्रों में नए कॉलेजों की स्थापना करना भी ग्यारहवीं योजना के दौरान, आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है जहां इनकी पर्याप्त सुविधाएं नहीं है।

आधारभूत विकास सहायता के अतिरिक्त, 10वीं योजना की कई योजनाएं, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की सामान्य विकास अनुदान योजनाओं के साथ आमेलित कर दी गई हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास अनुदान के संबंध में निर्णय करते समय, सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त, इन आमेलित योजनाओं के लिए भी आंबटन किया जाएगा। ये योजनाएं हैं :–

क) पुराने कालेजों की अवसंरचना का जीर्णोद्वार

ख) नए कॉलेजों के लिए 'कैचअप' अनुदान

ग) ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कॉलेज।

घ) ऐसे कॉलेज, जहां पर अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है।

ड़) कॉलेजों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान।

च) कॉलेजों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना।

छ) पिछड़े क्षेत्रों में कॉलेज।

ज) वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना (वि0वि0आ0–एन0आर0सी0)।

झ) कॉलेजों में समान अवसर केन्द्र :

ञ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण;

ट) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों को नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) के लिए अनुशिक्षण;

ठ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में शामिल होने के लिए अनुशिक्षण

ड) निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।

ढ) कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, निम्नलिखित उद्देश्यों से कॉलेजों को सामान्य विकास अनुदान देने की योजना का कार्यान्वयन किया गया:

- कालेजों की आधारभूत अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा बुक बैंक सहित पुस्तकें और पत्रिकाएं, वैज्ञानिक उपस्कर खरीदना, परिसर का विकास करना तथा शिक्षण सहायता उपकरण और खेलकूद सुविधाओं के लिए अनुदान मुहैया करवाना।

- मौजूदा भवनों का विस्तार/पुनर्निर्माण करने और नए भवन के निर्माण के लिए सहायता मुहैया करवाना।

- संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदायों, निःशक्तों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कॉलेजों को सहायता मुहैया करवाना।

- अकादमिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को विशेष उपचारात्मक अनुशिक्षण देना ताकि वे आत्मविश्वासी पुरूष या महिला बनकर कॉलेज से बाहर जाएं।

- क्षेत्रीय असंतुलन और विषमता समाप्त करने के लिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े/ग्रामीण/सीमावर्ती/पर्वतीय/दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित कॉलेजों का विकास करना।

- महिलाओं को कॉमन कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराना।

- पुराने कॉलेजों के जीर्णोद्धार के लिए और नए कॉलेजों को 'कैचअप अनुदान' प्रदान करना।

- निकटवर्ती क्षेत्रों में आउटरीच गतिविधियों, प्रौढ़ और सतत शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि वह पूरा का पूराक्षेत्र सामूहिक रूप से लाभान्वित हो, जहां पर यह कॉलेज बना हुआ हैं।

- क्षमता निर्माण की पहल (नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करना और मौजूदा पाठ्यक्रमों की दाखिला क्षमता में विस्तार करना)

- कॉलेजों में, विशेषकर शिक्षकों के लिए आत्मविश्वास पैदा करने की दिशा में पहल करने के लिए सहयोग।

- आंतरिक परीक्षा प्रणाली में विभिन्न विकल्पों को प्रारम्भ करने को बढ़ावा देना और शिक्षण, शोध, अकादमी उत्कृष्टता और सामाजिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले नवोन्मेषी विचारों को क्रियान्वित करना।

सहायता केवल उन्ही कॉलेजों को प्रदान की जायेगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि हेतु दिशानिर्देश के अनुसार, पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।

4.2 वित्तीय सहायता के लिए वि.वि.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज

31 मार्च, 2012 को देश में लगभग 35,539 कॉलेज थे, जिनमें से केवल 8,288 कॉलेज ही वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं जो 23 प्रतिशत हैं। मान्यता प्राप्त 8288 कॉलेजों में से केवल 6,787 कॉलेज ऐसे हैं जो वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के अधीन, केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। दिनाँक 31.03.2012 को कॉलेजों की स्थिति निम्नवत् हैः–

दिनांक	कॉलेजों की कुल संख्या	धारा 2 (च) के अंतर्गत सम्मिलित तथा 12 (ख) के तहत सम्मिलित नहीं किये कॉलेजों की संख्या	धारा 2(च) एवं 12(ख) के अंतर्गत कॉलेजों की संख्या	कुल
31-03-2010	31812	1422	6028	**7450**
31-03-2011	33023	1385	6417	**7802**
31-03-2012	35539	1501	6787	**8288**

4.3 वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कॉलेजों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने **सात** क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया है, ताकि कॉलेज, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी/कार्यान्वित किया जा सके। बाद में, वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को ''उत्तरी क्षेत्र कॉलेज ब्यूरो'' में परिवर्तित कर गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में 25–09–2001 से स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची, उनके नाम, स्थिति, स्थापना की तारीख तथा राज्यों की कवरेज का ब्यौरा 'क्षेत्रीय कार्यालय शीर्ष के तहत अध्याय–1 में दिया गया है'

इन क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो, निम्नलिखित सात योजनाओं कार्यक्रमों के अधीन संपूर्ण देश के सभी पात्र कॉलेजों को अनुदान संवितरित कर रहे हैं:

1) महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता (स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर)

2) महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

3) संकाय सुधार कार्यक्रम (एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए कॉलेज शिक्षकों को शिक्षक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना)

4) शोध स्कीमों की सहायता के लिए शोध निधियन (कॉलेज शिक्षकों के लिए लघु शोध परियोजनाएं–मानविकी/सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान)

5) कॉलेजों में शोध कार्यशाला/परिसंवाद तथा सम्मेलन

6) स्वायत्त कॉलेज (केवल अनुदान जारी करना)

7) खेल–कूद अवसंरचना तथा उपस्करों का विकास

8) धारा 12–ख के अंतर्गत महाविद्यालयों को अतिरिक्त सहायता

9) धारा 12–ख के अंतर्गत कवर नहीं किए गए महाविद्यालयों (गैर–12ख) को एकमुश्त अनुदान

10) जयंती/शतवार्षिकी अनुदान

11) कॉलेजों के लिए सामान्य विकास अनुदान योजनाओं के साथ आमेलित जिन 14 योजनाओं के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, वे निम्नवत हैं–

- पुराने कॉलेजों में अवसंरचना का पुनर्निर्माण।
- नए कॉलेजों के लिए "कैच–अप" अनुदान।
- अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों के तुलनात्मक रूप से उच्चतर अनुपात वाले कॉलेज।
- पिछड़े क्षेत्रों में कॉलेज।
- दूरस्थ/पर्वतीय/सीमावर्ती क्षेत्रों में कॉलेज।
- कॉलेजों में क्षमता निर्माण पहल के लिए विशेष अनुदान।
- वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना।
- दिवस देखभाल केन्द्र की स्थापना।

- अ.जा. / अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण।
- अ.जा. / अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों को "नेट / स्लेट" का अनुशिक्षण।
- अ.जा. / अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों को सेवा में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं।
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।
- कैरियर तथा परामर्श प्रकोष्ठ।
- समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.)।

4.4 वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा जारी अनुदानों की योजनावार स्थिति

1. महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता

11वीं योजना के दिशानिर्देशों में विहित शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकपूर्व / स्नातकोत्तर कॉलेजों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन सम्मिलित कॉलेजों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करता है। महाविद्यालय के प्रकार, संकाय संख्या, छात्र नामांकन आदि के आधार पर स्नातकपूर्व महाविद्यालयों को 10.00 लाख से 21.00 लाख रूपये तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के कला मानविकी, और सामाजिक विज्ञान विभागों को 5.00 लाख रू0 तथा विज्ञान विभागों को 8.00 लाख रू0 की सहायता मुहैया करायी जाती है । योजना के अधीन, कॉलेजों की बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपस्कर उनके रख–रखाव, परीक्षा सुधार, शैक्षणिक नवोन्मेष, स्टाफ, परिसर विकास, विस्तार / नवीकरण, शिक्षण सहायता सामग्री जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करता है जो उचित शिक्षा, विद्यमान भवन विस्तार / नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार गतिविधियां, कनेक्टिविटी, आदि के लिए आवश्यक है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, कॉलेजों को जारी अनुदान तथा कॉलेज विकास योजना के अन्तर्गत कॉलेजों को आवंटित और जारी ग्यारहवीं पंचवर्षीय विकास योजनागत का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1 (क) वर्ष 2011-12 के दौरान, कॉलेजों को आवंटित और प्रदत्त ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना विकास अनुदान और प्रदत्त अनुदान (राज्य-वार):

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2012 को वि.अ.आ. की धारा 2(च) और 12 (ख) के अधीन महाविद्यालयों की संख्या	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2011-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	11वीं योजना के अंतर्गत कालेज विकास योजना के लिए अनुमोदित कुल अनुदान (वि.अ.आ. का हिस्सा) (₹ करोड़ में)	01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.04.2007 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (₹ करोड़ में)	
						सहायता अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सहायता अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	461	135	334	55.92	1.42	1.84	22.53	1.84
2	अरुणाचल प्रदेश	06	01	06	0.90	–	0.04	0.38	0.26
3	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	02	–	01	–	–	–	–	–
4	असम	214	57	214	31.77	4.02	3.86	15.67	10.28
5	बिहार	312	69	292	45.68	0.27	3.81	0.63	4.62
6	छत्तीसगढ़	144	1	129	20.42	–	0.03	–	20.60
7	दमन एवं द्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–
8	दादरा एवं नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2012 को वि.अ.आ. की धारा 2(च) और 12 (ख) के अधीन महाविद्यालयों की संख्या	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2011-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	11वीं योजना के अंतर्गत कालेज विकास योजना के लिए अनुमोदित कुल अनुदान (वि.अ.आ. का हिस्सा) (₹ करोड़ में)	01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.04.2007 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (₹ करोड़ में)	
						सहायता अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सहायता अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	गोवा	32	–	22	3.11	–	–	–	2.07
10	गुजरात	389	54	346	44.27	0.39	1.20	1.73	28.75
11	हरियाणा	142	26	142	22.63	0.02	5.96	8.72	6.16
12	हिमाचल प्रदेश	44	2	44	7.63	0.01	0.11	2.53	0.33
13	जम्मू और कश्मीर	50	2	50	7.77	–	0.15	39.02	1.12
14	झारखण्ड	88	8	79	16.46	0.03	0.38	0.11	0.66
15	कर्नाटक	435	146	386	61.82	0.52	3.23	9.23	29.73
16	केरल	221	164	194	55.37	0.53	2.88	8.85	27.69
17	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–
18	मध्य प्रदेश	369	–	298	51.00	–	–	–	50.48
19	महाराष्ट्र	927	207	868	124.66	1.67	3.96	7.47	72.24
20	मणिपुर	52	09	52	6.44	0.32	0.31	2.90	1.95
21	मेघालय	27	5	27	3.92	0.32	0.16	1.86	1.23
22	मिजोरम	24	07	24	2.87	0.08	0.10	1.34	0.89
23	नागालैण्ड	24	04	24	2.13	0.19	0.08	1.14	0.78
24	ओडीशा	362	51	308	40.90	0.21	1.75	0.45	2.53
25	पुदुचेरी	13	13	13	1.86	–	–	1.34	–
26	पंजाब/चण्डीगढ	215	39	215	39.55	0.09	3.60	13.92	3.85
27	राजस्थान	215	4	189	35.96	–	0.33	–	35.55
28	सिक्किम	02	–	02	0.29	–	–	0.17	–
29	तमिलनाडु	311	234	234	65.37	4.84	0.83	36.03	0.83
30	त्रिपुरा	16	2	16	2.58	0.04	0.04	1.07	0.72
31	उत्तर प्रदेश	433	61	433	96.86	1.28	8.23	30.12	4.53
32	उत्तराखण्ड	40	3	40	10.25	0.06	0.30	2.52	0.71
33	पश्चिम बंगाल	386	99	374	70.73	0.29	4.92	1.19	8.68
	कुल	**5956**	**1403**	**5356**	**929.16**	**16.90**	**48.13**	**210.93**	**319.07**

*14.11.2011 से सिक्किम को वि0अ0आ0–उ0पू0क्षे0का0 को अंतरित कर दिया गया है।
नोटः धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सम्मिलित कॉलेजों की कुल संख्याः 6787 है, जिसमें से धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कवर स्व–वित्तपोषित कॉलेज सामान्य विकास अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं है।

(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान कॉलेजों को आवंटित तथा प्रदत्त विकासगत अनुदान (क्षेत्र-वार):

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2012 को वि.अ.आ. की धारा 2(च) और 12 (ख) के अधीन महाविद्यालयों की संख्या	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2011-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	11वीं योजना के अंतर्गत कॉलेज विकास योजना के लिए अनुमोदित कुल अनुदान (वि.अ.आ. का हिस्सा) (₹ करोड़ में)	01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.04.2007 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (₹ करोड़ में)	
						सहायता अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सहायता अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	1148	227	1055	173.78	0.80	10.87	2.37	16.49
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	656	310	580	117.19	1.05	6.11	18.08	57.42
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	365	85	363	50.91	4.97	4.59	24.54	16.10
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	787	382	582	123.16	6.56	2.67	59.90	2.67
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	728	5	616	107.39	--	0.37	--	106.62
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	1348	261	1236	172.04	2.06	5.17	9.21	103.07
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का.ब्यूरो, दिल्ली	924	133	924	184.69	1.46	18.35	96.83	16.70
	कुल	**5956**	**1403**	**5356**	**929.16**	**16.90**	**48.13**	**210.93**	**319.07**

2. महिला छात्रावासों का निर्माण

महिलाओं का दर्जा बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कॉलेजों में महिला छात्रावास तथा अन्य आधारिक संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयोग ने वर्ष 1995–96 के दौरान, महिला होस्टलों के निर्माण के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी चालू है, जो कॉलेज वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं तथा जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं वह कॉलेज, वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के अधीन वि.अ.आ. से शत–प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी लेकिन उनकी अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी :

महिला नामांकन	गैर–महानगरों के संबंध में धनराशि (₹ लाख में)	महानगरों के संबंध में धनराशि (₹ लाख में)
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251–500	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

वि.अ.आ. के नियतन/अधिकतम राशि से अधिक किए गए व्यय को संस्थाओं द्वारा अपने संसाधनों द्वारा पूरा करना होगा जिसके लिए संबंधित संस्था स्पष्ट प्रकटन और आश्वासन प्रदान करेगी। ग्यारहवीं योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियतन/अधिकतम राशि से अधिक बढ़ी हुई लागत उपलब्ध नहीं कराएगा।

वर्ष 2011–2012 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा महिला छात्रावासों के निर्माण योजना के अधीन प्रदत्त अनुदानों की स्थिति इस प्रकार हैः–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	139	571	26.87	109.37	--	28.85	--	167.04
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	77	160	11.07	126.33	--	11.07	--	126.33
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	117	363	23.08	125.00	--	20.54	--	102.18

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	109	247	13.21	180.72	–	16.39	–	131.36
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	43	167	8.40	98.62	–	8.35	–	88.03
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	115	323	13.29	175.50	–	24.90	–	85.79
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	73	304	10.30	86.02	–	15.09	–	75.24
	कुल	**673**	**2135**	**106.22**	**901.56**	**--**	**125.19**	**--**	**775.97**

3. संकाय सुधार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का लक्ष्य, संकाय सदस्यों को शोध के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सहभागिता के द्वारा भी संस्थानों के अकादमिक तथा बौद्धिक परिवेश का विकास करना है। इन कार्यक्रमों में सहभागिता करके संकाय सदस्य अपने शोध कार्य को अद्यतन तथा शैक्षिणिक कौशल बढाने में सक्षम होंगे।

इसी पृष्ठभूमि में आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया है।

संकाय सुधार कार्यक्रम योजना के उद्‌देश्य निम्नवत है :–

- विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों को अकादमिक/शोधकार्य जो एम. फिल/पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना।
- अकादमिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों में पत्र प्रस्तुत करने के लिए तथा कार्यशालाओं में भाग लेने तथा ज्ञान एवं विचारो के परस्पर आदान प्रदान करने के लिए शिक्षकों को अवसर उपलब्ध कराना।
- युवा संकाय सदस्यों को एक बेहतर अकादमिक अभिव्यक्ति हेतु उनके मनपसंद संस्थान में एक अल्प–अवधि (न दो सप्ताह से कम न दो महीनों से अधिक) बिताने के अवसर प्रदान करना।

कार्यक्रम के अंतर्गत, शिक्षक अध्येता 15,000/– प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक आकस्मिक व्यय का पात्र है और एवजी शिक्षक का वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतनमान पर वि0अ0आ0 द्वारा किया जाएगा।

आयोग द्वारा, वर्ष 2009–2010 के दौरान, इस कार्यक्रम के एन0आर0सी0बी0 द्वारा जारी की गई अनुदान राशि नीचे दर्शाई गई है:–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे. का. कोलकाता	80/120	191/429	लागू नहीं	लागू नहीं	0. 10	1.93	0.42	6.50
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	लागू नहीं/299	लागू नहीं/1218	6.63	24.22	6.63	–	24.22	–
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	81/191	105/238	3.55	7.82	3.55	–	7.82	–
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	114/358	लागू नहीं/621	3.36	16.06	3.36	–	16.06	–
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	लागू नहीं/220	लागू नहीं/998	लागू नहीं	लागू नहीं	0.28	1.03	5.61	–
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	109/146	336/658	3.49	11.71	–	3.49	–	11.71
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	98/ लागू नहीं	379/ लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.12	15.09	2.26	–
	कुल	**482/1334**	**1011/4162**	**17.03**	**59.81**	**15.04**	**6.45**	**56.39**	**18.21**

4. शोध योजनाओं (लघु शोध परियोजनाओं) हेतु सहायता के लिए शोध निधियन परिषद्

योजना का उद्देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्द्धन करना है। पात्र विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षक, लघु शोध परियोजना योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1.00 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2011–2012 के दौरान एन0आर0सी0बी0 सहित वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालय / ब्यूरो द्वारा लघु शोध परियोजनाओं (विज्ञान) को प्रदत्त अनुदान निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	308	1031	4.81	12.85	1.56	2.34	2.54	3.65
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	383	1421	0.37	8.13	0.32	0.04	5.07	3.06
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	351	852	3.66	10.75	1.33	1.02	5.80	2.56
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	147	672	1.97	7.46	1.58	--	6.81	--
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	257	923	1.13	8.93	2.08	2.58	10.33	--
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	430	2210	6.37	25.69	4.58	--	19.49	--
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	132	314	1.41	3.48	1.02	--	2.55	--
	कुल	**2008**	**7423**	**19.72**	**77.29**	**12.47**	**5.98**	**52.59**	**9.27**

वर्ष 2011–2012 के दौरान एन0आर0सी0बी0 सहित वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालय / ब्यूरो द्वारा लघु शोध परियोजनाओं (मानविकी और सामाजिक विज्ञान) को अनुदान निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	541	1680	5.57	16.23	1.72	2.70	3.07	4.03
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	529	2003	0.48	9.48	0.37	0.12	6.31	3.17
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	382	1202	3.45	13.56	0.87	0.97	6.67	3.42
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	120	620	0.98	5.45	0.84	--	4.73	--
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	324	1402	0.90	10.32	1.68	1.84	10.34	--
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	673	3204	5.38	22.56	3.97	--	16.49	--
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	152	353	1.24	3.40	0.94	--	2.49	--
	कुल	**2721**	**10464**	**18.00**	**81.00**	**10.39**	**5.63**	**50.10**	**10.62**

5. कॉलेजों में शोध कार्यशालाओं/परिसंवादों तथा सम्मेलनों का आयोजन

इस योजना के अधीन, संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवादों/शोध तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को बाँटने के लिए मंच प्रदान करके कॉलेजों में उच्च मानकों का संवर्द्धन करना है। इस योजना में सभी पात्र कॉलेज आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत 70,000 रूपये से 1,50,000 रूपये तक की राशि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2011–2012 के दौरान, शोध कार्यशालाओं/परिसंवादों तथा सम्मेलनों की योजना के अधीन, कॉलेजों को वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा अनुमोदित राशि का विवरण इस प्रकार है :–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	643	2153	7.58	22.73	6.13	–	18.00	–
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	539	2176	1.31	10.04	1.31	–	6.31	–
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	217	570	2.86	7.27	2.79	–	6.10	–
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	212	776	2.07	6.79	0.59	–	5.29	–
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	251	904	3.21	9.85	2.67	–	8.54	–
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	564	2787	5.11	19.69	–	1.65	–	12.60
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	264	817	1.10	7.12	0.82	–	5.33	–
	कुल	**2690**	**10183**	**23.24**	**83.49**	**14.31**	**1.65**	**55.30**	**12.60**

6. स्वायत्त महाविद्यालय

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य, संबद्व संरचना से कॉलेजों को असंबद्ध करके, स्नातक पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत 9.00 लाख रू0. से 20.00 लाख रूपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण संकायों की संख्या पर निर्भर करता है। वर्ष 2011–2012 के दौरान, स्वायत्त कॉलेजों को वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत राशि की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	42	44	N.A.	N.A.	3.98	–	14.92	–
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	23	24	3.35	15.84	0.93	2.42	5.73	10.11
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	01	01	0.15	0.59	–	0.12	–	0.56
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	104	142	16.36	86.01	16.37	–	86.00	–
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	20	20	N.A.	N.A.	3.99	–	17.80	–
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	5	5	0.89	2.76	0.89	–	–	2.76
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	4	8	0.80	1.60	0.78	–	1.46	–
	कुल	**199**	**244**	**21.55**	**106.80**	**26.94**	**2.54**	**125.91**	**13.43**

7. 12(ख) के अंतर्गत शामिल महाविद्यालयों को अतिरिक्त सहायता

वि.अ.आ., 137 राज्य विश्वविद्यालयों और विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 6000 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा जो वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है । इन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विकास एवं आमेलित योजनाओं दोनों के अंतर्गत योजनागत अनुदान प्राप्त हो रहा है । अब वि.अ.आ. ने इसे आगे अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है और वि.अ.आ. अधिनियिम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत पहले से ही शामिल राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करने के लिए एक योजना तैयार की है ।

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है ताकि शिक्षण एवं ज्ञान अर्जन में गुणवत्ता में सुधार किया जा सके । इस योजना के अंतर्गत जनरेटर, इनवर्टर, प्रयोगशाला के उपस्कर, स्मार्ट बोर्ड, रेफ्रीजरेटर जैसे उपस्कर और डिजीटल कैमरा, एलसीडी/टेलीविजन सहित सहायक उपकरण, कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री, सॉफ्टवेयर ताकि रेप्रोग्राफिकल सुविधाओं का अर्जन किया जा सकता है ।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी ।

1. विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा: 2.0 करोड़ रु0।
2. महाविद्यालयों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा : 25.0 लाख रु0।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	695	864	195.48	325.73	--	56.95	--	125.37
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	504	578	72.29	106.69	--	72.29	--	106.69
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	65	365	54.66	75.18	--	19.92	--	67.87
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	148	444	129.33	205.54	--	17.04	--	52.62
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	311	561	82.80	135.52	--	32.91	--	79.58
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	197	676	337.35	451.08	--	41.66	--	114.09
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	262	513	140.35	198.35	--	46.01	--	82.52
	कुल	2282	4001	1012.26	1498.09	--	286.78	--	628.74

8. महाविद्यालयों की जयंती/शताब्दिक अनुदान

ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने अपने अस्तित्व के 50, 100 वर्ष पूर्ण कर लिए है और जिनका स्मारक के रूप में महत्व है और अवसर के अनुरूप उन्हें अपेक्षित पूंजीगत व्यय के क्रियाकलापों जैसे पुराने भवन के नवीकरण और नये भवनों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

प्रदान की जाने वाली सहायता नीचे दी गई है:

क्र. सं.	आयोजन का स्वरूप	₹ लाख में
1.	शताब्दिक अनुदान (100 वर्ष)	50.00
2.	जयंती अनुदान (50 वर्ष)	25.00

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	60	91	15.79	25.74	--	8.59	--	13.49
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	06	22	0.67	2.76	--	0.67	--	2.76
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	08	22	2.50	5.47	--	1.42	--	2.16
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	--	--	--	--	--	--	--	--
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	--	--	--	--	--	--	--	--
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	--	--	--	--	--	--	--	--
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	37	41	10.99	27.71	--	4.47	--	5.07
	कुल	111	176	29.95	61.68	--	15.15	--	23.48

9. खेलकूद अवसंरचना का विकास और उपकरण

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के बीच एक स्वस्थ भागीदारी और सहयोग की भावना पैदा करना और खेलकूद में उपलब्धियाँ प्राप्त करना और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने और उनसे प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता पैदा करना।

उपरोक्त उद्देश्यों के मद्देनजर योजना को निम्नवत हेतु तैयार किया गया है।

(क) नई और मौजूदा आऊटडोर अथवा इंडोर अवसंरचना का विकास करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना ताकि छात्रों का खेलों में और अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जबकि, छात्रों को ऐसी खेलकूद सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नई पीढ़ी के युवकों को अवसर प्रदान करना है।

(ख) किसी विशिष्ट खेलकूद में छात्रों को उनकी 'उत्कृष्टता प्राप्ति' के स्तर के आधार पर बेहतर उपस्कर और अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से उसी अथवा खेलकूद के संबद्ध क्षेत्र में अधिक उन्नत स्तर पर भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते है।

(ग) जहाँ पहले से ही अवसरंचना उपलब्ध है, उसका सुधार/सुदृढ़ किया जाना। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को ऐसी मानक अवसंरचना अविस्तारणों/उपस्कर सुविधाओं के सृजन में सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने छात्रों हेतु ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन कर सके।

वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना के अंतर्गत एनआरसीबी सहित वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुदान की धनराशि निम्नवत हैः–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	213	288	11.83	142.50	--	37.59	--	60.83
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	11	205	0.16	3.86	--	0.16	--	3.86
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	140	271	63.11	168.13	--	48.29	--	92.24
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	249	264	14.41	103.94	2.97	30.08	5.76	43.07

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	123	234	42.59	110.03	--	24.21	--	83.56
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	281	427	168.91	322.49	4.13	62.49	6.74	77.97
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	55	190	22.09	46.22	--	18.46	--	22.39
	कुल	**1072**	**1879**	**323.10**	**897.17**	**7.10**	**221.28**	**12.50**	**383.92**

10. शामिल नहीं किए गए (गैर-12ख) महाविद्यालयों को एकमुश्त 'कैच-अप' अनुदान

ऐसे लगभग 8,800 महाविद्यालय है जो कि मुख्यतः स्नातक पूर्व महाविद्यालय है, और राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध है जो कि तकनीकी रूप से वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार में है, परंतु उन्हें वि.अ.आ. से कोई विकास अनुदान प्राप्त नहीं होता है, चूंकि यह महाविद्यालय वास्तविक सुविधाओं और अवसंरचना के संदर्भ में न्यूनतम अर्हता मानदंड पर खरा नहीं उतरते है इसलिए, इन महाविद्यालयों को वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, वि.अ.आ. ने बड़ी संख्या में ऐसे महाविद्यालयों विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अब तक ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और जो कि पूर्व में अपनी अवसंरचना और गुणवत्ता में कमी के चलते वि.अ.आ. विकास अनुदान से वंचित थे उन्हें एकमुश्त 'कैच–अप' अनुदान प्रदान करने के लिए योजना तैयार की है ।

वि.अ.आ. सहायता 2.0 करोड़ रु0 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, तक सीमित होगी ।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान एनआरसीबी सहित वि0अ0आ0 के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त धनराशि निम्नवत है:–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	2	2	--	15.34	--	0.70	--	1.70
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	9	11	3.54	4.54	--	3.54	--	4.54
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	13	25	14.52	27.51	--	11.37	--	13.62
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	25	25	20.34	20.34	--	--	--	--
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	3	4	0.95	19.45	--	1.50	--	3.50
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	4	4	9.00	19.65	--	1.85	--	1.85
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	--	--	--	--	--	--	--	--
	कुल	**56**	**71**	**48.35**	**106.83**	--	**18.96**	--	**25.21**

* योजना को वर्ष 2010–11 में आरम्भ किया गया था। केवल उन्ही महाविद्यालयों को अनुदान दिया गया जिनके संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण थे।

11. दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्ध देयताएं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	--	--	--	--	--	--	--	--
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	--	37	--	0.45	--	--	--	0.45
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	15	347	--	--	0.03	0.20	--	3.38
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	--	--	--	--	--	--	--	--
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	--	--	--	--	--	--	--	--
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	--	--	--	--	--	--	--	--
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	--	--	--	--	--	--	--	--
	कुल	**15**	**384**	**-**	0.45	0.03	0.20	-	**3.83**

12. आमेलित योजनाएं

(क) पुराने कालेजों की अवसंरचना का जीर्णोद्वार :

वि.अ.आ. निर्माण/विस्तार/नवीकरण के लिए उन कॉलेजों को अनुदान प्रदान करेगा, जो कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व स्थापित हुए थे और जिनमें वर्तमान आधारभूत संरचना के नवीकरण की आवश्यकता है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि पुराने कॉलेजों को सहायता प्रदान की जाये–जो कि 15 अगस्त, 1947 से पूर्व स्थापित हुए थे, उन भवनों के नवीकरण अथवा निर्माण/विस्तार, कक्षाओं/प्रयोगशालाओं अथवा अन्य आधारभूत संरचना के लिए जैसा कि अविलम्ब आवश्यकताओं की माँग है।

इस योजना के अंतर्गत, वि.अ.आ. भवनों और कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, स्टाफ कक्ष, सामान्य कक्ष छात्रावासों आदि के नवीकरण अथवा अत्यंत अनिवार्य और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर कक्षाओं/प्रयोगशालाओं अथवा अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण/विस्तार के लिए 15 लाख रु0 तक उपलब्ध करवा सकता है ।

वर्ष 2011–12 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो को प्रदत्त अनुदान की स्थिति नीचे दी गई है।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	22	24	--	11.99	--	1.53	--	1.82
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	23	23	1.58	2.18	--	1.58	--	2.18
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	07	12	--	2.89	--	0.50	--	0.71
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	05	64	--	9.46	--	0.32	--	0.85
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	--	42	--	5.36	--	--	--	2.68
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	7	7	--	8.53	--	0.40	--	0.40
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	8	28	--	13.18	--	0.55	--	0.97
	कुल	**72**	**200**	**1.58**	**53.59**	**-**	**4.88**	--	**9.61**

(ख) नवीन कॉलेजों के लिए ''कैच–अप'' अनुदान

जैसा कि स्कीम के नाम से विदित है, यह उन कॉलेजों को प्रदान किए जाने वाले विशेष अनुदान के संबंध में है जो अभी कुछ समय पूर्व धारा 2(च) तथा 12 (ख) के तहत प्रदान किया जाता था तथा वे कॉलेज तब तक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं समझे जाते थे। अतः सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त ये कालेज, भवन, पुस्तकों एवं जरनल उपस्करों के रूप में शीघ्र निर्माण/मजबूत आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए, इस ''कैच अप'' अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। (i) विशेष अनुदान से तात्पर्य है फर्नीचर एवं फिटिंग्स की खरीद हेतु सहायता उपलब्ध कराना तथा जिनका निर्माण, **प्रस्ताव प्रस्तुति के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले नहीं हुआ है।** (ii) पुस्तकों तथा जर्नल्स की सदस्यता (ई–जरनल्स सहित), वैज्ञानिक एवं शिक्षण उपस्कर, खेलकूद सामग्री प्राप्त करने के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते है।

इस योजना के अंतर्गत किसी महाविद्यालय को योजना के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 12 लाख रु0 प्राप्त हो सकते हैं । भवन हेतु आवंटित धनराशि 9.00 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्ष 2011–2012 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरों द्वारा प्रदत्त अनुदान स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	36	24	–	14.72	–	1.75	–	5.66
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	13	120	0.90	6.88	–	0.90	–	6.88
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	52	357	–	9.43	–	2.54	–	8.82
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	11	19	–	2.10	0.18	0.15	0.39	0.19
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	02	57	–	5.82	–	0.08	–	3.66
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	119	461	–	41.26	3.16	2.54	11.32	4.33
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	4	98	–	9.30	–	0.14	–	3.61
	कुल	**237**	**1229**	**0.90**	**89.51**	**3.34**	**8.10**	**11.71**	**33.15**

(ग) अ.जा./अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यकों के अपेक्षाकृत उच्चानुपात वाले महाविद्यालय

अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) को भारतीय समाज को दो सर्वाधिक पिछड़े वर्गों में चिन्हित किया गया है। इन दोनों वर्गों में ऐसी समस्त जातियाँ, प्रजातियाँ अथवा जनजातियाँ सम्मिलित हैं जिनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि अ.जा./अ.ज.जा./ अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग (असंपन्न वर्ग) के, छात्रों, जिनको वित्तीय बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है, तथा शारीरिक रूप से निःशक्त छात्रों की पहुँच शिक्षा तक हो सके।

कोई भी महाविद्यालय निम्नवत हेतु 6.00 लाख रूपये तक की धनराशि हेतु पात्र होगाः–

महाविद्यालय निम्नलिखित श्रेणियों के 100 छात्रों को 'साधन सह मेंधा' आधार पर पुस्तकें, लेखन सामग्री क्रय करने तथा आकस्मिक व्यय करने के लिए 500 रु0 प्रतिमाह का वजीफा उपलब्ध कराना जिनका चयन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा ।

वर्ष 2011–12 क्षेत्रीय कार्यालायों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत हैः–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	12	564	–	26.45	0.40	–	19.67	–
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	124	345	3.86	11.75	3.86	–	11.75	–
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	106	363	–	14.06	4.03	–	8.79	–
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	79	472	–	26.84	1.56	–	5.08	–
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	3	303	–	15.64	–	–	–	14.35
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	44	613	–	28.53	0.20	–	5.56	–
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	10	368	–	23.76	0.10	–	4.21	–
	कुल	**378**	**3028**	**3.86**	**147.03**	**10.15**	–	**55.06**	**14.35**

(घ) शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कॉलेज

ऐसे जिले, जिनमें राष्ट्रीय औसत से निम्न समग्र साक्षरता दरें थीं उन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े ज़िले माना गया। फिर भी, ऐसा देखा गया है कि कोई भी एकल सूचक/संकेतक सामान्य रूप से विद्यमान, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन की जटिलताओं को विशेषकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में, सम्पूर्ण रूप से समाहित नहीं कर सकता है। अब, देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े ज़िलों को अभिलक्षित करने के लिए एक नवीन मानदण्ड का उपयोग किया जा रहा है, जो कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से और अधिक संवेदनशील होगा। वह है: उच्च शिक्षा में–निबल नामांकन दर (जी.ई.आर.) = उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पश्चात, जो भी प्रवेश प्राप्त किए है, 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में है।

ऐसा कॉलेज, जो एक ऐसे ज़िले में स्थित है, जहाँ "जी.आई.आर."–राष्ट्रीय औसत से न्यून है, तो ऐसे कॉलेज को पिछड़ा हुआ कॉलेज माना जायेगा। इसका लक्ष्य यह है कि जो कॉलेज, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में स्थित है, उन्हें आधारभूत संरचना के विकास के लिए और अध्यापन प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए सहायता दी जाए जिससे कि पात्र जनसंख्या द्वारा उच्च शिक्षा तक पैठ बन सके।

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता की सीमा 12 लाख रु0 होगी ।

वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	133	562	–	58.71	–	5.53	–	26.24
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	37	240	1.88	13.88	–	1.88	–	13.88
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	53	363	–	11.31	–	3.38	–	8.32
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	132	285	–	32.51	2.57	1.23	5.56	2.56
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	05	316	–	34.80	–	0.20	–	22.95
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	61	219	–	29.40	0.74	2.03	6.87	2.82
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	27	223	–	28.25	–	0.94	–	8.23
	कुल	**448**	**2208**	**1.88**	**208.86**	**3.31**	**15.19**	**12.43**	**85.00**

(ङ) ग्रामीण / दूरस्थ / सीमावर्ती / पर्वतीय / जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कॉलेज

दूरस्थ / सीमावर्ती / पहाड़ी / जनजातीय इलाकों से छात्रों की पहुंच बनाने के लिए एवं दूरस्थ / सीमावर्ती / पहाड़ी / जनजातीय इलाकों के रुप में चिन्हित किये गये क्षेत्रों से छात्रों की, उच्च शिक्षा तक की पहुँच को बहुत तीव्र रूप से सुधारा जाये। उपयुक्त परिवहन सुविधाओं का अभाव–एक ऐसी कठिनाई जो कि सामान्य रूप से शहरी इलाकों में नहीं होती है–यह सबसे प्रमुख रूकावट है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों एवं छात्रों को समान रूप से इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बहुधा उन्हें समय का बड़ा भाग आने जाने में व्यय करना पड़ता है। अतः जो प्राथमिक आवश्यकता है, वह यह है कि शिक्षकों के पर्याप्त क्वार्टर विद्यमान हों और छात्रों के छात्रावास हों क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो पायेगा कि सभी छात्रों को, छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके–अतः उन सभी छात्रों को जो कि 10 किलोमीटर अथवा उससे भी दूर से आते हों, यात्रा भत्ता (अधिकतम 500 रू0 प्रतिमाह) दिया जाये। इस योजना का लक्ष्य यह है कि उपस्थिति से जुड़े विभेदों को न्यून किया जाये और उच्च शिक्षा तक पहुँच को और बढ़ाया जाये तथा छात्रों एवं अध्यापकों को, किराये पर आधारित आवासीय स्थान उपलब्ध करा कर इस प्रक्रिया को सफल बनाया जाये। इस योजना का लक्ष्य यह भी है कि अवस्थिति विशेष के अनुसार, पाठ्यक्रम को लागू करना, तथा ऐसे छात्र, जो ग्रामीण / दूरस्थ / सीमावर्ती / पहाड़ी / जनजातीय इलाकों से है और जिनमें कुछ योग्य व पात्र है–ऐसे छात्रों को यात्रा भत्ता दिया जाये।

महाविद्यालय निम्नलिखित हेतु 10.00 लाख रु0 प्राप्त करने का प्राप्त होगाः–

1. किराया आधार पर शिक्षकों / छात्रों को आवास ।
2. छात्रों को (एक सप्ताह से अधिक की अवधि के अवकाश / छुट्टी / विश्रांति काल के लिए कोई वाहन भत्ता नहीं उपलब्ध कराया जाएगा) वाहन भत्ता उपलब्ध करवाना (अधिकतम दूरी तय करने वालों को अधिकतम 500 रु0 प्रतिमाह)।
3. स्थान–विशेष के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास करना और उसे लागू करना ।

वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों / ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	26	398	–	34.61	1.27	–	10.42	–
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	45	74	0.77	3.13	0.77	–	3.13	–
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	100	363	–	19.06	7.26	–	12.71	–
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	61	185	–	17.39	0.82	–	3.01	0.02
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	–	88	–	7.35	–	–	–	7.36
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	33	301	–	20.88	0.23	–	4.15	–
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	2	203	–	20.25	–	0.04	–	3.73
	कुल	**267**	**1612**	**0.77**	**122.67**	**10.35**	**0.04**	**33.42**	**11.11**

(च) कॉलेजों में दाखिले की क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान (क्षमता निर्माण के लिए पहल)

कॉलेज के विस्तारण के लिए वर्तमान पाठ्यक्रमों की अंतर्ग्रहण क्षमता की बढ़ोत्तरी के लिए नवीन पाठ्यक्रमों को आरंभ करके वि.अ.आ. द्वारा पुस्तकों, उपस्करों, पत्रिकाओं आदि के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाए, नूतन प्रयोगशाला एवं कक्षा फर्नीचर, फिटिंग्स तथा नवनिर्मित प्रयोगशाला अथवा कक्षों आदि के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाए। इस योजना का यह लक्ष्य है कि कॉलेजों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं ताकि मौजूदा पाठ्यक्रमों की अंर्तग्रहण क्षमता में वृद्धि हो तथा साथ ही साथ नवीन अध्यापन कार्यक्रम भी किये जा सकें।

कोई भी महाविद्यालय उन पाठ्यक्रमों के लिए 7.00 लाख रु के अनुदान के लिए पात्र होगा जहां दाखिले की संख्या बढ़ायी जानी हो अथवा नया पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना हो यथाः–

- पुस्तकें और जर्नल
- उपकरण
- कक्षा/अथवा प्रयोगशाला का निर्माण/विस्तार
- नवनिर्मित कक्षा/प्रयोगशाला के लिए फर्नीचर तथा उपकरण

वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	169	760	–	39.92	–	5.10	–	11.97
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	135	370	3.13	14.14	–	–	3.13	–
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	143	363	–	19.23	–	4.79	–	8.56
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	110	474	–	31.68	4.32	0.41	8.42	0.89
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	03	387	–	22.42	–	–	–	19.67
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	130	644	–	36.14	0.98	1.36	16.01	2.10
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	44	525	–	31.50	–	0.68	–	14.50
	कुल	**734**	**3523**	**3.13**	**195.03**	**5.30**	**15.47**	**24.43**	**71.83**

(छ) महाविद्यालयों में वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र (वि.अ.आ. एन.आर.सी.) की स्थापना

योजना का उद्देश्य, प्रशासन,वित्त, परीक्षा एवं अनुसंधान संबंधी विभिन्न कार्यकलापों में कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में स्टाफ एवं छात्रों में जागरूकता का सृजन करना है। सूचना एवं संचार नेटवर्क के अतिरिक्त यह भारत तथा विदेशों में मल्टीमीडिया मैटीरियल (पाठ्यसामग्री) तक पहुँच बनाने के लिए कॉलेजों के लिए मददगार होगा।

वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	59	910	–	23.26	0.05	0.51	0.17	2.62
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	61	181	0.64	5.27	0.06	0.58	1.12	4.15
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	91	363	–	7.48	0.20	0.34	6.16	0.66
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	80	499	–	11.12	1.96	–	4.14	–
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	02	456	–	11.57	0.01	0.04	–	10.27
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	64	977	–	22.76	1.54	–	18.65	–
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	14	580	–	17.17	–	0.16	–	10.71
	कुल	**311**	**3966**	**0.64**	**98.63**	**3.82**	**1.63**	**30.24**	**28.41**

(ज) कॉलेजों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना

वि.अ.आ. ने लगभग 3 माह से 6 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों, जिनके माता–पिता (स्टाफ / छात्र) दिनभर घर से बाहर रहते है, के लिये कॉलेजों में भुगतान के आधार पर दिवस देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक स्कीम तैयार की है। इसमें, पुरूष कर्मचारियों, स्कालर्स / छात्रों को भी शामिल किया गया है जिनकी पत्नियाँ कहीं बाहर कार्य करती है ताकि महिलाएं और कामकाजी माता–पिता अपने कार्य घंटों के दौरान, अपने बच्चों के बारे में निशिचित्र रह सकें तथा अपने कैरियर को आगे बढ सकें। इस स्कीम का उद्‌देश्य पुरूषों / महिलाओं, कॉलेज कर्मचारियों / स्कॉलर्स / छात्रों को एक सुरक्षित स्थान तथा वातावरण उपलब्ध कराना है।

योजना आरंभ करने के लिए वि.अ.आ. द्वारा महाविद्यालय को 2.00 लाख रु0 का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा जो वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुदान को अनिवार्य सुविधाएं प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। दिवसीय देखभाल केन्द्र किसी व्यक्ति विशेष या संगठन द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए नहीं चलाया जाता है ।

वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों / ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	4	152	–	3.01	–	0.07	–	2.84
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	03	94	0.04	2.18	0.04	–	2.18	–
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	07	363	–	3.18	–	0.06	–	3.11
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	29	168	–	3.23	0.53	–	1.12	–
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	–	56	–	1.04	–	–	–	1.02
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	5	196	–	3.33	0.09	–	3.30	–
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	5	157	–	3.14	–	0.07	–	2.06
	कुल	**53**	**1186**	**0.04**	**19.11**	**0.66**	**0.20**	**6.60**	**6.97**

(झ) अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण

अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध छात्र, जो कि उच्च स्तर का अध्ययन कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाला उपचारात्मक अनुशिक्षण प्राप्त कर सकें तथा उनकी असफलता तथा पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर में कमी लाई जा सके। इसके लिए वि.अ.आ.,11वीं योजना के दौरान, नियमित समय सारिणी के अलावा विशेष कक्षाएँ चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा। अ.पि.व. से संबद्ध छात्र तथा सामान्य छात्र भी इन अनुशिक्षण कक्षाओं के लाभ उठा सकेंगे। एक सामान्य छात्र से नाममात्र का शुल्क (मासिक शिक्षण शुल्क से अधिक नहीं) वसूल किया जायेगा। वैसे, शारीरिक रूप से नि:शक्त छात्र तथा सामान्य गरीबी रेखा से नीचे आय प्राप्त करने वाले परिवारों से संबंध छात्रों (राज्य / संघ शासित राज्य / केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार) को शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की जाएगी। उपचारात्मक अनुशिक्षण कक्षाएँ, स्नातक पूर्व / स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित को मद्‌देनजर रखते हुए चलाई जाएँगी ताकि :

(i) विभिन्न विषयों में छात्रों के अकादमिक कौशल एवं भाषा विज्ञान दक्षता में सुधार किया जा सके ।

(ii) बुनियादी विषयों के ज्ञान स्तर को ऊँचा उठाना, ताकि अगले अकादमिक कार्य के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराया जा सके।

(iii) उन विषयों में, जिनमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक तकनीक तथा प्रयोगशाला कार्य शामिल होता है, छात्रों के ज्ञान, कौशल अभिवृत्तियों को सुदृढ़ करना ताकि इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कराए गए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के आधार पर छात्र, उच्च अध्ययन को दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए अपेक्षितस्तर पर पहुँच सके।

वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011–12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007–12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	81	776	–	81.33	2.34	0.72	8.15	5.12
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	111	375	1.77	25.44	1.50	0.27	11.00	14.44
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	97	363	–	35.00	3.44	2.40	15.45	10.95
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	143	490	–	49.67	6,00	–	20.95	–
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	132	685	–	46.30	3,02	2.45	18.95	14.80
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	67	875	–	82.30	1,83	–	44.57	–
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	13	445	–	48.95	–	0.45	–	23.00
	कुल	**644**	**4009**	**1.77**	**368.99**	**18.13**	**6.29**	**119.07**	**68.31**

(ञ) अ.जा./अ.ज.जा./अ..पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए नेट/सेट के लिए अनुशिक्षण योजना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग (असंपन्न वर्ग) के उम्मीदवारों के अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवार, अध्यापन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, वि.अ.आ. 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, लैक्चरर्स के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) की तैयारी के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अनुशिक्षण जारी रखेगा। अ.पि. वर्ग से संबंध रखने वाले तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा शारीरिक रूप से निःशक्त छात्र भी इस अनुशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। स्कीम का मुख्य उद्देश्य, अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को नेट या सेट परीक्षा में बैठने के लिए तैयार करना है, ताकि उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या, इन वर्गों में से, वि.वि. प्रणाली में लैक्चरर्स के चयन हेतु उपलब्ध हो सके।

वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत हैं :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011–12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007–12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	9	59	–	4.37	0.26	0.05	0.60	0.35
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	16	52	0.29	3.92	0.17	0.12	1.71	2.21
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	01	25	–	1.37	0.03	–	0.87	0.06
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	73	169	–	14.08	2.57	–	6.45	–
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	01	114	–	9.39	0.01	–	1.61	3.85
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	10	193	–	14.25	0.26	–	7.46	–
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	8	199	–	16.71	–	0.15	–	6.26
	कुल	**118**	**811**	**0.29**	**64.09**	**3.30**	**0.32**	**18.70**	**12.73**

(ट) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएँ

इस अनुशिक्षण योजना का मूल उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में समान पदों के 'क, ख या ग' समूह में लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत, अनुशिक्षण. भारतीय प्राशसनिक सेवा, राज्य लोक सेवा, बैंक भर्ती सेवा आदि जैसी सेवाओं में चयन हेतु विशेष रूप से आयोजित परीक्षा उन्मुखी होना चाहिए। अनुशिक्षण, एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा की विशिष्ट माँग परसं केन्द्रित होना चाहिए। कॉलेज, अपने कार्य प्रचालन क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक रोजगार सूचना प्रकोष्ठ का विकास कर सकता है।

वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03. 2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	59	533	--	55.02	1.83	0.32	5.35	3.63
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	56	230	0.85	14.88	0.72	0.14	9.72	5.15
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	74	363	--	25.52	3.04	1.24	18.22	1.73
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	133	326	--	33.63	4.15	--	12.60	--
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	145	271	--	24.81	3.41	5.44	5.21	7.92
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	47	620	--	57.99	1.37	--	31.39	--
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	11	274	--	30.11	0.38	--	12.51	--
	कुल	**525**	**2617**	**0.85**	**241.96**	**14.90**	**7.14**	**95.00**	**18.43**

(ठ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं

(1) निःशक्त व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (एच.ई.पी.एस.एन.)

एच.ई.पी.एस.एन का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में एक परिवेश तैयार करना है ताकि निःशक्त व्यक्तियों के उच्वतर शिक्षा के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। निशक्त व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और निर्माण का उद्देश्य पहुंच में सुधार करना, ज्ञान अर्जन आदि को रूचिप्रद बनाने के लिए उपस्करों की खरीद आदि इस योजना के तहत सहायता की मुख्य श्रेणियां है ।

वि.अ.आ. योजना अवधि के दौरान प्रति महाविद्यालय 5 लाख रूपये तक एकमुश्त अनुदान देगा ।

निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03. 2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	6	156	--	2.36	0.06	--	0.58	--
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	18	61	0.32	1.01	0.13	0.19	0.45	0.57

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	12	179	--	7.52	0.43	--	1.34	--
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	35	229	--	14.86	0.73	0.17	2.29	0.32
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	09	94	--	--	0.02	--	3.21	--
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	17	136	--	11.32	0.06	0.32	2.34	0.47
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	182	182	--	10.42	0.36	--	2.06	--
	कुल	**118**	**1037**	**0.32**	**47.49**	**1.79**	**0.68**	**12.27**	**1.36**

(2) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता

इस योजना को, दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है जिसमें उनके शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य करने में सहायता हेतु एक रीडर जिसे शिक्षण एवं प्रशिक्षण में सहायक उपस्करों के लिए भत्ता तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्डिड सामग्री आदि उपलब्ध कराई जा सके। इस स्कीम का उद्देश्य, दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को सुविधाएं, उपलब्ध कराना है ताकि वे अध्यापन, शिक्षण एवं अनुसंधान हेतु विभिन्न सहायता उपस्करों का इस्तेमाल करके स्वावलंबी बन सकें।

दृष्टि–बाधित स्थायी शिक्षकों को 18,000/– रु0 प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जाएगा ।

वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	12	48	--	0.26	0.03	--	0.16	--
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	06	10	0.02	0.07	0.02	--	0.07	--
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	--	--	--	--	--	--	--	--
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	--	--	--	--	--	--	--	--
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	--	--	--	--	--	--	--	--
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	--	--	--	--	--	--	--	--
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	1	27	--	0.38	0.01	--	0.31	--
	कुल	**19**	**85**	**0.02**	**0.71**	**0.06**	**--**	**0.54**	**--**

(त) कॉलेजों में कैरियर तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ

कॉलेजों में कैरियर तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना को, कॉलेज आने वाले छात्रों की समाज के अलग–अलग वर्गों से विविध सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि के समक्ष उचित संस्थागत सहायता सूचना की उपलब्धता के माध्यम से समान रूप से पहुँच तथा रोजगार के अवसरों की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है। छात्रों के बीच भाषायी तथा सांस्कृतिक अंतर भी, रोजगार

प्रकोष्ठ की स्थापना का एक कारण है। संगत एवं सुलभ सूचना तथा इसे उपयोग करने का पेशेवर मार्गदर्शन कक्षाओं से इतर, बेहतर कैरियर संबंधी उपलब्धि में परिणत हो सकता है तथा छात्र के स्वस्थ विकास में मददगार साबित हो सकता है। प्रत्येक कॉलेजमें पाठ्यचर्या संबंधी सूचना महत्वपूर्ण होती है। पाठ्यचर्या के संबंध में संगत सूचना तथा संयोजनों की पेशकश तथा चयन की स्वतंत्रता सामान्यत उपलब्ध होती है तथा सहायता सेवा के रूप में, अनौपचारिक रूप से परामर्श दिया जाता है। परम्परागत सूचना तंत्र में, विवरणिका की एक प्रति शामिल होती है जिसमें पाठ्यचर्या तथा संयोजनों, प्रवेश नियमों, फीस ढाँचे, परीक्षा अनुसूची आदि को नियमित पुनरावृति वर्ष दर वर्ष की जाती है। परन्तु, अब परिदृश्य में बदलाव के साथ–साथ, न केवल अकादमिक अंतर्वस्तु तथा इसके नियम, बाजार की आवश्यकताओं के प्रति उन्मुखी हो गये है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विषमताओं तथा कैरियर के अवसर की समस्याओंको भी दूर करना है। परम्परागत सूचना तंत्र को अब सक्रिय मार्गदर्शन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना होगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि अब प्रिंट मीडिया का, तेजी से स्थान लेती जा रही है, तथा सभी संबंधितपक्षों के लाभ के लिए तत्परता से सूचना का ब्यौरा प्राप्त कर सकती है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है:–

1. अनावर्ती: 2.00 लाख रु0
2. आवर्ती: 1.00 लाख रु0

वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों / ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	51	771	–	36.21	0.57	0.28	1.50	2.04
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	76	220	0.66	9.53	0.50	0.16	5.29	4.23
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	144	367	–	17.18	1.42	2.62	–	10.17
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	92	363	–	14.70	2.13	0.67	10.18	1.47
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	114	477	–	22.43	2.84	–	7.51	–
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	69	1003	–	45.57	0.36	–	15.51	–
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	10	492	–	24.60	–	0.15	–	10.42
	कुल	**556**	**3693**	**0.66**	**170.22**	**7.82**	**3.88**	**39.99**	**28.33**

(थ) कॉलेजों में समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.) की स्थापना

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं बाध्यताओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वंचित वर्गों के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने तथा अकादमिक वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए अवसर प्रकोष्ठ बनाने की योजना बनाई है। समान अवसर प्रकोष्ठ के कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रुपये का एक बारगी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2011–12 में क्षेत्रीय कार्यालयों / ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के दौरान महाविद्यालयों जिनको सहायता दी गई	2007-12 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना)	अनुमोदित कुल अनुदान (₹ करोड़ में)		01.04.2011 से 31.03.2012 तक प्रदत्त कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		01.4.2007 से 31.3.2012 तक प्रदत्त कुल राशि (11वीं प्रचवर्षीय योजना।) (₹ करोड़ में)	
				2011-2012	ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
1	वि.अ.आ.पू.क्षे.का. कोलकाता	83	417	--	7.11	0.13	--	1.59	--
2	वि.अ.आ.द.प.क्षे.का. बंगलूरू	71	253	0.36	1.87	0.36	--	1.87	--
3	वि.अ.आ.उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	46	363	--	3.13	0.71	--	1.63	--
4	वि.अ.आ.द.पू.क्षे.का. हैदराबाद	47	291	--	4.22	0.36	--	1.48	--
5	वि.अ.आ.म.क्षे.का. भोपाल	01	167	--	4.52	--	0.05	--	1.23
6	वि.अ.आ.प.क्षे.का. पुणे	37	488	--	9.96	0.08	--	5.74	--
7	वि.अ.आ.उ.क्षे.का. ब्यूरो, दिल्ली	5	273	--	4.64	--	0.03	--	1.67
	कुल	**290**	**2252**	**0.36**	**35.45**	**1.64**	**0.08**	**12.31**	**2.90**

4.5 दिल्ली के कॉलेजों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक कॉलेजों को अनुदान

आयोग, गैर–योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 53 महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों और योजना के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 महाविद्यालयों (53 महाविद्यालय और दिल्ली प्रशासन के 11 महाविद्यालयों) को वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा है (**परिशिष्ट– चौदह**)

गैर–योजनागत अनुदान

53 कालेजों में से वि.अ.आ., 37 कालेजों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान देता है और शेष 16 कॉलेजों को शतप्रतिशत प्रबंधन अनुरक्षण अनुदान देता है (10 सायंकालीन कॉलेज 6 विश्वविद्यालय अनुरक्षित कॉलेज)। इन 37 कॉलेजों में से 16 कॉलेज प्रबंधन के 5 प्रतिशत हिस्से के अनुरक्षण अनुदान को, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त करते है और 21 कॉलेज संबंधित न्यास/सोसाईटियों से प्राप्त करते हैं।

किसी कालेज को "विस्तारित कॉलेज" नामोदि्दष्ट तब किया जाता है जब उसको नामांकन 1500 से अधिक हो जाता है और तत्पश्चात उसे शत प्रतिशत आधार पर भुगतान किया जाता है। तथापि, 1000 तक नामांकन होने पर 95 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो कि इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किस श्रेणी का कॉलेज है। 1000 नामाकनों से अधिक होने पर शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जायेगा। जिसमें न्यास/दिल्ली प्रशासन से संबद्ध किसी कॉलेज की श्रेणी पर कोई विचार नही किया जाऐगा।

यह 53 दिल्ली कॉलेज, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन और गैर–वेतन व्यय को पूरा करते हैं। प्रत्येक कॉलेज का बजट निर्धारित करने के लिए कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकें की जाती हैं।

आयोग, गैर–योजनागत अनुदान के अंतर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्मिलित 4 महाविद्यालयों को निम्नानुसार अनुरक्षण अनुदान भी मुहैया करवाता है :–

- वि.अ.आ. द्वारा 95 प्रतिशत वित्तपोषण
- कॉलेज के प्रबंधन द्वारा 5 प्रतिशत अनुदान

वर्ष 2011–2012 के दौरान दिल्ली और बीएचयू महाविद्यालयों को उपलब्ध करवाये गये अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

ब्यौरा	आबंटन	जारी अनुदान (₹ करोड़ में)
दिल्ली महाविद्यालय	999.76 (वेतन)	956.86
	25.22 (गैर–वेतन)	25.22
बीएचयू महाविद्यालय	25.85 (वेतन)	20.29
	0.65 (गैर–वेतन)	0.65

योजनागत अनुदान

आयोग सामान्य विकास, आमेलित योजनाओं, महिला छात्रावासों तथा खेलकूद अवसंरचना के लिए 64 दिल्ली महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता भी मुहैया करवा रहा है ।

आयोग ने वर्ष 2011–2012 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को अनुदान जारी किया गया था:–

विषय	आबंटन (₹ करोड़ में)		जारी अनुदान (₹ करोड़ में)	
	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता	2.17	28.001	1.07	2.03
आमेलित योजना	2.42	1.00	0.57	–
विशेष योजना के तहत महिला छात्रावास	–	1.84	–	–
खेल अवसंरचना	0.25	2.75	–	–

4.6 निम्न जी.ई.आर. के साथ शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में नए आदर्श डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ईबीडी में डिग्री पाठ्यक्रमों तक पहुंच को बढ़ाना है ताकि समावेशी रूप में समानता और गुणवत्ता के साथ उच्चतर शिक्षा में विस्तार की प्राप्त की जा सके और 12.4 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम औसत के निम्न सकल नामांकन वाले शैक्षणिक रूप से पिछड़े 374 जिलों (ईबीडी) में नये आदर्श डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा सके । यह योजना मूल उद्देश्य राज्य सरकारों को उनके शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों को उपयुक्त वित्तीय सहायता मुहैया करवा कर उनके उत्थान हेतु प्रोत्साहन देना है ।

पात्रता:

- महाविद्यालय को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि अथवा 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात् नये डिग्री महाविद्यालयों के संबंध में योजना आयोग के नयी पहल के तहत स्थापित किया जाना होगा ।
- महाविद्यालय अधिमानतः किसी विश्वविद्यालय की एक घटक इकाई होना चाहिए जो कि वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत कवर हो अथवा स्थायी और अस्थायी रूप से ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए जो वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत कवर हो।
- उन महाविद्यालय को राज्य सरकार और/अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित निकायों से सतत् आधार पर योजनागत अथवा/और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त होना चाहिए।

चयनः

- संबंधित राज्य सरकार प्राथमिकताओं पर उचित रूप से ध्यान देते हुए यह निर्णय लेगी कि आदर्श महाविद्यालय कहां स्थापित करना है ।
- राज्य सरकार संबद्ध राज्य विश्वविद्यालय की पहचान करेगी जो आदर्श महाविद्यालय के ईबीडी के क्षेत्राधिकार में होगी ।
- संबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे उस प्रत्येक मद के लिए औचित्य दर्शाते हुए जिसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई हो, के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्रपत्र में प्रस्ताव के साथ इसके द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा वचनपत्र सहित वि.अ.आ. को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

वित्तीय सहायताः

केन्द्र सरकार / वि.अ.आ. से सहायता 8 करोड़ रु0 की पूंजीगत लागत के 1/3 भाग तक 2.67 करोड़ रु0 प्रति महाविद्यालय की अधिकतम सीमा तक सीमित है और आवर्ती व्यय के साथ शेष राशि की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी । विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में सहायता अनुपात 50 प्रतिशत (वि.अ.आ.) : 50 प्रतिशत (राज्य सरकार) होगा । अब पूंजीगत लागत को केन्द्र की हिस्सेदारी 2.67 करोड़ रुपये है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालयों के माध्यम से महाविद्यालयों से 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । जिसमें से 48 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया। 23 महाविद्यालयों को आयोग द्वारा अनुदान जारी किया जा चुका है और 25 महाविद्यालयों को अनुदान का भुगतान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा । अनर्हता के आधार पर दो प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया है और 14 प्रस्तावों को राज्य सरकारों के पास स्पष्टीकरण / कतिपय दस्तावेजों हेतु वापस भेजा गया है

वर्ष 2011–12 के दौरान 23 अनुमोदित महाविद्यालयों को 28.00 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया है ।

4.7 महाविद्यालयों में यंत्र अनुरक्षण सुविधाएं

आयोग, आईएमएफ योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर विज्ञान पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले स्वायत्त और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को सभी स्तरों पर विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाता रहा है। यह सहायता अनिवार्य औजार / उपस्करों के क्रय, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के रखरखाव और अनुरक्षण और साथ ही संस्थान में ऐसे उपकरण के पूल के आधार पर निर्धारित आंकलित कार्यभार के अनुसार योग्य कर्मचारिवृंद के लिए है ।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है:

- महाविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को अनिवार्य सहायता अवसंरचना के रूप में यंत्र रखरखाव सुविधा (आईएमएफ) की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित करना है जिससे उनके वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का प्रभावपूर्ण तथा कुशल रखरखाव किया जा सके।
- वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का रख–रखाव करने के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति और औजार / उपस्कर खरीदने हेतु आवश्यक संसाधनों को विकास आगतों के रूप में मुहैया कराना।
- वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का रख–रखाव हेतु आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण तथा दस्तावेजीकरण के माध्यम से कार्यकुशलता को अधिकतम बनाना।
- इस प्रकार से देश में स्थापित की गई इकाइयों को एक दूसरे के साथ सूचना प्रौद्यौगिकी का उपयोग कर जोडना ताकि वे एक दूसरे के अनुभव और विचारों को सांझा कर अपने निष्पादन में सुधार कर सकें।
- योजना की प्रभावकारिता और उपयोगकर्त्ता जैसें छात्रों, शिक्षकों आदि के प्रति इसके उत्तरदायित्व की निगरानी करने के लिये योजना की निगरानी करना।

वे महाविद्यालय जो वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत स्नातकोत्तर विज्ञान विषय में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वे अपने संस्थान में आई0 एम0 ण्फ0 केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ।

जिन महाविद्यालयों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता प्राप्त की थी वे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

वित्तीय सहायता 4.00 लाख रूपये (एक मुश्त) अनावर्ती अनुदान के रूप में तथा 5.70 लाख रूपये आवर्ती अनुदान के रूप में प्रदत्त की जाती है जोकि नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारिवृंद (तकनीकी अधिकारी और तकनीशियन) हेतु अनुमेय अनुदान है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी अनुदान तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

वर्ष	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)	लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या
2010-2011	1.65	23
2011-2012	1.14	56

5

गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यू.पी.ई.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौंवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई) हेतु योजना आरंभ की थी जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी है ।

शिक्षण एवं शोध गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए और समग्र विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय" (यू.पी.ई.) का दर्जा प्राप्त करने के लिए चिन्हित विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः

- भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और सुशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करना;
- शिक्षण, ज्ञान, अनुसंधान और अग्रप्रसारति कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अकादमिक और वास्तविक अवसंरचना को सुदृढ़ करना ;
- सुशासन की लचीले और प्रभावी शैली को प्रोत्साहित करना;
- स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर लचीले ऋण आधारित माड्यूलर प्रणाली और नवीनता के विभिन्न प्रकार जो विश्व भर में स्वीकार्य हैं के साथ सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करना;
- राष्ट्र की सामान्य और क्षेत्र विशेष की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के संगत शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम के अंतरापृष्ठ के द्वारा महाविद्यालयों में स्नातक पूर्व शिक्षा में सुधार करना;
- अर्द्धवार्षिक प्रणाली निरंतर आंतरिक मूल्यांकन, क्रेडिट प्रणाली आदि जैसे परीक्षा सुधार कार्यक्रमों को आरंभ करना;
- स्वायत्तता और विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित करना;
- देश में अन्य केन्द्रों, विभागों और प्रयोगशालाओं को नेटवर्किंग से जोड़ने को प्रोत्साहन देना;
- ऐसे कार्यकलाप करना जो उपर्युक्त उल्लिखित मामलों में उत्कृष्टता लाने में सहायक हो।

पात्रता मानदंड

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय पात्र हैं।
- वर्ष 2007 में आरंभ की गई नई ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन केन्द्र (एनएसीसी) द्वारा 5 स्टार ग्रेडिंग प्रणाली में एनएसीसी फाईव स्टार प्रत्यायन अथवा 9 प्वाईंट ग्रेडिंग प्रणाली में 'ए' ग्रेड और इससे अधिक अथवा 'ए' ग्रेड ।
- विश्वविद्यालय में सुव्यवस्थित और नियमित रूप से कार्य कर रहे आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली हैं।
- एनएएसी द्वारा गत प्रत्यायन से गुणवत्ता पुष्टि और वृद्धि की वार्षिक रिपोर्ट।
- किसी भी विषय में एसएपी (डी.एस.ए.) के दो विभाग अथवा कम से कम सीएएस ।

अवधिः

आरंभ में पांच वर्षों की अवधि के लिए होगा जो कि दस वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष के अंत में समीक्षा और पांच वर्ष के अंत में योगात्मक मूल्यांकन हो ।

वित्तीय सहायता

योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना से पूर्व प्रत्येक विश्वविद्यालय को योजना अवधि के लिए 30.00 करोड़ रु0 प्रदान किए गए है । इस राशि में से, 30 प्रतिशत की राशि (रु0 9.00 करोड़) केन्द्रीकृत क्षेत्र पर व्यय किया जाना है तथा 70 प्रतिशत (रु0 21.00 करोड़) की राशि विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास पर पर व्यय किया जाना है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान सहायता की उपरोक्त उच्चतमांक राशि को बढ़ाकर रु0 50.00 करोड़ कर दिया गया था। इसमें से रु0 15.00 करोड़ (30 प्रतिशत) की राशि केन्द्रीकृत क्षेत्र पर व्यय की जाएगी तथा रु0 35.00 करोड़ (70 प्रतिशत) की राशि सर्वांगीण विकास पर व्यय की जाएगी।

चयन प्रक्रियाः

ग्याहरवीं योजना में पाँच विश्वविद्यालय, नामतः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, एवं पुणे विश्वविद्यालय की पहचान श्रेष्ठता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों का चयन एवं अनुमोदन यू.पी.ई. संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

दसवीं योजना के दौरानः पांच विश्वविद्यालयों के लक्ष्य की तुलना में केवल चार विश्वविद्यालय नामतः मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय और एन.ई.एच.यू. का चयन किया गया था । अनुमोदन यूपीई संबंधी स्थायी समिति के समक्ष कार्य समूह द्वारा दिए गए अंक और विश्वविद्यालय से संबंधित कुलपति द्वारा प्रस्तुत ढांचे के आधार पर दिया गया ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, **छह** और विश्वविद्यालयों नामतः बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालयों का चयन और अनुमोदन यूपीई संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर चयन किया गया था।

वर्ष 2001 के दौरान आरंभ में जिन पांच विश्वविद्यालय की पहचान की गई थी उनमें से चार विश्वविद्यालय यथा मद्रास विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, भुज विश्वविद्यालय तथा जाधवपुर विश्वविद्यालय को अगले पांच वर्ष (2011–16) के लिए चरण–दो के तहत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 25.00 करोड़ रू0 के नये आवंटन के साथ अनुमोदित किया गया था । जवाहरलाल नेहरू ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त नहीं किया है जो कि यूपीई चरण–दो के विस्तार हेतु एक अर्हता मानदंड है ।

निगरानी पहलूः

योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक निगरानी समिति गत वर्षों के दौरान की गई प्रगति निगरानी के लिए प्रत्येक यूपीई विश्वविद्यालय का दौरा करती है । पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर एक विशेषज्ञ समिति की गई प्रगति का मूल्यांकन करेगी और इसके पश्चात् निगरानी समिति द्वारा पुनः दौरा किया जाएगा । पीयर समूह द्वारा बाह्य मूल्यांकन के अतिरिक्त संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रयोजन हेतु गठित संचालन समिति की सहायता से परिकल्पित निरंतर मूल्यांकन किया जाता है । इस प्रकार यूपीई विश्वविद्यालय का आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है ।

नौ यूपीई विश्वविद्यालयों के केन्द्रित क्षेत्र और अभी तक उन्हें प्रदत्त निधि के संबंध में ब्यौरा निम्नवत हैः

क्र. सं.	योजना जिसमे पहचान की गई और अनुमोदन किया गया	विश्वविद्यालय का नाम	बल दिया जाने वाला क्षेत्र	चरण-1 और 2 में अनुमोदित राशि (₹ करोड़ में)	चरण-1 और 2 में भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)
1	ग्याहरवीं योजना	मद्रास विश्वविद्यालय	शाकीय विज्ञान (हर्बल विज्ञान)	55.00	30.00
2	ग्याहरवीं योजना	जादवपुर विश्वविद्यालय	मोबाइल अभिकलन संचार एवं नैनो विज्ञान	55.00	40.00
3	ग्याहरवीं योजना	पुणे विश्वविद्यालय	जैव रसायन शास्त्र एवं जैव प्रौद्योगिकी	55.00	30.00
4	ग्याहरवीं योजना	हैदराबाद विश्वविद्यालय	इंटरफेस अध्ययन तथा अनुसंधान	55.00	30.00
5	ग्याहरवीं योजना	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	अनुवांशिकी, जैनोमिक्स जैव प्रौद्योगिकी	30.00	30.00
6	दसवीं योजना	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जीव विज्ञान में नैनोलाजी	30.00	25.00
7	दसवीं योजना	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय	जैव विज्ञान एवं क्षेत्रीय अध्ययन	30.00	25.00
8	दसवीं योजना	कोलकाता विश्वविद्यालय	आधुनिक जीव विज्ञान	30.00	25.00
9	दसवीं योजना	मुम्बई विश्वविद्यालय	हरित प्रौद्योगिकी	30.00	10.00
10	ग्याहरवीं योजना	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	द्रव्य अनुसंधान सामाजिक प्रासंगिकता	33.05	-
11	ग्याहरवीं योजना	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक कियाशील द्रव्यमान (उर्जा द्रव्यमान, मल्टीफेरानिक्स, अतयाधुनिक पालीमर) 2) जीनोमिकी और प्रोटियामिक्स	50.00	-
12	ग्याहरवीं योजना	राजस्थान विश्वविद्यालय	पदार्थ और अभिसरणात्मक विज्ञान नैनो–पदार्थ, नैनो–कंपोजिट तथा बहुपरत	50.00	25.00
13	ग्याहरवीं योजना	मैसूर विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक कियाशील, पदार्थे का संसाधित करना, लक्षण वर्णन तथा उनका अनुप्रयोग 2)मीडिया और सामाजिक विकास – कर्नाटक का अध्ययन मामला	50.00	30.00
14	ग्याहरवीं योजना	कर्नाटक विश्वविद्यालय	आतंकवादरोधी गतिविधियां – एक समेकित एप्रोच	50.00	-
15	ग्याहरवीं योजना	गुरूनानक देव विश्वविद्यालय	पदार्थ विज्ञान	50.00	-

वर्ष 2011–12 के दौरान यूपीई योजना विश्वविद्यालयों को 50.44 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की गई थी ।

5.2 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कॉलेज (सीपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी.पी.ई योजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया था और यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी है। इस योजना के अन्तर्गत कॉलेजों को उनकी अकादमिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, प्रशिक्षण में नवोन्मेषी तत्वों को अपनाने के लिए तथा डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी उत्कृष्टता की संभाव्यता वाला कॉलेज अपने समस्त कार्यक्षेत्र में विद्यमान अन्य सभी कॉलेजों के लिए एक आदर्श भूमिका को अदा करता है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि चयनित कॉलेजों को मुख्य रूप से शिक्षण की गतिविधि में उत्कृष्टता प्राप्त करने में तथा एक शोध संस्कृति को प्राप्त करने में, सहायता मिल सके।

10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है :–

10 वीं पंचवर्षीय योजना

गैर–स्वायत्त / एनएएसी / एमबीए द्वारा अप्रत्यायित नहीं है:	₹ 35.00 लाख तक
स्वायत्त तथा जो प्रत्यायित नहीं है अथवा प्रतिलोमत :	₹ 60.00 लाख तक
स्वायत्त एवं प्रत्यायित कॉलेज :	₹100.00 लाख तक

11 वीं पंचवर्षीय योजना

जो कॉलेज प्रत्यायित है, परन्तु स्वायत्त नहीं है	–	₹100.00 लाख तक
प्रत्यायित एवं स्वायत्त कॉलेज के लिए	–	₹150.00 लाख तक

पात्रता/पूर्व अर्हता

1. महाविद्यालय 10 वर्ष या अधिक होना चाहिए ।
2. महाविद्यालय एक सक्षम सरकारी / घटक होना चाहिए ।
3. महाविद्यालय, एनएएसी द्वारा प्रत्यायित / न्यूनतम तीन स्टार / अथवा 'बी' ग्रेड अथवा 2.01 ग्रेड प्वाईंट औसत अथवा 2.01, वैधता अवधि पूर्ण हो जाये तो महाविद्यालय को पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन करना चाहिए ।

सी.पी.ई योजना के अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों के दौरान सीपीसी दर्जे हेतु चयनित महाविद्यालयों की संख्या और ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

चरण	चयन का वर्ष	योजना अवधि	सीपीसी दर्जा प्रदान किए गए महाविद्यालयों की संख्या
I	2004-05	दसवीं	47
II	2006-07	दसवीं	50
III	2009-10	ग्यारहवीं	149
IV	2011-12	ग्यारहवीं	53
कुल			299

15 महाविद्यालयों को सीपीई सूची से हटा दिया गया चूंकि वे पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते है ।

आज की तिथि के अनुसार **284** महाविद्यालयों को सीपीई का दर्जा प्राप्त है ।

वर्ष **2011–12** के दौरान, योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों को **38.97 करोड़ रु0** की राशि प्रदान की गई थी ।

5.3 विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सी.पी.ई.पी.ए.)

योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित विश्वविद्यालय पर चयनित विभागों में मिलकर कार्य और संयुक्त रूप से निम्नलिखित कार्य करने को प्रोत्साहित और सुकर बनाना है:

- अंतर–और/अथवा बहु–विषयक क्षेत्रों में नए और नवोन्मेषी शैक्षिक, अनुसंधान और/अथवा विस्तार कार्यक्रमों/कार्यकलापों को आरंभ करना;
- क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हित और महत्व के मुख्य कार्यक्रमों/कार्यकलापों को आरंभ करने के प्रयास करना;
- सम्मिलित शैक्षिक निष्पादन, अनुसंधान क्षमताओं और संपूर्ण उपलब्धियों से लाभ;
- कम समय में अपने–अपने चुनी गई विधाओं/क्षेत्रों में अग्रणी स्थान पर पहुंचना;
- समाज में विश्वास, सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने में अधिक सफल बनना;

योजना के अन्य उद्देश्य निम्नवत् है:

- चुने गए क्षेत्रों मं उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाओं और अवसंरचना को सुदृढ़ करना;
- चुने गए क्षेत्रों में स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर शिक्षण–ज्ञान–मूल्यांकन प्रक्रिया, शोधकार्य और विस्तार कार्यकलापों की गुणवत्ता और मानक को बढ़ाना;
- सामान्य और किसी क्षेत्र विशेष में सामाजिक, आर्थिक और देश की अन्य आवश्यकताओं के संगत शैक्षिक कार्यक्रमों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना;
- उच्च शिक्षा/राष्ट्रीय/प्रयोगशालाओं/केन्द्रों आदि के अन्य संस्थान के साथ नेटवर्किंग और सहयोग करना;
- नए और नवोन्मेषी शैक्षिक/अनुसंधान कार्य के द्वारा मौजूदा भारत के ज्ञान भंडार के अंतर को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित करना;
- विश्वविद्यालय हेतु चिन्हित विशिष्ट क्षेत्र में देश में उपलब्ध ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करना ।

पात्रता मानदंड

सीपीईपीए योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी विश्वविद्यालय को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:–

अनिवार्यः

- चुने गए क्षेत्रों/विधाओं में अपने विभागों में उच्च स्तर के स्नातकोत्तर एम.फिल/और पीएचडी डिग्री आयोजित करने का अनुभव होना;
- **तीन अथवा अधिक विभागों** से सम्बद्ध होने के लिए कार्य योजना तैयार करना, अंतर–और/अथवा बहु विषयक क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए उनके बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित करना और समन्वयकों को चिन्हित करना;
- **एसएपी योजना के अंतर्गत डीएसए/सीएएस** हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयन वाले **प्रतिभागी विभागों में कम से कम एक नवीकृत चयन** करना;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त **एजेन्सियों** (जैसे एनएएसी, एनबीए) **द्वारा** विभागों को कवर करते हुए **प्रत्यायन** प्राप्त करना और इसकी वैध अवधि में बने रहना;
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विद्वान निकायों/अकादमियों और/अथवा अन्य प्रख्यातों के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक विभाग से कम से कम एक संकाय का होना

वांछनीयः

- विद्यार्थियों के परियोजना कार्य मास्टर/डॉक्टर डिग्री देना और प्रकाशन अभिलेख के माध्यम से अंतर–और बहु–विधा पाठ्यक्रम कार्य में सामर्थ्य प्रदर्शन।
- साक्ष्य के रूप में अपने प्रकाशनों/पेटेंटों से चुने गए क्षेत्रों/विधाओं में अपने विभागों में गुणवत्ता शोध का अनुभव;

चयन प्रक्रियाः

भारत में चयनित विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्यसे आयोग ने ''उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय'' (यू.पी.ई.) नामक योजना आरंभ की है । ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान पांच विश्वविद्यालयों नामतः मद्रास, जवाहर लाल नेहरू, हैदराबाद, जाधवपुर और पुणे विश्वविद्यालयों का चयन किया गया था।

आयोग ने आगे यह निर्णय लिया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और विश्वविद्यालय को यूपीई दर्जा प्रदान किया है ।

तदनुसार, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के चरण–2 के चयन के दौरान यू.पी.ई. योजना के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा 12 और विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया गया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय आयोग ने **25 जुलाई, 2002** को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि उन्हें विशिष्ट क्षेत्र में ''**उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र**'' कह सकते हैं । योजना के अंतर्गत केवल 12 विश्वविद्यालयों को अनुमोदित किया गया था । **उस समय योजना हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं थे** । एकमुश्त अनुदान के रूप में विज्ञान/प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रु0 और सामाजिक विज्ञान/मानविकी क्षेत्रों के लिए 3.00 करोड़ रु0 थी । ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रत्येक केन्द्रों के लिए गठित विशेषज्ञ समितियों की सहायता से इन केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा की गई थी ।

सपीईपीए केन्द्रों का मुख्य क्षेत्र का ब्यौरा तथा अभी तक अदा की गई राशि के संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जिस विशेषज्ञता वाले क्षेत्र को विकसित किया जाना है	10वीं योजना के दौरान किया गया आवंटन (₹ करोड़ में)	11वीं योजना के दौरान जारी किया गया आवंटन (₹ करोड़ में)
1	पंजाब विश्वविद्यालय	जैव चिकित्सकीय विज्ञान	5.00	5.00
2	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय	खेलकूद विज्ञान	5.00	5.00
3	कोच्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	लेसर एवं ऑप्टो–इलैक्टॉनिक साइंस एवं टैक्नोलॉजी	5.00	5.00
4	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जैनोमिक विज्ञान	5.00	5.00
5	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय संबंधित अध्ययन	5.00	5.00
6	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	एप्लाइड पॉलीमर्स	5.00	5.00
7	@ कर्नाटक विश्वविद्यालय	पॉलीमर कैमिस्ट्री	5.00	5.00
8	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विज्ञान	5.00	5.00
9	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल कॉगनेटिव साइंस	5.00	5.00
10	अरूणाचल विश्वविद्यालय (वर्तमान में राजीव गाँधी विश्वविद्यालय)	जैव विविधता	3.00	3.00
11	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति	पारम्परिक शास्त्र	3.00	3.00
12	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई–मैनेजमैंट स्टडीज़	3.00	3.00

@ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषज्ञ समिति की सहायता से केन्द्र की समीक्षा की गई थी और समाप्ति का अनुमोदन किया गया था ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आवंटित, जारी और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	जारी की गई राशि (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	किया गया व्यय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	अभियुक्तियां
1	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय	3.43	शून्य	3.33	समीक्षा समिति ने 15 दिसम्बर, 2008 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि **केन्द्र ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रह सकता है।** व्यय नहीं की गई शेष राशि को ग्यारहवीं योजना आवंटन के रूप में आवंटित किया गया।
2	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन	2.35	शून्य	2.35	समीक्षा समिति ने 16 और 17 मार्च, 2007 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि ब्याज सहित अव्ययित शेष 2.35 करोड़ रु0 की राशि को केन्द्र द्वारा **अगले चरण** अर्थात् 2007–2012 के दौरान उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है ।
3	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	5.00	3.80	3.20	समीक्षा समिति ने 10 अक्तूबर, 2008 को केन्द्र का दौरा किया और **ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रखने** के लिए 5.00 करोड़ रुपये के नए आवंटन की सिफारिश की क्योंकि केन्द्र ने पिछले अनुदान का उपयोग कर लिया है ।
4	पंजाब विश्वविद्यालय	केन्द्र को उपलब्ध निधियों (चरण–एक में पहले से ही आवंटित अव्ययित निधियों) से ही चलने दिया जाये।	शून्य	शून्य	समीक्षा समिति ने 10 और 11 फरवरी, 2010 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि केन्द्र के अनुसंधान कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है तथा ब्याज सहित अव्ययित शेष राशि और अन्य आय का 31 मार्च, 2011 तक उपयोग किया जा सकता है ।
5	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	2.00	शून्य	1.44	समीक्षा समिति ने 14 अक्तूबर, 2008 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि ब्याज सहित अव्ययित शेष और अन्य आय जो कि लगभग दो करोड़ रु0 है संस्थान द्वारा 31 मार्च, 2011 तक उपयोग की जा सकती है और केन्द्र जारी रह सकता है ।
6	कर्नाटक विश्वविद्यालय	–	–	–	समीक्षा समिति ने 9–10 जुलाई, 2007 को विश्वविद्यालय का दौरा किया । समिति ने एकमत से यह महसूस किया कि प्रस्ताव उद्देश्यों के अनुरूप नहीं था और इसलिए सीईपीएस अनुपालन के लिए सीईपीएस को जारी रखने का प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। सीईपीएस को बंद्र करने की सिफारिश की गई थी। समिति की सिफारिशें 30.11.2007 को आयोजित बैठक में अनुमोदित कर दी गई थी ।

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	जारी की गई राशि (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	किया गया व्यय (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) (₹ करोड़ में)	अभियुक्तियां
7	अन्ना विश्वविद्यालय	5.00	2.50	शून्य	समीक्षा समिति ने 3 और 4 सितम्बर, 2009 को केन्द्र का दौरा किया और ग्यारहवीं योजना के दौरान 5.00 करोड रु0 के नए आवंटन के साथ जारी रखने की सिफारिश की।
8	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	समीक्षा समिति ने 25 और 26 सितंबर, 2007 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि केन्द्र 31.3.2008 तक अव्ययित राशि का उपयोग कर सकता है ।
9	अरुणाचल विश्वविद्यालय वर्तमान में (राजीव गांधी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है)	7.00	शून्य	शून्य	समीक्षा समिति ने 3–4 नवंबर, 2011 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि केन्द्र को 7.00 करोड़ रुपये के नये आवंटन के साथ 2011–2016 तक अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाये ।
10	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	7.00	5.26	शून्य	समीक्षा समिति ने मार्च, 2007 को केन्द्र का दौरा किया और ग्यारहवीं योजना के 174.00 लाख के अतिरिक्त आवंटन को सिद्धांत रूप में मंजूरी दी । और इसके पूर्ण होने के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने एक सामीक्षा समिति का गठन किया जिसने केन्द्र द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 4–5 अप्रैल, 2011 को केन्द्र का दौरा किया। समीक्षा समिति ने यह भी सिफारिश की कि केन्द्र को 700 करोड़ रु0 के नवीन आवंटन के साथ जारी रखा जाये।
11	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति	3.00	2.40	1.20	समीक्षा समिति ने 2 और 3 अगस्त, 2007 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि 3.00 करोड के नए आवंटन के साथ ग्यारहवीं योजना के दौरा केन्द्र को जारी रखा जा सकता है।
12	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	केन्द्र को उपलब्ध निधियां के साथ जारी रखने की अनुमति दी जाये (जो कि पहले ही अव्ययित पड़ी हुई है)	शून्य	शून्य	समीक्षा समिति ने 17 और 18 मई, 2010 को केन्द्र का दौरा किया और विश्वविद्यालय के अव्ययित शेष सहित उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय केन्द्र के कार्यकरण पर विचार करने के पश्चात् यह सिफारिश की कि ब्याज सहित शेष राशि को विश्वविद्यालय द्वारा उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सीपीईपीए संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए थे तथा अनुमादित किए गए थे। तदानुसार, सीपीईपीए संबंधी योजना दिशानिर्देशों में स्कीम के तहत 25 नए केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था है।

सहायता का स्वरूप :

सीपीईपीए योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को उपलब्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है:

- विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी:

- विज्ञान / प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए 7.00 करोड़ रु0 और
- सामाजिक विज्ञान / मानविकी क्षेत्रों के लिए 5.00 करोड़ रु0

- विश्वविद्यालयों के निधियां परियोजना उन्मुखी होगी और विश्वविद्यालय से विस्तृत परियोजना (डीपीआर) प्रस्ताव अनुदान स्वीकृत करने का आधार होगी
- योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय की अवधि आरंभ में पांच वर्षों के लिए होगी, जिसे वार्षिक / योगात्मक समीक्षा के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है ।
- अनुदान का विश्वविद्यालय के केवल निम्नलिखत कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जा सकता है:
    - अंतर–और बहु–विषयक क्षेत्रों में परियोजना उनमुखी सहायता शैक्षिक / शोध कार्य आयोजित करना।
    - अतिरिक्त शैक्षिक / शोधकर्मचारी के वेतन और उपस्कर / पुस्तकालय संसाधनों और कार्यशील व्यय को पूरा करना।
    - अंतर और / बहु–विषयक क्षेत्रों में संकाय विकास, सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना।
- यह अनुदान निम्नलिखित कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं होगा:
    - भवन निर्माण और / अथवा वास्तविक अवसंरचना विकास
    - एकल विषयक शैक्षिक / शोध / विस्तार कार्य हेतु सहायक संकाय सदस्य
- प्रस्ताव को एक बार अनुमोदित करने के पश्चात्, अनुदान का प्रयोग प्रत्येक मामले में विशेषज्ञ समिति द्वारा तय किए गए विस्तृत बजट और कार्य योजना के अनुसार होगा ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की सीपीईपीए योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत 25 नए केन्द्रों को चिन्हित करने के लिए 10.6.2010 को पात्र विश्वविद्यालयों से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है । पात्र विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि **30 जुलाई, 2010** थी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र के प्रत्युत्तर में 46 विश्वविद्यालयों से 65 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और ग्यारहवीं योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार जॉच की गई ।

सीपीईपीए संबंधी स्थायी समिति ने 12 विश्वविद्यालयों से 16 प्रस्तावों को लघु सूचीयन किया था । लघु सूचीबद्व केन्द्रों के समन्वयकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण करनें के लिए आमंत्रित किया गया था। किए गए प्रस्तुतिकरण के आधार पर सीपीईपीए संबधी स्थायी समिति ने दिनांक 18.10.2011 को हुई अपनी बैठक में 12 विश्वविद्यालयों से 16 प्रस्तावों को लघु सूचीयन किया था । लघु सूचीबद्व केन्द्रों को अनुमोदित किया था।

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुमोदित 12 नए केन्द्रों का ब्यौरा निम्नवत् है:

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र द्वारा बल दिया जाने वाला क्षेत्र
1	उस्मानिया विश्वविद्यालय, आन्ध्र प्रदेश	"स्वास्थ्य देख–रेख हेतु कतिपय महत्वपूर्ण औषधीय पादपों का जैव–संभावना "
2	मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	"प्रोसेसिंग, करेक्टराइजेशन एण्ड एप्लीकेशन ऑफ एडवांस फंक्शनल एण्ड नैनो मैटीरियल्स "
3	कर्नाटक विश्वविद्यालय, कर्नाटक	"चिकित्सीय, नैदानिक, औद्योगिक, कृषि अनुप्रयोग हेतु उन्नत सामग्री "
4	बैंगलोर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	"रोग प्रबधन में लक्षित ड्रग डिलीवरी एवं सेल्यूलर रागों का अध्ययन करने के लिए आणिवक एवं नेनो–टूल्स का अनुप्रयोग "
5	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, पंजाब	"पंजाब में कैंसर तथा मधुमेह के प्रकार–2 का आनुवांशिक आधार"

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र द्वारा बल दिया जाने वाला क्षेत्र
6	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	थार मरुस्थल के पारिस्थितिकीय तंत्र पर नेनो पदार्थो का लक्षण वर्णन तथा जोखम आंकलन हेतु सिथेसिस का अनुप्रयोग।
7	मद्रास विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	1) जलवायु परिवर्तन तथा क्षेत्र में पारिस्थितिकीय तंत्र पर इसका प्रभाव। 2) "मानव कल्याण हेतु औषधीय पादपों से औषधों का विकास"
8	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	"समुद्रीय विज्ञान संकाय के समुद्रीय जीवविज्ञान में उन्नत अध्ययन "
9	कोलकाता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	गणितीय माडल सहित इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एण्ड न्यूरोइमेजिंग अध्ययन
10	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	1) "नैनो–मैटीरियल एण्ड नैनो–पदार्थ नैनो कंपोजिट्स का अनुप्रयोग। 2) "कल्चर फिक्सेसन ऑन ऑनर ए जैंडर ऑडिट ऑफ पंजाब एण्ड हरियाणा "

वर्ष 2011–2012 के दौरान उपरोक्त केन्द्रो को 26.07 करोड़ रु0 जारी किए गए थे ।

5.4 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना करना

उदारीकरण, वैश्वीकरण के संदर्भ में बदले आर्थिक परिवेश और नई उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली से गुणवत्ता उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष 2001 के दौरान विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर विज्ञान और मानविकी में विभिन्न अंतर–विषयक क्षेत्रों संबंधी अध्ययन और अनुसंधान में "उत्कृष्टता के नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना " नामक नई योजना आरंभ की थी ।

वर्ष 2001–2002 और वर्श 2009–2010 के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित केन्द्रों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया था ।

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र/संस्थान
1	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	मानव जिनोम अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना
2	संजय गांधी चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ	सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रिसोनॉस की स्थापना करना
3	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	मैसूर विश्वविद्यालय के ऑग्ल अनुसंधान संस्थान में विज्ञान के इतिहास हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करना
4	जवाहर लाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	जीव विज्ञान विद्यालय में आनुवांशिक इकाई का उन्नयन कर व्यावहारिक मानव आनुवंशिक केन्द्र की स्थापना करना
5	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना
6	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	श्री गुरु ग्रंथ साहिब अध्ययन केन्द्र

समीक्षा समितियों की सहायता से इन केन्द्रों की प्रगति की समीक्षा की गई है जिससे कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान उनके जारी रखने अथवा अन्यथा के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

वर्ष 2011–2012 के दौरान उपरोक्त केन्द्रों को 9.85 करोड़ रु0 जारी किए गए थे।

5.5 विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.)

एसएपी कार्यक्रम की शुरूआत 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों को सुकर बनाने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी । कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में

अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता और समूह कार्य की खोज को प्रोत्साहित करना है । पहला ऐसा कार्यक्रम 'एडवांस अध्ययन केन्द्र ' (सीएएस) के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था । ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी मान्यता और वित्तीय सहायता मिलती है' ''विशेष सहायता विभाग (डीएसए)'' और ''विभागीय भाोधसहायता '' (डीआरएस) कार्यक्रम क्रमशः 1972 और 1977 में सीएएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग के लिए आरंभ किए गए थे ।

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप)स्तर

1. विभागीय अनुसंधान सहायता (डीआरएस)
2. विभागीय विशेष सहायता (डीएसए)
3. उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएएस)

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैः

- उन विश्वविद्यालय विभागों की पहचान करना और सहायता देना, जो संबद्ध विषयों को मिलाकर, शैक्षिक विषयों में गुणवत्ता शिक्षण तथा शोध करने की क्षमता रखते है।
- कार्यक्रम सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए और जिनमें समाज और उद्योग की अन्योन्य क्रिया हो।
- अच्छे शिक्षण के लिए शोध को उत्प्रेरक बनाना और अभिज्ञात बल दिये जाने वाले क्षेत्रों से संबंधित नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत करना।
- शोध संगठनों से संपर्क रखना और अपनी विशेषज्ञता को नवाचारी रूप में उपयोग करना, ताकि विश्वविद्यालयों में शोध को समर्थन दिया जा सके।
- अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करना।
- शोध के निर्गम का राष्ट्र और समाज के विकास के लिए उपयोग में लाना।
- पहचान वाले बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना और गुणवत्ता युक्त मानवीय अनुसंधान करना।
- नए/व्यापक क्षेत्र/क्षेत्रों की खोज करना और उनका संवर्धन तथा विकास करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों में शोध की सहायता के लिए शोध संगठनों जैसे डीएसटी, सीएसआईआर, डीआरडीओ आदि को समेकित कर नवीन रूप से प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है । सभी क्षेत्रों में अंतर–विषयक शोध को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

पात्रता

कोई विश्वविद्यालय/विभाग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत योग्य है और जिनमें गुणपवत्ता शिक्षण और शोध की संभाव्यता है, एसएपी के अंतर्गत शामिल करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है। एसएपी के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र बनने के लिए विभाग में कम से कम एक आचार्य, दो सह– आचार्य और तीन सहायक आचार्य होने चाहिए ।

कार्यक्रम की अवधि

विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) की अवधि विशिष्ट चरण के लिए **पांच वर्षों** की अवधि के लिए होगा। वि.अ.आ., डीआरएस और डीएसए के उसी स्तर पर तीन अवधियों से अधिक (प्रत्येक पांच वर्ष) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। यदि विभाग के निष्पादन में डीआरएस/सीएएस जैसी भी स्थिति हो के स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार होता है। यदि विभाग के निष्पादन में डीआरएस/डीएसए के स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार होता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे अगले डीआरएस/सीएएस स्तर पर उन्नयन करने पर विचार कर सकता है। यदि विभाग के निष्पादन में डीआरएस/डीएसए के स्तर पर तीन अवधियों के लिए अनुदान प्राप्त करने और चरण–चार के लिए समीक्षा द्वारा सिफारिश करने के पश्चात् महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। अनुमोदित चरण/अवधि के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अगले आगामी वर्ष की पहली अप्रैल होगी। विभाग को अगले वित्त वर्ष की पहली अप्रैल की अनुमोदन की तिथि से छह महीने अथवा जो भी पहले के भीतर निबंधन और शर्ते स्वीकार करनी होगी और कार्यक्रम कार्यान्वित करना होगा अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के अनुमोदन को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सहायता का स्वरूप

कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर 5 वर्ष की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी :

कार्यक्रम/स्तर	विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (₹ लाख में)	गणित, सांख्यिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान (₹ लाख में)
सीएएस	150	100
डीएसए	100	75
डीआरएस	75	60

वित्तीय सहायता में निम्नवत सम्मिलित होगाः

- परियोजना अध्येता और अनुसंधान एसोसियेट का वेतन।
- व्यय की आवर्ती और अनावर्ती मदें।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और परामर्श समिति की सिफारिशों के आधार पर दो से छह महीनों की अवधि के लिए चिन्हित विदेशी विश्वविद्यालय/शोध संस्थान में एस.ए.पी. विभागों से एक वर्ष में दो अध्यापकों को भेजने के लिए सुपरिभाषित सहयोगी शोध कार्यक्रम पर विचार कर सकती है ।

प्रवेश हेतु अनुमोदन की प्रक्रिया

लघु सूचीयन प्रस्तावों पर विषय प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जाता है । समिति 2 अथवा 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों अथवा समूह क्षेत्रों को चिन्हित करता है जो विभाग में उत्कृष्टता संबंधी अति संकीर्णता पर आधारित न हो । समिति कार्यक्रम के समन्वयक और संबंधित क्षेत्र से दो परामर्श समिति सदस्यों को भी चिन्हित करती है ।

अनुदान जारी करना

प्रवेश समिति की सिफारिश के आधार पर, वित्तीय अनुमोदन/सहायता कतिपय निबंधन और शर्तों के साथ संबंधित विश्वविद्यालय के चयनित विभाग को संप्रेषित की जाती है ।

विभागों की निगरानी/मूल्यांकन

एस.ए.पी. के अंतर्गत समर्थित विभागों द्वारा की गई मानिटरिंग/मूल्यांकन और प्रगति निष्पादन, उपलब्धियों की समीक्षा परामर्श समिति, मध्यवधि मॉनिटरिंग और मूल्यांकन समिति और अंतिम समीक्षा समिति द्वारा की जाती है ।

एसएपी विभागों की मौजूदा स्थिति

एसएपी कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा किए गए/बंद कर दिए गए/ आरंभ किए गए/उन्नयन किए गए मौजूदा विभागों का ब्यौराः

चरण	एसएपी का स्तर	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार विभागों की संख्या	31.3.2012 के अनुसार विभागों की संख्या
1	सीएएस	133	140
2	डीएसए	97	91
3	डीआरएस	515	643
		745	874

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, विशेष समितियों द्वारा 46 विभागों की समीक्षा की गई थी । जिनमें से 11 विभागों (8 डीएसए से सीएएस और 3 डीआरएस से डीएसए) का उन्नयन किया गया था, 4 विभागों को बंद किया गया और 31 विभागों को उसी स्तर पर रखा गया है । साथ ही वर्ष 2011–12 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 133 नए विभागों को शामिल किया गया था ।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, नए शामिल किए गए विभागों और मौजूदा विभागों को कुल 61.45 करोड़ रु0 का अनुदान (विज्ञान विभागों के लिए 43.59 करोड़ और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 17.86 करोड़ रु0) जारी किए गए थे ।

5.6 नवोन्मेषी कार्यक्रम – कुछ उभरते हुए एवं अन्तर्विषयक क्षेत्रों में अध्यापन एवं शोध

इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर विशेषीकृत पाठ्यक्रमों को समर्थन प्रदान करना जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को उभरते हुए एवं अर्न्तविषयक क्षेत्रों में पूरा करना तथा प्रतिभापूर्ण विचारणाओं एवं नवोन्मेषी प्रस्तावों को सम्मिलित करना, जिन विचारणाओं एवं नवोन्मेषी प्रस्तावों से भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं का ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों में सापेक्ष गतिविधियों व सामाजिक संवृद्धि से जुड़े अध्यापन, शोध, अकादमिक श्रेष्ठता प्रभावित हो रहे हों। वि.अ.आ. अंतर्विषयों तथा उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान की योजना कार्यान्वित कर रहा है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की सीमा रू. 60.00 लाख है– (अनावर्ती 40.00 लाख रुपये एवं आवर्ती 20.00 लाख रुपये तथा वास्तविक आधार पर तथा कर्मचारिवृंद (यदि अनुमोदित हो तो) पर किया गया व्यय शामिल है)। अनावर्ती के अन्तर्गत जो सहायता प्रदान की जाती है वह उपकरणों, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, संगोष्ठियों , उपकरणें की मरम्मत आदि के लिए है तथा आवर्ती के अन्तर्गत जो सहायता उपलब्ध है, वह है कार्य प्रबंध व्यय/आकस्मिक व्यय, उपभोज्य वस्तुएँ/शीशें के पदार्थ, यात्रा एवं क्षेत्रीय भ्रमण, सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ एवं विजिटिंग/अतिथि संकाय।

वर्ष 2011–12 के दौरान आवंटन, प्रत्यक्ष एवं वित्तीय लक्ष्य थे वे निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

आवंटन	प्राप्त किया गया वास्तविक लक्ष्य	प्राप्त किया गया वित्तीय लक्ष्य (₹ करोड़ में)
13.45	87 (विश्वविद्यालय-43; महाविद्यालय-44)	11.06

प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय/कॉलेज क्रमशः दो/एक नवोन्मेषी कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते है। नए प्रस्तावों की प्रक्रिया के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुपालन किया जाता है । कुलपति/प्रधानाचार्य प्रस्तावों के चयन हेतु एक चयन समिति का गठन करते है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित करते है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त प्रस्तावों को विषय विशेषज्ञ समितियों/समूहों के माध्यम से लघु सूचीयन किया जाता है । इसके पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति गठन करने से पूर्व लघु सूचीयन किए गए विश्वविद्यालय/कॉलेज के विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के पश्चात् प्रस्तावों का अंतिम चयन किया जाता है। विषय संबंधित विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर आयोग स्वीकृति प्रदान करता है और इसके बारे में संस्थानों को सूचित किया जाता है ।

नवोन्मेषी कार्यक्रम सहित उभरते हुए क्षेत्रों वाले पाठ्यक्रमों के तहत विभागों द्वारा की गई प्रगति, निष्पादन एवं उपलब्धियों का प्रबोधन/मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण निम्न समितियों द्वारा किया जाता है :–

1. विभागीय समिति
2. मध्यावधि निगरानी/पुनरीक्षण समिति
3. अंतिम पुनरीक्षण समिति

5.7 स्वायत्त महाविद्यालय

शिक्षा आयोग (1964–66) ने यह इंगित किया था कि शिक्षकों की अकादमिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए परम आवश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश पैदा नहीं होगा तब तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। यह आवश्यक है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उठाने में सहयोग करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप , शिक्षा आयोग ने कालेज स्वायत्तता की सिफारिश की थी। मूलतः कॉलेज स्वायत्तता ही अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का एक माध्यम है।

शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान (1969–73) तैयार किया गया और कार्यान्वित किया गया था और यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भीं जारी है ।

उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएँ :

- स्थानीय जरूरतों के अनुकूल अपने अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण को निर्धारित एवं विहित करना, पाठ्क्रमों का पुनर्गठन करना तथा उनको पुन : डिजाइन करना।
- राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश हेतु नियम निर्धारित करना।
- विद्यार्थी के कार्य के मूल्यांकन के लिए परीक्षा संचालन की विधियां तैयार करना तथा परीक्षा परिणाम को अधिसूचित करना।
- उच्च स्तर प्राप्त करने तथा अधिक सृजनात्मकता प्राप्त करने के लिए शिक्षा–प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना।
- उपयोगी व्यवहारों यथा–समाज सेवा, विस्तार गतिविधि, समस्त समाज के लाभ के लिए परियोजनाओं, पड़ोस में कार्यक्रमों आदि को बढ़ावा देना।

सभी सहायता प्राप्त एवं गैर–सहायता प्राप्त, एनएएसी / एनबीए प्रत्यायन धारी कॉलेज जो वि.अ.आ. अधिनियम द्वारा धारा 2(च) और 12 (ख) के अधीन अनुरक्षित सूची में 10 वर्ष से सम्मिलित है,, स्वायत्तता स्थिति के लिए पात्र है। गैर–प्रत्यायित कॉलेज स्वायत्तता के पात्र नहीं है । आयोग ने यह निर्णय लिया कि जो 4 मई, 2011 से प्रभावी है कि कोई भी घटक कॉलेज जब तक कि एन.ए.ए.सी. रिपोर्ट में घटक कॉलेज के नाम का उल्लेख नही कियाा गया हो जिन्हें मूल विश्वविद्यालय के साथ प्रत्यायित किया गया है स्वायत्ता प्रदान करने के प्रयोजन से एन.ए.ए.सी द्वारा पृथक प्रत्यायन कर सकता है। साथ ही कोई भी कॉलेज जिसकी तीन निरंतर समीक्षा हो चुकी है स्वायत्ता प्रदान करने के पश्चात् विशेषज्ञ समितियों द्वारा कोई भी प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की गई है, को स्वतंत्र रूप ये कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दौरों संबंधी समितियों द्वारा आगे समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। तथापि ऐसे कॉलेजों के शासी मंडल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामित को आवश्यक बनाया जाना चाहिए ।

स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण करने पर स्ववित्पोषित विश्वविद्यालयों को भी स्वायत्त दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि उन्हे बिना किसी स्वायत्त अनुदान के स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाएगा। उन्हे अन्य महाविद्यालयों पर लागू उसी प्रकिया से गुजरना होगा। संबंधित क्षेत्रीय वि.अ.आ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय द्वारा स्वायत्त महाविद्यालयों को यथा ग्राहय स्वायत्ता अनुदान जारी किया जा रहा है।

स्वायत्तता की अवधि में विस्तार **छह** वर्षो के लिए होगा जो कि स्वायत्त कॉलेजों की कार्यप्रणाली की समीक्षा के आधार पर किया जायेगा। नये सिरे से स्वायत्तता प्रदान करना अथवा स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के स्वायत्त दर्जे को बढाने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की संरचना निम्नवत है :–

1. तीन सदस्य होंगे जिनमें एक अध्यक्ष होंगे।
2. सम्बद्ध विश्वविद्यालय का एक मनोनीत व्यक्ति।
3. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति
4. वि.अ.आ अधिकारी (सदस्य –सचिव)

योजना के अन्तर्गत चयनित स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी वह निम्न प्रकार से होगी :

क्र. सं.	महाविद्यालय का प्रारूप	स्वायत्तशासी अनुदान राशि जिसका वह पात्र है (₹ लाख में)
1	मात्र स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने वाले:	
	(क) कला / विज्ञान / वाणिज्य–मात्र एकल संकाय	9.00
	(ख) कला / विज्ञान / वाणिज्य–एक से अधिक संकाय वाल	15.00
2	जो महाविद्यालय, स्नातक–पूर्व स्नातकोत्तर इन दोनों स्तरों के पाठ्यक्रमों को उपलब्ध करा रहे हैं :	
	(क) एकल संकाय	10.00
	(ख) बहुल संकाय	20.00

पिछले वर्ष के अनुसार 19 राज्यों में स्थित 69 विश्वविद्यालयों में विस्तारित, 371 स्वायत्त महाविद्यालयों की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 19 राज्यों में स्थित 76 विश्वविद्यालयों में विस्तारित, 414 स्वायत्त महाविद्यालय है। राज्य–वार स्वायत्त महाविद्यालयों की संख्या को **परिशिष्ट -XV** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2011–12 के लिए नई स्वायत्ता स्थिति की पुष्टि के लिए कॉलेजों / विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावों के आमंत्रण के लिए 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों स्वायत्ता स्थिति के लिए उनके प्रस्तावों पर विचार करने हेतु कॉलेजों को भेजी जा रही है । समिति रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दौरा किया है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा चयनित स्वायत्त महाविद्यालयों के लिए 29.48 करोड़ रू की अनुदान राशि जारी की गई है।

5.8 अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986 में शिक्षकों को प्रेरित करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्पष्ट संदर्भ के आधार पर वि.अ.आ. ने 1986–87 से देश के उपयुक्त विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.) स्थापित करने की योजना की शुरूआत की। इस समय, देशभर में 66 ऐसे अकादमिक स्टॉफ कॉलेज स्थापित किए जा चुके है। (**परिशिष्ट–XVI**)

वि.अ.आ.– अकादमिक स्टॉफ कॉलेज, एक स्वायत्त इकाई के रूप में एक विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा सकता है और उसे विश्वविद्यालय के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसे विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों और राज्य के भीतर तथा बाहर के अकादमिक संस्थानों में उपलब्ध सभी संभव विद्यमान संसाधनों के अनुसार काम करना होगा।

अकादमिक स्टॉफ कॉलेज का उद्देश्य नव–नियुक्त व्याख्याताओं को निम्नवत हेतु समर्थ बनाना है :–

- वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामान्य तौर पर शिक्षा और विशेष तौर पर उच्च शिक्षा के महत्व को समझना।
- भारतीय राजनीति, के विशेष संदर्भ में शिक्षा, जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समानता जो समाज के मूल सिद्धांत है, अर्थव्यवस्था, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के बीच के संपर्क को समझना।
- उच्चतर शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कॉलेज / विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षण कला को समझना तथा उसमें सुधार लाना।
- अपने विशिष्ट विषयों में अद्यतन घटनाक्रमों की पूरी जानकारी रखना।
- समय प्रणाली में अध्यापकों की भूमिका तथा किसी कॉलेज / विश्वविद्यालय के संगठन और प्रबंधन को समझना।

- व्यक्तित्व, पहल और सृजनात्मकता के विकास हेतु अवसरों का उपयोग करना, और
- शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में आई.सी.टी. के प्रयोग तथा कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना।

अकादमिक स्टाफ कॉलेज के मुख्य कार्य नव–नियुक्त कॉलेज/विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं के लिए प्रबोधन पाठ्यचर्या को तैयार करना, आयोजित करना, क्रियान्वयन करना, उनकी निगरानी तथा मूल्यांकन करना, सेवारत अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यचर्या आयोजित करना तथा वरिष्ठ प्रशासकों, विभाग प्रमुखों, प्रधानाचार्यों, अधिकारियों आदि के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करना है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याताओं को जिन्हें वि.अ.आ., अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत शामिल किया गया है, यद्यपि, वे धारा 12(ख) के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु उपयुक्त नहीं है, प्रबोधन कार्यक्रमों और पुनश्चर्या कोर्स में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। कॉलेज के अध्यापक जो धारा 2(च) के दायरे में नहीं आते है किन्तु जो कम से कम दो वर्ष से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, को कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाए। पुष्टि के लिए उपस्थिति की एक शर्त होनी चाहिए और सीनियर स्केल में प्रोन्नति हेतु इस पाठ्यक्रमों को महत्व दिया जाना चाहिए।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लेना एक पूर्व–शर्त है। साथ ही, दोनों पाठ्यक्रमों के बीच एक वर्ष का न्यूनतम अंतराल होना चाहिए, यद्यपि, यदि पर्याप्त संख्या में प्रतिभागी नहीं मिलते हैं या अध्यापकों के लिए कैरियर में प्रोन्नति हेतु पात्रता संबंधी शर्तो को पूरा करना जरूरी है तो इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

प्रबोधन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवा व्याख्याताओं में सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक परिवेश के प्रति जागरूकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता का गुण पैदा करना तथा अपने सामर्थ्य की पहचान करना है। यह प्रबोधन कार्यक्रम चार सप्ताह की अवधि का होगा जिसमें न्यूनतम 24 कार्यदिवस (रविवार को छोड़कर) और 144 संपर्क घंटे (एक दिन में 6 घंटे) होंगे। पुनश्चर्या पाठयक्रम की अवधि 3 सप्ताह होगी तथा न्यूनतम 18 कार्यदिवस की होगी और 3 सप्ताह (रविवार छोड़कर) तथा 108 संपर्क घंटे (एक दिन में 6 घंटे) होंगे। यदि कोई प्रतिभागी किसी कार्यक्रम में अपेक्षित कान्ट्रक्ट घंटे पूरा करने में असफल रहता है तो उसे संबंधित ए.एस.सी. के किसी अन्य कार्यक्रम में अपनी कीमत पर बकाया घंटों को पूरा करने की अनुमति होगी।

किसी ऐसे संस्थान, जो कम से कम दो वर्ष में किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, में तीन शैक्षणिक सत्र में पढ़ाने वाले अंशकालिक/तदर्थ/अस्थाई/कंट्रेक्ट अध्यापकों को अपना कौशल बढ़ाने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति होगी।

प्रत्येक अकादमिक स्टॉफ कॉलेज एक वर्ष में प्रधानाचार्य/प्रमुखों/डीन/ अधिकारियों की एक या दो बैठकें आयोजित करेगा ताकि उन्हें दर्शनशास्त्र और प्रबोधन कार्यक्रमों तथा पुनश्चर्या पाठ्यकर्मो से परिचित कराया जा सके, अध्यापकों की तैनाती हेतु राजी किया जा सके, पर्यवेक्षकों के रूप में अपनी नई भूमिकाओं को समझ सके तथा विभिन्न स्तरों पर प्रबंध प्रणाली में समुचित संशोधन के माध्यम से उच्च शिक्षा में सुधार ला सके।

वि.अ.आ., ए.एस.सी. को शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ए.एस.सी. सहायता जारी रखने हेतु उसके कार्यकरण की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। मुख्य सहायता इस प्रकार प्रदान की जायेगी :–

वेतन	–	वास्तविक आधार पर
पुस्तकें	–	1.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष
उपकरण	–	1.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष
कार्यात्मक पर व्यय	–	5.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष की एकमुश्त राशि

इसके अतिरिक्त, विज्ञानेत्तर विषयों में प्रत्येक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु 30,000/–रू.,विज्ञान विषयों में प्रत्येक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु 40,000 हजार रूपये तथा अतिरिक्त कार्यात्मक संबंधी व्यय के रूप में प्रत्येक प्रबोधन कार्यक्रम हेतु 30,000/– रूपये, प्रदान किये जायेंगे।

वर्ष 2011–12 के दौरान किए गए बजट आबंटन के प्रति, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को जो अनुदान जारी किए गए, जितने पाठ्यक्रम अनुमोदित किए गए तथा जितने पाठ्यक्रम संचालित हुए उनकी अनुमानित संख्या तथा लाभान्वितों की संख्या–निम्न तालिका में विस्तारित की गई है :–

बजट आबंटन (₹ करोड़ में)	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)	अनुमोदित कार्यक्रम/ पाठ्यक्रमों की संख्या	संचालित कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों की संख्या (लगभग)	लाभान्वितों की संख्या
30.00	26.97	306 ओ.पी.* 820 आर.सी. 276 अल्पकालीन पाठ्यक्रम	260 ओ.पी.* 697 आर.सी. 234 अल्पकालीन पाठ्यक्रम	26,420 शिक्षक **पुरूष-15.852 (लगभग)** अ.ज. (15%) – 2378 अ.ज.जा. (7.5%) – 1189 सामान्य (77.5%) – 12285 **महिलाएं-10.568 (लगभग)** अ.ज. (15%) – 1585 अ.ज.जा. (7.5%) – 793 सामान्य (77.5%) – 8190

*ओ.पी.–पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
आर. सी.–प्रबोधन कार्यक्रम

5.9 राजभाषा (हिन्दी) को बढ़ावा देना

केन्द्रीय सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम के द्वारा हिन्दी को भारत संघ की सरकारी /कामकाजी भाषा घोषित किया और केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ''राजभाषा प्रकोष्ठ'' स्थापित करने का निर्देश दिया।

राजभाषा अधिनियम का पालन करते हुए वि.अ.आ. ने आरंभ में एक राजभाषा प्रकोष्ठ स्थापित किया था, जो 1992 में एक पूर्ण राजभाषा अनुभाग बन गया। नीति के अनुसार अनुभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :–

- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करना।
- राजभाषा के प्रयोग के लिए जागरूकता पैदा करना और सरकारी कामकाज में राजभाषा नीति के प्रगामी अनुपालन को तेज करना।
- हिन्दी में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने और भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न अधिकारियों को नाम निर्दिष्ट करना ।
- सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना।
- निबंध प्रतियोगिता, वाद–विवाद, श्रुतलेख, हिन्दी टाइपिंग और प्रारूपण/टिप्पण आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रतिवर्ष, हिन्दी पखवाड़ा (1 से 14 सितम्बर) के दौरान हिन्दी दिवस मनाना।
- राजभाषा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।
- वि.अ.आ. के अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रवीण, प्रबोध और प्राज्ञ का प्रशिक्षण देना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पूर्व संसद सदस्य डॉ0 वाई. लक्ष्मी प्रसाद की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कियाा गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समिति **सात** केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दौरा किया है और सरकारी काम–काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के दिशानिर्देश जारी किए हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट आंशिक रूप से द्विभाषी हैं । सभी विनियमन और दिशानिर्देश मुख्यतः हिन्दी में उपलब्ध हैं । इन्हें पूर्ण द्विभाषा में अद्यतन किया जा रहा है और ये शीघ्र ही उपलब्ध होंगे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न अनुभागों के राजभाषा अनुभाग से प्राप्त सभी सामग्रियों का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है अर्थात्

- वार्षिक रिपोर्ट 2010–11
- प्रशासनिक निविदा सूचना
- विभिन्न अनुभागों से प्राप्त विभिन्न पत्र
- परिपत्र
- विज्ञापन

वर्ष 2011–12 के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की **तीन** बैठकें क्रमशः 30 जून, 2011, 21 दिसम्बर, 2011 और 17 जनवरी, 2012 को हुई ।

वर्ष 2011–12 के दौरान, वि.अ.आ. में वि.अ.आ. कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित गतिविधियां/प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गयाः

- 'क' और 'ख' वर्ग के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता
- 'ग' और 'घ' वर्ग के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता
- 'ग' और 'घ' वर्ग के कर्मचारियों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता
- कर्मचारियों के लिए प्रारूपण और टिप्पण प्रतियोगिता
- कर्मचारियों के लिए टाइपिंग प्रतियोगिता
- प्रत्येक वर्ष 1–14 सितम्बर तक 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया जाता है और 8 सितम्बर, 2011 को हिन्दी दिवस का आयोजन होता है ।
- हिन्दी दिवस आयोजन और साथ ही पुरस्कार वितरण पर 1.40 लाख रुपये व्यय किए गए थे
- हिन्दी दिवस के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया था
- ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गैर हिन्दी भाषी राज्यों में स्थिति 17 विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों की स्थापना/उन्नयन के लिए अनुमोदन के बारे में बताया था। 17 विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों की स्थापना/उन्नयन के लिए, आयोग ने एक प्रोफेसर, एक सोसिएट प्रोफेसर और दो सहायक प्रोफेसरों के पदों को अनुमोदित किया है और पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदने और साथ ही गोष्ठियाँ और सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को 50,000/– रुपये अनुमोदित किए है और यह राशि 12वीं योजना अवधि में भी जारी रहेगी।
- संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में 14 फरवरी, 2012 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दौरा किया।

5.10 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और विनिमय शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2011–12 में 31 देशों के साथ मिलकर शैक्षिक विनिमय कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों एवं विभिन्न देशों के साथ 9 अन्य कार्यक्रम संचालित किया रहा है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, वि.अ.आ. ने विभिन्न देशों के **14 विदेशी स्कॉलरों** की मेजबानी की और अवधि के दौरान विभिन्न विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत **68 भारतीय स्कॉलरों** को विदेश भेजा गया।

वि.अ.आ. ने उच्च शिक्षा सूचना विनिमय हेतु निम्नलिखित विदेशी शिष्टमंडलों की आगवानी की :–

18.04.2011	–	अमरीकी प्रतिनिधिमंडल
19.04.2011	–	थाईलैण्ड प्रतिनिधिमंडल
21.04.2011	–	चीनी प्रतिनिधिमंडल
05.06.2011	–	थाईलैण्ड प्रतिनिधिमंडल
21.09.2011	–	आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल
24.11.2011	–	आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल
07.12.2011	–	आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल
09.12.2011	–	पोलैण्ड प्रतिनिधिमंडल

वि.अ.आ.-टैक मॉरीशस समझौता:

वि.अ.आ. एवं तृतीय शिक्षा आयोग मारीशस के पाचंवे कॉन्सार्शियम समझोते (वर्ष 2011–2012) पर 04 मार्च को हस्ताक्षर किये गये। के अन्तर्गत **तीन** भारतीय विद्वानों द्वारा मारीशस का दौरा किया गया तथा **आठ** मारीशस विद्वानों ने भारत का दौरा किया गया।

वि.अ.आ. एवं तृतीयक शिक्षा आयोग मारीशस के पाचंवे कॉन्सार्शियम समझौते के अन्तर्गत **24** भारतीय विद्वानों द्वारा मारीशस का दौरा किया गया तथा **3** मारीशस विद्वानों ने भारत का दौरा किया गया।

विदेशी भाषा शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहयोगात्मक कार्यक्रम बनाए हुए है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ ही विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालयों में संबंधित देश के मिशन तथा संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श के साथ की जाती है। विश्वविद्यालय को भाषा शिक्षक प्रदान करते समय सामान्यतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशी भाषा शिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में उचित आधारिक संरचना है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में **22 विदेशी भाषा शिक्षकों** की नियुक्ति की गई थी। भाषा–वार शिक्षकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

जर्मन–3, पुर्तगाली–2, स्पेनिश–10, हंगेरियाई–1, पश्तो–1, क्रोशियाई–1, बुल्गेरियाई–1, रोमानिया–1, चेक्–1, पोलिश–1.

अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां

जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डीएएडी)

डीएएडी के अध्यक्ष प्रो. थियोडोर बरचेम और वि.अ.आ. के अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोरात के बीच 30.10.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(क) वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम : इस कार्यक्रम में दोनों देशों के 10 वैज्ञानिकों का मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विनिमय होगा और दोनों देश आपस में मिलकर विशेष विषयों को चुनने का अधिकार निर्णय लेगें। विनिमय की अवधि 2 सप्ताह से कम और 4 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। इस अवधि के दौरान 4 आयोजक संस्थाओं का दौरा किया जा सकता है। प्रत्येक देश को अपने मेहमान वैज्ञानिकों का यात्रा खर्च वहन करना होगा। **वि.अ.आ. ने छह वैज्ञानिकों को नामांकित किया है जिनमें से एक दौरा डी.ए.ए.डी. प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया।**

(ख) परियोजना आधरित व्यक्तिगत विनिमय कार्यक्रम (पीपीपी) : जर्मन अकादमिक विनिमय कार्यक्रम (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने नई दिल्ली में स्कॉलरों के वित्तपोषण के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने हेतु एक कार्यक्रम बनाया है और

यह मुख्यतः मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करेगा। युवा पी.एच.डी और डॉक्टर की डिग्री धारक वैज्ञानिकों और स्कॉलरों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह कार्यक्रम 2008 में शुरू हुआ। **वर्ष 2011 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 भारतीय स्कॉलरों तथा 8 जर्मन स्कालरों के दौरे सम्पन्न हुए थे।**

(ग) दक्षिण–एशियाई संस्थान, हेडेलबर्ग : जर्मनी ने भारतीय वैज्ञानिकों को वर्ष 2011–12 के लिए हैंडलबर्ग में दक्षिण–एशियाई संस्थान में काम करने हेतु दो–तीन माह की छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक अवार्ड दिया है। **वि.अ.आ. ने 2011 में 4 स्कॉलरों के नाम भेजे हैं और उनमें से 2 स्कॉलर को दक्षिण–एशियाई संस्थान, हैडलबर्ग ने चुन लिया है और उनके दौरे सफल रहे।**

भारत फ्रांस सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत समाज वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम

प्रत्येक वर्ष वि.अ.आ., भारत–फ्रांस समाज वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को पेरिस जाने के लिए नामित करता है ताकि ऐसे रिक्त स्थानों का लाभ उठाया जा सके जिनको कि फ्रेंच पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 20101 के लिए फ्रांस का दौरा करने के लिए 4 विद्वानों को नामांकित किया गया था। **फ्रेंच पक्ष द्वारा सभी 4 नामांकन स्वीकार किये गए थे सभी इनमे से 3 दौरे सफल रहे । इसके बदले में वर्ष 2011 के दौरान 3 भारतीय विद्वानों ने फ्रांस का दौरा किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 फ्रेंच विद्वानों ने भी भारत का दौरा किया।**

सार्क कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्क देशों में सार्क अध्येता।वृत्तियाँ/छात्रवृत्तियाँ

बांग्लादेश सरकार द्वारा सार्क देशों के लिए बांग्लादेश में अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने हेतु सार्क चेअर के लिए–नामांकन आमंत्रित किये थे। वर्ष 2011 के लिए प्राप्त आवेदनों को सार्क सचिवालय भेज दिया गया है।

कॉमनवेल्थ अकॉदमिक स्टॉफ अध्येतावृत्तियां

प्रत्येक वर्ष, यूनाईटेड किग्डम, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा 80 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है ताकि भारत में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रतिभावन संकाय सदस्य यूनाईटेड किग्डम के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकें।

वर्ष 2011 के लिए यूनाईटेड किग्डम राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा 80 अध्येतावृत्तियों की पेशकश की गई थी, तदनुसार वि.अ.आ. द्वारा अध्येतावृत्तियाँ के लिए 70 शिक्षकों को अनुशंसित किया गया था। इनमें से, यूनाईटेड किग्डम राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा अततः 21 स्कालरों को राष्ट्रमंडल अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां 2011 के अन्तर्गत चयनित किया है।

राष्ट्रमंडल स्पलिट साइट छात्रवृत्तियां

वर्ष 2011 के दौरान राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यूनाईटेड किग्डम में 14 ऐसे कनिष्ठ संकाय या छात्रों के लिए जो कि भारत में डॉक्टोरल उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे है और जो यूनाईटेड किग्डम में एक वर्षीय पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाना चाहते हैं।

वर्ष 2011 के लिए वि.अ.आ. ने 14 स्कालर्स को नामांकित किया गया तथा यू.के. के राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा स्पलिट साइट स्कॉलरशिप 2010 के अन्तर्गत 3 स्कालर्स का चयन किया गया।

कलेक्शन ऑफ सोर्स मेटिरीयल स्कीम के अधीन शिक्षकों को विदेश में दौरा करने के लिए यात्रा अनुदान

इस योजना के अधीन आयोग विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों को स्रोत सामग्री एकत्र करने/ अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए शत–प्रतिशत यात्रा अनुदान उपलब्ध कराता है। यह सहायता केवल उन्हीं स्कॉलरों को उपलब्ध कराई जाती है जिन्होंने विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम दो महीने के अनुरक्षण के लिए आश्वासन प्राप्त कर रखा है। **वर्ष 2011 के दौरान, इस योजना के अधीन 4 स्कालरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।**

इंडो–फिनलैंड सरकार छात्रवृत्तियाँ

फिनलैंड सरकार, फिनलैंड में उच्च शिक्षा संस्था या सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान और शिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। वर्ष 2011 के लिए आयोग ने **10** भारतीय स्कॉलरों फिनलैंड के दौरे के लिए को नामांकित किया था वर्ष 2011 में फिनलैंड दौरे के लिए फिनलैंड प्राधिकारियों द्वारा 10 में से **5** नामांकन स्वीकृत किए गए । भारतीय पक्ष को भी **तीन** फिनलैंड विद्वानों के नामांकन प्राप्त हुए थे और इनमें एक विद्वान के नाम को सीआईएमओ द्वारा पहले ही वापस ले लिया गया था ।

इंडो-हंगेरियन ई.ई.पी. लघु/दीर्घ अवधि छात्रवृत्ति

वर्ष 2011 के लिए, **22** भारतीय स्कॉलरों को (**13 दीर्घ एवं 9 लघु अवधि**) हंगरी में जाकर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए तथा अपने समसामयिकों के साथ विषयों पर अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में विचार–विमर्श करके नामांकित किया गया इनमें से वर्ष 2011–2012 के दौरान 11 दौरें सफल रहे।

वर्ष 2011–2012 के लिए भारतीय पक्ष को हंगरी प्राधिकरण द्वारा हंगरी स्कालरों के 2 नामांकन प्राप्त हुए। सभी दौरे सफल रहे।

इंडो-बुलगेरियन सी.ई.पी.

बुलगेरियन भाषा और संस्कृति पर आयोजित सेमिनार में वि.अ.आ. ने **4** स्कॉलरों को नामित किया जो सोफिया विश्वविद्यालय ''सेंट क्लिमनेट ओरेडिस्की'' द्वारा 17 जुलाई से 06 अगस्त 2011 तक तथा **01 जुलाई से 20 अगस्त, 2011** 'सैंट सिरिल और सैंट मेथोडियस' विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। सभी दौरे सफल रहे।

आरंभ किए गए नए कार्यक्रम

यू.के.आई.ई.आर.आई. समझौते ज्ञापन का उद्देश्य, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए ब्रिटेन भारत शिक्षा और शोध पहल (यूके.आई.आर.आई.) के अंतर्गत कार्यकलापों के संयुक्त प्रचालन के संबंध में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटिश काउंसिल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच समझौता स्थापित करना है, और 16–08–2011 को इस पर हस्ताक्षर किये गये।

विश्वविद्यालयों से संयुक्त अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है।

डी.एफ.जी. विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में पांच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 20–10–2010 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत और डी.एफ.जी. जर्मनी के बीच वैज्ञानिक सहयोग के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय बुद्धिजीवियों के जर्मन बुद्धिजीवियों के साथ संयुक्त शोध हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2 अप्रैल, 2012 को हुई बैठक में गठित समिति के समक्ष रखे गए। समिति ने किसी भी प्रस्ताव की कोई भी सिफारिश नहीं की है।

न्यूजीलैंड भारत–न्यूजीलैंड ई.ई.पी. परियोजना के अंतर्गत पांच भारतीय कुलपतियों ने न्यूजीलैंड का दौरा किया जिसका ब्यौरा निम्नवत है:–

1. **प्रो0 ए. एन. राय, कुलपति, एन.ई.एच.यू. (शिष्टमंडल के नेता)**
2. **प्रो0 दिनेश सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय**
3. **प्रो0 आर. रामास्वामी, कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय**
4. **प्रो0 राजन वेलुकर, कुलपति, मुंबई विश्वविद्यालय**
5. **प्रो0 सुरभि बनर्जी, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, उड़ीसा**

सिंह–ओबामा भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच शैक्षिक भागीदारी को सुदृढ करने के लिए संयुक्त सिंह–ओबामा ज्ञान पहल कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थानों को सहायता प्रदान करने के तरीके पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आईसीसी) श्री अमृत खरे के बीच 19 मई, 2010 को चर्चा की गई थी।

आयोग सिद्धांत रूप में कार्यक्रम के लिए 25.00 करोड़ रु0 अदा करने के लिए सहमत हो गया है ।

(1) 25.09.2011 से 08.10.2011 तक येल विश्वविद्यालय में आयोजित अकादमिक नेतृत्व कार्यशाला में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने अमरीका की यात्रा की। कार्यक्रम के व्यय हेतु आईआईटी कानपुर को 1.75 करोड रूपये की राशि संस्वीकृत की गई।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों से संयुक्त अनुसंघान प्रस्ताव आमंत्रित किए हैए संवीक्षा उपरांत भारतीय पक्ष से 4 प्रस्तावों का चयन किया गया, जो निम्नवत हैं:

क्र. सं.	क्षेत्र	भारतीय भागीदार	आबंटन
1	उर्जा	प्रो. ओ. एन. श्रीवास्तव बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	₹1.50 करोड़
2	धारणीय विकास	प्रो0 सुधीर मिश्रा सिविल विभाग, आई.आई.टी. कानपुर	₹2.00 करोड़
3	पर्यावरण	डॉ. ई. वी. रामास्वामी निदेशक स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट सांइसेज एण्ड एडवांसड सेंटर आफ डेवलेपमेंट (ए.सी.एस.एस.डी.) महात्मा गांधी यूनीवर्सिटी, कोटटायम	₹1.50 करोड़
4	समुदायिक विकास	डा0 अरूण कुमार सहायक आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी, नई दिल्ली	₹23.69 लाख

(3) **आई आई एम, कोजीकोड, में नेतृत्व कार्यशाला** का आयोजन करने के लिए सिद्धांत रूप में 49.00 लाख रूपये अनुमोदित किए गए हैं।

आस्ट्रेलिया

31.07.2011 को नई दिल्ली में भारतीय तथा आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का संयुक्त सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें भाग लेने वालों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

भारतीय कुलपति	आस्ट्रेलियाई कुलपति
प्रो. पी. एन. धोष, कुलपति, जाधवपुर विश्वविद्यालय	प्रो. स्काट बोमेन, कुलपति, सेन्ट्रल क्यू.एल.डी. विश्वविद्यालय, क्यू.एल.डी.
प्रो. आर. रामास्वामी, कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय	श्री टैरी लायड, उप–कुलपति एण्ड प्रोवोस्ट (इंडिया) बालाराट विश्वविद्यालय, वी.आई.सी.
प्रो. एस. के. सोपोरी, कुलपति, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रो. जान फिनले जान्स, उप–कुलपति, रिर्सच एण्ड एडवांसमेंट, एडीथ, कोवान विश्वविद्यालय, डब्ल्यू.ए.
प्रो. फुर्कान कमर, कुलपति, केन्द्रीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	प्रो. रास मिलबार्न, कुलपति, यूनीवर्सिटी ऑफ सिडनी, एन.एस.डब्ल्यू.
प्रो. एम शेखर डीन ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अन्ना विश्वविद्यालय	मिस जेन्नी लांग, उप–कुलपति, इंटरनेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ एन.एस. डब्ल्यू., ,एन.एस.डब्ल्यू.

भारतीय कुलपति	आस्ट्रेलियाई कुलपति
प्रो. आर. गोविन्दा, कुलपति, एन.यू.ई.पी.ए.	श्री जिम पाइपर, उप–कुलपति, रिर्सच मैक्वेरी यूनीवर्सिटी, एन.एस.डब्ल्यू.
प्रो. दिनेश सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रो. जेन डेन हावलैण्डर, कुलपति, डेकिन विश्वविद्यालय, वी.आई.सी.
प्रो. सुरंजन दास, कुलपति, कोलकाता विश्वविद्यालय	प्रो. लिन्डा रोजेन्मेन, उप–कुलपति, रिर्सच विक्टोरिया यूनीवर्सिटी, वी.आई.सी.
प्रो. राजन एम. वेलूकर, कुलपति, मुंबई विश्वविद्यालय	श्री माइकल गालधेर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ग्रुप ऑफ एट
प्रो. ए. एन. राय, कुलपति, शिलांग	प्रो. पाल ग्रीनुफील्ड, कुलपति, क्यू.एल.डी. विश्वविद्यालय, क्यू.एल.डी.
प्रो. सुधान्शु भूषण, आचार्य एवं विभागाघ्यक्ष, एन.यू.ई.पी.ए.	प्रो. डेविड वूड, उप–कुलपति, क्यूरटिन, विश्वविद्यालय, डब्ल्यू.ए.
	प्रो. सुजेन इलीयट, उप–कुलपति (गलोबल एनगेजमेंट) मेलबार्न विश्वविद्यालय, वी. आई.सी.

01.08.2011 को आयोजित भारत तथा आस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में एआईसी की घोषणा की गई थी।

निम्नवत मुद्दों पर चर्चा की गई थी

1. उच्चतर शिक्षा में सहयोग
2. भारत तथा आस्ट्रेलिया नॉलेज एक्सचेंज परियोजना
3. संस्थागत सहयोग
4. संयुक्त अनुसंधान

एआईसी सदस्यों द्वारा चिन्हित आपसी सहयोग के कुछ मुख्य क्षेत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा इस बात पर सहमति बनी की निम्नलिखित क्षेत्रों में 5 मुख्य परियोजनाओं की संयुक्त प्रगति निम्नवत लीड सदस्यों की देख–रेख में की जाएगी:

1.	छात्रों को जुटाना	श्री नजीब जंग
2.	कौशल एजेन्डा	श्री दिलीप चेनाय
3.	उच्चतर शिक्षा में संस्थागत सहयोग	प्रो. रामाकृष्णन रामास्वामी
4.	गुणवत्ता आश्वासन	प्रो. रंगनाथन
5.	अनुसंधान	प्रो. दिनेश सिंह

केवल **छात्रों को जुटाना** मुददे पर श्री नजीब जंग, कुलपति, जामिया मीलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रायोगिक कार्यक्रम 2012 पर बल देते हुए भारत तथा आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों द्वारा जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुई।

सास्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत वि.अ.आ. द्वारा निम्नवत **पाँच** भारतीय कुलपतियों को नामाकित किया गया था

1. श्री नजीब जंग
2. प्रो. दिनेश सिंह
3. प्रो. मोहम्मद मियां

4. प्रो. आर. के. काले

5. प्रो. ए. एस. बरार

सभी दौरे सफल रहे।

5.11 अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए मानव संसाधन के विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा तथा परीक्षा (नेट)

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएँ एवं कुछ विदेशी भाषाएँ भी शामिल हैं), सामाजिक विज्ञानों कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, अपराध विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञानों में व्यवसाय तथा अनुसंधान में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए लैक्चरारशिप एवं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता हैं। देश में फैले 74 केन्द्रों और 78 विषयों (पेपर–एक को छोड़कर) में नेट आयोजित किया जाता है। नयी भाषा बोडो को नेट विषयों की सूची में जून 2011 से शामिल कर लिया गया हैं। विज्ञान के पांच मुख्य विषयों यथा रसायन विज्ञान, जांच विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान तथा पृथ्वी, वायुमण्डलीय महासागरीय, ग्रह विज्ञान में भी परीक्षा सी.एस.आई.आर. और वि.अ.आ. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती हैं तथा यह परीक्षाएँ जून तथा दिसम्बर के महीनों में की जाती हैं। जो उम्मीदवार, अनुसंधान करना चाहते है, उनके लिए कनिष्ठ अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) अधिकतम पांच वर्ष के लिए उपलब्ध होती है। वे उम्मीदवार, जो वि.अ.आ. नेट में जे.आर.एफ. के लिए उत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुसंधान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों में जारी रख सकते हैं। वे सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भी पात्र समझे जाएंगे।

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) एवार्ड की परीक्षा, 1984 से तथा लेक्चरार के लिये पात्रता परीक्षा, भारत सरकार के अध्यादेश 22 जुलाई 1988 के आदेशानुसार 1989 से प्रारंभ हुई। परीक्षाएं, जो इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित है, उनको जे.आर.एफ. नेट परीक्षाएं दिसम्बर, 1990 से लेकर जून, 1995 तक वि.अ.आ. – सी.एस.आई.आर. ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। ऐसे प्रत्याशी जो कि वि.अ.आ. अध्येतावृत्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, वे (जे.आर.एफ.) वि.अ.आ. नेट के अन्तर्गत परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे प्रत्याशी जिनकी योग्यता अधिक हैं तथा वि.अ.आ. नेट परीक्षा में जे.आर.एफ. के लिए सफल जो जाते हैं –वे वि.अ.आ. नेट परीक्षा में जे.आर.एफ. के लिए सफल हो जाते हैं– वे वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों /संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। वे सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भी पात्र माने जायेंगे। इसी प्रकार से ऐसे योग्यता वाले प्रत्याशी, जो कि सी.एस.आई.आर.–वि.अ.आ. संयुक्त नेट परीक्षा को मुख्य विज्ञान विषयों में सफल कर लेते हैं वे जे.आर.एफ. प्रदान किए जाने के पात्र माने जाएँगे। प्रत्येक परीक्षा में इस योजना के तहत वि.अ.आ. 1200 अध्येतावृत्तियों का अवार्ड करता हैं ।

वर्तमान में वि.अ.आ. प्रत्येक वि.अ.आ.–नेट विषयों में 3200 अध्येतावृत्तियों प्रदान कर रहा हैं, जून 2011 में जो वि.अ.आ. नेट परीक्षा हुई थी, उसमें 3392 प्रत्याशियों को जे.आर.एफ. के लिए पात्र घोषित किया गया जबकि दिसम्बर, 2011 के दौरान हुई परीक्षा में 3237 प्रत्याशियों को जे.आर.एफ. के लिए पात्र माना गया।

वि.अ.आ.–नेट में आरंभ किए गए नवाचार और सुधार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंप्यूटर स्वचालन के माध्यम से एनईटी के लिए आवेदन करने और एनईटी प्रमाणपत्रों को तैयार करने और प्रेषित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अनेक उल्लेखनीय उपाय किए गए हैं ।

- **आवेदनों को ऑनलाइन जमा करना आरंभ किया जाना**

अनुदान आयोग ने वि.अ.आ.–एनईटी जून, 2010 से केन्द्र–वार और विषय–वार अनुक्रमांकों को स्वचालित तैयार करने सहित वि.अ.आ.–एनईटी के लिए आवेदन पत्रों को शत–प्रतिशत आन–लाईन पंजीकरण और भरने की प्रणाली को सफलतापूर्ण आरंभ किया हैं। इससे उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों और प्रवेश पत्रों पर अनुक्रमांक अंकित करने में मानवीय भूल को हटाने में एक क्रान्तिकारी कदम रहा। सभी पंजीकृत उम्मीदवारों सहित उनकी उपस्थिति की मैनुअल डाटा इंन्ट्री की प्रथा में त्रुटियों को भी समाप्त कर दिया गया है। पिछले दो परीक्षाओं में यह प्रक्रिया काफी सफल रही हैं।

▲ यू.जी.सी.–एन.ई.टी. हेतु विभिन्न ई–मॉड्यूलों को आरंभ करना

एक) ई–प्रमाण पत्र जारी करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) के एनईटी ब्यूरो की प्राथमिकता यह है कि वि.अ.आ. एन.ई.टी. में सफल हुए उम्मीदवारों को ई–प्रमाणपत्र जारी की शुरूआत करने वाली पहली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा लेने वाला निकाय है। 3 मार्च, 2011 को एक ऐतिहासिक दिन था जब माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने ई–मेल पत्रों के माध्यम से जून, 2010 में हुई वि.अ.आ. एनईटी में सफल हुए कुछ उम्मीदवारों को सहायक प्रोफेसरशिप के ई–प्रमाणपत्र जारी किए गए। माननीय मंत्री द्वारा सफल उदघाटन के पश्चात् वि.अ.आ.–एनईटी जून 2010 और दिसम्बर 2010 के ई–प्रमाण पत्रों को पहले ही जारी किया जा चुका है। ई–प्रमाणपत्रों की ऑटो–डिलवरी के माध्यम से, सफल उम्मीदवारों को प्रमाणपत्रों के भेजने में होने वाले विलंब में कमी आयी है।

दो) ई–प्रमाण पत्र में फोटो शामिल करना और जे.आर.एफ. अवार्ड पत्र

जाली उम्मीदवारों की संभावना को रोकने के लिए ई–प्रमाण पत्र और जे.आर.एफ. अवार्ड पत्र में उम्मीदवार के फोटो को शामिल किया गया है।

तीन) ई–प्रमाण पत्र सत्यापन मॉड्यूल

सफल एन.ई.टी. उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की वास्तविक नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए। यह मॉड्यूल नियोक्ता अर्थात विश्वविद्यालय/संस्थानों/महाविद्यालयों को आन लाईन मॉड्यूल के माध्यम से उम्मीदवारों की प्रमाणिकता की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। इस मॉड्यूल में नियोक्ता एनईटी ब्यूरो की सरकारी वेबसाइट पर उपलबध सत्यापन का प्रारूप भरना होता है, उम्मीदवार के ब्यौरे में अनुक्रमांक, वि.अ.आ. संदर्भ संख्या, ई–प्रमाण पत्र संख्या और जन्म तिथि और नियोक्ता की सूचना अर्थात संगठन का नाम, संपर्क ब्यौरा आदि शामिल है। सत्यापन हेतु ऑन– लाइन निवेदन प्राप्त करने के पश्चात् सॉफ्टवेयर स्वतः ही उम्मीदवार की प्रमाणिकता की जांच करता है और ई–मेल तथा साथ ही डाक के माध्यम से सत्यापन प्राधिकार को उत्तर भेज दिया जाता है।

नेट में निष्पादन

वि.अ.आ. नेट के अन्तर्गत जितने भी प्रत्याशियों ने परीक्षा दी है, पंजीकरण कराया है तथा लेक्चरशिप एवं जे.आर.एफ. पात्रता परीक्षा को सफल किया है उनका एक समग्र विवरण निम्न तालिका–1 में प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष 2011–12 के दौरान वि.अ.आ. नेट के अन्तर्गत जितने भी प्रत्याशियों ने परीक्षा दी है, उनका लिंग, सह श्रेणी, उप श्रेणी, वार संख्या तालिका–2 से 5 में प्रस्तुत की गई है। तालिका–1 में सीएसआईआर–वि.अ.आ. नेट के माध्यम से लेक्चरारशिप हेतु जे.आर.एफ. परीक्षा में सफल रहे अभ्यथियों की संख्या प्रस्तुत किया गया है। नेट विषय विज्ञान विषय तथा वि.अ.आ. नेट केन्द्रों की सूची को परिशिष्ट–XVII, XVIII तथा XIX में दिया गया है।

तालिका-I: वर्ष 2011-12 के दौरान पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थीः-

वि.अ.आ. - नेट		पंजीकृत	परीक्षा में बैठे		उत्तीर्ण	
			संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत	संख्या	परीक्षा में बैठे अभ्यार्थियों का प्रतिशत
जून, 2011	लैक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित) पात्रता	325651	204557	62.81	11896	5.82
	कनिष्ठ अनुसधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ. सहित)	207402	130404	62.87	3392	2.60

वि.अ.आ. - नेट		पंजीकृत	परीक्षा में बैठे		उत्तीर्ण	
			संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत	संख्या	परीक्षा में बैठे अभ्यार्थियों का प्रतिशत
दिसम्बर, 2011	लैक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित) पात्रता	390115	265930	68.17	13859	5.21
	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ. सहित)	253381	181771	71.74	3237	1.78

तालिका-II: जून, 2011 में लेक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित) पात्रता हेतु आयोजित सीएसआईआर-वि.अ.आ. संयुक्त नेट पात्रता परीक्षा में प्रत्याशियों द्वारा निष्पादन

श्रेणी		पुरूष			महिला			कुल		
		परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत
सामान्य	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	670.00	34.00	5.07	376.00	12.00	3.19	1046.00	46.00	4.40
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.80	2.62		0.58	0.42		1.03	1.10	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	205.00	23.00	11.22	82.00	6.00	7.32	287.00	29.00	10.10
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.55	1.77		0.13	0.21		0.28	0.69	
	अन्य	36354.00	1243.00	3.42	63898.00	2870.00	4.49	100252.00	4113.00	4.10
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.65	95.62		99.29	99.38		98.69	98.21	
	श्रेणी का कुल	**37229.00**	**1300.00**	**3.49**	**64356.00**	**2888.00**	**4.49**	**101585.00**	**4188.00**	**4.12**
अ.पि.व.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	648.00	27.00	4.17	212.00	3.00	1.42	860.00	30.00	3.49
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	2.11	1.45		0.71	0.14		1.42	0.74	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	169.00	9.00	5.33	54.00	3.00	5.56	223.00	12.00	5.38
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.55	0.48		0.18	0.14		0.37	0.30	
	अन्य	29859.00	1824.00	6.11	29625.00	2198.00	7.42	59484.00	4022.00	6.76
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.34	98.06		99.11	99.73		98.21	98.97	
	श्रेणी का कुल	**30676.00**	**1860.00**	**6.06**	**29891.00**	**2204.00**	**7.37**	**60567.00**	**4064.00**	**6.71**

श्रेणी		पुरूष			महिला			कुल		
		परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत
अ.जा.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	220.00	11.00	5.00	86.00	8.00	9.30	306.00	19.00	6.21
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.20	0.77		0.61	0.59		0.94	0.68	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	40.00	2.00	5.00	11.00	2.00	18.18	51.00	4.00	7.84
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.22	0.14		0.08	0.15		0.16	0.14	
	अन्य	18053.00	1414.00	7.83	13981.00	1356.00	9.70	32034.00	2770.00	8.65
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	98.58	99.09		99.31	99.27		98.90	99.18	
	श्रेणी का कुल	**18313.00**	**1427.00**	**7.79**	**14078.00**	**1366.00**	**9.70**	**32391.00**	**2793.00**	**8.62**
अ. ज. जा.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	49.00	3.00	6.12	15.00	0.00	0.00	64.00	3.00	4.69
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.95	0.72		0.31	0.00		0.64	0.35	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	12.00	1.00	8.33	8.00	0.00	0.00	20.00	1.00	5.00
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.23	0.24		0.17	0.00		0.20	0.12	
	अन्य	5120.00	411.00	8.03	4810.00	436.00	9.06	9930.00	847.00	8.53
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	98.82	99.04		99.52	9100.00		99.16	99.53	
	श्रेणी का कुल	**5181.00**	**415.00**	**8.01**	**4833.00**	**436.00**	**9.02**	**10014.00**	**851.00**	**8.50**
समग्र	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	1587.00	75.00	4.73	689.00	23.00	3.34	2276.00	98.00	4.31
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.74	1.50		0.61	0.33		1.11	0.82	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	426.00	35.00	8.22	155.00	11.00	7.10	581.00	46.00	7.92
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.47	0.70		0.14	0.16		0.28	0.39	
	अन्य	89386.00	4892.00	5.47	112314.00	6860.00	6.11	201700.00	11752.00	5.83
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.80	97.80		99.25	99.51		98.60	98.79	
	कुल	**91399.00**	**5002.00**	**5.47**	**113158.00**	**6894.00**	**6.09**	**204557.00**	**11896.00**	**5.82**

* **पी.डब्ल्यू.डी. (पी.सी.)** निशक्त (शारीरिक रूप से निशक्त) **पी.डब्ल्यू.डी. (वी.सी.)** निशक्त व्यक्ति (दृष्टि बाधित)

तालिका-III: दिसम्बर, 2011 में लेक्चररशिप (जे.आर.एफ. सहित) पात्रता हेतु आयोजित सी.एस.आई.आर.-वि.अ.आ. संयुक्त नेट पात्रता परीक्षा में प्रत्याशियों द्वारा निष्पादन

श्रेणी		पुरूष			महिला			कुल		
		परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत
सामान्य	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	894.00	91.00	10.18	437.00	42.00	9.61	1331.00	133.00	9.99
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.87	5.74		0.56	1.42		1.06	2.92	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	261.00	47.00	18.01	105.00	21.00	20.00	366.00	68.00	18.58
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.55	2.96		0.13	0.71		0.29	1.49	
	अन्य	46562.00	1448.00	3.11	77771.00	2904.00	3.73	124333.00	4352.00	3.50
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.58	91.30		99.31	97.88		98.65	95.59	
	श्रेणी का कुल	**47717.00**	**1586.00**	**3.32**	**78313.00**	**2967.00**	**3.79**	**126030.00**	**4553.00**	**3.61**
अ.पि.व.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	901.00	100.00	11.10	270.00	22.00	8.15	1171.00	122.00	10.42
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	2.18	4.03		0.70	0.93		1.46	2.52	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	218.00	26.00	11.93	74.00	14.00	18.92	292.00	40.00	13.70
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.53	1.05		0.19	0.59		0.36	0.83	
	अन्य	40258.00	2353.00	5.84	38476.00	2329.00	6.05	78734.00	4682.00	5.95
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.30	94.92		99.11	98.48		98.18	96.66	
	श्रेणी का कुल	**41377.00**	**2479.00**	**5.99**	**38820.00**	**2365.00**	**6.09**	**80197.00**	**4844.00**	**6.04**
अ.जा.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	319.00	15.00	4.70	93.00	5.00	5.38	412.00	20.00	4.85
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.25	0.76		0.50	0.33		0.93	0.57	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	64.00	7.00	10.94	13.00	2.00	15.38	77.00	9.00	11.69
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.25	0.35		0.07	0.13		0.17	0.26	
	अन्य	25050.00	1961.00	7.83	18678.00	1523.00	8.15	43728.00	3484.00	7.97
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	98.49	98.89		99.44	99.54		98.89	99.17	
	श्रेणी का कुल	**25433.00**	**1983.00**	**7.80**	**18784.00**	**1530.00**	**8.15**	**44217.00**	**3513.00**	**7.94**

श्रेणी		पुरूष			महिला			कुल		
		परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत
अ.ज.जा.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	68.00	3.00	4.41	27.00	0.00	0.00	95.00	3.00	3.16
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.85	0.62		0.36	0.00		0.61	0.32	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	13.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.16	0.00		0.04	0.00		0.10	0.00	
	अन्य	7938.00	482.00	6.07	7437.00	464.00	6.24	15375.00	946.00	6.15
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	98.99	99.38		99.60	100.00		99.28	99.68	
	श्रेणी का कुल	**8019.00**	**485.00**	**6.05**	**7467.00**	**464.00**	**6.21**	**15486.00**	**949.00**	**6.13**
समग्र	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	2182.00	209.00	9.58	827.00	69.00	8.34	3009.00	278.00	9.24
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.78	3.20		0.58	0.94		1.13	2.01	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	556.00	80.00	14.39	195.00	37.00	18.97	751.00	117.00	15.58
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.45	1.22		0.14	0.51		0.28	0.84	
	अन्य	119808.00	6244.00	5.21	142362.00	7220.00	5.07	262170.00	13464.00	5.14
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.77	95.58		99.29	98.55		98.59	97.15	
	कुल	**122546.00**	**6533.00**	**5.33**	**143384.00**	**7326.00**	**5.11**	**265930.00**	**13859.00**	**5.21**

तालिका-IV: जून, 2011 में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृति हेतु वि.अ.आ.-नेट परीक्षा में प्रत्याशियों द्वारा निष्पादन

श्रेणी		पुरूष			महिला			कुल		
		परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत
सामान्य	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	422.00	10.00	2.37	227.00	3.00	1.32	649.00	13.00	2.00
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	2.12	2.87		0.55	0.36		1.06	1.10	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	138.00	6.00	4.35	56.00	1.00	1.79	194.00	7.00	3.61
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.69	1.72		0.14	0.12		0.32	0.59	
	अन्य	19341.00	332.00	1.72	41145.00	830.00	2.02	60486.00	1162.00	1.92
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.19	95.40		99.32	99.52		98.63	98.31	
	श्रेणी का कुल	**19901.00**	**348.00**	**1.75**	**41428.00**	**834.00**	**2.01**	**61329.00**	**1182.00**	**1.93**

श्रेणी		पुरूष			महिला			कुल		
		परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत
अ.पि.व.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	447.00	3.00	0.67	142.00	0.00	0.00	589.00	3.00	0.51
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	2.22	0.60		0.74	0.00		1.49	0.27	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	120.00	3.00	2.50	32.00	0.00	0.00	152.00	3.00	1.97
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.60	0.60		0.17	0.00		0.39	0.27	
	अन्य	19560.00	498.00	2.55	19105.00	593.00	3.10	38665.00	1091.00	2.82
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.18	98.81		99.10	100.00		98.12	99.45	
	श्रेणी का कुल	**20127.00**	**504.00**	**2.50**	**19279.00**	**593.00**	**3.08**	**39406.00**	**1097.00**	**2.78**
अ.जा.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	159.00	1.00	0.63	60.00	4.00	6.67	219.00	5.00	2.28
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.26	0.25		0.62	0.93		0.98	0.60	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	28.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00	36.00	2.00	5.56
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.22	0.00		0.08	0.47		0.16	0.24	
	अन्य	12403.00	404.00	3.26	9676.00	422.00	4.36	22079.00	826.00	3.74
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	98.51	99.75		99.30	98.60		98.86	99.16	
	श्रेणी का कुल	**12590.00**	**405.00**	**3.22**	**9744.00**	**428.00**	**4.39**	**22334.00**	**833.00**	**3.73**
अ.ज.जा.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	38.00	3.00	7.89	10.00	0.00	0.00	48.00	3.00	6.25
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.01	2.31		0.28	0.00		0.65	1.07	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	12.00	1.00	8.33	2.00	0.00	0.00	14.00	1.00	7.14
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.32	0.77		0.06	0.00		0.19	0.36	
	अन्य	3708.00	126.00	3.40	3565.00	150.00	4.21	7273.00	276.00	3.79
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	98.67	96.92		99.66	100.00		99.15	98.57	
	श्रेणी का कुल	**3758.00**	**485.00**	**3.46**	**3577.00**	**150.00**	**4.19**	**7335.00**	**280.00**	**3.82**

श्रेणी		पुरूष			महिला			कुल		
		परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत
समग्र	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	1066.00	17.00	1.59	439.00	7.00	1.59	1505.00	24.00	1.59
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.89	1.23		0.59	0.35		1.15	0.71	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	298.00	10.00	3.36	98.00	3.00	3.06	396.00	13.00	3.28
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.53	0.72		0.13	0.15		0.30	0.38	
	अन्य	55012.00	1360.00	2.47	73491.00	1995.00	2.71	128503.00	3355.00	2.61
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.58	98.05		99.27	99.50		98.54	98.91	
	कुल	56376.00	1387.00	2.46	74028.00	2005.00	2.71	130404.00	3392.00	2.60

तालिका-V: दिसम्बर, 2011 में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृति हेतु वि.अ.आ.-नेट परीक्षा में प्रत्याशियों द्वारा निष्पादन

श्रेणी		पुरूष			महिला			कुल		
		परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत
सामान्य	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	620.00	22.00	3.55	289.00	7.00	2.42	909.00	29.00	3.19
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	2.28	7.53		0.54	1.34		1.12	3.56	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	183.00	20.00	10.93	83.00	7.00	8.43	266.00	27.00	10.15
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.67	6.85		0.15	1.34		0.33	3.32	
	अन्य	26335.00	250.00	0.95	53308.00	508.00	0.95	79643.00	758.00	0.95
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.04	85.62		99.31	97.32		98.55	93.12	
	श्रेणी का कुल	27138.00	292.00	1.08	53680.00	522.00	0.97	80818.00	814.00	1.01
अ.पि.व.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	656.00	25.00	3.81	187.00	9.00	4.81	843.00	34.00	4.03
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	2.24	3.89		0.69	1.57		1.50	2.79	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	166.00	9.00	5.42	51.00	6.00	11.76	217.00	15.00	6.91
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.57	1.40		0.19	1.05		0.39	1.23	
	अन्य	28470.00	609.00	2.14	26825.00	559.00	2.08	55295.00	1168.00	2.11
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.19	94.71		99.12	97.39		98.12	95.97	
	श्रेणी का कुल	29292.00	643.00	2.20	27063.00	574.00	2.12	56355.00	1217.00	2.16

श्रेणी		पुरूष			महिला			कुल		
		परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	आवेदनों की तुलना में प्रतिशत
अ.पि.व.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	236.00	3.00	1.27	69.00	3.00	4.35	305.00	6.00	1.97
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.26	0.58		0.50	0.69		0.94	0.63	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	54.00	4.00	7.41	12.00	1.00	8.33	66.00	5.00	7.58
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.29	0.77		0.09	0.23		0.20	0.53	
	अन्य	18387.00	510.00	2.77	13766.00	428.00	3.11	32153.00	938.00	2.92
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	98.45	98.65		99.42	99.07		98.86	98.84	
	श्रेणी का कुल	18677.00	517.00	2.77	13847.00	432.00	3.12	32524.00	949.00	2.92
अ.जा.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	53.00	1.00	1.89	19.00	0.00	0.00	72.00	1.00	1.39
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.85	0.75		0.33	0.00		0.60	0.39	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	8.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.13	0.00		0.03	0.00		0.08	0.00	
	अन्य	6196.00	132.00	8.03	5796.00	124.00	2.14	11992.00	256.00	2.13
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	99.03	99.25		99.64	100.00		99.32	99.61	
	श्रेणी का कुल	6257.00	133.00	2.13	5817.00	124.00	2.13	12074.00	257.00	2.13
अ.ज.जा.	पीडब्ल्यूडी (पीसी)	1565.00	51.00	3.26	564.00	19.00	3.37	2129.00	70.00	3.29
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	1.92	3.22		0.56	1.15		1.17	2.16	
	पीडब्ल्यूडी (वीसी)	411.00	33.00	8.03	148.00	14.00	9.46	559.00	47.00	8.41
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	0.51	2.08		0.15	0.85		0.31	1.45	
	अन्य	79388.00	1501.00	1.89	99695.00	1619.00	1.62	179083.00	3120.00	1.74
	श्रेणी का कुल प्रतिशत	97.57	94.70		99.29	98.00		98.52	96.39	
	कुल	81364.00	1585.00	1.95	100407.00	1652.00	1.65	181771.00	3237.00	1.78

तालिका-VI: सीएसआईआर-वि.अ.आ. संयुक्त नेट पात्रता परीक्षा में प्रत्याशियों द्वारा निष्पादन

सीएसआईआर - वि.अ.आ. संयुक्त नेट परीक्षा	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या			
	वि.अ.आ. कनिष्ठ शोधवृत्ति	सीएसआईआर कनिष्ठ शोधवृत्ति	केवल प्रोफेसरशिप/ लेक्चरारशिप पद हेतु	केवल प्रोफेसरशिप/ लेक्चरारशिप पद हेतु (कनिष्ठ शोधवृत्ति सहित)
जून 2011	1200	1205	3322	5727
दिसम्बर 2011	935	934	2583	4452

वर्ष 2011–2012 के दौरान वि.अ.आ.–एनईटी और एनईटी ब्यूरो के अन्य सभी कार्यकलापों के संचालन पर 19.19 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था । इसमें एनईटी ब्यूरो में तैनात नियमित वि.अ.आ. कर्मचारियों को वेतन के भुगतान पर किया गया व्यय शामिल नहीं है ।

वंचित वर्गों को उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

शुल्क

भारत सरकार की नीति के अनुरूप , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के सभी कमजोर वर्गों को वि.अ.आ.–एनईटी के लिए आवेदन करने हेतु शुल्क में काफी रियायत देता आ रहा है। जहां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 450 रुपये है तो वहीं उन अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों जो मलाईदार परत (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं है, के लिए यह केवल 225 रुपये है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारें को केवल 110 रुपये नाममात्र शुल्क देना होता है।

जे आर एफ के लिए आयु

सामान्य श्रेणी के लिए जे आर एफ में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग)/शा.वि. श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है ।

नेट हेतु पात्रता की शर्तें

1	सामान्य एवं अ.पि.व. (एनसीएल) अभ्यर्थी	निष्णांत उपाधि में 55% अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2	अ.जा./अ.ज.जा./शा.वि. अभ्यर्थी	निष्णांत उपाधि में 55% अंक (बिना पूर्णांकित किए)

नेट के लिए अर्हक मानदण्ड

आयोग ने अपनी 22/12/11 को हुई बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की तरह शा.वि. श्रेणी के लिए नेट हेतु अर्हक कटौती अंको में वहीं छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया । निर्णय को दिसंबर, 2011 में हुई वि.अ.आ.–नेट की परीक्षा में तुरंत क्रियान्वित किया गया । इससे वि.अ.आ. को भारत सरकार के निःशक्त लोगों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने के निर्देश के अनुपालन में सफलता मिली । यह लक्षित समूह के लिए वास्तव में लाभकारी हुआ है क्योंकि कुल उतीर्ण उम्मीदवारों में से पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों की संख्या जून, 2011 के वि.अ.आ. नेट में 1.21 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर, 2011 में 2.85 प्रतिशत हो गई । इसी तरह कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति की वि.अ.आ.–नेट की जून, 2011 की परीक्षा के 1.09 प्रतिशत परिणाम की तुलना में दिसंबर, 2011 में 3.61 प्रतिशत रहा ।

राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 22.07.1988 के द्वारा जरिए दिए गए अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकारों के अनुरोध पर वि.अ.आ. ने राज्य सरकार की **राज्य पात्रता परीक्षा (सैट)**, जिन्हें पहले राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था, आयोजित करने की अनुमति दे दी जिससे उन्हें विधिवत वि.अ.आ. द्वारा नियम अवधि के लिए मान्यता दी गई। एस.ई.टी. का पैटर्न भी वि.अ.आ. द्वारा संचालित नेट परीक्षा जैसा है।

कुछ राज्यों के लैक्चरारशिप की पात्रता के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करने की प्रतिक्रिया में वि.अ.आ. ने अब तक केवल लैक्चरारशिप के लिए एस.ई.टी. के आयोजन के लिए निम्नलिखित राज्यों / समूहों को मान्यता देने की मंजूरी दी है। एस.ई.टी. अभिकरणों के निष्पादन की वि.अ.आ. द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञों की सहायता से पुनरीक्षा की जाती है और उनके प्रत्यायन का निर्धारित अवधि के लिए नवीकरण किया जाता है। वि.अ.आ. नेट ब्यूरो के प्रमुख सेट अभिकरणों की विषय संचालन और आधुनिकीकरण समितियों के स्थायी सदस्य होते है, जिनका गठन परीक्षाओं को आयोजित करने और परिणामों को घोषित करने के समग्र पर्यवेक्षक के लिए किया जाता है।

जिन उम्मीदवारों ने राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जिसका वि.अ.आ. द्वारा लैक्चरारशिप के लिए 1 जून, 2002 से पूर्व प्रत्यायन किया हो, को नेट परीक्षा में बैठने से छूट दे दी जाती है। **जून, 2002 में या उसके बाद आयोजित होने वाले सुनिश्चित सेट में पास होने वाले उम्मीदवार राज्य से संबंधित केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में लैक्चरार के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगे जहॉ से उन्होंने अपना सेट पास किया होगा।** तथापि, ऐसे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र भी होंगे, यदि वे ऐसा चाहें तो।

वर्ष 2011–2012 निम्न राज्यों / राज्य समूहों द्वारा सफलतापूर्वक सेट का संचालन किया :–

1) गुजरात
2) हिमाचल प्रदेश
3) कनार्टक
4) महाराष्ट्र और गोवा
5) उत्तर पूर्वी राज्य (असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
6) तमिलनाडु
7) पश्चिम बंगाल

दो नई सेंट एजिन्सियों नामतः आंध्र प्रदेश (जो 2002 से पूर्व सेट परीक्षा करवा रहा था) एवं उत्तराखण्ड को आगामी वर्षो में सेट आयोजित करवाने के लिए प्रत्यायित किया गया है।

इसके अतिरिक्त निम्नवत राज्यों ने विगत में सेट परीक्षा आयोजित की थी परंतु पिछले वर्ष में यह परीक्षा आयोजित नहीं की।

1) छत्तीसगढ़
2) हरियाणा
3) जम्मू और कश्मीर
4) झारखण्ड
5) मध्य प्रदेश
6) राजस्थान
7) उत्तर प्रदेश

सेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यय को सम्बंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।

5.12 यात्रा अनुदान

वि.अ.आ. ने कॉलेज के शिक्षकों, कुलपतियों लाइब्रेरियनों तथा उच्च शिक्षा प्रबंधन से संबद्ध अधिकारियों को उच्च शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान कार्यों के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके यात्रा अनुदान स्कीम प्रारंभ की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थायी कॉलेज अध्यापक/कॉलेज लाइब्रेरियन/कुलपति/आयोग के सदस्य/वि.अ.आ. के अधिकारी विदेशी संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने अनुसंधान पत्र प्रस्तुत कर सकें। कॉलेज अध्यापकों/लाइब्रेरियनों/वि.अ.आ. के अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा सेवानिवृत्ति की आयु तक है तथा कुलपतियों तथा आयोग के सदस्यों के लिए आयु सीमा, उनके पद पर बने रहने तक होगी।

स्थायी/अध्यापकों/लाइब्रेरियनों को उनकी यात्रा, पंजीकरण शुल्क, विदेशी मुद्रा भत्ता तथा अनुसंधान हेतु 3 वर्ष में एक बार शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कुलपतियों, वि.अ.आ. सदस्यों, वि.अ.आ. अधिकारियों एवं अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) के शिक्षकों को 2 वर्ष में एक बार शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इस स्कीम के तहत सहायता हेतु कोई भी आवेदन उस सम्मेलन के प्रारंभ होने से 2 माह पूर्व सम्मेलन के आयोजकों से स्वीकृति पत्र भी साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाएगा जिसमें उसे अपना पत्र प्रस्तुत करना है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या और हुआ व्यय निम्नवत है:–

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			व्यय (₹ करोड़ में)
	कुलपति	कॉलेज शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष	आयोग के सदस्य	
2007-2008	12	263	–	0.96
2008-2009	2	317	1	2.29
2009-2010	5	728	–	3.69
2010-2011	5	590	–	3.62
2011-2012	1	858	–	3.57

यूनेस्को कार्यक्रम: यूनेस्को द्वारा विभिन्न सदस्य देशों द्वारा विश्व में छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्राप्त होते हैं और इन्हें वि.अ.आ. द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों के बीच परिचालित किया जा रहा है । उच्च शिक्षा का विकास और सदस्य देशों के बीच समन्वय से संबधित यूनेस्को के कुछ मामलों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय वि.अ.आ. की विचार/टिप्पणी मांगता है तथा जिसे वि.अ.आ. द्वारा भलि–भांति विचार करने/दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद दिया जा रहा है। 2011–12 वर्ष के दौरान वि.अ.आ. ने दो भारतीय विद्वानों को यूनेस्को/कीजो ओबुची अनुसंधान अध्येतावृत्ति कार्यक्रम (यूनेस्को)/जापान यंग रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम/साइकिल 2012, जापान फंड इन ट्रस्ट परियोजनाओं में नामांकित किया।

5.13 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)

वि.अ.आ., 1984 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 (सीसीसी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) की स्थापना करता रहा है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अति आधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो समान्यतयाः लागत कारक के कारण कई

विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। अब तक इसने ऐसे **छह** केन्द्र मुख्यत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित किए हैं। इन्टर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सैंटर (आईयूएसी) नई दिल्ली (जो कि पूर्व में इस नाम से जाना जाता था) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

- जो विश्वविद्यालय, आधार संरचना तथा अन्य आगतों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सर्वमान्य, समुन्नत, केन्द्रीभूत सुविधाएं / सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- अनुसंधानकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक श्रेष्ठ पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष शैक्षिक संचार कंसोर्टियम (सी.ई.सी), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय में विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में अथवा कार्यक्रम तैयार करने में भी सहायक रहा हैं। देश में प्रथम देशव्यापी कक्षा (सीडब्ल्यू सी आर) कार्यक्रम दूरदर्शन से 15 अगस्त, 1984 में प्रारंभ हुआ।

यह उच्चतर शिक्षा संस्थाों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन केन्द्र (एनएएसी) के माध्यम से प्रत्यायित करवा रहा हैं । 31.3.2012 तक 172 विश्वविद्यालय और 4797 महाविद्यालयों को प्रत्यायित किया जा चुका था ।

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र सूची, उनके विशिष्ट उद्देश्यों सहित निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं :–

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र तथा उनके उद्देश्य : 2011-12

क्र. सं.	नाम	स्थापना वर्ष	उद्देश्य
1	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (आईयूएसी) नई दिल्ली	1984	ऐक्सीलरेटर परक अनुसंधान
2	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, (आईयूएसी) पुणे	1988	खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3	अंतर्विश्वविद्यालय डीएई वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, (वि. अ.आ.–डीएई–सीएसआर) इंदौर	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इन्फिलबनैट) अहमदाबाद	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का नेटवर्किंग वि.अ.आ. इंफोनेट और ई–जर्नल
5	शैक्षिक संचार का कंसोर्टियम, (सीइसी) नई दिल्ली	1993	दूरदर्शन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना। वर्तमान में देश विभिन्न विश्वविद्यालयों में 22 शैक्षणिक मीडीया अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं।
6	राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) बेंगलुरू	1994	उच्च ज्ञान अर्जन निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना

वर्ष 2011–12 के दौरान, बजट नियतन तथा प्रदत्त योजनागत एवं गैर–योजनागत अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)	
		योजनागत	गैर-योजनागत
1	आईयूएसी, नई दिल्ली	25.00	14.49
2	आईयूसीएए, पुणे	8.00	14.42
3	वि.अ.आ.डीएई, सीएसआर, इंदौर	24.64	13.06
4	इंफ्लिबनेट, अहमदाबाद	-	3.33
5	नैक, बैंगलुरू	-	1.20
6	सीईसी / मीडिया केन्द्र	1.50	15.31
	जोड़	**59.14**	**61.81**

विभिन्न अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्रों की मुख्य विशेषताएँ : 2011-12

5.13.1 इन्टर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेन्टर, (आईयूएसी), नई दिल्ली

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वर्ष 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने कार्यप्रणाली के अनुरूप स्वायत्तशासी संस्थानों के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूएसी) को स्थापित करने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव को सफल बनाने हेतु वि.अ.आ. अधिनियम को संसद के माध्यम से संशोधित कराया गया। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह था कि विश्वविद्यालयों की अध्ययन प्रणाली के अन्दर, ऐसी कुछ प्रमुख सुविधाएं जिनकी विश्वविद्यालयों व छात्रों आदि में भागीदारी है तथा जो अग्रिम स्तर के अनुसंधान कार्य हेतु वांछनीय है तथा अनुभव अन्य जितने विज्ञान विषय है उनमें मानव संसाधन विकास हो, जिस प्रक्रिया को क्रियाशील बनाने का इन केन्द्रों का लक्ष्य है। इन्टर-यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर केन्द्र ही ऐसा प्रथम केन्द्र है जिसे प्रथम अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसे आई.यू.सी. की दोहरी भूमिका है अर्थात् एक ओर अनुभव परक सुविधाओं के साथ-साथ विश्वकोटि के एक्सीलरेटर की स्थापना करना तथा पर्याप्त अवसंरचना का पर्याप्त रूप में सृजन करना ताकि विश्वविद्यालय में विद्यमान समुदाय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगितात्मक शोध कार्य का अनुसरण कर सकें। आरंभ से ही इस बात बल दिया गया था कि सामूहिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित किया जाये तथा केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं में तथा अन्य स्त्रोतों में विद्यमान समस्त सेवाओं के मध्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर यह सामूहिक क्रियाकलाप प्रोत्साहित हों।

उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताएँ

ऐसे केन्द्र का उद्देश्य यह है कि कुछ केन्द्रभूत विषयों में जैसे कि न्यूकिलयर मोती की, पदार्थो से जुड़ा विज्ञान, आणविक भौतिकी, विकिरण जीवविज्ञान एवं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि। इनमें विश्वस्तरीय की विश्वविद्यालयी प्रणाली के अन्तर्गत एक्सीलरेटर आधारित शोध कार्य उपलब्ध कराया जा सके।

बजटीय आबंटन एवं निष्पादन बजट 2011-12

शीर्ष	वि.अ.आ. से प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)	राशि जो व्यय की गई (₹ करोड़ में)
गैर-योजनागत	14.49	21.24
योजनागत	25.00	29.59

लक्ष्य समूह का कवरेज

जितने भी शोध छात्र है तथा देश भर में विद्यमान विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जो संकायों के सदस्य है, वे सभी लक्ष्य समूहों में है। वर्तमान में ऐसी सुविधाएं जो अर्न्तविश्वविद्यालय एक्सीलरेटर सेन्टर में है जो कि 455 प्रयोक्ताओं द्वारा तथा 87 विश्वविद्यालयों, 54 महाविद्यालयों एवं 64 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से है।

सम्मेलन एंव अन्य महत्वपूर्ण कार्य

वर्ष के दौरान **छब्बीस** साप्ताहिक संगोष्ठियां और विज्ञान के नवीनतम विषयों पर अनुसंधान के लिए **चार** कार्यशालाएं केन्द्र में आयोजित की गई है । नवंबर में केन्द्र में अप्लाइड सुपर कंडक्टिविटी एण्ड क्रायोजनिक (ए सी ए एस सी 2011) पर एक एशियाई संगोष्ठी आयोजित की गई थी। फंटियर्स इन गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी पर सम्मेलन में विदेशों के कुछ विशेषज्ञों सहित पूरे भारत से प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा केन्द्र में और देश के विभिन्न स्थानों में नवोचारी आविष्कार और बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर दो कार्यशालाएं आयोजित हुई थी। आई यू ए सी में किए गए कार्यों के बारे में छात्रों और संकायों की जागरूकता में वृद्धि के लिए परिचर्चा कार्यक्रम शिमला, नागपुर, बारीपदा और बरेली में हुए।

अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते

वर्ष के दौरान एसीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के उपयोग संबंधी सहयोग के लिए मिनोसोटा विश्वविद्यालय मिना पोलिस, संयुक्त राज्य अमरीका, फी इलेक्ट्रान लेजर के विकास पर जापान के के ई के और न्यूक्लियर फिजिक्स में संयुक्त अनुसंधान के लिए, जे आई एन आर डुबना, रूस के साथ संयुक्त परियोजना हेतु गठबंधन का कार्य किया गया ।

प्रकाशनों की सूची

आईयूएसी में किए गए कार्य के परिणामस्वरूप जर्नलों में 85 प्रकाशन किए गए जिसमें से 22 नाभिकीय भौतिकी, 63 पदार्थ विज्ञान, विकिरण जीव विज्ञान तथा आण्विक भौतिकी के क्षेत्र में थी ।

कोई अन्य विवरण

इस अवधि के पेलेट्रान एसिलरेटर का अपराह्न 98.7 प्रतिशत और बीम यूटिलाइजेशन 59.1 प्रतिशत था। बीम फैकल्टी में लो एनर्जी को अद्यतन किया गया है तथा इसे तीन बीम लाइनों के साथ स्थापित किया गया है और नियमित अविष्कार शुरू हो गया है। परमाणु भौतिकी में आविष्कार के लिए बीम इनर्जी की बढ़ी ग्राह्यता के साथ सुपर कंडक्टिंग लाइनैस को दो पूर्ण रूपों में प्रचालित किया गया ।

इन हाउस डिजाइन किए गए कंपैक्ट विकिरण शिल्डिंग डोर को बीम हाल–तीन में लगाया गया एच वाई आर ए और न्यूट्रान एरे महत्वपूर्ण स्थान बच गया। फ्यूजन फिशन डाइनमिक्स संबंधी अध्ययन जारी है तथा टी आई एफ आर में आई एन जी ए अरे के साथ सर्वाधिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कार्य किया गया। आई एन बीम इरेडिएशन आविश्कार गुजरात, सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक स्पुटरिंग, आईएन बीम मिक्सिंग मोडिफिकेशन से संबंधित है।

5.13.2 इंटर-यूनिवर्सिटी सेन्टर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए), पुणे (महाराष्ट्र)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1980 के मध्य में एस्ट्रोनामी और एस्ट्रोफिजिक्स (ए0 एण्ड ए0) भारतीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किए गए थे । जब प्रो0 यशपाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे तो एक उन्नत केन्द्रीयकृत स्थान जहां पर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में जिसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक समझा गया था, में अनुसंधान और शिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, स्थापित किए जाने की संकल्पना तैयार की गई थी। इस प्रकार आईयूसीएए की एक स्वायत्तशासी उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में सन् 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापना की गई थी और प्रो0 जयन्त वी. नार्लीकर को इसका संस्थापक निदेशक बनाया गया था ।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

आईयूसीएए का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय क्षेत्र के ए एण्ड ए में शिक्षण, अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को आरंभ करने तथा पोषित और उनका विकास करने में मदद प्रदान करना है। अपनी स्वयं के कई अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के अलावा आईयूसीएए से क्षेत्र स्टेशन और संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने और भारत और पड़ोसी देशों में ए0.ए0. क्रियाकलापों के लिए सामान्य मार्गदर्शन तथा मदद मुहैया कराना है।

आईयूसीएए सदस्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एस्ट्रोसैट कार्यक्रम में भी शामिल है। आई यू सी ए ए तीस मीटर टेलीस्कोप (टी एम टी) और लेजर इंटरफरमोमीटर ग्रैविटेशनल वेव्स अवार्नवेटरी (लीगो) इंडिया प्रोजेक्ट में अग्रणी संस्थान है ।

लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आई यू सी ए ए ने बुनियादी अनुसंधान सहित बहुत से कार्यक्रम बनाए हैं इनसे से कुछ नीचे दिए गए हैः–

- बुनियादी अनुसंधान
- ए और ए का शिक्षण
- आईयूसीएए–एनसीआरए स्नातक विद्यालय
- पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और ग्रीष्मकालीन कार्यशाला
- एसोसिएटशिप कार्यक्रम
- ए एण्ड ए का भारतीय विश्वविद्यालयों में न्यूक्लियीएशन
- आईयूसीएए संसाधन केन्द्र
- विद्यालय, कार्यशाला और सम्मेलन आयोजित करवाना
- आईयूसीएए गिरवाली दूरबीन का प्रचालन करना
- दक्षिणी अफ्रीका की बड़ी दूरबीन में प्रेक्षण समय
- जनसाधारण तक पहुंच बनाने वालो कार्यक्रम आदि

आईयूसीएए परिसर में पुस्तकालय, इन्सट्रूमेन्टेशन प्रयोगशाला, कंप्यूटर केन्द्र, एक आभासी वेद्यशाला, शैक्षिक और अनुसंधान नेटवर्क (इंटरनेट), उच्च क्षमता संगणना, आई.यू.सी.ए.ए.–एन.सी.आर.ए. रेडियो फिजिक्स प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधाएं मौजूद हैं।

लक्षित समूह को शामिल करना

वर्ष 2011–12 के दौरान आईयूसीएए में विदेशियों सहित लगभग 650 अतिथि आए जिनमें लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं थी। इसमें भारतीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से आने वाले शिक्षक और छात्र शामिल हैं। एसोसिएटशिप प्रोग्राम के अंतर्गत 50 भारतीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से 85 विजिटर एसोसएिट हैं, आईयूसीएए ने 45 विश्वविद्यालयों में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान कार्य शुरू किया हैं ।

आयोजित की गई कार्यशालाएं, स्कूल और सम्मेलनः

वर्ष 2011–12 के दौरान आईयूसीएए ने 9 कार्यशालाओं और स्कूलस् का आयोजन किया और आईयूसीएए में 5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 10 कार्यशालाओं और स्कूलस तथा भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के बाहर आईयूसीएए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रकाशन

आई यू सी ए ए में 16 मुख्य संकाय सदस्य (अकादमिक) 14 पोस्ट डॉक्टोरल फेलो और 29 अनुसंधानवेता हैं। इन अकादमिकशियनों द्वारा मुख्य अनुसंधान कार्यक्रम एडोनोमी और एडोफिजिक्स के विविध क्षेत्र हैं ।2011–12 के दौरान आई यू सी ए ए के सदस्यों के 80 अनुसंधान प्रकाशन विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए ।आई यू सी ए ए के सदस्य अधिगमन के कार्यकलापों जैसे व्याख्यान, संगोष्ठियां और विज्ञान को लोकप्रिय बनाना आदि में भाग लेते हैं ।

अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ करार

भारतीय खगोलशास्त्री भारत में आईयूसीएए गिरावली वेद्यशाला की तरह के मध्यम आकार की दूरबीनों का व्यापक रूप से प्रयोग करते रहे हैं । लगभग आधे प्रस्ताव भारतीय विश्वविद्यालयों के खगोलशास्त्रियों की तरफ से आने के कारण वेद्य–चक्रों (ऑब्जरविंग साइकिल्स) में काफी भीड़ हैं। इस रूचि और वेद्यात्मक खगोल विद्या के क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखने के लिए 10 एम. टेलिस्कोप्स जैसी सुविधाओं की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही हैं। आईयूसीएए ने एक अंतर्राष्ट्रीय कन्सोरटियम द्वारा संचालित साउदर्न एफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप (एसएएलटी) के साथ गठबंधन किया हैं जिसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के ऑब्जर्वरों सहित आईयूसीएए के ऑब्जर्वरों को ऑब्जर्विंग टाईम का 6 प्रतिशत मिलता हैं।

अडैप्टिव ऑप्टिक्स प्रोग्राम में आईयूसीएए इन्सट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी और कैलीफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए के बीच भी सहयोग का एक करार हुआ है । रोबो–एओ (1–3 एम डाइमिटर एपचेर के साथ टेलीस्कोप हेतु कम कीमत की रोबोटयुक्त क्यू सिड्यूक एडाप्टिव आप्टिकल सिस्टम है) को पालोमर 60 इंच टेलीस्कोप पर शुरू किया गया है । आई सी यू ए ए के साइडकार ड्राइव इलेक्ट्रानिक कार्ड (आई एस डी ई सी) का नया संस्करण को यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोनासिन, माडीसन, यू एस ए को दिया गया है तथा इसे राबर्ट स्टोबी स्पेक्ट्रोग्राफ, जो 11 मी0 दक्षिण अफ्रीका लाज टेलीस्कोप (साल्ट) द्वारा वहां बनाया जा रहा है, के साथ लगाया जाना है । दूसरी आई एस डी ई सी प्रणाली को यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यू एस एस को दे दिया गया है जिसे कैनरिस इंफ्रारेड कैमरा एक्सपेरीमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाया जाना है तथा यह ला पालमा में 10.4 मी0 ग्रैन टेलीस्कोप कैनारियास में स्थापित किया जा रहा है ।

आई एस डी ई सी प्रणाली का एक संस्करण हवाई गिरेक्टर, जिसे टी एम टी के ऑन इंस्ट्रूमेंट वेवफ्रंट सेंसरों के लिए प्रयोग किया जाना है, का उपयोग स्पेशल ग्रिड–आउट मोड के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा । सावधानी से चयनित ब्लेजरों के नमूनों का तीन वर्षीय गहन सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन, निर्माण, सुपुर्दगी और पोलरी मीटर के कार्यारंभ हेतु सहयोग कैलीफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एकोनोमी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेटे और निकोलस कापरनिकस यूनिवर्सिटी से लिया गया है ।

इसके अतिरिक्त, आईयूसीएए ने गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान जैसे आंकड़ा विश्लेषण, स्रोतों की सैद्धांतिक अनुकृति, और सिद्धांत और आंकड़ा विश्लेषण के इंटरफेस के क्षेत्र में जर्मनी, जापान और फ्रांस के साथ और जापान के साथ तारा उत्पत्ति क्षेत्र, इंटरस्टेलर मीडियम और खगोलीय पिण्डों में एस्ट्रोफिजिकल डस्ट का अध्ययन करने के लिए सहयोग संबंधी करार किया हुआ है ।

5.13.3 वि.अ.आ.-डी.ए.ई कसोर्टियम फार साइंटिफिक रिसर्च, इंदौर (म.प्र.)

इतिहास

यू.जी.सी., डी.ए.ई. कंसोर्टिअम फॉर साईंटिफिक रिसर्च, जिसे पहले इंटरयूनिवर्सिटी कंसोर्टिअम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एंटॉमिक एनर्जी फैसीलीटीज (आई.यू.सी.–डी.ए.ई.एफ) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1990 में एक समझौता ज्ञापन के आधार पर की गई थी, जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो. एस. यशपाल और परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन के हस्ताक्षर हुए थे। वि.अ.आ..–डी.ए.ई.–सी.एस.आर. के तीन केन्द्र, इन्दौर, कोलकाता और मुम्बई में है तथा इसका मुख्य कार्यालय इंदौर में है। इस संस्थान के कार्यकलाप का क्षेत्र, वर्ष 2003 में व्यापक हो गया, जब उस समय दो संस्थानों द्वारा एक नये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया तथा उस समय आई.यू.सी.–डी.ए.ई.एफ. का नाम बदलकर वि.अ.आ.–डी.ए.ई.–सी.एस.आर. कर दिया गया। वि.अ.आ.–डी.ए.ई.–सी.एस.आर. नोड ने कल्पक्कम में अनेक उपकरणों की संस्थपना के साथ कार्य करना शुरू कर दिया।

लक्ष्य

वि.अ.आ.–डी.ए.ई.–सी.एस.आर. के मुख्य लक्ष्य, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के शिक्षकों को अति उन्नत शोध सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शोध छात्रों को पी.एच.डी. के लिए शोध कार्य में सहायता करना है। हमारे द्वारा अपने यहाँ 'इन–हाउस' उपलब्ध कराई गई तथा डी.ए.ई. द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं जो अत्यंत महंगी है एवं जिनका संचालन एवं अनुरक्षण कठिन है, सामान्यतः विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं है।

बजट

वर्ष 2011–12 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्र को योजनागत और गैर–योजनागत शीर्षों के अन्तर्गत निधियाँ क्रमशः 1113.51 लाख रूपये और 1518.42 लाख रूपये की धनराशि थी।

लक्षित समूह

सम्पूर्ण भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्यापक और पी.एच.डी. के छात्र वि.अ.आ.–डीएई–सीएसआर के अल्पकालिक और दीर्घकालिक (3 वर्ष) सहयोग शोध स्कीमों के अंतर्गत डीएई सुविधाओं एवं 'इन हाउस' सुविधाओं का उपयोग कर रहे है। वर्तमान में **140** से अधिक सीएसआर परियोजनाएं चल रही है और देश भर में फैले **200** विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लगभग **900** अनुसंधानकर्त्ता अल्पकालीन आधार पर सुविधाओं का उपयोग करते है। प्रयोक्ताओं का बड़ा अनुपात महिला शिक्षकों एवं महिला अनुसंधान छात्राओं का है। पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड, छत्तीसगढ़,

उडीसा से उपयोगकर्ताओं से कसोर्टियम में अनुसंधान सुविधाओं का लाभ उठाना है। सी एस आर के विभिन्न कार्यक्रमों के बहुत से उपयोगकर्ता/लाभार्थी वंचित समूहों से है। वर्ष के दौरान लगभग **30** एम.एस.सी. /एम.फिल विद्यार्थियों इस सहायता संघ ने अपने परियोजना कार्य पूरे किए। कंसोर्टियम के **5** छात्रों ने अपनी पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है।

सम्मेलन आदि

वि.अ.आ.–डीएई सीएसआर ने **23 मई, 2011** को सी एस आर के इन्दौर में, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता में **3 से 9 अगस्त, 2011** को मैग्नेटिक फेज ट्रांजिशन एण्ड ट्रांसफारमेशन में कार्यशाला आयोजित हुई तथा कोलकाता में वी ई सी सी में **24 से 26 अगस्त, 2011** की न्यूक्लियर फिजिक्स यूसिंग आईएन बीम फॉर्म साइक्लोडान्स पर राष्ट्रीय कार्यशाला (वीईसीसी के साथ संयुक्त रूप से), बार्क मुंबई में **17–18 अक्तूबर, 2011** को यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल फैसिलिटी फॉर न्यूट्रॉन बीम रिसर्च उद्देश्य बैठक (बार्क के साथ संयुक्त रूप से) क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर में **10 से 11 फरवरी, 2012** को रेडिएशन साइंस एण्ड अप्लीकेशन पर प्रबोधन कार्यशाला, कालपक्कम में **13 से 15 फरवरी, 2012** को मैटेरियल्स कमेस्ट्री (टी एम एम सी– 2012) यह आई जी सी ए आई के साथ संयुक्त रूप से उद्देश्य बैठक, सी एस आर इंदौर में **14 से 16 मार्च, 2012** को ए स्कूल ऑन थिन फिल्म मैग्नेटिज्म, और **23 से 24 मार्च, 2012** उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर में फैसिलिटी ऑफ वि.अ.आ. –डीएई कनसार्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई ।

पूर्वोत्तर के राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं में सीएसआर में मौजूद अनुसंधान सुविधाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता लाने के विशेष प्रयास के रूप में हमारे एक वैज्ञानिक ने 10 से 28 अप्रैल, 2011 के दौरान क्षेत्र के नौ संस्थानों का दौरा किया।

विशेष सुविधाएं

वि.अ.आ. ने 60 शहरों के प्रयोक्ताओं को निम्न तापमान और उच्च चुंबकीय क्षेत्र (एल टी एच एम) के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इसके पास बार्क में ध्रुव रिएक्टर सहित ऐसे 10 एल टी एच एम में सुविधाएं उपलब्ध है । यह थिन फिल्म की तैयारी और उनकी विशेषता के लिए विश्वविद्यालय को आधुनिक सुविधा प्रदान करता है । यह विश्वविद्यालय के उपयोगकर्ताओं को एसिलरेटर आधारित विज्ञान और जो देश में एकमात्र न्यूट्रान और सिक्रोट्रोन का स्रोत है, की जानकारी देता है ।

प्रकाशन

वि.अ.आ.–डीएई–सीएसआर के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए शोध कार्य का प्रकाशन नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में किया जाता है और इस वर्ष **200** पत्र प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त वि.अ.आ.–डीएई–सीएसआर वर्ष में दो बार ***'सहयोग'*** नाम के बुलेटिन का तथा संस्था की अकादमी गतिविधियों की एक ***'वार्षिक रिपोर्ट'*** का प्रकाशन करता है। इन प्रकाशनों के अद्यतन अंक एवं अन्य सूचनाएँ वेबसाइट www.csr.ernet.in से प्राप्त की जा सकती है।

5.13.4 सूचना और ग्रंथालय नेटवर्क केन्द्र (इंफ्लिबनेट), अहमदाबाद (गुजरात)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफ्लिबनेट), अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र जो वि.अ.आ. के अन्तर्गत है, उसका एक स्वायत्त संस्थान है, जो कि गुजरात विश्वविद्यालय परिसर अहमदाबाद में स्थित हैं। इस केन्द्र की मुख्य सेवाओं को अकादमिक लाइब्रेरी एवं सूचना केन्द्रों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण एवं अकादमिक अनुसरणों के लिए प्रवृत्त। भारत वर्ष में विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के साथ, नेटवर्क स्थापित करने के लिए यह केन्द्र एक केन्द्रक संस्था के रूप में कार्यरत है। यह केन्द्र मई,1996 वि.अ.आ. के अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में एक स्वतंत्र स्वायत्तशायी संस्थान के रूप समस्त देश में अकादमिक एवं अनुसंधानकर्ताओं के मध्य विद्वता संबंधी संप्रेक्षण को प्रोन्नत करने के लिए एक मुख्य कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहा है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एक गतिशील कारक होने के कारण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों के शैक्षिक समुदाय के लिए दो प्रमुख कार्य शुरू किए थे। (1) ''वि.अ.आ.– इन्फोनेट कनेक्टीविटी प्रोग्राम'' जो विश्वविद्यालय परिसरों को अत्याधुनिक कैम्पसवाइड नेटवर्क एवं इंटरनेट बैंडविड्थ की नेटवर्किंग प्रदान करता है। (2) ''वि.अ.आ.–इन्फोनेट डिजीटल लाईब्रेरी कंसोर्टियम'' जो विभिन्न विषयों के चयनित विद्वतापूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं एवं डाटाबेस तक पहुँच प्रदान करता है।

(3) शोधगंगाः– भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोधग्रंथों और पत्रों का डिजिटल संग्रहालय जो आईएनएफएलआईबीएनईटी केन्द्र पर स्थापित किया गया है और जो शोध विद्वानों के द्वारा शोध ग्रंथों और शोध पत्रों को ऑनलाईन रूप में प्रस्तुति करने में सहायता करता है; (4) ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम(ओजेएएस)@आईएनएफएलआईबीएनईटी जो आईएनएफएलआईबीएनईटी केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए गए ओजेएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकवृन्द और शोधार्थियों को अपने ओपन एक्सेस जर्नल्स को शुरू करने में सुविधा प्रदान करता है । (5) पहुँच संबंधी प्रबंधन की प्रौद्योगकिया जो कि ई–संसाधन तक पहुँच बनाने के लिए प्रयोक्ताओं को सहायक होती हैं–बिना इस बात का विचार करते हुए कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा अभी कुछ समय पूर्व ही एक परियोजना का शुभारंभ किया गया है जिसका शीर्षक है (6) "राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं संबंधी अवसंरचना जो कि विद्वत्ता विषयक है" जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं पुस्तकों तक पात्र महाविद्यालय द्वारा पहुँच उपलब्ध कराई जा सकती है।

लक्ष्य

संगम ज्ञापन (एम.ओ.ए.) के अनुसार केन्द्र के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है :

- अध्येतावृत्ति प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं अकादमिक अनुसरण सहभागिता एवं संबद्व एजेंसियों के माध्यम से सम्प्रेक्षण सुविधाओं को प्रोन्नत करना एवं सूचना हस्तातरण में क्षमता में सुधार लाने के लिए जो पहुँच आवश्यक है उसके हेतु समर्थन प्रदान करें।
- सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क को स्थापित करना–तथा विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, वि.अ.आ. सूचना केन्द्रों, राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों एवं अनुसंधान एवं अभिकल्पना संस्थानों में पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों को जोड़ना तथा अपने प्रयासों में आवृत्ति से बचना।
- इलेक्ट्रॉनिक मेल, मिसिल स्थानतरण, कम्प्यूटर/श्रव्य/दृश्य कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा वैज्ञानिकों, इंजीनियरो, सामाजिक वैज्ञानिकों, अकादमिक विद्वानो, संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं एवं छात्रों के मध्य अकादमिक सम्प्रेक्षण को सुविधाजनक बनाना।
- सम्प्रेक्षण, कम्प्यूटर नेटवर्क, सूचना क्रियान्वयन एवं आंकडों का प्रबंधन इन सभी क्षेत्रों में प्रणाली संबंधी रूपांकन एवं अध्ययन को आरंभ करना।
- सम्प्रेक्षण, नेटवर्क में उपयुक्त रूप से नियंत्रण एवं प्रणाली सर्वेक्षण करना तथा प्रबंधन को नियोजित करना।
- संस्थानों, पुस्तकालयों, सूचना केन्द्रों एवं भारत एवं विदेशों में स्थित संगठनों में इन केन्द्रों के लक्ष्यों से सापेक्ष उद्देश्यों के प्रति सहभागिता करना।
- इस केन्द्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी अनुसंधान एवं अभिकल्पना को प्रोन्नत करना जो कि तकनीकी पदों का सृजन करने के लिए सुविधाजनक हो सकती है।
- परामर्श एवं सूचना संबंधी सेवाए उपलब्ध कराकर आय प्रजनित करना।
- उपरोक्त सभी लक्ष्यों अथवा किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी समस्त अन्य सारी बातें जो चाहे अनिवार्य हो, अथवा घटनावश हो अथवा इस प्राप्ति के लिए प्रेरक हो, ऐसे सभी कार्य करना।

वैज्ञानिक और तकनीकी क्रियाकलाप

केन्द्र में विद्यमान जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी सक्षमता उपलब्ध है उन सबको अनेक कार्यकारी वर्गों में समूहित कर दिया जाता है जो कि केन्द्र के कार्यकलाप संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। जो प्रमुख शोध एवं विकास एवं मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ है उनको उस आवश्यक सूचना के आधार पर एकत्र किया जाता है, जो कि शैक्षिक समुदाय से जुड़ी हुई है जिसके अंतर्गत छात्र संकाय एवं शोधकर्ता सम्मिलित है। केन्द्र द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यकारी वर्गों द्वारा जो प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियाँ हाथ में ली गई है उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

- विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का ऑटोमेशन

केन्द्र ने ग्यारहवीं/दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 142 विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय ऑटोमेशन के लिए अनुदान (आरंभिक और आवर्ती) प्रदान करता है । शेष 23 विश्वविद्यालयों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुदान दिया गया । केन्द्र ने राज्य विश्वविद्यालयों को अपने

पुस्तकालयों के ऑटोमेशन में सक्रिय रूप से मदद किया है । पुस्तकालय ऑटोमेशन, मानक पुस्तक विज्ञान प्रारूप , रिट्रो कनवर्जन प्रणाली, उपकरण और तकनीक से संबंधित विशयों पर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

♦ डाटाबेस प्रबंधन तथा अनुसंधान एवं विकास

स्थापना से ही यह केन्द्र डाटा प्रबंधन संबंधी कार्यों में लगा हुआ है तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकालय संसाधनों की केन्द्रीय सूची बनाने का कार्य शुरू कर चुका है। पुस्तकों का केन्द्र डाटाबेस तथा भागीदार विश्वविद्यालयों के चालू क्रमिक सीरियल, शोध प्रबंध, यह समस्त ही अन्तर्राष्ट्रीय के रूप में उपलब्ध हैं जिसे इन्डकैट भारतीय विश्वविद्यालयों का ऑनलाइन केन्द्र सूचीपत्र के नाम से जाना जाता है तथा केन्द्र द्वारा सृजित जो "इन्डकैट, ऑनलाइन भारतीय विश्वविद्यालयों की जो केन्द्र सूचीपत्र है वह केन्द्र की अनुशंसा के आधार पर वि.अ.आ. द्वारा विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय एवं संभार–तंत्रीय समर्थन के परिणाम स्वरूप ही है। "इन्डकैट" पर उपलब्ध विभिन्न रिकॉर्ड एंव अन्य डाटाबेस का ब्यौरा निम्नवत है

डाटाबेस का नाम	रिकॉर्डों की संख्या	संस्थानों की संख्या
पुस्तकें	1,24,01,438	145
गुजकैट	11,01,233	15
नेरकैट	2,10,361	8
शोध प्रबंध	2,37,200	238
चालू क्रमिक जरनल	35,209	213
क्रमिक्र पुस्तकें (होल्डिंगस)	50,164	210
सी.ईसी. वीडीयो डाटाबेस	15,000	18*
विषय विशेषज्ञ	16,405	524
विषय विशेषज्ञ (एन.आई.एस.एस.ए.टी)	24,164	715
शोध परियोजनाएँ	13,701	वि.अ.आ., सी.एस.आई.आर., आई.सी.ए.आर., डी.एस.टी. आदि

*सीईसी एवं इसके 17 मीडिया केन्द्र

पुस्तकों का केन्द्रीय डाटाबेस एमएमएआरसी 21 फार्मेट में चयनित पुस्तकालय रिकॉर्डों के डाउनलोडिंग और उन्हें एमएआरसी 21 कंप्लाएन्ट इंटेग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में ले जाने की सुविधा प्रदान करता है इंडकैट का इंटरफेश यूजर प्रयोक्ताओं को एक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों को एक समूह या भौगोलिक क्षेत्र या राज्य के विश्वविद्यालयों में दस्तावेज ढूंढने में मदद करता है । अतः विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों के केन्द्रीय पुस्तक सूची के अतिरिक्त इंडकैट प्रत्येक सहभागी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए वर्चुअल पुस्तक सूची का कार्य करता है ।

उपर्युक्त वर्णित सभी संघीय डाटाबेस को ऑफ लाइन तरीके अर्थात विश्वविद्यालय पुस्तक विज्ञानीय आंकड़ों को बैच के रूप में आवधिक रूप से केन्द्र को भेजते हैं । केन्द्र उनकी सटीकता और अर्थ विश्वविद्यालयों आदि में उनकी उपलब्धता की जांच करने के पश्चात् ऐसे रिकॉर्ड को संघीय पुस्तक सूची में मिला देता है । इन कार्यकलापों को ऑन लाइन रूप में करने के लिए प्रयास किए गए ।

इनफि्लबनेट केन्द्र ने भी ''ऑनलाइन कापी कैटलॉग सिस्टम (ओ सी एस)'' नाम अप्लीकेशन है जो को–ऑपरेटिव कैटलॉगिंग को बढ़ावा देने और प्रयासों के दुहराव से बचने के उद्देश्य से पुस्तकालयों को पुस्तकों के संघीय सूची (इंडकैट) से संपर्क बनाने तथा पुस्तकों के संघीय सूची (इंडकैट) से संपर्क बनाने तथा पुस्तकों के खरीद को ऑन लाइन करने में मदद करता है। एक तरफ ओसीएस पुस्तकालयों को इंटकैट में उपलब्ध पुस्तकीय रिकार्ड दस्तावेजों (70,03,418 पुस्तकों का रिकॉर्ड) को भेजने और ब्राउज करने में मदद करता है तो दूसरी ओर यह चयनित रिकॉर्ड को सोक्त 2.0 या किसी मार्स 21 कंप्लाएन्ट सॉफ्टवेयर में डाऊनलोड करता है ।

पुस्तकों की संघीय सूची के दो उप सेट नामतः गुजकैट और एनईआर कैट है जिसे संबंधित क्षेत्रों की मांग पर अलग डिजाइन किया जाता है । इंडकैट के अलावा, केन्द्र ने विषय विशेषज्ञों, अनुसंधान परियोजनाओं का डाटाबेस और विश्वविद्यालयों की डायरेक्टरी बनाया है ।

सोल 2.0

सोल 2.0 (विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सॉफ्टवेयर) एक आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जिसे इनफ्लिबनेट केन्द्र द्वारा कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य अकादमिक पुस्तकालयों की आवश्यकताओं के संबंध में अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर डिजाइन किया गया और बनाया गया है । सोल सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण जून, 2000 में जारी किया गया था जबकि इसका दूसरा संस्करण नामतः ''सोल 2.0'' जनवरी, 2009 में जारी किया गया । सोल 2.0 उपयोगकर्ताओं के अनुकूल विन्डो आधारित सॉफ्टवेयर है जिसे क्लाइन्ट सर्वर इनवायरमेंट के अंतर्गत काम करने के लिए बनाया गया है । सॉफ्टवेयर केवल अकादमिक पुस्तकालय के नहीं बल्कि सभी प्रकार के पुस्तकालयों के लिए उपयुक्त है । यूनिकोड आधारित और मार्स 21– कंप्लाएन्ड सोल 2.0 के छह एकीकृत माड्यूल अर्थात् एक्वीजीशन, कैप्लागिंग, सर्कुलेशन, सीरीयल कंट्रोल, ओपैक और एडमिनिस्ट्रेटर है । सॉफ्टवेयर डाटा अंतर और लेन–देन को सुगम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे मार्स 2.1 के अनुकूल है, यूनीकोड बहुभाषी सामग्री को हैन्डल करने में मदद करता है तथा सिप और एन सिप आर फिड अनुपालन में एवं एफ आर बी आर पुस्तकीय रिकॉर्ड आदि की आवश्यकताओं के प्रकार्य में मदद करता है । नया संस्करण भारत के पुस्तकालयों में ठीक से प्राप्त हो गया है । इस सॉफ्टवेयर को देश में 2000 से अधिक जगहों पर लगाया गया है । केन्द्र ने अपने प्रयोक्ताओं के प्रश्नों के प्रभावी और द्रक्षतापूर्ण निपटान के लिए सोल क्वेटी प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया है ।

वि.अ.आ.–इंफोनेट इंटरनेट से जोड़ने का कार्यक्रम

वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय के प्रांगढों को वि.अ.आ.–इंफोनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 2002 में विस्तृत नेटवर्क द्वारा आधुनिक कैंपस बनाने का कार्य शुरू किया । इस योजना के अंतर्गत सेवा प्रदाता के रूप में बीएसएनएल के साथ फाइबर ऑप्टिकल लीज लाइन पर 180 से अधिक विश्वविद्यालयों को 10 मेगा बाइट प्रति सेकेंड (1:1) पर इंटरनेट बैंडविड्थ उपलब्ध कराया गया ।

आई सी टी (एनएमई, आईसीटी), जो सभी विश्वविद्यालयों को एक जीवीपीएस कनेक्टिविटी प्रदान करता है, के माध्यम से राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) और शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन से लगभग सभी विश्वविद्यालय कनेक्टिविटी प्रोग्राम से जुड़ गए और वे उच्च नेटवर्क वैंडविड्थ का लाभ ले रही है । विश्वविद्यालय, जिन्होंने एनकेएन / एनएमई–आईसीटी नहीं अपनाया है तो उन्हें इसे ज्वाइन करने या वैकल्पिक रूप में इनफ्लिविनेट केन्द्र द्वारा तय दरों पर बीएसएनएल से बैंडविड्थ इंटरनेट पाने का सुझाव दिया गया है । वि.अ.आ. इंफोनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम अपने वर्तमान प्रारूप में 01 अप्रैल, 2012 से समाप्त हो गया । इसकी जगह लाभार्थी विश्वविद्यालयों द्वारा एनकेएन के बेहतर उपयोग के लिए नए प्रारूप का प्रस्ताव किया गया है ।

वेब सेवाएं

वेब सेवाएं अनुसंधान और विकास समूह ने अपने सभी प्रमुख कार्यकलापों और सेवाओं जैसे एसओयूएल सॉफ्टवेयर, इन्डकैट, वि.अ.आ.–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कन्सोर्टियम, वि.अ.आ. इन्फोनेअ संयोजकता कार्यक्रम, शोधगंगा, ओजेएएस, एन –लिस्ट, इत्यादि के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र वेबसाइट्स आर.एस.एस. फीड इनेबल्ड है । केन्द्र अनेक इन्टेक्टिव और कोलाबरेटिव टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एन.ई.टी. टूल–बार, वाइकी, इनफलिबनेट ब्लॉग, आरएसएस, फीड्स, वीडियो गैलरी, चैट फॉर एसओयूएल यूजर्स इत्यादि के कार्यान्वयन के साथ ही वेब 2.0 और लाइब्रेरी 2.0 की दुनिया में प्रवेश कर चुका है । केन्द्र अपनी वेबसाइट्स के हिन्दी संस्करण भी प्रस्तुत करता है ।

ई–संसाधन का कंसार्टिया आधारित अंशदान

इनफ्लिबनेट केन्द्र ने क्रमशः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ई–संसाधनों की जानकारी देने के लिए अलग–अलग कंसार्टियम नामतः वि.अ.आ. इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी और एन लिस्ट स्थापित किया है । दो अलग–अलग कंसार्टियम की स्थापना न केवल संस्थानों के दो समूहों नामतः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की विविध आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी बल्कि विभिन्न निधियन स्रोतों और आर्थिक मॉडलों की आवश्यकताओं को पूरा करने की थी । दोनों कनसार्टियमनों के संक्षेप वर्णन नीचे दिए गए हैं:–

वि.अ.आ. इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसार्टियम और इसका संबद्ध सदस्यता कार्यक्रम

वि.अ.आ. इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसार्टियम का उदघाटन दिसंबर 2003 के दौरान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। यह कंसोर्टियम 7500 से अधिक मुख्य और साथी–समीक्षित इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों को वर्तमान और संभव पहुंच प्रदान करता है

और विश्वविद्यालय की प्रेसों, विद्वत समाज, वाणिज्यिक प्रकाशनों और विभिन्न विषयों के संकेतकों सहित 27 प्रकाशनों से दस बिबलियोग्राफिक डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। वर्ष 2004 में शुरू किए गए प्रथम चरण में ई–संसाधन की पहुंच ऐसे 50 विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई थी, जिनके पास वि.अ.आ.–इन्फोनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा थी। दूसरे चरण में वर्ष 2005 में 50 और विश्वविद्यालयों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया था, क्योंकि अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को वि.अ.आ. –इन्फोनेट कार्यक्रम के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्राप्त हो गई थी। अभी तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आने वाले 200 विश्वविद्यालयों को ई–संसाधन की विभिन्न पहुंच प्रदान की गई है। इन ई–संसाधनों के अंदर कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, प्रबंधन, गणित और सांख्यिकी आदि सहित लगभग सभी विषयों को लाया गया है। केंद्र ने जे0सी0सी0सी0 (जर्नल कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्टियम) के माध्यम से इंटर–लाइब्रेरी चरण (आई0एल0एल0) भी शुरू किया है। जे0सी0सी0सी0, वि.अ.आ. डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम द्वारा लिए जाने वाले जर्नलों और इन्फिनेट केद्र में आई0 एल0एल0 केंद्रों के रूप में नामित 26 विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी द्वारा लिए जाने वाले जर्नलों में प्रकाशित सभी लेखों तक लेखा के स्तर पर पहुंच प्रदान करता है। वर्ष 2012 से उपयोगकर्ता समुदाय की मांग के आधार पर चार नये संसाधनों नामतः राष्ट्रीय विधि विद्यालयों / विश्वविद्यालय हेतु विधिक आंकड़ा आधार, अतिरिक्त विश्वविद्यालय हेतु एससीआई फाइंडर स्कॉलर, ई–जनरल अभिलेखागार तथा साइंस डायरेक्ट के 10 विषयों को वर्ष 2012 के बाद उपयोगकर्त्ता समुदाय की मांग पर संग्रह में जोड़ा गया है ।

विश्वविद्यालयों में वि.अ.आ.–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम की सफलता से उन विश्वविद्यालयों में भी इस कंसोर्टियम का विस्तार करने की मांग की गई है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत नहीं आते है। इनफिलबनेट केद्र ने वर्ष 2009 में अपना सहयोजित सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया है ताकि इस कंसोर्टियम द्वारा लिए जाने वाले ई–संसाधनों की पहुंच प्राइवेट विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान संस्थानों तक हो सके। इस योजना के अधीन प्राइवेट विश्वविद्यालय और अन्य अनुसंधान संस्थान कंसोर्टियम के "सहयोजित सदस्य" के रूप में स्वयं को सूची में शामिल करवा सकें और कंसोर्टियम के माध्यम से उपलब्ध अपनी पसंद के जर्नलों को ले सकें। ई–संसाधनों के अभिदान की दर वही होगी, जो कंसोर्टियम के मूल सदस्यों के लिए होती है। सहयोजित सदस्यों से वार्षिक अंशदान के रूप में एक सांकेतिक रकम ली जाती है। 105 से अधिक ऐसे विश्वविद्यालयों ने वि.अ.आ.–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम के सहयोजित सदस्य के रूप में अपना नाम शामिल करवा लिया है और कंसोर्टियम के माध्यम से अपनी पसंद के विभिन्न जर्नलों को ले रहे है।

♦ नेशनल लाइब्रेरी एण्ड इनफॉरमेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कालरली कंटेंट (एन–लिस्ट)

नेशनल लाइब्रेरी एण्ड इनफॉरमेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कालरली कंटेंट (एन–लिस्ट) के अंतर्गत परियोजना वि.अ.आ. इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसार्टियम, इंफ़्लिबनेट सेंटर और इंडेस्ट – एआईसीटीई द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है । आईआईटी, दिल्ली अपने चार विशिष्ट घटकों अर्थात् एक) वि.अ.आ. इंफोनेट फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन; दो) इंडेस्ट ई रिसोर्सेस टू यूनिवर्सिटीज; तीन) ई रिसोर्सेस टू 12000 गवर्नमेंट एडेड एण्ड नॉन एडेड कॉलेजेज; और चार) नेशनल मॉनिटरिंग एजेन्सी एट इंफ़्लिबनेट सेंटर के माध्यम से कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा केन्द्र द्वारा निधि प्राप्त तकनीकी संस्थानों को विद्वतापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराता है तथा इसका कार्य ई. संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ा देने और कॉलेजों को ई. संसाधनों को प्रभावी और कुशल रूप में प्रदान करने की प्रक्रिया में निहित सभी कार्यकलापों की निगरनी के प्रबंधन और प्रशिक्षण को भी बढ़ावा देना है । दोनों कंसार्टियमों की राष्ट्रीय निर्वाचन समिति जो एनलिस्ट कार्यक्रमों के कार्यकलापों की निगरानी करता है, के संपूर्ण निर्देशन के अंतर्गत एन लिस्ट का संयुक्त रूप से क्रियान्वयन वि.अ.आ. इंफोनेट इंडेस्ट– एआईसीटीई कंसार्टियम, आईआईटी, दिल्ली द्वारा किया गया ।

एनलिस्ट कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों के लिए बेब साइंस, वार्षिक समीक्षा (33 जर्नल टाइटल्स) नेचर (27 जर्नल टाइटल्स), प्रोजेक्ट न्यूज (400 से अधिक जर्नल टाइटल्स) एवं आईआईटी, आईएससी, आईआईएसईआर और एनआईटी सहित टेलर और फ्रांसिस 35 तकनीकी संस्थानों का अंशदान किया जाता है । इसके अलावा, कॉलेजों के लिए 3800 से अधिक ई–जर्नल तथा 80,000 से अधिक ई–बुकों का अंशदान किया गया । एन लिस्ट कार्यक्रम को औपचारिक रूप से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा 4 मई, 2010 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली से शुरू किया गया तथा इसमें 13 मार्च, 2012 को कुल 2437 कॉलेजों को पंजीकृत किया गया।

परियोजना को शिक्षा श्रेणी प्रौद्योगिकी में स्कोच डिजिटल इनक्लूजन अवार्ड, 2011 से सम्मानित किया गया ।

ओपन एक्सेस इनीशिएटिव्स

केन्द्र द्वारा लिए गए ओपन एक्सेस इनीशिएटिव्स में ओजस और तीन संस्थागत रिपोजिटरी नामतः आईआर@ इनफ़्लिबनेट, में ओजस और तीन संस्थागत रिपोजिटरी नामतः आईआर@ इनफ़्लिबनेट, शोध गंगा और शोध गंगोत्री शामिल है । इन कदमों का वर्णन नीचे दिया गया हैः

- ओपेन जर्नल एक्सेस सिस्टम (ओजस)

इनफि्लबनट केन्द्र में ओपेन जर्नल एक्सेस सिस्टम (ओजस), जो पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट द्वारा विकसित ओपेन स्रोत साल्यूशन है, का उपयोग होता है । ओजेएस को ऑन लाइन स्कॉलर जर्नल के प्रबंधन और प्रकाशन के लिए डिजाइन किया गया है । केन्द्र ने जर्नल के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को सुगम बनाने के लिए इंफि्लबनेट के ओपेन जर्नल सिस्टम को स्थापित किया और बनाया है ताकि इसमें सभी प्रस्तुतीकरण, पियर रिव्यूइंग, संपादन, खाका डिजाइनिंग और प्रकाशन किया जा सके । 'ओजस@इंफि्लबनेट' नामक पहल मुद्रण संस्करण मे जर्नल छापने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों को इंफि्लबनेट केन्द्र के सर्वर पर अपने जन्रलों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को मुफ्त लाने को बढ़ावा देती है । यह पहला इंफि्लबनेट केन्द्र द्वारा दिए गए प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपने जर्नलों का ओपन एक्सेस शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों को संकायों को बढ़ावा देती है । 'ओजस@इंफि्लबनेट' पर प्रदर्शित जर्नल पूरे विश्व में सभी प्रयोक्ताओं के लिए बिना किसी रोक–टोक के उपलब्ध है। वर्तमान में एक्सेस सिस्टम@इंफि्लबनेट विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों तेरह जर्नलों को प्रकाशित करता है।

- शोध गंगाः   भारतीय शोध पत्रों का संग्रह केन्द्र

वि.अ.आ. की अधिसूचना (एमफिल/पीएचडी डिग्री देने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया, 2009) जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शोध पत्रों और डिजर्टेशन (ईटीडी) के डिजिटल संग्रहण को बनाए रखने का कार्य इंफि्लबनेट केन्द्र को सौंपा गया है, शोध गंगा भारत में छात्रों/विश्वविद्यालयों में अनुसंधानवेताओं द्वारा शोध पत्रों और डिजर्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के प्रस्तुतीकरण और उसका एक्सेस पूरे विश्व में अकादमिक समुदाय में उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल संग्रह केन्द्र स्थापित किया है । शोध गंगा की स्थापना डी स्पेश उपयोग करते हुए की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नयाचार अंतर–प्रचालनात्मक मानकों का प्रयोग करता है । संग्रह केन्द्र विश्वविद्यालयों में अनुसंधान छात्रों को अपने शोध पत्रों और डिजर्टेशनों को जमा करने, दोबारा उपयोग करने और उन्हें दूसरे को बताने के लिए प्लेटफार्म देता है । शोधगंगा वेबसाइट छात्रों, अनुसंधान पर्यवेक्षकों और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को उनके दायित्व, एक्सेस नीतियां, प्रेषण प्रक्रिया, मेटा डाटा संरचना आदि सहित ईटीडी के संबंध में सभी संगत सूचना प्रदान करता है ।

विश्वविद्यालय इंफि्लबनेट केन्द्र के साथ मेजबान को शोधगंगा में उनके ईटीडी के संबंध गैर–विशिष्ट अधिकार प्रदान करने हेतु उक्त केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे है। इसके अलावा, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र स्वैच्छिक आधार पर संग्रह केन्द्र में अपने शोध पत्रों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रस्तुत कर रहे है। 31 मार्च, 2012 तक पचास विश्वविद्यालयों के छात्रों ने संग्रह केन्द्र में अपने शोध प्रस्तुत जमा किए और पचपन विश्वविद्यालयों ने इंफि्लबनेट केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन किया। संग्रह केन्द्र में जमा शोध पत्रों की संख्या बढ़कर 2710 हो गई है। परियोजना को डिजिटल अधिगमन श्रेणी में ''वर्ष के उच्च्य शिक्षा में आईसीटी युक्त सबसे अच्छा संस्थान'' हेतु ई–इंडिया, 2011 जुरी च्वाइस अवार्ड प्रदान किया गया है।

- शोध गंगोत्रीः पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत संक्षेपण का एक संग्रह केन्द

''शोध गंगोत्री '' एक नई पहल है जो शोध गंगा में योगदान करती है। एक ओर शोध गंगा भारत में विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत पूर्ण पाठ शोध पत्र का एक संग्रह केन्द्र है वहीं 'शोध गंगोत्री' भारत में अनुसंधानवेत्ताओं द्वारा पीएचडी कार्यक्रमों में स्वयं को पंजीकृत करने के लिए प्रस्तुत अनुसंधान के विषयों के संक्षेपण को सग्रहित करता है । अतः यदि पूर्ण पाठ शोध पत्र संक्षेपण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो पूर्ण पाठ शोधपत्र का एक लिंग 'शोध गंगोत्री' से 'शोध गंगा' को प्रदान किया जाएगा ।

- आईआर@ इंफि्लबनेट

केन्द्र ने http://iam,inflibnet.ac.in:8080dxml/ पर उपलब्ध डी स्पेस, ओपन स्रोत सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए आईआर@इंफि्लबनेट नामक एक संस्थागत संग्रह केन्द्र स्थापित किया है। 'कैलीबर' और 'प्लानर' की कार्यवाहियों में प्रकाशित पत्रों को पीडीएफ फारमेट में संग्रह केन्द्र में अपलोड किया जाता है। संग्रह केन्द्र में पाठ्यक्रम सामग्री, अखबार की कटिंग आदि शामिल होती है तथा संग्रह केन्द्र में 1262 पूर्ण पाठ लेख है।

इंफोपोर्टः गेटवे टू इंडियन स्कालरली इंटरनेट रिसोर्सेस

इंफोपोर्टः यह इंफि्लबनेट केन्द्र द्वारा विकसित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक स्रोत का गेटवे है जिसे 1 मार्च, 2012 को 2012 के 8वें प्लानर के उदघाटन सत्र के दौरान प्रो0 महेन्द्र पी. लामा, सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा शुरू किया गया । इंफोपोर्ट को सभी भारतीय स्कालरली विषयवस्तु के विस्तृत गेट वें के रूप में सेवा करने के लिए इंफि्लबनेट केन्द्र डिजाइन और विकसित किया गया । गेटवे इंटेग्रेटेड इंटरफेल, जो सर्च, ब्राउस और मल्टीपल लिस्टिंग को सहायता करता है, के माध्यम से इंटरनेट पर विखरे हुए इंडियन स्कालरी कंटेन्ट को जुटाता है । डेवी डेसीमल के

वर्गीकरण के अनुसार इंफोपोर्ट के अंतर्गत कवर संसाधनों को दस मुख्य श्रेणियों (000 से 999) में संगठित किया जाता है । इंफोपोर्ट में संसाधनों को विषय–वार वर्णक्रम के अनुसार भी व्यवस्थित किया जाता है। इंटरफेस में 1500 से अधिक ई–संसाधन है।

बिबिलियोमेट्रिक अध्यापन समूह

केन्द्र ने भारत में विश्वविद्यालयों में अनुसंधान उत्पादकता पर ई–संसाधन के पहुंच के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक बिबिलिओमेट्रिक समूह की शुरूआत की है । समूह प्रत्येक विश्वविद्यालय सदस्य के अनुसंधान प्रोफाइल का विकास कर रहा है । इन प्रोफाइलों में विश्वविद्यालय का अनुसंधान आउटपुट तथा कुछ दशकों के दौरान अनुसंधान प्रकाशन की वार्षिक और संचयी वृद्धि, एच. सूचकांक तथा प्राप्त साइटेशन में अनुसंधान का प्रभाव एवं विश्वविद्यालय के अनुसंधान क्षेत्र का केन्द्रित क्षेत्र शामिल होगा । इसमें विश्वविद्यालय के सबल और नर्बिल पक्ष, विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोजन तथा ई. संसाधनो से डाऊनलोड किए गए लेखों की संख्याओं के बीच सह संबंध एवं किसी विश्वविद्यालय विशेष में अनुसंधान वेत्ताओं द्वारा लिखे गए अनुसंधान लेख शामिल होंगे । वर्तमान में वेब विज्ञान स्रोत के रूप में प्राथमिक आंकड़ों को सामने लाता है । इसके बाद अर्थ बिबिलियोग्रैफिक और साइटेशन टूल्स का भी उपयोग किया जाएगा ।

मानव संसाधनन विकास और परामर्श

केन्द्र का महत्वपूर्ण लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में मानव शक्ति को प्रशिक्षण देना है तथा इसे समुचित प्राथमिकता दी गई है। रिपोर्टावधि के दौरान लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग पर 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की गई तथा इससे 1149 सहभागियों को लाभ हुआ । समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत थेः–

- लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए औरंगाबाद, महाराष्ट्र, चेन्नई और तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में तीन इंफि्लबनेट क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम;
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सहयोग से पूरे देश में 18 वि.अ.आ.–इंफोनेट / एनलिस्ट ई संसाधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए;
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 12 इंफि्लबनेट केन्द्रों और 5 ऑनसाईट / इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए मार्च, 2012 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सिक्किम गंगटोक में 8वां प्लानर(प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एण्ड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन) आयोजित किया गया ।
- डी स्पेस का उपयोग करते हुए डिजिटल लाइब्रेरी के विकास संबंधी दो कार्यशालाएं हुई जिसमें से एक इंफि्लबनेट केन्द्र और दूसरा नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर में हुआ;
- आई आई एम अहमदाबाद के सहयोग से 7 से 9 दिसंबर, 2011 को ''नेशनल कान्फ्रेंस ऑन स्टडीज फॉर मैनेजिंग लाइब्रेर इन फ्यूचर'' विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया;
- एडीनेट, अहदाबाद के सहयोग से पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस संगोष्ठि अगस्त, 2012 में आयोजित की गयी ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष अभियान

प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार वि.अ.आ. द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम के अंतर्गत इंफि्लबनेट केन्द्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में आईसीटी अवसंरचना के विकास तथा कॉलेजों और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के ऑटोमेशन हेतु विशेष अभियान शुरू किया। इंफि्लबनेट केन्द्र द्वारा चलाए गए विशेष अभियान की उपलब्धियां निम्नवत हैः

- पूर्वोत्तर क्षेत्र 276 कॉलेजों को सोल सॉफ्टवेयर बांटा गया तथा प्रत्येक कॉलेज के प्रतिनिधियों को इंफि्लबनेट केन्द्र, अहमदाबाद में प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।
- पूर्वोत्तर के सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वि.अ.आ. इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम के अंतर्गत समान रूप से ई–संसाधनों का अंशदान किया गया ।
- पूर्वोत्तर के कार्यरत लाइब्रेरियनों और कंप्यूटरों प्रोगामरों को ''अटैचमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम (एटीपी)'' प्रदान किया गया । इस कार्यक्रम से तीन लाइब्रेरी पेशेवरों को लाभ हुआ ।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए मार्च, 2012 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सिक्किम गंगटोक में 8वां प्लानर(प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एण्ड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन) आयोजित किया गया। डी स्पेस का उपयोग करते हुए डिजिटल लाइब्ररी के विकास संबंधी दो कार्यशालाएं हुई जिसमें से एक इंफ्लिबनेट केन्द्र और दूसरा नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर में हुआ;

- पूर्वोत्तर के पुस्तकालयों हेतु ''इंस्टालेशन, इंपलीमेंटेशन एवं ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरीज '' विषय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । इसके अलावा केन्द्र ने प्रयोक्ताओं के लिए ई–संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सहयोग से वि.अ.आ. इंफोनेट और एन लिस्ट विषय एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया । केन्द्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पेशेवरों के लिए मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल में ओपेन स्रोत सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए विशेष 'ज्ञान संग्रहण सांबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला' आयोजित की तथा संस्थागत संग्रहण पर बल दिया ।

प्रकाशन

इनफ़्बिनेट केन्द्र द्वारा दो प्रमुख प्रकाशन, निकाले गए हैं अर्थात् तिमाही न्यूज़लेटर एवं वार्षिकी रिपोर्ट। इन दोनों प्रकाशनों को तैयार करके अकादमिक समुदाय के लोगों को देश भर में वितरित किया गया। न्यूज़लेटर्स एवं वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियाँ पी.डी.एफ. प्रारूप में "इनफ्लिबनेट" वेबसाइट–एच टी टी पी./ http: www.inflibnet.ac.in /publication के कॉलम पब्लिकेशन में उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्टों की प्लेनर तथा केलिबर की कार्यवाही इंस्टीटयुशनल रिपोजिटरी (आईआर) के पी.डी.एफ. प्रारूप में उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रशिक्षण के कार्यक्रमों, कार्यशालाओं लेक्चर नोटस, प्रेजेन्टेशन्स एवं समाचार पत्र कतरनें भी http:/dspace. inflibnet.ac.in के (आईआर) केन्द्र पर उपलब्ध हैं। इस भंडार में दिनांक 31 मार्च 2011 तक जो उपलब्ध हो सके, ऐसे 1262 सम्पूर्ण पाठ्यगत अनुच्छेद थे।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केन्द्र ने सम्मेलन की दो कार्यवाहियां तथा जर्नल, न्यूज लेटर और सम्मेलन के दस पत्र प्रकाशित किया ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट (1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012)

क्र. स.	बजट शीर्ष /योजना	वर्ष के लिए आवंटित राशि	पिछले वर्ष से ली गई शेष राशि	कुल	व्यय (₹ लाख में)
1	गैर–योजनागत (अनुरक्षण)	512.33	138.26	374.07	385.02
2	केन्द्र का योजनागत अनुदान	0.00	241.95	241.95	25.22
3	वि.अ.आ. इन्फोनेट योजना	0.00	645.50	645.50	424.39
4	डीएलसी (ई–अभिदान योजना)	10000.00	6632.78	16632.78	13947.45
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.00	182.79	182.79	129.68
6	भवन निर्माण	0.00	323.26	323.26	544.04
7	ई–कंटेन्ट	1000.00	0.00	1000.00	0.00
8	वि.अ.आ. वेबसाईट	10.00	0.00	10.00	6.44
9	वि.अ.आ. इंटरनेट	21.75	0.00	21.75	5.99
10	एनलिस्ट	1430.07	0.00	2047.06	1847.87
	कुल योग	**12974.15**	**8505.01**	**21479.16**	**17316.10**

विश्वविद्यालयों एवं अन्य शोध संस्थानों के साथ अकादमिक अन्योन्यक्रिया

सामान्यतः इनाफ्लिबनेट केन्द्र में गुजरात एवं पड़ोसी राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेजो, ने प्रयोग मूलक प्रशिक्षण प्राप्त किया। यद्यपि इस केन्द्र द्वारा गुजरात एवं पड़ोसी राज्यों से इनाफ्लिबनेट केन्द्र के द्वारा बडी संख्या में प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं परन्तु फिर भी केन्द्र द्वारा छात्र प्रशिक्षार्थियों को सीमित संख्या में ही चुना जाता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इंफ्लिबनेट केन्द्र में बिट्स पिलानी के पांच छात्र, सरदार पटेल विश्वविद्यालय का एमएससी (आईटी) का एक छात्र तथा गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय के बी.ई. के तीन छात्रों ने व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया। केन्द्र में इंटर्नशिप पाने के लिए इग्नू के पुस्तकालय विज्ञान तथा गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के छात्रों को सुविधाएं प्रदन की गई।

अन्य गतिविधियांः संस्थान के भवन का निर्माण

केन्द्र ने गुजरात सरकार द्वारा इसे आवंटित 10,000 वर्ग मीटर (लगभग 2.5 एकड़) पर अपने संस्थान के भवन का निर्माण शुरू कर दिया है । भूमि इंफोसिटी, गांधीनगर में एनआईडी, डीएआईआईसीटी और एनआईएफटी जैसे ख्याति प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के बीच स्थिति है । केन्द्र ने भवन के डिजाइन और निर्माण के लिए मेसर्स वास्तुशिल्प शिल्प कंस्टेंट को अपने वास्तुकला के रूप में सेवाएं ली है तथा इसने भवन के निर्माण और भवन के प्रशासनिक ब्लॉक के निर्माण के लिए सिविल ठेके हेतु मेसर्स कटीरा कंस्ट्रक्शन एवं गुणवत्ता नियंत्रण और निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु परियोजना प्रबंधन के लिए मेसर्स अनानजीवाला कंसल्टेंट की सेवाएं ली है । मेसर्स मलानी कंस्ट्रक्टर को भवन के आवासीय ब्लॉक के निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण और निर्माण कार्यकलाप के पर्यवेक्षण का कार्य दिया गया । संस्थान के भवन का निर्माण 27 अक्तूबर, 2009 को शुरू हुआ। भवन का शिलान्यास वि.अ.आ. के माननीय चेयरमैन एवं इंफ्लिबनेट परिषद के अध्यक्ष प्रो0 सुखदेव थोराट 27 जनवरी, 2010 को किया गया । संस्थान भवन के आवासीय ब्लॉक का निर्माण अक्तूबर, 2011 में शुरू किया गया ।

31 मार्च, 2012 तक भवन का अकादमिक और प्रशासनिक ब्लॉक भौतिक निर्माण निम्नतल से सातवें मंजिल तक पूरा हो गया है। आशा है कि सितंबर, 2012 तक भवन का अकादमिक और प्रशासनिक ब्लॉक सभी तरह से पूरा किया जाएगा।

5.13.5 राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) बेंगलूरू (कर्नाटक)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की संख्या में भारी मात्रात्मक विस्तार हुआ । शिक्षा प्रदाताओं की प्रोफाइल का प्रकार, कार्यक्रमों, दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों, सुपुर्दगी प्रणाली और निधियन पैटर्न में अलग अलग होता है । वस्तुतः पूरे विश्व में उच्च शिक्षा उफान पर है । ऐसी स्थितियों में मानक और गुणवत्ता में अंतर एक स्वाभाविक परिणाम है । पूरे देश में कॉलेजों के विस्तार के संदर्भ में शिक्षा के मानक की स्थापना के आवश्यकता में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति (एनपीई 1986) और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए, 1992) ने एक तंत्र की स्थापना पर बल दिया जो संस्थानों में आत्म मूल्यांकन तथा एक बाहरी एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन को भी बढ़ावा देगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 12 सीसीसी के अंतर्गत 16 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएईसी) की स्थापना की जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।

उद्‌देश्य एवं प्रमुख विशेषताएँ

एनएएसी का प्राथमिक एजेन्डा, उच्चतर शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों अथवा उनके एक या इससे अधिक इकाइयों अर्थात् इनके विभाग, स्कूल, संस्थान कार्यक्रम आदि का निर्धारण एवं प्रत्यायन करना है,

मूल्यांकन और प्रत्यायन मुख्य उद्‌देश्य निम्नवत है :–

- उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं उनके कार्यक्रमों का ग्रेडीकरण करना।
- इन सभी संस्थानों में अकादमिक पर्यावरण को सुदृढ़करना तथा अध्यापन व शोध की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना;
- संस्थानों द्वारा उनके अकादमिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होना;
- ऐसे संस्थान जोकि उपरोक्त लक्ष्यों में प्रयत्नशील है, उनमें आवश्यक रूप वाले परिवर्तनों को प्रोन्नत करना, नवोन्मेष और सुधार लागू करना;

- नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना, आत्ममूल्यांकन तथा उच्चतर शिक्षा में जवाबदेही को प्रोत्साहित करना।

अपने घोषणा पत्र में दिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए एनएएसी निम्न क्रियाकलाप करेगाः

- मूल्यांकन की तकनीकों और रीतियों के आलोप में प्राप्त अनुभवों की आवधिक समीक्षा और संशोधन और इसे अद्यतन करना,
- संबंधित संस्थान के लिए मूल्यांकन और ग्रेडिंग के परिणामों को सुधारात्मक कार्यवाही, सुधार और स्व–सुधार के लिए सही ढंग और उपयुक्त प्रकार से सूचित करना,
- संस्थानों को अपनी प्रक्रियाएं, तकनीकें और स्व–मूल्यांकन हेतु रीतियां विकसित करने के लिए सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना
- शैक्षिक संस्थानों, कार्यक्रमों इत्यादि की आयेजना और मूल्यांकन में अनुसंधन अध्ययनों को प्रवृत करना,
- उच्च शिक्षा के संस्थानों के पहचान किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना और संसाधनों के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करना,
- एनएएसी समान प्रकृति का कार्य कर रहे भारतीय और विदेशी संस्थानों के साथ संयोजन कर सकती है और निवेदन प्राप्त होने पर विदेशों में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन कर सकती है ।

एनएएसी अपनी महासभा (जी.सी.) के माध्यम से तथा कार्यकारी समिति (ई.सी.) की सहायता से क्रियान्वयन करती है जहाँ पर शैक्षिक प्रशासक, नीति निर्धारक तथा उच्च शिक्षा की प्रणाली से जुड़े पृथक वर्गा वाले वरिष्ठ अकादमिकों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। एनएएसी की महासभा का जो अध्यक्ष है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय प्रमुख ही है तथा कार्यकारणी समिति का जो प्रमुख है वह कोई एक सुविख्यात अकादमिक होता है जिसे कि महासभा के प्रमुख द्वारा नामित किया जाता है। एनएएसी का निर्देशक ही अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा वही इन दोनों निकायों का सदस्य सचिव होता है, एनएएसी द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए आधारमूलक स्टॉफ है जो कि सलाहकारों द्वारा आपूरित है।

रिपोर्टाधीन वर्ष (1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012) के लिए बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट

एनएएसी ने वि.अ.आ. एवं गैर–योजनागत शीर्ष से 1.21 करोड़ की राशि प्राप्त की है तथा 10.86 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। आरक्षी निधि से घाटे की भरपाई की गई।

लाभार्थियो की संख्या (अध्यापकों, विद्यार्थियों, महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि) सहित लक्षित समूहों की कवरेज

मूल्यांकन और प्रत्यायन हेतु एनएएसी के लक्षित समूह भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैः–

प्रथम चरण/द्वितीय चरण/ तृतीय चरण	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल
प्रथम चरण	7	250	257
द्वितीय चरण	5	278	283
तृतीय चरण	1	7	8
कुल	13	535	548

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान **548** उच्च शैक्षिक संस्थान (**535** कॉलेज और **13** विश्वविद्यालय) का मूल्यांकन और प्रत्यायन किया गया । इस प्रकार एनएएसी द्वारा प्रत्यायित उच्च शैक्षिक संस्थान कुल संख्या **5080** हो गई ।

समिति संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी के संबंध में दो महीने में एक बार बैठक करती है । (01 अप्रैल, 2011, 01 जून, 2011, 2 अगस्त, 2011, 3 अक्तूबर, 2011, 04 जनवरी, 2012 और 21 मार्च, 2012) तथा एनएएसी से सहायता पाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा की । समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त 130 (लगभग) प्रस्तावों एनएएसी ने 80 (लगभग) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की ।

एनएएसी संपूर्ण भारत के अकादमिकविदों से विशेषता प्राप्त करती है । एनएएसी ने मूल्यांकनकर्त्ताओं का राष्ट्रीय अधिशासी मंडल का सृजन किया तथा उच्चतर शिक्षा के अच्छे विशेषज्ञों का पैनल बनाना चाहती है । एनएएसी अधिशासी मंडल में मूल्यांकनकर्त्ताओं को शामिल करने से पहले नियमित रूप से अंतःक्रिया बैठकें (एआईएम) आयोजित होती है । संभावित मूल्यांकनकर्त्ताओं को एआईएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चयनित किया जाता है । एनएएसी ने 2011–12 के दौरान विशेष रूप से **अध्यापक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा (कला, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि** के लिए पांच एआईएम का आयोजन किया है । मूल्यांकनकर्त्ताओं में वर्तमान और भूतपूर्व कुलपति, राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक विश्वविद्यालयों के डीन और प्रोफेसर, कॉलेजों के प्राधानाचार्य शामिल होते है । 2011–12 के दौरान एनएएसी ने अधिशासी मंडल में 171 मूल्यांकनकर्त्ताओं को शामिल किया है जिससे उनकी संख्या कुल **1000** हो गई है।

आयोजित सम्मेलन, दौरे पर आए विदेशी शिष्टमंडल तथा आयोजित अन्य महत्वपूर्ण समारोह, यदि कोई हो

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ए ए ए सी प्रत्यापन अवार्ड समारोह सहित **26** अकादमिक बैठकें आयोजित की गईं ।

2011–12 के दौरान **चौदह** इन–हाउस बैठकें / स्थानीय परामर्श बैठकें / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

निदेशक ने **83** अकादमिक कार्यक्रमों / बैठकों में भाग लिया और नाक के अकादमिक स्टाफ सदस्यों / अधिकारियों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान **90** कार्यक्रमों / बैठकों में भाग लिया । 2011–12 के दौरान **नौ** विदेशी प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए दौरा किया । स्टाफ सदस्यों / नाक अधिकारियों ने **26** अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक कार्यकलापों / बैठकों में भाग लिया ।

आई सी टी

वर्ष के दौरान प्रांगण में विस्तृत नेटवर्क परियोजना को पूरा किया गया । पूरा प्रांगण वाई फाई से युक्त है । एन एम ई आई सी टी के माध्यम से एक जीबीपीएस कनेक्टिविटी पाने के लिए प्रयास किए जा रहे है । वर्ष के दौरान नए आकार और प्रकार के साथ बेंहतर वेब इंटरफेस युक्त डाइनिमिक वेबसाइट के डिजाइन का कार्य शुरू किया गया । एन आई सी बेंगलुरु केन्द्र के परामर्श से इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सर्वर का अद्यतन पूरा हो गया है। सर्वर रैक आई सी टी खण्ड द्वारा प्राप्त और एसेम्बल हुआ । लैन की डिजाइनिंग हो गई और परियोजना पूरी हो गई । नैक ने एल आई ओ, आई ई क्यू ए और वेबसाइट के संबंध में एन आई सी से बात की है । वेबसाइट के हिन्दी अनुवाद का कार्य किया गया है । 18 जनवरी, 2012 को नाम की नई वेबसाइट www.naac.gov.in की सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद शुरू किया गया । वेबसाइट में लगातार सामग्री डाली जा रही है । नाक के लिए एन के एन कनेक्टिविटी की प्रक्रियाधीन है । सांख्यिकी और डी टी पी सॉफ्टवेयर की खरीद का कार्य चल रहा है । एन आई सी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक जनवरी, 2012 में हुई ।

प्रशासन और स्थापना

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एनएएसी के प्रशासनिक स्टाफ के लिए 3 अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

अन्य देशों / अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता

पूर्व में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों की वैधता अवधि वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए भी जारी है:

- एनएएसी एवं आईईईई–इस्टीटयूट आफ इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रिानिक्स इजीनियर्स
- एनएएसी–सीओएल
- एनएएसी–मलेशियन क्वालिटी एजन्सी (एमक्यूएए), मलेशिया
- एनएएसी–एचईएएसीटी, ताईवान
- एनएएसी–एपीक्यूएन
- एनएएसी–आईएनक्यूएएएचई
- एनएएसी–वि.अ.आ. नेपाल

निकाले गए प्रकाशनों की सूची

एनएएसी ने शिक्षा प्रणाली के अलग–अलग घटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे दस्तावेजों को प्रकाशित किया है । एनएएसी द्वारा प्रकाशित सामाग्री सात और पाठकों को असानी से समझ में आने वाला है । एनएएसी के सभी प्रकाशन www.naacindia.org पर उपलब्ध है । 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के दौरान प्रकाशित हुए प्रकाशन निम्नवत हैं:

क्र. सं.	प्रकाशनों का नाम
1	एनएएसी–एक प्रोफाईल
2	एनएएसी की मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की पद्धति
3	अकादमिक स्टॉफ कॉलेजों के निष्पादन की समीक्षा की पद्धति
4	छात्र चार्टर
5	आईक्यूएसी की दस कार्यवाही बिंदू
6	आईक्यूएसी पोस्टर
7	विजन, मिशन एवं वैल्यू फ्रेम वर्क
8	पद्रहवीं वार्षिक रिर्पाट
9	एनएएसी समाचार–जुलाई 2011
10	एनएएसी समाचार–जनवरी 2011

पुस्तकालय–एनएएसी गुणवत्ता आश्वासन संसाधन केन्द्र

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान उच्च शिक्षा, गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन के क्षेत्र की 50 नई पुस्तकों को संग्रह में शामिल किया गया । अंतर्राष्ट्रीय पीयर–रिव्यूड पत्रिकाओं के अभिदाय के अलावा, पुस्तकालय में वि.अ.आ.–इंफोंनेट, ई–संसाधन सहायता संघों द्वारा प्रदान किए 500 पूर्ण संसाधनों तक पहुंच जारी है । वर्ष के दौरान स्कोपस के लिए अभिदाय शुरू किया गया । स्कोपस एक अनुदेश सूचक यंत्र है जिसका उद्देश्य किसी संस्थान / व्यक्ति के अनुसंधान प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायता करना है । एलसकवर वेंडर द्वारा स्कोप्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया । परामर्शदाताओं तथा शैक्षिणक पेशेवरों ने प्रशिक्षण में भाग लिया वर्ष के दौरान नाक को प्रस्तुत किया गया स्व–अध्ययन रिपोर्ट को डिजीटाईज करने संबंधी परियोजना को आरंभ कर दिया गया। पुस्तकालय द्वारा प्राप्त पुस्तकों, पत्रिकाओं और सम्मेलन की कार्यवाहियों को प्रयोजन के लिए उपार्जित समन्वित पुस्तकालय प्रणाली द्वारा संगठित किया गया । संग्रह के लिए एकीकृत पहुंच प्रदान करने के लिए पुस्तकालय के सभी सामग्री को एक साथ लाने की अलग से वेबसाइट बनाने का कार्य चल रहा है ।

नाक अधिकारियों का सम्मान / उपलब्धियॉं

डॉ. लता पिल्लई, सलाहकार नाक को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता द्वारा जवाहर लाल नेहरू जन्मशती पुरस्कार दिया गया है।

डॉ. जगन्नाथ पाटील, नाक उप–सलाहकार को केरल सरकार के उच्च शिक्षा परिषद द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति में राज्य मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (सैक) के गठन पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया ।

रिपोर्ट अवधि के दौरान मैनुअलों की समीक्षा की गई है । निम्नलिखित मैनुअलों और पद्धतियों की समीक्षा के लिए दूसरे विशेषज्ञ समिति की बैठक फरवरी, 2012 में हुई :

- विश्वविद्यालयों के स्वअध्ययन हेतु मैनुअल
- स्वायत्तशासी कॉलेज के स्वअध्ययन हेतु मैनुअल
- संबद्ध / घटक कॉलेज के स्वअध्ययन हेतु मैनुअल

प्रो0 वेद प्रकाश, चेयरमैन, वि.अ.आ. और अध्यक्ष जनरल काउंसिल, नाक (01 मार्च, 2011 से) और प्रो0 गोवर्धन मेहता चेयरमैन, कार्यकारी समिति, नाक ने अपने दृष्टिकोण और नेतृत्व से नाक के प्रगति और इसके कार्यकलापों हेतु सही मार्ग दिखाया है । जनरल काउंसिल, कार्यकारी समिति, वित्त समिति, अपील समिति आदि के सभी सदस्यों और नाक के कर्मचारियों ने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ऐसा करते रहेंगे ।

5.13.6 कॉन्सॉर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सीईसी), नई दिल्ली

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम (सीडब्ल्यूसीआर) का शुभारम्भ वर्ष 1984 में किया गया जिससे कि सैटेलाइट सम्प्रेषण के उपयोग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हो सके। इस सी.डब्ल्यू.सी.आर. कार्यक्रम प्रथम दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया। 15 अगस्त, 1984 जो कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित हुआ। कॉन्सॉर्शियम फॉर एजुकशनल कम्युनिकेशन (सीईसी) एक अन्तर–विश्वविद्यालय केन्द्र हैं जिसे वि.अ.आ. द्वारा 26 मई, 1983 को स्थापित किया गया। सी.ई.सी. राष्ट्रीय स्तर की एक केन्द्रक एजेन्सी है जो एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा जिसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। सी.ई.सी. राष्ट्रीय स्तर वाली ऐसी केन्द्रक एजेंसी है जो सम्प्रेषण के विभिन्न प्रारूपों के उपयोग द्वारा देश की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है।

उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताएं निम्नवत है :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित 19 मीडिया केन्द्रों की गतिविधियों का समन्वयन, सरलीकरण, सर्वांगीण दिशानिर्देश एवं निदेशों का ध्यान रखना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार करना, अनुसंधान करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का सृजन करना और साथ ही ई–कंटेंट, और नई प्रौद्योगिकीयों के साथ प्रयोग करना शामिल है ।

वित्तीय वर्ष 2011–12 लिये बजट आवंटन तथा निष्पादन बजटः–

वर्ष 2011–12 के लिये सीईसी के विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्त एवं किया गया व्यय (अनंतिम) निम्नवत है :–

शीर्ष	प्राप्त अनुदान (₹ लाख में)	किया गया व्यय (₹ लाख में)
गैर–योजनागत	300.85	404.60
योजनागत (आवर्ती / अनावर्ती)	610.00	544.65
कुल	910.85	949.25

लाभान्वितों की संख्या (शिक्षक, महिलाएँ, अ.जा. / अ.ज.जा. आदि) सहित लक्षित समूह की कवरेज

सीईसी लक्षित समूह तक निम्नवत प्रसार की पद्वतियों के माध्यम से पहुंच रहा हैः

- व्यास 24 घंटे का उच्च शिक्षा चैनल

सीईसी 26 जनवरी, 2004 से 24 घंटे का उच्च शिक्षा चैनल चलाता है जो इसके मीडिया केन्द्रों द्वारा पाठ्यक्रम आधारित संवर्धन कार्यक्रम का प्रसारण करता है। प्रसारण का एक दिन में चार विषय बैन्ड होते हैं और लगभग 50 विषयों के कार्यक्रम प्रसारित होते है । व्यास उच्च शिक्षा चैनल डी डी डायरेक्ट प्लस दूरदर्शन के डी टी एच प्लेटफार्म पर, डिश टीवी, निजी डीटीएच ऑपरेटर के चैनल पर उपलब्ध है । चैनल सी ई सी वेबपोर्टल अर्थात् www.cec-ugc.nic.in पर ऑन लाइन उपलब्ध है । चैनल www.webcast.gov.in/vyaslive पर उपलब्ध है ।

व्यास चैनल / वि.अ.आ. कार्यक्रम को पूरे देश में उच्च शिक्षा में कुल छात्र संख्या (122 मिलियन) में 13.2 प्रतिशत व्यूअरशिप का आंकलन है ।

- सी ई सी एडूसैट नेटवर्क

सी ई सी ने एडूसैट व्याख्यानों को विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्यास चैनल इंटरनेट आदि पर उपलब्ध करा कर इसके पहुंच को अधिकतम करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए ।अब एडूसैट के महत्वपूर्ण व्याख्यान को सी ई सी के वेबसाइट के साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि युवा पीढ़ी सामाजिक

मीडिया जैसे यू ट्यूब, फेस बुक, ट्विट्र आदि का प्रयोग अपने संप्रेषण में अधिक कर रहा है और इन उपकरणों का उपयोग उनकी मीडिया की आदतों में प्रमुखता से उभर रहा है ।

- विश्वव्यापी ई–पाठ्यक्रम

सीईसी ने उच्च शिक्षा सामग्री की गुणवत्ता के साथ लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2011–12 में 'मार्केटिग **कम्यूनीकेशन्स एण्ड सेल्समेनशिप'** पर विश्वव्यापी ई–प्रशिक्षण चलाया । विभिन्न आईसीटी मोड अर्थात् व्यास हायर एजुकेशन द्वारा प्रसारण, सीईसी की वेबसाईट www.cec-ugc-nic.in के विविध प्रसारण के माध्यम से तथा सीईसी एजुसैट नेटवर्क के माध्यम से ई–प्रशिक्षण आयोजित किया गया । प्रशिक्षण में पूरे विश्व से 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

- अंडर ग्रेजुएट ई–कंटेंट कोर्सवेयर

सी ई सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एन एम ई – आई सी टी परियोजना के चरण–एक में 19 विषयों और चरण–दो में 68 विषयों पर स्वयं और इसके मीडिया केन्द्रों द्वारा ई–कंटेंट कोर्सवेयर के विकास में अग्रिम स्तर है ।

चरण – एक

31 मार्च, 2012 तक 2331 ई–कंटेंट माड्यूल्स विकसित किए गए हैं और विभिन्न विषयों पर 820 ई–कंटेंट सीईसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए है जिसके लिए साक्षात पोर्टल पर लिंक उपलब्ध कराया गया है ।

चरण – दो

जैसाकि 28 से 29 अप्रैल, 2011 की सी ई सी, नई दिल्ली में 85वें समन्वयन समिति / निदेशकों / सह–पीआई की हुई बैठक में निर्णय लिया गया, सी ई सी ने मीडिया केन्द्रों को वितरित 68 विषयों के ई–कंटेंट के विकास हेतु एनएमई–आईसीटी परियोजना के अंतर्गत चरण–दो का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है ।

आयोजित सम्मेलन / कार्यशाला

- **आठवां एशियाई मीडिया समिट (एएमएस–8)** 'डिजिटल मीडिया एब्रीवेयरः रिपोजिशनिंग ब्राडकास्टिंग' के केन्द्रित उद्देश्य पर वाइस ऑफ वियतनाम के सहयोग से 24 से 25 मई, 2011 को हनोई में हुई। सदस्य संगठन हेने के नाते, सीईसी के निदेशक को शिखरवार्ता में मांग लेने के लिए आमंत्रित किया गया ।

- **10वां एआईबीडी आम सम्मेलन – मंगोलियाः** एआईडीबी के संबद्ध सदस्य होने के नाते सीईसी के निदेशक को 25 से 28 जुलाई, 2011 को उलानबटोर, मंगोलिया में हुई एआईबीडी की 10वीं आम सम्मेलन और सहयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनाः** सीईसी ने ''वर्चुअल एडूकेशनः इश्यूज, चैलेंजेज एण्ड प्रास्पेक्ट्स'' पर 24–25 फरवरी, 2012 को इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सभा आयोजित की। सभा का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (सीओएल), साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटेन्ट्स लिमिटेड (बीईसीआईएल) के सहयोग से हुआ। सभा में भारत और विदेश से 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- **'इनविजनिंग ऑफ सीईसी ऑब्जेक्टिव्स एण्ड गोलः रिएलाइनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ हायर एजूकेशन पॉलिसीज ऑन आईसीटी एण्ड ई लर्निंग''**पर कार्यशाला सीईसी द्वारा 16 से 17 नवंबर, 2011 की मंगोलिया हाल, इंडिया हैबिटैट सेन्टर, नई दिल्ली में 'इनविजनिंग ऑफ सीईसी ऑब्जेक्टिव्स एण्ड गोलः रिएलाइनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ हायर एजूकेशन पॉलिसीज ऑन आईसीटी एण्ड ई लर्निंग''पर गहन कार्यशाला आयोजित की गई ।

अन्य देशों / अंतर्राष्ट्रीय संघों के साथ समझौते

- **सीईसी वेब पोर्टल का विकासः** राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), नई दिल्ली के साथ किए गए समझौते के भीतर सीईसी ने सीईसी आधुनिकतम सिलवरलाइट सॉफ्टवेयर जिसमें व्यास चैनल की स्ट्रीमिंग, एलएमएस का विकास विडियो कनफरेंसिंग और

एजु–मैसेजिंग सुविधा के साथ अपनी वेबसाइट का पुनः डिजाईन, पुनः फार्मेटिंग एवं रिस्ट्रक्चरिंग किया है। इंटरनेट और इंट्रानेट वेबसाइटों का अलग–अलग डिजाईन किया जा रहा है। ई–शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार होने के कारण सीईसी को के0एन0क0 परियोजना के अंतर्गत कवर किया गया है। दस एमबीपीएस के आप्टिक फाइबर बिछाने के साथ सीईसी में इंटरनेट सुविधाओं में कई गुणा वृद्धि है ।

निकाले गए प्रकाशनों की सूची

सीईसी टेलीविजन न्यूज (मासिक समाचार पत्र)

कोई अन्य व्यौरा जो केन्द्र जानना चाहता हो

- **विडियो प्रतियोगिता** 21वें वि.अ.आ. सीईसी के विडियो प्रतियोगिता का पुरस्कार सम्मान इमएमआरसी, मैसूर विश्वविद्यालय के सहयोग से 30 सितंबर, 2011 को हुई । पुरस्कार समारोह में सीईसी के पदाधिकारियों सहित पुरस्कार विजेताओं, सीईसी शासी बोर्ड के सदस्यों और मीडिया केन्द्रों के निदेशकों ने भाग लिया। पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि डॉ0 जब्बार पटेल, जाने माने फिल्म निर्माता, नाटककार तथा सीईसी शासी निकाय के अध्यक्ष थे ।

- **मीडिया परिसंपत्ति प्रबंधन (एमएएम) सर्वर** सीईसी के पास शिक्षा विडियो कार्यक्रम का 18000 का विशाल संग्रह है तथा हर वर्ष ऐसे संग्रह में लगभग 1000 ऐसे कार्यक्रम जोड़े जा रहे है। सर्वर तकनीक में नई तकनीक को ध्यान में रखकर सीईसी ने एमएमएम सर्वर खरीदा जिससे विषय–वस्तु के फैलाव के लिए डिजिटलाइजेशन से पूरे फाइल आधारित कार्य प्रबंधित होता है जिसमें मौजूदा सामग्री, आरकाईवल, शेड्यूलिंग, क्वालिटी चेक और प्ले आउट शामिल है । एम एम एम सर्वर के चार विस्तारित टर्मिनलों के आमेलित करने के पश्चात् 18000 शिक्षा संबंधी विडियो, जो सीईसी में मिडिया टेंपो और आप्टिकल डिस्क के रूप में संग्रहित है, उनका डिजिटलाइजेशन/अर्काइव किया जा रहा है तथा इससे शिक्षा सामग्री के गुणवत्ता अपलिंकिंग में मदद मिलेगी । सीईसी ने लगभग 2500 विडियो कार्यक्रमों का सर्वर पर डिजिटलाइजेशन किया है और यह प्रक्रिया जारी है। यह अर्काइव फाइव के लिए लो रिजोल्यूशन प्रोक्सी का सृजन करेगा जिसे टोपाज जीयूआई का उपयोग करते हुए डेस्कटॉप कंप्यूटर से पाया जाएगा।

5.14 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

अन्तर–विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) के अतिरिक्त, वि.अ.आ. ने चार राष्ट्रीय सुविधाओं वाले केन्द्रों को चयनित विश्वविद्यालयों में स्थापित किया है तथा नियमित रूप से उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। यह केन्द्र निम्न है :–

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यू.आर.आई.सी.), मुम्बई

यह केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुम्बई विश्वविद्यालय के अधीन सन् 1978 में इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था कि यूनिवर्सिटी साईंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (यू.एस.आई.सी.) के स्टाफ और उच्च अध्ययन कार्यक्रमों जैसे विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों इत्यादि के अध्यापकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं को उपकरणों के प्रयोग और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जा सके। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए शत–प्रतिशत धनराशि, योजना दर योजना के आधार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा रही है । 1981 से (यू.एस.आई.सी.) शासी परिषद् के साथ पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है। मुम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति इसके पदेन अध्यक्ष हैं।

एम.एस.टी.राडार अनुप्रयोग, एस.वी.यूनिवर्सिटी, तिरूपति

मध्यवर्ती पर्यावरणीय गतिकी के लिए अग्रवर्ती अनुसंधान के लिए राडार सुविधा की संभाव्यता के प्रति वैज्ञानिक जागरूकता उत्पन्न करना तथा एम.एस.टी.राडार सुविधा के उपयोग के प्रति मेधावी युवा शोधकर्ताओं को आकर्षित करना। वि.अ.आ. –एसयूवी जो राडार अनुप्रयोगों के लिए भौतिकी विभाग, श्री वेंकेटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरूपति में स्थापित किया गया था। वि.अ.आ.–एसवीयू केन्द्र, भारतवर्ष में विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा वैज्ञानिक जानकारी के विनिमय हेतु एक सामान्य मंच के रूप में सेवायें प्रदान करता है, तथा पर्यावरणीय विज्ञानों के क्षेत्र में कार्यरत भारतीय विश्वविद्यालयों में स्थित सभी वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं तक उपलब्ध है–विशेषकर एमएसटी राडार एवं लीदर से जुड़े शोध क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में यह केन्द्र कार्यरत है।

राष्ट्रीय पर्यावरणीय शोध प्रयोगशाला, (एन ए आर एल) जो कि पहले राष्ट्रीय एमएसटी राडार सुविधा के नाम से जानी जाती थी, वहाँ पर प्रयोगों को क्रियान्वित करने के लिए कई विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं शोध विद्वानों के लिए पत्रिकाएँ एवं पूर्व प्रकाशित सामग्री को उपलब्ध कराया जा रहा है। वि.अ.आ. एवं एस.वी.यूनिवर्सिटी के मध्य समझौते ज्ञापन के अनुसार एक परियोजना सलाहकार समिति है जो कि एम एस टी राडार के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सर्वांगीण दिशानिर्देश के अनुसार सक्रिय है। इस केन्द्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वि.अ.आ. द्वारा अवसंरचना सुविधाओं एवं आगन्तुकों के कार्यक्रमों के लिए, अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

मानविकी एवं समाज विज्ञान का अन्तर–विश्वविद्यालय केन्द्र, (आई यू सी एच एस एस), भारतीय अग्रवर्ती अध्ययन संस्थान, शिमला

मानविकी एवं समाज विज्ञान में अन्तर यूनिवर्सिटी केन्द्र जनवरी, 1991 में अस्तित्व में आया जिसे भारतीय अग्रवर्ती अध्ययन संस्थान (आइ ए ए एस) में स्थापित किया गया–जिसके विषय में (वि.अ.आ.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संस्थान के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यह संस्थान जबसे अस्तित्व में आया है तभी से ही विद्वता के क्षेत्र में, शोध कार्य अनुसरण में तथा चिंतन एवं विचारण के जीवन क्षेत्र में अपना एक अद्वितीय स्थान बना चुके है। इस संस्थान में विद्वता से पूर्ण समुदाय के 30–35 शोध अध्येता आवासीय रूप से स्थित है– जिनमें से प्रत्येक महिला/पुरूष अपने –अपने शोध कार्य में व्यस्त है– तथापि सामान्य वर्गों के लोगों के शैक्षणिक जीवन में सक्रिय भागीदारी बनाए हुए है। अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र सभा में समस्त देश में स्थित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से शोध विद्वानों को इस समुदाय के मध्य–अधिष्ठापित किया जाता है तथा बिना किसी अपवाद के इन सभी विद्वानों ने यहाँ अपने निवास काल को अत्यंत संपुष्ट अनुभव किया है। इस केन्द्र के अकादमिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत तीन आधारमूलक घटक है : (i) एसोसिएटशिप की परियोजना (ii) देश के विभिन्न भागों में शोध विचार गोष्ठियों का संयोजना एवं (iii) शिमला में स्थित संस्थान में, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विद्यमान समस्याओं पर अध्ययन सप्ताहों का आयोजन करना।

क्रिस्टल ग्रोथ केन्द्र, अन्ना यूनिवर्सिटी, मद्रास

यह केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था जिसका लक्ष्य यह था कि क्रिस्टल अभिवृद्धि एवं उसे अभिलक्षित करने के उद्‌देश्य से इस क्षेत्र में शोध को प्रोन्नत करना। इसके लक्ष्य निम्नवत है :–

(क) क्रिस्टल की अभिवृद्धि एवं इसे अभिलक्षित करने वाली सुविधाओं को प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित करना।

(ख) आवश्यकताओं से प्रेरित उद्योगो में तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के मध्य जो अन्तराल विद्यमान है उसे सेतुबद्ध करना।

(ग) जहाँ तक विशेष कोटि के क्रिस्टल आदि की आवश्यकताओं का संबंध है– इस विषय में भारत वर्ष के विभिन्न संस्थानों की जरूरतों को पूरा करना।

उपरोक्त चारों केन्द्रों के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान बजट आवंटन एवं योजनागत अनुदान को जारी किया गया

क्र. स.	राष्ट्रीय सुविधाओं वाला केन्द्र	बजट आवंटन	जारी अनुदान (₹ लाख में)
1	डब्ल्यूआरआई सी–मुम्बई	**	**
2	एमएसटी राडार केन्द्र, तिरूपति	**	**
3	आईयूसीएचएसएस, आईआईएएस, शिमला	158.00	158.00
4	क्रिस्टल ग्रोथ केन्द्र, चेन्नई	**	**

** ग्यारहवीं पचवर्षीय योजना के दौरान पहले ही आबंटित अनुदान प्राप्त कर चुके है।

5.14.1 पश्चिमी क्षेत्रीय इन्स्ट्रूमेन्टेशन केन्द्र, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई (महाराष्ट्र)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

समस्त देश में जो विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय वैज्ञानिक उपकरण केन्द्र (यूएसआइसी) स्थापित करने के लिए कार्यान्वित हो रहा है, इसी कार्यक्रम के एक अंश के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुम्बई विश्वविद्यालय की सहभागिता में वर्ष 1977 में शत–प्रतिशत आधार पर पश्चिमी क्षेत्रीय उपकरण केन्द्र (डब्ल्यू आर आइ सी) को स्थापित किया गया, जो कि एक स्वायत्त संस्थान है। वर्ष 1981 से डब्ल्यूआरआईसी एक शासी निकाय के साथ पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है। मुंबई विश्वविद्यालय का कुलपति जिसका पदेन अध्यक्ष है।

उद्देश्य एवं मुख्य विशिष्टताएँ

- भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में किये जाने वाले इन्स्ट्रूमेन्टेशन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक सुविधाएँ सृजन करने के लिए संसाधन केन्द्र।
- प्रौद्योगिकी संस्कृति को विकसित करना।
- उपकरणों द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करना।
- इन्स्ट्रूमेन्टेशन के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना।
- अध्यापन एवं शोध कार्य में सरलता लाने के लिए नूतन अध्यापन सहायक उपकरणों का रूपांकन एवं विकास।
- इन्स्ट्रूमेन्टेशन एवं उपकरणों के सुधार व रख–रखाव में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना
- शिक्षा, शोध एवं उद्योगों में इन्स्ट्रूमेन्टेशन में अनुसंधान और विकास कार्य करना।

रिपोर्टाधीन वर्ष (1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012) के लिए बजट आवंटन और निष्पादन बजट

क्र. सं.	वि.अ.आ. का स्वीकृत पत्र सं0 एवं दिनांक	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
1	एफ 6–1/2009/(आईयूसी/एनएफसी) दिनांक 31.03.2011 (अनुदान को वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 कें लिए संस्वीकृत नहीं किया गया था)	10.20	3.45*
कुल		10.20	3.45*

* वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त 1.25 करोड़ रू0 के अनुदान की धनराशि में छठे वेतन संशोधन के लिए 19.45 लाख रू0 शामिल है।

लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक, छात्र, महिलायें, अ0जा0/अ0ज0जा0 आदि)

- कुल 19 विश्वविद्यालय के विभागों/महाविद्यालयों/संस्थानो/उद्योगों जैसे रसायन जर्मन, भाषा, शिक्षा, मुंबई विश्वविद्यालय के विभागों, बी0 के0 कॉलेज, बेंगलुरु, के0 वी पेन्धारकर कॉलेज, पंचम खेमराज महाविद्यालय, आदि सीएफटीआरआई, संस्थान विश्वविद्यालय, मेट, नासिक इत्यदि ने इलेक्ट्रॉनिक और विद्युतीकरण प्रयोगशाला उपकरणों के अनुरक्षण और मरम्मत (78 उपकरणों की मरम्मत की) की सेवाओं का लाभ उठाया ।
- के.जे. सोमैया महाविद्यालय, मुंबई में 16–17 के सितम्बर 2011 को एक अनुरक्षण कैम्प का आयोजन किया। रख–रखाव शिविर में कॉलेज शिक्षकों और तकनीकी कर्मचारियों की सहायता के लिए 25 माइक्रोस्कोप और अन्य 27 उपकरणों की मरम्मत की गई थी ।

- विश्वविद्यालय विभागों जैसे शिक्षा विभाग, मनोवैज्ञानिक विभाग, दूरस्थ शिक्षा और ओपन लर्निंग संस्थान, वित्त और लेखा अनुभाग आदि ने हमारी कंप्यूटरों / प्रिंटरों की मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं (एएमसी के अंतर्गत 203 कंप्यूटर और 73 प्रिंटर) प्राप्त की ।
- कुल 44 उद्योगों जैसे एअर इंडिया, लारसन टूबरो, मेट्रों–ओम इडिया लि0 क्रॉम्पटन एवं ग्रिवीज लिमिटेड, एचपीसीएल, गायरो लेबोरेटरिज आदि ने हमारी अशांकन सेवाएं प्राप्त की । (कुल 203 उपकरणों को अंशाकन किया गया था)।
- विभिन्न विश्वविद्यालय विभागों / कॉलेजों / संस्थानों जैसे जादवपुर विश्वविद्यालय, यूएसआईसी / सीआईएल डॉ0 हरिसिंह गौण, विश्वविद्यालय, सागर (मध्यप्रदेश), यूएसआईसी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान) गुरुनानक कॉलेज मुंबई और डब्ल्यूआरआईसी आदि के शिक्षकों / तकनीकी कर्मचारियों / विद्यार्थियों के लिए खगोल विज्ञान, सोफेस्टिकेटिड इंसट्रूमेंटेशन, स्पैक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, हायफैनंटिड तकनीक, प्रयोगशाला / एनेलिरिक्ल / ऑपटिकल इन्स्ट्रूमेंटों का प्रचालन और निवारणात्मक रख रखाव फ्निाक्स कंप्यूटर इंटरफेस, वायु प्रदूषण निगरानी की उपकरण तकनीक, माइक्रो कंट्रोलर 8051 एप्लीकेशन इन एमबैडिड सिस्टम आदि पर कुल 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं आयोजित की गई। कुल लाभ प्राप्त सहभागियों की संख्या 309 थी (202 पुरूष 107 महिलाएं तथा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं में सहभागियों के दिए गए निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के 250 उपकरणों की मरम्मत की गई ।
- 17 बी0ई0, डिप्लोमा (इलेक्ट्रॉनिक इंसट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इजीनियरिंग) इन इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थियों ने अपने परियोजना कार्य हेतु 3 से 6 माह तक डब्ल्यूआरआईसी में इन–प्लांट प्रशिक्षण प्राप्त किया।

आयोजित किये गये सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधि मण्डलों का दौरा तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजन, यदि कोई हो तो का ब्यौरा।

'एन कंप्यूटिंग – वर्चुअल डेस्कटॉप्र इंफास्टक्चर सोल्यूशन पर संगोष्ठी का आयोजन सैवी कंप्यूटर सोल्यूशन प्रो0 लि0, मुंबई के श्री सवीम खान और श्री अपूर्व गुप्ता द्वारा 26 अप्रैल, 2011 को किया गया ।

अन्य देशों / अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ किए गए समझौते।

सी.आई.एस. मॉरिशस और डब्ल्यू.आर.आई.सी. के बीच इंस्ट्रूमेंटेशन में सहयोगी कार्यकलापों के लिए लंबी अवधि हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मॉरीशस विश्वविद्यालय में 'मेनटेन योअर माइक्रोस्कोप्र' विषय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

मॉरीशस विश्वविद्यालय में 'मेनटेन योजन माइक्रोस्कोप' विषय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन तृतीयक शिक्षा आयोग (टीईसी) मॉरीशस संकाय के सहयोग से रिक, सीआईएस और रेड्यूट मारीशस द्वारा मारीशस विश्वविद्यालय, मॉरीशस में 6 से 9 दिसंबर, 2011 को किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य टरटिशरी एडूकेशन इंस्टीट्यूट (टीईआई) में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के तकनीकी स्टाफ को जानकारी देना था । मॉरीशस में 12 संस्थानों के कुल 49 सहभागियों ने भाग लिया ।

प्रकाशित प्रकाशन

''डिजाइनिंग ए माइक्रो कंट्रोलर एण्ड पी सी बेस्ड सिस्टम फॉर मेजरमेंट एण्ड टेस्टिंग ऑफ पेनीट्रेशन लेवल ऑफ सेफ्टी मास्क'' जी डी पाटिल, जर्नल ऑन ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंनीशिएटिव्स (2012)।

प्रस्तुत पेपर

''डिजाइनिंग ए माइक्रो कंट्रोलर एण्ड पी सी बेस्ड सिस्टम फॉर मेजरमेंट एण्ड टेस्टिंग ऑफ पेनीट्रेशन लेवल ऑफ सेफ्टी मास्क'' पर कानफ्रेंश ऑन ग्लोबल टेक्निकल इनीशिएटिव्स (मार्च, 29–30, 2012) रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुंबई – जी डी पैल।

कोई अन्य ब्यौरा जिसे केन्द्र अन्य लोगों से बटाना चाहता हो

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बाम्बे के सहयोग से रिक ने हाल ही में सौर सेल की शिक्षा हेतु कम लागत वाले शिक्षण और 'इंटग्रेटेड एपार्ट्स' का डिजाइन और निर्माण किया है । इस उपकरण के प्रोटोटाइप को आईआईटी, बम्बई में 24 से 25 सितंबर, 2011 को हुई समन्वयकों की कार्यशाला

सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया । इस उपकरण का कार्य निष्पादन और उपयोगिता सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों द्वारा सराही गई जिन्होंने 'सोलर फोटो वोल्टिक्सः फंडामेंटल्स, टेक्नोलोजीज एण्ड अप्लीकेशन्स' विषय पर 12 से 22 दिसंबर, 2011 को हुई 10 दिवसीय द्विमार्गी कर्मशाला आई एस ई टी – आई आई टी बी लाइव में भाग लिया । इस उपकरण को देश भर के 35 इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों में वितरित किया गया ।

उपकरण / शिक्षण सहायक उपकरण जिसे बनाया और विकसित / फैब्रीकेट किया गया।

- सौर सेल अध्ययन हेतु 20 एलईडी लगाने के लिए पीवीसी हाउसिंग का यांत्रिक डिजाईनिंग और उसे तैयार करना ।
- कोलोरीमीटर हेतु 10 लीईडी संकेन्द्रीय का यांत्रिक डिजाईनिंग तथा उसे तैयार करना ।
- सौर सेल के समेकित उपकरण हेतु गर्म करने की प्लेट तथा ताप को मापने की असेंबली का यांत्रिक डिजाईन तथा उसे तैयार करना ।
- डब्लयूआरआईसी द्वारा तैयार एवं विकसित मौजूदा मोनोक्रामेटर में उपयुक्त यांत्रिक तथा स्टेपर मोअर असेंबली जोड़कर इसमें आशोधन ।
- रसायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु 'सोल सेल संकेन्द्रक' को डिजाईन करना ।
- (एक) क्लोरोमीटर (दो) सौल सेल के समेकित उपकरण (तीन) सोलर स्पेक्ट्रल रिस्पांस मीटर तथा (चार) सौर पैनल के लक्षण निरूपण हेतु अल्यूमिनियम केबीनेट का डिजाईन तथा उसे तैयार करना ।
- यूनिवर्सल केलीबरेटर फ्लूक मॉडल 9100 हेतु यांत्रिक असेंबली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रायोजित परियोजनाएं (प्रगति पर है)

- पैराफिन तेल एरोसॉल प्रयोग करने वाले सेफ्टी मॉस्क और एअर फिल्टर मीडिया के निष्पादन मूल्यांकन हेतु पी.सी. आधारित प्रणाली का डिजाइन और विकास – जी.डी. पाटील।
- शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु निरंतर निष्क्रिय आवेग (सीपीएस) आधारित माइक्रोकंट्रोलर का डिजाइन और विकास – के. के. महाजन।
- इनफ्रारेड स्रोत प्रयोग कर फलों और सब्जियों को इष्टतम शुष्क करना – एन. एन. राव।

सम्मेलन / संगोष्ठियों / कार्यशाला आदि में डब्ल्यूआरसी संकाय की भागीदारी

"संचार उपस्कर जांच मानदंड नवीनतम सम्मान", वर्चुअल इंस्ट्रूमेंशन", "जांच एवं मापन में नवीनतम मानदंड", "वाक् शिक्षण के माध्यम से लिनेक्स सीखना " और "वेबसेप्टस् 1.0" पर पांच राष्ट्रीय संगोष्ठियां / कार्यशालाओं में केन्द्र की संकाय ने भाग लिया ।

डब्ल्यूआरआईसी स्टॉफ द्वारा दिए गए व्याख्यान

प्रो0 ए. एम. नरसले ने 31.12.2011 को मुंबई विश्वविद्यालय में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और भौतिकी में इंस्ट्रूमेन्टेशन की भूमिका पर व्याख्यान दिया।

सदस्यता / मनोनयन

प्रो0 ए.एम. नरसलेः (एक) भौतिकी अध्ययन बोर्ड हेतु अनुसंधान और मान्यता समिति मुंबई विश्वविद्यालय के सदस्य। (दो) मुंबई विश्वविद्यालय की समिति के सदस्य को वर्ष 2008–09 के लिए छात्रों हेतु सर मंगलदास नाथूभाई यात्रा अनुदान अवाई।

श्री के. के. महाजन और श्री जी.डी. पाटीलः (एक) मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए परियोजना परीक्षा आयोजित की गई (दो) समस्त भारत के पॉलीटेकनिक और इंजीनियरिंग कॉलेज से परियोजना हेतु राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई में निर्णायक की भूमिका अदा की ।

पुस्तकालय

पुस्तकालय में कुल **4512 पुस्तकें** है और निरंतर रूप से तीन भारतीय पत्रिकाएं खरीद रहे हैं । डब्ल्यूआरआईसी के कर्मचारियों के अतिरिक्त शैक्षिक और औद्योगिक संस्थानों के काफी लोगों द्वारा पुस्तकालय सुविधाओं का प्रयोग किया जाता था । अब पुस्तकालय में मुंबई विश्वविद्यालय के पोर्टल के माध्यम से इंटरनेट संपर्क प्राप्त किया गया है । यह डब्ल्यूआरआईसी कर्मचारिवृंद और साथ ही अन्य उपयोगकर्ताओं को ई–पुस्तकें, ई–जर्नलों तथा इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सर्किटों तथा यंत्रो के ब्यौरे तक पहुंच बनाने में मदद कर रहा है ।

5.14.2 एम.एस.टी. रडार अनुप्रयोग हेतु वि.अ.आ.–एस.यू.वी. केन्द्र, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरूपति (आ.प्र.)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पर्यावरणीय विज्ञान में अग्रिम अनुसंधान के लिए रडार सुविधा की संभावना के बारे में वैज्ञानिक जागरूकता सृजित करने और एमएसटी रडार सुविधा का प्रयोग करने के लिए बुद्धिमान और युवा अनुसंधानकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एनएआरएल गदानकी, में एमएसटी रडार अनुप्रयोगों के लिए वि.अ.आ.–एसवीयू सेंटर, । भारत में भौतिक विभाग, एस0वी0 वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति में स्थापना की गई थी। वि.अ. आ.–एसवीयू सेंटर, भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए वैज्ञानिक जानकारी के आदान–प्रदान हेतु साझे प्लेटफार्म के रूप में काम करता है और यह केन्द्र पर्यावरणीय विज्ञानों के क्षेत्र में एमएसटी रडार एवं लिडार से संबंधित अध्ययनों के संदर्भ में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत विज्ञानियों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए सुगम्य है।

लक्षित समूह की कवरेज सहित लाभान्वितों की संख्या (शिक्षक, छात्र, महिलाएं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदि)

वर्तमान अकादमिक वर्ष में 16 संकाय सदस्यों द्वारा, वैज्ञानिकों एवं शोध विद्वानों द्वारा, यू.जी.सी.–एस.वी.यू. केन्द्र का कई बार दौरा किया गया है और उन्होंने "एन.ए.आर.एल." गाडनकी, में अनेक प्रयोग आदि किये है। दौरे पर आने वाले वैज्ञानिकों एवं छात्रों को अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जैसे कि सी.डी., फ्लॉपी, यात्रा सहायता, आवास सुविधा हेतु आँकड़ों की प्रक्रिया, आँकड़ों का विश्लेषण, संबद्ध साहित्य की सहायता, एल्गोरिद्म्स जो कि आँकड़ों की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है उनका विकास कार्य आदि।

वि.अ.आ.–एस.वी.यू. केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाकर वर्ष 2011–12 के दौरान प्रकाशित शोध प्रपत्र

वि.अ.आ.–एसवीयू केन्द्र पर सुविधाओं का लाभ उठाते हए, केन्द्र की संकाय ने 14 अनुसंधान पत्र, विख्यात रेफर्ड जर्नलों में प्रकाशित किए। अनुसंधान का शीर्षक निम्नवत हैः

1. संकेत प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करके रेन फेड स्लोप एस्टीमेशन ।
2. भारतीय उपमहाद्वीप के अपर एरोसोल ऑप्टिकल की मोटाई में मौसमी बदलाव ।
3. उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर एमएसटी राडार और एमपीरीकल मॉडल के बीच मीसोरफेटिक मीन वर्टिकल पवनों की तुलना ।
4. निम्न अक्षांश मीजोस्फीयर पर 15 जनवरी, 2010 को वार्षिक सूर्य ग्रहण का प्रभाव।
5. उच्च रेजुलूशन जीपीएस रेडियोसोंड प्रेक्षण द्वारा उदघटित भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र पर मानसून के निम्नस्तरीय जेट का कौतूहल पैदा करने वाला पहलू ।
6. उष्णकटिबंधीय पूर्वोन्मुखी जेट (टीईजे) धाराओं में पाई गई उप–दैनिक विभिन्नताएं।
7. कालमनर और सतही मापको से तिरुपति (भारत) के शहरी क्षेत्र पर एरोसोल क्लाइमेटोलॉजी का पता लगाया गया।
8. वर्ष 1996–2007 के दौरान लियोनिड पुच्छल तारे की आंधी का एमएसटी राडार प्रेक्षण ।
9. काजमिक जीपीएस आरओ द्वारा जल वाष्प का वैश्विक संवितरण (500 द.–500 उ.)ः जीपीएस रेडियोसोंड, एनसीईपी, ईआरए–अंतरिम तथा जेआरए–25 पुनर्विश्लेषण आंकड़ों के सेट की तुलना ।
10. दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत तथा इसके टेली कनेक्शनों पर उत्तर पूर्वी मानसून वृष्टि की भिन्नता ।
11. वीएचएफ राडार का उपयोग करते हुए निम्न अक्षांश उर्ध्वाधर पवनों का प्रेक्षण

12. जीपीएसआरओ रिफ्रेक्टिव प्रोफाईलों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रीष्मकालीन मानूसन के आरंभ होने का पता लगाने तथा उसकी सक्रियता के संबंध में अध्ययन

13. उष्णकटिबंधीय स्टेशन के ऊपर तीव्र जीपीएस रेडियोसोड प्रेक्षणों का उपयोग करते हुए स्थायित्व सूचकांक की डायूरनल भिन्नता की माइक्रोवेव रेडियोमीटर मापन से तुलना ।

14. इष्टतम झुकाव कोण के साथ आवश्यक बीम विन्यास के निष्पादन का विश्लेषण ताकि पोस्ट बीम स्टीरिंग तकनीक के माध्यम से उर्ध्वाधर पवनों की गति के मापन से त्रुटियों को न्यूनतम किया जा सके ।

वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजित किए गए सम्मेलन / कार्यशालाएं

1. 8 नवम्बर, 2011 को क्लाऊड कंप्यूटिंग पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला ।

2. संचार और सिगनल संसाधन तकनीक (एसएएनकेईटीए–2012) में उभरते हुए रूझानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 21 जनवरी, 2012 को आयोजित हुआ ।

3. नौवहन प्रणालियां – विमानन तथा वायुमंडलीय विज्ञान में उनका अनुप्रयोग के संबंध में दिनांक 30 मार्च, 2012 को एक कार्यशाला आयोजित हुई ।

4. 14–17 फरवरी, 2012 को 17वीं राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठि का आयोजन किया गया था ।

बजट 2011–12

वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई योजनागत अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है ।

5.14.3 अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र (आईयूसीएचएसएस), भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला (हि.प्र.)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) तथा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही जनवरी, 1991 में हुई थी। अपने स्थापना के लगभग 46 वर्षो से भी अधिक समय में छात्रवृत्ति की दुनिया में अनुसंधान अनुभव एवं विद्वतापूर्ण चिंतन–मनन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसकी 35 विद्वानों के समुदाय, एक निवासी समुदाय है जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुसंधान में जुटा है परन्तु वहीं वे समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रियतापूर्वक भाग लेते है। संपूर्ण देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों एसोसिएशन ऑफ इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर से इस समुदाय में विद्वानों को भर्ती किया जाता है तथा लाभप्रद अकादमिक परिवेश के साथ–साथ वे यहां के सांस्कृतिक अंतर–विधाओं से काफी कुछ सीखते हैं।

उद्देश्य

केन्द्र के अकादमिक कार्यक्रम के तीन मूलभूत घटक है (i) ऐसोशियेटशिप की स्कीम (ii) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन करना; और (iii) शिमला संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना।

एसोशिएट्शिप

वर्ष 2011–12 के दौरान, समस्त भारत से आए 121 विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों ने संस्थान में एक माह के एसोशिएट्शिप का लाभ उठाया। अब तक जो भी एसोशिएट् संस्थान में आए उन्होंने दौरा करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिप्राप्ति में संस्थान की भूरी–भूरी प्रशंसा की है। भारतीय अग्रवर्ती अध्ययन संस्थान द्वारा सहभागियों को पर्याप्त पुस्तकालए सुविधाओं के साथ एक शान्त एवं प्राकृतिक शैक्षणिक मैत्रीपूर्ण वातवारण एवं सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक विद्वानों के साथ सहभागिता का सुअवसर उपलब्ध कराया जाता है तथा वह सहभागी संस्थान को छोड़ने के समय सम्पूर्ण पुनश्चर्या से युक्त एवं बौद्विक रूप से अपने अध्यापन करियर का अनुकरण करने के लिए पुनः प्रोत्साहित होकर प्रस्थान करते है। एसोशिएट ने इस अवधि का उपयोग (क) अध्ययन को पूरा करने में किया जिससे वे पिछले कुछ समय से जुडे है (ख) वाचस्पति शोध की समीक्षा

करने (ग) संस्थान के ग्रंथागार में अध्ययन करने और (घ) एक पत्र लिखें जिसमें उनके सहयोगियों को किए गए प्रस्तुतिकरण का विवरण दिया गया हो । (ड) संस्थान के फेलो तथा भारत, साथ ही विदेशों से आए विशिष्ट फेलों के साथ बातचीत करने में बिताया। साथ ही, एसोशिएटों ने संस्थान में नियमित रूप से होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लिया।

संगोष्ठि, सम्मेलन, परिसंवाद अध्ययन सप्ताह एवं गोल–मेज

1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 की अवधि के दौरान निम्नलिखित संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं :–

1. ''कन्सेपचुअल यूनीवर्स ऑफ दी महाभारत'' पर ग्रीष्मकालीन विद्यालय (12–26 जून, 2011) पर ग्रीष्मकालीन विद्यालय ।
2. गांधी जी के जीवन तथा विचारों के संबंध में एक शरदकालीन विद्यालय
3. गोवाः 1961 और उसके बाद के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (18–20 दिसम्बर, 2011)

संस्थान का दौरा करने वाले एसोसिएटों को संस्थान के अकादमिक समुदाय के समक्ष अपनी पसंद के विशेषज्ञता वाले विषय पर एक प्रस्तुतिकरण करना होता है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान का दौरा करने वाले 121 आईयूसी एसोसिएटों ने 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 के बीच साप्ताहिक संगोष्ठियां की । इस अवधि के दौरान संस्थान का दौरा करने वाले 121 आईयूसी एसोसिएट्स में से 38 महिलायें थी (37 सामान्य श्रेणी; 1 अ0जा0) तथा 83 पुरूष (69 सामान्य श्रेणी; 11 अन्य पिछड़ा वर्ग; 1 अ0जा0 तथा 2 अ0ज0जा0) थे ।

आई यू सी जर्नल

वर्ष 2011–12 के दौरान मानविकी और सामाजिक विज्ञान (खण्ड सोलह सं0 1 और 2 (2009) के आई यू सी जर्नल का एक अंक ।

प्राधिकारी वर्ग

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक है, आइयूसी के भी निदेशक है इस केन्द्र की एक अकादमिक समिति है जिसके अध्यक्ष भी निदेशक महोदय है तथा यह समिति ही समस्त अकादमिक मामलों पर परामर्श देती है। इस समिति में देश के विभिन्न भागों से आए हुए विभिन्न विषयो के अकादमिशियनों द्वारा वर्ष में एक बैठक आयोजित की जाती है। इस केन्द्र का जो निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है वह एक समन्वय समिति है, जिसके अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष है तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक जिसके सह–अध्यक्ष है।

लेखा

वर्ष 2011–2012 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रू. 158.00 लाख राशि का अनुदान इस संस्थान को जारी किए गए थे तथा वहीं दूसरी ओर दिनांक 01.04.11 को, इस संस्थान के पास 28.51 लाख रु0 की राशि अथ शेष थी।

5.14.4 क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई (तमिलनाडु)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सतत् सहायता के साथ केन्द्र क्रिस्टल विकास और लक्षण वर्णन से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण के संबंध में चालू मुख्य क्रियाकलापों की दिशा में योगदान देने में सक्षम हुआ है। केन्द्र सेमीकंडक्टर, नान–लोनीयर आप्टिक्स, मेगनेटिज्म, लेजर और जैव सामग्री आदि से संबंधित सामग्रियों पर केन्द्रित अग्रणी अनुसंधन में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है।

परमाणु ऊर्जा विभाग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेजर, पर राष्ट्रीय संगोष्ठि का आयोजन अन्ना विश्वविद्यालय में क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर द्वारा किया गया था जिसका उद्घाटन भारत में पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 9 जनवरी, 2012 को किया गया । केन्द्र ने एशियाई प्रायद्वीपीय सम्मेलन का भी आयोजन किया तथा एआईसीटीई द्वारा वित्तपोषित एक संकाय विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया।

वर्ष 2011–12 के दौरान 5 विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि तथा 7 विद्यार्थियों को एम.फिल उपाधि प्रदान की गई । बेहतर प्रभाव वाले अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा जर्नलो में लगभग 30 प्रकाशन किए गए। केन्द्र की संकाय विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 5.00 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के वित्तपोषण से विभिन्न अनुसंधान क्रियाकलाप कर रहा है ।

केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से अत्याधुनिक उपस्कर जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्स–रे डिफ्रेक्शन सिस्टम तथा फोरियर ट्रांसपोर्ट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी सिस्टम की खरीद कर पाया है ।

केन्द्र भारत में संस्थानों ने अनेक अनुसंधानकर्ताओं तथा संकाय सदस्यों के अनुसंधान क्रियाकलापों को मदद देता आ रहा है और इससे लगातार विकास एवं नए विचारों का सृजन होता है । केन्द्र की संकाय द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं की जा रही विभिन्न चालू अनुसंधान परियोजनाओं से 110 लाख रुपये मूल्य से अधिक के उपस्करों की खरीद की गई एवं उन्हें संस्थापित भी किया गया है ।

हाल ही में जोड़ी गई बड़ी अनुसंधान सुविधाओं ने अनुसंधान के प्रकाशन की गुणवत्ता में वृद्धि की है तथा केन्द्र चालू अनुसंधान क्रियाकलापों से **30** से अधिक लेखों का प्रकाशन करने में सक्षम हुआ है। वर्तमान में केन्द्र के **10** संकाय सदस्य **3** तकनीकी कर्मचारिवृंद तथा **3** गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की अध्येतावृत्तियों के साथ विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में **60** से अधिक अनुसंधान स्कॉलर कार्य कर रहे है। इनमें से **4** अनुसंधान स्कॉलर अपने पीएचडी कार्य को सुदृढ़ करने तथा संयुक्त प्रकाशनों के माध्यम से द्विपक्षीय अनुसंधान तथा अकादमिक सहयोग का निर्माण करने के लिए विदेशी प्रयोगशालाओं में कार्यरत हैं।

संकाय सदस्य महत्वपूर्ण बैठकों तथा सम्मेलनों में भी भाग लेते रहे है, इस प्रकार केन्द्र और साथ ही नए निष्कर्शों के प्रस्तुतिकरण के साथ–साथ केन्द्र के विभिन्न विकास क्रियाकलापों की दिशा में भी योगदान दे रहे हैं ।

दो संकाय सदस्यों को अन्ना विश्वविद्यालय में उनके उत्कृष्ट अकादमिक तथा अनुसंधान योगदानें के लिए एक्टिव रिसर्चर (डॉ. जे. कुमार) का पुरस्कार दिया है जिसका चुनाव विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों को अपने प्रत्यायक जमा करने के मुक्त आमंत्रण तथा मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से किया गया ।

वर्ष 2011–12 के दौरान, केन्द्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से केन्द्र को कोई योजनागत अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है ।

5.15 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित चार में से किन्हीं दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता शिक्षकों को विशेष मानदेय

योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यावहारिक अनुप्रयोग सहित वैज्ञानिक ज्ञान संवर्धन करना है जिससे राष्ट्रीय कल्याण और वैज्ञानिक अकादमियों, सोसायटियों, संस्थानों तथा भारत सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाया जा सके ।

जिन शिक्षकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है अथवा जो शिक्षक वि.अ.आ. द्वारा चिन्हित चार में से कम से कम किन्ही दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों वे विशेष मानदेय के लिए पात्र है ।

एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद।

दो) भरतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलूरू।

तीन) भारतीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली ।

चार) भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली ।

जो शिक्षक सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में कार्यरत है वे वि.अ.आ. से सहायता प्राप्त करने के पात्र है । महत्वाकांक्षी शिक्षकों के पिछले 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पीयर–रिव्यू जर्नलों में 5 अनुसंधान पत्र प्रकाशित होने चाहिए।

शिक्षक के 65 वर्ष की आयु होने तक भटनागर पुरस्कार विजेता के रूप में या तो सीएसआईआर अथवा वि.अ.आ. योजना के तहत मानदेय प्राप्त कर सकता है।

चयनित शिक्षक 15000/– प्रतिमाह का विशेष मानदेय प्राप्त करने के पात्र है।

पात्र शिक्षक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मुखिया को आवेदन भेज सकते है। प्राप्त आवेदनों की छानबीन की जायेगी और पुरस्कार विजेताओं का पात्रता के आधार पर चयन किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं के चयन के उपरांत, संस्थानों को उनके लिए निधियाँ जारी करने के लिए वि.अ.आ. से अनुरोध करना होता है।

योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान **एक** केन्द्रीय विश्वविद्यालय और **छह** राज्य विश्वविद्यालयों को 20.55 लाख रु0 की कुल धनराशि जारी की गई थी ।

5.16 विश्वविद्यालयों के संकाय संसाधनों में वृद्धि करना (इनकोर)

योजना का उद्देश्य निम्नवत हैं:

- भारत के विश्वविद्यालयों में ज्ञान अर्जन प्रक्रिया को विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय प्रणाली से इतर पेशेवरों और विशेषज्ञों की मदद से व्यापक तथा प्रभावपूर्ण बनाना ।
- एमफिल तथा पीएचडी स्तर पर गुणवत्ता तथा वैश्विक रूप से तुलनीय अनुसंधान को उत्प्रेरित करना।
- विश्वविद्यालयों में अकादमिक वातावरण के उतरोत्तर रूप से संपन्न बनाना ताकि ज्ञान सृजन और उत्कृष्टता की खोज को सतत बनाया जा सके।

वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12 (ख) के तहत वि.अ.आ. से योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय पात्र हैं ।

अनुबंधित संकाय और स्कॉलर्स–इन–रेजीडेंस हेतु निम्नवत आबंटन मानदंड हैं:

प्रकार	अनुबंधित संकाय	स्कॉलर्स-इन-रेजीडेंस
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	5	2
राज्य विश्वविद्यालय	2	1
सम विश्वविद्यालय	1	1

किसी भी समय अनुबंधित संकाय हेतु कुल 706 पद हैं और कार्यकाल एक अकादमिक वर्ष/दो सेमेस्टर हैं। स्कालर्स–इन–रेजीडेंस हेतु किसी एक दिये गये समय के आधार पर 512 पद है और कार्यकाल 6 से 24 माह हैं ।

अनुबंधित संकाय के लिए प्रतिव्यक्ति 30,000 रु0 प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 1500/– रु0 प्रति शिक्षण घंटा/सत्र की वित्तीय सहायता दी जाती हैं । स्कॉलर्स–इन रेजीडेंस के लिए यह 80,000/–रु0 प्रति माह और 1 लाख रु प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को उनके लिए उपयुक्त कार्यालय तथा रिहायशी आवास उपलब्ध कराना होता हैं।

एईसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर, आईसीएआर आदि संगठनों से युवा एवं अपनी कैरियर के बीच के पड़ाव वाले पेशेवर/विशेषज्ञों आदि अथवा जिनके पास स्नतकोत्तर या डॉक्टोरल अर्हता हैं; स0क्षे0उ0 या व्यापारिक घरानों के अ0 एवं वि0 प्रकोष्ठों से जुड़े पेशेवर भी अनुबंधिक संकाय के लिए पात्र हैं ।

एईसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर, आईसीएआर आदि के तहत संगठनों से वरिष्ठ पेशेवर और विशेषज्ञ जिनके पास स्नतकोत्तर या डाक्टोरल अर्हता हो, स0क्षे0उ0 और व्यापारिक घरानों के अ0 एवं वि0 प्रकोष्ठों से जुड़े पेशेवर भी स्कलार–इन–रेजीडेंट के लिए पात्र हैं ।

वर्ष 2011–12 के दौरान योजना **2** केन्द्रीय एवं **3** राज्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत चयनित स्कलर–इन–रेजिडेन्ट को भुगतान हेतु 46.10 लाख रु0 की धनराशि जारी की गई है ।

5.17 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) तथा गुणवत्ता विकास (क्यूई) क्रियाकलापों की योजना तैयार करना इन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना उनकी निगरानी करना है । आईक्यूएसी अकादमिक उत्कृष्टता हेतु संस्थानों के प्रयासों और उपायों को सुग्राही बना सकता है एवं प्रणालीबद्ध कर सकता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12 (ख) के तहत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पात्र हैं।

आईक्यूएसी की स्थापना एवं उसे सुदृढ़ करने के लिए होने वाले के व्यय को पूरा करने तथा विश्वविद्यालयों को एकमुश्त 5.00 लाख रु0 की बीजराशि व महाविद्यालयों को 3.00 लाख रु0 की धनराशि प्रदान की जाती है ।

आईओएसी को दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है – प्रथम चरण विश्वविद्यालय (राज्य/केन्द्र) के लिए है तथा दूसरा चरण महाविद्यालयों के लिए है । वर्तमान में, प्रथम चरण ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चल रहा है और द्वितीय चरण के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों से प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा ।

वर्ष 2011–12 के दौरान आईक्यूएसी की स्थापना/सुदृढ करने के लिए 18 राज्य विश्वविद्यालयों को कुल 81.00 लाख रु0 की धनराशि जारी की गई थी ।

5.18 वृत्ति (कैरियर) उन्नति योजना (कैस) के अधीन रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए वि.अ.आ. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत में कार्यरत समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में 'कैस' के अधीन रीडर से प्रोफेसर की पदोन्नति की चयन प्रक्रिया का परिवीक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके कर रहा है। यह व्यवस्था, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि विश्वविद्यालय इस प्रयोजन के लिए बनाई गई क्रियाविधि का पूर्णरूप से पालन करें। रिपोर्टाधीन वर्ष 2011–12 के दौरान, वृत्ति उन्नति योजना के तहत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की चयन प्रक्रिया की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 71 वि.अ.आ. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। वि.अ.आ. पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत 60 रिर्पोटों को संसाधित कर दिया गया है तथा संबधित विश्वविद्यालयों को अनुमोदन के संबंध में जानकारी प्रदान की जा चुकी है।

5.19 वि0अ0आ0 स्वामी प्रणवानंद सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार, यू.जी.सी. हरिओम आश्रम न्यास राष्ट्रीय पुरस्कार तथा वि.अ.आ. वेद व्यास संस्कृत राष्ट्रीय पुरस्कार

वि0अ0आ0 राष्ट्रीय स्वामी प्रणवानंद सरस्वती पुरस्कार

यू.जी.सी. द्वारा स्वामी प्रणवानंद सरस्वती राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना, 5.00 लाख रु0 की उपदान की सहायता राशि द्वारा की है जो कि निदेशक, योग सोसाईटिज़ इन अमेरिका द्वारा प्रदान की गई है तथा जिस राशि की सहायता द्वारा निम्न पुरस्कारों को वर्ष 1985 से लेकर आज तक किया जाता रहा है। यह समस्त पुरस्कार उत्कृष्ट विद्वतापूर्ण वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रदान किये जाते है, जिनसे मानव ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है, और जिनके द्वारा समस्याओं पर नए तरीके से प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक पुरस्कार में अब रू. 50,000/– प्रदान किए जाते है, जिनमें से वि. अ.आ. का अंश रू. 40,000/– है। पुरस्कार पाँच क्षेत्रों में दिऐ जाते है अर्थात् शिक्षा, अर्थशास्त्र पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी विज्ञान, राजनीति विज्ञान व सामाजिक विज्ञान। इन पुरस्कारों के लिए ऐसे समस्त व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिक है तथा जो विश्वविद्यालय प्रणाली /महाविद्यालय में कार्यरत है जो कि अनुसंधान /अग्रिम अध्ययन के लिए मान्यता प्राप्त है उनसे जुडे हुए है– ऐसे व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। भारतीय विद्वानों द्वारा किए गए योगदानों पर जीवनपर्यन्त एक बार ही विचार किया जायेगा।

- **वि.अ.आ. राष्ट्रीय हरिओम आश्रम न्यास पुरस्कार**

हरिओम आश्रम न्यास, नडियाड द्वारा दिए गए दान की सहायता से वि.अ.आ. ने इन पुरस्कारों को प्रारम्भ किया है जो वर्ष 1974 के बाद से हर वर्ष उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को दिए जाते रहे है। अब इन पुरस्कारों की राशि 50,000/–रूपये है जिसमें कि वि.अ.आ. का योगदान रू. 40,000 का है। पांच क्षेत्र नामतः भौतिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, सैद्धांतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान और समाज के बीच अन्योन्यक्रिया में पुरस्कार प्रदान किए जाते है ।

- **वि.अ.आ. वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार**

वर्ष 2000 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्कृत में गुणवत्ता युक्त शिक्षण/अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए और उत्कृष्ट शिक्षकों को अभिलक्षित करने के लिए तथा उनके द्वारा अनुसंधान/नवाचारों/नए कार्यक्रमों तथा संस्कृत भाषा के संवर्द्धन के लिए वि.अ.आ. वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसमें 1,00,000 रूपये की राशि और प्रशस्ति पत्र शामिल है। वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार वाले सभी अध्यापक जो संस्कृत विभाग में स्नातकोत्तर/स्नातक पूर्व अध्यापन कार्यरत है, इसके लिए पात्र है।

संस्कृत भाषा के ऐसे शिक्षकों जिनका कि अध्यापन एवं अनुसंधान में संस्कृत भाषा के प्रति महत्वपूर्ण योगदान है तथा इस भाषा को प्रोन्नत करने के लिए योगदान किया है उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त पुरस्कार केवल वर्ष 2007 तक ही चयनित पुरस्कार विजेताओं के बीच बांटे गए हैं।

5.20 बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के प्रति जागरूकता बढाना तथा पेटेंटों की सुविधा प्रदान करना

विश्वविद्यालय तंत्र, नए ज्ञान के सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व में विश्वविद्यालयों में सृजित ज्ञान का जनता द्वारा उपयोग किया जाता था। स्कालरली जर्नलों में प्रकाशन ही मानदण्ड था। अब ज्ञान आर्थिक शक्ति की नई मुद्रा का रूप है। यह प्राथमिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का स्रोत है। विश्वविद्यालय जोशो–खरोश के साथ अपने ज्ञान आधार की रक्षा करते है। संरक्षित ज्ञान से आर्थिक प्राप्तियॉं नए ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करती है तथा नवोन्मेष को ऊर्जा देते है। विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान के सृजन के प्रतिमानों में बदलाव हुआ है। संपूर्ण विश्व में निजी स्वामित्व के साथ ही नए ज्ञान को बौद्धिक सम्पदा (आई0पी0) के रूप में संरक्षित करने का रूझान है। आई.पी. के अनेक प्रकार है जैसे पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक सूचक, इंटीग्रेटिड सर्किट तथा व्यापार गोपनीयता। अब, वैश्विक तथा राष्ट्रीय, दोनों ही स्तर पर बौद्धिक संपदा के फलस्वरूप अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए ढांचा मौजूद है।

अब यह महत्वपूर्ण है कि उच्च शैक्षणिक संस्थान अपने बौद्धिक संपदा अधिकार को उचित रूप से संरक्षित रखे। यह एक नया विकास है, अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास अपने अनुसंधानकर्ताओं को उनके आई.पी.आर. को संरक्षित करने हेतु सक्षम बनाने की विशेषज्ञता तथा प्रक्रियाएँ मौजूद नहीं है। इसलिए जागरूकता पैदा करके एक सक्षमकारी नीतिगत वातावरण तैयार किए जाने, उचित ढांचा तथा प्रक्रियाएँ उपलब्ध कराने तथा अनुसंधानकर्ताओं को उनके आई.पी.आर. को संरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। वि.अ.आ. की यह पहल, विभिन्न एजेन्सियों की मौजूदा पहल/चालू गतिविधियों के साथ सामंजस्य से चलेगी तथा इसका पेटेंट/कापीराईट कार्यालयों के साथ सुदृढ़ संबंध होगा। विश्वविद्यालय तंत्र द्वारा आई.पी.आर. जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए तथा आई.पी.आर. संरक्षण एवं प्रबंधन सुविधा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आई.पी.आर. पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आई.पी.आर. से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा चर्चा एवं विचार किया गया तथा चुनिंदा विश्वविद्यालयों में नए आई.पी.आर. केन्द्र स्थापित करने के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

5.21 विदेशों में भारतीय उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना (पी.आई.एच.ई.ए.डी.)

विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय कॉलेजों में बहुसंस्कृति का वातावरण तैयार करने के एक साधन के रूप में हमारी शिक्षा की गुणवत्ता का संवर्धन करने की रणनीति के रूप में देखा जाता है जिससे विविधता तथा अंतर्राष्ट्रीय साख को

बढ़ावा मिलता है। लागत कारक हमारे पक्ष में होने के कारण, बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के भारत में आने की संभावना है। इसके लिए भारत की उच्च शिक्षा को एक उचित रणनीति तथा कार्ययोजना के साथ विशिष्ट ब्रांड के रूप में उभारने की आवश्यकता है।

इसमें चार विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता होगी :

(1) एक विशिष्ट देश के संदर्भ में कैसी शिक्षा होनी चाहिए तथा हम उन्हें कैसी शिक्षा दे सकते है, इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए देश के अनुरूप एक रणनीति बनाना।

(2) अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भरोसेमंद तथा अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना प्रसार तथा संवर्धन और भारतीय शिक्षा की विलक्षणता पर ध्यान देने के लिए संचार रणनीति तैयार करना।

(3) दाखिले एवं वीजा इत्यादि प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उनमें सामंजस्य स्थापित करना।

(4) यहाँ पहले से ही रह रहे छात्रों को अच्छा अनुभव हो इसके लिए उनकी आशाओं पर खरा उतरना।

पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय रूप से समस्त कार्यक्रम तथा विदेश में कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भारतीय संस्थानों को बढ़ावा देने पर बल दे रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल पर परामर्श देने तथा इसे बल देने के लिए एक स्थायी समिति (एस.सी.) का गठन किया है।

पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विकासशील देशों के छात्रों के लिए भारत केन्द्रित अल्पकालीन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मई, 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल्टीमोर, मेरीलैण्ड में आयोजित एनएएफएसए सम्मेलन में भाग लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2004 में विकासशील देशों से नियमित कार्यक्रमों में छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से फिक्की की सहायता से पूर्वी अफ्रीका (इथोपिया, तन्जानिया, केन्या) में शिक्षा मेलों का आयोजन किया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिष्टमण्डल ने पुनः वर्ष 2006–07 के दौरान अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में तथा वर्ष 2007–08 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन, डीसी में आयोजित एनएएफएसए सम्मेलन में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, वि.अ.आ. के एक प्रतिनिधि–मंडल द्वारा कुछ चयनित सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सहभागिता में गेटेक्स समारोह में भागीदारी की गई, जो समारोह दुबई इन्टरनेशनल कन्वेशन एण्ड एक्ज़ीबीशन सेन्टर, दुबई में 15–18 अप्रैल, 2009 को हुआ, जिसका लक्ष्य था संयुक्त अरब अमीरात से छात्रों को आकर्षित करना। यह समस्त गतिविधियाँ न केवल अत्यधिक सफल रही है बल्कि इनके द्वारा वि.अ.आ. को भारतीय शिक्षा को विदेशों में प्रोन्नत करने के लिए बहुमूल्य अनुभव भी प्राप्त हुआ है। इस अनुभव को आधार बनाकर वि.अ.आ. द्वारा कई गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है।

6

अनुसंधान को प्रोत्साहन

6.1 शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं: वृहद एवं लघु

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षकों को तीन मूलभूत कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है – शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार । इसलिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो कि प्रयोगशालाओं, ग्रंथालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित है, अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक वृहद प्रशिक्षण स्थल है। सत्तर के दशक के पूर्वार्ध से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत सूचीबद्ध है, में कार्यरत नियमित, स्थायी/सेवानिवृत्त शिक्षकों को अनुसंधान प्रस्तावों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है ।

वृहद/लघु अनुसंधान परियोजना योजनाएं उन्हें अपनी नियमित कार्य अथवा सेवानिवृत्ति के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों में गहन तथा अगाध अनुसंधान अध्ययन करने में सक्षम बनाता है । अनुसंधान परियोजना किसी एक विशिष्ट शिक्षक अथवा शिक्षकों के समूह द्वारा आरंभ की जा सकती है। इसे 70 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा भी आरंभ किया जा सकता है । अंतर–विषयक अनुसंधान तथा अंतर–संस्थागत सहयोगात्मक अनुसंधान को प्राथमिकता दी गई है ।

सर्वप्रथम सभी प्रस्तावों का आयोग द्वारा गठित एक विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच व मूल्यांकन किया जाता है । लघु सूचीबद्ध प्रस्तावों का पुनः विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा संबंधित शिक्षक के साथ वार्ता और चर्चा कर मूल्यांकन किया जाता है ताकि प्रस्ताव की पात्रता और व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके । विषयों से इतर ऐसे क्षेत्रों पर बल दिया जायेगा जैसे स्वास्थ्य, जराविज्ञान, पर्यावरण, जैव–प्रौद्योगिकी, दबाव प्रबंधन, डब्ल्यू. टी. ओ. और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, विज्ञान का इतिहास, एशियाई दर्शन, रक्षा तथा सामरिक अध्ययन जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले, बीमा तथा बैंकिंग और अनेक क्षेत्र सम्मिलित है, जिनकी विषय विशेषज्ञों द्वारा पहचान की जायेगी ।

मानविकी और सामाजिक विज्ञान में वृहद अनुसंधान परियोजनाओं हेतु सहायता 10.00 लाख रू. तथा लघु अनुसंधान परियोजनाओं हेतु 1.50 लाख रूपये तक सीमित है ।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी चिकित्सा, भेषज और कृषि आदि सहित विज्ञान में वृहद अनुसंधान परियोजनाओं हेतु 12.00 लाख रूपये, लघु अनुसंधान परियोजनाओं हेतु 2.00 लाख रूपये है ।

वृहद अनुसंधान परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई सहायता में उपस्कर, पुस्तकों, जनरल, आकस्मिक, यात्रा एवं क्षेत्र कार्य, तकनीकी सेवाओं को प्राप्त करने, अनुसंधान कर्मियों को अध्येतावृत्ति तथा परियोजना के लिए आवश्यक अन्य मदों हेतु वित्तपोषण शामिल हैं। लघु परियोजना के मामले में परियोजना स्टाफ की नियुक्ति हेतु वित्तपोषण की व्यवस्था नहीं है ।

किसी वृहद एवं लघु परियोजना की अवधि मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा क्षेत्र में क्रमशः दो वर्ष, एक वर्ष और छह माह है ।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, चिकित्सा, भेषज तथा कृषि आदि सहित वृहद और लघु परियोजना की अवधि क्रमशः तीन तथा दो वर्ष है ।

वर्ष 2009–10 के दौरान प्रधान अन्वेशक जिन्हें वृहद अनुसंधान परियोजनाएं आवंटित की गई हैं उन्हें (मानविकी और सामाजिक विज्ञान तथा भाषा आदि में **501** तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी चिकित्सा, भेषज तथा कृषि आदि सहित मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान) विषय संबंधित विशेषज्ञ

समितियों के समक्ष मध्यावधि निरूपण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। चालू परियोजनाओं को जारी रखना/बंद किया जाना मध्यावधि निरूपण पर निर्भर करता है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्थायी समिति को प्राप्त प्रस्ताव, जांच किए प्रस्ताव, अनुमोदित परियोजनाओं, बजटीय आबंटन तथा आयोग द्वारा वृहद और लघु अनुसंधान परियोजनाओं हेतु जारी अनुदान (विश्वविद्यालयों हेतु केवल लघु) का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	मद	मानविकी सामाजिक विज्ञान, भाषा	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा भेशज और कृषि सहित मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान
1.	बजटीय आवंटन	9.00 करोड़ रू.	41.00 करोड़ रू.
2	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल प्रस्ताव	1956	2329
3	छानबीन समिति द्वारा अनुमोदित कुल प्रस्ताव	1170	1763
4	विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत परियोजनाएं	वृहद-718 लघु-153 मध्यावधि-501 (पूर्ण की गई)	वृहद-1294 लघु-136 मध्यावधि-793 (पूर्ण की गई)
5.	जारी अनुदान	11.24करोड़ रू.	47.12करोड़ रू.

नोट: वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा कुल मिलाकर 4729 लघु शोध परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं। (2008–विज्ञान विषयों में एवं 2721 मानविकी एवं समाज **विज्ञान में) तथा इन नई अनुमोदित परियोजनाओं के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान 34.47 करोड़ रू. की राशि अनुदान रूप में जारी की गई।**

6.2 शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार

अनुसंधान पुरस्कार की योजना, वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थायी शिक्षकों का, उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में, बिना किसी शोध मार्गदर्शन लिए और शिक्षण उत्तरदायित्व के बिना दो वर्ष की अवधि तक अनुसंधान कार्य हेतु अवसर प्रदान करती है।

जिन शिक्षकों के पास डाक्टरेट की डिग्री है तथा जिन्होंने अपने अनुसंधान में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है तथा जो 45 वर्ष से कम आयु वाले है उनके लिए इस पुरस्कार देने पर विचार किया जाता है। इस आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी यदि वह प्रस्ताव महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त एवं अल्पवर्ग शिक्षकों में से किसी का होगा। कोई भी शिक्षक इस शोध पुरस्कार का लाभ उठाने के लिए एक वर्ष में केवल एक ही बार पात्र माना जायेगा। इन पुरस्कार की दो वर्ष की अवधि है जो कि विस्तारित नहीं की जायेगी। वि.अ.आ. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग में प्रत्येक वर्ष 100 स्लॉट के लिए चयन किया जाता है।

उपलब्ध वित्तीय सहायता का एक उदाहरण स्वरूप निम्न है :–

- पुरस्कार प्राप्तकर्ता का कुल देय वेतन, जिसके साथ भत्ते भी शामिल होंगे सिवाय आंशिक भविष्य निधि/ सामान्य भविष्य निधि ।
- पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, रसायन पदार्थ एवं उपस्करों पर होने वाले व्यय, परियोजना की सहायतार्थ व्यय, केन्द्र के क्षेत्र में अथवा कहीं बाहर यात्रा करने पर होने वाला व्यय इन सबके लिए शोध अनुदान ।

मानविकी एवं समाज विज्ञान	-	₹2.00 लाख
विज्ञान/इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी	-	₹3.00 लाख

इस अवार्ड के प्रारंभ होने के 12 से 15 माह की अवधि के भीतर ही एवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा शोधकार्य की एक मध्यावधि प्रगति रिपोर्ट, विभागाध्यक्ष द्वारा तथा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के रजिस्ट्रार / प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित कर, भेजी जानी चाहिए।

यदि आगे चलकर किसी अनुचित व्यवहार, शोधकार्य की असंतोषजनक प्रगति तथा प्रत्याशी अपात्रता पायी जाती है तो उस स्थिति में इस शोध एवार्ड निरस्त किया जा सकता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवार्ड प्राप्त करने वालों को किए गए भुगतान का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	5.61
2008-09	4.86
2009-10	6.19
2010-11	8.14
2011-12	8.54
कुल	**33.34**

वर्ष 2011–12 के दौरान आमंत्रित आवेदनों का चयन प्रक्रियाधीन है ।

6.3 एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो कि वि.अ.आ. अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके द्वारा अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में शोध कार्य करने का अवसर प्रदान करना है।

लक्षित समूह में ऐसे उच्च अर्हता वाले अनुभवी शिक्षक है जिन्हें कि शिक्षा एवं अनुभव प्राप्त है अथवा ऐसे शिक्षक जिनकी आगामी छह महीनों की भीतर अवकाश प्राप्त की संभावना है तथा जो कि मान्यता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक है। इस अध्येतावृत्तियां के लिए पात्रता को इस बात पर आँका जाता है कि संबद्ध शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल के दौरान किए गए अनुसंधान या प्रकाशित कार्य की गुणवत्ता कितनी है। एवार्ड प्राप्तकर्ता एक सुपरिभाषित समयबद्ध कार्ययोजना की तहत 70 वर्ष की आयु तक अथवा दो वर्ष तक (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है) कार्य कर सकता है– जो भी इसमें से पहले पूरी हो जाती है। अध्येतावृत्ति का स्वरूप निम्नवत है :

विज्ञान विषयों के लिए स्लॉटों की संख्या	100 (किसी भी दिए गए समय के आधार पर)
मानविकी / सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं के लिए स्लॉटों की संख्या	100 (किसी भी दिए गए समय के आधार पर)
मानदेय	दो वर्ष तक के लिये 20,000 / – रु. (आगे नहीं बढ़ाया जा सकता)
आकस्मिक अनुदान (अव्यपगत)	50,000 / – रू. प्रतिवर्ष

आकस्मिक अनुदान का उपयोग, सचिव सहायता, यात्रा जो कि देश में ही हो तथा जो कि शोध परियोजना के संबंध में हो–लेखन सामग्री, डाक सामग्री, उपभोज्य, पुस्तक तथा पत्रिकाएँ एवं उपस्कर के लिए किया जा सकता है। अवार्ड प्राप्तकर्ता के अनुमोदित अनुसंधान कार्य के साथ जुड़े स्थानों पर वर्ष में एक बार विदेश यात्रा की अनुमति है जिसकी अनुमति उस संस्थान द्वारा जहाँ वह परियोजना कार्य किया जा रहा है, दी जानी चाहिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनापत्ति होनी आवश्यक है। परन्तु इसके लिए वि.अ.आ. द्वारा कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा। एमेरिटस अध्येताओं को आवास व्यवस्था को छोड़कर वे समस्त सुविधाएँ जिनमें चिकित्सा सुविधाएँ भी सम्मिलित है जो कि उपलब्ध होंगी जो कि विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों को उपलब्ध है।

अध्येतावृति को अनुसंधान की नकल, असंतोषजनक कार्य तथा बाद में अभ्यार्थी की अपात्रता का पता लगने पर रद्द किया जा सकता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एवार्ड प्राप्तकर्ताओं को भुगतान की गई राशि निम्नवत है:

वर्ष	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	2.75
2008-09	2.05
2009-10	3.04
2010-11	5.05
2011-12	3.87
कुल	**16.76**

6.4 अनुसंधान कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/परिसंवाद एवं सम्मेलन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर सम्मेलनों कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं तथा छात्रों को सुविधाएं प्रदान करके उनके ज्ञान अनुभव तथा अनुसंधान को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु सुविधाएं प्रदान कर कालेजों में उच्च स्तरों को बढ़ावा देना है।

इस योजना मूलभूत उद्देश्य, ज्ञान और विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों तथा विदशों से अकादमीशियनों तथा विशेषज्ञों को एक साथ लाना है।

इस योजना के अन्तर्गत, ऐसे सभी संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो संस्थान वि.अ.आ. की धारा 2(च) तथा 12(ख) के विस्तार क्षेत्र में आते है। किसी भी एक वर्ष के दौरान, कोई संस्थान, राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर वाली दो गतिविधियाँ संचालित कर सकता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन आयोजित कर सकता है।

सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत हैं :

राज्य स्तर के सम्मेलन/कार्यशाला/परिसंवाद	: 1.00 लाख रू.
राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन/ कार्यशाला/परिसंवाद	: 1.50 लाख रू.
अंतराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन/कार्यशाला/परिसंवाद	: 2.00 लाख रू.

इस अनुदान का उपयोग यात्रा भत्ते एवं मानदेय के भुगतान के लिये किया जा सकता है, प्रपत्र प्रस्तुतकर्ताओं के यात्रा भत्ता के लिए, विवरणों के मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए तथा स्थानीय मेज़बानी के लिए, जिसमें आवासन एवं भोजन व्यवस्था सम्मिलित है– इसके लिए किया जा सकता है।

ऐसे संस्थान, जो कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का लाभ उठाना चाहते है, उन्हें अपने प्रस्ताव को विधिवत रूप से फार्म में भरकर प्रस्तुत करने चाहिए। संस्थानों द्वारा ऐसे प्रस्तुत किए गए समस्त प्रस्तावों को सहायता देने पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान कांग्रेस तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस के आयोजन हेतु दिल्ली के महाविद्यालयों के 41 प्रस्ताव तथा विश्वविद्यालयों के 2 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है और मुख्यालय द्वारा 1.74 लाख रु. की धनराशि भी जारी की गई है ।

वर्ष 2011–12 के दौरान वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल 2690 प्रस्तावों को मंजूर किया गया तथा शोध परिसंवाद /कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने के लिए रू. 15.96 करोड़ की राशि जारी की।

6.5 विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा अनुसंधान एसोशिएटशिप (आर.ए.)

भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी एवं सामाज विज्ञान के विषयों में एम.फिल. / पी.एच.डी. करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए **बीस** अभ्यार्थियों का चुनाव करता है तथा **सात** अभ्यर्थियों का चुनाव अनुसंधान एसोशिएटशिप के लिए करता है। अध्येतावृत्ति चार वर्ष के लिए प्रदान की जाती है (जिसे आगे नही बढ़ाया जा सकता है)।

अध्येतावृति का पैटर्न निम्नवत है:–

- **कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)**

अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000 / –रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 14,000 / –रू. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिकता अनुदान	मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिए 10,000 / – रू. प्रतिवर्ष की दर से विज्ञान के लिए 12,000 / – रू. प्रतिवर्ष की दर से मानविकी एवं समाज विज्ञान की शेष अवधि के लिए 20,500 / – रू. प्रतिवर्ष की दर से विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए 25,000 / – रू. प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय	प्रति जे.आर.एफ. सहायता 3000 / – रू. प्रतिवर्ष की दर से
विकलॉग भत्ता/सहायक	प्रति जे.आर.एफ. सहायता 2000 / – रू. प्रतिवर्ष की दर से
आवास भत्ता	संबद्ध संस्थान के निर्धारित नियमानुसार

विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में जे.आर.एफ. योजना के साथ संयुक्त रूप से जे.आर.एफ. स्कीम हेतु व्यय किया जाता है।

- **अनुसंधान एसोसिएटशिप (आर.ए.)**

अध्येतावृत्ति	4 वर्ष के लिए 16,000 / – रू. (निर्धारित) प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक	प्रतिवर्ष 30,000 / – रू. (निर्धारित) की दर से
विभागीय सहायता	4 वर्ष के लिए मेज़बान संस्थान को जनसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए एसोसिएशिप का 10 प्रतिशत (निर्धारित)
आवास भत्ता	संबधित संस्थान के नियमानुसार 4 वर्ष के लिए (निर्धारित)

इन अध्येतावृत्तियों के लिए व्यय को महिलाओं हेतु पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है ।

वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत वि.अ.आ. ने जे.आर.एफ. के लिए 20 विदेशी नागरिकों का चयन किया तथा रिसर्च एसोसिएटशिप (आर.ए.) के लिए 7 विदेशी विद्वानों का चयन किया।

6.6 भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ

(क) विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान में भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृतियाँ

इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि विद्वानों को अग्रिम अनुसंधान एवं अध्ययन करने के अवसर उपलब्ध कराये जाये ताकि वे विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान जिनमें भाषाएं एवं विज्ञान भी सम्मिलित है इनके एम.फिल. / पी.एच.डी. डिग्रियाँ प्राप्त कर सकें। ऐसे अभ्यर्थी जो कि वि.अ.आ.

एवं वि.अ.आ.–सी.एस.आई.आर. की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को पास कर लेते हैं उनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जे.आर.एफ. के 8800 स्थान उपलब्ध कराता है। इस अध्येतावृत्ति की कुल अवधि 5 वर्ष है। इस अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्न है :–

अध्येतावृत्ति*	प्रारंभ में दो वर्ष के लिए 16,000/– रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 18,000/– रू. प्रतिमाह की दर से	जे. आर. एफ., (2 वर्ष) एस. आर. ए., (3 वर्ष)
आकस्मिक-क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रू. प्रतिमाह की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक-ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25000/– रू. प्रतिमाह की दर से	विज्ञान
विभागीय सहायता	3,000/– रू. प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से मेजबान संस्था को अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए	
सहायक/रीडर सहायता	2,000/– रू. प्रतिमाह की दर से शारीरिक रूप से विकलाँग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए	
आवास भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमानुसार	

*01.04.2010 से अध्येतावृत्ति धनराशि में वृद्धि की गई है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, जे.आर.एफ. विज्ञान एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में इस पर 135.89 करोड़ रू. की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में 48.81 करोड रू. की राशि व्यय की गई। वर्तमान में जेआरएफ योजना के तहत लगभग 28,000 स्कॉलर एमफिल/पीएचडी अध्ययन कर रहे है ।

(ख) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जे.आर.एफ.)

इस योजना के अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय बैठक के आधार पर, वि.अ.आ. प्रत्येक वर्ष 50 अभ्यार्थियों का चयन करती है ताकि इन विद्वानों को अग्रिम अध्ययन एवं अनुसंधान द्वारा एम.फिल./पी.एच.डी. की डिग्री, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी और कृषि विषयों में 5 वर्षों तक की अवधि के दौरान प्राप्त हो सके (यह अवधि विस्तार नहीं की जायेगी)।

पात्रताः जिन अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/भेषज में 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णांत डिग्री है, वे इसके लिए पात्र है । पी.एच. डी. करने के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्राप्त करने हेतु जीएटीई एक अनिवार्य शर्त नहीं है। अवार्ड के वर्ष की 1 जुलाई को आयु सीमा 40 वर्ष है जिसमें महिलाओं तथा अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष की छूट है। कुल 22.5 प्रतिशत अध्येतावृत्ति अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए आरक्षित है जो अवार्ड हेतु निर्धारित अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करते है ।

इस अध्येतावृत्ति का स्वरुप निम्नवत है :–

अध्येतावृत्ति	प्रारम्भिक दो वर्ष के लिए 14,000/– रू. प्रतिमाह की दर से तथा शेष अवधि तक के लिए 15,000/– रू. की दर से
आकस्मिक अनुदान	प्रारंभिक दो वर्षों तक 12,000/– रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि तक के लिए 25,000/– रू. प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	3,000/– रू. प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से–जो मेजबान संस्थान को मिलेगी ताकि शोधकर्ता को अवसंरचना उपलब्ध कराई जा सके।
सहायक [illegible] सहायता	शारीरिक रूप से विकलाँग एवं दृष्टिहीन होने पर 2,000/– रू. प्रतिमाह की दर से ।
आवास भत्ता	विश्वविद्यालय /संस्थानों के नियमानुसार

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अध्येताओं को भुगतान की गई धनराशि राशि निम्नवत है:–

वर्ष	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	13.39
2008-09	3.95
2009-10	1.51
2010-11	0.92
2011-12	3.08
कुल	**22.85**

वर्ष 2011–2012 के दौरान 3.08 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

6.7 अ.जा./अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृतियाँ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अ.जा. एवं अ.ज.जा. प्रत्याशियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों को कार्यान्वित करने का कार्य वि.अ.आ. को सौपा है और वित्तपोषित किया है जिसके लिए प्रति वर्ष 2667 स्लॉट उपलब्ध कराये गये है अर्थात् अ.जा.के लिए 2000 तथा अ.ज.जा. के लिए 667 स्लॉट उपलब्ध कराए गए है। ने अ.जा. के प्रत्याशियों के लिए 2010–2011 से स्लॉटों की संख्या 1333 से बढाकर 2000 कर दी गई है।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करना है। केन्द्र सरकार द्वारा वि.अ.आ. के माध्यम से अ.जा. / अ.ज.जा. प्रत्याशियों के लिए विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान जिसमें भाषाएं एवं इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी शामिल की गई है इन विषयों में एम.फिल. / पी.एच.डी. करने के उद्देश्य से अग्रिम शोध एवं अध्ययन करने के लिए 2667 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां उपलब्ध करायी जाती हैं। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष की है।

अध्येतावृत्ति का स्वरुप निम्नवत् है :–

विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान, एंव इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	प्रारम्भिक दो वर्षों तक के लिए 16,000 / – रू. प्रतिमाह की दर से से शेष अवधि तक के लिए 18,000 / – रू. प्रतिमाह की दर से से	आर.जी.एन. जे.आर.एफ.(2 वर्ष) आर.जी.एन. जे. आर.एफ..(3 वर्ष)
आकस्मिक (क)	प्रारम्भिक दो वर्षों तक 10,000 / – रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि तक 20,5000 / – रू. प्रतिमाह की दर से	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में
आकस्मिक (ख)	प्रारम्भिक दो वर्ष तक 12,000 / – रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि तक 25,000 / – रू. प्रतिमाह की दर से	विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी
विभागीय सहायता	3000 / – रू. प्रति वर्ष की दर से, प्रति छात्र–की दर से मेजबान संस्थान को दी जायेगी	सभी विषयों में
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक विकलांग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों को 2000 / – रू. प्रतिमाह की दर से	सभी विषयों में
आवास भत्ता	विश्वविद्यालय / संस्थाओं के नियमानुसार	सभी विषयों में

वर्ष 2011-12 के लिए अ0जा0/अ0ज0जा0 के चयनित अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाली सूची:

क्र. सं.	राज्य का नाम	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा.
1	आन्ध्र प्रदेश	200	79
2	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0
3	अरूणाचल प्रदेश	0	25
4	असम	24	35
5	बिहार	68	4
6	चण्डीगढ़	3	0

क्र. सं.	राज्य का नाम	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा.
7	छत्तीसगढ़	30	13
8	दादरा एवं नागर हवेली	37	0
9	दमन एवं द्वीव	0	0
10	दिल्ली	0	0
11	गोवा	0	2
12	गुजरात	43	28
13	हरियाणा	57	0
14	हिमाचल प्रदेश	23	12
15	जम्मू और कश्मीर	10	15
16	झारखण्ड	17	44
17	कर्नाटक	134	42
18	केरल	46	4
19	लक्षद्वीप	0	2
20	मध्य प्रदेश	127	64
21	महाराष्ट्र	148	13
22	मणिपुर	8	68
23	मेघालय	0	27
24	मिजोरम	0	23
25	नागालैण्ड	0	30
26	उड़ीसा	74	34
27	पुदुचेरी	3	0
28	पंजाब	84	0
29	राजस्थान	118	60
30	सिक्किम	0	5
31	तमिलनाडु	241	7
32	त्रिपुरा	5	4
33	उत्तर प्रदेश	371	5
34	उत्तराखंड	20	3
35	पश्चिम बंगाल	109	19
	कुल	**2000**	**667**

वर्ष 2011–12 के दौरान, योजनागत व्यय के तहत रू. 86.39 करोड़ राशि (अ.जा.–59.94, अ.ज.जा.–26.45) अध्येताओं को भुगतान करनें पर व्यय की गई।

6.8 अ.जा./अ.ज.जा. के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

ऐसे अ.जा. / अ.ज.जा. प्रत्याशी जिन्होंने डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त कर ली है तथा जिनको शोध प्रपत्र प्रकाशित करने का श्रेय है, उनके लिए वि.अ.आ. ने एक पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति की योजना का आरम्भ किया है। उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष उनके लिए 100 स्लॉट उपलब्ध करवा रहा है ।

इस अध्येतावृत्ति का स्वरुप निम्नवत है:

अध्योवृत्ति	रू. 16,000 / – प्रतिमाह (निर्धारित) दो वर्षों के लिए
आकस्मिक	रू. 30,000 / – प्रतिवर्ष दो वर्षों के लिए
विभागीय सहायता	मेजबान संस्थान को पोस्ट डॉक्टोरल अध्योवृत्ति का 10 प्रतिशत
सहायक रीडर की सहायता	शारीरिक रूप से नि:शक्त तथा दृष्टि बाधित अथ्यार्थियों को 2,000 / – रू. प्रतिमाह (निर्धारित) की दर से
आवास भत्ता	विश्वविद्यालय / संस्थानों के नियमानुसार

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान वर्ष 2010–11 के लिए 100 स्लॅाटो में से 100 अ0जा0/अ0ज0जा0 के 100 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है । वर्ष 2010–2011 के दौरान 2010–11 के लिए चयनित अध्येताओं को किये गए भुगतानों पर 3.28 करोड़ रू. (अ.जा–2.85, अ.ज.जा–0.43) की राशि व्यय की गई।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अ.जा./अ.ज.जा. के अध्येताओं को भुगतान की गई धनराशि राशि निम्नवत है।

वर्ष	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	0.04
2008-09	4.95
2009-10	3.80
2010-11	4.17
2011-12	3.28
कुल	**16.24**

6.9 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

समाज के वंचित वर्गों वाली सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े अभ्यार्थियों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है ताकि अ.जा./अ.ज.जा. प्रत्याशियों को स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हो सके। इन छात्रवृत्तियों की अवधि 2/3 वर्ष की है। (जो कि डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि पर निर्भर है)। अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के लिए स्लॅाटों की संख्या 1000 प्रति वर्ष है।

एम. टेक. छात्र	5,000/– रू. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक व्यय	15,000/– रू. प्रतिमाह की दर से
अन्य पाठ्यक्रमों के लिए	3,000/– रू. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक व्यय	10,000/– रू. प्रतिमाह की दर से

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, वर्ष 2010–11 के 1000 स्लाटों में से **767** अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यार्थियों का चयन किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान चयनित अभ्यर्थियो की राज्य–वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	अ.जा./अ.ज.जा. के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	140
2	अरूणाचल प्रदेश	01
3	असम	13
4	बिहार	03
5	चण्डीगढ़	01
6	छत्तीसगढ़	04
7	दिल्ली	23
8	गुजरात	32
9	हरियाणा	40
10	हिमाचल प्रदेश	08
11	जम्मू और कश्मीर	03

क्र. सं.	राज्य का नाम	अ.जा./अ.ज.जा. के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
12	झारखण्ड	02
13	कर्नाटक	65
14	केरल	96
15	मध्य प्रदेश	13
16	महाराष्ट्र	30
17	मेघालय	12
18	उड़ीसा	14
19	पुडुचेरी	22
20	पंजाब	09
21	राजस्थान	05
22	सिक्किम	01
23	तमिलनाडु	170
24	त्रिपुरा	03
25	उत्तर प्रदेश	46
26	उत्तराखण्ड	07
27	पश्चिम बंगाल	04
	कुल	**767**

वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए 5.59 करोड़ रूपये (अ.जा. – 4.50 करोड़ रूपये तथा अ.ज.जा. – 1.03 करोड़ रूपये) का व्यय हुआ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. छात्रवृत्तियों का भुगतान करने के लिये हुये व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:–

वर्ष	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	0.03
2008-09	6.77
2009-10	3.70
2010-11	12.40
2011-12	5.59
कुल	**28.49**

6.10 शोध वैज्ञानिक (संशोधन-पूर्व)

शोध वैज्ञानिक योजना की पहल वर्ष 1983 में की गई थी तथा इसका लक्ष्य यह था कि भारतीय मूल के ऐसे विशिष्ट योग्यता वाले वैज्ञानिक जो संभावित तौर पर विदेशों में कार्यरत थे, उनको आकर्षित किया जाये ताकि वे लौट कर भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्य करें–जिससे कि विज्ञान, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान के तीन स्तरों पर में उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जा सके :

1. शोध वैज्ञानिक 'क' (लेक्चरार)
2. शोध वैज्ञानिक 'ख' (रीडर)
3. शोध वैज्ञानिक 'ग' (प्रोफेसर)

वर्तमान में विभिन्न संस्थानों में 69 अनुसंधान वैज्ञानिक कार्यरत हैं । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन अनुसंधान वैज्ञानिकों के भुगतान पर किया गया व्यय निम्नवत् हैं:–

वर्ष	कार्यरत अनुसंधान वैज्ञानिकों की संख्या	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	74	3.74
2008-09	72	4.81
2009-10	69	3.45
2010-11	69	6.03
2011-12	69	7.03
	कुल	**25.06**

6.11 महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टोरेट अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य यह है कि जिन महिलाओं द्वारा पी.एच.डी. पूरी की जा चुकी है और जो अभी बेरोजगार है तथा जिनका शोध की ओर रूझान है और पूर्णकालिक आधार पर पोस्ट– करना चाहती है उन्हें अनुसंधान कार्य का सुअवसर प्रदान करना। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध हैं।

अध्येतावृत्ति की राशि निम्नवत है :

अध्येतावृत्ति	नए प्रत्याशियों के लिए 25,000/– रू. प्रतिमाह की दर से शोध अनुभवी प्रत्याशियों के लिए 30,000/– रू. की दर से
आकस्मिक अनुदान	5 वर्षों के लिए 50,000/– रू. प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	मेज़बान संस्थान के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप का 10 प्रतिशत
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से विकलांग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए 2,000/– रू. प्रतिमाह की दर से

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पोस्ट–डॉक्टोरेट महिला अध्येताओं को भुगतान की गई धनराशि राशि निम्नवत है:–

वर्ष	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	0.65
2008-09	0.77
2009-10	9.98
2010-11	0.42
2011-12	7.77
कुल	**19.59**

6.12 एम.ई./एम.टेक/एम.फार्मा के गेट योग्यता प्राप्त छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

इस योजना का लक्ष्य स्नातक स्तर के छात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन का अनुसरण कर सकें। छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष की है। स्लॉटों की संख्या 1400 प्रति वर्ष है।

छात्रवृत्ति का स्वरूप निम्नवत् है :–

एम.ई./एम.टेक/एम.फार्मा, सभी सेमेस्टरों में (60% एवं इससे अधिक)	8,000/– रू. प्रतिमाह की दर से
एम.ई./एम.टेक/एम.फार्मा, किसी भी सेमेस्टर में (60% से कम)	1,000/– रू. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक अनुदान	5,000/– रू. प्रतिवर्ष की दर से

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, छात्रों को भुगतान की गई धनराशि राशि निम्नवत है।

वर्ष	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	7.08
2008-09	11.27
2009-10	12.36
2010-11	8.86
2011-12	16.30
कुल	**55.87**

6.13 इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

सरकार द्वारा महिलाओं के स्तर को प्रोन्नत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए है जिनमें लडकियों के लिए मुफ्त शिक्षा भी सम्मिलित है, मूलभूत शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के लिए किया गया व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय हुआ है–उसकी प्रतिपूर्ति की जाये विशेषकर के ऐसी लड़कियों के मामले में जो कि अपने–अपने परिवारों में एकमात्र बालिका शिशु है।

इस योजना के उद्देश्य गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए समर्थन तथा छोटे परिवार के मानदण्ड महत्व को पहचान प्रदान करना।

योजना को स्नातकोत्तर अकास्मिक सत्र 2005–07 के साथ आरंभ किया गया था । अपने माता–पिता की एकल बालिका संतान जिससे नियमित पूर्णकालिक, निष्णांत पाठ्यक्रम (गैर–पेशेवर पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, वह छात्रवृत्ति पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है । स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 30 वर्ष तक की आयु की किशोरी छात्र पात्र है । सभी पात्र किशोरी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी । छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम संख्या नहीं है । छात्रवृत्ति हेतु दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर विचार नहीं किया जाता है ।

ऐसे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान जो कि वि.अ.आ. अधिनियम के धाराओं 2(च) एवं 12(ख) के अन्तर्गत आवृत्त है, उन संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों द्वारा यदि प्रवेश प्राप्त किया गया है तो ऐसी आशा की जाती है कि वहाँ पर महिला छात्रों द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने के लिए, कोई शिक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की राशि 2,000 रू. प्रतिमाह दो वर्षों के लिए ही होगी (एक वर्ष में 10 माह के लिए) अर्थात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए।

स्नातकोत्तर–II वर्ष की छात्रवृत्ति पूर्ण करने के पश्चात् शारीरिक रूप से निशक्त अवार्डियों को अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाती है ।

अकादमिक वर्ष 2011–12 से, ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से आवेदन मंगवाए गए है तथा छात्रवृत्ति राशि सीधे ही अवार्डियों के बैंक खाते (किसी भी बैंक में हो) में जमा कर दी जाएगी । भुगतान के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केनरा बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जितनी बालिका छात्राएँ स्नातकोत्तर अकादमिक सत्रवार लाभान्वित हुई है, उनकी संख्या निम्नवत् है :–

2005-07	1360
2006-08	1067
2007-09	1200
2008-10	1200
2009-11	1538
2010-12	2299
2011-13	1803

वर्ष 2011–12 के दौरान स्नातकोत्तर अकादमिक सत्र 2011–13 चयनित छात्राओं की राज्य–वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चयनित छात्राओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	132
2	अरूणाचल प्रदेश	–
3	असम	31
4	बिहार	02
5	चण्डीगढ़	22
6	छत्तीसगढ़	01
7	दिल्ली	45
8	गोवा	04
9	गुजरात	10
10	हरियाणा	07
11	हिमाचल प्रदेश	01
12	जम्मू और कश्मीर	–
13	झारखण्ड	08
14	कर्नाटक	76
15	केरल	491
16	मध्य प्रदेश	04
17	महाराष्ट्र	59
18	मणिपुर	05
19	मेघालय	09
20	उड़ीसा	11
21	पुडुचेरी	22
22	पंजाब	17
23	राजस्थान	05
24	सिक्किम	–
25	तमिलनाडु	291
26	त्रिपुरा	10
27	उत्तर प्रदेश	22
28	उत्तराखण्ड	06
29	पश्चिम बंगाल	502
	कुल	**1803**

अगले स्नातकोत्तर अकादमिक सत्र अर्थात वर्ष 2012–14 हेतु विज्ञापन और चयन प्रक्रिया की आरंभ की जा चुकी हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, छात्रवृतियों धारकों को भुगतान की गई धनराशि राशि निम्नवत है।

वर्ष	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	1.48
2008-09	13.76
2009-10	5.92
2010-11	0.03
2011-12	8.76
कुल	**29.95**

वर्ष 2011–12 के दौरान छात्रवृतियों धारकों को भुगतान हेतु 8.76 करोड रू. की राशि व्यय की गई।

6.14 स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ताओं के लिए स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति

एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा पद्धति के दायरे में प्रतिभावान लड़के एवं लड़कियों को सम्मिलित करने की आवश्यकता हैं जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाये। इसीलिए वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर श्रेष्ठता छात्रवृत्ति को प्रस्तावित किया तथा स्नातक स्तर पर सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों के लिए ऐसी छात्रवृत्ति प्रस्तावित की हैं। उस छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष होगी ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र जो स्नातक स्तर के छात्र हैं वे अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अनुसरण कर सकें।

बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.काम इनमें सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में, समस्त शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं को, जो विश्वविद्यालय से हैं, उनको सभी सम्बन्द्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा पदवी–प्रमाणपत्र जारी करने होंगे। पुरस्कार पाने वाले छात्र अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रम का अनुसरण देश के किसी भी उच्चतर शिक्षण संस्थान में कर सकते हैं।

इस योजना के निम्न लक्ष्य हैं :

- प्रतिभा का संवर्धन एवं उसका पोषण करना।
- ऐसे छात्र जिन्होने स्नातक स्तर पर विशिष्ट निष्पादन किया हैं ऐसे मेंधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाये ताकि वे स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन का अनुसरण कर सके।
- स्नातकोत्तर में सामान्य एव ऑनर्स दोनों श्रेणियों में आधारगत विषयों में अध्ययन को प्रोन्नत करना।
- समस्त देश पर्यन्त सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अकादमिक श्रेष्ठता का तैयार करना।

पात्रता

स्नातक स्तर के ऐसे शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता जो प्रथम या द्वितीय शीर्ष स्थान वाले हैं तथा जो किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जिन्हें प्रवेश प्राप्त हो चुका है, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस प्रकार के एवार्ड प्राप्तकर्ताओं को ही अपनी योग्यता के परिणाम को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा । तथापि, इस छात्रवृत्ति को स्नातक स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रदान किया जाएगा।

योजना ऐसे छात्रों पर लागू है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त राज्य/सम विश्वविद्यालय और स्वायत्त अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्णकालीन निष्णात डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर डिग्री के छात्रों को ही उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्रों की आयु सीमा 30 वर्ष है । छात्रवृत्ति हेतु दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर विचार नहीं किया जाता है ।

प्रथम शैक्षिक वर्ष के दौरान सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 3000 होगी । छात्रवृत्ति की अवधि केवल दो वर्ष की ही होगी। किसी भी स्थिति में इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्षों से आगे विस्तारित नहीं की जायेगी।

केवल उन सबद्ध विश्वविद्यालयों से रैंक होल्डरों पर विचार किया जाएगा जहां कम से कम 100 छात्र/और सम विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/गैर–संबद्ध महाविद्यालयों में कम से कम 25 छात्र स्नातक पूर्व स्तर पर परीक्षा में बैठे ।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक एवार्ड प्राप्तकर्ता को रू. 2,000/– प्रतिमाह की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए (अर्थात् एक वर्ष में 10 माह के लिए) छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जायेगी।

छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित विषयों से स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों की पहचान की गई है ।

क्र. सं.	विषय
01	जीव विज्ञान
02	भौतिक विज्ञान
03	रसायन शास्त्र
04	पृथ्वी विज्ञान
05	गणित विज्ञान
06	सामाजिक विज्ञान
07	वाणिज्य
08	भाषा

वर्ष 2011–12 के दौरान चयनित छात्राओं की राज्य–वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	राज्य/संध राज्य क्षेत्र का नाम	चयनित छात्रों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	10
2	अरूणाचल प्रदेश	–
3	असम	37
4	बिहार	05
5	चण्डीगढ़	01
6	छत्तीसगढ़	–
7	दिल्ली	–
8	गोवा	12
9	गुजरात	01
10	हरियाणा	01
11	हिमाचल प्रदेश	–
12	जम्मू और कश्मीर	01
13	झारखण्ड	01
14	कर्नाटक	14

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चयनित छात्रों की संख्या
15	केरल	112
16	मध्य प्रदेश	04
17	महाराष्ट्र	09
18	मणिपुर	02
19	मेघालय	06
20	उडीसा	30
21	पुडुचेरी	03
22	पंजाब	03
23	राजस्थान	04
24	सिक्किम	--
25	तमिलनाडु	50
26	त्रिपुरा	05
27	उत्तर प्रदेश	20
28	उत्तराखण्ड	02
29	पश्चिम बंगाल	29
	कुल	**375**

स्नातकोत्तर अकादमिक सत्र–वार लाभार्थियों की संख्या निम्नवत है :–

2005-07	-	189
2006-08	-	154
2007-09	-	210
2008-10	-	210
2009-11	-	115
2010-12	-	416
2011-13	-	375

वर्ष 2011–12 के दौरान छात्रवृत्ति धारकों को भुगतान हेतु 1.64 करोड रू. की राशि व्यय की गई।

अकादमिक वर्ष 2011–12 से, ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से आवेदन मंगवाए गए है तथा छात्रवृत्ति राशि सीधे ही अवार्डियों के बैंक खाते (किसी भी बैंक में हो) में जमा कर दी जाएगी । भुगतान के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केनरा बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे है । अगले स्नातकोत्तर अकादमिक सत्र अर्थात वर्ष 2012–13 हेतु विज्ञापन और चयन प्रक्रिया की आरंभ की जा चुकी है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, छात्रवृति धारकों को भुगतान के लिए किया गया व्यय निम्नवत है:

वर्ष	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	3.11
2008-09	2.33
2009-10	0.54
2010-11	शून्य
2011-12	1.64
कुल	**7.62**

6.15 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

वर्ष 2009–10 से प्रभावी तौर पर, अल्पवर्ग के मामलों से जुड़े मंत्रालय द्वारा अल्पवर्ग के छात्रों के लिए जो मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना है, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सुपुर्द कर दिया गया है।

इस योजना का लक्ष्य यह है कि अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समेकित पाँच वर्ष की अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराना जैसा कि इन छात्रों द्वारा इस रूप से उच्चतर अध्ययन जैसे एम.फिल. एवं पी.एच.डी. जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस योजना द्वारा ऐसे सभी विश्वविद्यालय/संस्थान, जिन्हें वि.अ.आ. द्वारा धारा 2(च) एवं धारा 3–वि.अ.आ. अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई, वे सभी कवर होंगे। इस योजना के अन्तर्गत अध्येतावृत्ति लेने वालो को एमओएमए शोध अध्येताओं के रूप में जाना जायेगा। अध्येतावृत्ति योजना के तहत प्रति वर्ष 756 उपलब्ध है।

ऐसे पी.एच.डी. कार्यक्रम जो कि एम.फिल. के साथ किए जा रहे हैं अथवा अन्यथा वि.अ.आ. नियमों के अनुसार वे प्रवेश स्थलों के रूप में देखे जाते है तो उस स्थिति में यह अध्येतावृत्तियाँ पाँच वर्ष समेकित रूप की होंगी। इस अध्येतावृत्ति की अवधि निम्न प्रकार होगी :–

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम समय-सीमा	जे.आर.एफ. एवं एस.आर.एफ. की ग्राहयता	
		जे.आर.एफ.	एस.आर.एफ.
पी.एच.डी.	5 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
एम.फिल.+पी.एच.डी	2+3 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष

इन जे.आर.एफ. एवं एस.आर.एफ. अध्येतावृत्तियों की दर, वि.अ.आ. की अध्येतावृत्तियों के समरूप होंगी जिन्हे समय–समय पर संशोधित किया जाता रहा है। वर्तमान में यह दर निम्न प्रकार है :–

अध्येतावृत्ति	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 16,000/– रु. की दर से (जे.आर.एफ.) शेष कालावधि के लिए 18,000/– रु. की दर (एस.आर.एफ.)
मानविकी, समाज विज्ञान एवं वाणिज्य के लिए आकस्मिक दर	प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10,000/– रु. की दर से शेष तीन वर्षों के लिए 20,500/– रु. की दर से प्रतिवर्ष
विज्ञान के लिए आकस्मिक दर	प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 12,000/– रु. की दर से शेष तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 25,000/– रु. की दर से
विभागीय सहायता	मेजबान संस्थान के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवर्ष 3,000/– रु. की दर से
सहायक/रीडर की सहायता	शारीरिक निशक्त एवं दृष्टि–बाधित प्रत्याशियों के लिए 2,000/– रु. प्रतिमाह की दर से
आवासीय भत्ता	विश्वविद्यालय /संस्थान के नियम के अनुसार

वर्ष 2011-12 के दौरान योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की संख्या की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य	बौद्ध	इसाई	मुस्लिम	पारसी	सिक्ख	कुल योग
1	आन्ध्र प्रदेश	–	6	28	–	–	34
2	अरूणाचल प्रदेश	1	2	1	–	–	4
3	असम	–	3	32	–	–	35
4	बिहार	–	–	55	–	–	55
5	छत्तीसगढ़	–	3	3	–	–	6
6	गोवा	–	3	1	–	–	4
7	गुजरात	–	3	9	–	–	12
8	हरियाणा	–	–	–	–	8	8
9	हिमाचल प्रदेश	1	–	2	–	1	4

राज्य	State	बौद्ध	इसाई	मुस्लिम	पारसी	सिक्ख	कुल योग
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	38	--	1	39
11	झारखण्ड	--	6	15	--	--	21
12	कर्नाटक	2	3	28	--	--	33
13	केरल	--	26	31	--	--	57
14	मध्य प्रदेश	--	--	14	--	--	14
15	महाराष्ट्र	25	2	39	1	--	67
16	मणिपुर	1	2	2	--	--	5
17	मेघालय	--	--	6	--	--	6
18	मिजोरम	--	4	--	--	--	4
19	नागालैण्ड	--	6	--	--	--	6
20	उड़ीसा	--	2	3	--	--	5
21	पंजाब	--	--	3	--	59	62
22	राजस्थान	--	--	18	--	2	20
23	सिक्किम	2	2	--	--	--	4
24	तमिलनाडु	--	18	16	--	--	34
25	उत्तर प्रदेश	2	--	123	--	5	130
26	उत्तराखण्ड	--	--	5	--	--	5
27	पश्चिम बंगाल	3	3	56	--	--	62
28	चण्डीगढ़	--	--	2	--	3	5
29	दिल्ली	--	2	7	--	--	9
30	लक्षद्वीप	--	--	1	--	--	1
31	पुदुचेरी	--	3	1	--	--	4
	कुल योग	**37**	**105**	**533**	**1**	**79**	**755**

वर्ष 2011–12 के दौरान चयनित अध्येताओं के भुगतान पर 21.60 करोड़ रु0 का व्यय किया गया ।

6.16 भारतीय विश्वविद्यालयों में आधारमूलक वैज्ञानिक शोध करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

- **महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान**

शोध में उत्कृष्टता को बढावा देने के लिए विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विज्ञान के पी.जी. स्तर के अनुसंधान घटकों सहित अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा आपूर्ति, जल आपूर्ति, सुरक्षा उपकरणों, प्रयोगशालाओं, कार्य करने हेतु मेज एवं अन्य अवसरंचना को सुदृढ करने के लिए, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विभागों को विकास अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2011–12 के दौरान एसएपी विभागों, स्वायत्त महाविद्यालयों उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों, गैर–एसएपी विभागों, एनएएसी प्रत्यायित महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र. सं.	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग का प्रकार	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)	महाविद्यालयों/विभागों की संख्या
1	एसएपी के अंतर्गत विभागः डीएसए/सीएएस डीआरएस	10.20	51
2.	उत्कृष्टता की समाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)	23.97	35
3.	स्वायत्त महाविद्यालय	2.10	11
4.	एनएएसी प्रत्याजित स्नातकोत्तर महाविद्यालय	0.50	5
5.	गैर–एसएपी विभाग	2.80	24
	कुल	39.57	126

नेटवर्किंग शोध केन्द्रः समर–विंटर स्कूल

नेटवर्किंग अनुसंधान केन्द्रः ग्रीष्मकालीन–शीतकालीन विद्यालय स्थापित नेटवर्किंग अनुसंधान केन्द्र के उद्देश्य निम्नवत हैः–

- समय–समय पर चर्चा, कार्यशाला तथा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालयों के माध्यम से संकाय तथा अनुसंधान स्कॉलरों का अनुसंधान प्रशिक्षण तथा कौशल विकास ।
- संकाय एवं विभागों को उनके अनुंसधान कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें परामर्श प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण ।
- महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अनुसंधानकर्ताओं को आमंत्रित करना तथा उन्हें सुविधा प्रदान करना।
- अन्य संस्थानों/अनुसंधानकर्ताओं को गुणवत्ता युक्त अनुसंधान सूचना उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की सूचना संसाधन सुविधा में वृद्धि करना।
- विभाग के भीतर अत्याधुनिक अनुसंधान अवसंरचना तथा अन्य अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि करना तथा उसका निर्माण ।

बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्किंग अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए एसएपी के अंतर्गत 9 विभागों में सें 3 विभागों को अनुमोदित किया गया है । वर्ष 2011–12 के दौरान दूसरी किश्त के रूप में दो विश्वविद्यालयों को 11.20 करोड़ रु. का कुल अनुदान जारी किया गया है। 11वीं पचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के 9 विभागों को एनसीआर की स्थापना के लिए 51.74 करोड रू. की सहायता प्रदान की गई।

एस.ए.पी. के इंजीनियरिंग एवं प्रौद्यागिकी विभागों में स्नातक पूर्व स्तर पर अनुसंधान कार्य को बढ़ावा

बीएसआर कार्यक्रम के तहत स्नातक स्तर पर अनुसंधान कार्य करने वाले छात्रों को रू. 3,000.00 प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति तथा रू. 1,000.00 प्रतिवर्ष की दर सें आकस्मिक अनुदान जारी किया जाता है। तदनुसार, 69 विभागों को चिह्नित किया गया है तथा इन विभागों को अब तक 3.45 करोड़ रु0 की राशि जारी की जा चुकी है।

एकल बालिका

लिंगीय न्याय करने के लिए एकल बालिका हेतु विभाग जो बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत कवर है, में अनुसंधान के लिए अध्येतावृत्ति दी जा रही इन अध्येतावृत्तियों को मौजूदा अध्येतावृत्ति, जो बीएसआर कार्यक्रम और इंदिरा गांधी एकल बालिका योजना के अंतर्गत उपलब्ध है, के अतिरिक्त सुपरन्यूमररी अध्येतावृत्ति के रूप में लिया जाता है ।

वर्ष 2011–12 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने के लिए व्यय नहीं किया गया । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक केवल 7 अभ्यर्थियों ने ही कार्य भार संभाला तथा 9.00 लाख रू. की कुल धनराशि जारी की गई थी ।

6.17 विज्ञान विषय में डॉ.डी.एस. कोठारी पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ (बीएसआर कार्यक्रम के तहत)

महत्वपूर्ण पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप की पहल वर्ष 2008–09 के दौरान की गई थी तथा इसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉ. डी.एस. कोठारी के नाम पर रखा गया है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली में पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान संस्कृति को स्थापित करना है साथ ही देश में उच्चतर शिक्षा के लिए जिस प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की आवश्यकता है ऐसे संकाय सदस्यों की संख्या में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करना ही इस योजना का लक्ष्य है।

चयन प्रक्रिया समस्त वर्ष तक खुली रहेगी जो कि "जैसे भी एवं जब भी" स्वरूप की है तथा यह प्रक्रिया किन्ही विशिष्ट समयबद्ध रूप द्वारा प्रतिबंधित नहीं होगी क्योकि शोध प्रबंध का प्रस्तुतीकरण एवं पी.एच.डी. डिग्री को प्रदान करने की प्रक्रियाएँ मुक्त स्वरूप वाली होती है। वि.अ.आ. तथा अन्य संस्थानों की वेबसाइटों पर निरंतर विज्ञापन प्रसारित होता है।

अभ्यर्थियों को अपना आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना होगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होगी। एक स्थायी (मुख्य) वरिष्ठ सदस्यों वाला समूह जिसके द्वारा आवेदनों को वेब के ऊपर ही पहुँच बनानी संभव होगी तथा उन आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्रेड करना संभव हो पायेगा। वरिष्ठ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ग्रेड़ों के आधार पर इस समूह के अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। पोस्ट–डॉक्टोरल अनुसंधान संस्कृति को आत्मसात करने के लक्ष्य से, क्योंकि यह एक प्रोन्नति वाली परियोजना है, अत : पुनरीक्षण प्रक्रिया/चयन के दौरान, जिन बातों पर विशेष बल दिया जाना चाहिये कि उनमें से प्रत्याशी द्वारा पी.एच.डी, स्तर पर उसकी उपलब्धियाँ, उसके परामर्शदाता की व्यावसायिक स्तर पर कितनी प्रतिष्ठा है तथा उस संस्थान की प्रसिद्धि है जहाँ पर पोस्ट–डॉक्टोरल कार्य को सम्पन्न किया जाना है यह सारी बातों का सम्मिश्रण रहना चाहिए। सामान्य रूप में, प्रत्याशियों को अन्य संस्थानों में जाकर कार्य सम्पन्न करना चाहिए तथा अनुसंधान के नवीन क्षेत्रों को अपनाना चाहिए।

चयन प्रक्रिया को व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त होने के 6 सप्ताह के भीतर ही पूरा किया जाना चाहिए। ऐसी समस्त प्रक्रिया उस समस्त प्रक्रिया के समरूप होगी जिसे कि पाण्डुलिपियों के मूल्यांकन के लिए सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तथा ऐसी समस्त प्रक्रिया बिना किसी भी लिखित कार्यवाही के पूरी होगी । ऐसे समस्त पोस्ट–डॉक्टोरल फ़ैलों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रकार की अभिवृत्ति होगी तथा यह विश्व के अन्य भागों के छात्रों के लिए भी खुली हैं। प्रतिवर्ष 500 तक यह अवार्ड हो सकते है तथा अधिकतम 1000 तक हो सकती है।

वे प्रत्याशी जिन्होंने पी.एच.डी डिग्री प्राप्त कर ली है अथवा जिन्होंने अपना पी.एच.डी के लिये शोध प्रबंध प्रस्तुत कर दिया है वे आवेदन करने के लिए पात्र है। चयन होने के बाद, ऐस प्रत्याशी जो पी.एच.डी कर चुके है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पोस्ट–डॉक्टोरल फ़ैलोशिप अवार्ड कर दिया जायेगा। ऐसे प्रत्याक्षी जिन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है उन्हें एक "ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति" वृत्तिका से बहुत थोड़ी सी कमी के साथ अवार्ड की जायेगी। जब तक कि औपचारिक रूप से उन्हें पी.एच.डी. का अवार्ड प्राप्त नहीं हो जाता।

अध्येता/परामर्शदाता/वरिष्ठ समूह के मूल्यांकन के आधार पर यह अध्येतावृत्ति वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी तथा इसमें नवीकरण/समाप्ति की धारा भी सम्मिलित होगी। फिर भी, अध्येतावृत्ति अवार्ड की सर्वाधिक अवधि तीन वर्ष की होगी।

इसके अन्तर्गत नियमित अध्येतावृत्ति के लिए प्रतिमाह 28,000.00 रू. होगी जिसमें वार्षिक रूप से, 1,000.00 रूपये की बढ़ोतरी का प्रावधान है। ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति की राशि रू. 22,000.00 प्रतिमाह की दर पर होगी। पोस्ट–डाक्टोरल फैलोशिप के अन्तर्गत प्रति वर्ष 1,00,000.00 रू. (01.05.2010 से) आकस्मिक अनुदान का प्रावधान होगा तथा लागू आवास भत्ता भी देय होगा।

दिनांक 31.03.2012 तक 687 अध्येतावृत्तियाँ आवंटित की गई तथा अभी 420 व्यक्ति इनमें कार्यरत हैं जिनमे से 52 व्यक्तियों को वर्ष 2011–12 के दौरान चुना गया था।

वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न राज्य/केंद्रीय/समविश्वविद्यालयों के चयनित अध्येताओं को भुगतान पर 13.82 करोड़ रु. जारी किये गये । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभ्यर्थियों को कुल 32.02 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई थी ।

6.18 मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान विषयों में अनुसंधान अध्येतावृतियाँ(आर.एफ.एस.एम.एस.) (बीएसआर कार्यक्रम के तहत)

प्रस्तावना

ऐसे छात्र जिन्होंने पी.एच.डी. (विज्ञान) के लिए उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यू.पी.ई.)/उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों में अथवा अग्रेषित अध्ययन केन्द्रों एवं वि.अ.आ. द्वारा अभिलक्षित विशेष सहायता वाले विभागों (डी.एस.ए.) के साथ पंजीकरण करा रखा है ऐसे मेधावी छात्रों के लिए एस.ए.पी. एवं गैर–एस.ए.पी. विज्ञान विषयों में आरएफएसएमएस योजना का प्रारंम 2007–08 में हुआ था।

उद्देश्य

इन अध्येतावृत्तियों का लक्ष्य मेद्यावी छात्रों को सुअवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य हाथ में ले सके जो कि उन्हें विज्ञान विषयों में पी. एच.डी. डिग्री प्राप्त करने में सहायक होगा।

पात्रता

ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने स्वतंत्र क्षमता वाले उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों/ क्षमता वाले उत्कृष्ट केन्द्रों में, एडवांस अध्ययन केन्द्रों एवं विशेष सहायता (एसएपी) तथा गैर–एसएपी प्राप्त विभागों में, पंजीकरण करवा लिया है इस योजना में पात्र है।

अध्येतावृत्ति की अवधि

आर.एफ.एस.एम.एस. योजना के अंतर्गत इस अध्येतावृत्ति की अवधि आरंभ में 2 वर्षो की है। इस अवधि के समाप्त होने पर इस अध्येता द्वारा निष्पादित कार्य का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा, यदि शोध कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उनका कार्यकाल की अवधि और तीन वर्षों तक के लिए बढ़ा दी जायेगी। यदि उनका प्रथम दो वर्षों का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त समय, कार्य में सुधार के लिए दिया जाता है ऐसे मामलों में इसके कार्यों का मूल्यांकन पुनः तीन वर्षों के पश्चात किया जाता है, और यदि सुधार पाया जाता है तो फेलों को 2 वर्ष और आर.एफ.एस.एम.एस. के अन्तर्गत मिलेंगे। इस प्रकार, इस अध्येतावृत्ति की कुल अवधि 5 वर्ष की है परन्तु इस सीमा अवधि को और बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

वित्तीय सहायता

अध्येतावृत्ति राशि	:	प्रथम दो वर्षों के लिए 14,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से), अगले तीन वर्षों के लिए 16,000.00 रू प्रतिमाह की दर से ।
आकस्मिक	:	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से), अगले तीन वर्षों के लिए 25,000.00 रू प्रतिमाह की दर से ।

छुटिटयाँ : सार्वजनिक छुटिटयों के अतिरिक्त एक शोध अध्येता एक वर्ष की अवधि में 30 दिनों की छुटिटयों के पात्र होंगे। उन्हें अन्य किसी ओर रूप में छुट्टियां नहीं मिलेंगीं। अपने अवार्ड की समस्त अवधि के दौरान महिला प्रत्याशी 135 दिनों की प्रसूति छुट्टियों की पात्र होगी और ऐसी छुटिटयां केवल एक ही बार मिलेगीं।

किन्ही विशेष परिस्थितियों में, शोध फैलों को, बिना फैलोशिप के तीन माह अवधि की छुट्टी एवार्ड के सम्पूर्ण अवधि के दौरान दी जा सकती है। जो छुट्टी पर्यवेक्षक एवं संस्थान की अनुशंसाओं के आधार पर ही दी जाएगी। बिना फैलोशिप के इस प्रकार की छुट्टी की अवधि अवार्ड की कुल अवधि में ही सम्मिलित मानी जायेगी। ऐसी छुट्टी के लिए, शोध अध्येताओं को अपने विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से, काफी समय पूर्व ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदनार्थ आवेदन करना पड़ेगा।

आवेदन तथा चयन की प्रक्रिया

इस योजना के अन्तर्गत केवल ऐसे छात्र ही पात्र होंगे जो कि विज्ञान के विषयों में पी.एच.डी.के लिए, ऐसे विश्वविद्यालयों में पंजीकृत है जहाँ पर उत्कृष्ट क्षमता वाले एवं विशेष सहायता वाले विभागों एव अग्रिम अध्ययन करने वाले ऐसे समस्त केन्द्र विद्यमान है, जिन्हें वि.अ.आ. द्वारा चिन्हित किया गया है। उन अध्येताओं द्वारा शोध अध्येतावृत्ति के लिए केवल उन्हीं चिन्हित संस्थानों को ही आवेदन करना होगा। संदर्शिका में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार ही संबद्ध संस्थानों द्वारा चयन किया जायेगा।

विश्वविद्यालय, शोध अध्येताओं का चयन, पात्र प्रत्याशियों में से एक साक्षात्कार द्वारा करेगा जो कि एक चयन समिति करेगी, जिस समिति का गठन निम्नवत होगा :

(क) उप–कुलपति द्वारा मनोनित एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक

(ख) विभागाध्यक्ष

(ग) विभाग में कार्यरत एक प्रोफेसर तथा एक रीडर जिन्हें उप–कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिए।

(घ) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित सूची में से ऐसे दो विशेषज्ञ जो कि विश्वविद्यालय के बाहर से हैं तथा जो उपकुलपति द्वारा नामांकित किये जाने चाहिए।

अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

विश्वविद्यालय/संस्थान से चयनित प्रत्याशियों के नामों, बायोडाटा एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वि.अ.आ. कार्यालय इस अध्येता के नामांकन को स्वीकार कर लेता है तत्पश्चात् उस अध्येता की कार्यग्रहण तिथि से लेकर वार्षिक आधार पर देय अनुदान की प्रथम किस्त, एक मुश्त राशि के रूप में, उस संस्थान/विश्वविद्यालय को जारी की जाती है।

भुगतान प्राप्ति में होने वाली देरी के कारण अध्येताओं को भावी कठिनाइयों से बचाने के लिए, संबंद्ध संस्थान/विश्वविद्यालय ऐसे अध्येताओं को अपने पास विद्यमान विकास संबंधी अनुदान में से एकमुश्त भुगतान कर सकता है। अध्येतावृत्ति अनुदान की अगली किस्त, विश्वविद्यालय /संस्थान को, उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं व्यय विविरण तालिका, जोकि वि.अ.आ. द्वारा पहले जारी किये गए अनुदान के विषय में हों–तथा जिनमें राशि का शत–प्रतिशत उपयोग संकेतित हो–ऐसे दस्तावेज़ों, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। (कुल सचिव/वित्तीय अधिकारी) इन्हें मिल जाने के बाद ही वह अगली किस्त जारी की जायेगी।

प्रगति का पर्यवेक्षण करने की विधि

शोध अध्येता के निष्पादन का पर्यवेक्षण, उनके संबद्ध निरीक्षक/मार्गदर्शक द्वारा किया जाता है तथा इसे, उप प्रगति रिपोर्ट में प्रतिबिम्बित किया जाता है, जोकि विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जाती है ताकि उसे आगे वि.अ.आ. कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सके।

ऐसे अवार्ड के प्रथम दो वर्षों की समाप्ति पर, अध्येता द्वारा इसे जारी करने/विस्तारण के लिए अपने विभाग/विश्वविद्यालय के प्रति आवेदन किया जा सकता है। इस दिशा में, संस्थान द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा– जिसमें, सुपरवाईजर विभागाध्यक्ष एवं एक विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय/संस्थान से बाहर का होगा वे तीनों सदस्य होंगे, जो कि अध्येता द्वारा किए गए शोध कार्य का मूल्यांकन करेंगे। इस समिति की अनुशंसाओं/मत के आधार पर यह निर्णय किया जायेगा कि अध्येता को और आगे इसे जारी रखने की अनुमति होगी अथवा नहीं।

संबंद्ध विभागों से ऐसी आशा की जाती है कि वे इस अध्येता के कार्य का निरन्तर पर्यवेक्षण करते रहेंगे। वह अपने एवार्ड की अवधि के दौरान किसी अन्य पद को स्वीकार नहीं करेगा/करेगी चाहे वह वित्तपोषित हो अथवा अन्यथा किसी रूप में हो, अथवा अन्य किसी भी स्रोतों से न तो कोई पारिश्रमिक या वेतन अथवा शुल्क आदि स्वीकार करेगा/करेगी।

विश्वविद्यालय की अनुशंसा द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान यह अध्येतावृत्ति समाप्त की जा सकती है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय अंतिम एवं अनिवार्य माना जायेगा। इस अध्येतावृत्ति की अवधि कार्यग्रहण तिथि से लेकर पाँच वर्ष तक की होगी बशर्ते कि अध्येता की कार्य प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक रहती है अथवा जिस तिथि पर वह अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर देता है इन दोनों में से जो भी पहले होगी वही मान्य होगी। कुल कालावधि के पाँच वर्ष के पश्चात

कोई विस्तारण संभव नहीं होगा तथा अवार्ड प्राप्तकर्ता उस निर्धारित तिथि की समाप्ति पर तुरन्त प्रभावी रूप से वि.अ.आ. शोध अध्येता के रूप में विरत माना जायेगा। यदि इस परिपेक्ष्य में कोई भी दावा/ संदर्भ लाया जाता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा ऐसे किसी भी कार्य के लिए उस व्यक्ति को अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

अन्य शर्तें

अपने मार्गदर्शक /विभागाध्यक्ष की अनुमति से, शोध अध्येता उस विश्वविद्यालय/संस्थान की सहायता कर सकता है, जैसे कि शैक्षिक कार्य, जिसमें अनुशिक्षण कक्षायें संचालित करना, परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला में परीक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय का पर्यवेक्षण, पुस्तकालय की गतिविधियाँ जैसे सामूहिक विचार गोष्ठियाँ, एवं परिसंवाद आदि बशर्ते, कि ऐसे कार्यो द्वारा इस अध्येता द्वारा किये जा रहे शोध कार्यक्रमों में किसी प्रकार का व्यवधान न करें। ऐसी समस्त गतिविधियों पर लगाया जाने वाला समय प्रति सप्ताह 10 घंटे से अधिक नही होना चाहिए।

अवार्ड का रद्दीकरण

ऐसी अध्येतावृत्ति का रद्दीकरण किया जा सकता है यदि–

- कदाचार
- शोधकार्य की असंतोषजनक प्रगति /एम.फिल.पी.एच.डी. से जुड़े किसी परीक्षा में अनुतीर्ण रहने पर।
- यदि वह बाद में अपात्र पाया जाता है।

31.03.2012 तक, विज्ञान विभागों को 6754 शोध अध्येतावृत्तिया आबंटित हुई थी तथा में 3423 अध्येता कार्यरत हैं । वर्ष 2011–12 के दौरान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ राज्य विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालयों के चयनित विज्ञान विभागों को विश्वविद्यालय कुल 46.38 करोड़ रू.का कुल अनुदान जारी किया गया । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभ्यर्थियों को कुल 114.38 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई थी ।

6.19 मेधावी छात्रों के लिए मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में अनुसंधान अध्येतावृतियाँ(आर.एफ.एच.एस.एस.एम.एस.)

प्रस्तावना

ऐसे छात्र जिन्होंने मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों पी.एच.डी. के लिए वि.अ.आ. द्वारा अभिलक्षित विशेष सहायता वाले विभागों के साथ पंजीकरण करा रखा है ऐसे मेधावी छात्रों के लिए एस.ए.पी. एवं गैर–एस.ए.पी. मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में आर.एफ.एच.एस.एस.एम. एस योजना का प्रारंम 2009–10 में हुआ था।

उद्देश्य

इन अध्येतावृत्तियों का लक्ष्य मेद्यावी छात्रों को सुअवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में में पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने में अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य कर सके ।

पात्रता

ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने स्वतंत्र क्षमता वाले उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों/ क्षमता वाले उत्कृष्ट केन्द्रों में, एडवांस अध्ययन केन्द्रों एवं विशेष सहायता प्राप्त विभागों में, पंजीकरण करवा लिया है इस योजना में पात्र है।

अध्येतावृत्ति की अवधि

आर.एफ.एच.एस.एस.एम.एस योजना के अंतर्गत इस अध्येतावृत्ति की अवधि आरंभ में 2 वर्षो की है। इस अवधि के समाप्त होने पर इस अध्येता द्वारा निष्पादित कार्य का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा, यदि शोध कार्य संतोषजनक पाया जाता है

तो उनका कार्यकाल की अवधि और तीन वर्षों तक के लिए बढ़ा दी जायेगी। यदि उनका प्रथम दो वर्षों का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त समय, कार्य में सुधार के लिए दिया जाता है ऐसे मामलों में इसके कार्यों का मूल्यांकन पुनः तीन वर्षों के पश्चात किया जाता है, और यदि सुधार पाया जाता है तो फैलों को 2 वर्ष और आर.एफ.एच.एस.एस.एम.एस के अन्तर्गत मिलेंगे। इस प्रकार, इस अध्येतावृत्ति की कुल अवधि 5 वर्ष की है परन्तु इस सीमा अवधि को और बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

वित्तीय सहायता

अध्येतावृत्ति राशि	:	प्रथम दो वर्षों के लिए 14,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से) अगले तीन वर्षों के लिए 16,000.00 रू प्रतिमाह की दर से।
आकस्मिक	:	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से) अगले तीन वर्षों के लिए 25,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से

छुटिटयाँ : सार्वजनिक छुटिटयों के अतिरिक्त एक शोध अध्येता एक वर्ष की अवधि में 30 दिनों की छुटिटयों के पात्र होंगे। उन्हें अन्य किसी ओर रूप में छुट्टियां नहीं मिलेंगीं। अपने अवार्ड की समस्त अवधि के दौरान महिला प्रत्याशी 135 दिनों की प्रसूति छुट्टियों की पात्र होगी और ऐसी छुटिटयां केवल एक ही बार मिलेगीं।

किन्ही विशेष परिस्थितियों में शोध फैलों को, बिना फैलोशिप के तीन माह अवधि की छुट्टी एवार्ड के सम्पूर्ण अवधि के दौरान दी जा सकती है। जो छुट्टी पर्यवेक्षक एवं संस्थान की अनुशंसाओं के आधार पर ही दी जाऐगी। बिना फैलोशिप के इस प्रकार की छुट्टी की अवधि अवार्ड की कुल अवधि में ही सम्मिलित मानी जायेगी। ऐसी छुट्टी के लिए, शोध अध्येताओं को अपने विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से, काफी समय पूर्व ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदनार्थ आवेदन करना पड़ेगा।

आवेदन करने तथा चयन की प्रक्रिया

इस योजना के अन्तर्गत केवल ऐसे छात्र ही पात्र होंगे जो कि वि.अ.आ. द्वारा सहायता प्राप्त मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में पी.एच.डी.के लिए, ऐसे विश्वविद्यालयों में पंजीकृत है जहाँ पर उत्कृष्ट क्षमता वाले एवं विशेष सहायता वाले विभागों एवं अग्रिम अध्ययन करने वाले ऐसे समस्त केन्द्र विद्यमान है, जिन्हें वि.अ.आ. द्वारा चिन्हित किया गया है। उन अध्येताओं द्वारा शोध अध्येतावृत्ति के लिए केवल उन्हीं चिन्हित संस्थानों को ही आवेदन करना होगा। संदर्शिका में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार ही संबद्ध संस्थानों द्वारा चयन किया जायेगा।

विश्वविद्यालय, शोध अध्येताओं का चयन, पात्र प्रत्याशियों में से एक साक्षात्कार द्वारा करेगा जो कि एक चयन समिति करेगी, जिस समिति का गठन निम्नवत होगा :

(क) उपकुलपति द्वारा मनोनित एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक

(ख) विभागाध्यक्ष

(ग) विभाग में कार्यरत एक प्रोफेसर तथा एक रीडर जिन्हें उप–कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिए।

(घ) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित सूची में से ऐसे दो विशेषज्ञ जो कि विश्वविद्यालय के बाहर से हैं तथा जो उप–कुलपति द्वारा नामांकित किये जाने चाहिए।

अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

विश्वविद्यालय/संस्थान से चयनित प्रत्याशियों के नामों, बायोडाटा एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वि.अ.आ. कार्यालय इस अध्येता के नामांकन को स्वीकार कर लेता है तत्पश्चात् उस अध्येता की कार्यग्रहण तिथि से लेकर वार्षिक आधार पर देय अनुदान की प्रथम किस्त, एक मुश्त राशि के रूप में, उस संस्थान/विश्वविद्यालय को जारी की जाती है।

भुगतान प्राप्ति में होने वाली देरी के कारण अध्येताओं को भावी कठिनाइयों से बचाने के लिए, संबंद्ध संस्थान/विश्वविद्यालय ऐसे अध्येताओं को अपने पास विद्यमान विकास संबंधी अनुदान में से एकमुश्त भुगतान कर सकता है। अध्येतावृत्ति अनुदान की अगली किस्त, विश्वविद्यालय/संस्थान को, उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं व्यय विविरण तालिका, जो कि वि.अ.आ. द्वारा पहले जारी किये गए अनुदान के विषय में हों–तथा जिनमें राशि का शत–प्रतिशत उपयोग संकेतित हो–ऐसे दस्तावेज़ों, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। (कुल सचिव/वित्तीय अधिकारी) इन्हें मिल जाने के बाद ही वह अगली किस्त जारी की जायेगी।

प्रगति का पर्यवेक्षण करने की विधि

शोध अध्येता के निष्पादन का पर्यवेक्षण, उनके संबद्ध निरीक्षक/मार्गदर्शक द्वारा किया जाता है तथा इसे, उप प्रगति रिपोर्ट में प्रतिबिम्बित किया जाता है, जोकि विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जाती है ताकि उसे आगे वि.अ.आ. कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सके।

ऐसे अवार्ड के प्रथम दो वर्षों की समाप्ति पर, अध्येता द्वारा इसे जारी करने/विस्तारण के लिए अपने विभाग/विश्वविद्यालय के प्रति आवेदन किया जा सकता है। इस दिशा में, संस्थान द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा– जिसमें, पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष एवं एक विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय/संस्थान से बाहर का होगा वे तीनों सदस्य होंगे, जो कि अध्येता द्वारा किए गए शोध कार्य का मूल्यांकन करेंगे। इस समिति की अनुशंसाओं/मत के आधार पर यह निर्णय किया जायेगा कि अध्येता को और आगे इसे जारी रखने की अनुमति होगी अथवा नहीं।

संबंद्ध विभागों से ऐसी आशा की जाती है कि वे इस अध्येता के कार्य का निरन्तर पर्यवेक्षण करते रहेंगे। वह अपने एवार्ड की अवधि के दौरान किसी अन्य पद को स्वीकार नहीं करेगा/करेगी चाहे वह वित्तपोषित हो अथवा अन्यथा किसी रूप में हो, अथवा अन्य किसी भी स्रोतों से न तो कोई पारिश्रमिक या वेतन अथवा शुल्क आदि स्वीकार करेगा/करेगी।

विश्वविद्यालय की अनुशंसा द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अवार्ड की अवधि के दौरान यह अवार्ड समाप्त किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय अंतिम एवं अनिवार्य माना जायेगा। इस अध्येतावृत्ति की अवधि कार्यग्रहण तिथि से लेकर पाँच वर्ष तक की होगी बशर्ते कि अध्येता की कार्य प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक रहती है अथवा जिस तिथि पर वह अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर देता है इन दोनों में से जो भी पहले होगी वही मान्य होगी। कुल कालावधि के पाँच वर्ष के पश्चात कोई विस्तारण संभव नहीं होगा तथा अवार्ड प्राप्तकर्ता उस निर्धारित तिथि की समाप्ति पर तुरन्त प्रभावी रूप से वि.अ.आ. शोध अध्येता के रूप में विरत माना जायेगा। यदि इस परिपेक्ष्य में कोई भी दावा/ संदर्भ लाया जाता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा ऐसे किसी भी कार्य के लिए उस व्यक्ति को अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

अन्य शर्तें

अपने मार्गदर्शक/विभागाध्यक्ष की अनुमति से, शोध अध्येता उस विश्वविद्यालय/संस्थान की सहायता कर सकता है, जैसे कि शैक्षिक कार्य, जिसमें अनुशिक्षण कक्षायें संचालित करना, परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला में परीक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय का पर्यवेक्षण, पुस्तकालय की गतिविधियाँ जैसे सामूहिक विचार गोष्ठियाँ, एवं परिसंवाद आदि बशर्ते, कि ऐसे कार्यो द्वारा इस अध्येता द्वारा किये जा रहे शोध कार्यक्रमों में किसी प्रकार का व्यवधान न करें। ऐसी समस्त गतिविधियों पर लगाया जाने वाला समय प्रति सप्ताह 10 घंटे से अधिक नही होना चाहिए।

अवार्ड का रद्दीकरण

ऐसी अध्येतावृत्ति का रद्दीकरण किया जा सकता है यदिः–

- कदाचार
- शोधकार्य की असंतोषजनक प्रगति /एम.फिल.पी.एच.डी. से जुड़े किसी परीक्षा में अनुतीर्ण रहने पर।
- यदि वह बाद में अपात्र पाया जाता है।

31.03.2012 तक इन विभागों में **18** अध्येता कार्यरत है। वर्ष 2011–12 के दौरान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय/ समविश्वविद्यालयों के चयनित विभागों में अध्येताओं को कुल 75.46 करोड़ रू.का कुल अनुदान जारी किया गया।

6.20 ''ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज'': विश्वविद्यालयों के शोध एवं शिक्षण संसाधनों में वृद्धि हेतु पहल

"ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज" पहल का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के स्तर पर विज्ञान से संबंधित विषयों में उच्च स्तर के अनुसंधान को मजबूत करना है तथा अकादमिक संकाय में नई प्रतिभा को प्रेरित कर विश्वविद्यालयों में नवाचारी शिक्षण को बढ़ावा देना है।

अंतिम उद्देश्य अगले पांच साल में 1000 लोगों को भर्ती करना है । मूलतः 200 लोगों को निम्नलिखित अनुपात में भर्ती करना हैः

सहायक प्रोफेसर	80
एसोसिएट प्रोफेसर	80
प्रोफेसर	40

योजना नए और कार्यरत शिक्षकों के लिए खुली है । निर्धारित मानदंडों को कड़ा और लचीला होना चाहिए । मुख्य प्रकाशन में पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव के साथ न्यूनतम योग्यता पीएचडी है ।

मूलतः कार्यावधि 5 वर्ष की है जो समाप्ति, निस्तार या पदोन्नति की समीक्षा के अध्यधीन है । शिक्षण का पद सेवानिवृत्ति की आयु तक जा सकता है जो प्रत्येक पांच वर्षों की समीक्षा के अध्यधीन है ।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पद को भरने के लिए लगातार विज्ञापन दिए गए । चयन दो चरणों की प्रक्रिया है । विषय विशेषज्ञ सीवी या सिफारिश पत्र के आधार पर आवेदन पत्रों का चयन करते है। अंतिम चयन उच्चस्तरीय विभिन्न–विषय समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा । देश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए चयन विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा । राष्ट्रीय स्तर पर चयनित उम्मीदवारों को उनके अपने अधिमानताओं एवं मेजबान संस्थान के प्रत्युत्तर के अनुरूप किया जाएगा। नए लोगों के लिए अनुसंधान सुविधाओं/दिशानिर्देश/शिक्षण/शिक्षण अवसर (अधिकतम छह घंटे प्रति सप्ताह) तथा आवास सुविधा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय और वि.अ.आ. के बीच एक समझौते का फार्मूला तैयार किया गया है ।

उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण बिन्दुओं तथा संभावित आदानों को रेखांकित करते हुए अनुसंधान परियोजना प्रस्तुत करना होता है । समुचित निधियन को अवार्ड दिया जाएगा । अवार्ड प्राप्त करने वाले को वेतन तथा अन्य परिलब्धियां केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अवार्ड प्राप्त करने वालों के समान दी जाएगी ।

इस प्रयोजन के लिए जेएनयू, नई दिल्ली में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है तथा राष्ट्रीय समन्वयक एवं एसोसिएट समन्वयक की नियुक्ति की गई है । वि.अ.आ. ने अभी तक प्रकोष्ठ को इसके कार्यकरण और संबंधित कार्यकलापों के लिए 1.80 करोड रूपये की राशि दी गई है (वर्ष 2011–12 मे प्रदत्त 1.00 करोड रूपये की राशि सहित)। जैसे ही सरकार द्वारा बनाए गए पैनल की फर्म से स्वीकृति मिल जाएगी, वैसे ही इस प्रयोग के लिए शीघ्र ही एक वेबसाइट शुरू की जाएगी । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान चयन प्रकिया आरंभ की जा चुकी है।

6.21 वि.अ.आ.-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना

वि.अ.आ. ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेंधावी शिक्षक, जो राज्य के विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति के करीब है, बुनियादी विज्ञान अनुसंधान में अनुसंधान जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से रिपोर्टाधीन अवधि में "वि.अ.आ.–बीएसआर संकाय अध्येता" नामक योजना शुरू की है । योजना का मुख्य लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेंधावी शिक्षक, जो सेवानिवृत्ति के कगार पर है, को सेवानिवृत्ति के तीन अतिरिक्त वर्ष बाद उपयोगी अनुसंधान को जारी रखने तथा कम उम्र के अनुसंधानकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाने को सुगम बनाना है ।

पात्रता मानदंड

- विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर ।
- जानी मानी पत्रिकाओं में कम से कम 15 अनुसंधान प्रकाशन होना चाहिए तथा मूलभूत विज्ञान में 15 पीएचडी या अपने कैरियर में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 10 जिसमें से 5 पिछले दस वर्षों में पूरा होना चाहिए ।
- पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निधि प्राप्त प्रधान अन्वेषक के रूप में अनुसंधान परियोजनाओं को चलाने/प्रायोजित करने का प्रमाण।

- यह योजना संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की अपनी आयु से एक या दो वर्ष पूर्व उन शिक्षकों पर लागू है ।
- आवेदक के पास अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए जो सेवानिवृत्ति की तारीख से होगी ।
- विभाग/स्कूल/ विश्वविद्यालय को आवेदन पत्र में शपथ देनी होगी आवेदक की (I) अध्येतावृत्ति कार्य को करने के लिए आवश्यक प्रयोगशाला अवसंरचना तथा प्रशासनिक सहायता और (II) वि.अ.आ.–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति अवार्ड के लिए चयनित होने पर अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए कम से कम दो वृत्तिका प्रदान की जायेगी।

वित्तीय सहायता

- अध्येतावृत्ति में 30,000 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा जो पेंशन और/या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अतिरिक्त है ।
- आकस्मिक निधि प्रतिवर्ष 3 लाख रूपये है जिसमें से 50,000 रूपये की धनराशि का उपयोग अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाएगा ।
- अवार्ड प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ अध्येतावृत्ति में शमिल होने के लिए वि.अ.आ. को शपथपत्र देना होगा, तथा समय–समय पर वि.अ.आ. के मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा तथा द्विवर्षीय प्रगति रिपोर्ट देनी होगी ।

चयन प्रक्रिया

अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन पत्रों को वि.अ.आ. की वेबसाइट और विश्वविद्यालयों के संप्रेषण के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है । अधिकार प्राप्त समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और अध्येतावृत्ति देने की सिफारिश करेगी ।

वर्ष 2011–12 के दौरान 24 संकाय सदस्यों का चयन किया गया तथा विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान जारी रखने के लिए 1.45 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है ।

6.22 बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को ''एकमुश्त अनुदान''

शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान देने का प्रयोजन अपने क्षेत्र विशेष में अपना अनुसंधान जारी रखना है । न्यूनतम पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैः

- सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व कम से दो वर्ष की सेवा होनी चाहिए ।
- आवेदन की तारीख तक सेवावधि के दौरान कम से कम 15 पीएचडी प्रस्तुत किया हो और पिछले पांच वर्षों के दौरान 5 पीएचडी हो ।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निधि प्राप्त कम से कम पांच प्रायोजित अनुसंधान परियोजनों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और/या उद्योग से प्राप्त निधि का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
- वर्तमान में चलाई जा रही अनुसंधान परियोजनाएं और पीएचडी 'उम्मीदवार'।
- वि.अ.आ. से विशिष्ट योजना हेतु ''एकमुश्त अनुदान हेतु'' अनुरोध के साथ अनुदान के उपयोग हेतु एक पृष्ठ में औचित्य ।

''एकमुश्त अनुदान'' योजना के अंतर्गत एक शिक्षक को अनुसंधान करने के लिए सात लाख प्रदान किया जाता है। अनुदान का उपयोग छोटे उपकरणों, (दो लाख से अधिक का नहीं), रसायनों, आकस्मिकता और क्षेत्र के कार्य के लिए किया जा सकता है ।

वर्ष 2011–12 के दौरान 66 शिक्षक, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान कर रहे है, को 4.62 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 108 संकायों को कुल 7.56 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई थी ।

6.23 डॉ. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

इस अध्येतावृत्ति योजना का लक्ष्य आधुनिक अध्ययन को जारी रखने तथा वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2 (च) और 14–ख के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों और कालेजों में भाषाओं और सामाजिक विज्ञान सहित मानविकी में स्वतंत्र अनुसंधान करने के लिए अवसर प्रदान करना है ।

उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के वर्ष में 01 जुलाई को 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा अध्येतावृत्ति उन उम्मीदवारों के लिए ही उपलब्ध है जिन्हें या तो पीएचडी डिग्री मिली है या जिन्होंने पीएचडी थीसिस प्रस्तुत की हो । अध्येतावृत्ति की कुल अवधि 3 वर्ष (अविस्तारणीय) है। अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत कुल उपलब्ध स्थान 1000 है ।

यह आवश्यक है कि उम्मीदवार अपने पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए मेंटर को चिन्हित करे तथा मार्गदर्शन के लिए उसकी अनुमति लें। चयन के उपरांत, वे उम्मीदवार, जिनके पास पीएचडी डिग्री है, उन्हें सीधे पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति दी जाएगी और जिन लोगों ने अपनी पीएचडी थीसिस प्रस्तुत की है, को औपचारिक रूप से पीएचडी डिग्री देने तक उन्हें ब्रिजिंग (आंशिक रूप से कम की गई वृत्तिका) अध्येतावृत्ति दी जाएगी।

अध्येतावृत्ति पीडीएफ मेंटर/पियर ग्रुप के मूल्यांकन के आधार पर खण्ड के नवीनीकरण/निरसन के साथ वार्षिक आधार पर दी जाती है ।

अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता निम्नवत् है:–

अध्येतावृत्ति	18,000 रूपये प्रतिमाह	वार्षिक वृद्धि 1000/– रूपये प्रतिमाह
ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति	16,000 रूपये प्रतिमाह	जिन्होंने अपना पीएचडी थीसिस प्रस्तुत किया है।
[illegible]	30,000 रूपये प्रतिमाह	तीन वर्षों के लिए (निर्धारित)

विश्वविद्यालयों और कालेजों से पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है तथा चयन प्रक्रिया चल रही है ।

6.24 विभिन्न अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों के संगठन के संघ के आधार पर शिक्षकों, विषयों का प्रोत्साहन प्रदान करना

योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लेने को प्रोत्साहन देने तथा प्रकाशनोन्मुखी पेपरों को प्रस्तुत करने के लिए, जहां कहीं संभव है, विशिष्ट कार्यकलापों को संगठित करने में सामाजिक विज्ञानों, मानविकी और भाषाओं के विषय संघों को समर्थन देना है ।

पात्रता मानदंड

- योजना सभी राष्ट्रीय विषय संघों के लिए खुली है । विषय संघ योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

(i) उन्हें पांच वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए और पंजीकृत संगठन होना चाहिए जिसका एक संविधान हो, जो कार्यालय के पदाधिकारियों के नियमित निर्वाचन की अनुमति देता हो,

(ii) उन्हें कम से कम पांच वर्षों के लिए लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए,

(iii) उनके पास कम से कम 200 की सदस्यता होनी चाहिए (आजीवन सदस्य और औसत तीन वर्ष वार्षिक सहायता)।

- क्षेत्रीय/राज्य विषय संघ भी इस योजना से समर्थन तो पा सकते है बशर्ते वे उपर्युक्त (एक) से (तीन) के मानदंड को पूरा करते हों और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 50 हो ।
- विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग और अनुसंधान संस्थाएं, जो पत्रिकाओं का प्रकाशन करते है, वे पत्रिकाओं के प्रकाशन की सहायता हेतु अनुदान देने के लिए योजना हेतु पात्र है बशर्ते ये पत्रिकाएं वर्णित मानदंडों को पूरा करते हों ।

वि.अ.आ. द्वारा गठित एक स्थायी समिति प्रस्तावों पर विचार करती है, उसे अपनी सिफारिशें देती है। सिफारिशों के आधार पर वि.अ.आ. इसकी स्वीकृति देती है ।

वित्तीय सहायता

- सचिवालयी सहायता के लिए मूल वार्षिक सहायता राष्ट्रीय स्तर के विषय संघों को प्रदान की जाती है । अनुदान 3.00 लाख प्रतिवर्ष के अधिकतम सीमा के अध्यधीन है । सदस्यता संघ के अनुदान के लिए तीन स्लैब हैं ।

200-500	₹2.00 लाख प्रतिवर्ष
501-1000	₹2.50 लाख प्रतिवर्ष
1001 से ज्यादा	₹3.00 लाख प्रतिवर्ष

- वि.अ.आ. राष्ट्रीय विषय संघों को वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है । इस शीर्ष के अंतर्गत अनुदान की अधिकतम राशि 7.00 लाख रू. है किंतु भारतीय विज्ञान कांग्रेस को छोड़कर जहां इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये है । इस प्रयोजनार्थ सदस्यता प्ररूप के अनुदान हेतु तीन स्लैब है ।

200-500	₹4.00 लाख प्रतिवर्ष
501-1000	₹5.00 लाख प्रतिवर्ष
1001 से ज्यादा	₹7.00 लाख प्रतिवर्ष

विषयों के एक बड़े व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले अकादमिक संघ जैसे भारतीय विज्ञान कांग्रेस अथवा भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस को वार्षिक रूप से 20.00 लाख रूपये तक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

मानदण्डों के अनुसार, वित्तीय सहायता का उपयोग अनुसंधानकर्ता व्यक्ति को यात्रा भत्ते, पत्र प्रस्तुतकर्ता, को यात्रा भत्ते का भुगतान करने, प्री–कान्फ्रेंसिंग, घोषणाओं, सार–संक्षेपण का मुद्रण, आदि, कार्यवाहियों का प्रकाशन तथा ठहरने और खाने–पीने की व्यवस्था सहित स्थानीय मेहमानवाजी शामिल है ।

अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या तथा जारी अनुदान निम्नवत है:

वर्ष	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	जारी अनुदान (₹ लाख में)
2007-08	-	-
2008-09	-	-
2009-10	-	-
2010-11	13	68.78
2011-12	19	105.73

6.25 छात्रों हेतु वि.अ.आ. अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों का संक्षिप्त ब्यौरा

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रतिवर्ष स्लाटो की संख्या	आरंभ होने का वर्ष	अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति की अवधि
	अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एमफिल/पीएचडी हेतु)			
1.	अ0जा0/अ0ज0जा0 हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से वि.अ.आ. द्वारा कार्यान्वित	अ.जा. हेतु 2000 तथा अ.ज.जा. हेतु 667	2005–06 (अध्येतावृत्ति का चयन 2006–07 से आरंभ हुआ)	5 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रतिवर्ष स्लाटो की संख्या	आरंभ होने का वर्ष	अध्येतावृत्ति / छात्रवृत्ति की अवधि
2.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (नई योजना 2009–10 से आरंभ हुई तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित की गई)	756	2009.10	5 वर्ष
3.	नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति	प्रति परीक्षा 3200	1957.58	1957.58
4.	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अध्येतावृत्ति (जेआरएफ)	50	1994	5 वर्ष
5.	विदशी नागरिकों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) तथा अनुसंधान एसोसियेटशिप	20 जे.आर.एफ. + 7 आर.ए.	1957.58	5 वर्ष एफ.एन. – 4 वर्ष
6.	राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में पीएचडी हेतु अनुसंधान अध्येतावृत्ति	5244	2007.08	5 वर्ष
7.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (नई योजना वर्ष 2011–12 से आरंभ होनी है)	165	2010	आरम्भ में 2 वर्ष
	पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियां			
8.	विज्ञान में डीएस कोठारी पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति	500	2008-09	2 वर्ष
9.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां	500	2009-10	
10.	अ0जा0 / अ0ज0जा0 हेतु पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां	100	2006-07	5 वर्ष
11.	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां	100	1998	5 वर्ष
	स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां			
12.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां (फरवरी 2007 में आरंभ की गई योजना)	12524	फरवरी 07	पाठ्यक्रम की अवधि
13.	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अ.जा. / अ.ज.जा. के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	1000	2006-07	2 वर्ष
14.	एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	कोई सीमा नहीं	2005-06	2 वर्ष
15.	विश्वविद्यालय रैंक धारियों हेतु स्नातकोत्तर मेधावी छात्रवृत्तियां	2375	2005-06	2 वर्ष
16.	गेट अर्हता प्राप्त छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	1400	मा.सं.वि.मं. के निर्देशानुसार	2 वर्ष

अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की संक्षिप्त प्रस्तावना

1 अ.ज./अ.ज.जा. के प्रत्याशियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आर.जी.एन.एफ.) :

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आर.जी.एन.एफ.) योजना जो कि अ.ज / अ.ज.जा. के लिए है उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार तथा वित पोषित किया जाता हैं। यह अध्येतावृत्तियाँ अ.ज. / अ.ज.जा. के ऐसे अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं जो कि विज्ञान, मानविकी तथा सामाज विज्ञान भाषा एवं इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी विषयों में उच्चतर अध्ययनों द्वारा नियमित एवं पूर्ण कालिक एम.फिल. / पी.एच.डी. डिग्रियां पाने के इच्छुक हैं। प्रतिवर्ष अ.जा. के लिए 2000 स्थान उपलब्ध हैं तथा 667 स्थान अ.ज.जा अभ्यार्थियों के लिए हैं जो कि समस्त विषयों के अन्तर्गत हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार इनमें से तीन प्रतिशत अध्येतावृत्तियाँ शारीरिक विकलंग, अ.जा. / अ.जन. प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं।

इस परियोजना की वर्ष 2005–06 में पहल की गई तथा समाज के वंचित वर्गों में स्थित प्रत्याशियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारम्भ की गई ताकि ऐसे लोगों को अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य को पूरा करने का सुअवसर प्राप्त हो सके। इस परियोजना का लक्ष्य यह हैं कि अ.जा. / अ.ज.जा. से जुडे छात्रों द्वारा ऐसे भारतीय विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों में जो कि धाराओं 2(च) एवं 12(ख), वि.अ.आ. अधिनियम के अन्तर्गत मान्य हैं तथा कुछ गैर–विश्वविद्यालय संस्थानों में, विज्ञान, मानविकी समाज विज्ञान एवं इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी विषयों में एम.फिल / पी.एच.डी. डिग्रियां (पूर्णकालिक) को प्राप्त करने के लिए उच्चतर अध्ययनों का अनुसरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष की हैं।

2 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृतियाँ

यह परियोजना वर्ष 2009–10 से आरम्भ की जानी है। आरम्भ में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जो कि प्रायोजक एजेंसी है, उन्होंने 252 स्लाटों का आवंटन किया, परन्तु जुलाई, 2009 ऐसे स्लॉटों की संख्या में बढ़ाकर 756 कर दी गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों द्वारा ई. एफ.सी. नोट को अंतिम रुप प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत वि.अ..आ. को निधि प्रदत्त की जानी शेष है।

3 विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) परियोजना की पहल 1957–58 में की गई थी तथा यह परियोजना ऐसे समस्त प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध है। जिन्होंने वि.अ.आ. की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में अर्हता प्राप्त की है तथा वि.अ.आ. (सी. एस.आई.आर.) संयुक्त परीक्षा पास कर ली है। तथापि, ऐसे परीक्षण केवल मात्र अर्हता प्राप्त करने वाले परीक्षण है तथा किसी भी प्रत्याशी द्वारा, अध्येतावृत्ति प्राप्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष की है।

जे.आर.एफ. स्कीम का लक्ष्य यह है कि नेट योग्यता प्राप्त प्रत्याशियों द्वारा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान भाषाओं एवं विज्ञान विषयों अग्रवर्ती अध्ययन एवं शोध कार्य द्वारा एम. फिल., पी.एच.डी. डिग्रियाँ प्राप्त कर पायें। भारतीयों के लिए स्लॉटों की संख्या 3200 प्रति वर्ष है।

4 इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ :

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ की योजना वर्ष 1994 मे प्रारम्भ की गई थी। यह योजना ऐसे अभ्यार्थियों के लिए है जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य करके पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करना चाहते है। परन्तु वर्तमान में, न तो वि.अ.आ. और ना ही सी.आर.आई.आर. इन क्षेत्रों में नेशनल एजूकेश्न टेस्टिंग परीक्षा करा रहे है। अतः एम. ई./एम. टेक. छात्रों को प्रत्यक्ष तौर पर साक्षात्कार के माध्यम द्वारा यह सुअवसर प्रदान किया जाता है, जिस साक्षात्कार का संचालन वि.अ.आ. करती है। प्रतिवर्ष, इस स्कीम के तहत 50 स्थान उपलब्ध रहते है।

यह योजना ऐसे अनुसंधान विद्वानों को, अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान अनुसरण करने के सुअवसर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के विषयों में प्रदान करती है। जो कि पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करना चाहते है। भू–विज्ञान एवं भू–भौतिकी जैसे विषय इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किये गए है। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष है।

5 विदेशी नागरिकों के लिए जे. आर. एफ. तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति

एशियाई देशों अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के विकासशील राष्ट्रों के साथ, भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह योजना, वर्ष 1957–58 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना द्वारा ऐसे नवीन परिदृश्य विकसित हुए है जिनसे विदेशी छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में अग्रिम अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य विशेषकर विज्ञान, मानविकी एवं सामाज विज्ञान विषयों में, अनुसरण करना संभव हो पायेगा।

इस योजना का लक्ष्य यह है कि विदेशी छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा जो कि विकासशील देशों से है अग्रवर्ती अध्ययन एवं शोधकार्य जिसके द्वारा एम. फिल./पी. एच. डी. को विज्ञान, मानविकी एवं सामाज विज्ञान विषयों में प्राप्त किया जा सकता है। इनका अनुसरण करना संभव होगा। इस योजना की अवधि 4 वर्ष है। अध्येतावृत्ति की अवधि आरए के मामले में 4 वर्ष और जेआरएफ के मामले में 5 वर्ष है। स्लाटों की संख्या 20 जेआरएफ तथा 7 आरए प्रतिवर्ष है।

6 मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान विषयों में अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ

ऐसे छात्र जिन्होंने पी.एच.डी. (विज्ञान) के लिए उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यू.पी.ई.)/उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों में अथवा अग्रेषित अध्ययन केन्द्रों एव वि.अ.आ. द्वारा अभिलक्षित विशेष सहायता वाले विभागों (डी.एस.ए.) के साथ पंजीकरण करा रखा है ऐसे मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान विषयों में आरएफएसएमएस योजना का प्रारंम 2007–08 में हुआ था।

इन अध्येतावृत्तियों का लक्ष्य मेद्यावी छात्रों को सुअवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य हाथ में ले सके जो कि उन्हें विज्ञान विषयों में पी. एच.डी. डिग्री प्राप्त करने में सहायक होगा। इस योजना की अवधि 3 वर्ष की है।

7 मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान विषयों में अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ(मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में)

इन अध्येतावृत्तियों का लक्ष्य छात्रों को अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में में पी. एच.डी. डिग्री प्राप्त करने में अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य कर सके । जिन अभ्यर्थियों एसएपी के अंतर्गत चिन्हित विभागों में पीएचडी के लिए पंजीकरण कराया है वे इसके लिए पात्र है । आरंभ में अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष की है । आरंभिक दो वर्षों के दौरान अध्येतावृत्ति राशि 14000/– रु0 प्रतिमाह है । 31 मार्च, 2011 तक विभागों को 165 अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई है और 46 अध्येता कार्यरत है ।

8 महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टोरेट अध्येतावृत्ति

महिलाओं के लिए वर्ष 1998 में जो अंशकालीन शोध अध्येतावृत्ति की योजना की पहल की गई थी इस योजना का पुनः महिलाओं के लिए पोस्ट–डाक्टोरल अनुसंधान अध्येतावृत्ति का नाम दिया गया है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि जिन महिलाओं द्वारा पी.एच.डी. पूरी की जा चुकी है और जो अभी बेरोजगार है तथा जिनका शोध की ओर रूझान है परन्तु जो किन्ही व्यक्तिगत व घरेलू स्थितियों की वजह से नियमित रूप में अपना अनुसंधान कार्य नहीं कर पा रहीं हैं।

पीएचडी डिग्रीधारक महिलाएं जिनके पास स्वतंत्र कार्य हेतु प्रतिभा और सक्षमता है, वे भाषा और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य आरंभ कर सकती है । अध्येतावृत्ति की अवधि 5 वर्ष है और प्रति वर्ष स्लाटों की संख्या 100 है।

9 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग में डॉ. डी.एस. कोठारी अध्येतावृत्तियाँ

महत्वपूर्ण पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप की पहल वर्ष 2008–09 के दौरान की गई थी तथा इसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉ. डी. एस. कोठारी के नाम पर रखा गया है। इस देश में उच्चतर शिक्षा के लिए जिस प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की आवश्यकता है ऐसे संकाय सदस्यों की संख्या में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करना ही इस योजना का लक्ष्य है।

यह एक बढ़ावा देनी वाली योजना है जिसका उद्देश्य पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान संस्कृति को स्थापित करना है। इस योजना के अन्तर्गत "यथा स्थिति, यथा समय" आधार पर, वर्ष पर्यन्त ही चयन प्रक्रिया क्रियान्वित होती रहती है तथा यह प्रक्रिया किसी भी विशिष्ट सीमाबद्धता द्वारा प्रतिबंधित नहीं है जैसे कि शोध प्रबंधो का प्रस्तुतीकरण तथा पी.एच.डी. डिग्रियों का एवार्ड प्रदान करने की प्रक्रियाएँ यह सभी सीमाओं से रहित है। जितने भी आवेदन होगें उनका परीक्षण एक स्थायी वरिष्ठ दल द्वारा किया जायेगा जो कि उनकी ग्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेगा।

इसी प्रकार से एक स्थायी (मुख्य) वरिष्ठ दल द्वारा ऐसे आवेदनों को वेबसाइट तक पहुँचाया जाता है तथा उनकी इलेक्ट्रॉनिक ढंग से ग्रेडिग की जाती है, ऐसे वरिष्ठ दल द्वारा प्रदत्त ग्रडों (इलेक्ट्रॉनिक) के आधार पर, इस दल के अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान संस्कृति को अन्य लोगों के मन में स्थापित करने वाली यह एक प्रोन्नति वाली योजना है। अतः पुनरीक्षण प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया दो बातों का उपयुक्त सम्मिश्रण होना चाहिए अर्थात् प्रत्याशी द्वारा पी.एच.डी. स्तर पर जो उपलब्धि थी तथा जिस स्थान में पोस्ट–डाक्टोरल कार्य को सम्पन्न किया जाना है वहाँ की व्यावसायिक रूप से कितनी प्रतिष्ठा है–इनका उपयुक्त सम्मिश्रण होना चाहिए। सामान्य रूप में, प्रत्याशियों का अन्य, संस्थानों में स्थापित होने के लिए तथा अपेक्षाकृत नवीनतर क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात छह सप्ताहों के भीतर ही चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं द्वारा जो प्रक्रिया पाण्डुलिपि जाँचने के लिए एवं मूल्यांकन के लिए स्वीकार की गई उसके अनुरूप ही प्रक्रिया होनी चाहिए तथा यह समस्त प्रक्रिया पूर्ण कागज–रहित होनी चाहिए।

इन समस्त अध्येतावृत्तियाँ में अर्न्तराष्ट्रीय झलक होनी चाहिए तथा विश्व के अन्य भागों से जो छात्र आते है उनके लिए यह मुक्त होनी चाहिए विशेषकर विकासशील एवं पड़ोसी देशों वाले छात्रों के लिए। प्रतिवर्ष ऐसे अवॉर्ड 500 तक हो सकते है तथा सर्वोच्च रूप में 1000 तक भी हो सकते है। इस योजना की अवधि 2 वर्ष की है।

10 डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ (मानविकी/समाज विज्ञान/भाषाएँ)

आवेदन आमंत्रित किए गए है और चयन प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है । इसका उद्देश्य भाषा और सामाजिक विज्ञान सहित मानविकी में उच्च अध्ययन और स्वतंत्र अनुसंधान करने का अवसर उपलब्ध कराना है । अध्येतावृत्ति की अवधि 3 वर्ष है और स्लाटों की संख्या 500 है । वित्तीय सहायता निम्नवत् हैः–

अध्येतावृत्ति	18,000.00 से 22,000.00 रू. प्रतिमाह	1000 रुपये प्रतिमाह की वार्षिक वृद्धि के साथ
ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति	16,000.00 रू.– प्रतिमाह	जिन्होंने अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत कर दिये हैं।
आकस्मिक अनुदान	30,000.00 रू.– प्रतिवर्ष	3 वर्ष के लिए (निर्धारित)

11 अ.जा./अ.ज.जा. के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

इस परियोजना की पहल वर्ष 2006–07 में की गई थी तथा समाज के वंचित वर्ग से जुड़े प्रत्याशियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा गया तथा इस योजना का लक्ष्य था कि उन्हे भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में पोस्ट डॉक्टोराल अनुसंधान करने का अवसर उपलब्ध हो सके।

इस परियोजना का लक्ष्य यह कि भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. प्रत्याशी विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान कार्य को क्रियान्वित कर सके।

ऐसे किसी भी प्रत्याशी के पास उसके सापेक्ष विषयों में डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए तथा अधिमान्य रूप से उसके द्वारा प्रकाशित शोध कार्य का विस्तार होना चाहिए। आवेदन के लिए नियम तिथि से लेकर, पहली जुलाई पर, पुरूष आवेदकों की सर्वोच्च आयु सीमा 50 वर्ष है महिला प्रत्याशियों के लिए यह आयु सीमा 55 वर्ष है अपवाद स्वरूप मामलों में यह आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है। स्लॉटों की संख्या 100 प्रति वर्ष है।

12 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृतियां

मेधावी छात्रों को शोधकार्य की ओर आकर्षित करने जाये तथा मूलभूत विज्ञान विषयों में एवं समाज विज्ञान में जो गिरते पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वि.अ.आ. ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल.,पी.एच.डी. करने के लिए अध्येतावृत्तियाँ प्रवर्तित करने का निर्णय लिया है।

इस योजना को, फरवरी 2007 में प्रारंभ किया गया तथा यह योजना ऐसे समस्त शोध छात्रों के लिए उपलब्ध है जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल./पी.एच.डी. में पंजीकृत है अथवा उन छात्रों के लिए जो कि किसी भी संस्थागत अध्येतावृत्ति के प्राप्तकर्ता नहीं है (जैसे वि.अ.आ., सी. एस. आई. आर. आदि)

वि.अ.आ. ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु 22 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 265.25 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है।

13 अ.जा./अ.ज.जा. के प्रत्याशियों के लिए पेशेवर पाठ्यक्रमों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

समाज के वंचित वर्गों से संबंद्ध प्रत्याशियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2006–07 के दौरान इस योजना का आरंभ किया गया ताकि ऐसे प्रत्याशियों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में विभिन्न स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक विषयों, जैसे कि इंजिनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, फार्मेसी आदि में उन्हें इस अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

इस योजना का लक्ष्य यह है कि 1000 अ.जा./अ.ज.जा. प्रत्याशियों द्वारा, व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन करने के लिए अन्य मान्य भारतीय विश्वविद्यालयों /संस्थानों /महाविद्यालयों में सुअवसर मिलें तथा ऐसे प्रत्याशियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना की अवधि दो वर्ष है।

14 इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

यह पाया गया है कि कुछ राज्यों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या घटती जा रही है, जो एक गहन चिंता का विषय है। यहाँ तक देखा गया है कि महिलाओं को बालक शिशु को जन्म देने के लिए बाध्य तक किया जाता है। ऐसे स्थितियों में महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना यह प्रविधि अनिवार्य तौर से एक प्रभावी माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए, ताकि वह शिक्षा उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण कायम रखने में सहायक बन सके। बालिका संतान के विरूद्ध, ऐसी मानसिकता जो कि प्रतिकूल है– ऐसी मानसिकता, वर्तमान आर्थिक प्रगति एवं साक्षरता के साथ कदम मिलकार नही चल सकती। प्रत्येक बच्चे द्वारा मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने के मानव अधिकार की घोषणा, भारत सरकार द्वारा की गई है। महिलाओं के स्तर को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए हैं जिनमें ऐसी कुछ पृथक–पृथक योजनाएँ जैसे कि लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2005–06 के दौरान, वि.अ.आ. द्वारा बालिका संतान स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति, जो एकमात्र बालिका संतान हेतु थी प्रस्तावित की गई, जिसका लक्ष्य था कि लड़कियों की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसका यह ध्येय भी था कि लड़कियों की शिक्षा पर होने वाले समस्त प्रत्यक्ष व्ययों को, सभी स्तरों पर विशेषकर ऐसी लड़कियों के मामलों में जो कि अपने परिवारों में एकमात्र संतान हैं–ऐसे व्ययों की प्रतिपूर्ति हो सके।

इस प्रस्तावित योजना के उद्देश्य निम्नवत है :–

(क) गैर–पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मात्र बालिका संतान के लिए सहायता प्रदान करना।

(ख) छोटे परिवार के सिद्धांत को, मान्यता देने के महत्व को मान्यता प्रदान करना।

इस परियोजना की अवधि दो वर्ष के लिए है। सभी पात्र अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी ।

15 स्नातक पूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान पाने वाले छात्रों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति योजना :

वर्ष 2005–06 के दौरान वि.अ.आ. द्वारा विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में एक स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति योजना को प्रस्तावित किया गया। यह छात्रवृत्ति **दो सालों की अवधि के लिए होगी तथा इसके अन्तर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय के शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं को स्नातक स्तर पर अपनी स्नातकोत्तर डिग्री के लिए अनुसरण करने की सुविधा मिलेगी।** विश्वविद्यालय में जितने भी शीर्ष स्थान के प्राप्तकर्ता होगें, ऐसे समस्त छात्रों के लिए, सभी विश्वविद्यालयों /डिग्री प्रदानकर्ता संस्थानों को आवश्यक रूप से, शीर्षता प्रमाण–पत्र जारी करने होंगे (**जो कि महाविद्यालय स्तर से नहीं होगा**) तथा ऐसे प्रमाण पत्र, सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए अर्थात् बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम के लिए लागू होगे। इस योजना का ध्येय यह है कि, स्नातकोत्तर अध्ययन का अनुसरण करने के लिए योग्य छात्रों को आकर्षित किया जाये, इसके अलावा इसके, मूलभूत विषयों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, सामान्य एवं ऑनर्स स्तर वाले विषयों पर, स्नातक स्तर पर प्रयास किये जायें। अवार्ड प्राप्तकर्ता, इस योजना के अन्तर्गत, देश के किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान में विशेषज्ञता के किसी क्षेत्र में, अपने स्नातकोत्तर कार्यक्रम के अनुसरण करने के लिए छात्र कार्य कर सकते है।

इस परियोजना के लक्ष्य निम्नवत है :–

(क) योग्यताओं को प्रोन्नत एवं पोषण करना।

(ख) स्नातक स्तर पर जिन मेधावी छात्रों ने अद्वितीय निष्पादन किया है ऐसे छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययनों का अनुसरण करने के लिए पुरस्कृत करना।

(ग) स्नातक स्तर की दोनों श्रेणियां सामान्य तथा ऑनर्स में **आधारभूत विषयों** में अध्ययनों को प्रोन्नत करना। व्यावसायिक विषय इस योजना के अन्तर्गत आवृत्त नहीं है।

(घ) देशभर में समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षिक उत्कृष्टता का निर्माण करना।

इस योजना की अवधि दो वर्ष की है।

16 गेट अर्हता प्राप्त छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

इस योजना का लक्ष्य स्नातक छात्रों द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययनों का हेतु मदद करना है। छात्रवृत्ति का स्वरुप निम्नवत है :–

एम.ई./एम.टेक/एम.फॉर्मा (60% एवं इससे अधिक)	5,000.00 रू प्रति माह की दर से
छात्रवृत्ति (60% से कम)	1,000.00 रू प्रति माह की दर से
आकस्मिक	5,000.00 रू प्रति वर्ष की दर से

इस योजना की अवधि दो वर्ष की है।

7

लिंग तथा सामाजिक समानता

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास

महिला अध्ययन कार्यक्रम जिसे, 7वीं योजना अवधि के दौरान प्रारंभ किया गया था, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के सहित विभिन्न पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम को वि.अ.आ. द्वारा प्रोन्नत, सुदृढ़ बनाया गया तथा दिशानिर्देश प्रदान किए गए। यह कार्य विभिन्न योजना अवधियों के दौरान विश्वविद्यालय प्रणाली में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करके किया गया। महिला अध्ययनों के अध्यापन, अनुसंधान एवं क्षेत्रगत सक्रियता के विकास में इन केन्द्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

11वीं योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत महिला अध्ययन केन्द्रों को सांविधिक विभागों के रूप में स्थापित करके इन केन्द्रों को सुदृढ़ और स्थायी बनाया जाए तथा साथ ही उनकी अपनी क्षमता की वृद्धि करके अन्य आंगिक विभागों के साथ उनका ऐसा नेटवर्क स्थापित किया जाए जिससे कि वे परस्पर पुनर्बलित कर रहे है तथा वे एक दूसरे के साथ सहयोगी क्रिया में युक्त है। विशेष बल इस बात पर दिया गया है कि क्षेत्रगत क्रियाओं से जुड़ी परियोजनाओं को कार्यवाही, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं ज्ञान की संवृद्धि हेतु तथा जाति/वर्ग/धर्मगत सीमाओं से परे तथा जातिगत एवं व्यवसायगत दृष्टि से परे कैसे विकसित किया जाए तथा इस नेटवर्क में किस प्रकार से और अधिक लोगों को सम्मिलित किया जाए अथवा अनेक संगठनों को इस नेटवर्क से कैसे जोड़ा जाए तथा इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इस नवीन रूप से उद्धत विषय की गुणवत्ता कैसे अनुरक्षित होगी तथा इस पर केन्द्र बिन्दु कैसे स्थिर हो पाएगा।

वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में **9** और अधिक महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों अर्थात् 82 विश्वविद्यालय और 76 महाविद्यालय में 158 महिला अध्ययन केन्द्र है। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत में 67 केन्द्रों की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में महिला अध्ययन केन्द्रों की कुल संख्या 158 रही है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रत्येक केन्द्र 5.00 लाख प्रति वर्ष (चरण–1), 8 लाख रू. प्रति वर्ष (चरण–दो) और 12.00 लाख रू. प्रति वर्ष (चरण–तीन) में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है जबकि किसी महाविद्यालय में प्रत्येक केन्द्र 3.00 लाख रू. प्रति वर्ष (चरण–एक), 5.00 लाख रूपये प्रति वर्ष (चरण दो) तथा 8.00 लाख रू. प्रति वर्ष (चरण–तीन) प्राप्त करने का पात्र है ।

महिला अध्ययन संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता को वर्ष 2011–12 (01.09.2011 से प्रभावी) के दौरान संशोधित कर दिया गया है जो कि निम्नवत हैः–

चरण-एक : 28.71 लाख रू. (आवर्ती अनुदान), 5 लाख रू. (अनावर्ती)

चरण-दो : 41.91 लाख रू. (आवर्ती अनुदान), 5 लाख रू. (अनावर्ती)

चरण-तीन : 61.39 लाख रू. (आवर्ती अनुदान), 5 लाख रू. (अनावर्ती)

उच्च अध्ययन केन्द्र : 67.66 लाख रू. (आवर्ती अनुदान), 10 लाख रू. (अनावर्ती)

आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, आवेदन करने हेतु पात्र है ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में चल रहे महिला अध्ययन केन्द्रों को मुहैया करवाये गये अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:–

क्र. सं.	वर्ष	उपलब्ध कराया गया अनुदान (₹ करोड़ मे)
1	2007-08	5.12
2	2008-09	3.10
3	2009-10	2.75
4	2010-11	3.07
5	2011-12	5.54
	कुल	19.58

7.2 महिला छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में छात्रावासों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष 1995–96 के दौरान महिला छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना लागू की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त के लिए उपयुक्त महाविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली वित्तीय सहायता शत–प्रतिशत आधार पर उपलब्ध होगी, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:

महिलाओं का नामांकन	गैर–महानगरीय शहरों के संबंध में धनराशि (₹ लाख में)	महानगरीय शहरों के संबंध में धनराशि (₹ लाख में)
(क) 250 तक	60	120.00
(ख) 251 से 500 तक	80	160.00
(ग) 500 से अधिक	100	200.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आबंटन/अधिकतम सीमा से ऊपर जितना व्यय होगा, उसका वहन संस्थानों द्वारा अपने संसाधनों से करना होगा, जसके लिए संबंधित संस्थान द्वारा स्पष्ट संकेत एवं आश्वासन उपलब्ध करना होगा।

इन दिशानिर्देशों के अधीन किए गए आबंटन/अधिकतम सीमा से ऊपर यदि कोई लागत ऊपरीव्यय होता है तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसी वृद्धि की लागत को उपलब्ध नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2011–12 के दौरान महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राज्यों में स्थित 673 महाविद्यालयों के लिए कुल 125.19 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

7.3 उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता का निर्माण:

उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण करने की परियोजना वि.अ.आ. द्वारा 10वीं योजना अवधि के दौरान प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना को अब संशोधित करके 11वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु संशोधित एवं जारी रखा गया है। सर्वांगीण रूप से इस परियोजना का लक्ष्य यह है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली महिला संकाय सदस्यों, प्रशासकों एवं स्टाफ सदस्यों के कार्य क्षेत्रों को साधन सम्पन्न बनाना तथा अधिक श्रेष्ठ रूप से लैंगिग समानता लाने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं द्वारा भागीदारी में बढ़ोतरी करना तथा ऐसी नीतियों एवं प्रणालियों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा को संवेदीकृत करना जो नीतियाँ महिलाओं की गुणवता को तथा महिलाओं के पृथक–पृथक स्वरूपों को अधिमान्यता प्रदान करने वाले है तथा महिलाओं को प्रगति कराने वाले है। इसी के साथ ही ऐसी सक्षम महिलाएँ जो कि प्रशासक बनने योग्य हैं परन्तु ऐसी

महिलाओं का एक सम्पूर्ण वर्ग जिसकी सेवाएँ उपयोग में नही ली जा सकी है। ऐसी महिलाओं की भागीदारी द्वारा गुणात्मक उच्चतर शिक्षा को विकसित किया जाना ही इसका लक्ष्य है।

इस परियोजना के विशिष्ट लक्ष्य यह है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में जो लिंग से जुड़े विभेद हैं। उन्हें न्यून करने के लिए एक संदर्भ शुल्क योजना एवं रणनीति को विकसित करना। ऐसी महिलाओं को सुदृढ़ बनाना जो कि प्रशासक बनने के लिए उत्सुक है उन महिलाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रस्ताव देना, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विभिन्न प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना, लिंग से जुडी सकरात्मक पहल जैसे कि लिंग समानता प्रकोष्ठ, संवेदीकरण सूचकांक आदि विकसित करना, नेटवर्किंग के द्वारा उच्चतर शिक्षा में विद्यमान महिला प्रबंधकों के मध्य पारस्परिक संबंधों को विकसित करना एवं सहायता करना आदि।

11 वीं योजना के दौरान निम्न तीन पद्धतियों की परिकल्पना की गई है :

(1) महिलाएँ प्रबंधकों से संबद्ध मामलों की संवेदनशीलता के परिवर्धन पर केन्द्रित, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश।

(2) किसी अन्य सामान्य योजना की बजाय इसे महिला आन्दोलन का रूप प्रदान करना।

(3) संवेदनशीलता / जागरूकता / अभिप्रेरणा कार्यशालाओ में उप कुलपतियों एवं प्राचार्यों की भागीदारी बढ़ाना तथा कालान्तर में जिनको समन्वयकर्ता / प्रशिक्षक के बतौर प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रोन्नत करना।

महिलाओं में क्षमता निर्माण के लिए इस कार्यक्रम में वर्तमान में निम्नलिखित प्रशिक्षण एवं निपुणता विकास संबंधी कार्यशालाएँ सम्मिलित है :

(1) संवेदनशील बनाना / जागरूकता पैदा करना / अभिप्रेरणा (एस.ए.एम.) कार्यशालाएँ (5 दिन की अवधि)।

(2) प्रशिक्षकों / मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधी कार्यशालाएँ (6 दिन की अवधि)।

(3) प्रबंधन संबंधी कौशल कार्यशालाएँ (6 दिन की अवधि)।

(4) पुनश्चर्या कार्यशालाएं (3 दिन की अवधि)।

इस योजना के अधीन प्रशिक्षण और कौशल विकास संबंधी कार्यशालाओं के लिए संशोधित वित्तीय सहायता इस प्रकार हैः

कार्यशाला का प्रकार	महानगरों में यूनिट लागत (₹ लाख में)	गैर-महानगरों मे यूनिट लागत (₹ लाख में)
संवेदनशील बनाना / जागरूकता पैदा करना / अभिप्रेरणा (एस.ए.एम.) आवासीय कार्यशाला	5.65	5.33
संवेदनशील बनाना / जागरूकता पैदा करना / अभिप्रेरणा (एस.ए.एम.) गैर–आवासीय कार्यशाला	2.27	2.23
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यशाला	8.33	
प्रबंधन कौशल उन्नयन मॉड्यूल (एमएसईएम) कार्यशाला	8.77	
पुनश्चर्या कार्यशाला	7.55	

संसाधन सामग्री तैयार करने हेतु	0.07 करोड़ रू.
अनुदान पश्चात प्रकाशन हेतु	0.30 करोड़ रू.
नेटवर्किंग और सूचना प्रसार प्रकोष्ठ आदि हेतु	1.04 करोड़ रू.

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान इस योजना के तहत **18** संवेदनशील बनाने / जागरूकता पैदा करने / प्रेरणापद (एस.ए.एम.) 6 प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण (टीओटी) तथा **9** प्रबंधन कौशल उन्नयन मॉड्यूल (एमएसईएम) कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, आवेदन करने हेतु पात्र है ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित की गई कार्यशालाएं और समुहैया करवाये गये अनुदान का ब्यौरा निम्नवत हैः–

क्र. सं.	वर्ष	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)	आयोजित की गई कार्यशालाओं की संख्या
1	2007-08	शून्य	-
2	2008-09	3.02	80
3	2009-10	0.85	47
4	2010-11	3.64	68
5	2011-12	0.72	33
	कुल	8.23	228

7.4 विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना

भारतीय समाज में सर्वाधिक वंचित वर्गों–अ.जा.एवं अनु.ज.जा. के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान द्वारा विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि उन्हें मात्र नौकरियाँ उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाए, बल्कि इसका लक्ष्य यह है कि उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हो ताकि वे समाज की मुख्य धारा में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें। सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है तथा राज्यों में इस आरक्षण को उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ को स्थापित किया गया है तथा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उच्चतर शिक्षा में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन एवं परिवीक्षण के लिए एक स्थायी समिति गठित की गई है।

11 वीं पंचवर्षीय योजना में, "विश्वविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों की स्थापना"– इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित है, जो परियोजना के वर्ष 1983 में शुरू की गई थी :

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. से संबद्ध आरक्षण नीति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करना।
- शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों पर प्रवेशों एवं नियुक्तियों आदि के लिए नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में आँकड़े एकत्र करना।
- ऐसे अनुवर्ती कदम उठाए जाएं जिनके द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिले, जिन लक्ष्यों को इस उद्देश्य के लिए विहित किया गया है।

इस योजना के तहत, स्टाफ के लिए जो नियुक्तियाँ हैं उनके लिए जितनी सहायता दी जाएगी वह शत–प्रतिशत आधार पर होगी तथा इन अ.जा. /अ.ज.जा. प्रकोष्ठ की स्थापना के पहले पाँच वर्षों के दौरान जो स्टाफ वेतन पर वास्तविक व्यय किया गया होगा अथवा उस योजना अवधि के अंत तक जिस के दौरान यह प्रकोष्ठ स्थापित किए गए थे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं सम–विश्वविद्यालय जिनके लिए वि.अ.आ. द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है उनके द्वारा आवर्ती व्यय को गैर–योजनागत निधि में से पूरा किया जाए। ऐसे राज्य विश्वविद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है वे आवर्ती अनुदानों का दायित्व उठाएं तथा योजना की अवधि की समाप्ति पर राज्य द्वारा वित्तपोषण की सहायता द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधि मिलती रहेगी। यदि किसी स्थिति में आवर्ती अनुदान का दायित्व राज्य सरकार द्वारा नहीं उठाया जताा है तो वह राज्य विश्वविद्यालय इस अ.जा./अ.ज. जा. प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन को जारी रखें तथा जो विकास अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराया गया है उसको उपयोग करके इस काम को जारी रखे।

31 मार्च, 2012 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल मिलकर **128** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए कोई व्यय नहीं किया गया है।

7.5 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/ अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के शोषित वर्ग के सामजिक, सामाजिक समानता, शैक्षिक गतिशीलता की दिशा में योगदान कर रहा है। ऐसे वर्गों का कल्याण तथा विकास हमारे लोकतांत्रिक समाज की सुदृढ़ता तथा सफलता के महत्वपूर्ण सूचक है।

इस लक्ष्य के लिए, आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को निम्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण,

(ii) सेवा में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण

(iii) नेट परीक्षा के लिए अनुशिक्षण

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, आयोग ने इन योजनाओं का विलय, विश्वविद्यालय की सामान्य विकास सहायता वाली योजनाओं के साथ करने का निर्णय लिया है तथा इस घटक के लिए जो अनुदान दिया जाएगा, वह सामान्य विकास सहायता की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त होगा। इन योजनाओं के अन्तर्गत, जहाँ तक महाविद्यालय है, तो उनके लिए वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किया जा रहा है ।

7.6 अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण नीति

भारत सरकार के निर्देशानुसार, अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापन, गैर–शिक्षण तथा दाखिलों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का प्रयास किय जा रहा है। निर्देश जारी कर दिए गए है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियन किए जा रहे समस्त सहायता प्राप्त संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया जाए, तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3(1) के अन्तर्गत जो अल्पसंख्यक संस्थान आते है, वे सभी संस्थान अपवाद माने जाएंगे।

उच्चतर शिक्षा के जितने भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य संस्थानों में होने वाली नियुक्तियों एवं प्रवेशों में, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु, आरक्षण नीति को निर्धारित करने तथा परिवीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

7.7 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न योजनाएं और आरक्षण नीति की निगरानी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी के लिए स्थायी समिति

विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2007 में एक स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति में, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा भूतपूर्व उप कुलपतियों द्वारा एवं उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है।

इस स्थायी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 20 अक्तूबर, 2011 को हुई थी, ताकि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण किया जा सके।

7.8 समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.) की स्थापना

चूंकि उच्च शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक समानता का एक माध्यम है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुछ राष्ट्रीय स्तर की व्यापक समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें कि जन सामान्य तक सुविधाओं की पहुँच बनाना, निष्पक्षता एवं समानता को समाज तक पहुँचाना–इन समस्त बातों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा कुछ साधनहीन वर्गों के लिए कुछ योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रोन्नत करके सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को साधनहीन सामाजिक वर्गों की आवश्यकताओं एवं प्रतिबद्धताओं के प्रति और भी अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में समान सुअवसर प्रकोष्ठों को स्थापित करने की योजना बनाई है। ऐसा करने से इन साधनहीन वर्गों के लिए निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण हो सकेगा तथा इसके साथ ही वित्तीय, शैक्षिक सामाजिक एवं अन्य मामलों में इन वर्गों के लिए दिशा निर्देश एवं परामर्श उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे प्रकोष्ठों द्वारा उन कार्यक्रमों को भी प्रारंभ किया जाएगा ताकि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के समुदायों को उन समस्याओं के विषय में संवेदनशील बनाया जा सके । ऐसी समस्याएँ जो कि अ.ज./अ.ज.जा. द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव की जा रही है। ऐसे प्रकोष्ठों द्वारा अ.ज./अ.ज.जा. /अ.पि.व. (असम्पन्न वर्ग) महिलाओं अल्पसंख्यक तथा अपंगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों, के लिए अनुशिक्षण की विशिष्ट योजनाएँ लागू की जाएंगी जिससे रोजगार एवं सफलता में अभिवृद्धि होगी। ई.ओ.सी. के कार्यालय को स्थापित करने के लिए 2.00 लाख रुपए का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

क्योंकि यह योजना विलयित योजनाओं में से एक है, अतः जहाँ तक महाविद्यालयों का संबंध है, अनुदानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किया जा रहा है, तथा विश्वविद्यालयों के लिए मुख्य कार्यालय द्वारा ऐसे अनुदान जारी किए जाते है। वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पात्र 290 महाविद्यालयों को 1.72 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

7.9 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्थायी समिति

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो स्थायी समिति है, उसके द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी चालू योजनाओं को मॉनीटर किया जाता है और उनकी समीक्षा की जाती है। स्थायी समिति की वर्ष में एक या दो बार बैठकें होती हैं।

अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी उप–समिति की बैठक प्रोफेसर जे.के.ए. तरीन, सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुलपति, पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी की अध्यक्षता में दिनांक 10.09.2007 को आयोजित की गई थी। इस समिति ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देशों में इस उप–संघटन को शामिल करने और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी योजनाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है।

वर्ष 2008–09 के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति की एक बैठक 07 फरवरी, 2009 को आयोजित की गई थी और इस बैठक में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की सिफारिश की गई थी। इस समिति की सिफारिशें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

7.10 निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत के संविधान द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि समस्त व्यक्तियों को गुणवत्ता, स्वतंत्रता, न्याय एवं प्रतिष्ठा मिले तथा संविधान अन्तर्निहित तौर से यह आदेश करता है कि समस्त व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज बने, जिसमें निशक्त व्यक्ति सम्मिलित रहें। समाज के ऐसे व्यक्ति जो कि निशक्त है, उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण में अभी कुछ वर्षों से अत्यंत विशाल एवं सकारात्मक परिवर्तन आया है। ऐसा अनुभव किया गया है कि ऐसे अधिकांश व्यक्ति जो कि आवश्यकताओं से ग्रस्त है यदि उनको समान सुवसर एवं प्रभावी पुर्नवास उपायों को उन्हें उपलब्ध कराया जाए तो वे जीवन का अधिक श्रेष्ठ रूप से निर्वाह कर सकते है।

"निशक्त व्यक्ति अधिनियम", 1995 इस बात का संकेत करता है कि पृथक रूप से शारीरिक क्षमता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँच होनी चाहिए। जहाँ तक उच्चतर शिक्षा का संबंध है, इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सहायता प्रदान की जा रही है जिससे कि पृथक रूप वाली योग्यताओं से युक्त व्यक्ति, विशिष्ट शिक्षा की गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम–विश्वविद्यालयों को समस्त नीति–विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा हैं जिनमें कि निशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए प्रवेश एवं रोज़गारों के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण नीतियाँ भी शामिल है। (दाखिले तथा रोजगार में निशक्त व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण) इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए समस्त विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 को भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे उनमें शामिल प्रावधानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें।

इसके अलावा, वि.अ.आ. द्वारा निशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियो के हित के लिए योजनागत परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। यह परियोजनाएँ, विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों को मिलने वाली सामान्य विकास सहायता का एक अंश हैं। योजनाओं और जारी किए जाने वाले अनुदान के विवरण के लिए कृपया अध्याय 3 और अध्याय 4 देखें।

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में दाखिले और रोजगार में निशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए आयोग द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। 8 नवम्बर, 2011 तथा 14 मार्च, 2012 को समिति की दो बैठकें आयोजित हुई थी ।

8

सापेक्ष एवं मूल्य आधारित शिक्षा

8.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षा को वृत्ति उन्मुखी बनाना

इस योजना का उद्देश्य वृत्ति और बाजार–उन्मुखी कौशल बढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों को जोड़ना और लागू करना है ताकि वे विद्यार्थियों को नौकरी, स्वरोजगार और समर्थ बना सकें। तीन वर्ष के अंत में विद्यार्थियों को विज्ञान/कला/ वाणिज्य की पारंपरिक डिग्रियों के साथ–साथ इन उन्मुखी पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ उच्च डिप्लोमा दिया जाएगा।

इन संस्थानो को संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में वृत्ति–उन्मुखी विषयों का प्रशिक्षण देना चाहिए। विज्ञान के छात्रों के लिए कुछ सांकेतिक पाठ्यक्रम सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी रेफ्रिजरेश्न बायो–टेक्नोलॉजी, अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, रेशमकीट पालन आदि जैसे विषय हो सकते है। समाज विज्ञान और मानविकी के छात्रों के लिए अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, पर्यटन, फैशन डिजाइनिंग, अनुवाद दक्षता, टेलीविजन और विडियो प्रस्तुति जैसे परस्पर मेल खाने वाले विषय हो सकते हैं। वाणिज्यिक छात्रों के लिए बीमा, बैंकिंग, ई–वाणिज्य, विश्व व्यापार, विदेशी मुद्रा व्यापार, फुटकर कार्य आदि जैसे हो सकते है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिए, जो प्रकृति से एक–दूसरे से मेल खाते हों। इनमें कोई निश्चित सीमा नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे विविध प्रकार के क्षेत्रों में जा सकें और यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने मुख्य विषय के अनुसार ही उसे अपनाएं। उदाहरणार्थ यदि कोई विद्यार्थी विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो वह उसके साथ–साथ समारोह प्रबंधन का कार्य भी सीख सकता है। इसी प्रकार, कला की पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी को यह विकल्प होना चाहिए कि वह विज्ञान पत्रकारिता जैसे विषयों को पढ़ सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय वृत्ति–उन्मुखी पाठ्यक्रम की योजना लागू करने के पात्र है।

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमः इस पाठ्यक्रम में 20 क्रेडिट होंगे। प्रत्एक क्रेडिट के अन्तर्गत 15 घंटे के कार्यभार होंगे जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य रूप से क्षेत्रगत कार्य/ परियोजना कार्य/ प्रशिक्षण को सौपा जाना चाहिए।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमः इस पाठ्यक्रम में 40 क्रेडिट होंगे (जिसमें कि 20 ऐसे क्रेडिट सम्मिलित होंगे जो कि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान अर्जित किए गए होंगे) प्रत्येक क्रेडिट के अन्तर्गत 15 घंटे का कार्यभार होगा जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य तौर पर क्षेत्रगत कार्य/परियोजना कार्य/ प्रशिक्षण के लिए सौंपे जाने चाहिए।

उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमः यह पाठ्यक्रम 60 क्रेडिट का होगा (जिसमें कि प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 40 क्रेडिट होंगे) प्रत्येक क्रेडिट में 15 घंटे का कार्यभार होगा, जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य रूप से क्षेत्रगत कार्य/परियोजना कार्य के लिए सौंपा जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत जिन संस्थानों का चयन किया जाता है उनके लिए प्रति पाठ्यक्रम एकैकी "सीडमनी" की सहायता उपलब्ध होगी–मानविकी एवं वाणिज्य विषयों में 5 वर्षों के लिए. 7.00 लाख रू. प्रतिवर्ष की दर से तथा विज्ञान विषयों में 5 वर्षों के लिए 10.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से रहेगी। इस राशि का उपयोग पुस्तको एवं पत्रिकाओं को खरीदने के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं को संवर्धित करने के लिए तथा उपकरणों, अतिथि संकाय सदस्यों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम **तीन** पाठ्यक्रमों का विकल्प देना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रमों की कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई है। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के ऊपर यह निर्भर है कि वे अपनी आवश्यकता पर आधारित

रोजगारोन्मुखी/अंतर्विषयक पाठ्यक्रम को स्वयं ही अभिलक्षित करें। जिन पाठ्यक्रमों को अवार्ड दिए गए है उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित आजीविका उन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा कोई फीस नहीं वसूली जाए।

शिक्षकों/स्टाफ सदस्यों के अलावा अतिथि संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक संस्थानों तथा उत्पादन से जुड़े संस्थानों में से लिया जा सकता है ताकि इन विषयों में अध्यापन कराया जा सके। ऐसे व्यक्ति जिनका ऐसे विषयों से अनुभव हो, वे अतिथि संकाय सदस्यों के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकते है। रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम के समन्वयक को 'सीड मनी" में से 5,000.00 रुपए प्रतिवर्ष की दर से पारिश्रमिक दिया जा सकता है। अतिथि शिक्षक/आंतरिक संकाय सदस्य को 250/–रुपए प्रति लेक्चर की दर से पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसरण में चूंकि विद्यार्थी शिक्षण में 900 घंटे बिताते हैं, अतः विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को ऑनर डिग्री प्रदान करने पर विचार कर सकता है, जिन्होंने अपने डिग्री पाठ्यक्रम के साथ–साथ हाल ही में तीन प्रमाणपत्रों या प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और उच्च डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

चूंकि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की मांग बहुत अधिक है, भले ही विद्यार्थियों ने कितने वर्ष इसका अध्ययन किया हो, अतः विद्यार्थियों को इस बात की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है कि वे अपनी अध्ययन की अवधि के दौरान प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/ उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम या तीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का विकल्प चुन सकते है।

11वीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त, अनुमोदित और जारी किए गए प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार हैः

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)
2007-2008	910	705	40.63
2008-2009	1391	451	42.29
2009-2010	826	515	47.04
2010-2011	600	-	5.67
2011-2012	-	432*	48.03
कुल	**3627**	**2103**	**183.56**

* वर्ष 2010–11 में प्राप्त 600 प्रस्तावों में से लघु सूचीबद्ध किए गए 498 प्रस्तावों में से अनुमोदित

8.2 विश्वविद्यालयों के क्षेत्र अध्ययन केंद्र

आयोग वर्ष 2011–12 के दौरान स्थापित किए गए 53 चिन्हित क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों सहित 8 केन्द्रों को सहायता मुहैया करवा रहा है । यह केन्द्र मुख्यतः किसी दिए गए क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे देशों तथा क्षेत्रों पर बल दिया जाता है जिनके साथ भारत के नजदीकी तथा प्रत्यक्ष कूटनीतिक संबंध हैं ।

विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केंद्रों को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैः

- क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विशिष्टियों को संपूर्ण रूप से समझने को बढ़ावा देना और नीति नियामकों, विशेषतः भारत की अर्थव्यवस्था रणनीति और राजनीतिक महत्त्व के नीति नियामकों को आलोचनात्मक जानकारी देना।
- उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना।
- धर्म और अन्य मुद्दों के भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना।
- अंतर्क्षेत्रीय प्रतियोगिता के परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अधीन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, क्षेत्र अध्ययन केंद्र स्थापित करने के पात्र हैं।

इस परियोजना मोड के अधीन प्रायोगिक प्रयोजनाओं के रूप में नए केद्रों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

परियोजना मोड में शत–प्रतिशत आधार पर निम्नलिखित सहायता दी जाती है:

अनावर्ती (कार्यालय फर्नीचर, पुस्तक तथा पत्रिकाओं, फील्ड कार्य, प्रचालनात्मक व्यय, प्रकाशन, संकाय सदस्य और परिसंवाद/संगोष्ठी/सम्मेलन के लिए)	**₹15.00 लाख**
आवर्ती	**एक संकाय सदस्य** (एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर/प्रलेखन अधिकारी) **दो अनुसंधान एसोसिएट/ परियोजना एसोसिएट या परियोजना अध्येता**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में इस केद्र की निगरानी करता है और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर पांच वर्ष के लिए वित्तीय आबंटन किया जाता है।

वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 53 क्षेत्र अध्ययन केंद्र (24 केंद्र नियमित आधार पर और 29 केंद्र परियोजना मोड आधार पर) कार्य कर रहे है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रों को जारी किए गए किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)	लाभार्थी केन्द्रों की संख्या
2007-2008	1.88	45
2008-2009	0.46	46
2009-2010	3.81	46
2010-2011	1.08	45
2011-2012	1.50	53
कुल	8.73	

(क) नियमित आधार पर कार्य करने वाले क्षेत्र अध्ययन केंद्र (24 केंद्र)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र अध्ययन केंद्र
1	आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	1	सार्क अध्ययन केन्द्र
2	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	2	नेपाल पर किए अध्ययन हेतु केन्द्र
3	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	3	दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र

क्र.सं.	विश्वविद्यालय	क्र.सं.	क्षेत्र अध्ययन केंद्र
4	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	4	पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
		5	कनाडियन अध्ययन केन्द्र
5	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	6	लातिनी एवं अमेरिकी अध्ययन केन्द्र
6	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	7	सैन्टर फॉर इन्डियन डायास्पोरा
7	जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, दिल्ली	8	संघीय अध्ययन केन्द्र
8	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	9	तृतीयक विश्व अध्ययन केन्द्र
9	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	10	रूसी, केन्द्रीय एशियाई एवं पूर्व यूरोपीय अध्ययन केन्द्र
		11	पश्चिमी एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन (खाड़ी देश)
		12	केन्द्रीय एशियाई अध्ययन कार्यक्रम–दक्षिण, केन्द्रीय, दक्षिणपूर्वी एशियाई एवं दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, अध्ययन
10	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	13	केन्द्रीय एशियाई अध्ययन केन्द्र
11	केरल विश्वविद्यालय, तिरूअनन्तपुरम	14	कनाडियन अध्ययन केन्द्र
12	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	15	द्रक्षिण एवं द्रक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
13	एम.एस. बडौदा विश्वविद्यालय, बडोदरा	16	कनाडियन अध्ययन केन्द्र
14	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	17	मणिपुरी अध्ययन केन्द्र
15	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	18	अफ्रीकी अध्ययन केन्द्र
		19	केन्द्रीय यूरेपियन अध्ययन केन्द्र
16	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	20	हिमालय अध्ययन केन्द्र
17	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	21	हिन्द महासागर अध्ययन केन्द्र
18	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	22	दक्षिण एशियाई अध्ययन केन्द्र
19	श्री एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरूपति	23	दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रशांत महासागर अध्ययन केन्द्र
20	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	24	कनाडियन अध्ययन केन्द्र

(ख) परियोजना पद्धति पर आधारित क्षेत्र अध्ययन केन्द्र (29 केन्द्र)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र अध्ययन केंद्र
1	अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1	**दक्षिण अफ्रीकी और ब्राजील अध्ययनों संबंधी केन्द्र**
2	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा	2	**आई.एन.डी.आई.सी. और एशियाई अध्ययन संबंधी केन्द्र**
3	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	3	चीन एवं पड़ोसी राष्ट्र अध्ययन केन्द्र
		4	पाकिस्तानी एवं पश्चिमी एशियाई अध्ययन केन्द्र
4	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	5	भारतीय महासागर अध्ययन हेतु कार्यक्रम
5	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	6	अफ्रीकी अध्ययन केन्द्र
		7	विकासशील देशों संबंधी अध्ययन केन्द्र
6	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	8	बांग्लादेश एवं म्याँमार अध्ययन केन्द्र
7	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	9	अप्रवासी अध्ययन कार्यक्रम
8	एच. उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	10	भारतीय डायास्पोरा एवं सांस्कृतिक, अध्ययन कार्यक्रम
9	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	11	ऑस्ट्रेलियाई एवं न्यूजीलैण्ड अध्ययन केन्द्र
10	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	12	रणनीति एवं क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र

क्र.सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र अध्ययन केंद्र
11	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	13	पाकिस्तानी अध्ययन केन्द्र
		14	केन्द्रीय एशियाई अध्ययन केन्द्र
		15	हिन्द महासागर अध्ययन केन्द्र
		16	**अफगानिस्तान अध्ययनों संबंधी केन्द्र**
		17	**चीनी अध्ययनों संबंधी केन्द्र**
12	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	18	पाकिस्तानी, अध्ययन केन्द्र
		19	यूरोपियाई अध्ययन केन्द्र
		20	फ्रैंको–फोन एवं सब सहारा अध्ययन केन्द
13	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	21	केन्द्रीय एशियाई अध्ययन कार्यक्रम
14	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	22	**समसामयिक चीनी अध्ययनों संबंधी केन्द्र (आई.सी.सी.एस.)**
15	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल	23	म्यॉमार अध्ययन केन्द्र
16	पुडुचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी	24	दक्षिण एशिया अध्ययन कार्यक्रम
		25	**यूरोपियाई अध्ययन केन्द्र**
17	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	26	दक्षिण पश्चिम एशिया, (पाकिस्तान–अफगानिस्तान) अध्ययन केन्द्र
18	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	27	**एशिया अध्ययन केन्द्र**
19	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	28	**यूरोपियाई अध्ययन केन्द्र**
20	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात	29	भारतीय डायोस्पोरा केन्द्र

8.3 सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापना:

आयोग ने दसवीं योजना अवधि के अंतिम वित्त वर्ष अर्थात 2006–07 में एक नई योजना लागू की है, जिसका नाम सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापना है। यह योजना ग्यारहवीं योजना अवधि में भी लागू की गई है।

प्रस्तावना

सामाजिक बहिष्करण से केवल तनाव, हिंसा और विघटन ही पैदा नहीं होता है अपितु इससे समाज में असमानता और सुविधावंचन भी पैदा होता है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कुछ समुदायों को विकास के लाभ लेने के मामले में सुव्यवस्थित बहिष्करण का अनुभव होता है। सामाजिक बहिष्करण एक जटिल और बहु–आयामी संकल्पना है, जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव होते है। गरीबी, बेरोजगारी और स्वेच्छा से प्रवास जैसी मैक्रो–आर्थिक नीतियों के परिणामतः इस व्यवस्था से पीड़ित लोगों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों से वंचित रखा जाता है। बहिष्करण के जिस मुख्य स्थान का अध्ययन किया जा सकता है, उसे भली–भांति समझा जा सकता है और इसका अनुभव किया जा सकता है, वे है हमारे विश्वविद्यालय जो समाज के लिए आदर्श होने चाहिए और आदर्श रूप में कार्य कर सकते है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर किए जाने वाले अनुसंधानों को सहायता देने का निर्णय लिया है। यह अध्ययन सैद्धांतिक रूप से और नीतिगत महत्त्व के रूप में किया जाएगा। इन योजनाओं के अनुसरण के लिए विश्वविद्यालयों में कई शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

उद्देश्य

- जाति / अध्यात्मक / धर्म पर आधारित बहिष्करण और समावेशन की भेदभावूर्ण संकल्पना।
- भेदभाव और बहिष्करण की प्रकृति और गति को भली–भांति समझने का विकास करना।

- बहिष्करणा और समावेशन की संकल्पना और समस्या संबंधी भेदभाव।
- एम.ए. और एम. फिल स्तरों पर ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, जिनमें सामाजिक बहिष्करण अध्ययन में पूर्ण एम.फिल और यहां तक कि एम.ए. कार्यक्रम हो।
- इन समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाना और बहिष्करण तथा भेदभाव की समस्या को समाप्त करना।

कार्यकरण

उन बौद्धिक क्रियाकलापों का प्रकार, जो इन केद्रों द्वारा किए जाएंगे:

- एम.ए. और एम.फिल स्तरों पर ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, जिनमें सामाजिक बहिष्करण अध्ययन में पूर्ण एम. फिल और यहां तक कि एम.ए. कार्यक्रम हो।
- एम. फिल और पी. एच. डी. संबंधी पर्यवेक्षण करना।
- सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य सहित अनुभव संबंधी अध्ययन करना और तुलनात्मक अध्ययनों और नीति / कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए डेटा बैंक की समय–अनुसूची तैयार करना।
- सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों पर आधारित विस्तृत कठोर विश्लेषण करना।
- सामाजिक बहिष्करण की थीम पर सम्मेलन, संगोष्ठी और विचारगोष्ठियां आयोजित करना।
- संकाय और छात्रों के अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों को नियमित रूप से प्रकाशित करना।
- प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा इस विषय पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करना।
- अतिथि संकाय को आमंत्रित करने के सक्रिय कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों, विशेषत: युवा छात्रों तक पहुंच बनाना।
- सामाजिक बहिष्करण से निपटने में लगे सिविक समाज संगठन के साथ संपर्क स्थापित करना।
- राजनीतिक नेताओं, सांसदों, सरकारी अधिकारियों, मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं और मिडिया कर्मियों के लिए अल्पकालिक उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1906 की धारा 2(च) या 3 के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय और इस अधिनियम की धारा 12 (ख) के अधीन आने वाले विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय इस योजना के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

वित्तीय सहायता का स्वरूप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आवर्ती और अनावर्ती मदों के लिए केंद्रों के सुचारु संचालन हेतु चयनित विश्वविद्यालयों को शत–प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता देता है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय सहायता की मद	अनुदान राशि (₹ लाख में)
(क) अनावर्ती (एकबारगी अनुदान) उपस्कर (जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स, फोटोकापीयर और इनवर्टर शामिल हैं	5.00
(ख) आवर्ती (प्रति वर्ष) 1. शिक्षण और अनुसंधान संकाय वास्तविक खर्चे के अनुसार 2. गैर–शिक्षण स्टाफ 3. भाड़ा सेवा 1.00 4. पुस्तक और पत्रिकाएं 1.50 5. आकस्मिक व्यय	वास्तविक खर्चे के अनुसार (लगभग 30.00 लाख रु.) 1.00 1.50 5.00

इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता 5 वर्ष की अवधि अर्थात 11वीं योजना के अंत तक के लिए उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय निर्धारित प्रोफार्मा में विश्वविद्यालयों से प्रस्तावत आमंत्रित करता है। विश्वविद्यालयों में इन केंद्रों की स्थापना संबंधी निर्णय पर इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें के आधार पर लिया जा रहा है।

इस योजना के लागू होने की तारीख से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 35 केंद्र स्थापित किए है (जिनमें से 13 केंद्र वर्ष 2006–07 में और 22 केंद्र वर्ष 2007–08 में स्थापित किए गए थे)। इन केंद्रों को जारी किए गए अनुदान का वर्ष–वार विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	जारी की गई धनराशि (₹ करोड में)	विश्वविद्यालयों की संख्या
2006-07	5.20	13
2007-08	8.80	22
2008-09	0.01	1
2009-10	2.60	8
2010-11	3.41	8
2011-12	5.10	12
कुल	25.12	

8.4 भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन:

भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों (विशेष अध्ययन) योजना वि.अ.आ. द्वारा वर्ष 1983 में प्रारंभ की गई थी और यह योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी है। इस योजना के अंतर्गत वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों और छात्रों को महान चिंतकों और सामाजिक नेताओं/सुधारकों के विचारों और कार्यों से अवगत कराया जा सके।

इस योजना के अन्तर्गत, विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में दिनांक 31.03.2012 तक 24 महान व्यक्तियों के नाम 501 विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए है:

क्र.सं.	अध्ययन केंद्र का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व स्थापित केंद्र	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित केंद्र
1	गांधीवादी अध्ययन केंद्र	61	100
2	नेहरू अध्ययन केंद्र	28	38
3	बौद्ध अध्ययन केंद्र	32	38
4	डॉ. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र	55	53
5	श्री अरविंद अध्ययन केंद्र	6	3
6	डॉ. के. आर. नारायणन अध्ययन केंद्र	1	2
7	स्वामी विवेकानंद अध्ययन केंद्र	2	20
8	डॉ. जाकिर हुसैन अध्ययन केंद्र	2	1
9	गुरू नानक देव अध्ययन केंद्र	3	5
10	इंदिरा गांधी अध्ययन केंद्र	1	12
11	सुभाष चंद्र बोस अध्ययन केंद्र		1
12	पंडित मदन मोहन मालवीय अध्ययन केंद्र		4

क्र.सं.	अध्ययन केंद्र का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व स्थापित केंद्र	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित केंद्र
13	रवींद्रनाथ टैगोर अध्ययन केंद्र		8
14	सरदार वल्लभभाई अध्ययन केंद्र		7
15	श्री शंकर देव अध्ययन केंद्र		3
16	सुकाफा अध्ययन केंद्र		1
17	रामकृष्ण परमहंस अध्ययन केंद्र		1
18	आदि शंकराचार्य अध्ययन केंद्र		2
19	लाला लाजपत राय अध्ययन केंद्र		1
20	डॉ. एस. राधाकष्णन अध्ययन केंद्र		3
21	राजीव गांधी अध्ययन केंद्र		1
22	पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर अध्ययन केंद्र		1
23	राजाराम मोहन राय अध्ययन केंद्र		3
24	स्वामी दयानंद अध्ययन केंद्र		2
	कुल	191	310
	कुल योग	501	

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अध्ययन केंद्रों को जारी किए गए किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)
2007-2008	4.30
2008-2009	4.91
2009-2010	13.15
2010-2011	17.56
2011-2012	11.24
कुल	**51.16**

8.5 आजीवन शिक्षण और विस्तार कार्यक्रम

वर्ष 1978 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (एन.ए.ई.पी.) शुरू करने के बाद ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को आजीवन शिक्षण और विस्तार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी वित्त व्यवस्था करनी शुरू की। हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रौढ़ साक्षरता से शुरू की गई थी, लेकिन धीरे–धीरे यह अगले तीन दशकों तक जारी रहा, जिसमें साक्षरता के बाद, सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रकार के विस्तार कार्यक्रम तथा अन्य क्षेत्रों में क्रियाकलाप शामिल थे। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण और अनुसंधान कार्य करने के लिए मूल संकाय वाले अलग विभाग स्थापित करके इस कार्यक्रम को संस्थागत करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया और उसकी वित्त व्यवस्था की। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होते ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आजीवन शिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी ताकि उभरते हुए ज्ञान समाज की मांग को पूरा किया जा सके और शिक्षण समाज के विकास की प्रक्रिया को सुविधा प्रदान की जा सके।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई पद्वति न केवल पूर्व की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान चालू कार्यक्रमों को जारी रखना ही नहीं था अपितु उन्हें समेकित करना और उनका विस्तार करना भी था ताकि उसमें नए विश्वविद्यालयों और चुने हुए महाविश्वविद्यालयों को शामिल किया जा सके। विभिन्न नामों के अधीन पहले शुरू किए गए सभी अलग–अलग कार्यक्रमों यथा प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, विस्तार, जनसंख्या शिक्षा, विद्यार्थी परामर्श, स्थापन सेवा और ई–शिक्षण को **आजीवन शिक्षण कार्यक्रम** के रूप में पुनर्गठित और विकसित किया गया ताकि उन्हें तेजी से विस्तारित होने वाले वैश्विक ज्ञान परिदृश्य के अनुरूप बनाया जा सके। चूंकि आजीवन शिक्षण नवीनतम शैक्षणिक नीतियों का मुख्य लक्ष्य बन गया है और अतः इसे प्रायः सामाजिक–आर्थिक विकास को प्राप्त करने और ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देने का साधन बताया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में भी इस क्षेत्र को सहायता देना जारी रखा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरानन वित्तीय वर्ष 2010–11 के अंत तक, 65 आजीवन ज्ञान अर्जन और विस्तार विभाग/केन्द्र अस्तित्व में थे । सभी मौजूदा विभागों/केन्द्रों के निदेशकों को 3–4 मई 2011 को आयोग के कार्यालय में विभागों/केन्द्रों के क्रियाकलापों की चर्चा, विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ करने के लिए आमंत्रित किया गया था । 31.3.2012 के अनुसार वर्ष 2011–12 में स्थापित **छह** केन्द्रों सहित 71 विभाग/केन्द्र, विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में चल रहे थे । केन्द्रों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	7
2	बिहार	1
3	छत्तीसगढ़	1
4	चण्डीगढ़	1
5	स. रा. क्षे. दिल्ली	3
6	गुजरात	4
7	हिमाचल प्रदेश	1
8	हरियाणा	2
9	जम्मू और कश्मीर	2
10	केरल	3
11	मध्य प्रदेश	7
12	महाराष्ट्र	9
13	मणिपुर	1
14	मेघालय	1
15	पंजाब	1
16	पुदुचेरी	1
17	राजस्थान	4
18	तमिलनाडु	7
19	उत्तर प्रदेश	7
20	उत्तराखण्ड	2
21	पश्चिम बंगाल	6
	कुल	71

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अध्ययन केंद्रों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)
2007-2008	0.74
2008-2009	2.52
2009-2010	7.86
2010-2011	0.38
2011-2012	1.02
कुल	**12.52**

8.6 मानव अधिकार शिक्षा (एच.आर.ई.):

मानव अधिकार स्वयं में ही साध्य भी है एवं साधन भी है। ऐसे मानक जिनको प्राप्त किया जाना चाहिए, उनके दृष्टिकोण से वे एक साध्य रूप है तथा जहाँ तक सामान्य जन द्वारा उनका उपयोग एवं अधिकारों द्वारा सुविधा प्राप्त करने की बात है तो यह अधिकार साधन स्वरूप है। शैक्षिक जाँच पड़ताल हो अथवा समाज के सदस्यों वाले सामान्य जनों का दैन्यदिन जीवन अनुभवों का प्रश्न हो दोनों ही रूप में इन्हें देखा जा सकता है। इसी के अनुसार वर्ष 1985 में वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय क्षेत्रक में मानवाधिकार, शिक्षा योजना की पहल की। तब से लेकर उच्चतर शिक्षा क्षेत्रक को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है तथा मानव अधिकार एवं मूल्य तथा मानव विकास को भी प्रोन्नत किया जा रहा है।

11 वीं योजना के दौरान मानव अधिकार शिक्षा योजना के तीन निम्न घटक हैः–

(1) मानवाधिकार और कर्तव्य

(2) मानवाधिकार एवं मूल्य

(3) मानवाधिकार एवं मानव विकास

प्रत्येक घटक के उद्देश्य निम्नवत हैः

(1) मानवाधिकार और कर्तव्य

यद्यपि, प्रत्येक अधिकार के साथ ही एक कर्तव्य अनिवार्यतः जुड़ा रहता है फिर भी कई पक्षों में ऐसी भावना देखने में आई है कि अधिकार गत शिक्षा को प्रोन्नत किया जाता रहा है तथा जहाँ तक कर्त्तव्यों का प्रश्न है तो इस पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। एक ऐसा समाज, जिसके द्वारा कई शताब्दियों तक कर्त्तव्यों के ऊपर बल दिया जाता रहा है, तो उस समाज में अधिकारों पर शिक्षा की जो विधा है वह ऐतिहासिक विकृतियों के सुधार के रूप में सामने आई है। अधिकारों के हनन का सुधार केवल उस स्थिति में ही संभव हो सकता है यदि विशेष सुविधाओं को प्राप्त करने वाले लोगों का ध्यान उनके ऐसे कर्त्तव्यों की ओर आकर्षित किया जाए जो कि हाशिए पर स्थित वर्गों की प्रति अपेक्षित हैं तथा क्रमशः हाशिए पर स्थित ऐसे समस्त वर्गों को अधिकारों की शिक्षा से शिक्षित करके ही उन्हें शनै–शनैः सशक्त बनाया जा सकता है। ऐसे समस्त स्तरों पर मानव अधिकार शिक्षा, कुछ अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित हो पाएगी, जैसे कि लिंग समानता जाति एवं समुदायों के संबंधों, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का परस्पर संघर्ष की स्थिति में, प्रगति वाले पिछड़े हुए इन वर्गों की दुविधा एवं उत्तर–दक्षिण का प्रभुत्व/सामर्थ्य संबंध। संक्षेप में, अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को पुर्नगठित करके ही समस्त प्रभुत्व/सामर्थ्य शक्ति के संबंधों को मानवीकृत एवं लोकतंत्रीकृत बनाया जा सकता है।

(2) मानवाधिकार और मूल्य

एच.आर.ई. द्वारा मूल्यगत शिक्षा पर केन्द्र बना रहेगा :–

(क) इनमें से जो एक उद्देश्य होगा वह यह होगा कि ऐसे मूल्यों के प्रति जागरूकता एवं प्रतिबद्धता का सृजन करना, जिन मूल्यों के द्वारा व्यक्तिपरक निजी स्वार्थ का सामूहिक एवं सर्वसाधारण के कल्याण की भावनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित हो जाता है।

(ख) जो मूल्य सार्वभौमिक एवं आपेक्षित है तथा जो सांस्कृतिक रूप से निर्धारित हो चुके है–ऐसे मूल्यों पर विचार–विमर्श किया जाना चाहिए। वर्तमान सार्वभौमिकी से युक्त परन्तु फिर भी विखण्डित इस विश्व में सर्वतोमुखी मूल्यों की खोज का अतिरिक्त महत्व हो जाता है।

(ग) कोई भी ऐसा मूल्य जैसे कि अनेकतावाद, समस्त धर्मों के प्रति आदर की भावना, वैज्ञानिक विचारधारा, विशालता से युक्त विचारधारा, सार्वजनिक तौर पर तर्कपूर्ण बने रहना, जो ऐसी समस्त विचारणाएं है तथा जो कि भारतीय परम्पराओं का एक अंश बहुत काल तक रही है। उन्हें धारित एवं प्रोन्नत किया जाएगा।

(3) मानवाधिकार और मानव विकास

अधिकार केवल मात्र मानक ही नहीं है, बल्कि नागरिकों द्वारा प्रस्तुत ऐसी दावेदारियाँ है जो कि समाज के संसाधनों का आबंटन करने के बारे में प्रस्तुत की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकसित हो रही है परन्तु आर्थिक विसंगतियाँ भी विकसित होती जा रही है। यह बात आवश्यक रूप से मानी जानी चाहिए कि विकास संबंधी आवश्यकताएँ तथा निष्पक्षता को साथ–साथ ही गतिशील रहना है। किसी भी स्तर पर भौतिक विकास द्वारा मानव सुलभ सुख शांति तक नहीं पहुँचा जा सकता, यदि वह विकास, मानवीय जीवन का मूल्यांकन नहीं करता है अथवा मानवीय स्तर पर जो समभाव्यता हो सकती है इसकी सम्पूर्ण रूपेण प्राप्ति नहीं कर लेता। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्तिपरक एवं एक वस्तुपरक दोनों ही है। प्रशासन का यह दायित्व है कि अधिकारों को प्रोन्नत किया जाए एवं प्रवर्तित किया जाए तथा विकास तक पहुँचने की लिए जिन अधिकारों की जरूरत है उनके विषय में दूरदर्शिता कायम रखनी चाहिए। निःसन्देह यदि ऐसे समस्त दायित्वों का निर्वाहन होता है तो उनकी सहायता से संतुलित मानव सुलभ विकास होगा। मानव अधिकार शिक्षा में ऐसे समस्त घटक सम्मिलित रहेंगे।

11वीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता के लिए चिह्नित किया गया हैः–

1) आधारभूत पाठ्यक्रम
2) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
3) स्नातक स्तर अर्थात् बी.ए. अथवा बी.ए. (ऑनर्स)
4) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम
5) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (एम.ए./एल.एल.एम.) पाठ्यक्रम
6) एकीकृत निष्णांत कार्यक्रम
7) संगोष्ठियाँ /परिसंवाद/कार्यशालाएँ
8) मूट कोर्ट/मॉक ट्रॉयल
9) उत्कृष्टता के नोडल केन्द्रों को प्रोन्नत करना
10) पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना
11) नीति शास्त्र को बढ़ावा देना

कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता निम्न स्वरूप की होगीः

मद	फाउंडेशन पाठ्यक्रम (₹ लाख में)	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (₹ लाख में)	स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम (₹ लाख में)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (₹ लाख में)	स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (₹ लाख में)
पुस्तकें और पत्रिकाएं (एक मुश्त अनुदान)	1.00	1.50	2.00	-	-
पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं, सीडी रोम, दृश्य – श्रव्य और उपस्कर, कम्प्यूटर आदि (एकमुश्त अनुदान)	-	-	-	2.00	3.00
तर्क–कौशल का विकास (मूट / मॉक अभ्यास, जहां कहीं लागू हो) (एकमुश्त अनुदान)	0.75	-	-	-	-
अतिथि / अतिथि संकाय (5 वर्षों के लिए)	0.75	1.50	2.00	3.00	4.00
विस्तार क्रियाकलाप और फील्ड कार्य (5 वर्षों के लिए)	-	1.00	1.50	2.00	3.00

सम्मेलन / परिसंवाद / कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए वित्तपोषण निम्नानुसार है:

परिसंवाद (1 / 2 दिन) – विश्वविद्यालय 1.5 लाख रुपये; महाविद्यालय 0.75 लाख रुपये

सम्मेलन (2 / 3 दिन) – विश्वविद्यालय 2.00 लाख रुपये; महाविद्यालय 1.00 लाख रुपये

कार्यशाला (7 / 10 दिन) – विश्वविद्यालय 2.50 लाख रुपये; महाविद्यालय 1.50 लाख रुपये

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्राप्त तथा अनुमोदित प्रस्तावों और जारी किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या				निर्मुक्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	प्राप्त		अनुमोदित		
	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	
2007-2008	7	38	7	23	0.98
2008-2009	55	187	50	123	5.39
2009-2010	40	396	30	287	5.69
2010-2011	52	595	35	458	6.96
2011-2012	27	324	18	206	2.51
कुल	**181**	**1540**	**140**	**1097**	**21.53**

**वर्ष 2011–12 के दौरान 351 प्रस्तावों में से 224 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका था परंतु इन्हें कोई भी अनुदान जारी नही किया गया था। वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्व प्रतिबद्धताओं के भुगतान के लिए केवल 2.51 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था ।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन

9

9.1 विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना/उन्नयन

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास की गति बनाए रखने के लिए आयोग वर्ष 1970 से कई सामान्य और विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से उच्च शैक्षिक संस्थाओं को सहायता दे रहा है।

विद्यमान योजना का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना है ताकि वे प्रशासन, वित्त, भर्ती और विश्वविद्यालयों में कंप्यूटरों केंद्रों के उन्नयन के साथ–साथ शिक्षण, अनुसंधान और अन्य संबंधित क्रियाकलापों की संवृद्धि और विकास के लिए केंद्रीय सुविधा के रूप में कंप्यूटर केंद्रों को स्थापित कर सकें।

मोबाइल डिवाइस और वैयक्तिक डिजिटल सहायता सहित ग्रिड कंप्यूटिंग, वाई–फाई, तेज गति इंटरनेट (ब्राडबैंड) कनेक्टिविटी जैसी हाल ही की कुछ प्रवृत्तियों में भारतीय भाषाओं आदि में यूनिकोड उत्पादों का विकास करना इस योजना में शामिल किया गया है।

पात्रता मापदंड

- **स्थापना के लिए**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजना और गैर–योजना अनुदान प्राप्त करने वाले सम–विश्वविद्यालय इसके पात्र है।

- **उन्नयन के लिए**

दूसरी बार सहायता उन विश्वविद्यालयों को हार्डवेयर के उन्नयन के लिए दी जाती है, जिन्हें कंप्यूटर केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता दी गई थी। जिन विश्वविद्यालयों ने दो बार इस सहायता का पहले ही लाभ उठा लिया हो, वे इसके पात्र नहीं है।

- **वित्तीय सहायता**

स्थापना के लिए		उन्नयन के लिए
(क)	अनावर्ती	- ₹70.00 लाख
(ख)	आवर्ती	- ₹50.00 लाख

नियुक्त कार्मिकों (निदेशक, सिस्टम –विश्लेषण, तकनीकी सहायक, वैयक्तिक सहायक) के वेतन की वास्तविक रकम

विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पदों के संबंध में हार्डवेयर के संस्थापन से या पहले पद को भरने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्ष के लिए यह सहायता है।

विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जाएगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग केंद्रों की स्थापना और केंद्रों के उन्नयन के लिए जिन विश्वविद्यालयों के बारे में सिफारिश की गई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें वित्तीय सहायता अनुमोदित करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालय के 15 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था ।

रिपोर्टाधीन वर्ष सहित ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना/उन्नयन के लिए आबंटित और जारी किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	आबंटित बजट (₹ लाख में)	जारी किया गया अनुदान (₹ लाख में)	लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या (₹ लाख में)
2007-2008	100.00	76.67	19
2008-2009	552.00	551.52	20
2009-2010	1000.00	179.14	6
2010-2011	500.00	399.40	16
2011-2012	500.00	4.60	15*

*निधियों की अनुपलब्धता के चलते, अनुमोदित विश्वविद्यालय को अनुदान जारी नहीं किया जा सका।

9.2 वि.अ.आ.-इन्फोनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम

वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय के कैम्पसों को वि.अ.आ.–इंफोनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम के अंतर्गत 2000 में विस्तृत नेटवर्क द्वारा आधुनिक कैंपस बनाने का कार्य शुरू किया। इस योजना के अंतर्गत सेवा प्रदाता के रूप में बीएसएनएल के साथ फाइबर ऑप्टिकल लीज लाइन पर 180 से अधिक विश्वविद्यालयों को 10 मेगा बाइट प्रति सेकेंड (1:1) पर इंटरनेट बैंडविड्थ उपलब्ध कराया गया ।

आई. सी. टी. (एनएमई,–आईसीटी), जो सभी विश्वविद्यालयों को एक जीवीपीएस कनेक्टिविटी प्रदान करता है, के माध्यम से राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) और शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन से लगभग सभी विश्वविद्यालय कनेक्टिविटी प्रोग्राम से जुड़ गए और वे उच्च नेटवर्क वैंडविड्थ का लाभ ले रही है। विश्वविद्यालय, जिन्होंने एनकेएन/एनएमई–आईसीटी नहीं अपनाया है तो उन्हें इसे ज्वाइन करने या वैकल्पिक रूप में इनफ्लिविनेट केन्द्र द्वारा तय दरों पर बीएसएनएल से बैंडविड्थ इंटरनेट पाने का सुझाव दिया गया है । वि.अ.आ. इंफोनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम अपने वर्तमान प्रारूप में 01 अप्रैल, 2012 से समाप्त हो गया । इसकी जगह लाभार्थी विश्वविद्यालयों द्वारा एनकेएन के बेहतर उपयोग के लिए नए प्रारूप का प्रस्ताव किया गया है ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वि.अ.आ. इन्फोनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	वर्ष	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)
1	2007-08	16.66
2	2008-09	10.00
3	2009-10	10.00
4	2010-11	10.00
5	2011-12	-

9.3 वि.अ.आ. इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसार्टियम (ई-जर्नल स्कीम)

वि.अ.आ. इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसार्टियम का उद्घाटन दिसंबर 2003 के दौरान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। यह कंसोर्टियम 7500 करोड़ रुपए से अधिक लोगों और साथी–समीक्षित इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों को वर्तमान और संभव पहुंच प्रदान करता है और विश्वविद्यालय की प्रेसों, विद्वत समाज, वाणिज्यिक प्रकाशनों और विभिन्न विषयों के संकेतकों सहित 27 प्रकाशनों से दस बिबलियोग्राफिक डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। वर्ष 2004 में शुरू किए गए प्रथम चरण में ई–संसाधन की पहुंच ऐसे 50 विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई थी, जिनके पास वि.अ.आ.–इन्फोनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा थी। दूसरे चरण में वर्ष 2005 में 50 और विश्वविद्यालयों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया था, क्योंकि अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को वि.अ.आ.–इन्फोनेट कार्यक्रम के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्राप्त हो गई थी। अभी तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आने वाले 200 विश्वविद्यालयों को ई–संसाधन की विभिन्न पहुंच प्रदान की गई है। इन ई–संसाधनों के अंदर कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, प्रबंधन, गणित और सांख्यिकी आदि सहित लगभग सभी विषयों को लाया गया है। केंद्र ने जे0सी0सी0सी0 (जर्नल कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्टियम) के माध्यम से इंटर–लाइब्रेरी चरण (आई0एल0एल0) भी शुरू किया है। जे0सी0सी0सी0, वि.अ.आ. डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम द्वारा लिए जाने वाले जर्नलों और इन्फिनेट केंद्र में आई0 एल0एल0 केंद्रों के रूप में नामित 26 विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी द्वारा लिए जाने वाले जर्नलों में प्रकाशित सभी लेखों तक लेखा के स्तर पर पहुंच प्रदान करता है। वर्ष 2012 से उपयोगकर्ता समुदाय की मांग के आधार पर चार नये संसाधनों नामतः राष्ट्रीय विधि विद्यालयों / विश्वविद्यालय हेतु विधिक आंकड़ा आधार, अतिरिक्त विश्वविद्यालय हेतु एससीआई फाइंडर स्कॉलर, ई–जनरल अभिलेखागार तथा साइंस डायरेक्ट के 10 विषयों के संग्रह को जोड़ा गया है।

विश्वविद्यालयों में वि.अ.आ.–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम की सफलता से उन विश्वविद्यालयों में भी इस कंसोर्टियम का विस्तार करने की मांग की गई है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत नहीं आते है। इनफ्लिबनेट केंद्र ने वर्ष 2009 में अपना सहयोजित सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया है ताकि इस कंसोर्टियम द्वारा लिए जाने वाले ई–संसाधनों की पहुंच निजी विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान संस्थानों तक हो सके। इस योजना के अधीन प्राइवेट विश्वविद्यालय और अन्य अनुसंधान संस्थान कंसोर्टियम के "सहयोजित सदस्य" के रूप में स्वयं को सूची में शामिल करवा सकें और कंसोर्टियम के माध्यम से उपलब्ध अपनी पसंद के जर्नलों को ले सकें। ई–संसाधनों के अभिदान की दर वही होगी, जो कंसोर्टियम के मूल सदस्यों के लिए होती है। सहयोजित सदस्यों से वार्षिक अंशदान के रूप में एक सांकेतिक रकम ली जाती है। 105 से अधिक ऐसे विश्वविद्यालयों ने वि.अ.आ.–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम के सहयोजित सदस्य के रूप में अपना नाम शामिल करवा लिया है और कंसोर्टियम के माध्यम से अपनी पसंद के विभिन्न जर्नलों को ले रहे है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजिटल रिपोजिटरी हेतु किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	वर्ष	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)
1	2007-08	30.00
2	2008-09	47.00
3	2009-10	75.00
4	2010-11	76.00
5	2011-12	100.00

9.4 स्नातकोत्तर विषयों हेतु पाठ्यक्रम ई–कंटेंट का सृजन

योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईसीटी (एनएमई–आईसीटी) के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत आयोग को स्नातकोत्तर स्तर के 77 विषयों में ई–कंटेंट के विकास हेतु निधियां जारी की है । चूंकि विषयवस्तु तथा इसकी गुणवत्ता, शिक्षा प्रणाली के मुख्य घटक हैं इसलिए सामाजिक विज्ञान, कला, ललित कला तथा मानविकी, नैसर्गिक एवं गणित विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा इस पहल के तहत भाषाएं जिन्हें ईपीजी पाठशाला नाम दिया गया है, के सभी विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले, पाठ्यक्रम आधारित अन्योन्यक्रिया विषयवस्तु के सृजन का प्रस्ताव है। इस प्रकार से विकसित ई–कंटेंट , इन्फिलबनेट केन्द्र में स्थापित एक ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली (एल एम एस) के माध्यम से साथ ही साक्षात पोर्टल के माध्यम से मुक्त पहुंच हेतु उपलब्ध होगी ।

वैसे भी विषयवस्तु के सृजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित दो दलों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है –

डोमेन विशेषज्ञ: विषय समन्वयक, पत्र समन्वयन, विषयवस्तु लेखक, विषय वस्तु समीक्षक तथा भाषा संपादन सहित।

वेब डिजाईनर और इंस्ट्रक्शनल डिजाईनर: वेब डिजाईनर और इंस्ट्रक्शनल डिजाईनर डोमेन विशेषज्ञों से संपर्क करेगा और वह डोमेन विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टोरी बोर्ड का उपयोग कर मल्टीमीडिया विशेषताओं को शामिल करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं ।

- स्नातकोत्तर स्तर पर 77 विषयों में ई–कंटेंट विकसित करना ।
- ई–कंटेंट सृजन में विषय के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग कर छात्रों और सहयोगियों को ई–कंटेंट उपलब्ध कराना ।
- छात्रों और सहयोगियों के बीच ई–कंटेंट के उपयोग को बढ़ावा देना ।
- इन्फ्लीबनेट केन्द्र में स्थापित एससीओआरएम अनुवर्ती डिजीटल भंडार के माध्यम से ई–कंटेंट की मुक्त पहुंच उपलब्ध कराना।

समन्वय एवं प्रणालीबद्ध करने हेतु ढांचा

स्थायी समिति: आयोग द्वारा भा० प्रा० स० कानपुर के अध्यक्ष प्रो० एम० आनंद कष्णन की अध्यक्षता में एक निर्णय लेने वाले शीर्ष स्तर के निकाय का गठन किया गया है । स्थायी समिति के अन्य सदस्य है प्रो० एच० पी० दीक्षित, प्रो० राजेन हर्ष, प्रो० ए.के. बक्शी, प्रो० जगदीश अरोड़ा, प्रो० अमित राय तथा प्रो० आर० सी० कुहाद।

राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक (एनपीसी): एनपीसी सभी क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

राष्ट्रीय तकनीकी समन्वयक (एनसीटी): इन्फ्लीबनेट के निदेशक को राष्ट्रीय समन्वयक (तकनीकी) नामनिर्दिष्ट किया गया है । इन्फ्लीबनेट सभी क्रियाकलापों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगाा । राष्ट्रव्यापी विज्ञापन के माध्यम से प्रत्येक विषय के लिए एक विषय समन्वयक की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है ।

विषय समन्वयक (एससी): प्रत्येक विषय के लिए कंटेंट विकास के क्रियाकलाप को समन्वित करने के लिए विषय समन्वयकों की सेवाएं ली जायेगी ।

पत्र समन्वयक (पीसी): पत्र समन्वयक, उसे सौंपे गये पूर्ण पत्र के लिए ई–कंटेंट विकसित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

विषय वस्तु लेखक (सीडब्ल्यू): विषयवस्तु लेखक उसे सौंपे गये मॉड्यूलों और उप मॉड्यूलों हेतु पाठ्यक्रम आधारित ई–कंटेंट को विकसित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

विषय वस्तु समीक्षक (सीआर): एक बार विषयवस्तु विकसित किए जाने पर, विषयवस्तु समीक्षक, विषयवस्तु लेखक द्वारा विकसित ई–कंटेंट की समीक्षा करेगा ।

भाषा संपादक (एलई): समीक्षा प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत विषयवस्तु को भाषा संपादक को भाषा संबंधी संपादन करने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा ।

विषय वस्तु का अनुमोदन: विषयवस्तु की समीक्षा और संपादन किए जाने के पश्चात्, विषय समन्वयक तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक (एनपीसी), इन्फ्लीबनेट केन्द्र पर प्रोडक्शन सर्वर में विषयवस्तु को होस्ट करने के लिए अनुमोदित करेंगे । तत्पश्चात् विषयवस्तु संपूर्ण विश्व में समग्र अकादमिक समुदाय के लिए मुक्त पहुंच हेतु उपलब्ध होगी ।

- **वर्तमान स्थिति, कार्यक्रम के संबंध में लिए गए संगत नीतिगत निर्णय/किए गए परिवर्तन**

योजना का एक खाका तैयार करने और योजना के समग्र प्रचालन की देखरेख करने के लिए आयोग ने भा.प्रौ.स. के अध्यक्ष, श्री एम0 आनंद कृष्णन की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया है ।

ई–कंटेंट विकसित करने का कार्य इन्फ्लीबनेट अहमदाबाद को सौंपा गया है ।

कार्य पूर्ण करने के लिए इन्फ्लीबनेट केन्द्र अहमदाबाद को 10.00 करोड़ रूपये प्रदान किए गए है ।

ई–कंटेंट विकसित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है ।

10

संचालन और कार्यक्षमता में सुधार

10.1 संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन

उच्चतर शिक्षा को समर्थन देने के लिए तथा विश्वविद्यालयों के विकास में समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने, ''संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन'' की योजना को 11वीं योजना के दौरान भी लागू किए जाने का निर्णय लिया हैं।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- समाज की भागीदारी /योगदान द्वारा विश्वविद्यालयों के विकास हेतु संसाधनों को जुटाना।
- विश्वविद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया का विकास करना।
- विश्वविद्यालय के विकास के लिए समाज से मिलने वाले संसाधनों के प्रवाह को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना।
- राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर विश्वविद्यालय द्वारा न केवल उद्योगों बल्कि सरकार एवं अन्य निकायों को भुगतान के आधार पर तथा जनसाधारण को परामर्श प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- ऐसे विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देना, जो कि अपनी विकास संबंधी गतिविधियों में समाज को भी शामिल करते हैं।

पात्रताः

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विश्वविद्यालय/संस्थान, अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं :–

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- ऐसे विश्वविद्यालय, जो कि अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) में सम्मिलित हैं तथा वि.अ.आ. से योजनागत अथवा गैर योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- ऐसे संस्थान जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा–3 के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय माना गया है तथा जो संस्थान योजनागत/ग़ैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(गगग) के तहत स्थापित किए गए अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र।

सहायता का स्वरूप

शिक्षा के तेजी से बदलते परिदृश्य में, विश्वविद्यालयों को विकास के साथ यदि कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो उन्हें अपने संसाधन आधार को विस्तृत करना होगा तथा उच्चतर शिक्षा में समाज द्वारा भागीदारी करने के लिए अपने आंतरिक आधारों को गतिशील करना होगा। विश्वविद्यालय ऐसे बाह्य संसाधनों को भागीदारी /योगदान/परामर्श द्वारा गतिशील बना सकते हैं। इन समस्त विषयों पर भारतीय नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अथवा अप्रवासी भारतीय नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अथवा भूतपूर्व छात्र संघों, सार्वजनिक एवं परिवार न्यासों, औद्योगिक/वाणिज्य संघों, सहकारी समितियों, व्यवसायिक संघों, कार्मिकों के संघ/सहयोगी संस्थाएँ, नगर निगम निकायों /पंचायतों/संसद सदस्यों/परामर्शदाताओं से जुड़ी निधियाँ।

विश्वविद्यालय, एक ऐसी कायिक निधि को सृजन करें जो गतिशील निधि हो तथा जो इस योजना के अन्तर्गत हो तथा ऐसी निधि निम्न मदों से युक्त हो जिनकी समाज द्वारा भागीदारी के लिए पहचान किया गया है :–

- भवनों का निर्माण (कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रों के छात्रावास, चिकित्सालय आदि) ;
- वर्तमान पुराने भवन का नवीकरण;
- उपकरणों की खरीद;
- छात्र/स्टाफ के लिए सुविधाएँ (कैन्टीन, क्रीड़ास्थल, व्यायामशाला आदि) ;
- पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद;
- संस्थागत गतिविधियों के विकास के लिए निधि;
- छात्र को शोधवृत्ति प्रदान करने के लिए निधि को विकसित करना;
- विस्तार से जुड़ी गतिविधियों का विकास, संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ शोधकार्य जो कि परियोजनाओं के निधियन के फलस्वरूप है अथवा किसी निधि के विकास द्वारा;
- पीठों की स्थापना;
- नवोन्मेषी एवं शैक्षिक कार्यक्रम जिनमें अनुसंधान एवं विस्तार कार्य भी सम्मिलित है;
- ऐसा अन्य कोई मद/परियोजना जिसको पूर्व में ही वि.अ.आ. को सूचित किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंशदान की सीमा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंशदान का 25 प्रतिशत होगा जो कि सशर्त 50.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की अधिकतम सीमा तक होगा।

वर्ष 2011–12 के दौरान, 2 राज्य विश्वविद्यालयों और 2 सम विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंश के रूप में 5.28 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अधीन जारी किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	जारी किया गया अनुदान (₹ करोड़ में)
2007-08	0.71
2008-09	2.66
2009-10	5.68
2010-11	4.08
2011-12	5.28
कुल	**18.41**

10.2 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षिक प्रशासकों का तथा वि.अ.आ. के अधिकारियों का प्रशिक्षण:

प्रौद्योगिकी में जो वैश्वीकरण और विकास हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि उच्चतर शिक्षा में भी अभूतपूर्व परिवर्तन होते जा रहे हैं। वर्तमान काल में, शैक्षिक प्रावधानों से जुड़े सीमाओं से परे पर्यावरण में जन सामान्य तक पहुँच बनाने तथा समानता के प्रश्न के अलावा उच्चतर

शिक्षण संस्थानों से यह आग्रह है कि वे अपनी लागतों में कटौती करें गुणवत्ता में सुधार करें एवं स्पर्द्धा की भावनाएँ रखें। शैक्षिक प्रशासकों द्वारा इन चुनौतियों का प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए तथा अपने संबंद्ध संस्थानों की कार्यप्रणाली का परिचालन ऐसे करना चाहिए ताकि वे अपने अपने छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। एक ऐसी संरचनाबद्ध प्रणाली जो कि विश्वविद्यालयों में स्थित विभिन्न स्टॉफ सदस्यों, प्रशासकों एवं वरिष्ठ पदों पर स्थित व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं विकास के सुअवसर प्रदान करने वाली हैं तथा जिसका निर्माण किए जाने का लक्ष्य शैक्षिक उत्कृष्ठता एवं अभिशासन होगा। ऐसी प्रणाली के सृजन द्वारा ही वि.अ.आ. उपरोक्त समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए, दिशानिर्देश बनाए गए है। वर्ष 2011–12 के दौरान, शैक्षिक प्रशासकों के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में, तथा वि.अ.आ. अधिकारियों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किया। अतः इस मद पर कोई भी व्यय नहीं हुआ है।

परिशिष्टों की सूची: 2011–2012

क्र. सं.	परिशिष्टों की सूची: 2011–2012
I	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार जिन केन्द्रीय, राज्य, राज्य निजी विश्वविद्यालय, संस्थानों को राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया है एवं ऐसे संस्थान जिन्हें सम विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गयी है उनकी राज्यवार सूची।
II	वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 धारा 12 (बी) के अंतर्गत दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय जो कि केन्द्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं, उनकी राज्यवार सूची।
III	वर्ष 1984–85 से लेकर 2011–2012 तक भारत वर्ष में छात्रों के नामांकन में अभिवृद्धि।
IV	वर्ष 2011–2012 में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्रों का राज्यवार नामांकन।
V	वर्ष 2011–2012 के दौरान विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों/आंगिक कॉलेजों एवं संबद्ध कॉलेजों में छात्रों का स्तरवार नामांकन।
VI	वर्ष 2011–2012 में संकायवार छात्रों का नामांकन।
VII	वर्ष 2007–08 से 2011–2012 के मध्य कॉलेजों की संख्या में हुई वृद्धि तथा वर्ष 2011–2012 के दौरान राज्यवार कॉलेजों की संख्या।
VIII	वर्ष 2011–2012 के दौरान विश्वविद्यालय विभागों एवं विश्वविद्यालय के आंगिक कॉलेजों में पद के अनुसार अध्यापन स्टाफ की संख्या एवं वितरण।
IX	वर्ष 2011–2012 के दौरान संबद्ध कॉलेजों में पद के अनुसार अध्यापन स्टाफ की संख्या एवं वितरण।
X	वर्ष 2009–2010 एवं 2010–2011 के दौरान संकायवार प्रदान की गई एम.फिल. एवं डॉक्टरेट (पी.एच.डी.) डिग्रियों की संख्या।
XI	वर्ष 2011–2012 के दौरान संकायवार महिला नामांकन।
XII	वर्षवार 1997–98 से लेकर 2011–2012 तक महिला कॉलेजों की संख्या।
XIII	वर्ष 2011–2012 के दौरान ऐसे सम विश्वविद्यालयों की सूची जिन्हें योजनागत, गैर–योजनागत एवं नियत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त हो रहा हैं।
XIV	वर्ष 2011–2012 के दौरान दिल्ली के कॉलेज एवं हॉस्टल एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कॉलेज जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त हो रहा है, उनकी सूची।
XV	दिनांक 31.03.2012 तक स्वायत्तशायी कॉलेजों की राज्यवार सूची।
XVI	वर्ष 2011–2012 के दौरान अकादमिक स्टॉफ कॉलेजों की राज्यवार सूची।
XVII	वर्ष 2011–2012 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेट परीक्षा से सम्बद्ध विषयों की सूची।
XVIII	सी.एस.आई.आर. एवं वि.अ.आ. नेट संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों की सूची।
XIX	वर्ष 2011–2012 के दौरान भारत वर्ष में होने वाली वि.अ.आ. नेट परीक्षा के केन्द्रों की सूची।
XX	वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को प्रदान किये गए (प्रमुख शीर्ष–वार) गैर–योजनागत अनुदान का ब्यौरा।
XXI	वर्ष 2011–2012 के दौरान (प्रमुख शीर्ष के अनुसार) सामान्य योजनागत, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी एवं धारा (III) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को प्रदान किये गए अनुदान का ब्यौरा।

परिशिष्ट-I

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय, राज्य, राज्य निजी विश्वविद्यालय, संस्थान जिन्हें राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है एवं सम विश्वविद्यालयों के समान संस्थानों की राज्यवार सूची।

[illegible]ीय विश्वविद्यालय		
क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
	आन्ध्र प्रदेश	
01	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1998
02	दी इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्युजेस यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1973 (केन्द्रीय वि0वि0 2007 से प्रभावी)
03	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1974
	अरूणाचल प्रदेश	
04	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	1985 (केन्द्रीय वि0वि0 2007 से प्रभावी)
	असम	
05	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर	1994
06	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर	1994
	बिहार	
07	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना	2009
08	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर	2010
	छत्तीसगढ़	
09	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	1983 (केन्द्रीय वि0वि0 2009 से प्रभावी)
	गुजरात	
10	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गाँधीनगर	2009
	हरियाणा	
11	सेन्ट्रल युनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुड़गाँव	2009
	हिमाचल प्रदेश	
12	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश	2009
	जम्मू और कश्मीर	
13	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर	2009
14	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू	2009

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
	झारखण्ड	
15	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, राँची	2009
	कर्नाटक	
16	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा	2009
	केरल	
17	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, त्रिवेन्द्रम	2009
	मध्य प्रदेश	
18	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	1946 (केन्द्रीय वि0वि0 2009 से प्रभावी)
19	दी इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक	2008
	महाराष्ट्र	
20	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1997
	मणिपुर	
21	सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल	1993
22	मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	1980 (केन्द्रीय वि0वि0 2005 से प्रभावी)
	मेघालय	
23	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	1973
	मिजोरम	
24	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आईजौल	2000
	नागालैण्ड	
25	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, नागालैण्ड	1994
	ओड़ीशा	
26	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, कालीघाट	2009
	पंजाब	
27	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिन्डा	2009
	राजस्थान	
28	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	2009
	सिक्किम	
29	सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक	2007
	तमिलनाडु	
30	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तिरूवारूर	2009
31	इन्डियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई	2008
	त्रिपुरा	
32	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	1987 (केन्द्रीय वि0वि0 2007 से प्रभावी)

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्रदान करने का वर्ष
	उत्तर प्रदेश	
33	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	1920
34	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ	1996
35	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	1916
36	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद	1887 (केन्द्रीय वि0वि0 2005 से प्रभावी)
	उत्तराखण्ड	
37	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	1973 (केन्द्रीय वि0वि0 2009 से प्रभावी)
	पश्चिम बंगाल	
38	विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शान्ति निकेतन	1951
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	
39	इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	1985
40	जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	1988
41	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	1969
42	साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सी.आर.एस. लैंग्वेज लैब बिल्डिंग, जे. एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली	2010
43	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली	1922
	पुडुचेरी (संघ शासित प्रदेश)	
44	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी	1985

(ख) राज्य विश्वविद्यालय

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
	आन्ध्र प्रदेश	
1	ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, विशाखापत्तनम	2010
2	आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1964
3	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर	1976
4	अदिकवि नन्या यूनिवर्सिटी, राजामुन्द्री	2007
5	आन्ध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, विजयवाड़ा	1986
6	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम	1926
7	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1982
8	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, एतचेरिया	2010
9	द्रविड़यन यूनिवर्सिटी, कुप्पम	1997
10	जवाहरलाल नेहरू वास्तुशिल्प एवं फाइन आर्टस यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	2009
11	जवाहरलाल नेहरू टेक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	2008
12	जवाहरलाल नेहरू टेक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1972
13	जवाहरलाल नेहरू टेक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा	2009
14	काकतीया यूनिवर्सिटी, वारंगल	1976
15	कृष्णा यूनिवर्सिटी, मछलीपट्टनम	2009
16	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, नलगोण्डा	2007
17	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्ट्डीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1999
18	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1918
19	पालामुरू यूनिवर्सिटी, महबूब नगर	2009
20	पोट्टी श्रीरामुलू तेलगू युनिवर्सिटी, हैदराबाद	1985
21	रायलसीमा यूनिवर्सिटी, करनूल	2009
22	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेकनॉलाजी, गचीबोली, हैदराबाद	2011
23	सतवाहन यूनिवर्सिटी, करीमनगर	2010
24	श्री कृष्णादेवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तापुर	1981
25.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति	1983
26	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरूपति	1954
27	श्री वेंकटेश्वरा वेदिक यूनिवर्सिटी, तिरूपति	2007
28	श्री वेंकटेश्वरा वैटेरीनरी यूनिवर्सिटी, तिरूपति	2007
29	श्री वेंकटेश्वरा इस्टीटयूट ऑफ मेडीकल साइंसेज, तिरूपति	2011
30	तेलंगना यूनिवर्सिटी, निजामाबाद	2007
31	विक्रम सिम्हापुरी यूनिवर्सिटी, नेल्लोर	2009
32	योगी वेमाना यूनिवर्सिटी, कदप्पा	2007
	असम	
33	असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोरहट	1968

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
34	असम राजीव गांधी युनिवर्सिटी आफ कोपरेटिव मेनेजमेंट,शिवसागर, गुवाहाटी	2011
35	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रुगढ़	1965
36	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	1948
37	कृष्णकान्त हैन्डीक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	2007
	बिहार	
38	आर्यभट्ट नालेज यूनिवर्सिटी, पटना	2011
39	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	1952
40	भूपेन्द्र नारायन मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपूरा	1993
41	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना	2006
42	जय प्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा	1995
43	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	1961
44	ललित नारायन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	1972
45	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया	1962
46	मौलाना मजहारूल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन यूनिवर्सिटी, पटना	2004
47	नालन्दा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना	1995
48	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	1917
49	राजेन्द्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, समस्तीपुर	1970
50	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	1960
51	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	1994
	छत्तीसगढ़	
52	आयुष एवं हेल्थ सांइसिज यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर	2010
53	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	2009
54	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द टेक्निकल, यूनिवर्सिटी, भिलाई	2005
55	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर	2003
56	इन्दिरा गाँधी कृषि यूनिवर्सिटी, रायपुर	1987
57	इन्दिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी, खैरागढ़	1956
58	कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर	2005
59	पं. रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर	1964
60	पं. सुन्दरलाल शर्मा (ओपन) यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़	2005
61	सरगूजा यूनिवर्सिटी, अम्बिकापुर	2009
	गोवा	
62	गोवा यूनिवर्सिटी, गोबा	1985
	गुजरात	
63	आनन्द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आनन्द	2009
64	भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	1978
65	सेंटर फॉर एनवार्यमेन्टल प्लानिंग एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2006

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
66	धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, नाडियाड	2005
67	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदनगर	1995
68	गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बनसकाँथा	1950
69	गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर	1968
70	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गाँधीनगर	2006
71	गुजरात टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2007
72	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	1972
73	गुजरात फोरेन्सिक साईंस यूनिवर्सिटी, गाँधीनगर	2011
74	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	1986
75	क्रान्तिगुरू श्यामजी वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, कच्छ	2003
76	महाराजा सायाजीरॉव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा, वडोढ़रा	1949
77	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर	1955
78	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	1955
79	श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, जूनागढ़	2005
80	वीर नारमाद गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	1965
	हरियाणा	
81	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, सोनीपत	2007
82	चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार	1970
83	चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	1995
84	दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरूथल	2009
85	गुरू जम्भेश्वर यूनिविर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, हिसार	2003
86	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र	1956
87	लाला लाजपत राय यूनिविर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, हिसार	2011
88	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	1976
89	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज, रोहतक	2009
90	वाईएमसीए यूनिविर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, फरीदाबाद	2011
	हिमाचल प्रदेश	
91	डॉ. वाई0एस0 परमार युनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्टरी यूनिवर्सिटी, नौनी	1986
92	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	1970

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
93	हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर	1978
94	हिमाचल प्रदेश टेकनीकल यूनिवर्सिटी, पालमपुर	2011
	जम्मू और कश्मीर	
95	बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जम्मू	2004
96	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, पुलवामा	2006
97	शेर–ए–कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एण्ड टैक्नोलॉजी, श्रीनगर	1982
98	श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जम्मू	2004
99	यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर	1949
100	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मूतवी	1969
	झारखण्ड	
101	बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राँची	1980
102	कोल्हन यूनिवर्सिटी, चाइबासा	2009
103	नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, पलामू	2009
104	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज इन लॉ, रांची	2011
105	राँची यूनिवर्सिटी, राँची	1960
106	सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, दुमका	1992
107	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	1993
	कर्नाटक	
108	बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु	1964
109	दावनगिरी यूनिवर्सिटी, दावनगिरी	2009
110	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा	1980
111	कनाडा यूनिवर्सिटी, कमालपुरा	1992
112	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	1949
113	कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी, बैंगलोर	2011
114	केएसजीएच म्यूजिक एण्ड परर्फामिंग आर्टस यूनिवर्सिटी, मैसूर	2011
115	कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, हुबली	2009
116	कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर	1996
117	कर्नाटक स्टेट वुमेन यूनिवर्सिटी, बीजापुर	2003
118	कर्नाटक वेट्रिनेरी, एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसिज यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, बीदर	2004
119	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शंकरघट्टा	1987

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
120	मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मैंगलोर	1980
121	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर	1992
122	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, बैंगलोर	1994
123	रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी, बेलागावी	2011
124	टुमकुर यूनिवर्सिटी, टुमकुर	2005
125	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर	1916
126	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बेंगलुरु	1964
127	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, धारवाड	1986
128	विश्वेश्वरैया टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगाम	1999
129	विजयनगर श्रीकृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, बेल्लारी	2011
	केरल	
130	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	1968
131	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्वी	1971
132	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर	1997
133	केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, थ्रीसूर	1972
134	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूवन्नथापुरम	1937
135	केरल यूनिवर्सिटी, आफ फिशरीज एण्ड ओशन स्टडीज, कोच्वी	2011
136	केरल यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ सांसेज, थ्रिसूर	2011
137	केरल यूनिवर्सिटी, आफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, वायनाड	2011
138	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम	1983
139	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांसड् लीगल स्टडीज (एन.यू.ए.एल.एस.), कोच्वि	2009
140	श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, कलाडी	1994
	मध्यप्रदेश	
141	अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा	1968
142	बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल	1970
143	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इन्दौर	1964
144	जवाहर लाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी, जबलपुर	1964
145	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	1964
146	एम.जी. ग्रामोदय यूनिवर्सिटी, चित्रकूट	1993
147	एम.पी.भोज (ओपन) यूनिवर्सिटी, भोपाल	1995

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
148	मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	2010
149	महर्षि महेश योगी वेदिक यूनिवर्सिटी, जबलपुर	1998
150	महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन	2009
151	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, भोपाल	1993
152	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल	1999
153	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, भोपाल	2000
154	रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर	1957
155	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	1957
	महाराष्ट्र	
156	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	1958
157	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लोनेरे	1992
158	डॉ0 पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	1969
159	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर	1999
160	कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, रत्नागिरि	2005
161	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर	2002
162	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नासिक	2000
163	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	1968
164	मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, परभानी	1983
165	मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई	1857
166	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	1991
167	पूणे यूनिवर्सिटी, पूणे	1949
168	संत गाडगे बाबा अमरावती युनिवर्सिटी, अमरावती	2005
169	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	1962
170	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई	1951
171	शोलापुर यूनिवर्सिटी, शोलापुर	2004
172	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नादेंड	1995
173	दी राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	2005
174	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक	1990
	ओडीशा	
175	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर	1967
176	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, राउरकेला	2003

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
177	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	1999
178	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कटक	2010
179	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, मयूरभंज, भुबनेश्वर	1999
180	उडीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, भुबनेश्वर	1962
181	रावेनशाह यूनिवर्सिटी, कटक	2006
182	सम्भलपुर यूनिवर्सिटी, सम्भलपुर	1967
183	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	1981
184	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुबनेश्वर	1943
185	उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर, भुबनेश्वर	1999
186	वीर सुरेन्द्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सम्बलपुर	2009
	पंजाब	
187	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिक्ल साइंसेज, फरीदकोट	2002
188	गुरू अंगददेव वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना	2006
189	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	1969
190	पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना	1962
191	पंजाब टैक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर	1998
192	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	1962
193	दी राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला	2006
	राजस्थान	
194	जय नारायन ब्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	1962
195	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, जयपुर	2008
196	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, उदयपुर	2000
197	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	1987
198	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	1962
199	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर	2003
200	राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बीकानेर	1987
201	राजस्थान आयूर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	2003
202	राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा	2008
203	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	1947
204	महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर	2003
205	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जयपुर	2006
206	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा	1987
207	यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा	2003
	तमिलनाडु	
208	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुडी	1985
209	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1978
210	अन्ना यूनिवर्सिटी, त्रियुरापल्ली	2008
211	अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई	2010

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
212	अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर	2008
213	अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मदुरई	2010
214	अन्ना यूनिवर्सिटी, ऑफ टेक्नोलॉजी, त्रिचुरापल्ली	2011
215	अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर	1929
216	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	1982
217	भारथीदासन यूनिवर्सिटी, त्रिचुरापल्ली	1982
218	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	2005
219	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	1965
220	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेल्ली	1992
221	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोदाईकनाल	1984
222	पेरियार यूनिवर्सिटी, सेलम	1998
223	तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1969
224	तमिल यूनिवर्सिटी, थंजावुर	1969
225	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	1971
226	तमिलनाडु डॉ0 अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1998
227	तमिलनाडु डॉ0 एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1989
228	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, चेन्नई	2009
229	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, चेन्नई	2009
230	तमिलनाडु वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1990
231	थ्रिवल्लुवर यूनिवर्सिटी, वेल्लोर	2003
	उत्तर प्रदेश	
232	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	1965
233	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, कानपुर	1974
234	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर	1965
235	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	1957
236	डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	2005
237	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	1927
238	डॉ0 राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2007
239	डॉ0 शकुन्तला मिश्रा उ0प्र0 विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ	2009
240	गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी , ग्रेटर नोएडा	2009
241	गौतम बुद्ध टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा	2001
242	किंग जार्जस मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2003
243	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	1975
244	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	1974
245	महामाया टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, नोएडा	2011
246	मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी–फारसी यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2011
247	नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, फैजाबाद	1974

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
248	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1958
249	सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, मेरठ	2006
250	यूनिवर्सिटी ऑफ बुन्देलखण्ड, बुन्देलखण्ड	1975
251	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ	1921
252	यू.पी. किंग जार्जस यूनिवर्सिटी ऑफ डेन्टल साइंस, लखनऊ	2001
253	यू.पी. राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद	2004
254	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	1987
	उत्तराखण्ड	
255	दून यूनिवर्सिटी, देहरादून	2006
256	जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टेक्नोलॉजी, पंतनगर	1960
257	कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	1973
258	उत्तराखण्ड ओपन यूनिवर्सिटी, नैनीताल	2011
259	उत्तराखण्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरिद्वार	2006
260	उत्तराखण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देहरादून	2008
	पश्चिम बंगाल	
261	आलिया यूनिवर्सिटी, कोलकाता	2008
262	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, नाडियाड	1974
263	गौर बंग यूनिवर्सिटी, मालदा	2008
264	जाधवपूर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1955
265	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1997
266	प्रेजीडेंसी यूनिवर्सिटी, कोलकाता	2011
267	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1962
268	सिद्धो कान्हो बिरसा यूनिवर्सिटी, कोलकाता	2010
269	दी बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, हावड़ा	2004
270	दी वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, कोलकाता	2004
271	दी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कोलकाता	2004
272	यूनिवर्सिटी ऑफ वर्द्धमान, वर्द्धमान	1960
273	यूनिवर्सिटी ऑफ कलकता, कोलकाता	1857
274	यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, कल्याणी	1960
275	यूनिवर्सिटी ऑफ नार्थ बंगाल, दार्जलिंग	1962
276	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूच बिहार	2001
277	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	1981
278	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज, कोलकाता	1995

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
279	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, कोलकाता	2001
280	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलकाता	2008
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
281	भारत रत्न बी. आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, द्वारका	2009
282	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद, दौलतपुर	2010
283	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रपस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	1998
284	इन्द्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द्वारका	2009
285	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका	2009
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़	
286	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	1947

(ग) राज्य निजी विश्वविद्यालय

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
	असम	
1	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, अजारा	2009
2	असम डॉउन टाउन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	2011
	छत्तीसगढ़	
3	डॉ0 सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	2009
4	आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, धामधा, दुर्ग (डीटी)	2011
5	मैट्स (एम.ए.टी.एस.) यूनिवर्सिटी, रायपुर (डीटी)	2009
6	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, बिलासपुर	2009
	गुजरात	
7	अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2010
8	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छंगा	2009
9	केलार्क्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2009
10	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी, गाँधीनगर	2004
11	गणपत यूनिवर्सिटी, मेहसाणा	2006
12	कादी सर्व विश्वविद्यालय, गाँधीनगर	2007
13	नवरचना यूनिवर्सिटी, वडोढ़रा	2010
14	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, अहमदाबाद	2004
15	पं0 दीनदयाल पेट्रोलियम युनिवर्सिटी, गाँधीनगर	2007
16	आर0के0 विश्वविद्यालय, कस्तूरबाधाम, राजकोट	2011
17	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय, गोपाल विदयानगर, सूरत (डीटी)	2011
	हरियाणा	
18	एमिटी यूनिवर्सिटी, मानेसर, गुड़गाँव	2010
19	एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, सोहना, गुड़गाँव	2010
20	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, गुड़गाँव	2009
21	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, सादोपुर, अम्बाला (डीटी)	2011
22	एनआईआईआईएलएम विश्वविद्यालय,,कैथल	2011
23	ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत	2009
	हिमाचल प्रदेश	
24	अरनी यूनिवर्सिटी, काठगढ़	2009
25	बड्डी यूनिवर्सिटी इमर्जिंग साइंसिज एण्ड टैक्नोलॉजी, बड्डी	2009
26	बरहा विश्वविद्यालय, वाकनाधाट, सोलन (डीटी)	2011
27	चितकारा यूनिवर्सिटी, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला)	2009
28	एटरनल यूनिवर्सिटी, सिरमौर	2009
29	इण्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बाथू, जिला ऊना (डीटी)	2010
30	आईसीएफएआई, यूनिवर्सिटी, कालूजिहिन्दा, सोलन (डीटी)	2009
31	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, जिला सोलन (डीटी)	2002
32	महर्षि मरकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, जिला सोलन	2010
33	मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन	2009

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
34	शूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट साइंसिज, सोलन	2009
35	श्री साईं यूनिवर्सिटी, पालमपुर	2011
	झारखण्ड	
36	दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), राँची	2009
	कर्नाटक	
37	अलाएन्स यूनिवर्सिटी, बंगलूरू	2010
38	अजीम प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, दोधकनेली, बंगलूरू	2011
	मध्य प्रदेश	
39	एमिटी यूनिवर्सिटी, महाराजपुर डांग,ग्वालियर	2011
40	एआईएसईसीटी यूनिवर्सिटी, भोपाल	2011
41	आईटीएम यूनिवर्सिट,, ग्वालियर	2011
42	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, राघोगढ़, जिला गुना	2010
43	ओरियेन्टल यूनिवर्सिटी, विजयनगर, पी0ओ0, इंदौर	2011
44	पीपूल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल	2011
45	आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, भोपाल	2011
	मेघालय	
46	सी.एम.जे. यूनिवर्सिटी, शिलांग	2010
47	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, टूरा	2010
48	मार्टिन लूथर क्रिश्चयन यूनिवर्सिटी, शिलांग	2009
49	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग	2009
50	दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), टूरा	2009
51	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय	2009
52	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट,लैतुमखराह, शिलांग	2011
53	विलियम कैरे यूनिवर्सिटी, जाराम विला, शिलांग	2011
	मिजोरम	
54	दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आईसीएफएआई.), आइज़ोल	2009
	नागालैण्ड	
55	दी ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा	2009
56	दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आईसीएफएआई), दीमापुर	2009
	ओडीशा	
57	सेंटूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, पारालखमुण्डी, गाजापट्टी	2010
	पंजाब	
58	चितकारा यूनिवर्सिटी, झांसला, जिला पटियाला	2010
59	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कपूरथला	2006
60	श्री गुरू ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, फतेहगढ साहिब, चण्डीगढ	2011

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
	राजस्थान	
61	एमिटी यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
62	भगवन्त यूनिवर्सिटी, अजमेर	2008
63	डॉ0 के. एन. मोदी यूनिवर्सिटी, नेवाई, जिला टोंक	2010
64	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, सांगानेर, जयपुर	2011
65	आईसीएफएआई, यूनिवर्सिटी, गांव जामडोली, जयपुर	2011
66	जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
67	जे0 के0 लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी महापुर, पी0 ओ0 जयपुर	2011
68	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
69	जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जोधपुर	2009
70	ज्योति विद्यापीठ वीमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर	2008
71	महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
72	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, सीतापुर, जयपुर	2011
73	मनीपाल यूनिवर्सिटी, पोस्ट थिकारा, जयपुर	2011
74	मेवाड़ यूनिवर्सिटी, चितौड़गढ़	2008
75	एन.आई.एम.एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर	2008
76	पेशिफिक अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच.इ.आर.), उदयपुर	2010
77	प्रताप यूनिवर्सिटी, आमेर, जयपुर	2011
78	राफेल्स यूनिवर्सिटी, जैपनीज जोन, नीमराना	2011
79	श्रीधर यूनिवर्सिटी, पिलानी	2010
80	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला यूनिवर्सिटी, झूँझुनूं	2009
81	सर पदमपत सिंहानिया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	2009
82	सिंहानिया यूनिवर्सिटी, झूँझुनूं	2008
83	सनराईज यूनिवर्सिटी, रामगढ, अलवर	2011
84	सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
	सिक्किम	
85	इस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट, जोरेथांग	2007
86	दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), सिक्किम	2009
87	सिक्किम मनीपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिक्ल एण्ड टेक्नोलॉजिकल सांइसिज, गंगटोक	1998
88	विनायक मिशन्स सिक्किम यूनिवर्सिटी, ईस्ट सिक्किम	2009
	त्रिपुरा	
89	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला	2006
	उत्तर प्रदेश	
90	एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा	2009
91	बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2010
92	गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा	2011

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्रदान करने का वर्ष
93	जी.एल.ए. यूनिवर्सिटी, मथुरा	2010
94	आई.एफ.टी.एम. यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद	2010
95	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2004
96	इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली	2010
97	जगतगुरू रामभद्राचार्य हैण्डीकेप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट	2002
98	मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	2009
99	मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर	2009
100	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नोएडा	2010
101	शारदा यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्ध नगर	2009
102	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, नोएडा	2011
103	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, गजरौला, जे0 पी0 नगर	2011
104	तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद	2008
105	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ	2008
	उत्तराखण्ड	
106	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार	2005
107	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, बेल रोड, क्लेमेंट हाउस, देहरादून	2011
108	हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई), देहरादून	2009
109	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्टस ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), देहरादून	2005
110	यूनिवर्सिटी ऑफ पंतजलि, हरिद्वार	2009
111	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, देहरादून	2004

(घ) राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थान

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
	आन्ध्र प्रदेश	
1	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज	1990
	बिहार	
2	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1992
	जम्मू और कश्मीर	
3	शेरे–कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990
	उत्तर प्रदेश	
4	संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	1983

(ङ) सम विश्वविद्यालय संस्थान

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
	आन्ध्र प्रदेश	
1	गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), विशाखापट्टनम	2007
2	आई.सी.एफ.ए.आई. फाउंडेशन फॉर हॉयर एजूकेशन, हैदराबाद	2008
3	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, हैदराबाद	2001
4	कोनेरू लक्ष्मैया एजूकेशन फाउंडेशन, गुंटूर	2009
5	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	1987
6	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशातिनिलयम, अनन्तापुर	1981
7	विगनांस फाउंडेशन फॉर साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, गुंटूर	2008
	अरूणाचल प्रदेश	
8	नार्थ इर्स्टन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ईटानगर	2005
	बिहार	
9	बिहार योगभारती, मुंगेर	2000
10	नव नालान्दा महाविहार, नालान्दा	2006
	चण्डीगढ़	
11	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ़	2003
	गुजरात	
12	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1963
13	सुमनदीप विद्यापीठ, पिपरिया, वडोदरा	2007
	हरियाणा	
14	लिंगया यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद	2009
15	महर्षि मार्कण्डेश्वर, अम्बाला	2007
16	मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद	2008
17	नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुड़गाँव	2002
18	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कर्नाल	1989
	झारखण्ड	
19	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, मिसरा, राँची	1986
20	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	1968
	कर्नाटक	
21	बी.एल.डी.ई. यूनिवर्सिटी, बीजापुर	2008
22	क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बंगलोर	2008
23	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलोर	1985
24	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, बंगलोर	2005
25	जैन यूनिवर्सिटी, बंगलोर	2008
26	जगतगुरू श्री शिवाराथ्रिश्वरा यूनिवर्सिटी, मैसूर	2008
27	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बंगलोर	2002

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
28	के.एल.ई. अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बेलगाम	2006
29	मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, मनीपाल	1993
30	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो सांइसेज, बंगलोर	1994
31	एन.आई.टी.टी.ई. यूनिवर्सिटी, मंगलोर	2008
32	श्री देवराज अर्स अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, कोलार	2007
33	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, जिला टुमकुर	2008
34	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बंगलोर	2002
35	येनपोया यूनिवर्सिटी, मंगलोर	2008
	केरल	
36	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस सांइस एण्ड टैक्नोलॉजी, तिरूअनन्तापुरम	2008
37	केरल कलामण्डलम, चेरूथुरूथि	2006
	मध्य प्रदेश	
38	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर	2001
39	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, ग्वालियर	1995
40	पं0 द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टियूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजायन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर	2009
	महाराष्ट्र	
41	भारती विद्यापीठ, पुणे	1996
42	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ एजूकेशन, मुम्बई	1989
43	डी. वाई. पाटिल एजूकेशनल सोसायटी, कोल्हापुर	2005
44	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नागपुर	2005
45	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे	1990
46	डॉ0 डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे	2003
47	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स, पुणे	1993
48	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुम्बई	2005
49	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुम्बई	1996
50	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टैक्नोलॉजी, पूणे	1999
51	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टैक्नोलॉजी, मुम्बई	2008
52	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसिज़, मुम्बई	1985
53	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, सतारा	2005
54	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, नवी मुम्बई	2006
55	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुम्बई	2003
56	पदमश्री डॉ0 डी.वाई पाटिल विद्यापीठ, मुम्बई	2002
57	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अहमदनगर	2003
58	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल एजूकेशन सेंटर, पुणे	2002
59	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई	2002
60	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज, मुम्बई	1964

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
61	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	1987
	ओडीशा	
62	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	2002
63	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर	2007
	पंजाब	
64	संत लौंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एस.एल.आई.ई.टी.), संगरूर	2007
65	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, पटियाला	1985
	राजस्थान	
66	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	1983
67	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी	1964
68	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजूकेशन, सरदार शहर, जिला चूरू	2002
69	आई.आई.एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
70	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लॉडनू	1991
71	जर्नाधन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	1987
72	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, उदयपुर	2006
73	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च, लक्ष्मनगढ़, जिला सीकर	2004
	तमिलनाडु	
74	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, चेन्नई	2007
75	अमृत विश्व विद्यापीठम्, कोयम्बटूर	2003
76	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन, कोयम्बटूर	1988
77	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई	2002
78	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2008
79	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई	2006
80	चेतिनद अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजूकेशन (के.ए.आर.ई.), कॉंचीपुरम	2008
81	डॉ० एम.जी.आर. एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई	2003
82	गॉंधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट	1976
83	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस (हिट्स), कॉंचीपुरम	2008
84	कलाशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एचड हायर एजूकेशन, श्रीविलिपुत्तूर	1988
85	करपागम आकदमी ऑफ हायर एजूकेशन, कोयम्बटूर	2008
86	कारूण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कोयम्बटूर	2004
87	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई	2004
88	नूरूल इस्लाम सेंटर फार हायर एजूकेशन, कन्याकुमारी	2008
89	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, थंजावुर	2007

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
90	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, थंजावुर	2008
91	राजीव गाँधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरेम्बुदूर	2008
92	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2002
93	सत्यबामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2001
94	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टैक्निकल साइंसेज, चेन्नई	2005
95	षनमुगा आर्टस साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी, थंजावुर	2001
96	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, काँचीपुरम	1993
97	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई	1994
98	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई	2008
99	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, वेल्लोर	2001
100	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स्ड स्टडीज, चेन्नई	2008
101	वेलटेक रंगाराजन डॉ० शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2008
102	विनायक मिशन्स रिसर्च फाउन्डेशन, सलेम	2001
	उत्तर प्रदेश	
103	भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ	2001
104	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्टडीज, वाराणसी	1995
105	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	2009
106	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, इलाहाबाद	1996
107	इंडियर वेट्निेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर	1989
108	जे.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, नोयडा	2005
109	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	2005
110	सैम हिग्निबोटम इंस्ट्यूिट ऑफ एग्रीकल्वर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसिज, इलाहाबाद	1990
111	सोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, मेरठ	2003
112	संतोष यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद	1993
	उत्तराखण्ड	
113	ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी, देहरादून	2008
114	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	1991
115	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1962
116	एच.आई.एच.टी. यूनिवर्सिटी, देहरादून	2007
	पश्चिम बंगाल	
117	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, जिला हावड़ा	2005
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
118	इंडियन एग्रीकल्वरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, नई दिल्ली	1958

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
119	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	2002
120	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली	2004
121	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी साइंसिज, नई दिल्ली	2009
122	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली	1989
123	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंसर्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, जनपथ, नई दिल्ली	1989
124	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली	2006
125	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जनकपुरी, नई दिल्ली	2002
126	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, इन्द्रप्रस्था स्टेट, नई दिल्ली	1979
127	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	1987
128	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवान्सड स्टडीज, लोदी रोड, नई दिल्ली	1999
	पुदुचेरी (संघ शासित प्रदेश)	
129	श्री बालाजी विद्यापीठ, पिल्लैयार्कक्कुप्पम	2008

परिशिष्ट-II

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं:

क	राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालय
क्र. सं.	**विश्वविद्यालय का नाम**
	आन्ध्र प्रदेश
01	आन्ध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज़, विजयवाड़ा
02	आदिकवि नन्नैया यूनिवर्सिटी, राजमुन्दरी
03	ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, विशाखापत्तनम
04	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, श्रीकाकुलम
05	जवाहर लाल नेहरू आर्किटेक्चर एण्ड फाइन आर्ट्स युनिवर्सिटी, हैदराबाद
06	कृष्णा यूनिवर्सिटी, मछलीपट्टनम
07	महात्मा गाँधी युनिवर्सिटी, नालगौंडा (पूर्व में नालगौंडा विश्वविद्यालय)
08	पलामुरू यूनिवर्सिटी, महबूब नगर
09	राजीव गाँधी युनिवर्सिटी, ऑफ नालेज टेक्नालाजी, हैदराबाद
10	रायलसीमा यूनिवर्सिटी, कुरुनूल
11	सातवाहन यूनिवर्सिटी, करीमनगर
12	श्री वेंकटेश्वरा वेट्नेरी यूनिवर्सिटी, तिरूपति
13	श्री वेंकटेश्वरा वैदिक यूनिवर्सिटी, तिरूपति
14	विक्रमसिम्हापुरी यूनिवर्सिटी, नेल्लौर
	असम
15	असम राजीव गाँधी युनिवर्सिटी, आफ कोपरेटिव मेनेजमेंट, गुवाहाटी
16	कृष्णकान्त हैंडीक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, दिसपुर
	बिहार
17	आर्यभटट् नालेज यूनिवर्सिटी, पटना
18	मौलाना मज़हारूल हक अरेबिक एण्ड पर्सियन यूनिवर्सिटी, पटना
19	नालन्दा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना
	छत्तीसगढ़
20	आयुष एण्ड हेल्थ साइंसिज यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर
21	बस्तर विश्वविद्यालय जगदालपुर, जिला बस्तर

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
22	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई
23	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर
24	पं0 सुन्दरलाल शर्मा (ओपन) यूनिवर्सिटी, बिलासपुर
25	सरगूजा यूनिवर्सिटी, अम्बिकापुर
गुजरात	
26	आनन्द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आनन्द
27	सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
28	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
29	गुजरात फोरेन्सिक सांईस यूनिवर्सिटी,गांधीनगर
30	गुजरात टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
31	क्रान्ति गुरू श्यामजी कृष्णकच्छ यूनिवर्सिटी, भुज, कच्छ
32	श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, जूनागढ़
हरियाणा	
33	वाईएमसीए यूनिवर्सिटी आफ सांईस एण्ड टैक्नोलॉजी, फरीदाबाद
34	लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी आफ वेटेनरी एण्ड एनीमल सांईस,हिसार
हिमाचल प्रदेश	
35	हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हमीरपुर
जम्मू और कश्मीर	
36	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, पुलवामा
झारखण्ड	
37	कोल्हन यूनिवर्सिटी, चाइबासा
38	नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, पलामू
39	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एण्ड रिर्सच इन लॉ, बीआईटी मेसरा, रांची
कर्नाटक	
40	कर्नाटक वेट्निेरी एनीमल एण्ड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी, बीदर
41	कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, हुबली
42	कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर
43	कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी, बेंगलूरू
44	केएसजीएच म्यूजिक एण्ड परफारमिंग आर्टस यूनिवर्सिटी,मैसूर
45	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बंगलोर
46	रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी, विदयासंगम, बेलागावी
47	विश्वेश्वरैया टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगाँव
48	विजयनगर श्री कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, बेल्लारी

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
	केरल
49	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज(एन.यू.ए.एल.एस.), कोच्चि
50	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एण्ड ओशन स्टडीज, कोच्ची
51	केरल वेटेनरी एण्ड एनीमल सांईसेज यूनिवर्सिटी,वायनाड
52	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ सांईसेज, थ्रिसूर
	मध्य प्रदेश
53	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर
54	माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, भोपाल
55	महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन
56	मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
	महाराष्ट्र
57	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर
58	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपरु
59	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नासिक
60	सोलापुर यूनिवर्सिटी, सोलापुर
	ओडीशा
61	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, राउरकेला
62	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कटक
63	उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर, भुवनेश्वर
64	वीर सुरेन्द्र साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सम्बलपुर
	पंजाब
65	पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर
	राजस्थान
66	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, उदयपुर
67	राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर
68	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, जयपुर
69	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जयपुर
70	महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर
71	राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा
72	यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा
	तमिलनाडु
73	अन्ना यूनिवर्सिटी, ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरूचिरापल्ली
74	अन्ना यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
75	अन्ना यूनिवर्सिटी, तिरूनेवेली
76	अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मदुरई
77	अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई
78	तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, चेन्नई
79	तिरूवेल्लुवर यूनिवर्सिटी, वेल्लोर
80	तमिलनाडु फिजिकल एजूकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, चेन्नई
81	तमिलनाडु टीचर एजूकेशन यूनिवर्सिटी, चेन्नई
उत्तर प्रदेश	
82	डॉ0 शकुन्तला मिश्रा, उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ
83	गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा
84	किंग जार्जस मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
85	महामाया टैक्निकल यूनिवर्सिटी, नोएडा
86	सरदार वल्लभभाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, मेरठ
87	यू.पी. किंग जार्जस यूनिवर्सिटी ऑफ डेन्टल साइंस, लखनऊ
88	यू.पी. राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद
89	मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी–फारसी यूनिवर्सिटी, लखनऊ
90	गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
उत्तराखण्ड	
91	उत्तराखण्ड ओपन यूनिवर्सिटी, हल्दवानी
92	उत्तराखण्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरिद्वार
93	उत्तराखण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देहरादून
पश्चिम बंगाल	
94	आलिया यूनिवर्सिटी, कोलकाता
95	गौर बंग यूनिवर्सिटी, मालदा
96	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता
97	सिद्धो कान्हो बिरसा यूनिवर्सिटी, कोलकाता
98	दी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कोलकाता
99	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूच विहार
100	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज, कोलकाता
101	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलकाता
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
102	भारत रत्न डॉ0 बी. आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, द्वारका
103	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बवाना रोड, दिल्ली
104	इन्द्रप्रस्था इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द्वारका

ख.	राज्य निजी विश्वविद्यालय
क्र. सं.	**राज्य/विश्वविद्यालय**
	असम
1	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, अजारा
2	असम डॉउन टॉउन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी
	छत्तीसगढ़
3	डॉ0 सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर
4	आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, धामधा, दुर्ग
5	मैट्स (एम.ए.टी.एस.) यूनिवर्सिटी, रायपुर
6	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, बिलासपुर
	गुजरात
7	अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
8	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छंगा
9	केलार्क्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
10	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी, गाँधीनगर
11	गणपत यूनिवर्सिटी, मेहसाणा
12	कादी सर्व विश्वविद्यालय, गाँधीनगर
13	नवरचना यूनिवर्सिटी, वडोढ़रा
14	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, अहमदाबाद
15	पं0 दीनदयाल पेट्रोलियम युनिवर्सिटी, गाँधीनगर
16	आर0 के0 विश्वविद्यालय, कस्तूरबाधाम, राजकोट
17	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय, गोपाल विदयानगर, सूरत (डीटी)
	हरियाणा
18	एमिटी यूनिवर्सिटी, मानेसर, गुड़गाँव
19	एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, सोहना, गुड़गाँव
20	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, गुड़गाँव
21	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, सादोपुर, अम्बाला (डीटी)
22	एनआईआईआईएलएम विश्वविद्यालय, कैथल
23	ओ. पी. जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत
	हिमाचल प्रदेश
24	अरनी यूनिवर्सिटी, काठगढ़
25	बददी यूनिवर्सिटी इमर्जिंग साइंसिज एण्ड टैक्नोलॉजी, बददी
26	बरहा विश्वविद्यालय, वाकनाधाट, सोलन (डीटी)
27	चितकारा यूनिवर्सिटी, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला)

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय
28	एटरनल यूनिवर्सिटी, सिरमौर
29	इण्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बाथू, जिला ऊना (डीटी)
30	आईसीएफएआई, यूनिवर्सिटी, कालूजिहिन्दा, सोलन (डीटी)
31	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, जिला सोलन
32	महर्षि मारकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, जिला सोलन
33	मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन
34	शूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट साइंसिज, सोलन
35	श्री साईं यूनिवर्सिटी, पालमपुर
झारखण्ड	
36	दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), राँची
कर्नाटक	
37	अलाएन्स यूनिवर्सिटी, बेंगलूरू
38	अजीम प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, दोधकनेली, बेंगलूरु
मध्य प्रदेश	
39	एमिटी यूनिवर्सिटी, महाराजपुर डाग, ग्वालियर
40	एआईएसईसीटी यूनिवर्सिटी, भोपाल
41	आईटीएम यूनिवर्सिटी, ग्वालियर
42	जे.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, राघोगढ़, जिला गुना
43	ओरियेन्टल यूनिवर्सिटी, विजयनगर, पी. ओ., इंदोर
44	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल
45	आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, भोपाल
मेघालय	
46	सी.एम.जे. यूनिवर्सिटी, शिलांग
47	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, टूरा
48	मार्टिन लूथर क्रिश्चयन यूनिवर्सिटी, शिलांग
49	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग
50	दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), टूरा
51	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय
52	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, लैतुमखराह, शिलांग
53	विलियम कैरे यूनिवर्सिटी,जाराम विला, शिलांग
मिजोरम	
54	दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), आइज़ौल

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय
	नागालैण्ड
55	दी ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा
56	दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), दीमापुर
	ओडीशा
57	सेंटूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, पारालखमुण्डी, गाजापट्टी
	पंजाब
58	चितकारा यूनिवर्सिटी, झांसला, जिला पटियाला
59	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कपूरथला
60	श्री गुरू ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, फतेहगढ साहिब, चण्डीगढ
	राजस्थान
61	एमिटी यूनिवर्सिटी, जयपुर
62	भगवन्त यूनिवर्सिटी, अजमेर
63	डॉ0 के. एन. मोदी यूनिवर्सिटी, नेवाई, जिला टोंक
64	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, सांगानेर, जयपुर
65	आईसीएफएआई, यूनिवर्सिटी, गांव जामडोली, जयपुर
66	जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जयपुर
67	जे0 के0 लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी महापुर, पी0 ओ0 जयपुर
68	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर
69	जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जोधपुर
70	ज्योति विद्यापीठ वीमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर
71	महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी, जयपुर
72	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी,आफ मेडिकल सांईसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, सीतापुर, जयपुर
73	मनीपाल यूनिवर्सिटी, पोस्ट थिकारा, जयपुर
74	मेवाड़ यूनिवर्सिटी, चितौड़गढ़
75	एन.आई.एम.एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर
76	पेसिफिक अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच.इ.आर.), उदयपुर
77	प्रताप यूनिवर्सिटी, आमेर, जयपुर
78	राफेल्स यूनिवर्सिटी, जैपनीज जोन, नीमराना
79	श्रीधर यूनिवर्सिटी, पिलानी
80	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला यूनिवर्सिटी, झूँझुनूं
81	सर पदमपत सिंहानिया यूनिवर्सिटी, उदयपुर
82	सिंहानिया यूनिवर्सिटी, झूँझुनूं

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय
83	सनराईज यूनिवर्सिटी, रामगढ, अलवर
84	सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जयपुर
	सिक्किम
85	इस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट, जोरेथांग
86	दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), सिक्किम
87	सिक्किम मनीपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिक्ल एण्ड टेक्नोलॉजिकल सांइसिज, गंगटोक
88	विनायक मिशन्स सिक्किम यूनिवर्सिटी, ईस्ट सिक्किम
	त्रिपुरा
89	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला
	उत्तर प्रदेश
90	एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा
91	बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, लखनऊ
92	गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा
93	जी.एल.ए. यूनिवर्सिटी, मथुरा
94	आई.एफ.टी.एम. यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद
95	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
96	इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली
97	मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
98	मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर
99	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नोएडा
100	शारदा यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्ध नगर
101	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, नोएडा
102	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, गजरौला, जे0 पी0 नगर
103	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ
104	तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद
	उत्तराखण्ड
105	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार
106	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, बेल रोड, क्लेमेट हाउस, देहरादून
107	हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई), देहरादून
108	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्टस ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), देहरादून
109	यूनिवर्सिटी ऑफ पंतजलि, हरिद्वार
110	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, देहरादून

परिशिष्ट-III

सम्पूर्ण भारत में छात्रों के नामांकन में वृद्धि 1984-85 से 2010-2012 तक

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशतता
1984-85	3404096	96447	2.9
1985-86	3605029	200933	5.9
1986-87	3757158	152129	4.2
1987-88	4020159	263001	7.0
1988-89	4285489	265330	6.6
1989-90	4602680	317191	7.4
1990-91	4924868	322188	7.0
1991-92	5265886	341018	6.9
1992-93	5534966	532939	5.6
1993-94	5817249	282283	5.1
1994-95	6113929	296680	5.1
1995-96	6574005	460076	7.5
1996-97	6842598	268593	4.1
1997-98	7260418	417820	6.1
1998-99	7705520	445102	6.1
1999-2000	8050607	345087	4.5
2000-01	8399443	348836	4.3
2001-02	8964680	565237	6.7
2002-03	9516773	552093	6.2
2003-04	10201981	685208	7.2
2004-05	11038543	836562	8.2
2005-06	12043050	1004507	9.1
2006-07	13163054	1120004	9.3
2007-08	14400381	1237327	9.4
2008-09	15768417	1368036	9.5
2009 -10	17243352	1474935	9.4
2010-11	18670050	1426698	8.3
2011-12*	20327478	1657428	8.9

*अनन्तिम आंकड़े

टिप्पण : वर्ष 2011–2012 के लिए आंकडे, वर्ष 2003–2004 के संशोधित क्रम पर आधरित हैं।
कवरेजः विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से संम्बद्ध नियमित पाठयक्रमों के आंकडें (पालिटेक्निक, अन्य डिप्लोमा प्रदान करनें वाली अन्य उच्चतर शिक्षा की अनौपचारिक प्रणालियों को छोडकर)।

परिशिष्ट-IV

विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में राज्यवार छात्रों के नामांकन* : 2011-2012

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं की प्रतिशतता
1	आंध्र प्रदेश	1998541	797992	39.93
2	अरूणाचल प्रदेश	20254	7431	36.69
3	असम	279243	133461	47.79
4	बिहार	930544	344026	36.97
5	छत्तीसगढ़	386514	143690	37.18
6	दिल्ली	296837	137524	46.33
7	गोवा	27792	16760	60.31
8	गुजरात	1093124	475714	43.52
9	हरियाणा	486569	214727	44.13
10	हिमाचल प्रदेश	144023	73676	51.16
11	जम्मू और कश्मीर	205039	94339	46.01
12	झारखण्ड	431829	166708	38.61
13	कर्नाटक	1009972	462707	45.81
14	केरल	508931	298324	58.62
15	मध्य प्रदेश	1165173	441405	37.88
16	महाराष्ट्र	2413713	1059590	43.90
17	मणिपुर	36958	16144	43.68
18	मेघालय	44006	23849	54.19
19	मिजोरम	15848	7583	47.85
20	नागालैण्ड	24207	11882	49.08
21	ओडीशा	563102	230460	40.93
22	पंजाब	511678	254194	49.68
23	राजस्थान	1244018	479421	38.54
24	सिक्किम	12757	6126	48.02
25	तमिलनाडू	1854740	861494	46.45

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं की प्रतिशतता
26	त्रिपुरा	47440	20068	42.30
27	उत्तर प्रदेश	2911104	1201146	41.26
28	उत्तराखण्ड	302326	302326	40.97
29	पश्चिम बंगाल	1238799	505674	40.82
30	अंडमान निकोबार द्वीप समुह	3637	2123	58.37
31	चण्डीगढ़	67235	33867	50.37
32	दादरा एवं नागर हवेली	2120	996	46.98
33	दमन एवं द्वीप	949	561	59.11
34	लक्षद्वीप	429	175	40.79
35	पुदुचेरी	48027	24744	51.52
	कुल	**20327478**	**8672431**	**42.66**

*अनन्तिम

परिशिष्ट-V

विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में छात्रों का स्तरवार नामांकन* : 2011-2012

क्र. सं.	स्तर	विश्वविद्यालय विभ / विश्वविद्यालय कॉलेज	सम्बद्ध कॉलेज	कुल (कुल जोड़ का प्रतिशत)	सम्बद्ध कॉलेजों में प्रतिशतता
1	स्नातक	1853109	15602420	17455529 (85.87)	89.38
2	स्नातकोत्तर	693864	1798608	2492472 (12.26)	72.16
3	शोध	127780	33092	160872 (0.79)	20.57
4	डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	132620	85985	218605 (1.08)	39.33
	कुल जोड़	2807373	17520105	20327478 (100.00)	86.19

*अनन्तिम

नोट : एम.फिल. एवं पी.एच.डी. शोध सहित।

परिशिष्ट-VI

छात्रों का नामांकन : संकायवार* : 2011-2012

क्र. सं.	संकाय	कुल नामांकन	कुल की प्रतिशतता
1	मानविकी	7539495	37.09
2	विज्ञान	3789967	18.64
3	वाणिज्य / प्रबंधन	3571083	17.57
4	शिक्षा	732627	3.60
5	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी	3261590	16.05
6	औषधि विज्ञान	715706	3.52
7	कृषि विज्ञान	97313	0.48
8	पशु विज्ञान	28504	0.14
9	विधि	373246	1.84
10	अन्य	217947	1.07
	कुल जोड़	20327478	100.00

*अनन्तिम

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषाएँ आदि सम्मिलित है।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैं।

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय में कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि सम्मिलित हैं।

औषधि संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, नर्सिंग, फार्मेसी, सार्वजनिक स्वास्थ्य/समाजिक निवारक दवा, युनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एवं सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

कृषि संकाय में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

पशु चिकित्सा संकाय में मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट–VII

वर्ष 2011–2012 के दौरान कॉलेजों की राज्यवार संख्या एवं 2007–2008 से लेकर 2011–2012 तक कॉलेजों की संख्या में हुई वृद्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित	2007- 2008 (यू.सी.+ए.सी.)	2008- 2009 (यू.सी.+ए.सी.)	2009- 2010 (यू.सी.+ए.सी.)	2010- 2011* (यू.सी.+ए.सी.)	2011- 2012* (यू.सी.+ए.सी.)	वर्ष 2007-2008 से 2011-12 के मध्य हुई वृद्धि
01	आंध्र प्रदेश	3264	3648	3985	4066	4550	1286
02	अरूणाचल प्रदेश	16	16	16	16	17	1
03	असम	455	481	486	507	507	52
04	बिहार	655	671	653	653	706	71
05	छत्तीसगढ	483	508	619	641	681	198
06	गोवा	46	46	54	54	60	14
07	गुजरात	1192	1420	1818	1836	1849	657
08	हरियाणा	634	851	850	902	976	342
09	हिमाचल प्रदेश	241	270	309	344	348	107
10	जम्मू और कश्मीर	253	260	322	322	314	61
11	झारखण्ड	181	188	224	231	231	50
12	कर्नाटक	2436	2765	2924	3078	3370	934
13	केरल	873	947	928	1063	10631	190
14	मध्य प्रदेश	1524	1871	2008	2236	2364	840
15	महाराष्ट्र	3363	3849	4329	4631	4836	1473
16	मणिपुर	74	75	76	76	80	6
17	मेघालय	62	64	64	64	69	7
18	मिजोरम	31	28	28	28	28	-3
19	नागालैण्ड	51	51	54	55	58	7
20	उडीसा	840	840	1076	1100	1117	276
21	पंजाब	502	569	853	852	978	476
22	राजस्थान	1177	1456	2347	2412	2753	1576
23	सिक्किम	11	13	14	15	15	4
24	तमिलनाडु	1297	1337	2204	2267	2410	1113
25	त्रिपुरा	29	32	33	39	40	11
26	उत्तर प्रदेश	2137	2181	3818	3859	4440	2303

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित	2007- 2008 (यू.सी.+ए.सी.)	2008- 2009 (यू.सी.+ए.सी.)	2009- 2010 (यू.सी.+ए.सी.)	2010- 2011* (यू.सी.+ए.सी.)	2011- 2012* (यू.सी.+ए.सी.)	वर्ष 2007-2008 से 2011-12 के मध्य हुई वृद्धि
27	उत्तराखण्ड	260	279	360	360	413	153
28	पश्चिम बंगाल	805	889	841	889	896	91
29	अंडमान निकोबार द्वीप समुह	4	4	6	6	6	2
30	चण्डीगढ़	23	21	25	25	27	4
31	लक्षद्वीप	1	1	3	3	3	2
32	दमन एवं दीव	3	4	3	4	4	1
33	दिल्ली	209	234	240	240	240	31
34	दादरा एवं नागर हवेली	2	3	4	4	4	2
35	पुडुचेरी	73	82	86	86	86	13
	कुल	23208	25954	31660	32964	35539	12331

* अनन्तिम : यू.सी.: यूनिवर्सिटी कॉलेज ए.सी. : एफलिएटेड कॉलेज (संबद्ध कॉलेज)

परिशिष्ट-VIII

वर्ष 2011-2012 के दौरान विश्वविद्यालय विभागों एवं विश्वविद्यालय कॉलेजों** में पद के अनुसार अध्यापन विभाग के सदस्यों की संख्या एवं उनका वितरण

वर्ष	प्रोफेसर*	रीडर/एसोशिएट प्रोफेसर/ व्याख्याता (चयनित ग्रेड)	व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	ट्यूटर/निदर्शक	कुल
2011-2012	27549 (17.45)	39182 (24.81)	18102 (11.46)	64500 (40.85)	8577 (5.43)	157910 (100.00)

* ऐसे प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक सम्मिलित हैं जो कि प्रोफेसरों के समतुल्य हैं।

** अनन्तिम

टिप्पणी : (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकडें कुल कर्मचारियों के कुल कार्यकर्ताओं की तुलना में प्रतिशतता का संकेत करते हैं। (ख) अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/विजिटिंग अध्यापक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता में सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-IX

वर्ष 2011-2012 के दौरान सम्बद्ध कॉलेजों** में - पदानुसार शैक्षणिक स्टॉफ की संख्या एवं उनका वितरण

वर्ष	प्रोफेसर*	रीडर/एसोशिएट प्रो0/व्याख्याता (चयनित ग्रेड)	व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	ट्यूटर/निदर्शक	कुल
2011-2012	54883 (7.07)	172161 (22.19)	90133 (11.62)	438413 (56.51)	20261 (2.61)	775851 (100.00)

* ऐसे प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक सम्मिलित हैं जोकि प्रोफेसरों के समतुल्य हैं।

** अनन्तिम

टिप्पणी : (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकडें कुल कर्मचारियों के कुल कार्यकर्ताओं की तुलना में प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

(ख) अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/विजिटिंग अध्यापक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता में सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-X

वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 के दौरान प्रदान की गयी एम. फिल. एवं डॉक्टरेट (पी.एच.डी.) डिग्रियों की संकायवार संख्या

क्र. सं.	संकाय	2009-2010[#]		2010-2011[#]	
		एम.फिल.	पी.एच.डी.	एम.फिल.	पी.एच.डी.
01	मानविकी	5054	4862	4739	5037
02	विज्ञान	5447	4619	4451	5232
03	वाणिज्य/प्रबंधन	1841	980	1549	1259
04	शिक्षा	458	588	483	645
05	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	8	1449	119	1682
06	औषधि विज्ञान	12	386	47	601
07	कृषि विज्ञान	11	652	75	586
08	पशु विज्ञान	7	162	24	165
09	विधि	25	146	17	220
10	अन्य	879	633	1045	666
	कुल	13743	14477	12549	16093

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषाएँ आदि सम्मिलित हैं।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैं।

औषधि संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, नर्सिंग, फार्मेसी, सार्वजनिक स्वास्थ्य/समाजिक निवारक दवा, युनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एवं सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

नोट : वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के आंकडे क्रमशः 344 विश्वविद्यालयां एवं 400 विश्वविद्यालयों के प्रत्युत्तरों पर आधारित हैं।

परिशिष्ट–XI

संकायवार* : महिला नामांकन : 2011–2012

क्र. सं.	संकाय	महिला नामांकन	महिला नामांकन की कुल प्रतिशतता
01	मानविकी	3634876	41.91
02	विज्ञान	1662128	19.17
03	वाणिज्य / प्रबंधन	1414804	16.31
04	शिक्षा	428660	4.94
05	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी	959105	11.06
06	औषधि विज्ञान	350301	4.04
07	कृषि विज्ञान	24808	0.29
08	पशु विज्ञान	6979	0.08
09	विधि	107825	1.84
10	अन्य	1.24	0.96
	कुल	8672431	100.00

*अनन्तिम

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषाएँ आदि सम्मिलित हैं।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आर्चाय, विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैं।

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय में कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि सम्मिलित हैं।

औषधि संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, नर्सिंग, फार्मेसी, सार्वजनिक स्वास्थ्य/समाजिक निवारक दवा, युनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एवं सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

कृषि संकाय में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

पशु चिकित्सा संकाय में मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-XII

वर्ष 1997-1998 से लेकर 2011-2012 तक महिला कॉलेजों की संख्या

वर्ष	महिला कॉलेजों की संख्या
1997-1998	1260
1998-1999	1359
1999-2000	1503
2000-2001	1578
2001-2002	1756
2002-2003	1824
2003-2004	1871
2004-2005	1977
2005-2006	2071
2006-2007	2208
2007-2008	2360
2008-2009	2565
2009-2010	3612
2010-2011*	3982
2011-2012*	4266

*अनन्तिम एवं महिलाओं के लिए नर्सिंग कॉलेजों सहित।

परिशिष्ट-XIII

वर्ष 2011-2012 के दौरान वि.अ.आ. से योजनागत, गैर-योजनागत एवं निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे समविश्वविद्यालयों की सूची :

	केवल योजनागत अनुदान
01	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली (राजस्थान)
02	**बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी (राजस्थान)
03	**बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, राँची (झारखण्ड)
04	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बत स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी (उ0प्र0)
05	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, सिरूसेरी, (तमिलनाडु) **(एक मुश्त विशिष्ट अनुदान)**
06	डेक्कन कॉलेज पोस्ट-ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, (महाराष्ट्र)
07	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनामिक्स, पूणे, (महाराष्ट्र)
08	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, नई दिल्ली (एक मुश्त विशिष्ट अनुदान)
09	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई, (महाराष्ट्र) **(एक मुश्त विशिष्ट अनुदान)**
10	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लाडनुन (राजस्थान)
11	रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (वेस्ट बंगाल) **(एक मुश्त विशिष्ट अनुदान)**
12	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, अनन्तापुर (आन्ध्र प्रदेश)
13	**तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे (महाराष्ट्र)
14	**थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, पटियाला (पंजाब)
	योजनागत एवं गैर-योजनागत (शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान)
01	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
02	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा (उत्तर प्रदेश)
03	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गाँधीग्राम, (तमिलनाडु)
04	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (गुजरात)
05	**गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तरांचल)
06	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)
07	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली
08	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुम्बई (महाराष्ट्र)
	योजनागत एवं निर्धारित अनुरक्षण अनुदान
01	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली
02	**श्री चन्द्रशेखरेन्द्रा सरस्वती विश्व महाविद्यालय, एनाथर, काँचीपुरम (तमिलनाडु)

** ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था। तथपि, इन विश्वविद्यालयों हेतु कुछ तदर्थ अनुदान संस्वीकृत किया गया था।

परिशिष्ट-XIV

वर्ष 2011-2012 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे दिल्ली में स्थित कॉलेज एवं छात्रावासों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में स्थित कॉलेजों की सूची

क.	वि.अ.आ. द्वारा सहायता प्राप्त दिल्ली कॉलेजों की सूची।
श्रेणी 1:	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेज (वि.अ.आ. द्वारा शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान)
01	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज
02	देशबन्धु कॉलेज (दिवसीय)
03	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)
04	किरोड़ी मल कॉलेज
05	मिरान्डा हाउस
06	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)
श्रेणी 2:	सांध्यकालीन कॉलेज (वि.अ.आ. द्वारा शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जा रहा है।)
07	दयाल सिंह कॉलेज (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
08	रामानुजम कॉलेज (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
09	मोतीलाल नेहरू कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
10	पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (न्यास)
11	रामलाल आनन्द कॉलेज (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
12	शहीद भगत सिंह कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
13	श्याम लाल कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
14	सत्यवती कोएजूकेशनल कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
15	श्री अरबिन्दो कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
16	जाकिर हुसैन कॉलेज (न्यास)
श्रेणी 3:	दिल्ली प्रशासन के अधीनस्थ कॉलेज (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान वि.अ.आ. द्वारा एवं 5 प्रतिशत दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है।)
17	भारती कॉलेज
18	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड कामर्स
19	विवेकानन्द कॉलेज
20	गार्गी कॉलेज
21	कालिन्दी कॉलेज
22	कमला नेहरू कॉलेज
23	लक्ष्मीबाई कॉलेज
24	मैत्रेय कॉलेज
25	मोतीलाल नेहरू कॉलेज (दिवसीय)
26	राजधानी कॉलेज
27	सत्यवती कोएजूकेशनल कॉलेज (दिवसीय)

28	शहीद भगत सिंह कॉलेज* (दिवसीय)
29	शिवाजी कॉलेज*
30	श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वूमेन*
31	श्री अरबिन्दो कॉलेज* (दिवसीय)
32	स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज* ऐसे विस्तारित कॉलेज जिनमें छात्रों का 1000 से अधिक नामांकन हैं, जिन्हें शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान मिल रहा है और छात्र नामांकन 1000 छात्रों से कम होने पर 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त हो रहा है।
श्रेणी 4: न्यास द्वारा प्रबन्धित कॉलेज (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान वि.अ.आ. द्वारा एवं 5 प्रतिशत न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है।)	
33	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
34	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनोमिक्स
35	लेडी इरविन कॉलेज
36	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
38	जाकिर हुसैन कॉलेज (दिवसीय)
39	आत्माराम सतानधर्म कॉलेज*
40	दौलतराम कॉलेज*
41	हंसराज कॉलेज*
42	हिन्दू कॉलेज*
43	इन्द्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वूमेन*
44	जानकी देवी महाविद्यालय*
45	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज*
46	लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन*
47	माता सुन्दरी कॉलेज फॉर वीमेन*
48	पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज* (दिवसीय)
49	रामजस कॉलेज*
50	श्यामलाल कॉलेज* (दिवसीय)
51	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज* (दिवसीय)
52	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज
53	श्री वेंकटेश्वर कॉलेज* ऐसे विस्तारित कॉलेज जिनमें 1000 से अधिक छात्र हैं, जिन्हें शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान मिल रहा है और छात्र नामांकन 1000 छात्रों से कम होने पर 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त हो रहा है।
ख.	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त दिल्ली कॉलेजों के छात्रावासों की सूची।**
01	दौलतराम कॉलेज
02	हंसराज कॉलेज
03	हिन्दू कॉलेज
04	इन्द्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन
05	किरोड़ी मल कॉलेज
06	लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन

07	लेडी इरविन कॉलेज
08	मिरान्डा हाउस
09	रामजस कॉलेज
10	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
11	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
12	जाकिर हुसैन कॉलेज (दिवसीय)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेजों की सूची।	
01	आर्य महिला डिग्री कॉलेज, वाराणसी, यू.पी.
02	डी.ए.वी. डिग्री कॉलेज, वाराणसी, यू.पी.
03	वसन्त कन्या महाविद्यालय, कामच्क्षा, वाराणसी, यू.पी.
04	वसन्ता कॉलेज फॉर वीमेन, राजघाट फोर्ट, वाराणसी, यू.पी.
ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से केवल योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे कॉलेजों की सूची।	
01	आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
02	भगिनी निवेदिता कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
03	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस (दिल्ली प्रशासन)
04	केशव महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
05	शहीद राजगुरू कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वीमेन (दिल्ली प्रशासन)
06	महाराज अग्रसेन कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
07	भीमराव अम्बेडकर कॉलेज
08	दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन
09	दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज
10	अदिती महाविद्यालय
11	सुखदेव कॉलेज फार एपलाईड सांसेज

परिशिष्ट–XV

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार स्वायत्तशासी कॉलेजों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य	स्वायत्तशासी कॉलेजों की संख्या
01	आन्ध्र प्रदेश	72
02	बिहार	01
03	छत्तीसगढ	10
04	गुजरात	01
05	हिमाचल प्रदेश	05
06	जम्मू और कश्मीर	02
07	झारखण्ड	05
08	कर्नाटक	49
09	मध्य प्रदेश	35
10	महाराष्ट्र	23
11	नागालैण्ड	01
12	ओड़ीशा	39
13	पुदुचेरी	02
14	पंजाब	01
15	राजस्थान	04
16	तमिलनाडु	145
17	उत्तराखण्ड	03
18	उत्तर प्रदेश	10
19	पश्चिम बंगाल	06
	कुल	**414**

परिशिष्ट-XVI

वर्ष 2011-2012 के दौरान अकादमिक स्टॉफ कॉलेजों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
आन्ध्र प्रदेश	
1	आन्ध्र यूनिवर्सिटी वाल्टेयर, विशाखापट्टनम
2	यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद
3	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
4	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरूपति
5	जवाहर लाल नेहरू टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
6	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
असम	
7	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गोपीनाथ बारदोलोई नगर, गुवाहाटी
बिहार	
8	बी.आर.ए. बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर, बिहार
9	पटना यूनिवर्सिटी, बारीपत, दरियापुर, पटना
छत्तीसगढ़	
10	पं० रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर
11	गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी, जी.जी.यू. कैम्पस, बिलासपुर
दिल्ली	
12	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली
13	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
14	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
गोवा	
15	गोवा यूनिवर्सिटी, तेलेंगाव, प्लेटेयो, गोवा
गुजरात	
16	गुजरात यूनिवर्सिटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
17	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट
18	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात
हरियाणा	
19	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र
20	बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
21	गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, हिसार
हिमाचल प्रदेश	
22	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला
झारखण्ड	
23	राँची यूनिवर्सिटी, मोराबादी कैम्पस, राँची
जम्मू और कश्मीर	
24	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू
25	यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हजरतबल, श्रीनगर
कर्नाटक	
26	बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु
27	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़
28	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर
केरल	
29	यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, कालीकट
30	यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, करियावट्टम
31	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर
मध्य प्रदेश	
32	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
33	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर
34	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
35	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
महाराष्ट्र	
36	डॉ0 बी.ए. मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद
37	यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई, विद्या नागरी, मुम्बई
38	नागपुर यूनिवर्सिटी, अम्बाविहार, नागपुर
39	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, गनेशखिण्ड, पुणे
40	संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती
मणिपुर	
41	मणिपुर यूनिवर्सिटी, काँचीपुर, इम्फाल
मेघालय	
42	नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग
मिजोरम	
43	मिजोम यूनिवर्सिटी, आइज़ौल

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
	ओडीशा
44	उत्कल यूनिवर्सिटी, वानी विहार, भुवनेश्वर
45	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, ज्योति विहार, सम्बलपुर
	पुदुचेरी
46	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, लॉसपेट, पुडुचेरी
	पंजाब
47	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर
48	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़
49	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला
	राजस्थान
50	जय नारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर
51	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर
52	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर
	तमिलनाडु
53	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर
54	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली
55	यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेपक, चेन्नई
56	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, पलकालाई नगर, मदुराई
	उत्तर प्रदेश
57	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
58	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद
59	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
60	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर
61	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ
	उत्तराखण्ड
62	कुमायूँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल
	पश्चिम बंगाल
63	यूनिवर्सिटी ऑफ वर्द्धमान, वर्द्धमान
64	यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता
65	जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता
66	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, सिलीगुड़ी दार्जलिंग

परिशिष्ट-XVII

वर्ष 2011-2012 के दौरान वि.अ.आ. नेट विषयों की सूची

क्र. सं.	विषय कोड	विषय का नाम
01	01	इकोनोमिक्स
02	02	पॉलिटिकल साइंस
03	03	फिलोसफी
04	04	साइकोलॉजी
05	05	सोसियोलॉजी
06	06	इतिहास
07	07	एन्थ्रोपोलॉजी
08	08	वाणिज्य
09	09	शिक्षाशास्त्र
10	10	सामाजिक कार्य
11	11	डिफेंस एण्ड स्ट्रेटेजिक स्टडीज
12	12	गृह विज्ञान
13	14	लोक प्रशासन
14	15	जनसंख्या अध्ययन
15	16	संगीत
16	17	प्रबंधन
17	18	मैथिली
18	19	बंगला
19	20	हिन्दी
20	21	कन्नड़
21	22	मलयालम
22	23	उडिया
23	24	पंजाबी
24	25	संस्कृत
25	26	तमिल
26	27	तेलुगू
27	28	उर्दू
28	29	अरेबिक
29	30	अंग्रेजी

क्र. सं.	विषय कोड	विषय का नाम
30	31	भाषा विज्ञान
31	32	चीनी
32	33	डोगरी
33	34	नेपाली
34	35	मणिपुरी
35	36	असमिया
36	37	गुजराती
37	38	मराठी
38	39	फ्रेंच
39	40	स्पेनिश
40	41	रूसी
41	42	फारसी
42	43	राजस्थानी
43	44	जर्मन
44	45	जापानी
45	46	प्रौढ़ शिक्षा / अनुवर्ती शिक्षा / एण्ड्रागोगी / अनौपचारिक शिक्षा
46	47	शारीरिक शिक्षा
47	49	अरबी संस्कृति तथा इस्लामिक अध्ययन
48	50	भारतीय संस्कृति
49	55	श्रम कल्याण / कार्मिक प्रबंधन / औद्यौगिक संबंध / श्रम तथा समाज कल्याण / मानव संसाधन प्रबंधन
50	58	विधि शास्त्र
51	59	पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान
52	60	बौद्ध, जैन, गाँधी तथा शांति अध्ययन
53	62	धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन
54	63	जन संचार तथा पत्राचार
55	65	कला प्रदर्शन – नृत्य, नाटक, मंच
56	66	म्यूजियोलॉजी एण्ड कंर्जवेशन
57	67	आर्कियोलॉजी
58	68	अपराध विज्ञान
59	70	जनजातीय तथा प्रादेशिक भाषा / साहित्य
60	71	लोक साहित्य
61	72	तुलनात्मक साहित्य
62.	73	संस्कृत परंपरागत विषय(ज्योतिष / सिद्धांत ज्योतिष / नव्य व्याकरण / व्याकरण / मीमांसा / नव्य न्याय / सांख्य योग / तुलनात्मक दर्शन / शुक्ल यजुर्वेद / मध्व वेदांत / धर्मशास्त्र / साहित्य / पुराण इतिहास / अगम / अद्वैत वेदांत)

क्र. सं.	विषय कोड	विषय का नाम
63	74	महिला अध्ययन
64	79	दृश्य कला (ड्राइंग एण्ड पेंटिंग/ शिल्प/ग्राफिक्स/अप्लाइड आर्ट/कला का इतिहास)
65	80	भूगोल
66	81	सामाजिक चिकित्सा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य
67	82	फॉरेंसिक विज्ञान
68	83	पाली
69	84	कश्मीरी
70	85	कोंकणी
71	87	कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग
72	88	इलेक्ट्रानिक विज्ञान
73	89	पर्यावरण विज्ञान
74	90	अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अध्ययन
75	91	प्राकृत
76	92	मानव अधिकार तथा कर्तव्य
77	93	पर्यटन प्रशासन तथा प्रबंधन
78	94	बोडो

परिशिष्ट–XVIII

सी.एस.आई.आर. एवं वि.अ.आ. नेट संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान विषयों की सूची

क्र.सं.	विषय
01	रासायनिक विज्ञान
02	पृथ्वी, वायुमण्डल, महासागर एवं ग्रह विज्ञान
03	लाइफ साइंसिज
04	गणितीय विज्ञान
05	शारीरिक विज्ञान

परिशिष्ट–XIX

वर्ष 2011–2012 के लिए भारत में वि.अ.आ. नेट परीक्षा केन्द्रों की सूची

केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम
01	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202 002
02	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद–211 002
03	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम–530 003
04	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर–791 112
05	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी–221 005
06	बंगलोर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु–560 056
07	एम.पी.भोज ओपन यूनिवर्सिटी, शिवाजी नगर, भोपाल–462 016
08	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर–760 007
09	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर–641 046
10	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली–620 024
11	न्यूनिवर्सिटी ऑफ वर्द्धमान, वर्द्धमान–713 104
12	यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कोलकाता–700 073
13	यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, कोझीकोड–673 635
14	चौ0 चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ–250 005
15	छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर–208 024
16	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्वी–682 022
17	जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली–110 025
18	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर–452 001
19	डॉ0 बी.एस.ए. मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद–431 004
20	गौहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी–781 014
21	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा–403 203
22	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर–273 009
23	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद–380 009
24	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा–585 106
25	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर–143 005
26	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला–171 005

केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम
27	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू तवी–180 006
28	जय नारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर–342 001
29	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर–474 011
30	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़–580 003
31	यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर–190 006
32	यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, तिरूअनन्तपुरम–695 034
33	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र–132 119
34	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ–226 007
35	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा–390 002
36	यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई–600 005
37	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई–625 021
38	मंगलोर यूनिवर्सिटी, मंगलोर–574 199
39	मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल–795 003
40	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर–313 001
41	यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई–400 032
42	नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर–522 510
43	नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर–440 001
44	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जलिंग–734 430
45	नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग–793 022
46	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500 007
47	पं0 रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर–492 010
48	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़–160 014
49	पटना यूनिवर्सिटी, पटना–800 005
50	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे–411 007
51	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर–302 004
52	राँची यूनिवर्सिटी, राँची–834 008
53	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर–482 001
54	एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर–246 174
55	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर–768 019
56	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र–360 005
57	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरूपति–517 502
58	तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर–812 007
59	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला–799 004
60	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर–751 004
61	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा–282 004
62	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर–305 009
63	मिजोरम यूनिवर्सिटी, मिजोरम, पो0 बाक्स नं0 190, आइज़ौल–796 012
64	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, पो0 बाक्स नं0 341, लुमानी, कोहिमा–797 001

केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम
65	जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह, पोर्ट ब्लेयर–744 104
66	डॉ0 अवधेशप्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा–486 003
67	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर–788 001 असम
68	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ–786 004
69	सिक्किम यूनिवर्सिटी, 6 माइल, सामदुर, पी.ओ. तडोंग–737 102
70	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर–784 028
71	महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर, राजस्थान
72	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक–124 001
73	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला–147 002
74	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, काफोर्ड हाल, मैसूर–570 005

परिशिष्ट-XX

वर्ष 2011-12 के दौरान विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को प्रदान किये गये (प्रमुख शीर्ष-वार) गैर-योजनागत अनुदानों का ब्यौरा

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		ईएमएमआरसी एवं सी.ई.सी.				अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र			
			क्षेत्रक-4				क्षेत्रक - 05			
			पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभ	गैर-वेतन	अनुदान सहायता वेतन	कुल	पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभ	गैर-वेतन	अनुदान सहायता वेतन	कुल
			31	35	36		31	35	36	
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय									
01	अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
02	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
03	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
04	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
05	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
06	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
07	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	मु.का.		19.21	12.80	32.01				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
08	गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
09	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
10	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
11	जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
12	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
13	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
14	मणीपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	मु.का.		31.41	59.86	91.27				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00

दि0वि0 को ब्लाक अनुदान				सी0यू0 को ब्लाक अनुदान				कुल			समग्र योग
क्षेत्रक - 07				क्षेत्रक - 09							
पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभ	गैर–वेतन	अनुदान सहायता वेतन	कुल	पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभ	गैर–वेतन	अनुदान सहायता वेतन	कुल				
31	35	36		31	35	36		31	35	36	(31 + 35 + 36)
			0.00	11088.38	2322.63	41110.78	54521.79	11088.38	2322.63	41110.78	**54521.79**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	8444.42	943.81	7120.79	16509.02	8444.42	943.81	7120.79	**16509.02**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	1326.56	387.78	2159.80	3874.14	1326.56	387.78	2159.80	**3874.14**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	377.86	390.52	546.64	1315.02	377.86	390.52	546.64	**1315.02**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	12014.50	2892.70	41009.83	55917.03	12014.50	2892.70	41009.83	**55917.03**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	6708.76	4323.56	21913.86	32946.18	6708.76	4323.56	21913.86	**32946.18**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	3194.80	500.00	3672.04	7366.84	3194.80	519.21	3684.84	**7398.85**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	1708.36	300.00	1097.34	3105.70	1708.36	300.00	1097.34	**3105.70**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	1396.36	500.00	3990.23	5886.59	1396.36	500.00	3990.23	**5886.59**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	4685.00	1505.70	7755.70	13946.40	4685.00	1505.70	7755.70	**13946.40**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	6108.06	1457.39	8996.79	16562.24	6108.06	1457.39	8996.79	**16562.24**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	6970.56	2146.30	10997.28	20114.14	6970.56	2146.30	10997.28	**20114.14**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	282.40	358.22	242.33	882.95	282.40	358.22	242.33	**882.95**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00	1884.68	332.05	3021.17	5237.90	1884.68	363.46	3081.03	**5329.17**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-4				क्षेत्रक - 05			
			31	35	36	कुल	31	35	36	कुल
	उप योग	मु.का.	0.00	50.62	72.66	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
16	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइज़ॉल	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
17	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, कोहिमा	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
18	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
19	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
20	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
21	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
22	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.		63.00	94.50	157.50				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
23	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
24	विश्वभारती, शान्ति निकेतन	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	उप योग	मु.का.	0.00	63.00	94.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	0.00	113.62	167.16	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	113.62	167.16	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समविश्वविद्यालय									
01	अविनाश लिंगम इंस्टिट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन, कोयम्बटूर	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
02	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
03	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, डिन्डीगुल	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
04	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
05	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00

क्षेत्रक - 07				क्षेत्रक - 09				कुल			समग्र योग
31	35	36	कुल	31	35	36	कुल	31	35	36	(31+35+36)
0.00	0.00	0.00	0.00	66190.70	18360.66	153634.58	238185.94	66190.70	18411.28	153707.24	238309.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	743.36	350.07	919.49	2012.92	743.36	350.07	919.49	2012.92
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1570.16	641.58	2201.34	4413.08	1570.16	641.58	2201.34	4413.08
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1502.94	575.57	2381.44	4459.95	1502.94	575.57	2381.44	4459.95
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4520.98	1350.27	6266.26	12137.51	4520.98	1350.27	6266.26	12137.51
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2116.74	925.79	2754.95	5797.48	2116.74	925.79	2754.95	5797.48
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	803.08	490.07	884.74	2177.89	803.08	490.07	884.74	2177.89
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	857.22	475.00	1367.10	2699.32	857.22	475.00	1367.10	2699.32
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1443.02	443.71	2044.92	3931.65	1443.02	506.71	2139.42	4089.15
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	859.88	375.50	1014.38	2249.76	859.88	375.50	1014.38	2249.76
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5911.44	639.20	6682.99	13233.63	5911.44	639.20	6682.99	13233.63
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	20328.82	6266.76	26517.61	53113.19	20328.82	6329.76	26612.11	53270.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	86519.52	24627.42	180152.19	291299.13	86519.52	24741.04	180319.35	291579.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	86519.52	24627.42	180152.19	291299.13	86519.52	24741.04	180319.35	291579.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1750.58	400.00	1031.36	3181.94				0.00	1750.58	400.00	1031.36	3181.94
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682.96	118.00	860.19	1661.15				0.00	682.96	118.00	860.19	1661.15
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1433.88	461.60	1206.90	3102.38				0.00	1433.88	461.60	1206.90	3102.38
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1009.76	477.04	1184.54	2671.34				0.00	1009.76	477.04	1184.54	2671.34
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
981.60	698.00	817.48	2497.08				0.00	981.60	698.00	817.48	2497.08
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-4				क्षेत्रक - 05			
			31	35	36	कुल	31	35	36	कुल
06	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
07	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
08	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइसिज, मुम्बई	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
09	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
10	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र									
01	कन्सोर्टियम फॉर एजूकेशन कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली	मु.का.	40.17	122.24	168.18	330.59				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
02	इन्फ्लिबनेट सेंटर, अहमदाबाद	मु.का.				0.00	0.00	44.93	395.07	440.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
03	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली	मु.का.				0.00	289.77	710.15	775.46	1775.38
		क्षे.का.				0.00				0.00
04	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिज़िक्स, पुणे	मु.का.				0.00	0.00	792.90	648.73	1441.63
		क्षे.का.				0.00				0.00
05	एन.ए.ए.सी. राजाजी नगर, बंगलौर	मु.का.				0.00	72.32	48.21	0.00	120.53
		क्षे.का.				0.00				0.00
06	यूजीसी डी.ए.ई कन्सोर्टियम फॉर साइन्टिफक रिसर्च, इन्दौर	मु.का.				0.00	195.92	359.18	424.49	979.59
		क्षे.का				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	40.17	122.24	168.18	330.59	558.01	1955.38	2243.75	4757.13
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	40.17	122.24	168.18	330.59	558.01	1955.38	2243.75	4757.13
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालय									
	आन्ध्र प्रदेश									
01	उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.		8.47	12.70	21.17				0.00
		क्षे.का				0.00				0.00

क्षेत्रक - 07				क्षेत्रक - 09				कुल			समग्र योग
31	35	36	कुल	31	35	36	कुल	31	35	36	(31+35+36)
835.14	550.00	356.71	1741.85				0.00	835.14	550.00	356.71	**1741.85**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
720.36	290.00	928.71	1939.07				0.00	720.36	290.00	928.71	**1939.07**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1430.82	1415.36	997.28	3843.46				0.00	1430.82	1415.36	997.28	**3843.46**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
400.00	0.00	813.00	1213.00				0.00	400.00	0.00	813.00	**1213.00**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
3.50	0.00	3.50	7.00				0.00	3.50	0.00	3.50	**7.00**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
9248.60	**4410.00**	**8199.67**	**21858.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9248.60**	**4410.00**	**8199.67**	**21858.27**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9248.60	**4410.00**	**8199.67**	**21858.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9248.60**	**4410.00**	**8199.67**	**21858.27**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9248.60	**4410.00**	**8199.67**	**21858.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9248.60**	**4410.00**	**8199.67**	**21858.27**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			0.00				0.00	40.17	122.24	168.18	**330.59**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00				0.00	0.00	44.93	395.07	**440.00**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00				0.00	289.77	710.15	775.46	**1775.38**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00				0.00	0.00	792.90	648.73	**1441.63**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00				0.00	72.32	48.21	0.00	**120.53**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			0.00				0.00	195.92	359.18	424.49	**979.59**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**598.18**	**2077.62**	**2411.93**	**5087.72**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**598.18**	**2077.62**	**2411.93**	**5087.72**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			0.00				0.00	0.00	8.47	12.70	**21.17**
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-04				क्षेत्रक - 05			
			31	35	36	कुल	31	35	36	कुल
	कुल	मु.का.	0.00	8.47	12.70	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	8.47	12.70	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुजरात									
01	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	मु.का.		11.90	17.84	29.74				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	0.00	11.90	17.84	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	11.90	17.84	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू और कश्मीर									
01	कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.		89.93	89.89	179.82				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	0.00	89.93	89.89	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	89.93	89.89	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक									
01	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	मु.का.		14.40	21.61	36.01				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	0.00	14.40	21.61	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	14.40	21.61	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केरल									
01	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	मु.का.		38.67	58.00	96.67				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	0.00	38.67	58.00	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	38.67	58.00	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश									
01	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इंदौर	मु.का.	0.00	16.66	25.00	41.66				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	0.00	16.66	25.00	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	16.66	25.00	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	महाराष्ट्र									
01	पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे	मु.का.	0.00	20.70	31.05	51.75				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00

क्षेत्रक - 07				क्षेत्रक - 09				कुल			समग्र योग
31	35	36	कुल	31	35	36	कुल	31	35	36	(31+35+36)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	12.70	21.17
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	12.70	21.17
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	11.90	17.84	29.74
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	17.84	29.74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	17.84	29.74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	89.93	89.89	179.82
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.93	89.89	179.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.93	89.89	179.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	14.40	21.61	36.01
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	21.61	36.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	21.61	36.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	38.67	58.00	96.67
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.67	58.00	96.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.67	58.00	96.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	16.66	25.00	41.66
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	25.00	41.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	25.00	41.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	20.70	31.05	51.75
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-04				क्षेत्रक - 05			
			31	35	36	कुल	31	35	36	कुल
	कुल	मु.का.	0.00	20.70	31.05	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	20.70	31.05	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पंजाब									
01	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	मु.का.	0.00	14.51	21.76	36.27				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	0.00	14.51	21.76	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	14.51	21.76	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्थान									
01	जयनारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	मु.का.	0.00	56.85	85.28	142.13				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	0.00	56.85	85.28	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	56.85	85.28	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडु									
01	अन्ना यूनिर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	0.00	10.80	16.20	27.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
02	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	मु.का.	0.00	21.74	32.62	54.36				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	0.00	32.54	48.82	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	32.54	48.82	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	304.63	411.95	716.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		0.00	304.63	411.95	716.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	113.62	167.16	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	समविश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतरविश्वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग		40.17	122.24	168.18	330.59	558.01	1955.38	2243.75	4757.13
	राज्य विश्वविद्यालया का कुल योग		0.00	304.63	411.95	716.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		40.17	540.49	747.29	1327.95	558.01	1955.38	2243.75	4757.13

क्षेत्रक - 07				क्षेत्रक - 09				कुल			समग्र योग
31	35	36	कुल	31	35	36	कुल	31	35	36	(31 + 35 + 36)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	31.05	51.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	31.05	51.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	14.51	21.76	36.27
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51	21.76	36.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51	21.76	36.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	56.85	85.28	142.13
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.85	85.28	142.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.85	85.28	142.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	10.80	16.20	27.00
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	21.74	32.62	54.36
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54	48.82	81.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54	48.82	81.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.63	411.95	716.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.63	411.95	716.58
0.00	0.00	0.00	0.00	86519.52	24627.42	180152.19	291299.13	86519.52	24741.04	180319.35	291579.91
9248.60	4410.00	8199.67	21858.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9248.60	4410.00	8199.67	21858.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.18	2077.62	2411.93	5087.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.63	411.95	716.58
9248.60	4410.00	8199.67	21858.27	86519.52	24627.42	180152.19	291299.13	96366.30	31533.29	191342.90	319242.48

परिशिष्ट-XX

वर्ष 2011-12 के दौरान महाविद्यालयों को प्रदत्त गैर योजनागत अनुदान (प्रमुख शीर्ष-वार) को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		ईएमएमआरसी एवं सी.ई.सी.				अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र			
			क्षेत्रक - 04				क्षेत्रक - 08 (i)			
			पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभ	गैर–वेतन	अनुदान सहायता वेतन	कुल	पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभ	गैर–वेतन	अनुदान सहायता वेतन	कुल
			31	35	36		31	35	36	
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय									
01	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	मु.का.				0.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
02	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.				0.00	43069.39	2532.97	52606.00	98208.36
		क्षे.का.				0.00				0.00
	उप योग	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	43069.39	2532.97	52606.00	98208.36
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	43069.39	2532.97	52606.00	98208.36
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	43069.39	2532.97	52606.00	98208.36
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालय									
	पश्चिम बंगाल									
01	कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.		69.60	104.40	174.00				0.00
		क्षे.का.				0.00				0.00
	कुल	मु.का.	0.00	69.60	104.40	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	69.60	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	69.60	104.40	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		0.00	69.60	104.40	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	43069.39	2532.97	2606.00	98208.36
	समविश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतरविश्वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालया का कुल योग		0.00	69.60	104.40	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	69.60	104.40	174.00	43069.39	2532.97	2606.00	98208.36

दि0वि0 को ब्लाक अनुदान				सी0यू0 को ब्लाक अनुदान				कुल			समग्र योग
क्षेत्रक - 08 (ii)				क्षेत्रक - 09							
पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभ	गैर–वेतन	अनुदान सहायता वेतन	कुल	पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभ	गैर–वेतन	अनुदान सहायता वेतन	कुल				
31	35	36		31	35	36		31	35	36	(31+35+36)
			0.00	944.28	65.00	1085.08	2094.36	944.28	65.00	1085.08	2094.36
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2826.72	188.58	3121.57	6136.87	45896.11	2721.55	55727.57	104345.23
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
944.28	65.00	1085.08	2094.36	2826.72	188.58	3121.57	6136.87	46840.39	2786.55	56812.65	106439.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
944.28	65.00	1085.08	2094.36	2826.72	188.58	3121.57	6136.87	46840.39	2786.55	56812.65	106439.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
944.28	65.00	1085.08	2094.36	2826.72	188.58	3121.57	6136.87	46840.39	2786.55	56812.65	106439.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00	0.00	69.60	104.40	174.00
			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	104.40	174.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	104.40	174.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	104.40	174.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	104.40	174.00
944.28	65.00	1085.08	2094.36	2826.72	188.58	3121.57	6136.87	46840.39	2786.55	56812.65	106439.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	104.40	174.00
944.28	65.00	1085.08	2094.36	2826.72	188.58	3121.57	6136.87	46840.39	2856.15	56917.05	106613.59

परिशिष्ट-XX

सारांश (गैर–योजनागत) 2011–2012

विवरण	(लाख रु0 में)								
	प्रशासनिक प्रभार	ईएमएमआर सी एवं सी.ई. सी.	अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र	विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संघटित अनुदान	सम विश्वविद्यालयों के लिए संघटित अनुदान	दिल्ली कॉलेजों के लिए संघटित अनुदान	बी.एच.यू. कॉलेजों के लिए संघटित अनुदान	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को संघटित अनुदान	कुल
	1	4	5	6	7	8 (i)	8 (ii)	9	
विश्वविद्यालय									
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		280.78						291299.13	291579.91
समविश्वविद्यालय					21858.27				21858.27
अंतर– विश्वविद्यालय केन्द्र		330.59	4757.13						5087.72
राज्य विश्वविद्यालय		716.58							716.58
विश्वविद्यालयों का योग	0.00	1327.95	4757.13	0.00	21858.27	0.00	0.00	291299.13	319242.48
महाविद्यालय									
दिल्ली महाविद्यालय						98208.36			98208.36
बी.एच.यू. महाविद्यालय							2094.36		2094.36
केन्द्रीय विश्वविद्यालय								6136.87	6136.87
राज्य महाविद्यालय		174.00							174.00
महाविद्यालयों का योग		174.00	0.00	0.00	0.00	98208.36	2094.36	6136.87	106613.59
समग्र योग (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय)		1501.95	4757.13	0.00	21858.27	98208.36	2094.36	297436.00	425856.07
विश्वविद्यालयेतर									
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	5134.59								5134.59
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय केन्द्र)	465.20								465.20
समग्र योग: -	**5599.79**	**1501.95**	**4757.13**	**0.00**	**21858.27**	**98208.36**	**2094.36**	**297436.00**	**431455.86**

परिशिष्ट-XXII

वर्ष 2011-2012 के दौरान (प्रमुख शीर्ष-वार) सामान्य योजनागत, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी एवं धारा (III) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को प्रदान किये गए अनुदान का ब्यौरा।

क्र.सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2		क्षेत्रक-3			क्षेत्रक-4
			सामान्य अनुदान सहायता	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	अनुदान सहायता वेतन	सामान्य अनुदान सहायता	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	सामान्य अनुदान सहायता	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	अनुदान सहायता वेतन	सामान्य अनुदान सहायता
			31	35	36	31	35	31	35	36	31
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय										
01	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	मु.का.	881.93	2695.97		12.00		675.16	99.95	1.20	59.25
		क्षे.का.									
02	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.का.	1308.71	3844.66		2.72		737.69	15.00	25.70	30.17
		क्षे.का.									
03	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	मु.का.	1998.33	1955.00				46.86	28.50		19.81
		क्षे.का.									
04	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	मु.का.	968.83	5029.83				110.76	32.93	0.60	9.16
		क्षे.का.									
05	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.का.	1912.61	6510.38		5.13		1097.15	109.84		108.71
		क्षे.का.									
06	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना	मु.का.						0.40			
		क्षे.का.									
07	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर	मु.का.		3000.00				13.62			0.40
		क्षे.का.									
08	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुड़गाँव	मु.का.	900.00	3500.00				15.69			
		क्षे.का.									
09	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और कश्मीर, जम्मू	मु.का.	600.00	550.00				0.15			5.68
		क्षे.का.									
10	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर	मु.का.	1.00								
		क्षे.का.									
11	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, राँची	मु.का.	900.00	4000.00							
		क्षे.का.									
12	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, त्रिवेन्द्रम	मु.का.	2075.00	800.00				1.60			
		क्षे.का.									
13	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा	मु.का.	925.00	8700.00				4.48			
		क्षे.का.									
14	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, कालीघाट	मु.का.	1000.00	2500.00							
		क्षे.का.									
15	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिन्डा	मु.का.	1000.00	1500.00							
		क्षे.का.									

क्षेत्रक-4		क्षेत्रक-5			क्षेत्रक-6		क्षेत्रक-7		क्षेत्रक-8	क्षेत्रक-9			समग्र योग
पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	अनुदान सहायता वेतन	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	अनुदान सहायता वेतन	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ		सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	अनुदान सहायता वेतन	
35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31 + 35 + 36)
6.45	16.55	18.95											4467.41
													0.00
11.10		5.81											5981.56
													0.00
12.34													4060.84
													0.00
1.42													6153.52
													0.00
22.00	7.24	16.74											9789.81
													0.00
													0.40
													0.00
													3014.02
													0.00
													4415.69
													0.00
4.00	11.12												1170.95
													0.00
2.85													14.41
													0.00
													4903.53
													0.00
													2876.60
													0.00
													9629.48
													0.00
													3500.00
													0.00
													2500.00
													0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
16	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	मु.का.	1800.00	8900.00				38.24			45.82
		क्षे.का.									
17	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, थिरुवरूर	मु.का.	1800.00	8000.00				0.40			
		क्षे.का.									
18	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.	5350.24	18665.55		9.30		2467.50	63.68	3.80	88.31
		क्षे.का.									
19	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	मु.का.	956.57	6046.96				61.32			
		क्षे.का.									
20	गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	मु.का.	22.65	6060.00				16.97	41.00		6.13
		क्षे.का.									
21	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	1960.62	7291.75		4.73		58.43			12.25
		क्षे.का.									
22	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.का.	2460.88	5862.74		8.53		999.53	58.63		23.76
		क्षे.का.									
23	इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.									1.17
		क्षे.का.									
24	इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकण्टक	मु.का.	854.49	9097.51				9.22			
		क्षे.का.									
25	जामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.	878.07	5577.00	22.50	8.95		585.91	20.00		30.05
		क्षे.का.									
26	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.	2576.02	7097.26				1713.41	5.85	2.00	62.02
		क्षे.का.									
27	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	मु.का.	675.82	2790.50				18.37			18.00
		क्षे.का.									
28	मणीपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	मु.का.	1649.36	1882.99				234.89	52.99		3.49
		क्षे.का.									
	उप योग	मु.का.	35456.15	131858.09	22.50	51.36	0.00	8907.77	528.34	33.30	538.26
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	120.00	1600.00	23.20			15.95		2.42	10.93
		क्षे.का.									
30	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइज़ॉल	मु.का.	1764.76	2252.37				104.17	6.00		16.02
		क्षे.का.									
31	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, कोहिमा	मु.का.	1425.00	1200.00				2.80			
		क्षे.का.									
32	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मु.का.	1399.27	2635.39	3.38			288.12	5.08	11.63	20.07
		क्षे.का.									
33	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी	मु.का.	2478.60	4577.45				318.20	171.05		46.98
		क्षे.का.									
34	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मु.का.	875.00	500.00				13.81			5.22
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
		4.00											10788.05
													0.00
													9800.40
													0.00
7.25	13.43	12.82	2.91										26684.78
													0.00
	2.20												7067.05
													0.00
9.00	2.40												6158.14
													0.00
5.90													9333.69
													0.00
2.40	8.38	3.88					77.50						9506.21
													0.00
													1.17
													0.00
													9961.22
													0.00
4.70	30.46	36.65		81.98									7276.28
													0.00
9.40		8.00					300.00						11773.95
													0.00
		18.68											3521.37
													0.00
		12.26											3835.98
													0.00
98.81	91.78	137.79	0.00	84.89	0.00	0.00	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178186.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				77.50									1850.01
													0.00
4.15													4147.46
													0.00
													2627.80
													0.00
3.50													4366.43
													0.00
23.71	26.09	8.40											7650.48
													0.00
1.00													1395.03
													0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
35	सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक	मु.का.	1000.00	1000.00							
		क्षे.का.									
36	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर	मु.का.	3463.56	2850.00		7.12		40.04	27.00		7.42
		क्षे.का.									
37	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	450.00	2050.00				24.07	18.00		1.22
		क्षे.का.									
38	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	मु.का.	525.00	1700.00		5.00		35.55	6.00		9.88
		क्षे.का.									
39	विश्वभारती शान्ति निकेतन	मु.का.	1594.85	4960.49		6.41		43.60			50.11
		क्षे.का.									
40	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश)	मु.का.	1000.00					6.75			
		क्षे.का.									
	उप योग	मु.का.	16096.04	25325.70	26.58	18.53	0.00	893.05	233.13	14.05	167.85
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	51552.20	157183.78	49.08	69.89	0.00	9800.82	761.48	47.35	706.11
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		51552.20	157183.78	49.08	69.89	0.00	9800.82	761.48	47.35	706.11
	समविश्वविद्यालय										
01	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	मु.का.	486.46	513.90				28.72	31.05		12.95
		क्षे.का.									
02	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी	मु.का.	23.36	20.00				341.23			16.89
		क्षे.का.									
03	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राँची	मु.का.	9.00					11.07	76.50		15.22
		क्षे.का.									
04	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिर्सच इंस्टिट्यूट, पुणे	मु.का.	91.10	168.90				16.46	5.00		
		क्षे.का.									
05	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, पुणे	मु.का.	95.00	205.00	3.38			7.33	22.00		
		क्षे.का.									
06	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई	मु.का.	677.31	273.90				243.21	47.00		
		क्षे.का.									
07	जर्नादन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	मु.का.	3.63			3.70		5.48		1.97	
		क्षे.का.									
08	जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लाडनूं (राजस्थान)	मु.का.	53.96	71.04				19.33		0.35	0.75
		क्षे.का.									
09	रामाकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा	मु.का.	13.50	205.15							
		क्षे.का.									
10	श्री सत्य सांई इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, अनन्तपुर	मु.का.	66.46	149.54				12.44	47.10		0.38
		क्षे.का.									
11	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	मु.का.						0.92			2.94
		क्षे.का.									
12	थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनीयरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, पटियाला	मु.का.	22.68					6.03			23.41
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31 + 35 + 36)
													2000.00
													0.00
5.60		16.74											6417.49
													0.00
													2543.29
													0.00
													2281.43
													0.00
11.35	11.03	9.17											6687.00
													0.00
													1006.75
													0.00
49.31	37.11	34.30	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42973.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148.12	128.89	172.09	162.39	0.00	0.00	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221159.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148.12	128.89	172.09	162.39	0.00	0.00	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221159.70
0.50													1074.04
													0.00
0.80													402.28
													0.00
2.30	9.49												123.58
													0.00
											7.88		289.35
													0.00
		25.00		11.63							32.16		401.49
													0.00
							50.00						1291.42
													0.00
		6.20											20.98
													0.00
							50.00						195.43
													0.00
													218.65
													0.00
													275.92
													0.00
													3.86
													0.00
13.05							87.53						152.71
													0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
13	अविनाश लिंगम इंस्टिट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन, कोयम्बटूर	मु.का.	156.02	253.90		14.65		7.33		37.85	16.32
		क्षे.का.									
14	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	मु.का.	404.30	125.70				77.32	77.51		23.06
		क्षे.का.									
15	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, डिन्डीगुल	मु.का.	245.01	382.06		4.19		85.17	26.35		13.77
		क्षे.का.									
16	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	मु.का.	76.20	161.29				10.44			0.13
		क्षे.का.									
17	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	मु.का.	25.92					19.27			4.26
		क्षे.का.									
18	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	मु.का.	127.26	231.44				33.23	25.38		3.53
		क्षे.का.									
19	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	मु.का.	152.40	647.60							
		क्षे.का.									
20	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइसिज, मुम्बई	मु.का.	196.69	335.08		11.82		41.56	11.63		3.38
		क्षे.का.									
21	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	मु.का.	198.91	124.25				143.45	146.55		49.11
		क्षे.का.									
22	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम	मु.का.						4.00			
		क्षे.का.									
23	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु	मु.का.	716.41					222.15	95.00		
		क्षे.का.									
24	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	मु.का.	0.77	20.00				18.38	25.00		12.72
		क्षे.का.									
25	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ग्वालियर	मु.का.						80.33		34.36	
		क्षे.का.									
	उप योग	मु.का.	3842.34	3888.74	3.38	34.36	0.00	1434.87	636.51	72.20	200.41
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्टडीज, वाराणसी	मु.का.	66.73	105.27							
		क्षे.का.									
27	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूसा, नई दिल्ली	मु.का.						1.59			
		क्षे.का.									
28	कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डिस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	मु.का.									18.00
		क्षे.का.									
29	फॉरेस्ट रिर्सच इंस्टिट्यूट, देहरादून	मु.का.						7.31			
		क्षे.का.									
30	नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टिट्यूट, करनाल	मु.का.						4.14			
		क्षे.का.									
31	नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजीयोलॉजी, नई दिल्ली	मु.का.						20.79			
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
2.95		33.21			4.60								526.82
													0.00
2.30													710.18
													0.00
0.85	10.75												768.16
													0.00
													248.06
													0.00
0.50													49.94
													0.00
													420.83
													0.00
													800.00
													0.00
		33.88											634.02
													0.00
3.55											8.00		673.82
													0.00
													4.00
													0.00
													1033.56
													0.00
1.00													77.87
													0.00
													114.69
													0.00
28.55	20.24	98.28	0.00	11.63	4.60	0.00	187.53	0.00	0.00	0.00	48.04	0.00	10511.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													172.00
													0.00
													1.59
													0.00
													18.00
													0.00
													7.31
													0.00
													4.14
													0.00
													20.79
													0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
32	भारती विद्यापीठ, पुणे	मु.का.						4.10			
		क्षे.का.									
33	एम्स, नई दिल्ली	मु.का.						0.84			
		क्षे.का.									
34	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस / टेक्नॉलॉजी एण्ड एडवांस स्टडीज (विस्टास) चेन्नई	मु.का.									2.90
		क्षे.का.									
35	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, हौजखास, दिल्ली	मु.का.									2.62
		क्षे.का.									
36	जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल एडुकेशन एण्ड रिसर्च, पुदुचेरी	मु.का.									1.79
		क्षे.का.									
37	कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एण्ड सोशल साइंस कॉलेज, सुल्तानपुर	मु.का.									2.66
		क्षे.का.									
38	रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, ओसमानाबाद	मु.का.	30.00								
		क्षे.का.									
39	निस्वास	मु.का.	11.25								
		क्षे.का.									
40	अमृता विश्वविद्यालय, कोयम्बटोर	मु.का.						5.20			
		क्षे.का.									
41	आर.के. मिशन विवेकानन्द एडूकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा	मु.का.						4.50			
		क्षे.का.									
42	सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज, मुम्बई	मु.का.						1.49			
		क्षे.का.									
43	गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज	मु.का.						1.19			
		क्षे.का.									
44	इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च	मु.का.						1.50			
		क्षे.का.									
45	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, शिमला	मु.का.						158.00			
		क्षे.का.									
46	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	मु.का.						53.05			
		क्षे.का.									
47	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, मानेसर	मु.का.						2.45			
		क्षे.का.									
48	मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एडूकेशन	मु.का.						2.64			
		क्षे.का.									
49	पद्मश्री डॉ0 डी. वाई पाटील विद्यापीठ	मु.का.						0.92			
		क्षे.का.									
50	सैम हिग्गीनबोटॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्वर, टेक्नॉलॉजी साइंस	मु.का.						4.50			
		क्षे.का.									
51	एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा	मु.का.						0.40			
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31 + 35 + 36)
													4.10
													0.00
													0.84
													0.00
													2.90
													0.00
													2.62
													0.00
													1.79
													0.00
0.45													3.11
													0.00
													30.00
													0.00
													11.25
													0.00
													5.20
													0.00
													4.50
													0.00
													1.49
													0.00
													1.19
													0.00
													1.50
													0.00
													1.58
													0.00
													53.05
													0.00
													2.45
													0.00
													2.64
													0.00
													0.92
													0.00
													4.50
													0.00
													0.40
													0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
52	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज	मु.का.						0.40			
		क्षे.का.									
53	रॉयलसीमा यूनिवर्सिटी	मु.का.						0.40			
		क्षे.का.									
	उप योग	मु.का.	107.98	105.27	0.00	0.00	0.00	275.40	0.00	0.00	27.97
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	3950.32	3994.01	3.38	34.36	0.00	1710.27	636.51	72.00	228.38
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	3950.32	3994.01	3.38	34.36	0.00	1710.27	636.51	72.00	228.38
	अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र										
01	कन्सोर्टियम फॉर एजूकेशन कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली	मु.का.						2.07			
		क्षे.का.									
02	इन्फ्लिबनेट सेंटर, अहमदाबाद	मु.का.	2250.00								
		क्षे.का.									
03	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली	मु.का.	337.00	102.00				1513.00	648.00		
		क्षे.का.									
04	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिज़िक्स, पुणे	मु.का.	108.00	72.00				372.00	248.00		
		क्षे.का.									
05	यूजीसी डी.ए.ई कन्सोर्टियम फॉर साइन्टिफक रिसर्च, इन्दौर	मु.का.	158.00	68.00				542.00	232.00		
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	2853.00	242.00	0.00	0.00	0.00	2429.07	1128.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	2853.00	242.00	0.00	0.00	0.00	2429.07	1128.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालय										
	आन्ध्र प्रदेश										
01	आर्चाय नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर	मु.का.	181.53	256.73				30.24	60.00		29.50
		क्षे.का.									
02	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर	मु.का.	120.81	1005.87	0.60	9.30		132.52	15.00	73.71	52.58
		क्षे.का.									
03	ए.एन.जी. रंगा एग्रीकल्वरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.									5.70
		क्षे.का.									
04	दविड़ियन यूनिवर्सिटी, चित्तुर	मु.का.	61.92	230.00				5.52			19.84
		क्षे.का.									
05	जवाहर लाल टेक्नोलॉजी, हैदराबाद	मु.का.	82.60	245.16				80.95			6.62
		क्षे.का.									
06	काकातीय यूनिवर्सिटी, वारंगल	मु.का.	123.13	402.40	36.00	7.65		111.68	20.50		76.64
		क्षे.का.									
07	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ	मु.का.	58.06	238.06							
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31 + 35 + 36)
													0.40
													0.00
													0.40
													0.00
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.00	20.24	98.28	0.00	11.63	4.60	0.00	187.53	0.00	0.00	0.00	48.04	0.00	11028.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.00	20.24	98.28	0.00	11.63	4.60	0.00	187.53	0.00	0.00	0.00	48.04	0.00	11028.75
													2.07
													0.00
					8750.00		31.75						11031.75
													0.00
													2600.00
													0.00
													800.00
													0.00
													1000.00
													0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8750.00	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15433.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8750.00	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15433.82
6.99	6.94										17.85		589.78
													0.00
		10.18											1420.57
													0.00
													5.70
													0.00
1.00		0.40											318.68
													0.00
1.00	9.49												425.82
													0.00
28.95		5.17									32.26		844.38
													0.00
													296.13
													0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
08	उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	203.66	325.12	11.29	8.00		269.07	200.90	37.77	80.66
		क्षे.का.									
09	पोट्टी श्रीरामुलू तेलुगू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	2.91	153.00				6.89			5.35
		क्षे.का.									
10	श्री कृष्ण देवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	मु.का.	128.95	0.90	0.60			28.94	33.50		39.11
		क्षे.का.									
11	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	मु.का.	149.02	220.80	0.60			26.62	47.50		25.47
		क्षे.का.									
12	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति	मु.का.	329.63	307.35	0.60	14.99		193.45	132.15		153.35
		क्षे.का.									
13	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.						0.89			3.60
		क्षे.का.									
14	जे एन टी यू, अनंतपुर	मु.का.									5.20
		क्षे.का.									
15	योगी वर्मन यूनिवर्सिटी, वेमनापुरम, कडप्पा	मु.का.	35.10	349.20	9.90						
		क्षे.का.									
16	तेलंगाना यूनिवर्सिटी, निजामाबाद	मु.का.		150.00							
		क्षे.का.									
17	सतवाहन यूनिवर्सिटी	मु.का.		250.00							
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	**1477.32**	**4131.59**	**59.59**	**39.94**		**886.76**	**509.55**	**111.48**	**503.61**
		क्षे.का.									
	समग्र योग	मु.का.	**1477.32**	**4131.59**	**59.59**	**39.94**		**886.76**	**509.55**	**111.48**	**503.61**
		क्षे.का.									
	असम										
01	असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोरहट	मु.का.						9.76	34.40		
		क्षे.का.									
02	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़	मु.का.	49.90	90.00				34.51			25.37
		क्षे.का.									
03	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	मु.का.	109.67			16.14		219.96	20.01		22.92
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	**150.58**	**90.00**	**0.00**	**16.14**	**0.00**	**264.23**	**54.41**	**0.00**	**48.29**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**150.58**	**90.00**	**0.00**	**16.14**	**0.00**	**264.23**	**54.41**	**0.00**	**48.29**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	बिहार										
01	बी.एन. मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा	मु.का.		180.00				0.40			
		क्षे.का.									
02	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी, मुज्जफरपुर	मु.का.	6.75	180.00				86.83	10.96		
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
4.70		9.63											1150.79
													0.00
	5.76												173.91
													0.00
8.30		38.75									1.00		280.04
													0.00
1.60		6.06											477.68
													0.00
19.25	1.34	16.86											1168.97
													0.00
													4.49
													0.00
11.60													16.80
													0.00
													394.20
													0.00
													150.00
													0.00
													250.00
													0.00
83.39	23.53	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11	0.00	7967.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83.39	23.53	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11	0.00	7967.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													44.16
													0.00
2.70													193.47
													0.00
10.60	9.00	10.40									7.23		425.93
													0.00
13.30	9.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	663.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.30	9.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	663.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													180.40
													0.00
	2.04												286.58
													0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
03	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	मु.का.		344.00				0.40			0.28
		क्षे.का.									
04	के.एस. दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.		25.00							
		क्षे.का.									
05	एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.		180.00							
		क्षे.का.									
06	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया	मु.का.	2.87	299.08				19.18			3.02
		क्षे.का.									
07	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	मु.का.	16.88		9.00			114.89	22.00		3.19
		क्षे.का.									
08	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	मु.का.						11.70			2.61
		क्षे.का.									
09	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	मु.का.						5.76			1.18
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	26.49	1208.08	9.00	0.00	0.00	239.14	32.96	0.00	10.28
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	26.49	1208.08	9.00	0.00	0.00	239.14	32.96	0.00	10.28
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	छत्तीसगढ़										
01	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर	मु.का.	267..28	267.28							
		क्षे.का.									
02	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	0.22	90.00				7.29			
		क्षे.का.									
03	पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	22.52	200.00				18.18	35.00		4.79
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	290.02	557.28	0.00	0.00	0.00	25.48	35.00	0.00	4.79
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	290.02	557.28	0.00	0.00	0.00	25.48	35.00	0.00	4.79
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	दिल्ली										
01	गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.	8.47	110.90				14.30			8.58
		क्षे.का.									
02	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका, नई दिल्ली	मु.का.		180.00							
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	8.47	290.90	0.00	0.00	0.00	14.30	17.00	0.00	8.58
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	8.47	290.90	0.00	0.00	0.00	14.30	17.00	0.00	8.58
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुजरात										
01	भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	मु.का.	3.60	343.13				3.25			
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
													344.68
													0.00
													25.00
													0.00
													180.00
													0.00
0.55													324.69
													0.00
													165.95
													0.00
													14.30
													0.00
													6.93
													0.00
0.55	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1528.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.55	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1528.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											4.00		538.55
													0.00
	1.79												99.30
													0.00
2.99													283.49
													0.00
2.99	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	921.34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.99	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	921.34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.20													161.44
													0.00
													180.00
													0.00
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											5.00		354.98
													0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
02	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	मु.का.	186.92	423.38	0.60			30.40			3.66
		क्षे.का.									
03	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा (कच्छ)	मु.का.	249.53	782.75	54.20	8.92		113.90	34.71		52.74
		क्षे.का.									
04	नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	मु.का.	29.00	684.54	43.94			11.67			0.78
		क्षे.का.									
05	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ, विद्यानगर	मु.का.	145.43	209.95	0.03			83.23	100.03	0.10	54.27
		क्षे.का.									
06	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	मु.का.	87.18	800.98				74.47	44.48		3.33
		क्षे.का.									
07	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	मु.का.	10.33	1232.69				18.19	36.00		
		क्षे.का.									
08	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	मु.का.	224.35	571.82	68.46						
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	**936.34**	**5049.23**	**167.23**	**8.92**	**0.00**	**335.12**	**215.22**	**0.10**	**114.77**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**936.34**	**5049.23**	**167.23**	**8.92**	**0.00**	**335.12**	**215.22**	**0.10**	**114.77**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	गोवा										
01	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	मु.का.	48.56	135.33	5.63			51.66	7.33	19.38	5.53
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	**48.56**	**135.33**	**5.63**	**0.00**	**0.00**	**51.66**	**7.33**	**19.38**	**5.53**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**48.56**	**135.33**	**5.63**	**0.00**	**0.00**	**51.66**	**7.33**	**19.38**	**5.53**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	हरियाणा										
01	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत	मु.का.	155.75	264.99	76.90			22.35	54.06	7.75	
		क्षे.का.									
02	चौ0 चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार	मु.का.	1.13	6.00	0.38			9.70			7.84
		क्षे.का.									
03	दीन बन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरथल	मु.का.	14.80	124.90	2.73			8.22	11.00		7.37
		क्षे.का.									
04	गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार	मु.का.	116.51	189.19				103.59			17.52
		क्षे.का.									
05	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र	मु.का.	1.62	261.43		20.20		129.48	7.00	40.68	36.46
		क्षे.का.									
06	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	मु.का.	141.99	308.25		3.09		90.47	71.00		69.53
		क्षे.का.									
07	चौ0 देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	मु.का.	15.00	285.19				6.19			7.72
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
													644.95
													0.00
11.35													1308.10
													0.00
													762.92
													0.00
21.96													614.99
													0.00
		3.88											1014.32
													0.00
													1297.21
													0.00
													864.63
													0.00
33.31	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	6869.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.31	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	6869.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.50		15.00											290.91
													0.00
2.50	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.50	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.70											593.50
													0.00
4.50													29.54
													0.00
4.75		6.98											180.74
													0.00
7.30													434.11
													0.00
11.80	8.47										12.50		529.63
													0.00
54.49											50.00		788.83
													0.00
8.00													322.10
													0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
	कुल	मु.का.	446.80	1439.96	80.00	23.29	0.00	370.00	143.06	48.43	146.44
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	446.80	1439.96	80.00	23.29	0.00	370.00	143.06	48.43	146.44
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	हिमाचल प्रदेश										
01	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	मु.का.	47.88	66.04	0.60	4.01		111.54	46.72		13.54
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	47.88	66.04	0.60	4.01	0.00	111.54	46.72	0.00	13.54
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	47.88	66.04	0.60	4.01	0.00	111.54	46.72	0.00	13.54
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू और कश्मीर										
01	जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू	मु.का.	16.86	5930.73				131.04	65.80		6.38
		क्षे.का.									
02	कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	437.32	4394.17		3.94		116.52	86.18		3.90
		क्षे.का.									
03	शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री. एण्ड साइंसेज टेक., श्रीनगर	मु.का.									2.95
		क्षे.का.									
04	श्री माता वैष्णों देवी यूनिवर्सिटी, (कटरा)	मु.का.		20.00				6.10	45.00		0.50
		क्षे.का.									
05	बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी	मु.का.	111.60	607.95	10.80						
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	565.78	10952.85	10.80	3.94	0.00	253.66	196.98	0.00	13.73
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	565.78	10952.85	10.80	3.94	0.00	253.66	196.98	0.00	13.73
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	झारखण्ड										
01	राँची यूनिवर्सिटी, राँची	मु.का.	0.83	145.00				160.97	12.00	20.00	8.28
		क्षे.का.									
02	सिद्धू कान्हू मुरुमू यूनिवर्सिटी, दुमका	मु.का.				5.33					
		क्षे.का.									
03	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	मु.का.						1.97			
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	0.83	145.00	0.00	5.33	0.00	162.94	12.00	20.00	8.28
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.83	145.00	0.00	5.33	0.00	162.94	12.00	20.00	8.28
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक										
01	बंगलौर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु	मु.का.	62.67	53.75	10.69			124.77	182.45	36.81	76.88
		क्षे.का.									
02	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा	मु.का.	63.54					29.08			28.44
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
90.84	8.47	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	2878.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90.84	8.47	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	2878.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.10		1.08											295.42
													0.00
4.10	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.10	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.24											6163.05
													0.00
		11.98								3.97		51.49	5109.47
													0.00
													2.95
													0.00
1.00													72.60
													0.00
													730.35
													0.00
1.00	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	51.49	0.00	12078.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	51.49	0.00	12078.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													0.00
1.20													348.28
													0.00
													5.33
													0.00
											16.19		18.16
													0.00
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19	0.00	371.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19	0.00	371.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													0.00
9.65	28.96												586.62
													0.00
10.40													131.46
													0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
03	कन्नड़ यूनिवर्सिटी, हम्पी	मु.का.	2.77			3.88		7.72			3.94
		क्षे.का.									
04	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	मु.का.	215.35	620.29	10.69			168.71	175.02	36.81	46.71
		क्षे.का.									
05	कर्नाटक स्टेट वीमेन्स यूनिवर्सिटी, बीजापुर	मु.का.	1.00			5.00		20.46			2.29
		क्षे.का.									
06	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शिमोगा	मु.का.	16.60	90.00				23.92			41.16
		क्षे.का.									
07	मंगलौर यूनिवर्सिटी, मंगलौर	मु.का.	31.07	318.00	77.00	4.04		14.40			11.17
		क्षे.का.									
08	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	मु.का.	132.98	790.63	55.69			248.71	122.88	36.81	68.18
		क्षे.का.									
09	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु	मु.का.	112.92	602.94	18.59						2.54
		क्षे.का.									
10	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 सांइसिज, बेंगलुरु	मु.का.						13.17			3.84
		क्षे.का.									
11	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 सांइसिज, धारवाड़	मु.का.						5.62			6.53
		क्षे.का.									
12	देवनागरी यूनिवर्सिटी	मु.का.	3.86					3.84			2.48
		क्षे.का.									
13	विजयनगर श्री कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी	मु.का.		250.00							
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	**642.76**	**2725.60**	**172.65**	**12.92**	**0.00**	**660.41**	**480.35**	**110.44**	**294.17**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**642.76**	**2725.60**	**172.65**	**12.92**	**0.00**	**660.41**	**480.35**	**110.44**	**294.17**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	केरल										
01	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	मु.का.	4.56	90.00				287.14			1.75
		क्षे.का.									
02	कोच्ची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची	मु.का.	141.34	20.00		5.00		142.03	28.00		8.43
		क्षे.का.									
03	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर	मु.का.	233.84	315.97				88.41	11.69		0.60
		क्षे.का.									
04	केरल एग्री0 यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.									5.80
		क्षे.का.									
05	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूअनंतपुरम	मु.का.	44.01	0.11		5.81		139.10	0.39	36.31	55.33
		क्षे.का.									
06	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.	293.95	358.88				138.14	50.00		7.41
		क्षे.का.									
07	श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, कलाडी	मु.का.		90.00				39.50			8.81
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
													18.30
													0.00
1.00		4.07											1278.66
													0.00
		0.40											29.15
													0.00
2.55											2.50		176.73
													0.00
3.00											8.02		466.71
													0.00
16.71	5.18												1477.76
													0.00
		9.26											746.25
													0.00
													17.02
													0.00
													12.15
													0.00
3.80													13.98
													0.00
													250.00
													0.00
47.11	34.13	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	0.00	5204.79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47.11	34.13	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	0.00	5204.79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.55											384.00
													0.00
													344.81
													0.00
											10.00		660.51
													0.00
													5.80
													0.00
	5.47	4.06											290.59
													0.00
	8.89	9.30											866.57
													0.00
0.45		9.77											148.52
													0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
08	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज	मु.का.		250.00							
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	717.71	1124.96	0.00	10.81	0.00	834.33	90.07	36.31	88.12
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	717.71	1124.96	0.00	10.81	0.00	834.33	90.07	36.31	88.12
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश										
01	अवधेश प्रताप सिंह, रीवा	मु.का.	99.76	279.76				0.40			3.59
		क्षे.का.									
02	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	26.60		20.00	2.28		27.08			6.62
		क्षे.का.									
03	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इंदौर	मु.का.	13.33	180.00				74.06	7.90		9.72
		क्षे.का.									
04	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.						3.00			
		क्षे.का.									
05	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	मु.का.	14.29	180.00				41.21			19.16
		क्षे.का.									
06	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.									
		क्षे.का.									
07	नेशनल लॉ इन्स्टिट्यूट, भोपाल	मु.का.	198.48	380.52	53.09						
		क्षे.का.									
08	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.का.						81.67	2.18		10.70
		क्षे.का.									
09	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	मु.का.	1.13					14.87			0.50
		क्षे.का.									
10	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	मु.का.	8.00	262.80	19.20			9.00			
		क्षे.का.									
11	माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता, राष्ट्रीय जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.						0.40			
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	361.57	1283.08	92.29	2.28	0.00	251.69	10.08	0.00	50.28
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	361.57	1283.08	92.29	2.28	0.00	251.69	10.08	0.00	50.28
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	महाराष्ट्र										
01	एस.जी.बी. अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	मु.का.	161.70	395.55	5.63			90.36	27.81	32.58	6.39
		क्षे.का.									
02	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, लोनेरे	मु.का.						1.50			2.31
		क्षे.का.									
03	डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	मु.का.	58.89	139.69		5.42		59.03	21.31		42.49
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
													250.00
													0.00
0.45	14.36	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2950.81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.45	14.36	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2950.81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													383.51
													0.00
		3.95											86.52
													0.00
5.10	4.72										25.80		320.63
													0.00
													3.00
													0.00
1.60													256.26
													0.00
		12.00									10.00		22.00
													0.00
													632.09
													0.00
2.70													97.26
													0.00
	2.37	3.88									12.50		35.24
													0.00
													299.00
													0.00
													0.40
													0.00
9.40	7.09	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00	2135.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.40	7.09	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00	2135.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.75	5.17												728.95
													0.00
2.30													6.11
													0.00
16.25	6.38										79.37		428.83
		1.60											0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
04	मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई	मु.का.	184.93	583.13	6.75			77.39	7.99	70.68	
		क्षे.का.									
05	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	मु.का.	61.70	180.90	0.60			52.54	98.00		25.81
		क्षे.का.									
06	पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे	मु.का.	163.90	20.25		13.98		261.55	1.71	48.09	3.64
		क्षे.का.									
07	आर.टी.एम. नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	मु.का.	9.32	333.50		5.96		96.16	37.00		35.02
		क्षे.का.									
08	एस.एन.डी.टी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई	मु.का.	118.35	421.40	22.50	32.53		6.74			9.29
		क्षे.का.									
09	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	मु.का.	68.62	90.00		3.45		16.61	5.50	19.78	31.36
		क्षे.का.									
10	स्वामी आर.टी.एम. यूनिवर्सिटी, नांदेड	मु.का.	37.09	300.55	22.50			25.58	74.50		10.90
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	**864.50**	**2464.97**	**35.48**	**61.34**	**0.00**	**687.45**	**273.83**	**171.14**	**167.21**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**864.50**	**2464.97**	**35.48**	**61.34**	**0.00**	**687.45**	**273.83**	**171.14**	**167.21**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	ओड़ीसा										
01	बरहानपुर यूनिवर्सिटी, बरहानपुर	मु.का.	1.04					26.71	18.09		5.80
		क्षे.का.									
02	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	मु.का.						5.30			4.43
		क्षे.का.									
03	नार्थ ओड़ीसा यूनिवर्सिटी, बारीपाडा	मु.का.	40.00	270.00				11.49	35.00		7.59
		क्षे.का.									
04	रवेनशॉ यूनिवर्सिटी, कटक	मु.का.						15.80			0.94
		क्षे.का.									
05	सम्बलपुर, यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर	मु.का.	30.27	24.06	0.60			18.92			2.39
		क्षे.का.									
06	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	मु.का.	19.35	191.80	24.10						1.58
		क्षे.का.									
07	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	मु.का.	9.34	180.00				144.55	3.00		9.02
		क्षे.का.									
08	ओड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्वर एण्ड टेक्नोलॉजी	मु.का.						0.80			
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	**100.01**	**665.87**	**24.70**	**0.00**	**0.00**	**223.57**	**56.09**	**0.00**	**31.75**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**100.01**	**665.87**	**24.70**	**0.00**	**0.00**	**223.57**	**56.09**	**0.00**	**31.75**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	पंजाब										
01	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	मु.का.	50.45	513.11	12.19			93.42	1169.11	36.81	57.37
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
													932.46
													0.00
13.20											12.59		445.34
													0.00
		5.10											518.22
													0.00
9.85											33.06		559.87
													0.00
4.30													592.60
													0.00
7.45	2.40	10.39									29.24		284.80
													0.00
2.95													474.07
													0.00
60.05	13.95	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.26	0.00	4971.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.05	13.95	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.26	0.00	4971.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													51.64
													0.00
0.60													10.33
													0.00
	5.49												369.57
													0.00
													16.74
													0.00
											37.96		114.21
													0.00
											5.85		242.68
													0.00
3.35													349.26
													0.00
													0.80
													0.00
3.95	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81	0.00	1155.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.95	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81	0.00	1155.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.00	14.70	6.56		3.10									1977.81
													0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
02	पंजाब एग्री0 यूनिवर्सिटी, लुधियाना	मु.का.						22.88			5.57
		क्षे.का.									
03	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	मु.का.	3211.23	5352.44	7405.09			180.95	172.02	88.79	79.68
		क्षे.का.									
04	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	मु.का.	40.41	306.22				355.88	177.86	13.83	34.65
		क्षे.का.									
05	गुरू अंगद देव वेटनरी एण्ड एनिमल साइंस, पंजाब	मु.का.		42.38							22.18
		क्षे.का.									
06	राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ	मु.का.	263.96	473.95	32.69						
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	**3566.05**	**6688.09**	**7449.98**	**0.00**	**0.00**	**653.14**	**1518.99**	**139.43**	**199.44**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**3566.05**	**6688.09**	**7449.98**	**0.00**	**0.00**	**653.14**	**1518.99**	**139.43**	**199.44**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	राजस्थान										
01	जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	मु.का.	45.89	239.38	10.69	5.55		285.86	139.17	38.01	19.69
		क्षे.का.									
02	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	मु.का.						15.47			3.50
		क्षे.का.									
03	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	मु.का.	35.88	90.00		8.30		137.38			29.71
		क्षे.का.									
04	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	मु.का.	75.78	608.40	23.10			1513.61	1.85	7.31	82.14
		क्षे.का.									
05	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर	मु.का.	117.36	454.95	13.59						
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	**274.90**	**1392.73**	**47.38**	**13.85**	**0.00**	**1952.32**	**141.02**	**45.33**	**135.04**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**274.90**	**1392.73**	**47.38**	**13.85**	**0.00**	**1952.32**	**141.02**	**45.33**	**135.04**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	तमिलनाडु										
01	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुडी	मु.का.	43.54	349.40	0.60	3.23		21.64	35.00		65.73
		क्षे.का.									
02	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	733.62		331.89	6.76		60.91			10.16
		क्षे.का.									
03	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर	मु.का.	152.50	22.50	10.69			135.10	93.50	36.81	85.29
		क्षे.का.									
04	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	मु.का.	82.98	98.78		3.78		110.45	30.23		32.74
		क्षे.का.									
05	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	मु.का.	174.84	294.51	115.00	9.16		198.75	81.00		76.39
		क्षे.का.									
06	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	262.89	21.16	30.98			474.77	75.79	139.82	45.18
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
4.50													32.96
													0.00
16.50	16.51												16523.21
													0.00
4.12	3.27	2.56											938.80
													0.00
7.42													71.98
													0.00
													770.60
													0.00
53.54	34.47	9.11	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20315.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.54	34.47	9.11	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20315.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.40		13.08								38.45	42.99		884.15
													0.00
											35.00		53.97
													0.00
2.15	3.60									4.87	4.87		316.76
													0.00
12.80	150.83	17.23											2493.07
													0.00
													585.90
													0.00
20.35	154.42	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.32	82.86	0.00	4333.84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.35	154.42	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.32	82.86	0.00	4333.84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.20											30.65		573.99
													0.00
2.00													1145.34
													0.00
17.85	13.43	11.22									20.42		599.32
													0.00
2.00													388.91
													0.00
15.60		4.50											969.75
													0.00
13.00		9.94											1073.52
													0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
07	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	मु.का.	334.17	104.40	4.50	4.09		128.70	49.60	34.34	53.60
		क्षे.का.									
08	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेल्ली	मु.का.	48.18	115.85		5.00		102.48	43.15		36.52
		क्षे.का.									
09	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोडाईकनाल	मु.का.	21.58	182.93		5.44		6.19	10.08		1.51
		क्षे.का.									
10	पेरियार यूनिवर्सिटी, सेलम	मु.का.	42.14	140.90		5.00		50.56	25.00		28.77
		क्षे.का.									
11	तमिल यूनिवर्सिटी, थंजावुर	मु.का.									2.54
		क्षे.का.									
12	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी	मु.का.	117.27	361.79							
		क्षे.का.									
13	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	मु.का.									12.92
		क्षे.का.									
14	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.									
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	**2013.70**	**1692.21**	**493.66**	**41.46**	**0.00**	**1289.56**	**443.34**	**210.97**	**451.35**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**2013.70**	**1692.21**	**493.66**	**41.46**	**0.00**	**1289.56**	**443.34**	**210.97**	**451.35**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	उत्तर प्रदेश										
01	बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झाँसी	मु.का.	3.00	80.58	0.60			9.51			9.05
		क्षे.का.									
02	चौ० चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	मु.का.	0.48	236.75				36.78		81.65	11.51
		क्षे.का.									
03	छ० शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर	मु.का.		316.36				4.40			2.76
		क्षे.का.									
04	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	मु.का.	41.14	444.01	0.60			68.37	2.06	25.93	24.66
		क्षे.का.									
05	डॉ० भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	मु.का.	4.36	303.32				9.60			5.51
		क्षे.का.									
06	डॉ. आर.एम.एल. अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	मु.का.	19.72	269.68				3.63			0.38
		क्षे.का.									
07	जगद्गुरू रामभद्राचार्य हैण्डीकैप्ड यूनिवर्सिटी	मु.का.	237.61	203.59	156.87						0.68
		क्षे.का.									
08	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.	33.63					244.11		14.08	68.48
		क्षे.का.									
09	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	मु.का.						2.80			0.93
		क्षे.का.									
10	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	मु.का.	85.52	645.00	81.43			0.38			4.60
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
7.50													720.89
													0.00
8.85		79.17											439.21
													0.00
													226.71
													0.00
7.50													299.87
													0.00
	2.90										12.76		18.20
													0.00
													479.06
													0.00
													12.92
													0.00
							1.60	1.60					3.21
													0.00
98.50	16.33	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	91.79	0.00	6950.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98.50	16.33	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	91.79	0.00	6950.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.10										9.49			125.34
													0.00
1.60													368.78
													0.00
4.25													327.78
													0.00
		3.00											609.77
													0.00
1.35													324.14
													0.00
													293.41
													0.00
0.60											128.89		728.23
													0.00
13.50	5.97	3.88											383.64
													0.00
													3.73
													0.00
2.20													827.12
													0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
11	एस. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.का.		256.10				9.51			2.90
		क्षे.का.									
12	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	मु.का.	230.28	592.79	163.13			1.20			1.74
		क्षे.का.									
13	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 एण्ड टेक्नोलॉजी, कानपुर	मु.का.						0.40			
		क्षे.का.									
14	सैम हिग्गीनबोटॉम इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी साइंस	मु.का.						7.43			
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	655.74	3356.18	402.62	0.00	0.00	406.11	2.06	121.66	133.19
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	655.74	3356.18	402.62	0.00	0.00	406.11	2.06	121.66	133.19
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तराखण्ड										
01	जी.बी. पंत एग्री0 यूनिवर्सिटी, पंतनगर	मु.का.						5.70			5.15
		क्षे.का.									
02	कुँमाऊ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	मु.का.	138.15	39.95	4.50			105.90	38.77	26.98	18.84
		क्षे.का.									
03	दून यूनिवर्सिटी, देहरादून	मु.का.	11.99	190.97							
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	150.14	230.92	4.50	0.00	0.00	111.60	38.77	26.98	23.99
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	150.14	230.92	4.50	0.00	0.00	111.60	38.77	26.98	23.99
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पश्चिम बंगाल										
01	बंगाल इंजी0 एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी	मु.का.	154.48	48.48				45.78	41.00		9.31
		क्षे.का.									
02	बुर्दवान यूनिवर्सिटी, बुर्दवान	मु.का.	135.85	178.75	70.00			217.05	31.01		22.88
		क्षे.का.									
03	कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	479.48	45.11	10.69	4.15		621.25	222.79	36.81	54.50
		क्षे.का.									
04	जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	440.43	1445.82	299.41	15.12		693.98	165.69	47.96	55.24
		क्षे.का.									
05	कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी	मु.का.	46.71			6.12		118.85	40.00		22.47
		क्षे.का.									
06	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग	मु.का.	95.12	186.48		4.84		124.15	22.32		22.73
		क्षे.का.									
07	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.						20.15			0.56
		क्षे.का.									
08	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड साइंसिज, कोलकाता	मु.का.	355.32	387.90	32.58			5.80	6.00		
		क्षे.का.									

35	36	31	35	36	31	35	31	35		31	35	36	(31+35+36)
													268.51
													0.00
													989.13
													0.00
													0.40
													0.00
													7.43
													0.00
28.60	5.97	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	128.89	0.00	5257.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.60	5.97	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	128.89	0.00	5257.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.40	0.49												13.74
													0.00
		3.55											376.65
													0.00
													202.96
													0.00
2.40	0.49	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.40	0.49	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.55							5.10	5.10					317.80
													0.00
7.88		1.60									22.04		687.06
													0.00
8.85		6.17		0.55									1490.35
													0.00
15.25	23.57												3202.47
													0.00
1.50		10.00											245.65
													0.00
8.80		11.65											476.09
													0.00
													20.71
													0.00
													787.60
													0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36	31
09	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	मु.का.	108.24	98.10				40.55	51.90		11.21
		क्षे.का.									
10	प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी	मु.का.									5.80
		क्षे.का.									
11	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलकाता	मु.का.						0.40			
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	1815.63	2390.64	412.68	30.23	0.00	1887.96	580.71	84.77	204.69
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	1815.63	2390.64	412.68	30.23	0.00	1887.96	580.71	84.77	204.69
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

समग्र योग	मु.का.	15161.77	48084.50	9468.76	274.46	0.00	11672.97	4905.55	1146.41	2656.99
	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		15161.77	48084.50	9468.76	274.46	0.00	11672.97	4905.55	1146.41	2656.99

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग	51552.20	157183.78	49.08	69.89	0.00	9800.82	761.48	47.35	706.11
समविश्वविद्यालयों का कुल योग	3950.32	3994.01	3.38	34.36	0.00	1710.27	636.51	72.20	228.38
अंतरविश्वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग	2853.00	242.00	0.00	0.00	0.00	2429.07	1128.00	0.00	0.00
राज्य विश्वविद्यालया का कुल योग	15161.77	48084.50	9468.76	274.46	0.00	11672.97	4905.55	1146.41	2656.99
विश्वविद्यालयेतर संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5133.06	33.54	123.97	0.00
समग्र योग	73517.29	209504.29	9521.21	378.71	0.00	30746.19	7465.08	1389.92	3591.48

35	36	31	35	36	31	35	31			31	35	36	(31 + 35 + 36)
													315.71
													0.00
													5.80
													0.00
													0.40
													0.00
56.53	23.57	29.42	0.00	0.55	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	22.04	0.00	7549.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.53	23.57	29.42	0.00	0.55	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	22.04	0.00	7549.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616.26	355.10	418.72	0.00	3.65	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	56.79	790.00	0.00	95625.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616.26	355.10	418.72	0.00	3.65	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	56.79	790.00	0.00	95625.33
148.12	128.89	172.09	0.00	162.39	0.00	0.00	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221159.70
29.00	20.24	98.28	0.00	11.63	4.60	0.00	187.53	0.00	0.00	0.00	48.04	0.00	11028.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8750.00	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15433.82
616.26	355.10	418.72	0.00	3.65	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	56.79	790.00	0.00	95625.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5290.57
793.38	504.24	689.10	0.00	177.67	8754.60	0.00	603.49	6.71	0.00	56.79	838.04	0.00	348538.16

परिशिष्ट–XXI (जारी...)

वर्ष 2011–2012 के दौरान (प्रमुख शीर्ष–वार) सामान्य योजनागत, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी एवं धारा (III) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को प्रदान किये गए अनुदान का ब्यौरा।

क्र.सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-1			क्षेत्रक-2		क्षेत्रक-3		
			सामान्य अनुदान सहायता	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	अनुदान सहायता वेतन	सामान्य अनुदान सहायता	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	सामान्य अनुदान सहायता	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	अनुदान सहायता वेतन
			31	35	36	31	35	31	35	36
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय									
01	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	मु.का.						0.52		
		क्षे.का.								
02	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.का.	10.88	10.04		2.29		94.36	381.99	93.50
		क्षे.का.								
03	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर	मु.का.	2.84					2.13		
		क्षे.का.								
04	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.					24.80			
		क्षे.का.								
05	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	मु.का.	3.23	7.10				3.00	59.50	
		क्षे.का.								
06	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, जम्मू	मु.का.						0.10		
		क्षे.का.								
07	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर	मु.का.				3.12	92.40			
		क्षे.का.								
08	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.	187.27	213.90				133.44		76.91
		क्षे.का.								
09	गुरू घासी दास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	मु.का.						1.50		
		क्षे.का.								
10	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	135.25	56.25		1.96	12.50	58.86	71.40	4.00
		क्षे.का.								
11	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.का.						4.87		
		क्षे.का.								
12	मणीपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	मु.का.	72.77			2.33		20.00	30.00	
		क्षे.का.								
	उप योग	मु.का.	412.23	287.29	0.00	9.70	129.70	318.78	542.89	174.41
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइज़ौल	मु.का.	4.25					0.98		
		क्षे.का.								
14	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, कोहिमा	मु.का.	92.73	18.10				18.20	27.90	
		क्षे.का.								

क्षेत्रक-4			क्षेत्रक-5		क्षेत्रक-6	क्षेत्रक-7	क्षेत्रक-8	क्षेत्रक-9		समग्र योग
सामान्य अनुदान सहायता	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	अनुदान सहायता वेतन	सामान्य अनुदान सहायता	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	(31+35+36)	(31+35+36)	(31+35+36)	सामान्य अनुदान सहायता	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	
31	35	36	31	35				31	35	(31+35+36)
										0.52
										0.00
19.32			18.83							631.21
										0.00
0.25			10.17							15.38
										0.00
										24.80
										0.00
6.76			8.49							88.08
										0.00
10.34										10.44
										0.00
6.84										102.36
										0.00
168.06	1.14	81.67	24.57						4.10	891.06
										0.00
3.05			2.35							6.90
										0.00
41.65		1.01								382.88
										0.00
										4.87
										0.00
26.96			102.25							254.32
										0.00
283.23	1.14	82.68	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	2412.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.87			15.45							23.55
										0.00
2.30			11.86							171.08
										0.00

क्र.	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36
15	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मु.का.	11.65			1.78		1.15		
		क्षे.का.								
16	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी	मु.का.	34.86					2.21		
		क्षे.का.								
17	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मु.का.	25.00							
		क्षे.का.								
18	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	मु.का.								
		क्षे.का.								
	उपयोग	मु.का.	168.49	18.10	0.00	1.78	0.00	22.54	27.90	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	580.72	305.39	0.00	11.48	129.70	341.32	570.79	174.41
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		580.72	305.3	0.00	11.48	129.70	341.32	570.79	174.41
	समविश्वविद्यालय									
19	भारती विद्यापीठ, पुणे	मु.का.								
		क्षे.का.								
20	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद	मु.का.								21.05
		क्षे.का.								
21	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एण्ड सोशल साइंस, भुवनेश्वर	मु.का.	5.00	150.00	318.31					
		क्षे.का.								
	उप योग	मु.का.	5.00	150.00	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	5.00	150.00	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	5.00	150.00	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
	राज्य विश्वविद्यालय									
	आन्ध्र प्रदेश									
01	आर्चाय नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर	मु.का.	56.13			2.57		71.25	72.00	
		क्षे.का.								
02	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर	मु.का.	85.82			3.00		24.12	36.00	
		क्षे.का.								
03	ए.एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.				3.00				
		क्षे.का.								
04	काकातीय यूनिवर्सिटी, वारंगल	मु.का.	15.19							
		क्षे.का.								
05	उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	32.53		1.17	6.18		71.97	25.00	4.03
		क्षे.का.								
06	श्री कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	मु.का.								
		क्षे.का.								
07	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	मु.का.								
		क्षे.का.								

31	35	36	31	35	(31+35+36)	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	(31+35+36)
6.64			39.36							60.59
										0.00
2.27			19.89							59.23
										0.00
3.11		14.36								42.47
										0.00
1.80										1.80
										0.00
18.98	0.00	14.36	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.22	1.14	97.05	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	2771.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.22	1.14	97.05	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	2771.54
12.59										12.59
										0.00
										21.05
										0.00
										473.31
										0.00
12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.94
16.51								0.45		218.91
										0.00
19.67	0.50		55.12							224.24
										0.00
			49.52							52.52
										0.00
14.35			52.31							81.85
										0.00
24.55			83.38							248.82
										0.00
1.99			4.80							6.79
										0.00
3.13										3.13
										0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36
08	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति	मु.का.	41.07			3.67		15.00	25.00	
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	230.73	0.00	1.17	18.43	0.00	182.35	158.00	4.03
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	230.73	0.00	1.17	18.43	0.00	182.35	158.00	4.03
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	असम									
01	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़	मु.का.	63.63	8.55	1.84	10.65		23.07	29.45	27.78
		क्षे.का.								
02	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	मु.का.	54.64			5.32		12.41		
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	118.27	8.55	1.84	15.97	0.00	35.47	29.45	27.78
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	118.27	8.55	1.84	15.97	0.00	35.47	29.45	27.78
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बिहार									
01	बी.एन. मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा	मु.का.								
		क्षे.का.								
02	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी, मुज्जफरपुर	मु.का.	1.32					5.84		
		क्षे.का.								
03	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	मु.का.	4.86							
		क्षे.का.								
04	के.एस. दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.								
		क्षे.का.								
05	एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.	6.08							
		क्षे.का.								
06	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया	मु.का.	4.58			3.91		22.46		3.80
		क्षे.का.								
07	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	मु.का.	4.50	6.75				42.22	53.25	
		क्षे.का.								
08	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	मु.का.	3.44			6.39				
		क्षे.का.								
09	वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	मु.का.	6.89							
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	31.66	6.75	0.00	10.30	0.00	70.52	53.25	3.80
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	31.66	6.75	0.00	10.30	0.00	70.52	53.25	3.80
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	छत्तीसगढ़									
01	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	56.28	30.00				6.51		
		क्षे.का.								

31	35	36	31	35	(31+35+36)	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	(31+35+36)
6.61										91.35
										0.00
86.81	0.50	0.00	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	927.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86.81	0.50	0.00	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	927.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.58			230.34					0.05		418.94
										0.00
45.89		6.35	196.89					0.10		321.60
										0.00
69.48	0.00	6.35	427.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	740.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69.48	0.00	6.35	427.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	740.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.88			0.35					0.05		1.28
										0.00
4.32			11.61							23.09
										0.00
			21.74							26.60
										0.00
			2.40							2.40
										0.00
6.42			45.18							57.67
										0.00
18.72			18.56							72.03
										0.00
7.37										114.09
										0.00
1.46		3.97	12.86							28.12
										0.00
0.38			23.72					0.05		31.03
										0.00
39.54	0.00	3.97	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	356.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.54	0.00	3.97	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	356.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.44			21.62							130.85
										0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36
	कुल	मु.का.	56.28	30.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	56.28	30.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुजरात									
01	भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	मु.का.								
		क्षे.का.								
02	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	मु.का.	26.33					72.27	60.00	
		क्षे.का.								
03	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा (कच्छ)	मु.का.						0.43		
		क्षे.का.								
04	नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	मु.का.	11.14					61.86	90.00	
		क्षे.का.								
05	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, विद्यानगर, वल्लभ	मु.का.	56.84	13.50				71.00	106.50	
		क्षे.का.								
06	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	मु.का.	4.16					23.91	30.00	
		क्षे.का.								
07	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	मु.का.						0.50		
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	98.46	13.50	0.00	0.00	0.00	229.97	286.50	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	98.46	13.50	0.00	0.00	0.00	229.97	286.50	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गोवा									
01	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	मु.का.	2.84					1.12		
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	हरियाणा									
01	चौ0 चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार	मु.का.								
		क्षे.का.								
02	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र	मु.का.	101.95	307.37	0.32	5.22	71.63	90.54	476.88	7.75
		क्षे.का.								
03	महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक	मु.का.	43.39	77.95	0.14		44.50	21.58	185.70	6.33
		क्षे.का.								
04	चौ0 देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	मु.का.	4.57	35.74		2.33			47.60	
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	149.94	421.06	0.46	7.55	116.13	112.12	710.18	14.08
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	35	36	31	35	(31+35+36)	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	(31+35+36)
16.44	0.00	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.44	0.00	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.14							4.14
										0.00
1.73			98.73					0.02		259.06
										0.00
3.40										3.83
										0.00
6.56			38.36					0.10		208.02
										0.00
16.81			9.97							274.61
										0.00
10.90			11.86							80.83
										0.00
4.50	2.00									7.00
										0.00
43.90	2.00	0.00	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	837.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.90	2.00	0.00	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	837.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.85					0.28		15.07
										0.00
0.00	0.00	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	15.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	15.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.96		0.95							1.73	[illegible]
										0.00
55.84	1.50		148.93						1.73	1269.67
										0.00
14.97			61.23					3.12	2.58	461.49
										0.00
7.08			9.98					0.02		107.31
										0.00
78.85	1.50	0.95	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	6.05	1842.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36
	समग्र योग	मु.का.	149.94	421.06	0.46	7.55	116.13	112.12	710.18	14.08
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	हिमाचल प्रदेश									
01	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	मु.का.	10.12	18.11				41.26	60.00	
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	10.12	18.11	0.00	0.00	0.00	41.26	60.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	10.12	18.11	0.00	0.00	0.00	41.26	60.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू और कश्मीर									
01	जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू	मु.का.	6.71	40.85		6.77	15.50		82.15	
		क्षे.का.								
02	कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	5.17	79.44				4.10	39.81	
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	11.88	120.29	0.00	6.77	15.50	4.10	121.96	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	11.88	120.29	0.00	6.77	15.50	4.10	121.96	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	झारखण्ड									
01	राँची यूनिवर्सिटी, राँची	मु.का.						1.63		
		क्षे.का.								
02	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	मु.का.						4.31		
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक									
01	बंगलौर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु	मु.का.	74.08	56.13		19.87		45.78	34.89	
		क्षे.का.								
02	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा	मु.का.	12.35					0.69		
		क्षे.का.								
03	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	मु.का.	44.72	27.0				34.46	46.50	
		क्षे.का.								
04	कर्नाटक स्टेट वीमेन्स यूनिवर्सिटी, बीजापुर	मु.का.								0.64
		क्षे.का.								
05	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शिमोगा	मु.का.	9.92	65.00						0.74
		क्षे.का.								
06	मंगलौर यूनिवर्सिटी, मंगलौर	मु.का.	21.64	16.20		2.23		34.57	58.80	1.25
		क्षे.का.								
07	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	मु.का.	28.17	5.40				243.75	1957.90	156.00
		क्षे.का.								

31	35	36	31	35	(31+35+36)	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	(31+35+36)
78.85	1.50	0.95	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	6.05	1842.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.36			29.22							183.06
										0.00
24.36	0.00	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.36	0.00	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.17			14.65							170.80
										0.00
10.85			11.86							151.23
										0.00
15.01	0.00	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01	0.00	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.56								0.06		[illegible]
										0.00
0.88			2.80							7.99
										0.00
3.44	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	12.23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.44	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	12.23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.34			103.90					0.05		373.04
										0.00
1.67			55.56							70.27
										0.00
33.54	3.30		52.67					0.05		241.25
										0.00
			7.95							8.59
										0.00
21.71			38.93					0.10		136.40
										0.00
			42.01							176.70
										0.00
6.28			85.86							2483.37
										0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36
08	विश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बेलगांव	मु.का.	20.00					3.86		
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	210.89	169.73	0.00	22.10	0.00	362.11	2098.09	158.63
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	210.89	169.73	0.00	22.10	0.00	362.11	2098.09	158.63
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केरल									
01	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	मु.का.	34.50	30.63	0.86	1.35		23.36	24.33	13.16
		क्षे.का.								
02	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर	मु.का.				5.33		2.19		
		क्षे.का.								
03	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूअनंतपुरम	मु.का.	40.43	8.78		3.72		5.94	59.28	2.50
		क्षे.का.								
04	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.	101.69	60.30				28.57	61.68	4.36
		क्षे.का.								
05	श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, कलाडी	मु.का.	2.84							
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	179.45	99.70	0.86	10.40	0.00	60.06	145.28	20.02
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	179.45	99.70	0.86	10.40	0.00	60.06	145.28	20.02
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश									
01	अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा	मु.का.	0.38	32.93				7.48	10.08	
		क्षे.का.								
02	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	35.67			2.30		8.56		
		क्षे.का.								
03	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इंदौर	मु.का.						12.62	1.80	1.00
		क्षे.का.								
04	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	मु.का.						5.21		
		क्षे.का.								
05	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.का.	3.44					1.68	13.76	
		क्षे.का.								
06	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	मु.का.						0.82		
		क्षे.का.								
07	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	मु.का.						2.18		
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	39.49	32.93	0.00	2.30	0.00	38.56	25.64	1.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	39.49	32.93	0.00	2.30	0.00	38.56	25.64	1.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	महाराष्ट्र									
01	एस.जी.बी. अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	मु.का.	113.19	173.50		2.33		44.46	46.50	
		क्षे.का.								

31	35	36	31	35	(31+35+36)	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	(31+35+36)
7.09										30.95
										0.00
108.64	**3.30**	**0.00**	**386.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.20**	**0.00**	**3520.55**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
108.64	**3.30**	**0.00**	**386.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.20**	**0.00**	**3520.55**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
19.56		14.62	124.88							287.23
										0.00
3.07			8.58							19.17
										0.00
74.80	0.70	0.82	52.23							249.18
										0.00
56.36		11.79	159.89					0.14		484.77
										0.00
										2.84
										0.00
153.79	**0.70**	**27.22**	**345.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.14**	**0.00**	**1043.18**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
153.79	**0.70**	**27.22**	**345.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.14**	**0.00**	**1043.18**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
										50.86
										0.00
52.44		9.83	0.80							109.60
										0.00
2.07	2.00							0.03		19.52
										0.00
2.78										7.99
										0.00
13.56			11.86							44.31
										0.00
0.76										1.58
										0.00
										2.18
										0.00
71.61	**2.00**	**9.83**	**12.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**	**0.00**	**236.04**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
71.61	**2.00**	**9.83**	**12.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**	**0.00**	**236.04**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
49.89	2.20		261.34							693.41
										0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36
02	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	मु.का.	136.94	83.00				5.56	3.15	2.00
		क्षे.का.								
03	मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई	मु.का.	48.44	8.55		3.00		16.18	33.50	2.00
		क्षे.का.								
04	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	मु.का.	116.05	5.40		5.76		19.25	18.60	1.40
		क्षे.का.								
05	पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे	मु.का.	123.68			3.00		87.69	93.80	4.42
		क्षे.का.								
06	आर.टी.एम. नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	मु.का.	112.78			2.31		4.62		
		क्षे.का.								
07	एस.एन.डी.टी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई	मु.का.	2.84			2.26		39.85		
		क्षे.का.								
08	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	मु.का.	152.34	50.40				15.05	18.60	5.20
		क्षे.का.								
09	स्वामी आर.टी.एम. यूनिवर्सिटी, नांदेड	मु.का.	54.92	14.63		3.00		18.92	58.48	7.90
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	**861.18**	**335.48**	**0.00**	**21.66**	**0.00**	**251.58**	**272.63**	**22.92**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**861.18**	**335.48**	**0.00**	**21.66**	**0.00**	**251.58**	**272.63**	**22.92**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	ओड़ीसा									
01	बरहानपुर यूनिवर्सिटी, बरहानपुर	मु.का.	1.42							
		क्षे.का.								
02	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	मु.का.								
		क्षे.का.								
03	नार्थ ओड़ीसा यूनिवर्सिटी, बारीपाडा	मु.का.	20.00							
		क्षे.का.								
04	सम्बलपुर, यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर	मु.का.	21.35							
		क्षे.का.								
05	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	मु.का.	24.36	8.10		2.25		123.80	105.15	
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	**67.13**	**8.10**	**0.00**	**2.25**	**0.00**	**123.80**	**105.15**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**67.13**	**8.10**	**0.00**	**2.25**	**0.00**	**123.80**	**105.15**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	पंजाब									
01	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	मु.का.	163.57	441.27		5.89	148.00	14.38	556.78	1.00
		क्षे.का.								
02	पंजाब एग्री0 यूनिवर्सिटी, लुधियाना	मु.का.						20.00	30.00	
		क्षे.का.								
03	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	मु.का.	145.89	314.68	1.88	7.60	169.12	19.18	266.77	19.54
		क्षे.का.								

31	35	36	31	35	(31+35+36)	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	(31+35+36)
45.56	0.95		274.07							551.24
										0.00
80.22	1.15		65.37					0.91	0.03	259.35
										0.00
17.56			113.63							297.66
										0.00
84.60			142.02							539.21
										0.00
27.51	1.00		356.49							504.70
										0.00
10.14			15.12							70.20
										0.00
25.66	0.40		362.43							630.09
										0.00
26.81			194.51							379.16
										0.00
367.95	5.70	0.00	1784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.03	3925.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367.95	5.70	0.00	1784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.03	3925.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.99			6.73							10.14
										0.00
			0.80							0.80
										0.00
7.53			3.00							30.53
										0.00
1.96			47.90							71.21
										0.00
26.65	1.70		44.30							336.31
										0.00
38.13	1.70	0.00	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.13	1.70	0.00	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.08			173.52					0.10		1588.59
										0.00
										50.00
										0.00
70.19			174.35					0.10		1189.30
										0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36
04	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	मु.का.	28.85	104.70			135.40	15.38	135.21	2.50
		क्षे.का.								
05	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	मु.का.		38.17						
		क्षे.का.								
06	गुरू अंगद देव वेटनरी एण्ड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी	मु.का.						2.50		
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	**338.31**	**898.83**	**1.88**	**13.49**	**452.52**	**71.45**	**988.76**	**23.04**
		RO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**338.31**	**898.83**	**1.88**	**13.49**	**452.52**	**71.45**	**988.76**	**23.04**
		RO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	राजस्थान									
01	जयनारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	मु.का.	45.48	5.38				14.02	18.52	
		क्षे.का.								
02	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	मु.का.	0.68			2.51		17.26		
		क्षे.का.								
03	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	मु.का.						0.71		
		क्षे.का.								
04	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	मु.का.	61.26			2.33		251.59	1918.75	85.30
		क्षे.का.								
05	यूनिवर्सिटी ऑफ बीकानेर, बीकानेर	मु.का.						48.08		
		क्षे.का.								
06	कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा	मु.का.						35.78		
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	**107.41**	**5.38**	**0.00**	**4.83**	**0.00**	**367.44**	**1937.27**	**85.30**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग	मु.का.	**107.41**	**5.38**	**0.00**	**4.83**	**0.00**	**367.44**	**1937.27**	**85.30**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	तमिलनाडु									
01	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुडी	मु.का.	8.91							
		क्षे.का.								
02	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.								
		क्षे.का.								
03	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	मु.का.	78.13	2.93		14.61		109.48	168.38	3.48
		क्षे.का.								
04	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	मु.का.	45.50	32.83		4.08		147.43	241.18	
		क्षे.का.								
05	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	42.27			12.47		65.25		
		क्षे.का.								
06	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	मु.का.	69.30	7.43		17.70		60.78	67.33	16.75
		क्षे.का.								
07	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेल्ली	मु.का.	45.82			3.00		14.43	26.73	2.72
		क्षे.का.								

31	35	36	31	35	(31 + 35 + 36)	(31 + 35 + 36)	(31 + 35 + 36)	31	35	(31 + 35 + 36)
16.66			56.50							495.22
										0.00
										38.17
										0.00
										2.50
										0.00
170.93	0.00	0.00	404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	3363.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170.93	0.00	0.00	404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	3363.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.60							83.99
										0.00
4.54										24.99
										0.00
3.16										3.88
										0.00
36.21		9.95	11.86							2377.24
										0.00
										48.08
										0.00
13.88										49.66
										0.00
57.80	0.00	9.95	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2587.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.80	0.00	9.95	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2587.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.18	1.25		30.69							50.03
										0.00
35.52										35.52
										0.00
120.80	1.45		45.40							544.64
										0.00
59.25			66.23							596.49
										0.00
79.20	1.50		71.78							272.48
										0.00
69.21			157.30							465.78
										0.00
82.90	0.55		215.22							391.37
										0.00

	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36
08	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोडाईकनाल	मु.का.								
		क्षे.का.								
09	पेरियार यूनिवर्सिटी, सलेम	मु.का.								1.40
		क्षे.का.								
10	थिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी, वेल्लोर	मु.का.	3.44							
		क्षे.का.								
11	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी,	मु.का.						2.20		
		क्षे.का.								
12	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.						4.20		
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	293.38	43.18	0.00	51.85	0.00	403.77	503.60	24.34
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	293.38	43.18	0.00	51.85	0.00	403.77	503.60	24.34
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश									
01	बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झाँसी	मु.का.	2.93	14.24	0.50		1.94	7.76		
		क्षे.का.								
02	चौ० चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	मु.का.	54.74	288.29	0.32		59.80	100.35	226.17	38.79
		क्षे.का.								
03	छ० शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर	मु.का.	41.62	77.89			40.00	54.28	47.26	1.00
		क्षे.का.								
04	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	मु.का.	112.89	159.15			206.02	19.40	131.15	1.00
		क्षे.का.								
05	डॉ० भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	मु.का.	32.87	191.66			71.00	81.54	278.70	9.07
		क्षे.का.								
06	डॉ. आर.एम.एल. अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	मु.का.	31.28	289.98			102.40	11.69	91.98	1.00
		क्षे.का.								
07	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.	32.57	65.60	1.80		9.69	18.52	48.41	6.20
		क्षे.का.								
08	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	मु.का.	16.40					39.00	61.00	
		क्षे.का.								
09	एम.जे.पी रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	मु.का.	21.38	72.37			24.90	25.80	4.50	1.20
		क्षे.का.								
10	एस. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.का.	16.71	164.76			84.00		3.49	
		क्षे.का.								
11	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	मु.का.	72.13	285.91	0.63		82.50	61.23	48.05	8.07
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	435.50	1609.86	3.25	0.00	682.25	419.57	940.70	66.32
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	435.50	1609.86	3.25	0.00	682.25	419.57	940.70	66.32
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	35	36	31	35	(31+35+36)	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	(31+35+36)
6.88										6.88
										0.00
2.05	0.50									3.95
										0.00
			11.86							15.30
										0.00
										2.20
										0.00
										4.20
										0.00
465.00	5.25	0.00	598.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2388.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465.00	5.25	0.00	598.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2388.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.10			5.95							38.42
										0.00
60.72	1.55		20.65							851.37
										0.00
102.01			79.88					0.20		444.15
										0.00
50.76			277.49							957.85
										0.00
36.82	1.50		44.44							747.59
										0.00
46.75			95.96							671.02
										0.00
13.54			33.02							229.36
										0.00
										187.90
										0.00
38.78	1.00		23.59							213.51
										0.00
3.51			14.97					0.17	2.47	290.07
										0.00
43.21	3.82		67.29							672.85
										0.00
401.21	7.87	0.00	734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	2.47	5304.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.21	7.87	0.00	734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	2.47	5304.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#	विश्वविद्यालय		31	35	36	31	35	31	35	36
	उत्तराखण्ड									
01	जी.बी. पंत एग्री0 यूनिवर्सिटी, पंतनगर	मु.का.						1.74		
		क्षे.का.								
02	कुँनाऊ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	मु.का.	2.20	3.81			9.69		1.80	1.00
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	2.20	3.81	0.00	0.00	9.69	1.74	1.80	1.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	2.20	3.81	0.00	0.00	9.69	1.74	1.80	1.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पश्चिम बंगाल									
01	बंगाल इंजी0 एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी	मु.का.	0.68							
		क्षे.का.								
02	बुर्दवान यूनिवर्सिटी, बुर्दवान	मु.का.	126.54	35.00				41.34	60.00	
		क्षे.का.								
03	कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	17.34	113.50		7.65		62.27	46.50	
		क्षे.का.								
04	जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.						232.50	520.44	
		क्षे.का.								
05	कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी	मु.का.	3.59	5.40				13.16	18.60	
		क्षे.का.								
06	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग	मु.का.	1.35					18.89	24.94	
		क्षे.का.								
07	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	मु.का.	62.82			3.69		20.00	30.00	
		क्षे.का.								
	कुल	मु.का.	212.31	153.90	0.00	11.34	0.00	388.15	700.47	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	212.31	153.90	0.00	11.34	0.00	388.15	700.47	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

समग्र योग	मु.का.	3457.42	3979.13	9.45	199.24	1276.09	3177.59	9138.71	452.27
	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		3457.42	3979.13	9.45	199.24	1276.09	3177.59	9138.71	452.27

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग	580.72	305.39	0.00	11.48	129.70	341.32	570.79	174.41
समविश्वविद्यालयों का कुल योग	5.00	150.00	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
अंतरविश्वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य विश्वविद्यालया का कुल योग	3457.42	3979.13	9.45	199.24	1276.09	3177.59	9138.71	452.27
समग्र योग	4043.15	4434.52	327.76	210.72	1405.79	3518.91	9709.50	647.73

31	35	36	31	35	(31+35+36)	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	(31+35+36)
										1.74
										0.00
10.11										28.61
										0.00
10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.24										5.91
										0.00
5.82			40.94							309.63
										0.00
47.95		2.81	15.11							313.12
										0.00
										752.94
										0.00
0.31			0.60							41.66
										0.00
8.32			6.98							60.47
										0.00
1.62		6.20	44.16					0.03		168.51
										0.00
69.24	0.00	9.01	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	1652.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69.24	0.00	9.01	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	1652.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2292.23	30.52	67.29	5773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	8.54	29868.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2292.23	30.52	67.29	5773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	8.54	29868.26
302.22	1.14	97.05	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	2771.54
12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2292.23	30.52	67.29	5773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	8.54	29868.26
2607.03	31.66	164.34	6026.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	12.64	33146.74

परिशिष्ट-XXI

सारांश (योजनागत) 2011–2012

		पहुँच में कुल वृद्धि	अंशधारिता	गुणवत्ता और उत्कृष्टता	अनुसंधान परियोजनाएँ	प्रासंगिकता एवं मूल्य आधारित शिक्षा	आईसीटी समेकन	शासन एवं कार्य-कुशलता सुधार	नयी योजनाएँ	दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्ध देयताएँ	कुल
		(लाख रु0 में)									
		क्षेत्रक-1	क्षेत्रक-2	क्षेत्रक-3	क्षेत्रक-4	क्षेत्रक-5	क्षेत्रक-6	क्षेत्रक-7	क्षेत्रक-8	क्षेत्रक-9	क्षेत्रक 1-9
विश्वविद्यालय											
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	मु.का.	208785.06	69.89	10609.64	983.12	334.49	0.00	377.50	0.00	0.00	221159.70
	क्षे.का.										
सम विश्वविद्यालय	मु.का.	7947.71	34.36	2418.98	259.62	109.91	4.60	187.53	0.00	48.04	11010.75
	क्षे.का.										
राज्य विश्वविद्यालय	मु.का.	72715.03	274.46	17724.93	3628.35	422.37	0.00	13.41	0.00	846.78	95625.33
	क्षे.का.										
अंतर–विश्वविद्यालय		3095.00	0.00	3557.07	0.00	0.00	8750.00	31.75	0.00	0.00	15433.82
विश्वविद्यालयेतर संस्थान		0.00	0.00	5290.57	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5308.57
कुल	मु.का.	292542.79	378.71	39601.19	4889.09	866.77	8754.60	610.19	0.00	894.82	348538.16
	क्षे.का.										
कुल विश्वविद्यालय		292542.79	378.71	39601.19	4889.09	866.77	8754.60	610.19	0.00	894.82	348538.16
महाविद्यालय											
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	मु.का.	886.11	141.18	1086.52	400.41	253.22	0.00	0.00	0.00	4.10	2771.54
	क्षे.का.										
सम विश्वविद्यालय	मु.का.	473.31	0.00	21.05	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.94
	क्षे.का.										
राज्य विश्वविद्यालय	मु.का.	7446.01	1475.33	12768.56	2390.04	5773.61	0.00	0.00	0.00	14.71	29868.26
	क्षे.का.										
अंतर–विश्वविद्यालय संस्थान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	मु.का.	8805.42	1616.51	13876.13	2803.04	6026.82	0.00	0.00	0.00	18.81	33146.74
	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाविद्यालयों का योग		8805.42	1616.51	13876.13	2803.04	6026.82	0.00	0.00	0.00	18.81	33146.74
समग्र योग्र विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय		301348.22	1995.22	53477.32	7692.12	6893.59	8754.60	610.19	0.00	913.63	381684.90
क्षेत्रीय केन्द्र		46668.55	12752.07	25897.27	4765.12					308.45	90391.46
स्थापना				15.28		0.20		50.76			66.24
समग्र योग		348016.77	14747.29	79389.87	12457.24	6893.79	8754.60	660.95	0.00	1222.08	472142.60

परिशिष्ट-XXI (जारी...)

क्र. सं	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			अ.जा. हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अ.जा. हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अ.जा. हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अ.जा. हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति गैर–विश्व–विद्यालय संस्थान
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय		10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
01	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	मु.का.	5.00				657.57	
		क्षे.का.						
02	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.का.	40.00				8.29	
		क्षे.का.						
03	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर	मु.का.	25.00	32.00			34.55	
		क्षे.का.						
04	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.	76.50	5.00				
		क्षे.का.						
05	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	मु.का.	208.00	52.00			14.40	
		क्षे.का.						
06	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर	मु.का.	12.50	2.50			4.40	
		क्षे.का.						
07	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुड़गॉंव	मु.का.	2.50					
		क्षे.का.						
08	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिन्डा	मु.का.	15.00				4.59	
		क्षे.का.						
09	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.	75.00	90.00			17.49	
		क्षे.का						
10	डॉ० एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	मु.का.	12.50	5.00				
		क्षे.का						
11	गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	मु.का.	5.00	2.50				
		क्षे.का						
12	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	12.50	6.00				
		क्षे.का						
13	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.का.	108.50	133.00			94.04	
		क्षे.का						
14	इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकण्टक	मु.का.		10.00				
		क्षे.का						
15	जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.	40.00	20.00			155.94	
		क्षे.का						
16	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.	140.00	229.00			203.23	
		क्षे.का						
17	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	मु.का.	46.00	13.00			6.80	
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
18	मणीपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	मु.का.		10.00				
		क्षे.का						
	उप योग	मु.का.	824.00	610.00	0.00	0.00	1201.30	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	2.50				19.82	
		क्षे.का						
20	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइज़ौल	मु.का.		15.00				
		क्षे.का						
21	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, कोहिमा	मु.का.		2.50				
		क्षे.का						
22	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मु.का.	7.50	77.50			41.34	
		क्षे.का						
23	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी	मु.का.	70.00	35.00			39.41	
		क्षे.का						
24	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मु.का.		22.50				
		क्षे.का						
25	सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक	मु.का.	2.50	2.50			9.92	
		क्षे.का						
26	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर	मु.का.	15.00	4.50			6.20	
		क्षे.का						
27	दी इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	17.50	22.00		4.00	24.09	
		क्षे.का						
28	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	मु.का.		2.00			1.63	
		क्षे.का						
29	विश्वभारती, शान्ति निकेतन	मु.का.	12.50	4.50			1.41	
		क्षे.का						
	उप योग	मु.का.	127.50	188.00	0.00	4.00	143.83	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	951.50	798.00	0.00	4.00	1345.13	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	951.50	798.00	0.00	4.00	1345.13	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समविश्वविद्यालय							
01	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	मु.का.	14.50	12.00			1.21	
		क्षे.का.						
02	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टैक0 एण्ड साइंस, पिलानी	मु.का.					0.76	
		क्षे.का						
03	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टैक0, राँची	मु.का.	5.00	4.50			0.88	
		क्षे.का						
04	एस.एच.आई. ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एण्ड साईस (कृषि संस्थान), इलाहाबाद	मु.का.	21.60	4.50				
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
05	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिर्सच इंस्टिट्यूट, पुणे	मु.का.	1.76	2.50				
		क्षे.का						
06	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	मु.का.	5.00					
		क्षे.का						
07	करपागन एकेडमी ऑफ रिसर्च एण्ड हायर एजूकेशन	मु.का.			5.00			
		क्षे.का						
08	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई	मु.का.					3.45	
		क्षे.का						
09	जर्नादन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	मु.का.	2.50	8.50				
		क्षे.का						
10	थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजि० एण्ड टेक्नोलॉजी, पटियाला	मु.का.	7.50				15.06	
		क्षे.का						
11	अविनाश लिंगम इंस्टिट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर ऐजुकेशन, कोयम्बटूर	मु.का.		4.50				
		क्षे.का						
12	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	मु.का.	22.50	2.50				
		क्षे.का						
13	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, डिन्डीगुल	मु.का.	7.50				3.18	
		क्षे.का						
14	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	मु.का.	12.50	82.50				
		क्षे.का						
15	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	मु.का.	19.50	4.00				
		क्षे.का						
16	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	मु.का.	12.50	2.50				
		क्षे.का						
17	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइसिज, मुम्बई	मु.का.					3.62	
		क्षे.का						
18	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	मु.का.	7.00				56.56	
		क्षे.का						
19	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, मानसरोवर, जयपुर	मु.का.				2.50		
		क्षे.का						
20	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
	उप योग	**मु.का**	141.86	128.00	5.00	2.50	84.71	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	बी.एस. अब्दुर रहमान यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.					6.50	
		क्षे.का						
22	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूसा, नई दिल्ली	मु.का.					11.71	
		क्षे.का						
23	कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डिस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	मु.का.			5.50			
		क्षे.का						
24	फॉरेस्ट रिर्सच इंस्टिट्यूट, देहरादून	मु.का.					4.01	
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
25	नूर इस्लामिक सेन्टर फॉर हायर एड्यूकेशन	मु.का.					3.91	
		क्षे.का						
26	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लोनी, अहमदनगर	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
27	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	मु.का.	7.50	4.50				
		क्षे.का						
28	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंस, मुंबई	मु.का.	4.50	2.00				
		क्षे.का						
29	करूण्या यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर	मु.का.			5.00		4.17	
		क्षे.का						
30	वेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टक्नोलॉजी, वेल्लोर	मु.का.					3.55	
		क्षे.का						
31	भारती विद्यापीठ, पुणे	मु.का.	2.00					
		क्षे.का						
32	क्राईस्ट कॉलेज, कर्नाटक	मु.का.		2.50				
		क्षे.का						
	उप योग	मु.का	16.50	9.00	10.50	0.00	33.85	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस	मु.का.	3.00	11.50				
		क्षे.का						
34	नव नालंदा महाविद्यालय, नालंदा	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
35	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशर्स एजूकेशन फिशर्स यूनिवर्सिटी	मु.का.					1.18	
		क्षे.का						
36	शिक्षा 'ओ' अनुसंधान यूनिवर्सिटी	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
37	एनईआरआई ऑफ साइंस एण्ड टक्नोलॉजी, आईटीए	मु.का.		2.50				
		क्षे.का						
38	आई आई टी, गुवाहाटी	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
39	एम.एम. यूनिवर्सिटी, अम्बाला	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
40	नेहरूग्राम भारती यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
	उप योग	मु.का	3.00	14.00	12.50	0.00	1.18	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का	161.36	151.00	28.00	2.50	119.74	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	161.36	151.00	28.00	2.50	119.74	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
	राज्य विश्वविद्यालय							
	आन्ध्र प्रदेश							
01	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर	मु.का.	92.91	6.00				
		क्षे.का						
02	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर	मु.का.	170.74	31.50			8.13	
		क्षे.का						
03	आचार्य ए.एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	10.00	5.47				
		क्षे.का						
04	जवाहर लाल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
05	काकातीय यूनिवर्सिटी, वारंगल	मु.का.	22.50	42.00				
		क्षे.का						
06	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
07	उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	77.50	67.50			30.78	
		क्षे.का						
08	पोट्टी श्रीरामुलू तेलुगू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	20.00	5.00				
		क्षे.का						
09	श्री कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	मु.का.	16.00	7.50			6.33	
		क्षे.का						
10	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	मु.का.	9.50				1.67	
		क्षे.का						
11	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति	मु.का.	110.00	30.50	5.00		2.89	
		क्षे.का						
12	कृष्णा यूनिवर्सिटी, मुचलीपटनम	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
13	विक्रम सिम्हापुरी यूनिवर्सिटी	मु.का.			5.00	2.50		
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	536.64	195.47	10.00	2.50	49.79	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	539.64	195.47	10.00	2.50	49.79	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	असम							
01	असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोरहट	मु.का.	2.50	2.50				
		क्षे.का						
02	डिब्रूगढ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ	मु.का.		2.50			2.61	
		क्षे.का						
03	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	मु.का.	10.50	41.00			39.13	
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
	कुल	मु.का	13.00	46.00	0.00	0.00	41.74	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	13.00	46.00	0.00	0.00	41.74	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बिहार							
01	भुपेन्द्र नारायण मण्डल यूनिवर्सिटी, माधेपुरा	मु.का.	30.00				2.78	
		क्षे.का						
02	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मुज्जफरपुर (बिहार)	मु.का.	20.00					
		क्षे.का						
03	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	मु.का.	42.50					
		क्षे.का						
04	ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.	45.00					
		क्षे.का						
05	मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया	मु.का.	37.50				1.62	
		क्षे.का						
06	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	मु.का.	42.50	2.50			3.71	
		क्षे.का						
07	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	मु.का.	10.00	7.50				
		क्षे.का						
08	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	मु.का.	17.50					
		क्षे.का						
09	राजेन्द्र एग्रीकल्वरल यूनिवर्सिटी, समस्तीपुर	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	247.50	10.00	0.00	0.00	8.11	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	247.50	10.00	0.00	0.00	8.11	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	छत्तीसगढ़							
01	हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर	मु.का.				2.50		
		क्षे.का						
02	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
03	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.						1.29
		क्षे.का						
04	पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, रायपुर	मु.का.	30.00	22.50				
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	32.50	22.50	0.00	2.50	0.00	1.29
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	32.50	22.50	0.00	2.50	0.00	1.29
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
	दिल्ली							
01	गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुजरात							
01	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी भावनगर युनिवर्सिटी, भावनगर	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
02	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	मु.का.	17.50	18.00			15.73	
		क्षे.का						
03	दी महाराजा स्याजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा (कच्छ)	मु.का.		2.50			0.89	
		क्षे.का						
04	हेमचन्द्राचार्य नॉर्थ गुजरात युनिवर्सिटी, पाटन	मु.का.	5.00	2.50				
		क्षे.का						
05	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ, विद्यानगर	मु.का.	17.50	27.50			5.12	
		क्षे.का						
06	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	मु.का.	22.50	18.00			6.17	
		क्षे.का						
07	वीर नरमद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	मु.का.	7.50	16.50				
		क्षे.का						
08	एस.के.एन.डी. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
09	नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी	मु.का.			2.50			0.99
		क्षे.का						
10	श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, जूनागढ	मु.का.			12.00			
		क्षे.का						
11	आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आनंद	मु.का.			7.50	2.00		
		क्षे.का						
12	धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, नाडियाड	मु.का.					1.18	
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	72.50	85.00	24.50	2.00	29.09	0.99
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	72.50	85.00	24.50	2.00	29.09	0.99
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गोवा							
01	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	मु.का.					13.80	
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
	कुल	मु.का	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	हरियाणा							
01	चौ0 चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार	मु.का.	7.50					
		क्षे.का						
02	गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार	मु.का.	10.00					
		क्षे.का						
03	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र	मु.का.	42.50					
		क्षे.का						
04	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	मु.का.	30.00					
		क्षे.का						
05	चौ0 देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	मु.का.	7.50					
		क्षे.का						
06	एलएलआर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एण्ड एनिमल साइंसेज, हिसार	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	97.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	97.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	हिमाचल प्रदेश							
01	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	मु.का.	30.00	55.50			6.49	
		क्षे.का						
02	सोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट साइंसेज, सोलन	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
03	वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, नौनी	मु.का.	7.50				1.07	
		क्षे.का						
04	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालनपुर	मु.का.	5.00					
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	42.50	55.50	2.50	0.00	7.55	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	42.50	55.50	2.50	0.00	7.55	0.00
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू और कश्मीर							
01	जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू	मु.का.	17.50	16.50			6.87	
		क्षे.का						
02	कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.		2.50			12.40	
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
03	शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री० एण्ड टेक०, श्रीनगर	मु.का.		2.50			20.36	
		क्षे.का						
04	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पुलवामा	मु.का.					0.91	
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	17.50	21.50	0.00	0.00	40.53	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	17.50	21.50	0.00	0.00	40.53	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	झारखण्ड							
01	राँची यूनिवर्सिटी, राँची	मु.का.	15.00	72.50				
		क्षे.का						
02	सिद्धू कान्हू मुरुमू यूनिवर्सिटी, दुनका	मु.का.	5.00					
		क्षे.का						
03	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	मु.का.		6.50				
		क्षे.का						
04	बिरसा एग्री० यूनिवर्सिटी, राँची	मु.का.		6.00				
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	20.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	20.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक							
01	बंगलौर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु	मु.का.	29.50	6.50			4.70	
		क्षे.का						
02	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा	मु.का.	6.73	8.00			12.36	
		क्षे.का						
03	कन्नड़ यूनिवर्सिटी, हम्पी	मु.का.	7.50	12.50				
		क्षे.का						
04	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	मु.का.	15.00	28.00			8.35	
		क्षे.का						
05	कर्नाटक स्टेट वीमेन्स यूनिवर्सिटी, बीजापुर	मु.का.	10.00					
		क्षे.का						
06	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शिमोगा	मु.का.	20.00	50.00				
		क्षे.का						
07	मंगलौर यूनिवर्सिटी, मंगलौर	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
08	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	मु.का.	142.50	20.50			8.73	
		क्षे.का						
09	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री० साइंसिज, बेंगलुरु	मु.का.	20.00	6.00			0.87	
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
10	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 साइंसिज, धारवाड़	मु.का.		11.50			12.35	
		क्षे.का						
11	के.वी.ए.एफ.एस. यूनिवर्सिटी, बिदर	मु.का.			10.00			
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	253.73	143.00	10.00	0.00	47.36	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	253.73	143.00	10.00	0.00	47.36	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केरल							
01	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	मु.का.	15.00	2.50			31.60	
		क्षे.का						
02	कोच्ची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक0, कोच्ची	मु.का.	7.50				13.50	
		क्षे.का						
03	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर	मु.का.	5.00					
		क्षे.का						
04	केरल एग्री0 यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.					3.53	
		क्षे.का						
05	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूअनंतपुरम	मु.का.	24.00				40.39	
		क्षे.का						
06	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.	30.00	7.00			8.40	
		क्षे.का						
07	श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, कलाडी	मु.का.	5.00	2.50				
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	86.50	12.00	0.00	0.00	97.43	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	86.50	12.00	0.00	0.00	97.43	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश							
01	अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा	मु.का.	12.50					
		क्षे.का						
02	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	15.00	4.50			11.69	
		क्षे.का						
03	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इन्दौर	मु.का.	52.50	113.00			5.85	
		क्षे.का						
04	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	मु.का.	17.50	2.50			8.16	
		क्षे.का						
05	मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, भोपाल	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
06	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.का.	35.00	20.00			3.51	
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(a)	12(ख)
07	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	मु.का.	55.00	29.50			11.50	
		क्षे.का						
08	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	मु.का.	2.00					
		क्षे.का						
09	जे जी आर एच यूनिवर्सिटी, चित्रकूट	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	192.00	169.50	2.50	0.00	40.71	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	192.00	169.50	2.50	0.00	40.71	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	महाराष्ट्र							
01	एस.जी.बी. अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	मु.का.	7.50	6.03			4.87	
		क्षे.का						
02	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	मु.का.	88.00	15.50			40.98	
		क्षे.का						
03	मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई	मु.का.	5.00	5.94				
		क्षे.का						
04	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	मु.का.	2.50				1.53	
		क्षे.का						
05	पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे	मु.का.	10.00	4.50			4.55	
		क्षे.का						
06	आर.टी.एम. नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	मु.का.	20.00				1.11	
		क्षे.का						
07	एस.एन.डी.टी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
08	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	मु.का.	27.50				13.86	
		क्षे.का						
09	स्वामी आर.टी.एम. यूनिवर्सिटी, नांदेड़	मु.का.	40.00	17.64			59.03	
		क्षे.का						
10	यशवन्त राव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक	मु.का.		4.00				
		क्षे.का						
11	मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, परभानी	मु.का.	5.00					
		क्षे.का						
12	सोलापुर यूनिवर्सिटी, सोलापुर	मु.का.			5.00			
		क्षे.का						
13	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई	मु.का.	12.50					
		क्षे.का						
14	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी	मु.का.	5.00					
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	225.50	53.61	5.00	0.00	125.94	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
	समग्र योग	मु.का	225.50	53.61	5.00	0.00	125.94	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ओड़ीसा							
01	बरहामपुर यूनिवर्सिटी, बरहामपुर	मु.का.	45.00	18.00			2.77	
		क्षे.का						
02	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	मु.का.	12.50					
		क्षे.का						
03	नार्थ ओड़ीसा यूनिवर्सिटी, बारीपाडा	मु.का.	2.50	2.50			0.36	
		क्षे.का						
04	रवेनशॉ यूनिवर्सिटी, कटक	मु.का.	10.50	2.50				
		क्षे.का						
05	सम्बलपुर, यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर	मु.का.	22.50	17.50			2.14	
		क्षे.का						
06	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	मु.का.	5.00	2.50				
		क्षे.का						
07	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	मु.का.	27.50	44.00				
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	125.50	87.00	0.00	0.00	5.27	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	125.50	87.00	0.00	0.00	5.27	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पंजाब							
01	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	मु.का.	60.00				80.62	
		क्षे.का						
02	पंजाब एग्री0 यूनिवर्सिटी, लुधियाना	मु.का.	32.50	7.50			8.43	
		क्षे.का						
03	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ	मु.का.	60.50	15.00			66.15	
		क्षे.का						
04	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	मु.का.	72.50				70.67	
		क्षे.का						
05	गुरू अंगद देव वेटनरी एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, लुधियाना	मु.का.					3.46	
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	225.50	22.50	0.00	0.00	229.33	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	225.50	22.50	0.00	0.00	229.33	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्थान							
01	जयनारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	मु.का.	15.00	5.00				
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
02	श्री जगदीश प्रसाद झाबमल टिडरेवाला यूनिवर्सिटी, झुंझुनू	मु.का.			2.50		4.63	
		क्षे.का						
03	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	मु.का.	2.50	26.50				
		क्षे.का						
04	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	मु.का.	35.00	42.00			16.18	
		क्षे.का						
05	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	मु.का.	74.43	110.50				
		क्षे.का						
06	एम.पी. यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल एण्ड टेक्नोलॉजी, उदयपुर	मु.का.			7.00	13.00	0.23	
		क्षे.का						
07	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जगतपुरा	मु.का.			6.00		3.71	
		क्षे.का						
08	जे जी आर राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर	मु.का.			4.50	2.50		
		क्षे.का						
09	एनआईएमएस यूनिवर्सिटी, जयपुर	मु.का.			2.50			2.82
		क्षे.का						
10	एस.के. राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बीकानेर	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
11	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एण्ड एनीमल साइंस, बीकानेर	मु.का.						2.04
		क्षे.का						
12	सिंघानिया यूनिवर्सिटी, झुंझुनू	मु.का.			16.00	5.50	4.90	
		क्षे.का						
13	बीकानेर यूनिवर्सिटी, बीकानेर	मु.का.	5.00		15.00	2.00		3.24
		क्षे.का						
14	कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा	मु.का.			15.00	11.00		
		क्षे.का						
15	पी ए एच ई आर यूनिवर्सिटी, उदयपुर	मु.का.			2.50			1.42
		क्षे.का						
16	भगवंत यूनिवर्सिटी, अजमेर	मु.का.			2.50			2.12
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	131.93	184.00	76.00	34.00	29.64	11.65
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	131.93	184.00	76.00	34.00	29.64	11.65
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडु							
01	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुडी	मु.का.	18.00				6.10	
		क्षे.का						
02	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	7.50				11.90	
		क्षे.का						
03	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर	मु.का.	95.50	7.00			15.69	
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
04	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	मु.का.	27.50	5.00			8.31	
		क्षे.का						
05	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	मु.का.	32.50				8.78	
		क्षे.का						
06	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	41.50	13.00			7.06	
		क्षे.का						
07	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	मु.का.	37.50	11.00			1.21	
		क्षे.का						
08	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेल्ली	मु.का.	18.00				4.74	
		क्षे.का						
09	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोडाईकनाल	मु.का.					1.97	
		क्षे.का						
10	पेरियार यूनिवर्सिटी, सेलम	मु.का.	28.86	2.50			2.92	
		क्षे.का						
11	तमिल यूनिवर्सिटी, थंजावुर	मु.का.	23.50	2.00				
		क्षे.का						
12	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	मु.का.	42.50	2.50			9.85	
		क्षे.का						
13	श्री रामचन्द्र यूनिवर्सिटी, पोरूर	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
14	एसआरएम यूनिवर्सिटी, कांचीपुरम	मु.का.			5.00			
		क्षे.का						
15	अन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	मु.का.			2.00		3.76	
		क्षे.का						
16	अन्ना यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	मु.का.	5.00					
		क्षे.का						
	कुल	**मु.का**	377.86	43.00	9.50	0.00	82.29	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	**मु.का**	377.86	43.00	9.50	0.00	82.29	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश							
01	बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झाँसी	मु.का.	45.00					
		क्षे.का						
02	चौ0 चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	मु.का.	70.50	6.00				
		क्षे.का						
03	छ0 शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर	मु.का.	28.00	7.61				
		क्षे.का						
04	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	मु.का.	60.00	8.50				
		क्षे.का						
05	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	मु.का.	22.50	2.00				
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
06	डॉ. आर.एम.एल. अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	मु.का.	5.00					
		क्षे.का						
07	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.						28.01
		क्षे.का						
08	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.	259.00	2.50			4.77	
		क्षे.का						
09	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	मु.का.	31.63	6.11				
		क्षे.का						
10	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	मु.का.	30.00					
		क्षे.का						
11	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	मु.का.	12.50					
		क्षे.का						
12	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री० एण्ड टेक्नोलॉजी, कानपुर	मु.का.	27.50					
		क्षे.का						
13	नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री० एण्ड टेक्नोलॉजी, फैजाबाद	मु.का.	37.50					
		क्षे.का						
14	सीएसएम मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.			8.50			
		क्षे.का						
15	मंगलयतन यूनिवर्सिटी बिस्वान	मु.का.			17.50			
		क्षे.का						
16	एस वी बी पी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टेक्नोलॉजी, मेरठ	मु.का.			15.00		3.01	
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	629.13	32.72	41.00	0.00	7.78	28.01
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	629.13	32.72	41.00	0.00	7.78	28.01
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तरांचल (उत्तराखण्ड)							
01	जी.बी. पंत एग्री० यूनिवर्सिटी, पंतनगर	मु.का.	30.00	4.00			8.28	
		क्षे.का						
02	कुँमाऊ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	मु.का.	13.00	10.00				
		क्षे.का						
03	आईआईटी, रुड़की	मु.का.			2.50		2.80	
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	43.00	14.00	2.50	0.00	11.08	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	43.00	14.00	2.50	0.00	11.08	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पश्चिम बंगाल							
01	बंगाल इंजी० एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, हावड़ा	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
02	विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	मु.का.	25.00	40.00				
		क्षे.का						
03	बुर्दवान यूनिवर्सिटी, बुर्दवान	मु.का.	5.00				0.23	
		क्षे.का						
04	कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	35.00	2.50			3.23	
		क्षे.का						
05	जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	30.00	10.00			5.23	
		क्षे.का						
06	कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी	मु.का.	5.00				6.92	
		क्षे.का						
07	नार्थ बंगाल यूनिवसिंटी, दार्जिलिंग	मु.का.		10.00				
		क्षे.का						
08	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	47.50	2.50			4.06	
		क्षे.का						
09	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	मु.का.	2.50				2.06	
		क्षे.का						
10	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज सांइस, कोलकाता	मु.का.	2.50	2.50				
		क्षे.का						
11	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी कोलकाता	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
12	कृषि यूनिवर्सिटी	मु.का.					34.65	
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	155.00	67.50	2.50	0.00	56.38	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	155.00	67.50	2.50	0.00	56.38	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	4640.65	2298.81	216.50	47.50	2388.68	41.93
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का	4640.65	2298.81	216.50	47.50	2388.68	41.93
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		951.50	798.00	0.00	4.00	1345.13	0.00
समविश्वविद्यालयों का कुल योग		161.36	151.00	28.00	2.50	119.74	0.00
अंतरविश्वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य विश्वविद्यालयों का कुल योग		3527.79	1349.81	188.50	41.00	923.82	41.93
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
समग्र योग		4640.65	2298.81	216.50	47.50	2388.68	41.93
यदि कोई विभेद दृष्टिगत हो तो		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट-XXI (जारी...)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			अ.जा. हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अ.जा. हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अ.जा. हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अ.जा. हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति गैर विश्व-विद्यालय संस्थान
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय		10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
01	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	मु.का.					2.95	
		क्षे.का.						
02	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.का.	2.50					
		क्षे.का.						
03	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	मु.का.	2.50	5.50				
		क्षे.का.						
04	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.	9.50	2.00				
		क्षे.का.						
05	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	मु.का.	2.50					
		क्षे.का.						
06	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	4.50	4.00			3.00	
		क्षे.का.						
07	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.					2.57	
		क्षे.का.						
08	मणीपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	मु.का.		2.00				
		क्षे.का.						
	उप योग	**मु.का.**	21.50	13.50	0.00	0.00	8.52	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	पाँडीचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	मु.का.					2.21	
		क्षे.का.						
	उप योग	**मु.का.**	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**मु.का.**	21.50	13.50	0.00	0.00	10.73	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	**मु.का.**	21.50	13.50	0.00	0.00	10.73	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समविश्वविद्यालय							
01	गर्वमेंट ग्लर्स कॉलेज, दौसा	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
02	एस के एन कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जोबनेर	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
03	राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल, उदयपुर	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
04	एग्रीकल्वरल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मदुरई	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
05	गवर्मेंट आर्ट्स कॉलेज, कोयम्बटूर	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
06	पीजीएस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, कोयम्बटूर	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
07	मोती लाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
08	जेड एच कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
09	वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, जटोली, मेरठ	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
10	इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, बरेली	मु.का.			4.00			
		क्षे.का.						
11	आई आई टी रिसर्च सेन्टर, लखनऊ	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
12	डॉ0 आर.एम.एल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (जीएन), लखनऊ	मु.का.			3.34			
		क्षे.का.						
13	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक., रूड़की	मु.का.			2.00			0.49
		क्षे.का.						
14	रीजनल प्लांट रिसोर्स सेन्टर, जयपोर, कोरापुट	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
15	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, कोलकाता	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
16	नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद	मु.का.				2.50		
		क्षे.का.						
17	श्री जयाचमारजेन्द्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर	मु.का.				2.50		
		क्षे.का.						
18	अठावले कॉलेज ऑफ सोशल वर्क चिमूर, चन्द्रपुर	मु.का.				2.00		
		क्षे.का.						
19	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुबंई	मु.का.				2.00		
		क्षे.का.						
20	एन आई पी ई रिसर्च, एसएएस नगर, मोहाली	मु.का.				3.77		1.92
		क्षे.का.						
21	एस. के. एन. कॉलेज, जबनार	मु.का.				2.50		
		क्षे.का.						
22	वीआरआर डायगनोस्टिक सर्विसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, चेन्नई	मु.का.				2.50		
		क्षे.का.						
23	सी.पी.आर.ए.आई ऑफ इंडोलॉजिकल रिसर्च, चेन्नई	मु.का.				2.00		
		क्षे.का.						
24	एस.ए. सेन्टर फॉर ऑरनिथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयंबटूर	मु.का.				4.00		
		क्षे.का.						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
25	देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून	मु.का.				2.50		
		क्षे.का.						
26	एनआईटी, राउरकेला	मु.का.					0.17	2.94
		क्षे.का.						
27	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियल साईसेज, मुम्बई	मु.का.					0.16	
		क्षे.का.						
28	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मुम्बई , मुम्बई	मु.का.					0.34	
		क्षे.का.						
29	वेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर	मु.का.					1.56	
		क्षे.का.						
	उप योग	**मु.का.**	0.00	0.00	38.84	26.27	2.23	5.35
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	सेन्ट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर	मु.का.			5.00			
		क्षे.का.						
31	सेन्टर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरूवनंतपुरम	मु.का.			5.50	11.64		
		क्षे.का.						
32	इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा	मु.का.	40.00	20.00				
		क्षे.का.						
33	एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंज, बिहार	मु.का.			6.00			
		क्षे.का.						
34	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	मु.का.		2.50				
		क्षे.का.						
35	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल	मु.का.	12.50	2.50				
		क्षे.का.						
36	राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल, उदयपुर	मु.का.			3.00			
		क्षे.का.						
37	इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन लैंग्वेज एण्ड लिटरेट, बीड	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
38	सेन्ट्रल फॉर मेडिसिनल प्लांट्स रिसर्च कोटक्कल, केरल	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
39	आईआईटी, खड़गपुर	मु.का.					0.46	
		क्षे.का.						
40	माधव कॉलेज, लाशका, ग्वालियर	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
41	एसएनडीटी कॉलेज ऑफ एडूकेशन, पुणे	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
42	वीएन गवर्नट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एण्ड सोशल साइस, नागपुर	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
43	पी जी इंस्टीट्यूट डॉ0 पंजाबराव डी.के. विद्यापीठ, अकोला	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
44	प्रो0 आर.एम. आर्ट्स, कॉमर्स एण्ड साइंस कॉलेज, अरूडी, पुणे	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(b)
45	कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, डालोली (एमएस)	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
46	एस बी ई एस आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज, औरंगाबाद	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
47	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड मैनेजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च (इंडसर्च)	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
48	गवर्मेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, के. सलारा	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
49	डॉ0 पंजाबराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, नागपुर	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
50	कॉलेज ऑफ वेटनरी एण्ड एनीमल साइंस, परभानी	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
51	नेशनल फिजिकल लैब, नई दिल्ली	मु.का.			6.00			
		क्षे.का.						
52	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुडी	मु.का.			2.11			
		क्षे.का.						
53	कॉलेज ऑफ होम साइंस, उदयपुर	मु.का.						3.94
		क्षे.का.						
54	सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इमेंजिंग टेक., तिरावलूम	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
55	चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
56	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला	मु.का.			7.50			
		क्षे.का.						
57	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली	मु.का.			5.00			
		क्षे.का.						
58	संत लौंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, पंजाब	मु.का.			5.00			
		क्षे.का.						
59	पी.जी. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एडूकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ	मु.का.			1.45			
		क्षे.का.						
60	एम एल एन एन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद	मु.का.						3.38
		क्षे.का.						
61	जेड एच कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, अलीगढ	मु.का.						3.84
		क्षे.का.						
62	आईआईटी, गुवाहाटी	मु.का.					0.48	
		क्षे.का.						
63	मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंस एण्ड कॉमर्स, औरंगाबाद	मु.का.					1.81	
		क्षे.का.						
	उप योग	मु.का.	52.50	25.00	81.56	11.64	2.74	11.16
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	दी लल्लुभाई मोतीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अहमदाबाद	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						

	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
65	एस.के. स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एण्ड मैनेजमेंट नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
66	पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल मेडिकल साइंस, रायपुर	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
67	कॉलेज ऑफ फिशरीज, मंगलौर	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
68	जीके वी के, बेंगलूरु	मु.का.			17.50	5.00		
		क्षे.का.						
69	वेटनरी कॉलेज, हेब्बल	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
70	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड्गपुर	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
71	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारसभा (मद्रास)	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
72	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
73	प्रमिला हेल्थ सर्विसेज, बेंगलुरु	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
74	नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
75	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली	मु.का.			1.48	2.16		1.44
		क्षे.का.						
76	कुवेंपु इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा स्टडीज, मानसगंगोत्री, मैसूर	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
77	इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर	मु.का.			4.00			
		क्षे.का.						
78	डॉ० बी.ए. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंदौर	मु.का.	17.50					
		क्षे.का.						
79	गवर्नमेंट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड ह्यूमनिटीज, अमरावती	मु.का.	8.00					1.09
		क्षे.का.						
80	एचबीटी इंस्टीट्यूट, कानपुर	मु.का.	2.50					
		क्षे.का.						
81	इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एण्ड परफॉर्मिंग आर्ट मंगलयातन यूनिवर्सिटी अलीगढ़	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
82	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल स्टडीज, तारामणि चेन्नई	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
83	जे.के. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लायड फिजिक्स एण्ड टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद	मु.का.			2.00			
		क्षे.का.						
84	नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, पूसा, नई दिल्ली	मु.का.				2.29		
		क्षे.का.						
85	सी आर आई आई ड्रेलैंड, संतोष नगर	मु.का.						0.83
		क्षे.का.						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
86	एल एन एम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंज, पटना	मु.का.						2.00
		क्षे.का.						
87	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटग्रेटिव मेडिसीन, जम्मू	मु.का.						4.00
		क्षे.का.						
88	इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, औरंगाबाद	मु.का.						0.05
		क्षे.का.						
89	श्री सी टी आई फॉर मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंपुरम	मु.का.			2.85			
		क्षे.का.						
90	इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एण्ड ट्री ब्रीडिंग, कोयम्बटूर	मु.का.			3.95			
		क्षे.का.						
91	एग्रीकल्चरल कॉलेज, बापतला	मु.का.			2.50			
		क्षे.का.						
92	सीजॉन मीडिया प्रा0 लि0	मु.का.	27.15	8.50	0.00	0.55	1.78	0.00
		क्षे.का.						
	उप योग	मु.का.	55.15	8.50	62.28	10.00	1.78	9.41
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	107.65	33.50	182.68	47.91	6.75	25.92
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	107.65	33.50	182.68	47.91	6.75	25.92
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालय							
	आन्ध्र प्रदेश							
01	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर	मु.का.					2.46	
		क्षे.का						
02	उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	2.50	2.50				
		क्षे.का						
03	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
	कुल	मु.का.	5.00	2.50	0.00	0.00	2.46	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	5.00	2.50	0.00	0.00	2.46	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बिहार							
01	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरयूनिवर्सिटी, मुज्जफरपुर	मु.का.	9.47	2.50		2.50		
		क्षे.का						
02	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	मु.का.	18.00					
		क्षे.का						
03	मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया	मु.का.	7.50					
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
04	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	मु.का.	2.50		2.50		10.63	
		क्षे.का						
05	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	मु.का.	5.50					
		क्षे.का						
06	राजेन्द्र मेमौरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
	कुल	मु.का.	42.97	2.50	5.00	2.50	10.63	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	42.97	2.50	5.00	2.50	10.63	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	छत्तीसगढ़							
01	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.			2.50	2.50		
		क्षे.का						
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुजरात							
01	भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	मु.का.	5.00					
		क्षे.का						
02	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
03	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
04	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	मु.का.	4.50	12.00		5.00	2.06	
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	14.50	12.00	0.00	5.00	2.06	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	14.50	12.00	0.00	5.00	2.06	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	हरियाणा							
01	चौ0 देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	मु.का.			2.00			
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
	कर्नाटक							
01	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	मु.का.		5.50		2.50	3.81	
		क्षे.का						
02	विश्वरैयया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगम	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
	कुल	**मु.का**	2.50	5.50	0.00	2.50	3.81	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	**मु.का**	2.50	5.50	0.00	2.50	3.81	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केरल							
01	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	मु.का.					3.39	
		क्षे.का						
02	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूअनंतपुरम	मु.का.	2.00				10.57	
		क्षे.का						
03	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.					4.17	
		क्षे.का						
	कुल	**मु.का**	2.00	0.00	0.00	0.00	21.19	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	**मु.का**	2.00	0.00	0.00	0.00	21.19	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश							
01	अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा	मु.का.	22.50					
		क्षे.का						
02	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	20.31				13.73	
		क्षे.का						
03	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इन्दौर	मु.का.	40.44	47.25	2.50	7.00		
		क्षे.का						
04	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	मु.का.	17.90					
		क्षे.का						
05	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.का.	5.50					
		क्षे.का						
06	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	मु.का.	12.49	4.50	2.50			
		क्षे.का						
07	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	मु.का.				2.50		
		क्षे.का						
	कुल	**मु.का**	119.15	51.75	5.00	9.50	13.73	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	**मु.का**	119.15	51.75	5.0	9.50	13.73	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
	महाराष्ट्र							
01	एस.जी.बी. अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	मु.का.	12.00			2.00	6.46	
		क्षे.का						
02	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	मु.का.	15.00		2.50		2.45	
		क्षे.का						
03	मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई	मु.का.				2.00	7.42	
		क्षे.का						
04	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	मु.का.	6.00	6.00	4.00			
		क्षे.का						
05	पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे	मु.का.	4.50	4.00			3.80	
		क्षे.का						
06	आर.टी.एम. नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	मु.का.			2.00		5.19	
		क्षे.का						
07	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	मु.का.	4.00					
		क्षे.का						
08	स्वामी आर.टी.एम. यूनिवर्सिटी, नांदेड़	मु.का.	46.76	14.00	2.50		6.50	
		क्षे.का						
	कुल	**मु.का**	88.26	24.00	11.00	4.00	31.81	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	**मु.का**	88.26	24.00	11.00	4.00	31.81	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ओड़ीसा							
01	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
02	सम्बलपुर, यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर	मु.का.	2.50	2.50				
		क्षे.का						
	कुल	**मु.का**	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	**मु.का**	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्थान							
01	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	मु.का.	13.94	25.50	2.50			
		क्षे.का						
02	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	मु.का.	2.00	2.50				
		क्षे.का						
03	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	मु.का.	17.34	11.91				
		क्षे.का						
04	एम.पी. यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी	मु.का.				2.50		
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		क्षेत्रक-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
05	बीकानेर यूनिवर्सिटी, बीकानेर	मु.का.	44.00	4.00				9.34
		क्षे.का						
06	कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा	मु.का.	2.50	9.00		2.50	0.85	
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	79.78	52.91	2.50	5.00	0.85	9.34
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	79.78	52.91	2.50	5.00	0.85	9.34
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडु							
01	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुडी	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
02	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	मु.का.	7.50		5.00		6.39	
		क्षे.का						
03	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	मु.का.	24.34		2.50		1.29	
		क्षे.का						
04	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	23.00	13.50			4.98	
		क्षे.का						
05	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	मु.का.	19.00				11.11	
		क्षे.का						
06	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेल्ली	मु.का.	12.18				4.86	
		क्षे.का						
07	अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी	मु.का.					4.35	
		क्षे.का						
08	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल स्टडीज, चेन्नई	मु.का.			2.50			
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	88.52	13.50	10.00	0.00	32.98	0.00
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	88.52	13.50	10.00	0.00	32.98	0.00
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश							
01	बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झाँसी	मु.का.	2.50					
		क्षे.का						
02	चौ0 चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	मु.का.	83.93		2.50			
		क्षे.का						
03	छ0 शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर	मु.का.	4.00					
		क्षे.का						
04	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	मु.का.	13.00					
		क्षे.का						
05	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	मु.का.	50.06				1.79	
		क्षे.का						

#	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक-10		क्षेत्रक-11		Sector-12	
			10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	12(क)	12(ख)
06	डॉ. आर.एम.एल. अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	मु.का.	10.48		2.00			
		क्षे.का						
07	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	मु.का.	95.08				0.58	
		क्षे.का						
08	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	मु.का.	15.00				1.80	
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	274.06	0.00	4.50	0.00	4.16	0.00
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	274.06	0.00	4.50	0.00	4.16	0.00
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तराखण्ड							
01	जी.बी. पंत एग्री० यूनिवर्सिटी, पंतनगर	मु.का.					1.06	
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पश्चिम बंगाल							
01	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग	मु.का.	4.50	2.00				
		क्षे.का						
	कुल	मु.का	4.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	4.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का	855.40	216.17	225.18	78.91	142.23	35.26
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का	855.40	216.17	225.18	78.91	142.23	35.26
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		21.50	13.50	0.00	0.00	10.73	0.00
	[illegible]विद्यालयों का कुल योग		107.65	33.50	182.68	47.91	6.75	25.92
	[illegible]वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य [illegible]वविद्यालया का कुल योग		726.24	169.16	42.50	31.00	124.75	9.34
	विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		855.40	216.17	225.18	78.91	142.23	35.26
	यदि कोई विभेद दृष्टिगत हो तो		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)